**महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय**
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
**Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya**
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त / Accredited with 'A' Grade by NAAC


# हिन्दी भाषा का विकास एवं नागरी लिपि

## एम.ए. हिन्दी पाठ्यक्रम
## तृतीय सेमेस्टर
## तृतीय पाठ्यचर्या (अनिवार्य)
## पाठ्यचर्या कोड : MAHD – 15


**दूर शिक्षा निदेशालय**
**महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय**
**पोस्ट – हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा – 442001 (महाराष्ट्र)**

# हिन्दी भाषा का विकास एवं नागरी लिपि


**प्रधान सम्पादक**

**प्रो० गिरीश्वर मिश्र**
**कुलपति, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा**

**सम्पादक**

**प्रो० कृष्ण कुमार सिंह**
**निदेशक, दूर शिक्षा निदेशालय एवं विभागाध्यक्ष, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग**
**साहित्य विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा**

**पुरन्दरदास**
**अनुसंधान अधिकारी एवं पाठ्यक्रम संयोजक– एम. ए. हिन्दी पाठ्यक्रम**
**दूर शिक्षा निदेशालय, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा**



**सम्पादक मण्डल**

**प्रो० आनन्द वर्धन शर्मा**
**प्रतिकुलपति, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा**

**प्रो० कृष्ण कुमार सिंह**
**निदेशक, दूर शिक्षा निदेशालय एवं विभागाध्यक्ष, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग**
**साहित्य विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा**

**प्रो० अरुण कुमार त्रिपाठी**
**प्रोफेसर एडजंक्ट, जनसंचार विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा**

**पुरन्दरदास**



**प्रकाशक**

**कुलसचिव, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा**
**पोस्ट : हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा, महाराष्ट्र, पिन कोड : 442001**


**© महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा**

**प्रथम संस्करण : जून 2018**

**पाठ-रचना**

---

**डॉ॰ बन्दना झा**
**एसोसिएट प्रोफेसर**
**हिन्दी विभाग, बसन्त महिला महाविद्यालय, राजघाट, वाराणसी, उत्तरप्रदेश**

**खण्ड – 1 : इकाई – 1 एवं 2**

---

**डॉ॰ धनजी प्रसाद**
**असिस्टेंट प्रोफेसर**
**भाषाविज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग, भाषा विद्यापीठ**
**महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा**

**खण्ड – 1 : इकाई – 3**
**खण्ड – 4 : इकाई – 3**
**खण्ड – 5 : इकाई – 1**

---

**डॉ॰ किशोर वासवानी**
**विशेषज्ञ : सिनेमाई, श्रव्य-दृश्य भाषा, हिंदी, राजभाषा उद्योग शिक्षण, सामग्री निर्माण प्रशिक्षण**
**पूर्व-उपनिदेशक/निदेशक (भाषाएँ), भारत सरकार, शिक्षा विभाग, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, सिं. परिषद**
**पूर्व-निदेशक, भारतीय भाषा संस्कृति सं., गुजरात विद्यापीठ**

**खण्ड – 2 : इकाई – 1**
**खण्ड – 4 : इकाई – 2**

---

**डॉ॰ धनञ्जय सिंह**
**सहायक प्रोफेसर**
**हिन्दी विभाग, डॉ॰ सर्वपल्ली राधाकृष्णन गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, यानम, पोंडिचेरी**

**खण्ड – 2 : इकाई – 2, 3, 4 एवं 5**

---

**डॉ॰ रविप्रकाश गुप्त**
**प्रोफेसर एवं पूर्व क्षेत्रीय निदेशक**
**केंद्रीय हिंदी संस्थान, दिल्ली केंद्र**

**खण्ड – 3 : इकाई – 1, 2, 3, 4 एवं 5**

---

**डॉ० सय्यद मुज़म्मिलुद्दीन**
**एसोसिएट प्रोफेसर**
**ई-कॉमर्स अथवा विपणन, व्यवसाय प्रबंधन विभाग**
**अन्वारुल उलूम कॉलेज ऑफ़ बिज़नेस मैनेजमेन्ट**
**उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद**

**खण्ड – 4 : इकाई – 4**

**प्रो० ठाकुरदास**
**पूर्व प्रोफेसर**
**केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा**

**खण्ड – 5 : इकाई – 2, 3 एवं 4**

**पुरन्दरदास**

**खण्ड – 4 : इकाई – 1**

**पाठ्यक्रम परिकल्पना, संरचना एवं संयोजन**
**आवरण, रेखांकन, पेज डिज़ाइनिंग, कम्पोज़िंग ले-आउट एवं प्रूफ़रीडिंग**

**पुरन्दरदास**

**कार्यालयीय सहयोग**

**श्री विनोद रमेशचंद्र वैद्य**
**सहायक कुलसचिव, दूर शिक्षा निदेशालय, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा**

**टंकण कार्य सहयोग (खण्ड – 3 : इकाई – 1, 2, 3, 4 एवं 5)**

**श्री सचिन कृष्णराव नाखले**
**दूर शिक्षा निदेशालय, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा**

**आवरण पृष्ठ पर संयुत विश्वविद्यालय के वर्धा परिसर स्थित गांधी हिल स्थल का छायाचित्र डॉ० सुरजीत कुमार सिंह सहायक प्रोफेसर एवं प्रभारी निदेशक, डॉ० भदन्त आनन्द कौसल्यायन बौद्ध अध्ययन केन्द्र, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा से साभार प्राप्त**

**http://hindivishwa.org/distance/contentdtl.aspx?category=3&cgid=77&csgid=65**

- यह पाठ्यसामग्री दूर शिक्षा निदेशालय, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एम.ए. हिन्दी पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों के अध्ययनार्थ उपलब्ध करायी जाती है।
- इस कृति का कोई भी अंश लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।
- पाठ में विश्लेषित तथ्य एवं अभिव्यक्त विचार पाठ-लेखक के अध्ययन एवं ज्ञान पर आधारित हैं। पाठ्यक्रम संयोजक, सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उससे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
- इस पुस्तक को यथासम्भव त्रुटिहीन एवं अद्यतन रूप से प्रकाशित करने के सभी प्रयास किये गए हैं तथापि संयोगवश यदि इसमें कोई कमी अथवा त्रुटि रह गई हो तो उससे कारित क्षति अथवा संताप के लिए पाठ-लेखक, पाठ्यक्रम संयोजक, सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का कोई दायित्व नहीं होगा।
- किसी भी परिवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र वर्धा, महाराष्ट्र ही होगा।

## पाठ्यचर्या विवरण

तृतीय सेमेस्टर
तृतीय पाठ्यचर्या (अनिवार्य)
पाठ्यचर्या कोड : MAHD – 15
पाठ्यचर्या का शीर्षक : हिन्दी भाषा का विकास एवं नागरी लिपि

क्रेडिट – 04

खण्ड – 1 : हिन्दी भाषा का विकास : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- इकाई – 1 : प्राचीन भारतीय आर्यभाषाएँ : वैदिक एवं लौकिक संस्कृत
- इकाई – 2 : मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाएँ : पालि, प्राकृत, अपभ्रंश
- इकाई – 3 : आधुनिक भारतीय आर्यभाषाएँ और उनका वर्गीकरण

खण्ड – 2 : हिन्दी भाषा-समुदाय

- इकाई – 1 : हिन्दी शब्द का अर्थ और प्रयोग
- इकाई – 2 : हिन्दी भाषा-समुदाय का वर्गीकरण
- इकाई – 3 : भाषा-समुदाय – प्रथम वर्ग (हिन्दी की उपभाषाएँ) : राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी भाषाएँ
- इकाई – 4 : भाषा-समुदाय – द्वितीय वर्ग (हिन्दी की बोलियाँ) : पूर्वी और पश्चिमी हिन्दी में अन्तर, पश्चिमी हिन्दी की बोलियाँ – खड़ीबोली, बाँगरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुन्देली का परिचय, पूर्वी हिन्दी की बोलियाँ – अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का परिचय
- इकाई – 5 : भाषा-समुदाय – तृतीय वर्ग (हिन्दी की विभाषाएँ) : हिन्दवी, दक्खिनी हिन्दी, रेख़्ता, उर्दू, हिन्दुस्तानी

खण्ड – 3 : हिन्दी की भाषा संरचना

- इकाई – 1 : हिन्दी ध्वनियों का निरूपण : उच्चारण अवयव, ध्वनियों का वर्गीकरण, सन्धि तथा उसके भेद-प्रभेद
- इकाई – 2 : हिन्दी शब्द रचना : उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास, उपसर्ग और परसर्ग में अन्तर
- इकाई – 3 : व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर हिन्दी शब्द वर्ग : (i) विकारी शब्द – संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया (ii) अविकारी शब्द – क्रियाविशेषण, सम्बन्धबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक तथा निपात
- इकाई – 4 : भाषा संरचना की व्याकरणिक कोटियाँ : लिंग, वचन, कारक, काल, पक्ष, वृत्ति तथा वाच्य
- इकाई – 5 : हिन्दी वाक्य-रचना : वाक्य के प्रकार, उपवाक्य, उपवाक्य के प्रकार, पदक्रम और अन्विति

खण्ड – 4 : हिन्दी के विविध रूप

- इकाई – 1 : भाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में हिन्दी
- इकाई – 2 : माध्यम भाषा, संचार भाषा

इकाई – 3 : हिन्दी का आधुनिक विकास और सांवैधानिक स्थिति
इकाई – 4 : हिन्दी का वैश्विक रूप

खण्ड – 5 : लिपि का उदय और विकास
इकाई – 1 : लिपि का विकास
इकाई – 2 : भारतीय लिपियाँ और देवनागरी लिपि
इकाई – 3 : देवनागरी लिपि : नामकरण के आधार, देवनागरी लिपि की विशेषताएँ
इकाई – 4 : देवनागरी लिपि एवं वर्तनी का मानकीकरण

**सहायक पुस्तकें :**

01. अच्छी हिन्दी का नमूना, किशोरीदास वाजपेयी, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली
02. प्रवासी साहित्य जोहान्सबर्ग से आगे, प्रधान सं. : कमल किशोर गोयनका, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार
03. भाषाई अस्मिता और हिन्दी, रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली
04. भाषा और बोली : एक संवाद, आर. के. अग्निहोत्री
05. भाषा और समाज, रामविलास शर्मा
06. भाषा का समाजशास्त्र, राजेन्द्र प्रसाद सिंह
07. भाषा : स्वरूप और संरचना, हेमचन्द्र
08. भारत की भाषा समस्या, रामविलास शर्मा, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली
09. भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिन्दी (तीन खण्ड), रामविलास शर्मा, राजकमल प्रकाशन
10. भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी, सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली
11. मानक हिंदी : संरचना एवं प्रयोग, रामप्रकाश
12. मानक हिंदी वर्तनी तथा नागरी लिपि, सं. : रामकृष्ण मिश्र, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
13. राजभाषा हिन्दी में वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद की दिशाएँ, हरिमोहन
14. राष्ट्रभाषा हिन्दी : समस्याएँ और समाधान, देवेन्द्रनाथ शर्मा, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद
15. व्यावहारिक राजभाषा कोश, दिनेश चमोला
16. विश्वभाषा हिन्दी की अस्मिता : स्वप्न और यथार्थ, जी. गोपीनाथन्, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
17. विश्व भाषा हिन्दी, महावीरसरन जैन
18. विश्व हिन्दी रचना, सं. : कमल किशोर गोयनका
19. शब्दों का सफर : पहला पड़ाव, अजित वडनेरकर, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली
20. शब्दों का सफर : दूसरा पड़ाव, अजित वडनेरकर, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली
21. सूरीनाम का सृजनात्मक हिन्दी साहित्य, सं. : विमलेश कान्ति वर्मा, भावना सक्सैना, राधाकृष्ण प्रकाशन
22. हिन्दी उद्भव : विकास और रूप, हरदेव बाहरी, किताब महल, इलाहाबाद

23. हिन्दी और उसकी उपभाषाएँ, विमलेश कान्ति वर्मा
24. हिन्दी का सामाजिक सन्दर्भ, सं. : रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव एवं रमानाथ सहाय, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
25. हिन्दी का वैश्विक परिदृश्य, सं. : गिरीश्वर मिश्र, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
26. हिन्दी की वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण, किशोरीदास वाजपेयी, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली
27. हिन्दी की समस्याएँ, कामेश्वर शर्मा
28. हिन्दी कैसे बने विश्वभाषा, वेदप्रताप वैदिक, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली
29. हिन्दी निरुक्त, किशोरीदास वाजपेयी, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली
30. हिन्दी भाषा, भोलानाथ तिवारी
31. हिन्दी भाषा, श्यामसुन्दरदास, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद
32. हिन्दी भाषा, हरदेव बाहरी
33. हिन्दी-भाषा और लिपि का ऐतिहासिक विकास, सत्यनारायण त्रिपाठी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी
34. हिन्दी भाषा : स्वरूप, शिक्षण, वैश्विकता, सं. : कमल किशोर गोयनका, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत
35. हिन्दी भाषा : संरचना के विविध आयाम, रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, राधाकृष्ण प्रकाशन, नयी दिल्ली
36. हिन्दी भाषा का इतिहास, धीरेन्द्र वर्मा, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद
37. हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास, उदयनारायण तिवारी, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद
38. हिन्दी भाषा का विकास, धीरेन्द्र वर्मा, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद
39. हिन्दी भाषा का विकास एवं नागरी लिपि, राजकिशोर सिंह, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा
40. हिन्दी भाषा साहित्य और नागरी लिपि, कन्हैया सिंह, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी
41. हिन्दी व्याकरण, कामताप्रसाद गुरु, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी
42. हिन्दी शब्दानुशासन, किशोरीदास वाजपेयी, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी


**उपयोगी इंटरनेट स्रोत :**

1. http://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=18
2. http://www.hindisamay.com/
3. http://hindinest.com/
4. http://www.dli.ernet.in/
5. http://www.archive.org

❖❖❖

## पाठानुक्रमणिका


| क्र. सं. | खण्ड | इकाई | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 01. | खण्ड – 1 | इकाई – 1 | 10 – 19 |
| 02. | खण्ड – 1 | इकाई – 2 | 20 – 35 |
| 03. | खण्ड – 1 | इकाई – 3 | 36 – 48 |
| 04. | खण्ड – 2 | इकाई – 1 | 49 – 63 |
| 05. | खण्ड – 2 | इकाई – 2 | 64 – 78 |
| 06. | खण्ड – 2 | इकाई – 3 | 79 – 90 |
| 07. | खण्ड – 2 | इकाई – 4 | 91 – 101 |
| 08. | खण्ड – 2 | इकाई – 5 | 102 – 112 |
| 09. | खण्ड – 3 | इकाई – 1 | 113 – 142 |
| 10. | खण्ड – 3 | इकाई – 2 | 143 – 162 |
| 11. | खण्ड – 3 | इकाई – 3 | 163 – 197 |
| 12. | खण्ड – 3 | इकाई – 4 | 198 – 236 |
| 13. | खण्ड – 3 | इकाई – 5 | 237 – 262 |
| 14. | खण्ड – 4 | इकाई – 1 | 263 – 282 |
| 15. | खण्ड – 4 | इकाई – 2 | 283 – 296 |
| 16. | खण्ड – 4 | इकाई – 3 | 297 – 316 |
| 17. | खण्ड – 4 | इकाई – 4 | 317 – 330 |
| 18. | खण्ड – 5 | इकाई – 1 | 331 – 342 |
| 19. | खण्ड – 5 | इकाई – 2 | 343 – 355 |
| 20. | खण्ड – 5 | इकाई – 3 | 356 – 369 |
| 21. | खण्ड – 5 | इकाई – 4 | 370 – 382 |

## खण्ड – 1 : हिन्दी भाषा का विकास : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

## इकाई – 1 : प्राचीन भारतीय आर्यभाषाएँ : वैदिक एवं लौकिक संस्कृत

**इकाई की रूपरेखा**

1.1.0. उद्देश्य कथन
1.1.1. प्रस्तावना
1.1.2. विषय-प्रवेश
  1.1.2.1. भाषा की परिभाषा
  1.1.2.2. भाषा के तत्त्व
  1.1.2.3. भाषा के अंग या अवयव
1.1.3. हिन्दी भाषा का विकास : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
1.1.4. प्राचीन भारतीय आर्यभाषाएँ
  1.1.4.1. वैदिक संस्कृत
  1.1.4.2. लौकिक संस्कृत
  1.1.4.3. वैदिक और लौकिक संस्कृत में अन्तर तथा उनकी विशेषताएँ
1.1.5. वैदिक संस्कृत
  1.1.5.1. वैदिक संस्कृत की ध्वनियाँ
  1.1.5.2. वैदिक संस्कृत की प्रमुख विशेषताएँ
1.1.6. लौकिक संस्कृत या संस्कृत
  1.1.6.1. संस्कृत भाषा की ध्वनियाँ
  1.1.6.2. लौकिक संस्कृत की विशेषताएँ

### 1.1.0. उद्देश्य कथन

इस अध्याय में हम हिन्दी भाषा के विकास के साथ उसकी लिपि नागरी अथवा देवनागरी के विकास को पढ़ेंगे। हम जिस भाषा को बोलते आए हैं उसमें अनेक परम्पराओं, संस्कृति और सभ्यता का समागम है। हिन्दी भाषा के विकास के साथ हम विभिन्न काल में उसकी प्रकृति और प्रगति के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। भाषा शनैः शनैः अपना रूप कैसे परिवर्तित करती है, कैसे वह नयी चीजों को आत्मसात करती है और सरलता के आग्रह से तथा व्यवहार न किए जाने से रूप, रचना और ध्वन्यात्मक रूप में वह कैसे परिवर्तित होती चलती है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत पाठ के अन्तर्गत हम हिन्दी भाषा के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए प्राचीन भारतीय आर्यभाषाओं की विशिष्टता को समझेंगे एवं साथ ही वैदिक एवं लौकिक संस्कृत की समता-भेदकता को समझ सकेंगे। हिन्दी भाषा के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने में इस अध्याय से आपके भाषाई चिन्तन को नया आयाम मिलेगा साथ ही राष्ट्र और भाषा के सामरस्य को समझ सकने में आप सफल हो सकेंगे।

## 1.1.1. प्रस्तावना

मानव-जीवन में भाषा का अत्यधिक महत्त्व है क्योंकि वह भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए उसे निरन्तर अपने भावों और विचारों को दूसरे पर अभिव्यक्त करना पड़ता है एवं दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करना पड़ता है। ऐसा वह भाषा के माध्यम से ही कर सकता है। निस्सन्देह कुछ भाव एवं विचार विभिन्न संकेतों द्वारा भी ग्रहण किये और कराये जाते हैं, परन्तु उससे सामाजिक जीवन का समस्त कार्य व्यवहार नहीं चल सकता है। इसलिए मानव जीवन में भाषा की सदैव अपेक्षा रहती है और उसका स्थान महत्त्वपूर्ण है।

'भाषा' शब्द संस्कृत का तत्सम शब्द है और इसकी व्युत्पत्ति व्यक्त वाण्यर्थ 'भाष' धातु से हुई है। भाषण शब्द इसी धातु से बनता है, परन्तु भाषण और भाषा के अर्थों में अन्तर है। भाषण व्यक्तिगत होता है और इसका सम्बन्ध व्यक्ति-विशेष से रहता है, जबकि भाषा सामाजिक वस्तु है और इसका सम्बन्ध सम्पूर्ण समाज से रहता है। इंगलिश में भाषा के लिए 'लेंग्वेज' (Lanuage) शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका सम्बन्ध लैटिन के शब्द 'लिंग्वा' (Lingua) चिह्न से एवं फ्रांसीसी शब्द 'लांग' (Longue-Language) से है। इस प्रकार लैंग्वेज शब्द भी मानवीय बोली (Human Speech) का ही वाचक है। कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने 'भाषा' शब्द का प्रयोग सभी प्राणियों द्वारा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले सभी साधनों के लिए किया है। परन्तु वह असंगत है। 'भाषा' शब्द का प्रयोग मानव की व्यक्त वाणी के लिए ही संगत है। पशु-पक्षियों द्वारा उच्चरित ध्वनियों के लिए भाषा का प्रयोग लाक्षणिक है। हिन्दी, पंजाबी आदि में इसके लिए 'बोली' शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कुत्ते की बोली, बिल्ली की बोली, कौवे की बोली आदि। यद्यपि यहाँ भी उसका प्रयोग लाक्षणिक ही है और उसे मनुष्य की बोली की समानता नहीं दी जा सकती।

लोक व्यवहार में 'भाषा' शब्द का प्रयोग बड़े व्यापक रूप में होता है। समान्यतः मनुष्य द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली सभी सभ्य एवं असभ्य बोलयों को, प्रान्तीय एवं स्थानीय बोलियों को, शुद्ध परिनिष्ठित भाषा को एवं राष्ट्रभाषा को भाषा ही कहा जाता है। जैसे भगवान् राम की भाषा, श्रीकृष्ण की भाषा, गाँधीजी की भाषा, नेहरूजी की भाषा आदि। किसी नगर एवं ग्राम में रहने वाली विभिन्न जातियों की बोलियों को भी भाषा कह दिया जाता है। जैसे, ब्राह्मणों की भाषा, ठाकुरों की भाषा, बनियों की भाषा, धोबियों की भाषा आदि। इसी प्रकार विभिन्न कार्य करने वालों की बोली को भी भाषा कहा जाता है। जैसे, अध्यापकों की भाषा, सुनारों की भाषा, लुहारों की भाषा, जाटों की भाषा, नाईयों की भाषा आदि। एक स्थान पर रहने वाले विभिन्न धर्मावलम्बियों की बोल-चाल में व्यवहृत बोली को भी भाषा कहते हैं। जैसे, हिन्दुओं की भाषा, मुसलमानों की भाषा, ईसाइयों की भाषा, सिक्खों की भाषा आदि। इसी प्रकार वीरों की भाषा, कायरों की भाषा, सन्तों की भाषा, कवियों की भाषा, मूर्खों की भाषा, तलवार की भाषा आदि। इसके अतिरिक्त योगियों और सन्तों की रहस्यमयी भाषा, ठगों की कृत्रिम भाषा, प्रेमियों की रागमयी भाषा आदि का भी व्यवहार देखा जा सकता है। इस प्रकार लोक व्यवहार में 'भाषा' शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में उपलब्ध होता है।

## 1.1.2. विषय-प्रवेश

### 1.1.2.1. भाषा की परिभाषा

अब प्रश्न यह है कि भाषा का लक्षण क्या है ? भाषा की परिभाषा क्या हो सकती है ? अथवा भाषा किसे कहते हैं ? भाषा का लक्षण भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने विविध ढंग से प्रस्तुत किया है । भारत के सुप्रसिद्ध वैयाकरण महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में भाषा का लक्षण करते हुए लिखा है – "जो वाणी वर्णों में व्यक्त करती है । उसे भाषा कहते हैं ।" सुप्रसिद्ध वैयाकरण कामता प्रसाद गुरु ने लिखा है कि "भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली-भाँति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है ।" डॉ॰ श्यामसुन्दरदास ने लिखा है – "मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और गति का आदान-प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं ।" डॉ॰ बाबूराम सक्सेना का विचार है कि "जिन ध्वनि चिह्नों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार-विनियम करता है, उनको समष्टि रूप से भाषा कहते है ।" डॉ॰ भोलानाथ तिवारी का मत है "भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निस्सृत व सार्थक ध्वनि-समष्टि है, जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके ।" आचार्य देवन्द्रनाथ शर्मा का विचार है कि "पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा है अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक, रूढ़ ध्वनि-संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं ।"

पाश्चात्य विद्वानों ने भी भाषा की विविध रूपों में व्याख्या की है । सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक मैक्समूलर ने भाषा की परिभाषा करते हुए लिखा है कि "भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं और जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं, बल्कि मनुष्य-कृत पदार्थ के रूप में करना उचित है ।" इटली के सुप्रसिद्ध साहित्य-शास्त्री क्रोचे का मत है – "भाषा उस स्पष्ट सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते है, जो अभिव्यंजना के लिये नियुक्त की जाती है ।" हेनरी स्वीट का विचार है – "जिन व्यक्त ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें भाषा कहते है ।" ए.एच. गार्डिनर का कथन है – "विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि-संकेतों का व्यवहार किया जाता है, उन्हें भाषा कहते हैं ।" ऐसे ही ब्रिटेन के विश्वकोष में भाषा की परिभाषा इस प्रकार की गयी है – "भाषा व्यक्त ध्वनि-चिह्नों की उस पद्धति को कहते हैं जिसके माध्यम से प्रत्येक समाज के दल एवं संस्कृति के मानने वाले सदस्य पारस्परिक विचार-विनिमय किया करते हैं ।"

अतः भाषा की सर्वमान्य परिभाषा यह हो सकती है कि "भाषा मुख से उच्चरित इस परम्परागत, सार्थक एवं व्यक्त ध्वनि-संकेतों की समष्टि को कहते हैं, जिसकी सहायता से मानव आपस में विचारों एवं भावों का आदान-प्रदान करते हैं तथा जिसका वे स्वेच्छानुसार अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं ।"

### 1.1.2.2. भाषा के तत्त्व

भाषा की संरचना या संघटना में विभिन्न तत्त्वों का योगदान रहता है। इन तत्त्वों में मुख्य हैं – ध्वनितत्त्व, रूपतत्त्व, अर्थतत्त्व तथा शब्दतत्त्व। ध्वनि भाषा का मुख्य तत्त्व है। वही भाषा का मूलाधार होती है। ध्वनि आशय है – स्वर, व्यंजन आदि स्वर (ध्वनियाँ)। भाषा में स्वरों और व्यंजनों के साथ मात्रा, सुर और बलाघात जैसे तत्त्वों का भी योगदान होता है। भाषा के निर्माण में रूप तत्त्व का भी प्रबल योगदान रहता है। डॉ॰ सरयूप्रसाद अग्रवाल कहते हैं कि – "ध्वनियों को ही लघुतम अर्थ पूर्ण इकाईयों के रूप में प्रयोग करने पर हम रूप की संज्ञा देते हैं। वास्तव में 'रूप' ही भाषा की लघुतम अर्थपूर्ण इकाई होते हैं, जिनमें एक अथवा अनेक ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है।" भाषा के इस महत्त्वपूर्ण तत्त्व को भाषाविदों ने मुख्य रूप से दो भागों में बाँटा है – शब्द तथा पद। पाणिनि ने शब्द के जहाँ दो भेद – सुबन्त तथा तिङन्त किये हैं, तो आचार्य यास्क ने निरुक्त में चार भेद – नाम, आख्यात, उपसर्ग तथा निपात। स्थूल रूप में इन्हें ही अर्थतत्त्व और सम्बन्धतत्त्व भी कहा जाता है।

### 1.1.2.3. भाषा के अंग या अवयव

भाषा के अंग और तत्त्व, क्या ये दो भिन्न-भिन्न अस्तित्व के बोधक हैं या एक ही हैं। कुछ भाषाविदों का मानना है कि यदि हाथ, पैर, गला, कान, नाक, आँख आदि शरीर के अंग है, तो इन्हें जीवन्त और पुष्ट बनाये रखने के लिए उचित खुराक पहुँचाने वाले मांस-मज्जा, खून आदि 'तत्त्व' की श्रेणी में आयेंगे। बहरहाल इनमें इनमें कोई स्थूल अन्तर नहीं है। विद्वानों ने वाक्य, रूप, ध्वनि (स्वन), शब्द तथा अर्थ को भाषा का महत्त्वपूर्ण अंग माना है।

### 1.1.3. हिन्दी भाषा का विकास : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत ईरान शाखा के कुछ आर्य भारत आये और उनके कारण भारत में भारतीय आर्यभाषा बोली जाने लगी। विद्वानों का विचार है कि आर्य भारत में कई दलों में आये। भाषा वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर ग्रियर्सन आदि का कहना है कि कम से कम दो बार तो आर्य अवश्य आये। सभी विद्वान् इस बात से सहमत नहीं है। आर्यों के आने के काल के सम्बन्ध में भी विवाद है। अधिकांश लोग यह मानते है कि मोटे रूप से यह माना जा सकता है कि 1500 ई.पू. के लगभग आर्य आ चुके थे। इसका आशय यह हुआ कि भारतीय आर्यभाषा का इतिहास 1500 ई. पू. से 20वीं सदी तक फैला हुआ है। इस साढ़े तीन हजार वर्षों के कालखण्ड को तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है –

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | प्राचीन भारतीय आर्यभाषा काल | : | 1500 ई.पू. से 500 ई.पू. तक |
| (ii) | मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा काल | : | 500 ई.पू. से 1000 ई. तक |
| (iii) | आधुनिक भारतीय आर्यभाषा काल | : | 1000 ई. से अब तक |

## 1.1.4. प्राचीन भारतीय आर्यभाषाएँ

भाषाविद् डॉ॰ अवधेश्वर अरुण के विचार से अब यह निर्विवाद रूप से मान लिया गया है कि भारत में आर्यों का आगमन लगभग 1000 वर्षों तक शनैः शनैः होता रहा। ऐसी परिस्थिति में कालगत व्यवधान के कारण निश्चय ही इन सब आर्यों को एक भाषाभाषी मानना असंगत है। वैदिक साहित्य में प्राप्त भाषागत विविधता से यह स्पष्ट है कि थोड़ी-बहुत समानता के बावजूद आर्य भिन्न भाषाभाषी थे। टी. बर्नो ने अपनी पुस्तक 'History of Sanskrit Language' में इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि प्राचीन आर्यभाषा के पयार्यवाची रूप में संस्कृत का प्रयोग समीचीन नहीं हैं, क्योंकि उन बोलियों, जिन पर संस्कृत आधारित थी, के अतिरिक्त भी आर्यो की कई और बोलियाँ थीं इसलिए भारतीय आर्यभाषा शब्द का प्रयोग आदि की समस्त भाषाओं के लिये किया जाना चाहिए। संस्कृत और प्राकृत आदि ऐसी ही भाषाएँ हैं।

सच तो यह है कि इस युग की भाषा को सामान्यतः संस्कृत कहा जाता है। अब यह एक अलग प्रश्न है कि संस्कृत जनभाषा थी या कृत्रिम रूप से संघटित अपभाषा। इस पर विद्वान् एक मत व्यक्त नहीं करते। डॉ॰ वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉ॰ प्रभात चन्द्र चक्रवर्ती तथा डॉ॰ ए.बी. कीथ आदि देशी-विदेशी विद्वान् संस्कृत को उच्च श्रेणी के शिक्षित समाज की भाषा मानते हैं। पर वहीं डॉ॰ शमशेर सिंह नरूला का कहना है कि "वास्तव में ये व्याकरण और ध्वनि के इतने जटिल नियमों द्वारा जकड़ी हुई कोई भाषा बोलचाल की भाषा हो ही नहीं सकती और न ही वह किसी की मातृभाषा हो सकती है, बेशक वह कितना ही विद्वान् क्यों न हो।" बहरहाल, यह संस्कृत काल में अपने दो रूपों में दिखाई देती है – (i) वैदिक तथा (ii) लौकिक। वैदिक भाषा का एक नाम छांदस भी है। 'कौषीतकि ब्राह्मण' के अनुसार उस काल में यही परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा थी।

**तस्मादु दीच्चां प्रसाततरा वागुद्यते उदञ् ड एवयान्ति वाचां**
**शिक्षितुम् यो वा तत आगच्छति, तस्य वा शुश्रूषन्त इति॥**

इसी काल में एक आसुरी भाषा का भी उल्लेख मिलता है, जो अपने बोलिगत वैविध्य के कारण खास चर्चित थी।

संस्कृत का महत्त्व निर्विवाद है। सरदार के.एम. पणिक्कर का कहना है कि, "संस्कृत विश्व की संस्कृति और सभ्यता की भाषा है जो भारत की सीमाओं के पर दूर-दूर तक फैली हुई थी।" डॉ॰ आर.के. मुकर्जी की स्थापना है, "ब्राह्मण काल एवं उसके पश्चात् भी निःसन्देह सामान्य जनता के धार्मिक कृत्यों, पारिवारिक संस्कारों तथा शिक्षा एवं विज्ञान की भाषा थी।" इसी तरह डॉ॰ राम सकल पाण्डेय का यह उद्धरण भी विशेष महत्त्व का है कि, "जर्मन, फ्रेंच, लैटिन जैसी भाषाओं की शब्दावली पर संस्कृत का स्पष्ट प्रभाव है। यूरोपीय संस्कृति के मूल तत्त्वों को समझने के लिये भी संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है। यूरोपीय संस्कृति उसी भारोपीय संस्कृति की मूल शाखा है, जिनका चित्रण मूलतः संस्कृत में सुरक्षित है।" तो आइए, विपुल साहित्य को समाहित करने वाली विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक संस्कृत के दोनों रूपों को संक्षेप में देख लिया जाय –

### 1.1.4.1. वैदिक संस्कृत

यास्क और पाणिनि से पूर्व की भाषा को वैदिक भाषा, वैदिक संस्कृत या प्राचीन संस्कृत कहा जाता है। साफ शब्दों में यह वैदिक वाङ्मय की महत्त्वपूर्ण भाषा है। इस काल के साहित्य को विद्वानों ने मुख्य रूप से तीन भागों में बाँटा है – (i) संहिता, (ii) ब्राह्मण, तथा (iii) उपनिषद्। संहिता के अन्तर्गत एक ओर तदक संहिता (ऋग्वेद), यजुःसंहिता (यजुर्वेद), साम संहिता (सामवेद) तथा अथर्व संहिता (अथर्ववेद) की गणना की जाती है तो वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण भाग में कर्मकाण्डों की व्याख्या है। इसके अतिरिक्त वैदिक ऋषियों के आध्यात्मिक चिन्तन से पूर्ण उपनिषदों में ज्ञान काण्ड की चर्चा है।

### 1.1.4.2. लौकिक संस्कृत

वैदिक संस्कृत की तुलना में इसे लौकिक संस्कृत कहा जाता है। सुप्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि ने प्रचलित जनभाषा एवं वैदिक साहित्य भाषा – दोनों को सामयिक प्रयोगों के आधार पर व्याकरण स्थिर करते हुए उसका संस्कार किया। यही भाषा लोक प्रचलित भाषा कहलायी। 'लौकिक संस्कृत' के नामकरण के सम्बन्ध में पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिक विन्टर निट्ज का विचार है कि पाणिनि के नियमों से बद्ध होने के कारण ही यह लौकिक संस्कृत कहलायी – "What we call classical Sanskrit means panini's Sanskrit, that is the Sanskrit which according to the rules of Paninis is alone correct."

### 1.1.4.3. वैदिक और लौकिक संस्कृत में अन्तर तथा उनकी विशेषताएँ

वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत के बीच की कुछ भेदक प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं –

(i) वैदिक संस्कृत की तुलना में लौकिक संस्कृत में स्वरों की संख्या कम है। 'लृ' स्वर का पूर्णतः लोप हो गया है।

(ii) वैदिक एवं लौकिक संस्कृत में शब्दभेद की दृष्टि का अन्तर है, दोनों की शब्दावली में पर्याप्त परिवर्तन हुआ। यथा – वैदिक संस्कृत में ईम, अवस्तु, डर्गिया, सीगा, उक्थ आदि शब्दों का आज की लौकिक संस्कृत में प्रयोग नहीं मिलता।

(iii) वैदिक संस्कृत में उपसर्ग धातुओं से अलग है, पर लौकिक संस्कृत में धातु के साथ ही सम्बद्ध है।

(iv) वैदिक भाषा स्वराघात प्रधान भी, जबकि लौकिक संस्कृत बलाघात प्रधान भाषा हो गयी।

(v) वैदिक संस्कृत में सप्तमी एक वचन अनेक स्थानों पर लुप्त हो जाता है, जैसे – परमेव्योमनः, पर लौकिक संस्कृत में यह लुप्त नहीं होता। वहाँ पर 'व्योम्नि' या 'योमनि' रूप आज भी सुरक्षित है।

(vi) सन्धि कार्य की दृष्टि से वैदिक संस्कृत में अस्त-व्यस्तता है जबकि इसके ठीक उलट लौकिक संस्कृत में सन्धि सम्बन्धी नियम जटिल और अनिवार्य हैं।

(vii) ए, ओ वैदिक भाषा में संयुक्त स्वर थे, पर लौकिक संस्कृत में मूल स्वर हो गए। वैदिक भाषा में समास चार प्रकार के मिलते हैं, यथा – (i) तत्पुरुष, (ii) कर्मधारय, (iii) बहुब्रीहि तथा (iv) द्वन्द्व। किन्तु लौकिक संस्कृत में इनके अतिरिक्त दो और भी समास हैं – (i) द्विगु और (ii) अव्ययीभाव।

(viii) वैदिक भाषा में 'र' का प्रयोग बहुतायत मिलता है, जबकि लौकिक संस्कृत में 'ल' का प्रयोग मिलता है। यथा – रम, रोम, रोहित क्रमशः लौकिक में लम, लोम, लोहित रूप में मिलते हैं।

(ix) वैदिक भाषा में कुछ शब्द लौकिक संस्कृत में भिन्न अर्थों के बोधक हो गए हैं, यथा – वैदिक भाषा में 'अराति' शब्द का अर्थ शत्रु तथा कंजूस दोनों था, पर लौकिक में आज वह महज 'शत्रु' शब्द का द्योतक रह गया है।

(x) वैदिक संस्कृत में व्यंजनांत शब्दों का प्रयोग प्रायः नहीं मिलता है, जबकि लौकिक संस्कृत में मिलता है।

कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वैदिक एवं लौकिक संस्कृत में विभिन्न प्रकार के नैकट्य के बावजूद दोनों में व्याकरण, रूप-रचना और ध्वनि सम्बन्धी कुछ बुनियादी अन्तर भी हैं।

## 1.1.5. वैदिक संस्कृत

### 1.1.5.1. वैदिक संस्कृत की ध्वनियाँ

मूल भारोपीय ध्वनियों से वैदिक संस्कृत की ध्वनियों की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ तक आते-आते ध्वनियों में पर्याप्त परिवर्तन हो गया था। व्यंजनों में च वर्ग और ट वर्ग – दो नये वर्ग आ गए थे। ष, श आदि कुछ फुटकर ध्वनियाँ भी उग आयी थीं। दूसरी ओर तीन क वर्गों के स्थान पर केवल एक रह गया था। स्वरों और स्वनत या अर्द्धस्वरों में बहुत परिवर्तन हो गया था।

ध्वनियों की सूची इस प्रकार है –

| | | |
|---|---|---|
| मूल स्वर | – | अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, ॡ |
| संयुक्त स्वर | – | ए (अइ), ओ (अउ), ए (आइ), औ (आउ) |
| कण्ठ्य | – | क, ख, ग, घ, ङ |
| तालव्य | – | च, छ, ज, झ, ञ |
| मूर्द्धन्य | – | ट, ठ, ड, ढ, ळ, ळह, ण |
| दन्त्य | – | त, थ, द, ध, न |
| ओष्ठ्य | – | प, फ, ब, भ, म |
| दन्तोष्ठ्य | – | व |
| अन्तस्थ | – | य, र, ल, व |
| अनुनासिक | – | अनुस्वार (:-) |
| संघर्षी | – | श, ष, स, ह, un (जिह्वामूलीय) un (उपध्मानीय) |

### 1.1.5.2. वैदिक संस्कृत की प्रमुख विशेषताएँ

वैदिक संस्कृत की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

(i) वैदिक भाषा की पद रचना श्लिष्ट योगात्मक थी।

(ii) पद रचना में विविधता और अनेकरूपता थी। यह विविधता लौकिक संस्कृत और अत्यन्त कम हो गई। अपवाद नियम भी कम हो गए।

(iii) धातु रूप में लोट् लकार का प्रयोग होता था जो कि लौकिक संस्कृत में नहींरहा।

(iv) धातु रूपों में ये विशेषताएँ भी थीं – i. विकरण-व्यत्यय, शप् आदि के स्थान पर दूसरे गण का विकरण हो जाता था, ii. पद-व्त्यय, परस्मैपद, आत्मनेपद में परिवर्तन, iii. लङ् आदि में अट् (अ) का अभाव, iv. मः> मासि, v. द्वित्व का अभाव, ददाति के स्थान पर दाति vi. अन्तिम स्वर को दीर्घ चक > चक्रा, विघ्न > विघ्ना।

(v) कृत प्रत्ययों में तुम् के अर्थ में से, असे, अध्यै आदि 15 प्रत्यय थे। संस्कृत में 'तुम' ही शेष रहा है।

(vi) वेद में संगीतात्मक स्वर (Accent) की मुख्यता थी। संस्कृत में बलाघातमक स्वर हो गया।

(vii) वेद में उपसर्ग धातु से पृथक् भी प्रयुक्त होते थे, संस्कृत में नहीं। जैसे अभिगृहीहि का अभि ..... गृणीहि। 'अभि यज्ञं गृणीहि न।' (ऋग्वेद 1-15-3)

(viii) वैदिक संस्कृत में लौकिक संस्कृत के समान तीन लिंग और तीन वचनथे, पर लिंग और वचन में परिवर्तन भी हो था। 'मधुनः' को 'मधोः', 'मित्राः' को 'मित्रः' आदि।

(ix) वैदिक संस्कृत में ह्रस्व तथा दीर्घ के साथ प्लुत का भी प्रयोग प्रचलित था। रायोऽवनिः। वर्ष्याऽअह। अध्योऽवृको।

(x) दो स्वरों के मध्य में उ > क् और ढ > क्ह हो जाता था। जैसे – ईडे > इके, मिदुषे > मीळ, हुषे। संस्कृत में ये दोनों ध्वनियाँ नहीं हैं। हिन्दी में क, कह के विकसित रूप ड, ढ़ है।

(xi) वैदिक संस्कृत में 'लृ' स्वर का प्रयोग प्रचलित था।

(xii) सन्धि नियमों में पर्याप्त शिथिलता थी। प्रगृह्य वाले स्थल पर भी सन्धि मिलती है। रोदसी + इमे रोदसीमे। पूर्वरूप आदि सन्धियों का अभाव भी मिलता है। उपप्रयन्तो अध्यवरम्, नो अव्यात् शतधारो अयम्।

(xiii) वैदिक संस्कृत में मध्य स्वरागम (Anaplyxis) य स्वरभक्ति के अनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे – पृथ्वी > पृथिवी, स्वर्ण > सुवर्ण, दर्शत > दरशत।

लौकिक संस्कृत में शब्द रूपों, धातु रूपों एवं प्रत्ययों की विविधता कम हो गयी और काल पुरुष, वचन, लिंग आदि के ऐच्छिक परिवर्तन प्रायः समाप्त हो गए।

## 1.1.6. लौकिक संस्कृत या संस्कृत

लौकिक संस्कृत के अन्य नाम संस्कृत, क्लैसिकल संस्कृत तथा देशभाषा भी है। वैदिक संस्कृत में भाषा के तीन स्वर मिलते हैं – उत्तरी, मध्यदेशीय तथा पूर्वी। लौकिक संस्कृत का आधार उत्तरी रूप (बोलचाल को) ही माना जाता है। साहित्य में प्रयुक्त भाषा के रूप में इसका आरम्भ 8वीं सदी ई.पू. साहित्यिक या क्लैसिकल संस्कृत की आधारभाषा का बोलचाल में प्रयोग लगभग 5वीं सदी ई.पू. या कुछ क्षेत्रों में उसके बाद तक होता रहा, किन्तु तब तक उत्तरी भारत के आर्यभाषाभाषियों में कई भौगोलिक बोलियाँ जन्म ले चुकी थी, जो आगे चलकर विभिन्न प्राकृतों, अपभ्रंशों एवं आधुनिक आर्यभाषाओं के जन्म का कारण बनीं। पाणिनी ने 5वीं सदी ई.पू. के आस-पास ही इस भाषा को व्याकरणबद्ध किया।

बोलचाल की भाषा साहित्यिक भाषा के विरूद्ध परम्परागत कम और विकासोन्मुख अधिक होती है। संस्कृत के बोलचाल की भाषा के बहुत से प्रमाण पाणिनी के सूत्रों मेंहै।

लौकिक संस्कृत का सबसे प्राचीन एव आदिकाव्य वाल्मीकि रामायण 500 ई.पू. का है। महाभारत, पुराण, काव्य-नाटक आदि ग्रन्थ 500 ई.पू. से आज तक अविच्छिन्न रूप से अपना गौरव स्थापित किये हुए हैं। यास्क, कात्यायन, पतंजलि आदि के लेखों से सिद्ध है कि ईसा पूर्व तक संस्कृत लोक व्यवहार की भाषा थी।

संस्कृत साहित्य आर्य-जाति का प्राण है। संस्कृत में ही समस्त प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, कला, पुराण, काव्य नाटक आदि है। संस्कृत ने न केवल भरतीय भाषाओं को अनुप्राणित किया है, अपितु विश्व-भाषाओं, मुख्यतया भारोपीय भाषाओं को भी प्रभावित किया है।

### 1.1.6.1. संस्कृत भाषा की ध्वनियाँ

| | | | |
|---|---|---|---|
| मूलस्वर | – | अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ ए ओ | = 11 |
| संयुक्त स्वर | – | ऐ (अइ), औ (अनु) | = 2 |
| व्यंजन | – | | |
| स्पर्श | – | क् ख् ग् घ् ङ् (कण्ठ्य)<br>च् छ् ज् झ् ञ् (तालव्य)<br>ट् ठ् ड् ढ् ण् (मूर्धन्य)<br>त् थ् द् ध् न् (दन्त्य)<br>प् फ् ब् भ् म् (ओष्ठ्य) | = 25 |
| अन्तस्थ | – | य् र् ल् व् | = 4 |
| अघोष संघर्षी | – | श् ष् स् | = 3 |
| घोष उष्म | – | ह् | = 1 |
| शुद्ध अनुनासिक | – | (अनुस्वार) | = 1 |
| अघोष उष्म | – | (विसर्ग) | = 1 |
| | | | कुल 48 |

वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियाँ थी जिनमें से संस्कृत में 48 ध्वनियाँ रह गई हैं । वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियाँ लुप्त हो गई – ळ, ळह, जिह्वामूलीय और उपध्मानीय ।

### 1.1.6.2. लौकिक संस्कृत की विशेषताएँ

वैदिक संस्कृत का ही विकसित रूप लौकिक संस्कृत है । वैदिक संस्कृत में जो विविधता और अनेकरूपता पायी जाती थी, वह संस्कृत में न्यून हो गई । पाणिनी के व्याकरण का प्रभाव बहुत बढ़ गया । फलस्वरूप पाणिनी व्याकरण से असिद्ध रूपों का प्रचलन कम हो गया । अपवाद नियमों की संख्या कम हो गई । लौकिक संस्कृत की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

(i) शब्द रूपों और धातु रूपों में वैकल्पिक रूपों की न्यूनता हो गयी ।
(ii) सन्धि नियमों की अनिवार्यता हो गयी ।
(iii) लोट् लकार का अभाव हो गया ।
(iv) भाषा में स्वरों का प्रयोग समाप्त हो गया ।
(v) 'कृत' प्रत्ययों आदि में अनेक प्रत्ययों के स्थान पर एक प्रत्यय होने लगे । तुमर्थक 15 प्रत्ययों के स्थान पर केवल 'तुम्' प्रत्यय है ।
(vi) शब्द कोष में पर्याप्त अन्तर हो गया । प्राचीन, ईम्, सीम् जैसे निपात लुप्त हो गए । वेदों में अत्यन्त प्रचलित अवस्यु, विचर्षणि, वीति, ऋक्वन, उक्थ्य जैसे शब्द समाप्त हो गए । इसी प्रकार के अन्य शब्द हैं – दर्शत (दर्शनीय), दृशीक (सुन्दर), मूर (मूढ़) अमूर (विद्वान्) अक्तु (रावि), अमीवा (रोग), रपस (चोट) ऋदुदर (कृपालु) ।
(vii) वैदिक शब्दों के अर्थों में भी अन्तर हो गया । जैसे –

| | | | |
|---|---|---|---|
| पत् | – | वैदिक संस्कृत – उड़ना | संस्कृत – गिरना |
| सह | – | वैदिक संस्कृत – जीतना | संस्कृत – सहना |
| न | – | वैदिक संस्कृत – नहीं, तुस | संस्कृत – नहीं |
| असुर | – | वैदिक संस्कृत – शक्तिशाली | संस्कृत – दैत्य |
| अराति | – | वैदिक संस्कृत – कृपण | संस्कृत – शत्रु |
| वध | – | वैदिक संस्कृत – घातक शस्त्र | संस्कृत – हत्या |
| क्षिति | – | वैदिक संस्कृत – गृहं | संस्कृत – पृथ्वी |

(viii) स्वरों में लृ का प्रयोग समाप्त प्राय हो गया । व्यंजनों में ळ और ळह नहीं रहे । जिह्वामूलीय और उपध्मानीय का प्रयोग समाप्त हो गया ।
(ix) संगीतात्मक स्वर के स्थान पर बलात्मक स्वरों का प्रायेग होने लगा ।
(x) उपसर्गों का स्वतन्त्र प्रयोग नहीं रहा ।

❖❖❖

## खण्ड – 1 : हिन्दी भाषा का विकास : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

## इकाई – 2 : मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाएँ : पालि, प्राकृत, अपभ्रंश

### इकाई की रूपरेखा

1.2.0. उद्देश्य कथन
1.2.1. प्रस्तावना
1.2.2. मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाएँ
    1.2.2.1. मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाओं का नामकरण तथा विभाजन
1.2.3. पालि
    1.2.3.1. पालि : नामकरण
    1.2.3.2. पालि की ध्वनियाँ
    1.2.3.3. पालि की प्रमुख विशेषताएँ
1.2.4. प्राकृत
    1.2.4.1. प्राकृत : नामकरण
    1.2.4.2. शिलालेखी प्राकृत
    1.2.4.3. प्राकृत के भेद
        1.2.4.3.1. शौरसेनी प्राकृत
            1.2.4.3.1.1. शौरसेनी प्राकृत : प्रमुख विशेषताएँ
        1.2.4.3.2. महाराष्ट्री प्राकृत
            1.2.4.3.2.1. महाराष्ट्री प्राकृत : प्रमुख विशेषताएँ
        1.2.4.3.3. मागधी प्राकृत
            1.2.4.3.3.1. मागधी प्राकृत : प्रमुख विशेषताएँ
        1.2.4.3.4. अर्द्धमागधी प्राकृत
            1.2.4.3.4.1. अर्द्धमागधी प्राकृत : प्रमुख विशेषताएँ
        1.2.4.3.5. पैशाची प्राकृत
            1.2.4.3.5.1. पैशाची प्राकृत : प्रमुख विशेषताएँ
    1.2.4.4. प्राकृत भाषाओं की सामान्य विशेषताएँ
1.2.5. अपभ्रंश
    1.2.5.1. अपभ्रंश के भेद
    1.2.5.1. अपभ्रंश की प्रमुख विशेषताएँ
1.2.6. सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

### 1.2.0. उद्देश्य कथन

पिछले पाठ में आपने हिन्दी भाषा के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्यभाषाओं की विशिष्टताएँ तथा वैदिक एवं लौकिक संस्कृत की समता-भेदकता आदि को समझा । प्रस्तुत पाठ में आप

मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाओं – पालि, प्राकृत और अपभ्रंश के विकास का विस्तृत अध्ययन करेंगे। हिन्दी भाषा के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने में इस अध्याय से आपके भाषाई चिन्तन को नया आयाम मिलेगा साथ ही राष्ट्र और भाषा के सामरस्य को समझ सकने में आप सफल हो सकेंगे।

## 1.2.1. प्रस्तावना

भारत ईरान शाखा के कुछ आर्य भारत आये और उनके कारण भारत में भारतीय आर्यभाषा बोली जाने लगी। विद्वानों का विचार है कि आर्य भारत में कई दलों में आये। भाषा वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर ग्रियर्सन आदि का कहना है कि कम से कम दो बार तो आर्य अवश्य आये। सभी विद्वान् इस बात से सहमत नहीं है। आर्यों के आने के काल के सम्बन्ध में भी विवाद है। अधिकांश लोग यह मानते है कि मोटे रूप से यह माना जा सकता है कि 1500 ई.पू. के लगभग आर्य आ चुके थे। इसका आशय यह हुआ कि भारतीय आर्यभाषा का इतिहास 1500 ई. पू. से 20वीं सदी तक फैला हुआ है। इस साढ़े तीन हजार वर्षों के कालखण्ड को तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है –

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | प्राचीन भारतीय आर्यभाषा काल | : | 1500 ई.पू. से 500 ई.पू. तक |
| (ii) | मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा काल | : | 500 ई.पू. से 1000 ई. तक |
| (iii) | आधुनिक भारतीय आर्यभाषा काल | : | 1000 ई. से अब तक |

## 1.2.2. मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाएँ

भारत में आर्यभाषा के प्रसार का शीर्षकाल मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा का समय ही है। पाणिनि ने भाषा का संस्कार करके उसे बाँध दिया और इस प्रकार 'क्लासिकल संस्कृत' या लौकिक संस्कृत का एक रूप निश्चित हो गया, किन्तु लोकभाषा अबाधगति से विकसित हाती रही। इस विकास के फलस्वरूप भाषा का जो स्वरूप सामने आया, उसे 'प्राकृत' कहते हैं। मोटे रूप से इसका काल 500 ई.पू. से 1000 ई.पू. तक अर्थात् डेढ़ हजार वर्ष का माना जाता है। कुछ लोग इसका आरम्भ 600 ई.पू. से भी मानते हैं और अन्त 1100 या 1200 ई. में। भोलानाथ तिवारी इस पूरे काल (500 ई.पू. से 1000ई.पू. तक) की भाषा को प्राकृत कहते हैं, किन्तु इस पूरे काल को प्रथम प्राकृत काल, द्वितीय प्राकृत काल और तृतीय प्राकृत काल के रूप में – तीन कालों में बाँटा जा सकता है। इधर, इसी बात का पृष्ठ पोषण करते हुए डॉ० उदयनारायण तिवारी लिखते हैं कि – "व्याकरण के नियमों के जकड़ जाने पर संस्कृत का विकास रुक गया, परन्तु बोलचाल की भाषा निरन्तर विकसित होती जा रही थी, समस्त उत्तरापथ आर्यों के प्रसार के साथ प्राचीन आर्यभाषा के रूप में परिवर्तन-विवर्तन होता जा रहा था तथा भाषा में कालगत एवं स्थानगत भिन्नताएँ बढ़ती जा रही थी और ईसा पूर्व छठीं शताब्दी तक प्राचीन आर्यभाषा विकास के मध्यस्तर तक पहुँच गई।"

### 1.2.2.1. मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाओं का नामकरण तथा विभाजन

डॉ॰ सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या ने मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाओं का नामकरण तथा विभाजन इस प्रकार किया है –

(i) आदिरूप – 700 ई.पू.
(ii) संक्रमणकालीन रूप – 000 ई.
(iii) द्वितीय रूप – 300 ई.
(iv) परवर्ती रूप – 800 ई.

डॉ॰ उदयनारायण तिवारी ने पूरे प्राकृतकाल को निम्नलिखित तीन टुकड़ों में बाँटा है –

(i) प्रथम अवस्था – प्राचीन प्राकृत
(ii) द्वितीय अवस्था – नवीन प्राकृत
(iii) तृतीय अवस्था – अपभ्रंश

डॉ॰ भोलानाथ तिवारी इस काल को निम्नलिखित रूप में बाँटते हैं –

(i) प्रथमकाल (आरम्भ से ईसवी सन् के आरम्भ तक) – पालि और शिलालेखी प्राकृत
(ii) दूसरा काल (ईसवी सन् से लगभग 500 ई.तक ) – प्राकृत (इसमें कई प्रकार के प्राकृत हैं)
(iii) तीसरा काल (500 ई. से 1000 ई.तक) – अपभ्रंश

किन्तु, डॉ॰ कैलाशनाथ पाण्डेय के अनुसार उक्त सम्पूर्ण प्राकृत काल का नामकरण तक बँटवारा इस प्रकार है –

(i) आदिकाल (200 ई.पू. 200 ई. तक) – पालि युग
(ii) मध्यकाल (200 ई.पू. 600 ई. तक) – प्राकृत युग तथा
(iii) उत्तरकाल (600 ई. से 1000 ई. तक) – अपभ्रंश युग

समग्रतः मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाओं को तीन भागों में बाँटा जा सकता है –

(i) प्राचीन प्राकृत या पालि : 500 ई.पू. से 1000 ई.पू. तक
(ii) मध्यकालीन प्राकृत : 1000 ई.पू. से 100 ई.पू. तक
(iii) परकालीन प्राकृत या अपभ्रंश : 500 ई.पू. से 1000 ई.पू. तक

पाणिनी ने भाषा का संस्कार करके उसे बाँध दिया और क्लासिकल संस्कृत या लौकिक संस्कृत का रूप निश्ति हो गया, किन्तु लोकभाषा अबाध गति से विकसित होती रही। इस विकास के फलस्वरूप भाषा का जो स्वरूप सामने आया उसे 'प्राकृत' कहते हैं। मोटे रूप से इसका काल 500 ई.पू. से 1000 ई. तक अर्थात् डेढ़ हजार वर्षों का माना जाता है। 'प्राकृत' के हेमचन्द्र मार्कण्डेय वासुदेव आदि व्याकरणों ने 'प्रकृतिः संस्कृतं तत्र भव प्राकृत मुच्यते' आदि रूप में प्राकृत को संस्कृत से निकली माना है, किन्तु ऐसा असम्भव है। मूलतः संस्कृत के काल में जो बोलचाल की भाषा भी, वही विकसित होती रही और उसी का विकसित रूप प्राकृत हुआ।

## 1.2.3. पालि

मध्यकालीन आर्यभाषा के प्रथम युग की महत्त्वपूर्ण भाषा 'पालि' है। इसे 'देशभाषा' भी कहा गया है। इसका काल कुछ लोग 5वीं या 6वीं सदी ई.पू. से पहली ईसवी तक और कुछ लोग दूसरी सदी ई.पू. तक मानते हैं।

### 1.2.3.1. पालि : नामकरण

'पालि' शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में अनेक मत प्रस्तुत कियेगए हैं। प्रमुख मत इस प्रकार हैं –

(i) आचार्य बुद्धघोष (चतुर्थ शती ई.) और आचार्य धम्मपाल (6वीं शतीई.) ने 'पालि' शब्द का प्रयोग बुद्धवचन या मूल त्रिपिटक के लिये किया है। उससे यह 'पालि' भाषा के लिए आया।

(ii) आचार्य विधुशेखर भट्टाचार्य ने 'पक्ति' से पालि की उत्पत्ति इस प्रकार बतायी है –
पंक्ति<पंत्ति< पत्ति <पल्लि< पालि।

(iii) भिक्षु सिद्धार्थ ने 'पाठ' से पालि की उत्पत्ति मानी है।
पाठ<पाळ <पाळि <पालि।

(iv) भिक्षु जगदीश कश्यप ने परिमाप (बुद्धोपदेश) शब्द से पालि की उत्पत्ति मानी है।
परिमाम> पलिमाम >पालिमाम >पालि।

(v) डॉ॰ मैक्स वेलेसन (जर्मन विद्वान्) ने पाटलि (पाटलिपुत्र) से पालि की उत्पत्ति मानी है।
पाटलि > पाडलि > पालि।

(vi) पल्लि (गाँव) शब्द से पालि।
पाल्लि > पालि।

(vii) प्राकृत शब्द से पालि।
प्राकृत > पाकट > पाउड > पाअल > पालि।

(viii) अभिधान पादीपिक (पालिभाषा-कोशग्रन्थ) ने 'पा' धातु से 'पालि' शब्द माना है।
पा-पालेति रक्खतीति पालि। अर्थात् जो रक्षा करती है या पालन करती है।

(ix) अमरकोश के टीकाकार भानुजी दीक्षित ने 'पाल रक्षणे' से पालि शब्द माना है।
पाल् + इ = पालि।

उक्त मतों की समीक्षा से ज्ञात होता है कि इनमें से कुछ मत केवल बौद्धिक आयाम है। जैसे पंक्ति, पाठ, प्राकृत, पाटलि आदि।

आचार्य बुद्धघोष और आचार्य धम्मपाल के उल्लेखों से सिद्ध है कि बुद्धवचन या बुद्धोपदेश के लिये पालि शब्द चतुर्थ शती ई. में प्रचलित था। 'पाल्लि' शब्द से 'पालि' सरलता से बन सकता है। परन्तु इसका पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता है।

भिक्षु जगदीश कश्यप का मत अधिक लोकप्रिय है। परिमाय (सं. पर्याय) का बुद्धोपदेश अर्थ में भत्रु शिलालेख में प्रयोग है – धम्मपलियायाति।

परियाय > पलियाय > पालि शब्द बुद्धवचन या मूल त्रिपिटक के लिये प्रयुक्त होने लगा।

## 1.2.3.2. पालि की ध्वनियाँ

| | | | |
|---|---|---|---|
| स्वर | – | अ आ इ ई उ ऊ ह्रस्व ए ऐ, ह्रस्व ओ औ | |
| व्यंजन | – | क ख ग घ ङ | कण्ठ्य |
| | | च छ ज झ ञ | तालव्य |
| | | ट ठ ड ठ ण ळ ठह् | मूर्धन्य |
| | | त थ द ध न | दन्त्य |
| | | य फ ब भ म | ओष्ठय |
| | | य र ल व | अन्तस्थ |
| | | स | ऊष्म |
| | | ह | प्राणध्वनि |
| अनुस्वार | – | (इसे पालि में निग्गहीन कहते हैं) | |

## 1.2.3.3. पालि की प्रमुख विशेषताएँ

पालि की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

(i) पालि में वैदिक संस्कृत की 5 स्वर ध्वनियाँ लुप्त हो गई – ऋ, ॠ, लृ, ऐ, औ।

(ii) पालि में वैदिक संस्कृत के 5 व्यंजन लुप्त हो गए – श, ष, विसर्ग (:) जिहामूलीय, उपध्मानीय।

(iii) पालि में दो नये स्वर आ गए, ह्रस्व ऍ, ह्रस्व ओ।

(iv) पालि में वैदिक संस्कृत के दो व्यंजन ळ् ळह भी मिलतेहैं।

(v) पालि में संस्कृत के ऐ > ए, औ > ओ हो गए हैं।

(vi) पालि में संयुक्तवर्ण से पूर्ववर्ती दीर्घ को ह्रस्व हो जाता है, यदि दीर्घ स्वर रहेगा तो संयुक्त व्यंजन में से एक का लोप हो जाएगा।
जीर्ण > जिण्ण, दीर्घ > दीघ

(vii) अघोष वर्ण घोष हो जाता है क् गं – प्रतिकृत्य > पटिक च्च च् >> ज् - स्रुच् > सत्रुजा। त् द् – वितस्ति > विदति।

(viii) ड, ढ को ळ, ऌह। बडवा > बळवा।

(ix) सन्धियों में केवल तीन सन्धियाँ हैं – i. स्वर सन्धि ii. व्यंजन सन्धि iii. निग्गहीत (अनुस्वार) सन्धि। विसर्ग सन्धि आदि नहीं है।

(x) पालि में हलन्त शब्द नहीं है। केवल अजन्त ही है। हलन्त शब्दों को अकारान्त बना देते हैं या अन्तिम व्यंजन का लोप कर देते हैं।

धनवत् > धनवन्त, अस्मन् > अन्त

(xi) पालि में द्विवचन नहीं होता है।

(xii) पालि में तीनों लिंग हैं।

(xiii) शब्द रूपों में चतुर्थी और षष्ठी के रूप समान होते हैं।

(xiv) स्त्री प्रत्यय सात हैं – आ, ई, इनी, नी, उनानी, ऊ, ति, अजा, कुमारी, यक्खिनी, दण्डिनी, मातुलानी, वामोए, युवति।

(xv) पालि में 500 से अधिक धातुएँ हैं। 9 गण हैं। अक्षादि और जुहोत्यादि नहीं हैं। क्रियादि के दो भेद हैं – ना, णा वाले।

(xvi) पालि में लोट् लकार वाले भी रूप मिलते हैं – हनासि, दहासि।

(xvii) पालि में णिच्, सन्, यङ्, नामधातु, प्रत्यय वाले रूप मिलते हैं।

(xviii) पालि में वैदिक संस्कृत के तुल्य तुम् अर्थ वाले अनेक प्रत्यय मिलते हैं। जैसे – तुम, तवे, तुये, जि > जिनतुम हा > पहातवे, गण् – गणेतुये।

(xix) आत्मनेपद का प्रयोग प्रायः लुप्त हो गया। परस्मैपद शेष रहा।

(xx) टर्नर आदि के अनुसार पालि में दोनों प्रकार का स्वराघात था – संगीतात्मक और बलाघात्मक।

(xxi) पालि में तद्भव शब्दों का आधिक्य है। तत्सम और देशज शब्द कम हैं।

## 1.2.4. प्राकृत

मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा का दूसरा युग प्राकृतों का है। मध्यकालीन आर्यभाषा के सभी रूपों को 'प्राकृत' कहते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा के प्रथम युग के शिलालेखों की भाषा को भी प्राकृत कहा गया है।

### 1.2.4.1. प्राकृत : नामकरण

प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति कई प्रकार से दी गई है। जैसा कि पिशेल ने लिखा है, कुछ वैयाकरण इसका विश्लेषण 'प्राक्+कृत' अर्थात् 'पहले बनी हुई' करते हैं और इस रूप में इसे संस्कृत से पहले की मानते हैं। नमि साधु सामान्य लोगों में व्याकरण के नियमों आदि से रहित सहज वनन-व्यापार को प्राकृत का आधार मानते हैं –

**"सकल जगज्जन्तुनां व्याकरणादिभिरनाहित संस्कार सहजो वचन व्यापारः प्रकृतिः तत्र भवं सैव या प्राकृतम्।"**

ऐसा अनुमान लगता है कि एक भाषा का संस्कार करके उसके रूप को 'संस्कृत' नाम दिया, तो वह भाषा जो असंस्कृत भी और पण्डितों में प्रचलित भाषा के विपरीत जो 'प्रकृत' या सामान्य लोगों में सहज रूप में बोली जाती थी, स्वभावतः 'प्राकृत' के नाम की अधिकारिणी बन बैठी।

प्राकृत की उत्पत्ति वेद और संस्कृतकालीन जनभाषा का विकसित रूप से है। पालि काल की समाप्ति के बाद लोकभाषा का यही रूप था। प्राकृतों में प्राचीनतम रूप शिलालेखी प्राकृतों का है। जिसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है –

## 1.2.4.2. शिलालेखी प्राकृत

प्राचीन प्राकृत में अशोक के शिलालेखों की प्राकृत भी आती हैं अतः इसे 'शिलालेखी प्राकृत' कहते हैं। इसको ही अशोकन प्राकृत, लाट प्राकृत भी कहते है। शिलालेखी प्राकृत की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

(i) ध्वनियाँ पालि के समान हैं। पालि में केवल 'स' है। किन्तु शाहबाजगढ़ी और मानसेरा शिलालेखों में श, ष, स तीनों मिलते हैं।

(ii) कुछ शिलालेखों में ण्, ञ् नहीं है। र् को ल् है।

(iii) शिलालेखी प्राकृत में दीर्घाकरण, ह्स्वीकरण, स्वरभक्ति, वर्णलोप, गुण परिवर्तन, व्यंजन परिवर्तन, सरलीरण आदि मिलते हैं।

(iv) हलन्त शब्द प्रायः अकारान्त हो गए हैं। कुछ प्राचीन हलन्त शद रूप शेष है। मातरि, पितरि, लाजिना, राजो आदि।

(v) क्रियारूप प्रायः पालि के तुल्य हैं। आत्मनेपद नहीं है। कर्मवाच्य, णिच, सन, तुम, त्वा, शतृ आदि प्रत्यय हैं।

(vi) तीन लिंग है। द्विवचन नहीं है।

## 1.2.4.3. प्राकृत के भेद

इसको 'साहित्यिक प्राकृत' भी कहते है। इस काल में प्राकृत का विकसित साहित्यिक रूप प्राप्त होता है। प्राकृत भाषाओं के विषय में सर्वप्रथम भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में विचार किया है। उनके मतानुसार 7 मुख्य प्राकृत है और 7 गौण (विभाषा) मुख्य प्राकृत हैं – मागधी, अवन्तिजा, प्रस्त्या, सूरसेनी (शौरसेनी) अर्द्धमागधी, बाहली, दाक्षिगात्य (महाराष्ट्री) गौण 7 प्राकृतों के नाम हैं – शाबरी, आभीरी, चाण्डाली, सवरी, द्राविड़ी, उद्रजा, ववेचरी।

प्राकृत-व्याकरण के सबसे प्राचीन वैयाकरण वररुचि ने चार प्राकृत मानी हैं – शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, पैशाची। मागधी के दो रूप हो गए हैं – मागधी और अर्द्धमागधी। इस प्रकार पाँच प्राकृत हैं। मुख्य प्राकृतों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है –

### 1.2.4.3.1. शौरसेनी प्राकृत

इसका क्षेत्र शूरसेन (मथुरा के आस-पास) का प्रदेश था। इसका विकास पालिकालीन स्थानीय भाषा से हुआ। यह मध्यप्रदेश की भाषा थी। नाटकों में सर्वाधिक प्रयोग इसी का हुआ है स्त्रियों आदि का वार्तालाप शौरसेनी प्राकृत में ही होता था। केवल पद्य के लिए महाराष्ट्री थी। शौरसनी से ही वर्तमान हिन्दी का विकास हुआ है। राजशेखर-कृत कर्पूरमंजरी का समस्त पद्य भाग शौरसेनी प्राकृत में है। भास, कालिदास आदि के नाटकों में गद्य शौरसेनी में ही है। इसका प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। यह निम्न एवं मध्यम कोटि के पात्रों तथा स्त्रियों की भाषा थी। इसमें सरलता, सरसता, श्रवण-सुखदता अधिक थी, अतः अधिक लोकप्रिय हुई।

### 1.2.4.3.1.1. शौरसेनी प्राकृत : प्रमुख विशेषताएँ

शौरसेनी प्राकृत की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

(i) प्रथमा एकवचन में कारक चिह्न ओ। पुत्रः > पुत्तो।
(ii) दो स्वरों के मध्यगत संस्कृत के त को द और थ को ध। पृच्छति > पुच्छति, शत > सद, अथ> अध, कथं > कध।
(iii) मध्यगत क, व को क्रमश गछ होते हैं। नामकः > पाउग्र, अतिथि > अदिधि, कृत > किद, द प्रायः शेष रहता है। जलदः > जलदो।
(iv) मध्यगत महाप्राण ख, ध, थ, ध, फ, भ को ह हो जाता है। मुख > मुह, मेघ > मेह, वधू > वहू, अभिनव >अहिणव।
(v) न को ण हो जाता है। नीन > णाध, भगिनी > वहिणी।
(vi) मध्यगत प को व होता है। दीप > दीव, अपि > अवि।
(vii) क्ष को क्ख, .... को झ, इक्षु, इवषु, ...... मञ्झ।
(viii) आत्मनेपद प्राय समाप्त हो गया। परस्मैपद ही है।
(ix) लिट्, लङ, लुङ, विधिलिङ प्रायः समाप्त हो गए।
(x) द्विवचन का अभाव हो गया।

### 1.2.4.3.2. महाराष्ट्री प्राकृत

महाराष्ट्री प्राकृत का मूल स्थान महाराष्ट्र है। इससे ही मराठी भाषा का विकास हुआ है। प्राकृतों में सबसे अधिक साहित्य महाराष्ट्री में है। संस्कृत नाटकों में प्राकृत में प रचना महाराष्ट्री में ही है। महाराष्ट्री प्राकृत के

प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं – राजा हाल-कृत 'गाहा सतसई' (गाथा-सप्तशती), प्रवरसेन-कृत 'रावण वहो' (सेतुबन्धः), वाक्पति-कृत 'गडवहो' (गौडवधः), जयवल्लम-कृत 'वग्जालग्ग', हेमचन्द्राचार्य-कृत' 'कुमारपालचरित' ये सभी काव्य ग्रन्थ हैं। कर्पूरमंजरी के पद्य महाराष्ट्री में है। भरतमुनि ने दाक्षिणात्य प्राकृत से महाराष्ट्री का ही निर्देश किया है। दण्डी ने 'काव्यादर्श' में महाराष्ट्री को सर्वश्रेष्ठ प्राकृत माना है। "महाराष्ट्राश्रयां भाषां प्रकृष्टं विदुः" – काव्यादर्श अवन्ती औश्र बाहलीक प्राकृत महाराष्ट्री में ही अन्तर्भूत है।

## 1.2.4.3.2.1. महाराष्ट्री प्राकृत : प्रमुख विशेषताएँ

महाराष्ट्री प्राकृत की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

(i) स्वर-बाहुल्य मध्यगत व्यंजनों के लोप से स्वरों की प्रधानता अतएव संगीतात्मकता।

(ii) मध्यगत अल्पप्राण (क,ग,च,ज,त,द) का लोप। लोकः > लो ओ, हृदय > हि अ अ, प्राकृत > पाउअ, जानाति > जाणाइ।

(iii) मध्यगत य का सदा लोप होता है। प्रिय > पिअ, वियोग > विओग।

(iv) मध्यगत महाप्राण स्पर्शों (ख, घ, थ, ध,फ, भ) को ह। अन्य > अहं, कथं > कहं, मुख > मुह, लघुक > लहुअ, थ को ह महाराष्ट्री की प्रमुख विशेषता है। शौरसेनी में थ का ध होता है।

(v) ऊष्म वर्णों (श, ष, स) को प्रायः ह हो जाता हैं दश > दहं, धनुष > धगुह, पाषाण > पाहाण दिवसं > दिअहं।

(vi) क्ष का च्छ। कुक्षि > कुच्छि, इक्षु > उच्छु।

(vii) कर्मवाच्य य को इज्ज। पृच्छयते > पुच्छिज्जइ।

(viii) त्वा को ऊण। पृष्ट्वा > पुच्छिऊण।

(ix) तुम को उ और क्त (त) का उन। कर्तुम् > काउं, गृहीत > गहिअ।

(x) अनीय को अणिज्जय। करणीय > करणिज्ज।

## 1.2.4.3.3. मागधी प्राकृत

यह मगध की भाषा थी। इसका साहित्य बहुत कम मिलता है। इसका प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। भरत के नाट्यशास्त्र के अनुसार यह अन्तःपुर के नौकर, अश्वपालक आदि की भाषा थी। मार्कण्डेय के अनुसार भिक्षु, क्षपणक, राक्षस चेह आदि मागधी बोलते थे। लंका में पालि को 'मागधी' कहते हैं, क्योंकि पालि मगध से वहाँ गई थी। इसके तीन प्रकार मिलते हैं – शाकारी, चाण्डाली, शाबरी। मागधी से भोजपुरी, मैथिली, बांग्ला, उड़िया, असमिया विकसित हुई हैं।

## 1.2.4.3.3.1. मागधी प्राकृत : प्रमुख विशेषताएँ

मागधी प्राकृत की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

(i) ष् स को श् । पुत्तरश, भविष्यति > भविशशदि ।
(ii) र को ल । पुरुषः > पुलिशे, राज्ञः > लाआणो ।
(iii) ज को त्त होता है । संस्कृत का य पूर्ववत् रहता है । जानाति > याणादि, जायते > यायदे, यथा > यथा ।
(iv) द्य, र्ज, र्य को य्य होता है । अद्य और आर्य > अय्य, मद्य > मय्य ।
(v) ण्य, न्य, ज्ञ, ञ्ज को ञ्ज होता है ।
(vi) मध्यगत च्छ को श्च होता है । गचछति > गश्चदि ।
(vii) र्थ और स्थ को स्त होतो है अर्थः अस्ते, उपस्थित > अवस्तिद ।
(viii) स्क को स्क, ष्ट को स्ट होता है । शुष्क > शुस्क, कस्ट > कस्ट ।
(ix) प्रथमा एक में विसर्ग को ऐ होता है । देवः > देवे, एषः > एशे ।

## 1.2.4.3.4. अर्द्धमागधी प्राकृत

अर्द्धमागधी का क्षेत्र मागधी और शौरसेनी के मध्य में है । यह प्राचीन कोसल के समीपवर्ती क्षेत्र की भाषा थी । इसमें मागधी के गुण अधिक हैं । साथ ही शौरसेनी के गुण भी है, अतः इसे अर्द्धमागधी कहा जाता है । इसको ऋषिभाषा या आर्यभाषा भी कहते हैं । भगवान् महावीर के सारे धर्मोपदेश इसी भाषा में है । इसमें प्रचुर मात्रा में जैन-साहित्य मिलता है । अतः इसका विशेष महत्त्व है । इसमें गद्य और पद्य दोनों प्रकार का साहित्य है । आचार्य विश्वनाथ ने 'साहित्य दर्पण' में इसे चेट, राजपूत्र एवं सेठों की भाषा बताया है । इसका प्राचीनतम प्रयोग अश्वघोष के नाटकों में मिलता है । मुद्राराक्षस और प्रबोधचन्द्रोदय में अर्द्धमागधी का प्रयोग हुआ है । इससे पूर्वी हिन्दी का विकास हुआ है ।

## 1.2.4.3.4.1. अर्द्धमागधी प्राकृत : प्रमुख विशेषताएँ

अर्द्धमागधी प्राकृत की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

(i) दन्त्य को मूर्धन्य होता है। स्थित > ठिथ ।
(ii) श, ष को स होता है । श्रावक > सावक ।
(iii) य को ज हो जाता है । यौवन > जोव्वण ।
(iv) संयुक्त व्यंजनों में प्रायः स्वर भक्ति के द्वारा विच्छेद होताहै । कृष्ण > कसिन, स्नान > सिनान ।
(v) सन्धि-स्थलों पर म् लग जाता है । अन्योन्यम् > अन्नमन्नम्, अण्णमण्णम् ।
(vi) स्पर्श का लोप हो जाने पर 'य' श्रुति । सागर > सामर ।
(vii) सन्धि-स्थलों पर स्वर भक्ति का प्रयोग होता है । दृचहेन > दुयोहेण, स्वाख्यात > सुयक्खाय ।
(viii) गद्य और पद्य में भेद है । गाय में मागधी के तुल्य 'ए' और पद्य में शौरसेनी के तुल्य 'ओ' है ।

### 1.2.4.3.5. पैशाची प्राकृत

पैशाची का क्षेत्र पश्चिमोत्तर भारत एवं अफगानिस्तान का क्षेत्र थे। पैशाची को पैशाचिक, भूतभाषा, भूतभाषित आदि भी कहते थे। महाभारत में कश्मीर के पास रहने वाली 'पिशाच' जाति का उल्लेख है। गुणाढ्य की अतिप्रसिद्ध रचना 'वृहत्कथा' पैशाची प्राकृत में ही थी। इस समय इसका साहित्य नगण्य है। इसका ही विकसित रूप 'लहँदा' भाषा है। हेमचन्द्र-कृत 'कुमारपालचरित' और 'कात्यानुशासन' में तथा 'हम्मीरमदमर्दन' नाटक में इसका प्रयोग मिलता है। राक्षस, पिशाच, निम्न कोटि के पात्र लोहार आदि इसी का प्रयोग करते थे।

#### 1.2.4.3.5.1. पैशाची प्राकृत : प्रमुख विशेषताएँ

पैशाची प्राकृत की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

(i) वर्ग के तृतीय को प्रथम वर्ण होता है। नगर > नकर, तडाग > तटाक।
(ii) वर्ग के चतुर्थ का द्वितीय वर्ण होता है। निर्झर > निच्छर, मेघ > मेखो।
(iii) पैशाची में पंचम वर्ण केवल 'न' है।
(iv) रल का विपर्यय। कभी र को ल, कभी ल को र। रूद्र > लुद्, कुमार > कुमाल, रुधिर > लुधिरं।
(v) ज्ञ, न्य ण्य को ञ्च। अन्य > अञ्च, पुण्य > पुञ्च, प्रज्ञा > पञ्चा।
(vi) स्वरभक्ति (मध्य में अ, इ, उ)। कस्ट > कसट, स्नानं > सिनानं, भार्या > भारिया।
(vii) ष का श या स। तिष्ठति > चिश्चदि, विषम > विसमो।
(viii) मध्यगत व्यंजनों का लोप नहीं होता। मधुर > मधुरं।

### 1.2.4.4. प्राकृत भाषाओं की सामान्य विशेषताएँ

समेकित रूप में प्राकृत भाषाओं की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं –

(i) प्राकृत भी संस्कृत के समान क्लिष्ट योगात्मक भाषा है।
(ii) संस्कृत व्याकरण को सरल बनाया गया है।
(iii) शब्द रूपों और धातु रूपों की संख्या कम होगई।
(iv) शब्दों के रूप केवल तीन या चार प्रकार के ही रहे गए।
(v) धातु रूप भी प्रायः एक या दो प्रकार से चलने लगे।
(vi) अस्पष्टता के निवाणार्थ परसर्गों (कारक चिह्नों आदि) की सृष्टि हुई।
(vii) भाषा संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर अग्रसर हुई।
(viii) शब्द रूप प्रायः अकारान्त के तुल्य चलने लगे और धातु रूप प्रायः भ्वादिगुण के समान होगए।
(ix) चतुर्थी विभक्ति का अभाव हो गया। प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के बहुवचन प्रायः एक हो गए।
(x) लङ्, लिट और लुङ् लकारों का अभाव हो गया।

(xi) द्विवचन का अभाव हो गया।

(xii) आत्मनेपद का भी अभाव हो गया।

(xiii) ध्वनि परिवर्तन मुख्य रूप से हुआ। संयुक्ताक्षरों में प्रायः पर सवर्ण या पूर्व सवर्णहुआ।

(xiv) कुछ प्राचीन ध्वनियों का अभाव हो गया। स्वरों में ऋ, ॠ, लृ,ए, औ। व्यंजनों में य श ष। मागधी में य, श है, स नहीं है।

(xv) संस्कृत में अप्राप्त दो नये स्वर आ गए – ह्रस्व ऍ और ओं।

(xvi) साधारणतया शब्द के अन्तिम व्यंजन का लोप हो जाता है।

(xvii) ह्रस्व स्वर के बाद दो से अधिक और दीर्घ स्वर के बाद एक से अधिक व्यंजन नहीं रहते।

(xviii) स्वर सम्बन्धी निम्नलिखित मुख्य परिवर्तन हुए – (क) ऋ का अ, इ या उ हो गया। (ख) ऐ को ए, औ को ओ। (ग) मध्यगत व्यंजन का लोप होने पर पूर्ववर्ती ह्रस्व को दीर्घ स्वर। (घ) अनुदान स्वर का लोप। (ङ) सम्प्रसारण होकर य् का इ, त् को उ।

(xix) मध्यगत वर्णों में मुख्य अन्तर ये होते हैं - (क) मध्यगत क त प का लोप या उन्हें ग द् ब होते हैं, (ख) मध्यगत य का सदा लोप होता है, (ग) मध्यगत महाप्राण वर्णों (ख, घ, थ, घ आदि) की 'ह' हो जाता है, (घ) मध्यगत ट को ड और ठ को ढ़ होता है, (ङ) प को व होता है, (च) 11 से 18 की संख्याओं में द को र होता है, (छ) श ष स को स, मागधी में श।

(xx) संयुक्ताक्षरों में मुख्य परिवर्तन ये होतेहैं – (क) दो स्पर्श वर्गों में परसवर्ण होता है, (ख) स्पर्श के बाद अनुनासिक को पूर्वसवर्ण होगा, (ग) ज्ञ को वण, (घ) स्पर्श बाद में होने पर पर ल् को परस वर्ण, (ङ) क्ष को क्ख या च्छ, (च) त्य च्च, ध्य ज्झ, (छ) र् को स्पर्श का सवर्ण।

(xxi) प्रथमा एकवचन विसर्ग (:) मागधी में 'ए' होता है, अन्यत्र 'ओ'।

(xxii) धातुओं के अर्थों में बहुत अन्तर हुआ है।

(xxiii) संगीतात्मक स्वर के स्थान पर बलाघातात्मक स्वर कम हो गए हैं।

(xxiv) तद्भव शब्दों की संख्या अधिक है, तत्सम कम।

### 1.2.5. अपभ्रंश

मध्यकालीन आर्यभाषा का अन्तिम रूप 'अपभ्रंश' के रूप में दिखाई पड़ता है। अपभ्रंश का विकास प्राकृतकालीन बोलचाल की भाषा से हुआ है। इस रूप में उसे प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं के बीच की कड़ी कहा जा सकता है। विभिन्न ग्रन्थों में अपभ्रंश के अन्य नाम 'ग्रामीण भाषा', देसी, देशभाषा आभीरोक्ति, अपभ्रष्ट, अवहंस (अपभ्रंश शब्द का विकसित रूप) अवहत्थ, अवहट्ठ, अवहठ तथा अवहट्ट (ये चारों अपभ्रंश शब्द के विकसित रूप हैं) आदि मिलते हैं। 'अपभ्रंश' का अर्थ है बिगड़ा भ्रष्ट या गिरा हुआ। भाषा का विकास पण्डितों को सर्वदा ह्रास दिखाई पड़ता है अतः नामकरण के पीछे यह भावना दिखाई देती है। अपभ्रंश का काल 500 ई.से 1000 ई. तक है।

'अपभ्रंश' शब्द के प्राचीनतम प्रयोग व्याडि (पतंजलि से कुछ पूर्व) तथा पतंजलि के महाभाष्य (ई.पू. 150 के लगभग) आदि में मिलते है। किन्तु वहाँ इसका अर्थ भाषा-विशेष न होकर संस्कृत शब्द या तत्सम शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। भाषा के अर्थ में इस शब्द के प्रयोग सर्वप्रथम छठी सदी में मिलते हैं। इस दृष्टि से भामह के 'काव्यालंकार' और चंड के 'प्राकृत-लक्षणम्' के नाम उल्लेखनीय हैं।

अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण भरतमुनि के 'नाट्यशास्त्र (300 ई.) में मिलते है। इसका आशय यह है कि उसके बीज इससे भी पूर्व फूटने लगे थे। कालिदास के नाटक 'विक्रमोर्वशीयम्' के चौथे अंक में अपभ्रंश के कुछ छन्द मिलते है। इन छन्दों के सम्बन्ध में थोड़ा विवाद भी है। कुछ इसे बाद का प्रक्षिप्त मानते हैं और कुछ कालिदास का लिखा। कालिदास द्वारा लिखित होने का मत अधिक ठीक लगता है। छठी सदी तक आते-आते अपभ्रंश में काव्य-रचना होने लगी थी, तब से लेकर 15वीं 16वीं सदी तक इसमें साहित्य रचना हुई। यद्यपि बोलचाल की भाषा के रूप में इसका प्रचार 1000 ई. के आस-पास समाप्त हो गया। जिनमें उल्लेखनीय ग्रन्थ रइधु का करकण्डचरिउ, धर्मसूरि का जम्बूस्वामी रासा, पुष्पदन्त का आदिपुराण, सरह का दोहाकोश, रामसिंह का पाहुडदोहा, स्वयंभू का पउमचरिउ तथा धनपाल की 'भविसत कहा' आदि हैं।

अधिकांश विद्वान् यह मानते है कि अपभ्रंश की प्रारम्भिक विशेषताएँ सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर प्रदेश में विकसित हुई। कीथ आदि कुछ लोगों ने मूलतः अपभ्रंश का सम्बन्ध मध्यप्रदेश की भाषा से मानते हैं। यद्यपि बाद में वे उस पर अपभ्रंश के अन्य रूपों के प्रभाव का भी संकेत करते हैं। डॉ॰ सक्सेना भी मध्यदेशीय या शौरसेनी अपभ्रंश को ही उस काल की परिनिष्ठित भाषा मानते हैं।

### 1.2.5.1. अपभ्रंश के भेद

मार्कण्डेय (17वीं शती) ने प्राकृत सर्वस्व में अपभ्रंश के तीन भेद माने हैं – नागर, उपनागर और ब्राचड़। नागर, गुजरात की अपभ्रंश, ब्राचड़ सिन्ध की उपनागर दोनों के मध्य की मानी है। स्पष्टतया यह पश्चिमी प्राकृतों का ही विभाजन है। सामान्यतया विद्वानों का मत है कि प्राचीन पाँच प्राकृतों से पाँच अपभ्रंशों का विकास हुआ। इनसे ही आधुनिक भारतीय आर्यभाषाएँ विकसित हुई। प्राचीन प्राकृत और वर्तमान भारतीय भाषाओं को मिलाने वाली कड़ी वस्तुतः अपभ्रंश भाषाएँ हैं।

प्रसिद्ध भाषाविज्ञानी डॉ॰ भोलानाथ तिवारी ने विभिन्न प्राकृतों से विकसित अपभ्रंश के निम्नलिखित सात भेद स्वीकार किए हैं, जिनसे आधुनिक भारतीय भाषाओं / उपभाषाओं का जन्म हुआ –

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | शौरसेनी | : | पश्चिमी हिन्दी, राजस्थानी और गुजराती |
| (ii) | पैशाची | : | लहँदा, पंजाबी |
| (iii) | ब्राचड़ | : | सिन्धी |
| (iv) | खस | : | पहाड़ी |
| (v) | महाराष्ट्री | : | मराठी |

(vi) मागधी : बिहारी, बांग्ला, उड़िया व असमिया
(vii) अर्द्धमागधी : पूर्वी हिन्दी

अपभ्रंश के उपर्युक्त सात रूपों से आधुनिक भाषाओं या भाषा वर्गों के तेरह रूपों का विकास हुआ है। कहा जा सकता है कि हिन्दी भाषा का विकास अपभ्रंश के शौरसेनी, मागधी और अर्द्धमागधी रूपों से हुआ है।

### 1.2.5.1. अपभ्रंश की प्रमुख विशेषताएँ

अपभ्रंश की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

(i) अपभ्रंश में लगभग वे ही ध्वनियाँ थी जिनका प्रयोग प्राकृत में होता था। ह्रस्व ए, ह्रस्व ओ और ड़, ढ थे। यद्यपि लिखने में उनके लिए किसी नये चिह्न का प्रयोग नहीं होता था। कभी ए, ओ और कभी इ उ का एँ, ओं के लिये प्रयोग कर दिया जाता था। ऋ का लेखन में प्रयोग था किन्तु स्वरूप में ध्वनि नहीं थी। श, ष के स्थान पर स ही प्रचलित था।'श ध्वनि केवल मागधी अपभ्रंश में थी। वर्तमान भाषाओं को देखने से यह भी अनुमान लगता है कि विभिन्न अपभ्रंश में 'अ' का उच्चारण विवृत,अर्द्धविवृत आदि विभिन्न रूपों में होता है। ळ महाराष्ट्री आदि कई में था।

(ii) स्वरों का अनुनासिक रूप वैदिकी, संस्कृत, पालि, प्राकृत में था। अपभ्रंश में भी वह मिलता है। ऋ को छोड़कर सभी के अनुनासिक रूपों का प्रयोग अपभ्रंश में है।

(iii) संगीतात्मक और नलात्मक स्वराघात की दृष्टि से अपभ्रंश की वही स्थिति थी, जो पालि, प्राकृत में थी।

(iv) अपभ्रंश एक उकार बहुला भाषा थी। 'ललित-विस्तर' तथा 'प्राकृत-धम्मपद' आदि गाथा तथा प्राकृत के ग्रन्थों में भी यह प्रवृत्ति मिलती है, किन्तु वहाँ यह प्रवृत्ति अपने बीज रूप में है। अपभ्रंश में यह बहुत अधिक है, जहाँ से यह ब्रजभाषा या अवधी आदि को मिली है। (जैसे एक्कु, करणु, पियासु, अंगु, मूलु और जगु आदि।

(v) ध्वनि-परिवर्तन की दृष्टि से जो प्रवृत्तियाँ (लोप, आगम, विपर्यय आदि) पालि में शुरू होकर प्राकृत में विकसित हुई थीं, उन्हीं का यहाँ आकर और विकास हो गया।

(vi) शब्द के अन्तिम स्वर के ह्रस्व होने की प्रवृत्ति प्राकृत में भी थी किन्तु अपभ्रंश में ब्रढ़ गई।

(vii) अपभ्रंश में स्वराघात प्रायः आद्यक्षर पर था, इसलिए आद्यक्षर का स्वर यहाँ प्रायः सुरक्षित मिलता है। जैसे- माणिक्य-माणिक्क, घोटक-घोडअ।

(viii) म का वँ (प्राकृत – आमलम, अपभ्रंश– ऑवल अ, कमल > कवँल), व का ब (वचन > ब अ ण), ण्ण का न्ह (कृष्ण > कान्ह), क्ष का क्ख या च्छ (पक्षी > पक्सी > पच्छी), स्म का म्ह (अस्मै > अम्ह), य का ज (युगल > जुगल), ड, द, न र के स्थान पर 'ल' (प्रदीप्त > पलित्त) आदि रूप में ध्वनि विकास की बहुत सी प्रवृत्तियाँ मिलती हैं।

(ix) परवर्ती अपभ्रंश में समीकरण के कारण उत्पन्न संयुक्तता में एक व्यंजन बच जाता हैऔर पूर्ववर्ती स्वर में क्षतिपूरक दीर्घीकरण हो गया (सं. तस्य, प्रा. तस्स, अप., तासु कस्य > कासु)।

(x) पालि, प्राकृत में विकास तो हुआ था किन्तु सब कुछ ले देकर वे संस्कृत की प्रवृत्ति से अलग नहीं थी। अपभ्रंश पूर्णतः अलग हो गई और वह प्राचीन की अपेक्षा आधुनिक भारतीय भाषाओं की ओर अधिक झुकी है।

(xi) भाषा में धातु और नाम दोनों रूप कम हो गए। इस प्रकार भाषा अधिक सरल हो गई।

(xii) वैदिकी, संस्कृत, पालि तथा प्राकृत संयोगात्मक भाषाएँ थीं। प्राकृत में वियोगात्मकता या अयोगात्मकता के लक्षण दिखाई देने लगे थे किन्तु अपभ्रंश में आकर ये लक्षण प्रमुख होगए।

(xiii) संज्ञा-सर्वनाम से कारक के रूप के लिये संयोगात्मक भाषाओं में केवल विभक्तियाँ लगती हैं, जो जुड़ी होती हैं। किन्तु वियोगात्मक भाषाओं में अलग से शब्द लगाने पड़ते हैं, जो अलग रहते हैं। हिन्दी में 'ने, को, में, से' आदि ऐसे ही अलग शब्द है। प्राकृत में इस तरह के दो तीन शब्द मिलते हैं, किन्तु अपभ्रंश में बहुत से कारकों के लिये अलग शब्द मिलते हैं जैसे – करण के लिये सहुँ तण, सम्प्रदान के लिए केहि, रेसि अपादान के लिये थिड, होन्त, सम्बन्ध के लिये केर, कर, का और अधिकरण के लिये मह, मञ्झ आदि।

(xiv) संयोगात्मक भाषाओं में तिङ प्रत्यय के योग से काल और भाव की रचना होती है। वियोगात्मक भाषाओं में सहायक क्रिया के सहारे कृदन्तीय रूपों से ये बातें प्रकट की जाती हैं। इस प्रकार की वियोगात्मक प्रवृत्तियाँ प्राकृत में अपनी झलक दिखाने लगी थीं, किन्तु अब ये बातें बहुत स्पष्ट हो गयीं। संयुक्त क्रिया का प्रयोग होनेलगा। तिङन्त रूप कम रह गए।

(xv) नपुंसकलिंग समाप्त प्रायः था।

(xvi) अकारान्त पुल्लिंग प्रतिवादिकों की प्रमुखता हो गई। अन्य प्रकार के थोड़े बहुत प्रतिपादिक थे भी तो उन पर इसी के नियम प्रायः लागू होते थे। इस प्रकार इस क्षेत्र में एकरूपता आ गई।

(xvii) कारकों में रूप बहुत कम हो गए अपभ्रंश में लगभग छह रूप रह गए, दो वचनों और तीन कारकों – i. कर्त्ता, कर्म, सम्बोधन, ii. करण, अधिकरण, iii. सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध के।

(xviii) स्वार्थिक प्रत्यय – 'ड' का प्रयोग अधिक होने लगा, राजस्थानी आदि में यही ड़ड़ी, ड़िया आदि रूपों में मिलता है।

(xix) उपर्युक्त कारणों के परिणामस्वरूप वाक्य के शब्दों के स्थान निश्चित हो गए।

(xx) अपभ्रंश के शब्द-भण्डार की प्रमुख विशेषताएँ हैं–

(क) तद्भव शब्दों का अनुपात अपभ्रंश में सर्वाधिक है।

(ख) दूसरा नम्बर देशज शब्दों का है, क्रिया शब्दों में भी ये शब्द पर्याप्त हैं। ध्वनि और दृष्टि के आधार पर बने नये शब्द भी अपभ्रंश में बहुत हैं।

(ग) तत्सम शब्द अपभ्रंश के पूर्वार्द्ध काल में बहुत कम हैं किन्तु उत्तरार्द्ध में उनकी संख्या बढ़ गईहै।

(घ) इस समय तक भारत का पर्याप्त विदेशी सम्पर्क हो गया था, इसी कारण उत्तरकालीन अपभ्रंश में कुछ विदेशी शब्द भी आ गए हैं। जैसे- ठठ्ठा, ठक्कुर, नीक, तुर्क, तहसील, नौबती आदि।

## 1.2.6. सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची


1. भाषाविज्ञान, डॉ॰ भोलानाथ तिवारी, किताब महल प्रकाशन, संस्करण 2013
2. भाषा-विज्ञान के सिद्धान्त और हिन्दी-भाषा, डॉ॰ द्वारिका प्रसाद सक्सेना, डॉ॰ उदयप्रतापसिंह, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, संस्करण 2011
3. भाषाविज्ञान की भूमिका, देवेन्द्रनाथ शर्मा, दीप्ति शर्मा, 2001


**उपयोगी इंटरनेट स्रोत :**

1. http://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=18
2. http://www.hindisamay.com/
3. http://hindinest.com/
4. http://www.dli.ernet.in/
5. http://www.archive.org

❖❖❖

# खण्ड – 1 : हिन्दी भाषा का विकास : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

## इकाई – 3 : आधुनिक भारतीय आर्यभाषाएँ और उनका वर्गीकरण

**इकाई की रूपरेखा**

1.3.0. उद्देश्य
1.3.1. प्रस्तावना
1.3.2. भाषा परिवार और आर्यभाषा परिवार
1.3.3. आधुनिक भारतीय आर्यभाषा : परिचय
1.3.4. आधुनिक भारतीय आर्यभाषा : वर्गीकरण
1.3.5. आधुनिक भारतीय आर्यभाषा : विशेषताएँ
1.3.6. पाठ-सार
1.3.7. बोध प्रश्न
1.3.8. सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

### 1.3.0. उद्देश्य

विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। भाषावैज्ञानिकों द्वारा इन्हें अलग-अलग भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। आर्यभाषा परिवार इनमें से एक प्रमुख वर्ग है। इस पाठ में इसके भारतीय परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डाला जाएगा। प्रस्तुत पाठ का अध्ययन करने के उपरान्त आप –

i. आर्यभाषा परिवार की अवधारणा से परिचित हो सकेंगे।
ii. आधुनिक भारतीय आर्यभाषाएँ को वर्गीकृत रूप से समझ सकेंगे।
iii. आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं को हिन्दी के सापेक्ष जान सकेंगे।

### 1.3.1. प्रस्तावना

विश्व के महानतम वैज्ञानिक आईंस्टीन ने किसी चर्चा के दौरान कहा था कि उन्हें दो प्रश्न हमेशा विचार करने के लिए प्रेरित करते रहे – पहला, ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति कैसे हुई ? और दूसरा, मनुष्य के पास बुद्धि (intelligence) कहाँ से आई ? इनमें से पहले प्रश्न का उत्तर उन्होंने बिग बैंग सिद्धान्त के रूप में दिया। दूसरे के सम्बन्ध में कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकाल सके। एक भाषावैज्ञानिक बहुत ही सरलतापूर्वक इसका उत्तर दे सकता है कि मनुष्य के पास बुद्धि 'भाषा' से आई। आज भी यदि हमारे मस्तिष्क से किसी युक्ति द्वारा भाषा खींच ली जाए तो हम फिर उसी आदिकाल में चले जाएँगे। किन्तु फिर वही प्रश्न खिसककर भाषा पर चला जाएगा, कि मनुष्य के पास 'भाषा' कहाँ से आई ? इस प्रश्न का आजतक कोई वैज्ञानिक उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है। इसे समझने के व्यापक स्तर पर प्रयास पिछले दो-तीन दशकों में किए गए हैं। इसका वास्तविक आरम्भ 1986 ई. में हुआ जब

'सर विलियम जोंस' ने एक सम्मेलन में घोषित किया कि 'संस्कृत, ग्रीक और लैटिन' भाषाओं में पर्याप्त समानताएँ हैं। इससे तुलनात्मक और ऐतिहासिक भाषा अध्ययन का आरम्भ हुआ, जिसमें भाषा के वर्तमान एवं पूर्वरूपों के माध्यम से प्राचीन रूप की खोज होने लगी।

भाषा के तुलनात्मक और ऐतिहासिक अध्ययन से ही पता चला कि विश्व की सभी भाषाएँ किसी एक ही भाषा से निकली हुई हैं। इनके विकास और प्रसार का क्रम भी वही है जो आदिमानव (होमोसेपियंस) के विकास और प्रसार का है। कालान्तर में कुछ भाषाएँ एक समान रहीं तो कुछ भाषाएँ अन्य भाषाओं से बिल्कुल अलग हो गईं। इन्हें ही समूहों में विभाजित करते हुए 'भाषा परिवार' की संकल्पना दी गई और विभिन्न भाषा परिवारों का वर्गीकरण किया गया। इनमें से एक भाषा परिवार 'आर्यभाषा परिवार' है, जिसमें उत्तर और मध्य भारत की कई महत्त्वपूर्ण भाषाएँ आती हैं।

### 1.3.2. भाषा परिवार और आर्यभाषा परिवार

विश्व में भाषाओं की संख्या 3000 से 5000 तक मानी जाती है। भाषावैज्ञानिकों द्वारा इन भाषाओं उनकी रूपरचना और अर्थ में साम्य-वैषम्य के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो आधारों पर किया गया है – आकृतिमूलक तथा पारिवारिक। आकृतिमूलक वर्गीकरण मूल रूप से रूप रचना के आधार पर किया जाने वाला वर्गीकरण है। इसी कारण इसे रूपात्मक या रचनात्मक वर्गीकरण भी कहा गया है। इसमें वर्गीकरण के लिए भाषाओं के बीच 'शब्द / पद रचना' और 'वाक्य-रचना' में 'समानता' और 'असमानता' देखी जाती है। जिन भाषाओं में समानता होती है उन्हें एक वर्ग में रखा जाता है और इस प्रकार से धीरे-धीरे भिन्न-भिन्न दृष्टियों से समान भाषाओं को अलग-अलग वर्गों में वर्गीकृत कर दिया जाता है। इसके दो मूल भेद – 'अयोगात्मक' और 'योगात्मक' हैं। बाद में 'योगात्मक' के कई उपभेद बनते हैं।

जो वर्गीकरण 'रचना' और 'अर्थ' दोनों को ध्यान में रखकर किया जाता है वह 'पारिवारिक वर्गीकरण' कहलाता है। जिस प्रकार से माना गया है कि मानवों की उत्पत्ति एक ही स्थान पर (अफ्रीका) में हुई और फिर वे विश्व के अन्य क्षेत्रों में फैल गए, उसी प्रकार भाषा के सम्बन्ध में साक्ष्य मिले हैं सभी भाषाएँ किसी आदिभाषा से विकसित हुई हैं और समय तथा परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होकर नयी-नयी भाषाएँ बन गई हैं। इसके लिए हजारों मील की दूरी पर स्थित भाषाओं में पाई जाने वाली समानता सबसे बड़ा प्रमाण है। इस दिशा में चिन्तन का आरम्भ 1786 ई. में सर विलियम जोंस द्वारा दिए गए उस भाषण से हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में पर्याप्त समानताएँ हैं। इससे तुलनात्मक और ऐतिहासिक भाषा अध्ययन की शुरुआत हुई और भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके लिए ध्वनि, पद-रचना, वाक्य-रचना, अर्थ, शब्द–भण्डार आदि सभी भाषायी पक्षों को आधार बनाया गया।

भाषावैज्ञानिकों ने समय के साथ विश्व की विभिन्न भाषाओं को अनेक भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया। भाषा परिवारों की संख्या 12 से लेकर 100 तक देखी जा सकती हैं। इन भाषा परिवारों में 18 से 20 परिवारों को सबसे महत्त्वपूर्ण माना जाता है। भारत में निम्नलिखित भाषा परिवारों की भाषाएँ पाई जाती हैं –

(i) भारोपीय भाषा परिवार, जैसे – हिन्दी, मराठी, राजस्थानी आदि।
(ii) द्राविड़ परिवार, जैसे – तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि।
(iii) दक्षिण-पूर्व एशियाई (आस्ट्रो एशियाटिक) परिवार, जैसे – मुंडा, संथाली आदि।
(iv) चीनी-तिब्बती परिवार, जैसे – आसामी, मणिपुरी, गारो आदि।

इन सभी में भारोपीय भाषा परिवार सबसे विस्तृत है तथा इसके बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। इसकी कई उपशाखाएँ भी हैं, जैसे – भारत-ईरानी, बाल्तो-स्लाविक, आरमीनी, अलबानी, इटैलिक, ग्रीक, जर्मनिक, केल्टिक, तोखारी और हित्ती। इनमें से 'भारत-ईरानी भाषा परिवार' का भारतीय पक्ष 'भारतीय आर्यभाषा परिवार' के नाम से प्रसिद्ध है।

## 1.3.3. आधुनिक भारतीय आर्यभाषा : परिचय

भारतीय आर्यभाषाओं को 'काल' की दृष्टि से तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है –

(i) प्राचीन भारतीय आर्यभाषा : 1500 ई.पू. से 500 ई.पू.)
(ii) मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा : 500 ई.पू. से 1000 ई. तक
(iii) आधुनिक भारतीय आर्यभाषा : 1000 ई. से आज तक)

वर्तमान भाषाएँ ही आधुनिक भारतीय आर्यभाषाएँ हैं। इनका विकास मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाओं – पालि, प्राकृत, अपभ्रंश से हुआ है। भारतीय आर्यभाषा क्षेत्र में भाषा परिवर्तन के क्रम में अन्तिम नाम 'अपभ्रंश' का आता है। काल की दृष्टि से एक बात महत्त्वपूर्ण है कि इतिहास में ऐसा कोई बिन्दु विशेष नहीं है, जिसे चिह्नित करते हुए कहा जाए कि यहीं से आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का जन्म हुआ। फिर भी 1000 ई. के आस-पास से इनका उदय माना जाता है। फिर भी देखा जाए तो आचार्य हेमचन्द्र ने 12वीं शताब्दी में अपभ्रंश के व्याकरण की रचना की थी जिससे इस बात का अनुमान किया जा सकता है कि उस समय भी अपभ्रंश में व्यवहार हो रहा था। अतः इसका काल 10वीं से 16वीं शताब्दी के बीच माना जा सकता है। 16वीं शताब्दी और उसके बाद की रचनाओं को आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं की रचनाएँ माना जाता है। क्षेत्र की दृष्टि से आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का विस्तार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचलप्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सम्पूर्ण उत्तर भारत में है। प्रमुख आर्यभाषाओं का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है –

### (1) पश्चिमी पंजाबी (लहँदा)

यह भाषा पश्चिमी पंजाब में बोली जाती है, जो अभी पाकिस्तान में है। यह पंजाबी के समान ही है। इसे जटकी, उच्चा हिन्दकी आदि नाम भी दिए गए हैं। वर्तमान में यह मुख्य रूप से फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है। इसकी मूल लिपि का नाम 'लंडा' (Landa) है।

### (2) सिन्धी

सिन्धी को सिन्ध प्रान्त की भाषा है। यह भी अभी पाकिस्तान में ही है। इसे ब्राचड़ और अपभ्रंश से उत्पन्न माना जाता है। इसकी लिपि फ़ारसी लिपि का ही कुछ परिवर्तित रूप है। इसमें फ़ारसी शब्द भी बहुतायत देखे जा सकते हैं।

### (3) मराठी

मराठी मूल रूप से महाराष्ट्र की भाषा है। इसकी कई बोलियाँ हैं। पूना क्षेत्र के आस-पास बोली जाने वाली मराठी को ही मानक मराठी माना गया है, जो महाराष्ट्र राज्य के राजकाज की भाषा है। मराठी को देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है।

### (4) उड़िया

यह उड़ीसा राज्य की भाषा है। इसमें और बांग्ला भाषा में पर्याप्त समानता देखी जा सकती है। आरम्भ में इसे बांग्ला भाषा का ही एक रूप माना जाता था किन्तु अब स्पष्ट हो चुका है कि उड़िया स्वतन्त्र रूप से एक भाषा है। इसमें मराठी, तेलुगु, फ़ारसी और अंग्रेजी भाषाओं के शब्द भी पर्याप्त मात्रा में देखे जा सकते हैं। इसकी लिपि प्राचीन देवनागरी से ही विकसित हुई है।

### (5) बांग्ला

बांग्ला भाषा के प्रयोग का क्षेत्र का बंगाल है। इसे 'बंगला' / 'बँगला' / 'बांग्ला' भी कहा जाता है। इसके दो मुख्य रूप हैं – पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी का केन्द्र 'ढाका' जो अब बांग्लादेश की राजधानी है और पश्चिमी का 'कोलकाता' (या कलकत्ता) जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। इसकी अपनी लिपि है जिसे प्राचीन देवनागरी से ही विकसित माना जाता है।

### (6) बिहारी

भोजपुरी, मैथिली और मगही को जार्ज ग्रियर्सन द्वारा 'बिहारी' नाम दिया गया था। इनकी लिपि देवनागरी ही है। बिहारी के अन्तर्गत आने वाली तीनों बोलियों / भाषाओं का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है –

(क) भोजपुरी – इसका केन्द्र प्राचीन शाहाबाद जिले का भोजपुर गाँव है जो अब बक्सर जिले में आता है। इसका विस्तार बहुत अधिक है। इसके केन्द्रीय क्षेत्रों में उत्तरप्रदेश के बनारस, मिर्जापुर, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर और बस्ती तथा बिहार के बक्सर, आरा, राँची, सारन, चंपारन आदि जिले आते हैं।

(ख) मैथिली – यह मुख्य रूप से बिहार में ही बोली जाती है। इसके केन्द्रीय जिलों के अन्तर्गत दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया आदि जिलों के साथ-साथ मुजफ्फरपुर का पूर्वी भाग भी आताहै। इसके एक रूप का नाम 'अंगिका' है जो मुंगेर और भागलपुर जिलों में प्रचलितहै।

(ग) मगही – मगही बिहार की एक प्रमुख भाषा है। इसका प्रयोग पटना और गया के साथ-साथ हजारीबाग के भी कुछ जिलों में किया जाता है।

## (7) असमिया

यह असम (असमिया प्रदेश) की भाषा है। इसमें और बांग्ला में पर्याप्त समानता देखी जा सकती है। इसकी लिपि भी बांग्ला लिपि का संशोधित परिवर्तित रूप है।

## (8) पूर्वी हिन्दी

इसके अन्तर्गत तीन भाषाएँ / बोलियाँ आती हैं – अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है –

(क) अवधी – इसके प्रयोग के क्षेत्र में लखनऊ, फैजाबाद, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, गोंडा, खीरी, सुल्तानपुर, बहराइच, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि जिले आते हैं। इनके अलावा इलाहाबाद, मिर्जापुर, फतेहपुर, कानपुर के कुछ क्षेत्र भी आते हैं। इस भाषा में रचित ग्रन्थों में 'रामचरितमानस' एक कालजयी रचना है।

(ख) बघेली – यह अवधी भाषा के दक्षिण भागों – रीवाँ, जबलपुर, दमोह, मांडला तथा बालाघाट आदि में बोली जाती है। कुछ लोगों ने इसे अवधी का ही एक रूप माना है।

(ग) छत्तीसगढ़ी – यह वर्तमान 'छत्तीसगढ़' राज्य की भाषा है। इसके प्रयोग के क्षेत्रों में रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, नंदगाँव, खैरगढ़, सरगुजा आदि जिले प्रमुखहैं।

## (9) पश्चिमी हिन्दी

पश्चिमी हिन्दी के अन्तर्गत पाँच भाषाएँ / बोलियाँ आती हैं –

(क) ब्रजभाषा – इसका क्षेत्र मथुरा, अलीगढ़, आगरा आदि जिलों में है। हिन्दी साहित्य के मध्यकालीन इतिहास में ब्रजभाषा की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है।

(ख) खड़ीबोली – इसके मुख्य क्षेत्रों में बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून जिले आते हैं। खड़ीबोली ही आज की 'हिन्दी' है। आधुनिककाल और स्वतन्त्रता-आन्दोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद यह भाषा भारत की सर्वाधिक व्यापक भाषा और भारत की राजभाषा बन चुकी है। इसके दो रूप हैं – हिन्दी और उर्दू। दोनों में शब्दावली (संस्कृतनिष्ठ या अरबी / फ़ारसी केन्द्रित) और लिपि (देवनागरी या फ़ारसी) का अन्तर है।

(ग) बाँगरू – यह दिल्ली, रोहतक, करनाल, हिसार, पटियाला और नाभा जिलों में बोली जाती है। इसे हरियाणवी भी कहते हैं। यह एक प्रकार की खड़ीबोली ही है। राजस्थानी तथा पंजाबी का इस पर प्रभाव देखा जा सकता है।

(घ) कन्नौजी – इस भाषा के प्रयोग का क्षेत्र अवधी और ब्रजभाषा के बीच में है। इसके बोले जाने वाले क्षेत्रों में मुख्य तो फर्रुखाबाद जिला है, किन्तु इसके अलावा पीलीभीत, शाहजहाँपुर, इटावा और कानपुर जिलों में भी इसका प्रयोग देखा जा सकता है। कुछ विद्वानों ने कन्नौजी को ब्रजभाषा की बोली ही माना है।

(ङ) बुंदेली – इस भाषा के प्रयोग के मुख्य क्षेत्रों में झाँसी, हमीरपुर, जालौन, ग्वालियर, भोपाल, सागर, ओरक्षा और नरसिंहपुर जिले आते हैं। इनके अलावा इनके आस-पास के कुछ जिलों, जैसे – पन्ना, दतिया, दामोह आदि में भी इसका प्रसार देखा जा सकता है। इसमें भी ब्रजभाषा से पर्याप्त समानता देखी जा सकती है।

### (10) पंजाबी

पंजाबी पंजाब की भाषाहै। वर्तमान में इसका कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में है। इस भाषा पर 'दरद' भाषा का कुछ प्रभाव देखा जा सकता है। इसकी लिपि गुरुमुखी है।

### (11) गुजराती

गुजरात राज्य की भाषा का नाम 'गुजराती' है। इस भाषा की पश्चिमी हिन्दी और राजस्थानी से समानता देखी जा सकती है। इसकी लिपि देवनागरी का जी कुछ परिवर्तित रूप है।

### (12) भीली

इस भाषा का प्रयोग गुजरात और मध्यप्रदेश की सीमा पर देखा जा सकता है। इस पर गुजराती और राजस्थानी का पर्याप्त प्रभाव दिखाई पड़ता है।

### (13) खानदेशी

इस भाषा का प्रयोग महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र में देखा जा सकता है। इसका क्षेत्र भीली और मराठी के बीच का है। इसकी एक प्रमुख बोली 'अहिरानी' है।

### (14) राजस्थानी

राजस्थान की भाषा का नाम राजस्थानी है। इसकी चार बोलियाँ प्राप्त होती हैं – मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और जयपुरी। इनमें मेवाती का प्रयोग उत्तरी राजस्थान में, मारवाड़ी का प्रयोग पश्चिमी राजस्थान में, मालवी का प्रयोग मालवा क्षेत्र (राजस्थान का दक्षिण पूर्व भाग) और जयपुरी का प्रयोग राजस्थान के पूर्वी भाग में किया जाता है।

### (15) पहाड़ी

इस भाषा के भी तीन रूप प्राप्त होते हैं – पूर्वी पहाड़ी या नेपाली, मध्य पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी या नेपाली का प्रयोग नेपाल में किया जाता है। इसे गोरखाली या खसगुड़ा भी कहा गया है। मध्य पहाड़ी की दो शाखाएँ हैं – कूमायूँनी और गढ़वाली। कूमायूँनी नैनीताल और अल्मोड़ा में प्रयोग की जाती है जबकि गढ़वाली गढ़वाल और मसूरी में प्रयोग की जाती है। पश्चिमी पहाड़ी का क्षेत्र शिमला के निकटवर्ती भाग हैं।

## 1.3.4. आधुनिक भारतीय आर्यभाषा : वर्गीकरण

भारतीय आर्यभाषाओं के अध्ययन का आरम्भ अंग्रेज विद्वानों द्वारा किया गया। उन विद्वानों में जॉन बीम्स (John Beames : 1837–1902), सैमुअल एच. केलॉग (S.H. Kellogg : 1839–1899), डॉ॰ होर्नले (Dr. Hoernle : 1841–1918) आदि का नाम महत्त्वपूर्ण है। इन विद्वानों ने अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में भारत की भाषाओं का अध्ययन किया। इनमें से होर्नले ने भारत में आर्यों का आगमन और प्रसार कई क्षेत्रों से होने की बात की। बाद में सर जार्ज ग्रियर्सन (Sir George A. Grierson : 1851–1941) द्वारा इस मत को स्वीकार किया गया। ग्रियर्सन ने ही सर्वप्रथम 'भारत का भाषा सर्वेक्षण' (Linguistic Survey of India) में आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं को वर्गीकृत रूप से प्रस्तुत किया है। भाषा तत्त्वों के आधार पर उन्होंने आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं को तीन उप-शाखाओं में विभक्त करते हुए छह भाषा समुदायों की बात की, जिसे हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं –

### (क) बाहरी शाखा (Outer Branch)

(अ) <u>उत्तरी पश्चिमी समुदाय</u>

(1) पश्चिमी पंजाबी (लहँदा)

(2) सिन्धी

(आ) दक्षिणी समुदाय

(3) मराठी

(इ) पूर्वी समुदाय

(4) उड़िया
(5) बांग्ला
(6) बिहारी
(7) असमिया

**(ख)मध्य शाखा (Mediate Branch)**

(ई) मध्य समुदाय

(8) पूर्वी हिन्दी

**(ग) भीतरी शाखा (Inner Branch)**

(उ) केन्द्रीय समुदाय

(9) पश्चिमी हिन्दी
(10) पंजाबी
(11) गुजराती
(12) भीली
(13) खानदेशी
(14) राजस्थानी

(ऊ) पहाड़ी समुदाय

(15) पूर्वी पहाड़ी या नेपाली
(16) मध्य या केन्द्रीय पहाड़ी
(17) पश्चिमी पहाड़ी

इनका समूहन करते हुए ग्रियर्सन ने बताया है कि प्रत्येक शाखा की भाषाओं में कुछ समानताएँ होती हैं जो उन्हें अन्य शाखाओं की भाषाओं से अलग करती हैं। उदाहरण के लिए भीतरी शाखा की भाषाओं में उच्चरित होने वाला 'स' बाहरी शाखा की कुछ भाषाओं में 'श' हो जाता है। इसी प्रकार इनमें प्रत्ययों के जुड़ने के सन्दर्भ में अन्तर बताया गया है।

ग्रियर्सन द्वारा किए गए वर्गीकरण से डॉ॰ सुनितिकुमार चाटुर्ज्या अपनी असहमति व्यक्त करते हैं। चाटुर्ज्या के आधार पर आधुनिक भारतीय भाषाओं के निम्नलिखित वर्ग प्राप्त होते हैं –

(क) उदीच्य (उत्तरी)
(1) लहँदा
(2) सिन्धी
(3) पंजाबी

(ख) प्रतीच्य (पश्चिमी)
(4) गुजराती

(ग) मध्य देशीय
(5) राजस्थानी
(6) पूर्वी हिन्दी
(7) पश्चिमी हिन्दी
(8) बिहारी
(9) पहाड़ी

(घ) प्राच्य (पूर्वी)
(10) उड़िया
(11) बांग्ला
(12) असमी

(ङ) दक्षिणात्य
(13) मराठी

विभिन्न अपभ्रंश भाषाओं से उत्पत्ति के आधार पर सुप्रसिद्ध भाषाविद् देवेन्द्रनाथ शर्मा ने आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं को इस प्रकार से वर्गीकृत करते हुए प्रस्तुत किया है –

| क्रम संख्या | अपभ्रंश | आधुनिक भारतीय आर्यभाषाएँ |
|---|---|---|
| 1. | शौरसेनी | पश्चिमी हिन्दी (ब्रजभाषा, खड़ीबोली, बाँगरू, कन्नौजी, बुंदेली) |
| | | राजस्थानी (मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, गुजराती) |
| 2. | अर्द्धमागधी | पूर्वी हिन्दी (अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी) |
| 3. | मागधी | भोजपुरी |
| | | मैथिली |
| | | मगही |
| | | बांग्ला |
| | | असमी |
| | | उड़िया |
| 4. | खस | पहाड़ी (शौरसेनी से प्रभावित) |
| 5. | ब्राचड़ | पंजाबी (शौरसेनी से प्रभावित) |
| | | सिन्धी |
| 6. | महाराष्ट्री | मराठी |

## 1.3.5. आधुनिक भारतीय आर्यभाषा : विशेषताएँ

आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का विकास 'अपभ्रंश' से हुआ है । अपभ्रंश को कुछ विद्वानों द्वारा तृतीय प्राकृत भी कहा गया है । इस काल की प्रमुख भाषाएँ पैशाची, शौरसेनी, महाराष्ट्री और मागधी रही हैं । भाषा निरन्तर परिवर्तनशील रही है । अतः इन भाषाओं में हुए कुछ व्यापक परिवर्तनों ने आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं को जन्म दिया । इस प्रकार विकसित नयी भाषाओं की कुछ प्रमुख विशेषताओं को निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं –

(1) भारतीय आर्यभाषाएँ योगात्मकता से अयोगात्मकता की ओर उन्मुख रही हैं । इस दृष्टि से देखा जाए तो आधुनिक भारतीय आर्यभाषाएँ बहुत अधिक अयोगात्मक हो गई हैं । अर्थात् इनमें प्रकृति और प्रत्यय का बहुत अधिक संयोग न होकर अपेक्षाकृत अलग-अलग प्रयोग होने लगा । विभक्तियों की जगह हिन्दी में परसर्गों का प्रयोग इसका अच्छा उदाहरण है ।

(2) आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं के विकास में ध्वन्यात्मक परिवर्तन भी पर्याप्त हुआ है । उदाहरण के लिए स्वरों के मात्रा काल में परिवर्तन हुए हैं । पंजाबी में शब्दों के आरम्भ में 'अ' का प्रयोग बढ़ा है । 'ऐ' तथा 'औ' स्वरों का प्रयोग अवहट्ट से आरम्भ हुआ है जो पहले प्राकृत तथा अपभ्रंश में नहीं थे ।

(3) इसी प्रकार कुछ ध्वनियों का उच्चारण लुप्त भी हो गया है । इस दृष्टि से 'ष' उल्लेख्य है । अब प्रायः इसका वास्तविक उच्चारण नहीं किया जाता, बल्कि 'श' या 'स' के समतुल्य उच्चारण होता है । 'क्ष' का उच्चारण भी परिवर्तित होकर 'क्छ' हो गया है ।

(4) कुछ ध्वनियों का उच्चारण विभिन्न भाषाओं में भिन्न-भिन्न हो गया है, जैसे – 'ऋ' का उच्चारण हिन्दी में 'रि' तथा मराठी में 'रु' होता है। इसी प्रकार 'ज्ञ' का उच्चारण 'ग्यँ' तथा 'द्यँ' के रूप में होता है, जबकि इसका उच्चारण 'ज्यँ' है जो बहुत कम ही जगहों पर उच्चरित किया जाता है।

(5) क़, ख़, ग़, ज़ और फ़ अरबी / फ़ारसी ध्वनियों का भी समावेश हो गया है। इसी प्रकार आधुनिककाल में अंग्रेजी के प्रभाव अंग्रेजी स्वर 'ऑ' का प्रचलन भी हो गया है। शिक्षित लोगों द्वारा इन ध्वनियों का प्रयोग सम्बन्धित आगत शब्दों में किया जाता है।

(6) अधिकांश आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं में दो ही लिंग हैं। केवल मराठी और गुजराती में तीन लिंग हैं। वचन की संख्या भी सभी वर्तमान आर्यभाषाओं में दो ही है।

(7) शब्दों की आन्तरिक संरचना में परिवर्तन की दृष्टि से देखा जाए तो द्वित्व व्यंजन(एक साथ एक ही व्यंजन का दो बार प्रयोग) होने पर उनमें से एक का लोप और पूर्व के व्यंजन पर क्षतिपूर्ति हेतु दीर्घ स्वर का प्रयोग प्राप्त होता है, जैसे –

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| कर्म | → | कम्म | → | काम |
| निद्रा | → | णिद्दा | → | नींद |
| अद्य | → | अज्ज | → | आज |

(8) वाक्य स्तर पर बलात्मक स्वाराघात में भी पहले की तुलना में कमी आई है। अतः आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास में ध्वनि, शब्द और वाक्य पर प्रयोग और व्यवहार में अनेक परिवर्तन हुए हैं। भारतीय आर्यभाषाओं का क्षेत्र-विस्तार बहुत अधिक है। अलग-अलग भाषाओं के प्रयोग के समाज और समुदाय भी भिन्न रहे हैं। इस कारण ये परिवर्तन भी सभी क्षेत्रों में समान रूप से दिखाई नहीं देते। उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम गति से परिवर्तन हुआ है तो पूर्वी भागों में परिवर्तन की गति अधिक है। इसी प्रकार मध्य क्षेत्रों में आधुनिक और प्राचीन दोनों रूप प्रयोग में बने रहे।

## 1.3.6. पाठ-सार

भाषा का सम्बन्ध सम्पूर्ण मानव जाति से है। जैसे-जैसे आदिमानवों का विश्व के विभिन्न भागों में प्रसार हुआ, वैसे-वैसे भाषा का भी प्रसार हुआ। समय और स्थान के साथ भाषा के विविध रूपों का विकास भी हुआ। ये रूप आपस में इतने भिन्न हुए कि एक से अधिक भाषा क्षेत्रों के लोगों के बीच आपस में सम्प्रेषण सम्भव नहीं रहा और इस तरह से विश्व में भाषाओं की संख्या 3000 से 5000 तक हो गई। पिछली दो शताब्दियों में भाषा के क्षेत्र में पर्याप्त अध्ययन-विश्लेषण का हुआ है। यह कार्य ऐतिहासिक, तुलनात्मक और वर्णनात्मक तीनों ही दृष्टियों से हुआ है। ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि भिन्न होते हुए भी ये भाषाएँ आपस में सम्बद्ध हैं। इसी संकल्पना से भाषा परिवार की अवधारणा का जन्म हुआ और विभिन्न भाषा परिवारों का वर्गीकरण किया गया। विश्व के भाषा परिवारों में 'आर्यभाषा परिवार' प्रयोग और क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से बहुत

विस्तृत है। 'भारत' इसका केन्द्र रहा है। आरम्भ से अब तक इसमें हुए परिवर्तनों के आधार पर इसके तीन रूप किए गए हैं – प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारतीय आर्यभाषाएँ। पश्चिमी पंजाबी (लहँदा), सिन्धी, मराठी, उड़िया, बांग्ला, भोजपुरी, मैथिली, मगही, असमिया, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ब्रज, खड़ीबोली, बाँगरू, कन्नौजी, बुंदेली, पंजाबी, गुजराती और राजस्थानी प्रमुख आधुनिक भारतीय आर्यभाषाएँहैं। सर जार्ज ग्रियर्सन, सुनितिकुमार चाटुर्ज्या और देवेन्द्रनाथ शर्मा द्वारा इनका व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है।

## 1.3.7. बोध प्रश्न

**बहुविकल्पीय प्रश्न**

1. भाषा का वर्गीकरण इस प्रकार से नहीं किया गया है ?
   (क) आकृतिमूलक
   (ख) पारिवारिक
   (ग) तुलनात्मक
   (घ) इनमें से कोई नहीं

सही उत्तर : (ग) तुलनात्मक

2. निम्नलिखित में से कौन-सा एक भाषा परिवार नहीं है ?
   (क) भारोपीय
   (ख) द्राविड़
   (ग) दक्षिण-पूर्व एशियाई
   (घ) संथाली

सही उत्तर : (घ) संथाली

3. निम्नलिखित में से कौन-सी भाषा एक आधुनिक भारतीय आर्यभाषा है ?
   (क) पालि
   (ख) प्राकृत
   (ग) भीली
   (घ) अपभ्रंश

सही उत्तर : (ग) भीली

4. इनमें से कौन-सी भाषा पूर्वी हिन्दी के अन्तर्गत आती है ?
   (क) बघेली
   (ख) ब्रजभाषा
   (ग) बाँगरू
   (घ) खड़ीबोली

सही उत्तर : (क) बघेली

5. भारतीय आर्यभाषाएँ हुई हैं –
   (क) योगात्मक से अयोगात्मक
   (ख) सामान्य से विशिष्ट
   (ग) अयोगात्मक से योगात्मक
   (घ) विशिष्ट से सामान्य

सही उत्तर : (क) योगात्मक से अयोगात्मक

**लघु उत्तरीय प्रश्न**

1. पूर्वी हिन्दी के अन्तर्गत आने वाली भाषाओं पर प्रकाश डालिए।
2. 'पहाड़ी' के अन्तर्गत आने वाली भाषाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
3. जार्ज ग्रियर्सन द्वारा 'बिहारी' वर्ग के अन्तर्गत किन भाषाओं को रखा गया है ? उनकी संक्षिप्त चर्चा करते हुए 'बिहारी' नाम की प्रासंगिकता पर अपने विचार दीजिए।
4. विभिन्न अपभ्रंश भाषाओं से उत्पत्ति के आधार पर देवेन्द्रनाथ शर्मा द्वारा आधुनिक भारतीय भाषाओं के किए गए वर्गीकरण को बताइए।
5. आधुनिक भारतीय भाषाओं में हुए कुछ ध्वन्यात्मक परिवर्तनों को सोदाहरण समझाइए।

**दीर्घ उत्तरीय प्रश्न**

1. भाषा परिवार की अवधारणा को बताते हुए आर्यभाषा परिवार के बारे में बताइए।
2. किन्हीं छह आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं की सविस्तार चर्चा कीजिए।
3. जार्ज ग्रियर्सन द्वारा किए गए आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं के वर्गीकरण पर प्रकाश डालिए।
4. डॉ॰ सुनितिकुमार चाटुर्ज्या के आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का वर्गीकरण को समझाइए।
5. आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

## 1.3.8. सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची


1. तिवारी, भोलानाथ (2009) भाषा विज्ञान, किताब महल प्रकाशन, इलाहाबाद।
2. द्विवेदी, कपिलदेव (2002) भाषाविज्ञान और भाषाशास्त्र, चौक वाराणसी : विश्वविद्यालय प्रकाशन।
3. पाण्डेय, कैलाश नाथ (2006) भाषाविज्ञान का रसायन, गाजीपुर : गाजीपुर साहित्य संसद।
4. भाटिया, कैलाशचन्द्र (2001) आधुनिक भाषा-शिक्षण, नयी दिल्ली : तक्षशिला प्रकाशन।
5. मल्होत्रा, विजय कुमार (2002) कम्प्यूटर के भाषिक अनुप्रयोग, नयी दिल्ली : वाणी प्रकाशन।
6. रस्तोगी, डॉ॰ कविता (2000) समसामयिक भाषविज्ञान, सुलभ प्रकाशन, लखनऊ।


**उपयोगी लिंक** :

1. http://www.yourarticlelibrary.com/language/indian–languages–classification–of–indian–languages/19813

# खण्ड – 2 : हिन्दी भाषा-समुदाय

## इकाई – 1 : हिन्दी शब्द का अर्थ और प्रयोग

**इकाई की रूपरेखा**


2.1.0. उद्देश्य
2.1.1. प्रस्तावना
2.1.2. हिन्दी शब्द : उत्पत्ति एवं स्थापना
  2.1.2.1. भाषा में शब्द का स्थान
  2.1.2.2. हिन्दी शब्द की व्युत्पत्ति
  2.1.2.3. हिन्दी शब्द : अर्थ और परिभाषा
  2.1.2.4. हिन्दी शब्द की अवधारणात्मक व्याख्या
  2.1.2.5. हिन्दी की लिपि
2.1.3. हिन्दी के प्रयोगात्मक रूप एवं क्षेत्र
  2.1.3. हिन्दी भाषा-रूप : राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय
  2.1.3. माध्यम तथा विषयगत हिन्दी प्रयोग
  2.1.3. सरल / क्लिष्ट हिन्दी-रूप
2.1.4. प्रयोगात्मक हिन्दी : अध्ययन / अध्यापन
  2.1.4. हिन्दी अनुप्रयोग और अध्ययन / अध्यापन
  2.1.4. 21वीं सदी और हिन्दी शिक्षण
2.1.5. पाठ-सार
2.1.6. बोध प्रश्न
2.1.7. व्यावहारिक (प्रायोगिक) कार्य
2.1.8. उपयोगी / सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची


### 2.1.0. उद्देश्य

प्रस्तुत पाठ का अध्ययन करने के उपरान्त आपको निम्नलिखित मुद्दों पर व्यापक जानकारी प्राप्त हो सकेगी –

i. हिन्दी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई ?
ii. भाषिक अर्थों में हिन्दी की अवधारणा क्या है ?
iii. हिन्दी पदबंध किन व्यापक सन्दर्भों में प्रयुक्त होता है ?
iv. भाषाई व्यावहारिक क्षेत्र और हिन्दी अनुप्रयोग ।
v. 21वीं सदी और हिन्दी अध्ययन / अध्यापन की दिशाएँ ।

## 2.1.1. प्रस्तावना

यहाँ तक आते-आते आपने, हिन्दी भाषा की विकास यात्रा के सन्दर्भों में हिन्दी के विभिन्न पक्षों का अवलोकन किया। इस पाठ में हम, हिन्दी शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर हिन्दी शब्द की अवधारणा को समझते हुए, अर्थवत्ता के स्तर पर जानेंगे कि भारत जैसे बहुभाषी देश में हिन्दी-पदबंध किस प्रकार व्यापक अर्थों में अनुप्रयुक्त हो कर, भारत की सामासिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हुआ व्यवहारगत और विषयगत सन्दर्भों में, राजभाषा / राष्ट्रभाषा / प्रादेशिक (राज्य)-भाषा आदि रूपों प्रयुक्त होता है? साथ ही, प्रयोजनमूलक अवधारणा को ध्यान में रखते हुए, स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी के विभिन्न भाषा-रूप किस प्रकार सक्रियता से अपनी भूमिका निभा रहे हैं ? और 21वीं सदी में, हिन्दी के प्रयोग को लेकर विद्यार्थियों को हिन्दी का अध्यापन (शिक्षण) / प्रशिक्षण किस पकार के स्मार्ट-वर्गों में करवाया जाए ताकि हर प्रकार के सम्प्रेषण-माध्यम (लिखित / मौखिक आदि) के व्यावहारिक-स्तर पर, हिन्दी का विद्यार्थी रोज़गार के क्षेत्र में, राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर हिन्दी की बढ़ती हुई माँग को लेकर, अपनी अहम भूमिका निभा सके। आइए, इस दिशा में आगे बढ़ें ...

## 2.1.2. हिन्दी शब्द : उत्पत्ति एवं स्थापना

प्रस्तुत मुद्दे के अन्तर्गत, सबसे पहले हम यह जानें कि किसी भाषा की सम्पूर्ण संरचना एवं उसके सार्थक अनुप्रयोगात्मक पक्ष में, शब्द एक अति महत्त्वपूर्ण एकाई है, जिसके चारों और उसके एकार्थ (एक आयामी) या अनेकार्थ (बहु-आयामी) रूप घूमते रहते हैं। इसी सन्दर्भ में हम हिन्दी शब्द के निहितार्थों एवं उसकी स्थापना के कारकों (Agents / Doers) का संज्ञान लेकर उसकी व्यापक अवधारणात्मक भूमिका को जान पाएँगे। साथ ही, बिना लिपि के शब्द की सम्पूर्ण सत्ता और शक्ति को न तो जाना जा सकता है और न ही समझा जा सकता है। आइए, इसी विचार-टिप्पणी के सन्दर्भ में प्रस्तुत आयामों को जानें –

### 2.1.2.1. भाषा में शब्द का स्थान

अगर किसी भाषिक संरचना का विश्लेषण किया जाए तो हम पाएँगे कि भाषा अपने आप में एक समेकित / संघठित (Consolidated) – संगठित (Organized) स्वतन्त्र इकाईपरक व्यवस्था है; जो, सार्थक आशयपरक– भावाभिव्यक्ति / सम्प्रेषण को लेकर प्रयोक्ता (वक्ता / लेखक आदि) और लक्ष्यार्थी (लक्षित (Targeted) श्रोता / पाठक आदि) के बीच, एक बिचौलिये / मध्यस्थ (Mediator) का कर्त्तव्य निभाती है। वैसे तो व्यापक अर्थों में, इस आधार पर, सार्थक भावभिव्यक्ति के सभी सम्प्रेषणीय कारक / माध्यम (Agent) मसलन; चित्र, संगीत, नृत्य, मूर्ति, वास्तु आदि अपने-अपने घटकों (Components) यथा – ध्वनि / स्वर, रंग, रेखांकन, भाव-भंगिमाएँ (अभिनय) आदि को लेकर अपने व्यावहारिक-क्षेत्र की एक भाषा के रूप में ही आएँगे। इस सन्दर्भ में स्विस भाषाविज्ञानी फर्डीनांड द सस्यूर (Ferdinand de Saussure (1857–1913) ने, संकेत-विज्ञान (जिसमें, ट्राफिक-सिग्नल की बत्तियों में दिये जाने वाले लाल-पीले-हरे रंगों द्वारा ट्राफिक नियमों के मूक-संकेत-सन्देश सम्प्रेषण, यथा – क्रमश:, रुकिए, – ठहरिए / जाने के लिए तैयार रहिए और – जाइए / बढ़िए के अनुदेशात्मक

(Instructional) सन्देश को देने) के कई भाषिक सिद्धान्तों को स्थापित किया; जो आगे चलकर हर तरह के भाषाविज्ञान में मील का पत्थर (नींव) साबित हुए हैं। परन्तु यहाँ हम मौखिक-लिखित पारम्परिक-भाषिक कारकों / सन्दर्भों जैसे; स्वनिम (ध्वनिग्राम), –> रूपिम, –> शब्द, –> पदबंध, –> उपवाक्य, –> वाक्य–> एवं प्रोक्ति (डिस्कोर्स) के सन्दर्भों में, हिन्दी के परिप्रेक्ष्य में, शब्द के स्थान को समझेंगे। इसके लिए आइए, अब हम हिन्दी शब्द की व्युत्पत्ति को जानें ..

## 2.1.2.2. हिन्दी शब्द की व्युत्पत्ति

आपने इस तथ्य पर ध्यान दिया होगा कि जब, कभी हिन्दी शब्द की व्युत्पत्ति का उल्लेख आता है तब, इस तथ्य को सामने लाया जाता कि हिन्दी शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत-संज्ञा 'सिन्धु' से हुई है। ज्ञातव्य है, सिन्धु हमारी महानदी (नद) का नाम है। यह महानदी जिस अधिकतर प्रदेश (भूभाग) में बहती है उसी अविभाजित भारतीय-प्रान्त का नाम 'सिन्ध' पड़ा; जो विभाजन के बाद, अब पाकिस्तान का सिन्ध-सूबा है। और इसी सिन्ध-प्रान्त के लोगों को 'सिन्धी' नाम से जाना जाता था। आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर इस सिन्ध या सिन्धी का हिन्दी संज्ञा से क्या सम्बन्ध है ... ? आइए, पहले इस पर विचार कर लें ... हम जानते हैं अविभाजित भारत विशाल प्रदेश था जिसकी पश्चिमी सीमा से सिन्ध प्रान्त लगा हुआ था। तुर्किस्तान के निवासी तुर्क-मुग़ल (मुग़ल / मुसलमान) इसी प्रदेश–द्वार से 711–712 ई. में मुहम्मद बिन क़ासिम की अगुआई में, सिन्ध के सनातनी-हिन्दु / हिन्दू वैष्णवधर्मी राजा ड़ाहिर (दाहिर) को पराजित कर सिन्ध प्रान्त में दाखिल हुए। जब तुर्कों ने इस प्रान्त को सिन्ध के नाम से जाना तो उन्होंने इसका (सिन्ध) उच्चारण हिन्द (कर) के रूप में किया, चूँकि मुग़लों की भाषा फ़ारसी (परशी), ईरानी की उपशाखा) में 'स' ध्वनि का उच्चारण 'ह' के रूप में किया जाता है , अतः सिन्ध > हिन्द बना और सिन्धुनद का इलाका सिन्धुस्थान > हिन्दुस्तान (सिन्धु > हिन्दू–हिन्दु) बना। इसी आधार पर, सिन्धुनद के आसपास रहने वाले सिन्धी निवासियों को हिन्दी (परशी में) कहा जाने लगा। इसी प्रकार, सप्त > हफ्त बनकर, सप्ताह > हफ़्ता बना। (भाषाविज्ञान – भोलानाथ तिवारी, 1967, किताबमहल, इलाहाबाद, पृ. 165 एवं सामान्य भाषाविज्ञान – बाबूराम सक्सेना, 1961, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, पृ. 350)। आगे चलकर, यही हिन्दी भारत की प्रमुख सम्पर्क भाषा एवं राजभाषा बनी। आइए, इन्हीं सन्दर्भों में अब हम हिन्दी शब्द के व्यापक भाषिक अर्थ को समझते हुए उसे परिभाषित करने का प्रयास करें ...

## 2.1.2.3. हिन्दी शब्द : अर्थ और परिभाषा

पिछले मुद्दे में हमने जाना कि हिन्दी शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के सिन्धु शब्द से हुई है एवं 'सिन्धु' नदी (नद) – इलाके के आसपास बसे 'सिन्धी' निवासियों को 'हिन्दी' कहकर सम्बोधित किया गया। परन्तु, यहाँ हमारा तात्पर्य उस हिन्दी-शब्द (विशेषण / संज्ञा हिन्दी / हिन्दवी – पदबंध) से है जिसे हम एक भाषा के रूप में जानते हैं। अब इसी परिप्रेक्ष्य में यह समझा जाए कि 'हिन्दी' शब्द अपनी भाषाई व्यापकता के साथ किस प्रकार भाषाविदों / लेखकों / बुद्धिजीवियों द्वारा परिभाषित होता हुआ आया है ?

(i) प्रसिद्ध भाषाविद् भोलानाथ तिवारी ने, शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित खड़ीबोली के देवनागरी लिपि में लिखित साहित्यिक रूप को हिन्दी कहकर सम्बोधित किया । इसी हिन्दी-रूप को भारत की राज्यभाषा* (* वास्तव में इसका तात्पर्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 (1) में निर्दिष्ट राजभाषा से है ।) के रूप में इंगित किया । संशोधित अरबी-लिपि में लिखे जाने वाले खड़ीबोली-भाषाई रूप को उर्दू कह कर परिभाषित किया । और आगे चलकर हिन्दी-उर्दू के इसी मिले-जुले रूप को, हिन्दुस्तानी+ (+ जिसका उल्लेख, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में भी आया है) कहा गया; (भाषाविज्ञान, लेखक : भोलानाथ तिवारी; किताब महल, इलाहाबाद; सं. 1967, पृ. 201) ।

(ii) हिन्दी को लेकर, चर्चित भाषाविद् बाबूराम सक्सेना का मत है कि "भाषाविज्ञानी इस शब्द को एक अर्थ में इस्तेमाल करते हैं, साहित्यिक दूसरे में। यह; बिहार, संयुक्त प्रदेश(उत्तरप्रदेश के आसपास का इलाका), मध्यप्रदेश हिमालय के पहाड़ी प्रान्त तथा पंजाब की साहित्यिक भाषा है ... । हिन्दुस्तानी के दो साहित्यिक रूप हैं, देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी (खड़ीबोली) और संशोधित – अरबी लिपि में लिखित उर्दू (सामान्य भाषाविज्ञान, लेखक : बाबूराम सक्सेना, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, सं. 1961, पृ. 374)

(iii) सुप्रसिद्ध भाषाविज्ञानी अशोक केलकर ने हिन्दी-उर्दू के इसी मिले-जुले रूप का 'हिर्दू' नामकरण किया, (Studies In Hindi-Urdu; by Ashok R. Kelkar, Deccan College Poona, 1968, pg. 2) ।

(iv) ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में भी हिन्दी (संज्ञा-पदबंध) को स्वतन्त्र रूप से न लेकर, उसे उर्दू (संज्ञा-पदबंध) के साथ जोड़कर, ('नोट* देकर') कुछ इस तरह व्याख्यायित किया है – "Hindi-Urdu (* = i.e. In historical linguistics, to mark forms that are * reconstructed, not directly attested) * Indo-Aryan, native to a large area centered on the valley of upper Ganges, but spoken more widely across the north of the Indian subcontinent. The national language of Pakistan, where called Urdu and written in Arabic script derived through Persian, and one of the national languages of India, where called Hindi and written by non-Muslims in Devanagari. Distinct from other modern Indo-Aryan languages since around AD 1000 and with a literature from the 12th century" (The Concise Oxford Dictionary of Linguistics, ed. By P.H.MATTHEWS, Oxford University Press, Great Britain; UK, 2007, pg. 176)

(v) आज के सन्दर्भों में हिन्दी के सुप्रसिद्ध मनीषी साहित्यकार निर्मल वर्मा ने हिन्दी को लेकर कुछ इस प्रकार का विमर्श रखा है – "मेरे लिए हिन्दी सिर्फ एक भाषा ही नहीं है, अन्य भाषाओं में से एक, बल्कि इससे कहीं अधिक बढ़कर वह मेरे सांस्कृतिक विरासत की अनमोल निधि रही है, जिससे मैंने 'भारतीय' होने की पहचान अर्जित की है । वह मेरे लिए महज अभिव्यक्ति का माध्यम न होकर मेरे 'होने' का साक्षी रही है ।" (चेतना का आत्मसंघर्ष, हिन्दी की इक्कीसवीं सदी, हिन्दी उत्सव ग्रन्थ –

2007; सं. : डॉ० कन्हैयालाल नन्दन, भारतीय भाषा संस्कृति सम्बन्ध परिषद्, नयी दिल्ली–11002, 'हिन्दी का आत्मसंघर्ष' – निर्मल वर्मा, पृ. 97)

उपर्युक्त परिभाषाओं में आप हिन्दी शब्द के प्रयोजनमूलक अर्थ की व्यापकता को समझ सकते हैं। ज़ाहिर है, हिन्दी पदबंध मात्र एक भाषिक वैयाकरणिक इकाई न होकर, साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक आदि नाना सन्दर्भों में प्रयुक्त एक अवधारणात्मक इकाई है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 में बखूबी रेखांकित किया गया है; यथा – "संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्थानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं (*) में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्दभण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।" {(*) सम्प्रति 22 भाषाएँ)} आइए, अब हम हिन्दी शब्द के अवधारणात्मक अर्थ पर विचार करें।

### 2.1.2.4. हिन्दी शब्द की अवधारणात्मक व्याख्या

वर्तमान सन्दर्भों में 'हिन्दी' पदबंध अपने अवधारणामूलक अर्थ को काफी व्यापकता से ग्रहण किए हुए है। इसे भाषाविज्ञान में प्रयुक्त 'प्रयोजनमूलक भाषा-रूप' के तकनीकी अर्थों (Specific–features) के सन्दर्भों को लेकर हमें, विशेष परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है; यथा – भारत में, हिन्दी की प्रकार्यात्मक-अवधारणा (Functional-Concept) कई कार्य-क्षेत्रों पर टिकी हुई है। मसलन जहाँ, हमारे (भारत के) सांवैधानिक प्रावधानों (भाग–17) के अनुसार, अलग-अलग सन्दर्भों में हिन्दी, राजभाषा (Official-Language) एवं सामासिक-संस्कृति की सम्पर्क भाषा है; वहीं, साहित्यिक अभिव्यक्ति की एक प्रमुख भाषा होने के साथ-साथ विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों {मनोरंजन (रेडियो, सिनेमा, टी.वी.), खेलजगत्, बैंकिंग-बीमा, पर्यटन, चिकित्सा, आर्थिक, धार्मिक आदि} में, मौखिक एवं लिखित व्यावहारिक रूपों में प्रयुक्त हो रही है। हिन्दी के यही व्यावहारिक-प्रयुक्त भाषिक रूप, कार्य-प्रकृति की अवधारणा से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार नाना व्यावहारिक क्षेत्रों में प्रयुक्त हिन्दी का अवधारणात्मक रूप उसके मंतव्य / आशयिक प्रकार्य से जुड़ा हुआ है; जिसका अध्ययन-क्षेत्र बहुत व्यापक है। इस पर आगे के मुद्दों में चर्चा होगी।

हम यह जानते हैं, किसी भी विकसित भाषा के सम्प्रेषण के लिए लिपि का बहुत बड़ा महत्त्व होता है। बहरहाल आइए, इसी दिशा में हिन्दी की लिपि पर चर्चा हो जाए।

### 2.1.2.5. हिन्दी की लिपि

(क) **हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि –** हम जानते हैं किसी बोली के लिए (अपनी) लिपि का होना ज़रूरी नहीं है, परन्तु किसी विकसित भाषा के लिए अपनी लिपि का होना आवश्यक है। चूँकि, हिन्दी एक विकसित भाषा है, अतः देवनागरी के रूप में उसकी अपनी एक लिपि है। 21वीं सदी की हिन्दी,

निश्चित रूप से 14वीं सदी की हिन्दी के रूप से विकसित होकर, अब आवश्यकतानुसार अपना एक परिवर्धित (Enlarged/Additional)-परिवर्तित लिखित (लैपिक / Scripted) रूप ले चुकी है। जिसे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद343 (1) में, निर्दिष्ट देवनागरी लिपि के प्रयोग के साथ राजभाषा के रूप में अधिकृत किया गया है। साथ ही संविधान के 351 अनुच्छेद के अनुसार हिन्दी को भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम भी माना गया है।

आप इस तथ्य से अवगत होंगे कि देवनागरी, प्राचीन ब्राह्मी लिपि की वंशज है। और, ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला, तत्कालीन भारत की राष्ट्रीय-वर्णमाला के रूप स्थापित थी। इसी से, सातवीं शताब्दी में नागरी लिपि प्रस्फुटित होकर दसवीं सदी आते-आते अपनी परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुई और उत्तर भारत की कई भाषाओं / बोलियों की लिपि बनी। (सन्दर्भ : देवनागरी – विकास, परिवर्धन और मानकीकरण, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार, 1974, पृ. 7–9) सम्भवतः यही कारण है कि आज भी देवनागरी को राष्ट्रलिपि बनाने की पैरवी की जाती है। (सन्दर्भ : "चेतना का आत्मसंघर्ष – हिन्दी की 21वीं सदी", लेख : 'देवनागरी बन सकती है राष्ट्रलिपि, लेखक : डॉ० रामरंजन परिमलेंदु', सं. कन्हैयालाल नन्दन; प्रकाशक : भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्, नयी दिल्ली, 2007, पृ. 161–168)। अपनी अक्षरात्मक, एवं आज के सन्दर्भों में अपनी अर्जित-ध्वन्यात्मक-परिवर्धित और मानकीकृत लिपि-चिह्नों की विशेषताओं के कारण यह लिपि 21वीं सदी में पूर्ण रूप से वैज्ञानिक लिपि बनकर स्थापित हुई है।

(ख) **वर्तमान सन्दर्भ और देवनागरी –** 21वीं सदी में विकसित-कंप्यूटर / स्मार्ट-फोन आदि के अटलनीय प्रयोग से, हिन्दी को भी अपेक्षित आवश्यकतानुसार तैयार करने के लिए इसकी देवनागरी लिपि में भी परिवर्धन / परिवर्तन करने की सामयिक आवश्यकता आन पड़ी। अतः इसी परिप्रेक्ष्य में, भाषा-विशेषज्ञों के पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद, भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा, 1980 में, देवनागरी लिपि का परिवर्धन / परिवर्तन रूप स्वीकृत किया गया। जिसे 1983 में, 'देवनागरी लिपि तथा हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण' नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया। साथ ही, विकसित-कंप्यूटर / स्मार्ट–फोन आदि के अटलनीय प्रयोग को लेकर, हिन्दी को भी अपेक्षित आवश्यकतानुसार तैयार करने के लिए, इसे मानक देवनागरी लिपि के प्रयोग के लिए यूनिकोड जैसी तकनीक से जोड़ा गया है। इसमें, यूनिकोड (Unicode), प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष संख्या प्रदान करता है। चाहे कोई भी कम्प्यूटर प्लेटफॉर्म / प्रोग्राम अथवा कोई भी भाषा हो उसे, मंगल-फ़ॉण्ट को लेकर हिन्दी (देवनागरी लिपि) के लिए, एक ओपनटाइप यूनिकोड फ़ॉण्ट, (जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफॉल्ट हिन्दी फ़ॉण्ट है जिसे, यूजर इंटरफेस फ़ॉण्ट के तौर पर डिजाइन किया गया है) के रूप में तैयार किया गया है। इसे, विंडोज़ ऍक्सपी तथा इसके उत्तरोत्तर संस्करणों (विंडोज़ विस्ता, विंडोज़–7 आदि) में, इण्डिक टैक्स्ट, जो रोमन लिपि के आधार पर देवनागरी एवं रोमन लिपि के वैकल्पिक समर्थन हेतु उपलब्ध करवाया गया है। यह, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली सभी भाषाओं जैसे, हिन्दी, मराठी, नेपाली तथा संस्कृत हेतु विंडोज़ का डिफॉल्ट फ़ॉण्ट है। यह माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा विकसित तथा मैंटेन किया जाता

है। इसके लिए – "आप रोमन में टाइप करें, स्पेस दबाएँ, यह (मेटर) देवनागरी-हिन्दी में परिवर्तित हो जाएगा।" यथा – Vishvavidyalay > विश्वविद्यालय।

चूँकि इस पद्धति में आधार रोमन लिपि है, अतः अपेक्षित शब्द* टाइप करने पर, पहला शब्द रोमन में होगा, और ध्वनि के आधार पर उसके विकल्प सामने आएँगे। उनमें से, अपेक्षित शब्द को चुनना / क्लिक करना होता है; यथा – * 'kam टाइप करने पर > कम, काम, कं, कां' जैसे विकल्प सामने आएँगे, इनमें से अपेक्षित शब्द जैसे, काम चाहिए तो काम पर क्लिक करना होगा। और वही (चयनित) शब्द अन्तिम रूप से मसौदे में रहेगा। (सन्दर्भ < indiatyping.com/index.php/hindi–typing >;< indiatyping.com/…/typing…/mangal–font–remington–k.. >) गूगल से चूँकि, हिन्दी भारत की राजभाषा है; अतः, वैधानिक रूप से भी इसकी वर्णमाला में सर्वत्र एकरूपता रहे; इसके लिए वर्णमाला का मानकीकरण किया गया है। इसमें अंग्रेजी की भाँति स्वर (vowels) और व्यंजन (consonants) होते हैं। व्यंजनों में एक वर्ग संयुक्त व्यंजनों(consonant cluster) का भी होता है। भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित 'देवनागरी लिपि तथा हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण' (2016) नामक पुस्तिका (पृ. 3–4) में यह जानकारी दी गई है जो, इस प्रकार है –

**स्वर –**

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ

स्वर-वर्ण चिहन एवं उनके व्यंजनों के साथ जुड़ने पर, उनके मात्रा-प्रतीक-रूप (चिह्न)* तथा उनसे बनने वाले शब्द-रूप; उदाहरणार्थ, व्यंजन 'क' + के साथ, स्वर–वर्ण चिह्न (मात्रा-प्रतीक-रूप) जुड़ने पर उनका शब्दरूप @ –

| | | |
|---|---|---|
| आ | (ा) * –> + –> @ –> (क+ा) = | का – काका |
| इ | (ि) –> | कि – किताब |
| ई | (ी) –> | की – कील |
| उ | (ु) –> | कु – कुमार |
| ऊ | (ू) –> | कू – कूटनीति |
| ऋ | (ृ) –> | कृ – कृषक |
| ए | (े) –> | के – केला |
| ऐ | (ै) –> | कै – कैसे |
| ओ | (ो) –> | को – कोयल |
| औ | (ौ) –> | कौ – कौन |

**व्यंजन –**

क, ख, ग, घ, ङ.
च, छ, ज, झ,ञ
ट, ठ, ड, ढ, ण
त, थ, द, ध, न
प, फ, ब, भ, म
य, र, ल, व
श, ष, स, ह
ड़, ढ़
संयुक्त व्यंजन: क्ष, त्र, ज्ञ, श्र

संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। यथा – क्ष, त्र, ज्ञ और श्र।

क्+ष=क्ष, त्+र्=त्र, ज्+ञ=ज्ञ, श्+र्=श्र

आधुनिक हिन्दी में / ज्ञ / का उच्चारण ग्य होता है।

इसे, यूनिकोड के सन्दर्भों में हम, अधिक विस्तार से "Standardization / Revision of Unicode Standard for Devanagari Script-Code Chart – विश्वभारत@tdil, Publisher : Ministry of Communication & Information Technology; Dept. of Information Technology, CGO Complex, New Delhi–110003, Jan. 2002 (4), पृ. 26" वेब – http://tdil.mit.gov.in पर, भी देख सकते हैं।

हिन्दी भाषा, हिन्दी-शब्द की व्युत्पत्ति / अर्थ-अवधारणा एवं हिन्दी लिपि पर विचार करने के उपरान्त आइए हम, हिन्दी के प्रयोगात्मक रूप एवं क्षेत्र को जानें।

## 2.1.3. हिन्दी के प्रयोगात्मक रूप एवं क्षेत्र

भारत के संविधान में (भाग –17 में) संघ की राजभाषा के रूप में, हिन्दी का उल्लेख आता है। जबकि, इसी संविधान के अनुच्छेद 351 में 'हिन्दुस्तानी' का भी ज़िक्र आता है। अतः, समाज, वाणिज्य, मनोरंजन, पर्यटन, शिक्षण आदि कार्य / व्यावहारिक क्षेत्रों में हिन्दी, भारत की प्रमुख सामासिक सम्पर्क भाषा के रूप में, देश तथा विदेशों में प्रयुक्त होकर एक प्रमुख भाषा के रूप में पहचान बना चुकी है। इस कारण हिन्दी के प्रयोग की कई भूमिकाएँ सामने आई हैं। हिन्दी-प्रयोगी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, हिन्दी के प्रशिक्षण / शिक्षण की आवश्यकतानुसार, हिन्दी के प्रयोजनमूली रूपों को विकसित किया गया। चलिए, इस दिशा में आगे बढ़ें ...

## 2.1.3. हिन्दी भाषा-रूप : राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय

किसी भी भाषा का प्रयोगात्मक भाषिक रूप कई घटकों को लेकर, अलग-अलग व्यावहारिक क्षेत्रों का आधार पाकर पनपता है। भाषा प्रयोग का भौगोलिक क्षेत्र चाहे गाँव, प्रदेश, राष्ट्र या अन्तर्राष्ट्रीय हो परन्तु उसके व्यावहारिक-प्रयोग के मूलभूत आधास्स्तम्भ लगभग समान रहते हैं; मसलन; सामाजिक, आर्थिक (वाणिज्यिक), धार्मिक, शैक्षणिक (साहित्य / विज्ञान-तकनीकी / कला), राजनैतिक आदि उपक्षेत्र। इन्हीं क्षेत्रों / उपक्षेत्रों के अनुसार किसी भाषा का स्थानीय / राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय रूप गढ़ता चला जाता है। इसी दिशा में हिन्दी को सामने रखकर बात की जाए ...

(क) **हिन्दी का राष्ट्रीय रूप –** 'राष्ट्र' या 'देश' अवधारणामूलक शब्द हैं, जबकि 'प्रदेश' / 'राज्य' एक ठोस भौगोलिक इकाई के रूप में प्रयोग में आता है। ज्ञातव्य है, भारत के संविधान में 'राष्ट्र' अथवा 'देश' जैसी संकल्पना उल्लिखित नहीं हुई है। परन्तु, हमारे संविधान में, 'राज्य' अथवा 'प्रदेश' / 'प्रादेशिक' जैसी संकल्पना / अवधारणा का, भाग 1 के अनुच्छेद (1) "भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों (States) का संघ होगा" एवं संविधान की अनुसूची छठी, 2 में 'प्रदेश' / 'प्रादेशिक' (Region / Regional) संज्ञा-पदबंधों (पारिभाषिक-शब्दों) जैसी ठोस भौगोलिक इकाई का, स्पष्ट उल्लेख हुआ है। अतः इन्हीं सांवैधानिक-तकनीकी सन्दर्भों में कहा जा सकता है कि राष्ट्रगान / राष्ट्रगीत / राष्ट्रध्वज / राष्ट्रीय पक्षी / पशु / पुष्प आदि भाषिक-पदबंध, ठोस भौगोलिक इकाई न होकर एक अवधारणामूलक भाषिक-पदबंध हैं। इन्हीं सन्दर्भों में हमें, हिन्दी के राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय-भाषिक रूप को समझना होगा –

(i) **राजभाषा –** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 (1) में, निर्दिष्ट देवनागरी लिपि के प्रयोग के साथ राजभाषा (Official Language) के रूप में अधिकृत किया गया है। जिसका प्रयोग भारत सरकार / सरकारों की राजभाषा-नीति, उसके नियमों, अधिनियमों / आदेशों आदि के अनुसार प्रयोजनमूलक भाषा (रूप / प्रयोग) के आधार पर किया जाता है। संक्षेप में यह भाषारूप अधिकतर कर्मवाच्य-वाक्यों में तकनीकी-पारिभाषिक शब्दावली के प्रयोगों पर टिका होता है। इसे विस्तार से प्रयोजनमूलक हिन्दी पाठ्यचर्या के खण्ड–1 की इकाइयों में समझाया गया है।

(ii) **अन्य अनुप्रयोगात्मक / व्यावहारिक हिन्दी रूप –** इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। भारत के सामाजिक, आर्थिक (वाणिज्यिक), धार्मिक, शैक्षणिक (साहित्य / विज्ञान-तकनीकी / कला / मीडिया), मनोरंजन, खेल, पर्यटन, राजनैतिक आदि क्षेत्रों / उपक्षेत्रों में प्रयुक्त हिन्दी-भाषा रूप / प्रयुक्तियाँ, इसी के अन्तर्गत आएँगे। इसके हर विषयक बिन्दु के अनुसार भाषा-शैक्षणिक स्वरूप अलग-अलग होगा। यथा – सामाजिक सन्दर्भों में परिस्थिति और सम्बन्धों के आधार पर; आप, तुम, तू, जैसे सर्वनामों, तदनुसार क्रियाओं – (आप) बैठ जाइए, (तुम) बैठ जाओ, (तू) बैठ जा एवं मनोभावों के अनुसार टोन (आदरसूचक मृदु या तटस्थ / रूखा अथवा उदासीन / अनादर भाव से भरा तीखा) का प्रयोग होगा। उसी प्रकार, पूर्व-उल्लखित अन्य व्यावहारिक क्षेत्रों के अनुसार भाषिक रूप अलग-अलग होंगे। अगर सरकारी आँकड़ों पर जाएँ तो पाएँगे कि हमारे देश में लगभग 179

भाषाएँ, 544 बोलियाँ, 1652 मातृभाषाएँ हैं। परन्तु भारत में हिन्दी बोलने और समझने वालों की संख्या के सन्दर्भ में, हिन्दी का भाषिक-व्यावहारिक भौगोलिक क्षेत्र बहुत व्यापक (प्रथम स्थान पर, जनसंख्या का लगभग 70%) है। इस आधार पर, हिन्दी के भाषिक रूपों प्रयोजनमूलक हिन्दी पाठ्यचर्या (खण्ड–1) की इकाइयों में पर्याप्त चर्चा की गई है; साथ ही इसी पाठ के आगे के मुद्दों में, इस पर बात की जाएगी।

(iii) **अन्तर्राष्ट्रीय–भाषिक रूप –** यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार, विश्व की लगभग 6000 भाषाओं / बोलियों में, बोलने और समझने वालों की संख्या के सन्दर्भ में विश्व की तीन सबसे बड़ी भाषाएँ, चीनी / मंदारिन, हिन्दी और अंग्रेजी हैं। भारत सरकार के राजभाषा विभाग और मीडिया के कई प्रकाशनों / माध्यमों में यह तथ्य सामने आया है कि विश्व के लगभग 140 विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाती है। इसमें, भारतीय / हिन्दी साहित्य, भारतीय संस्कृति एवं सम्पर्क / व्यावहारिक भाषा को जानने / समझने के प्रयोजन से हिन्दी के अध्यापन की राह प्रशस्त हुई है।

इसी दिशा में अब हम, सम्प्रेषण के माध्यमों और विभिन्न विषय क्षेत्रों को ध्यान में रख कर हिन्दी के अनुप्रयोगात्मक रूपों पर बात करेंगे।

## 2.1.3. माध्यम तथा विषयगत हिन्दी प्रयोग

हरेक भाषा-रूप (पारम्परिक-मौखिक / मुद्रित, आकृति / रंग, आंगिक, वास्तु, गायन-वादन-नृत्य आदि) को, अपने निहित सन्देश को सम्प्रेषित करने के लिए किसी न किसी माध्यम (मानवीय-यान्त्रिक जैसे; मुद्रित-लेखन (पुस्तकें-पत्र-पत्रिकाएँ आदि), दृश्य (चित्र, मूक-आंगिक क्रियाएँ आदि), श्रव्य (वक्तव्य, गायन / वादन-संगीत, रेडियो आदि), दृश्य-श्रव्य (नृत्य, सिनेमा, टी.वी., कंप्यूटर आदि) और मंतव्य / विषयवस्तु का सहारा लेना पड़ता है। इसी आधार पर, इनमें प्रयुक्त भाषा-रूप, सम्प्रेषण-शैली आदि भी देशकाल और अन्य घटकों के अनुसार बदलते हैं। इन्हीं मानकों / सिद्धान्तों के आधार पर, हिन्दी के भाषागत प्रयोग अपना भाषिक विधान रचते हैं। और, उसी आधार पर उनके प्रयोजनी-भाषा के अध्ययन-अध्यापन की राह खुलती है। निश्चित रूप से हिन्दी के इन प्रयोगी रूपों को सीखने / सिखाने के लिए विशेष कौशलों (Skills) की आवश्यकता होती है। इनकी, आगे चल कर यथास्थान चर्चा की जाएगी।

## 2.1.3. सरल / क्लिष्ट हिन्दी-रूप

कोई भी भाषा सरल या क्लिष्ट नहीं होती। भाषा या तो सम्प्रेषणीय (Communicative / आसानी से समझ में आने वाली / परिचित) या अ-सम्प्रेषणीय (Non-Communicative / आसानी से न समझ में आने वाली / अपरिचित) होती है। ज़ाहिर है, सम्प्रेषणीय भाषा श्रोता / पाठक को सरल और अ-सम्प्रेषणीय कठिन लगेगी। सामान्य विषय-वस्तु के लिए, सम्प्रेषणीय भाषा में उन शब्दों पदबंधों का प्रयोग किया जाता है, जिनकी लक्षित श्रोता / पाठक के बीच अधिक आवृत्ति (Frequency) रहती है। कथित आवृत्तियों का निर्धारण देश-काल की परिस्थितियों के अनुसार (आधार पर) होता है; तदनुसार, भाषाई प्रयोग सामने आते हैं।

इसी परिप्रेक्ष्य में हिन्दी-रूप की बात करने पर, हमें ध्यान में रखना होगा कि एक तरफ जहाँ, हिन्दी सामासिक भारतीय / वैश्विक समाज की सम्पर्क-भाषा है, वहीं दूसरी ओर यह, साहित्य / कला / विज्ञान / उद्योग आदि विषयों के सन्दर्भों में विशेष-उद्देश्य / प्रयोजनमूलकता को लेकर एक तकनीकी भाषा भी है । अतः विषयवस्तु के आधार पर अगर हम उस हिन्दी भाषा रूप का प्रयोग करते हैं जिसकी आवृत्ति लक्षित पाठक / प्रयोक्ता वर्ग में अधिक है तो, सरल सम्प्रेषणीय हिन्दी भाषा का मक़सद पूरा हो जाता है। जैसे, किसी से मिलने पर हम पूछ सकते हैं … आप कैसे हैं ?, (कहिए) क्या हाल (चाल) हैं ?, सब ठीक चल रहा है ?, कुशल मंगल … ?, कुशल क्षेम ... ?, सब खैरियत ... ?, कहिए, कैसे मिज़ाज हैं ?, Hallo, Hi ..., OK ...?, आदि । हम समझ सकते हैं कि लखनऊ अंचल में, > सब खैरियत (है) ... ?, कहिए, कैसे मिज़ाज हैं ?, (कहिए) क्या हाल (चाल) हैं ?, का प्रयोग अधिक मिल सकता है । वहीं, वाराणसी / इलाहबाद में > कुशल मंगल ... ?, कुशल क्षेम ... ?, आप कैसे हैं ? या महानगरों मुंबई आदि में हेलो / हाइ जैसे पदबंधों / वाक्यांशों का प्रयोग सहजता से मिल सकता है। यहाँ ऐसा हो सकता है कि वाराणसी / इलाहबाद की हिन्दी मुंबईकरों को क्लिष्ट लगे, और मुंबई की हिन्दी > “मैं तो आखा मुंबई घूमा” (आखा=पूरा) या “काइ कू खाली-पीली बोम मारता है ?” (क्यों बेकार में चिल्ला / गुस्सा / नाराज़ हो रहे हो ... ?)”, वाराणसी / इलाहबादियों को गँवारू (Funny) लगे । उसी प्रकार हैदराबादी हिन्दी या कल्कत्तिया हिन्दी अपने-अपने अंचलों में एक बढ़िया सम्प्रेषणीय भाषा का काम कर रही है।

ठीक इसी प्रकार, हिन्दी के राजभाषाई रूप या साठ-सत्तर के दशकों तक प्रयुक्त आकाशवाणी-हिन्दी समाचारों की भाषाई क्लिष्टता को लेकर काफी आलोचना होती रही । भारत सरकार ने इसे सरल बनाने के लिए परिपत्र भी जारी किए । अब चूँकि, अपने विस्तृत प्रयोग-क्षेत्र के कारण हिन्दी, मीडिया, खेल, पर्यटन, वाणिज्य (बैंकिंग / बीमा / विपणन), राजनीति आदि में एक भाषाई-उद्योग का रूप ले चुकी है, अतः इसके सरल / प्रयोजनमूलक-सम्प्रेषणीय रूप पर ज्यादा बल दिया जा रहा है।

आइए, अब इसी दिशा में हिन्दी के अध्ययन / अध्यापन को लेकर विचार किया जाए।

## 2.1.4. प्रयोगात्मक हिन्दी : अध्ययन/अध्यापन

प्रस्तुत पाठ के पूर्व मुद्दे में हमने हिन्दी के प्रयोगात्मक सक्रिय क्षेत्रों ** जैसे, सामाजिक-सम्पर्क / व्यवहार, आर्थिक (वाणिज्यिक {बैंकिंग / बीमा / उपभोक्ता-जिंसों आदि से सम्बन्धित विपणन (Marketing)}), धार्मिक, शैक्षणिक (साहित्य / कला / विज्ञान तकनीकी / मीडिया आदि), मनोरंजन, खेल, पर्यटन, राजनैतिक आदि क्षेत्रों / उपक्षेत्रों, की चर्चा की है। चलिए, इन व्यावहारिक-क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि / आज /, 21वीं सदी में हिन्दी के अध्ययन / अध्यापन / अनुप्रयोग की क्या स्थिति है ?

## 2.1.4. हिन्दी अनुप्रयोग और अध्ययन/अध्यापन

सम्प्रति, हमारे देश में, लगभग 864 विश्वविद्यालय, 25 हजार महाविद्यालय और लाखों की संख्या में C.B.S.C., लगभग उसी तरह के प्रणाली अन्य पाठ्यक्रम एवं राज्य सरकारों के अपने विद्यालय चलते हैं। इन सबमें किसी न किसी रूप में हिन्दी का अध्ययन / अध्यापन होता है। इसके अलावा विदेशों में लगभग 140 विश्वविद्यालयों तथा सैकड़ों की संख्या में इंडियनस्कूल्स में हिन्दी किसी न किसी रूप में पढ़ाई जाती है। यह खुला सत्य है कि हर चीज़, आवश्यकतानुसार एक जिन्स (Commodity) के रूप में अपनाई जाती है। आज एक जिन्स-भाषा के रूप में हिन्दी भी इससे अछूती नहीं है। तदनुसार हिन्दी का अध्येता / विद्यार्थी, आवश्यकता / प्रयोजनानुसार, इसके ज्ञान को एक उपभोक्ता (Consumer) के रूप में प्राप्त करना / सीखना चाहता है। आज, हिन्दी अध्ययन की बड़ी माँग इसी रूप में आ रही है। अतः माँग के अनुसार अब, शिक्षण संस्थाएँ, विभिन्न व्यावहारिक-क्षेत्रों ** को लेकर अलग-अलग अवधि (पूर्ण / अंश / तात्कालिक (Full / Short / Instant–Crush)) के पाठ्यक्रम चलाने की ओर अग्रसर हो रही हैं। जो संस्थाएँ (विश्वविद्यालय आदि) हिन्दी के नाम पर पारम्परिक तरीक़े से ढर्रे वाला साहित्य पढ़ा रही हैं वहाँ, विद्यार्थियों (उपभोक्ताओं) की संख्या तेजी से गिरती जा रही है और विभाग बन्द होते / सिकुड़ते जा रहे हैं। एक ओर हिन्दी एक भाषाई-उद्योग का रूप ले चुकी है और उसी रूप में उसके अध्यापन की माँग आ रही है, दूसरी तरफ हिन्दी विभाग बन्द होते / सिकुड़ते जा रहे हैं। यह विडम्बनापूर्ण स्थिति है।

दृश्य-श्रव्य माध्यमों के लिए समाचार-लेखन / वाचन, विज्ञापन-लेखन (Copy-writing), संचालन (Anchoring), पटकथा-लेखन, वृत्तान्त-लेखन / वाक्-प्रस्तुतिकार / खेल-वृत्तकार (Commentary-Writer / Commentator) पर्यटन-गाइड, विपणन-एजंट आदि क्षेत्र हैं जहाँ हिन्दी-प्रशिक्षित कर्मियों की बड़ी माँग है। अकेले रेडियो, सिनेमा, टी.वी. खेल (क्रिकेट आदि) पर्यटन आदि में, सैकड़ों की संख्या में हिन्दी-प्रशिक्षित कर्मियों के लिए रोजगार के अवसर हैं। चूँकि, प्राधिकृत शैक्षणिक संस्थाएँ इस दिशा में व्यावसायिक तरीके से काम नहीं कर रही हैं, अतः निजी रूप से कुछ लोग आधी-अधूरी जानकारी देकर इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं।

इस तरह के हिन्दी ज्ञान / कौशल के अधिगम (Learning) और अध्यापन (Teaching) के लिए एक विशेष प्रकार की भाषा-तकनीक (शब्द / वाक्य-विन्यास / उच्चारण-प्रस्तुति आदि) की माँग करता है। अगले मुद्दे में हम इसी पर चर्चा करेंगे।

## 2.1.4. 21वीं सदी और हिन्दी शिक्षण

प्रौद्योगिकी के विस्फोट से 21वीं सदी; समय, स्थान, माँग और गति को लेकर आगे बढ़ रही है। इस दिशा में, हिन्दी शिक्षण को मुख्यतः तीन आधार-मुद्दों को ध्यान में रख कर आगे बढ़ना होगा, यथा –

(i) 21वीं सदी की आवश्यकतानुसार साहित्य के अलावा, विभिन्न विषय-वस्तुओं पर आधारित प्रयोजनात्मक-अवधारणामूलक-पाठ्यक्रमों (जैसे, समाचार-लेखन / वाचन, विज्ञापन-लेखन

(Copy-writing), संचालन (Anchoring), पटकथा-लेखन, वृत्तान्त-लेखन / वाक्-प्रस्तुतिकार / खेल-वृत्तकार (Commentary-Writer / Commentator) पर्यटन-गाइड, विपणन-एजंट, प्रशासनिक हिन्दी आदि।) को चलाना।

(ii) पारम्परिक शिक्षण-माध्यमों (चॉक-टॉक-मॉडेल-चित्र आदि) के साथ आधुनिक दृश्य-श्रव्य माध्यमों (जैसे, सिनेमा / टी.वी. / कंप्यूटर / मोबाइल आदि) एवं

(iii) प्रत्यक्ष-जीवन्त फील्ड-माध्यमों (Outing-Live-Objects) द्वारा, प्रायोगिक / व्यावहारिक / यथार्थधारित (Practical / Virtual) हिन्दी शिक्षण देना।

चूँकि, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिन्दी आयामों तदनुसार अनुप्रयोगों को लेकर, राजभाषा और अन्य विषयक-क्षेत्रों में विमर्श आरम्भ हो चुका है अतः अब, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिन्दी को स्थापित करने के लिए उपर्युक्त मुद्दों पर संज्ञान लेकर, एक ओर जहाँ प्रयोजनमूलक पाठ्यक्रमों के निर्माण की आवश्यकता बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर, इन पाठ्यक्रमों पर आधारित हिन्दी में पाठ्यसामग्री लेखन / प्रकाशन की भी माँग है। इसके साथ ही, अध्यापन-शैली / तकनीक को भी नयी पद्धतियों के अनुसार धारदार-प्रयोजनमूलक बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में हिन्दी सम्बन्धित रोज़गार की भी बहुत सम्भावनाएँ सामने आ रही हैं। यह बहुत विशाल विषय-क्षेत्र है। अब हम, दृश्य-श्रव्य माध्यम के चैनल की एक मिसाल लेकर इस मुद्दे पर विराम देंगे ...

एक छोटी सी मिसाल –

(ज़ी – हिन्दुस्तान / इंडिया टी.वी. चैनल की रिपोर्ट-प्रस्तुति से; दि. 01.01.2018, समय : लगभग सायं 05.10 'सच्ची घटना', केपशनस ——>

**इंडोनेशिया में फटा माउंट सिनावुंग ज्वालामुखी/ 8000 फुट ऊँचा है ये ज्वालामुखी**

कमेंट्री : "पहला विस्फोट 90 सेकंड* तक चला जबकि दूसरा सात मिनट* तक चलता रहा; माउंट सिनावुंग का यह विस्फोट कोई नया नहीं है; चार सदी तक ये ज्वालामुखी शान्त रहा; ये ज्वालामुखी 8000 फुट ऊँचा है ..., इस ज्वालामुखी में 2010 में विस्फोट हुआ था; हालिया सालों में*, 2016 के मई महीने में इसमें विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में, सात लोगों की मौत हो गई थी;" ..., "इस ज्वालामुखी के पास एक, 2–1/2 मील के दायरे को एक डेंजर ज़ोन में बदल दिया गया है ...।"

इस क्लिप को देखते (दृश्य) और तदनुसार साथ-साथ चल रहे (जीवन्त) / Live) वृत्तान्त (कॉमेंट्री) को सुनते (श्रव्य) चले जाने के दौरान अगर उनका (पूरी सामग्री का) दृश्य-श्रव्य भाषिक मानकों के आधार पर विश्लेषण किया जाए तो हमें, भाषारूप (हिन्दुस्तानी / हिर्दू / हिंग्लिश), उच्चारण, लय / गति, दृश्य-प्रस्तुति (कैमरा-मूवमेंट्स) के साथ, दृश्यों में आने वाली वस्तुओं आदि को समेटते हुए, की / दी गई कॉमेंट्री के तालमेल आदि की कौशलीय-शैली, पकड़ में आ सकती है।

हम जानते हैं, आज टी.वी. के सैकड़ों चैनल अलग-अलग विषयों पर विभिन्न-प्रस्तुति-शैलियों में, हिन्दी में कार्यक्रम दे रहे हैं । उनमें प्रयुक्त हिन्दी रूप (प्रयुक्ति) पर ध्यान देने से ज्ञात होगा कि कथित कौशलीय हिन्दी रूप पर महारत हासिल करने के लिए किस प्रकार विशेष शिक्षण / प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है । यह, रोजगारोन्मुख-प्रयोजनमूलक हिन्दी के भाषिक-अध्ययन / अध्यापन का विषय है ।

## 2.1.5. पाठ-सार

प्रस्तुत पाठ के अन्तर्गत आपने जाना कि किसी भाषिक संरचना में शब्द का क्या स्थान होता है। हिन्दी-पदबंध की व्युत्पत्ति कैसे हुई ? यह एक अवधारणामूलक पदबंध है, जो सिन्धुस्थान > हिन्दुस्तान > हिन्दुस्तानी से होता हुआ हिन्दी के रूप में आया । एक परिपक्व भाषा के रूप में हिन्दी भाषा ने देवनागरी को अपनी लिपि के रूप में अपनाया । जिसे भारत के संविधान में राजभाषा-नीति के अन्तर्गत मान्यता मिली । साथ ही, प्रयोजनमूलकता के आधार पर इसके प्रायोगिक / तकनीकी रूपों की मानकता निश्चित हुई । 21वीं सदी की ज़रूरतों के अनुसार हिन्दी के विषयगत एवं मीडिया-माध्यमों-रूपों के अध्ययन / अध्यापन को लेकर भी विमर्श किया गया है; जिसे सोदाहरण स्पष्ट किया गया है । कुल मिलाकर, आप इस तकनीकी-ज्ञान को हासिल कर, इसके व्यावहारिक रूप को अनुप्रयोग में लाकर रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं ।

## 2.1.6. बोध प्रश्न

### लघु उत्तरीय प्रश्न

1. 'हिन्दी' शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई ?
2. भारत के संविधान में हिन्दी के लिए किस लिपि को मान्यता मिली है ?
3. हिन्दी-देवनागरी-लिपि हेतु, एक-ओपनटाइप-यूनिकोड का कौनसा फ़ॉण्ट है ?
4. Marketing के लिए हिन्दी में कौनसा शब्द है ?
5. सम्प्रेषणीय-भाषा का अर्थ क्या है ? सोदाहरण समझाइए ।

### दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. हिन्दी-पदबंध को परिभाषित करते हुए उसे समझाइए।
2. हिन्दी के प्रायोगिक क्षेत्रों पर लगभग 300 शब्दों की टिप्पणी लिखिए।
3. सरल / क्लिष्ट हिन्दी-रूपों से आप क्या समझते हैं ?
4. हिन्दी के रोजगारोन्मुख क्षेत्रों की जानकारी दीजिए।
5. 21वीं सदी में हिन्दी की आवश्यकता को रेखांकित कीजिए।

## 2.1.7. व्यावहारिक (प्रायोगिक) कार्य

किसी टी.वी. चैनल के 'हिन्दी समाचारों' को आधार बना कर एक उसमें प्रयुक्त हिन्दी-रूप को लेकर, समीक्षात्मक रिपोर्ट तैयार कीजिए।

## 2.1.8. उपयोगी / सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची


1. चेतना का आत्मसंघर्ष, हिन्दी की इक्कीसवीं सदी, हिन्दी उत्सव ग्रन्थ–2007, सं. डॉ॰ कन्हैयालाल नन्दन, प्रकाशक : भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध, नयी दिल्ली–110096
2. देवनागरी-विकास, परिवर्धन और मानकीकरण, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार, आर.के. पुरम्, नयी दिल्ली–110066 , मुद्रण 1974
3. देवनागरी लिपि तथा हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार, आर.के. पुरम्, नयी दिल्ली–110066, संस्करण– 2016
4. बहुवचन, हिन्दी का विश्व, प्रकाशक : महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा–442001, अंक : 46 (जुलाई–सितंबर 2015)
5. भाषा चिन्तन हिन्दी; एक भाषा-वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेखक : डॉ॰ सुरेन्द्र गंभीर, Institute of Language Study And Research, Philadelphia, 2007
6. भाषाविज्ञान, डॉ॰ भोलानाथ तिवारी, किताबमहल, इलाहाबाद, 1967
7. राजभाषा हिन्दी विवेचन और प्रयुक्ति; लेखक : डॉ॰ किशोर वासवानी , वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नयी दिल्ली–110002 , आवृत्ति 2012


**उपयोगी इंटरनेट स्रोत :**


1. http://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=18
2. http://www.hindisamay.com/
3. http://hindinest.com/
4. http://www.dli.ernet.in/
5. http://www.archive.org


❖❖❖

## खण्ड – 2 : हिन्दी भाषा-समुदाय

## इकाई – 2 : हिन्दी भाषा-समुदाय का वर्गीकरण

**इकाई की रूपरेखा**


2.2.0. उद्देश्य
2.2.1. प्रस्तावना
2.2.2. हिन्दी भाषा-समुदाय का वर्गीकरण
 2.2.2.1. हिन्दी क्षेत्र
  2.2.2.1.1. पश्चिमी हिन्दी
  2.2.2.1.2. पूर्वी हिन्दी
  2.2.2.1.3. राजस्थानी हिन्दी
  2.2.2.1.4. बिहारी हिन्दी
  2.2.2.1.5. पहाड़ी हिन्दी
 2.2.2.2. अन्य भाषा क्षेत्र
 2.2.2.3. भारतेतर क्षेत्र
2.2.3. पाठ-सार
2.2.4. बोध प्रश्न
2.2.5. व्यावहारिक (प्रायोगिक) कार्य
2.2.6. उपयोगी ग्रन्थ-सूची


### 2.2.0. उद्देश्य

प्रस्तुत पाठ का अध्ययन करने के उपरान्त आप –

i. हिन्दी भाषा-समुदाय के वर्ग मे आने वाली हिन्दी की बोलियों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे।
ii. हिन्दी क्षेत्र में हिन्दी की मुख्यतः अट्ठारह बोलियाँ बतायी जाती हैं, जिन्हें पाँच बोली वर्गों में इस प्रकार विभक्त किया जाता है – पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, राजस्थानी हिन्दी, पहाड़ी हिन्दी और बिहारी हिन्दी के सम्बन्ध में जान सकेंगे।
iii. अन्य भाषा क्षेत्र और भारतेतर क्षेत्र में बोली जाने वाली हिन्दी भाषा के बारे में जानकारी ले सकेंगे।

### 2.2.1. प्रस्तावना

भारत एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है जहाँ अनेक भाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं। इनमें सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिन्दी है। हिन्दी का व्यवहार क्षेत्र काफी विस्तृत है। भारत में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचलप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़, झारखण्ड तथा बिहार हिन्दी प्रदेशों के

नाम से जाने जाते हैं। इन क्षेत्रों में हिन्दी की अट्ठारह बोलियाँ और कई उप बोलियाँ बोली जाती हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी मॉरीशस, फ़िजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुयाना आदि देशों में भी हिन्दी बोली और समझी जाती है। ये सब मिलकर हिन्दी भाषाक्षेत्र को काफी विस्तार देते हैं। स्वाभाविक है कि जिस भाषा का क्षेत्र जितना विस्तृत होगा, उसके भाषिक रूप भी उतने ही अधिक होंगे। किसी भी भाषा के विकास को उसके प्रयोग क्षेत्र के विस्तार और विभिन्न रूपों में व्यवहार में होने के आधार पर आँका जा सकता है। हिन्दी का भाषिक परिवेश विलक्षण कहा जा सकता है क्योंकि सिर्फ बोलियाँ ही नहीं, हिन्दी की कई उपभाषाएँ, विभाषाएँ, शैलियाँ और प्रयुक्तियाँ भी हैं। अपनी बोलीगत, शैलीगत और प्रयुक्तिगत के साथ हिन्दी का व्यवहार-क्षेत्र अपने भाषा-समुदाय की सीमा-रेखाओं को पार करता हुआ पूरे भारत में व्याप्त है। हिन्दी के भाषिक रूपों के बनने के आधार भिन्न-भिन्न है। इन विविध रूपों, बोलियों, विभाषाओं, उपभाषाओं, शैलियों और प्रयुक्तियों से इसके मानक रूप को शक्ति मिलती है।

हिन्दी भाषा भारोपीय समुदाय की है, इसीलिए पृष्ठभूमि के रूप में यहाँ अलग से इस समुदाय पर कुछ विस्तार से विचार किया जा सकता है। इस समुदाय के एक ओर मुख्यतः भारत और दूसरी ओर यूरोप है, इसी आधार को पहले इसे भारत योरोपीय (Indian European) कहा गया। बाद में इसी का संक्षेप में 'भारोपीय' (Indo-European) कर लिया गया। यों तो इन दोनों के पूर्व इस समुदाय को इंडो जर्मनिक, इंडो केलटिक और आर्य आदि कई अन्य नामों से भी समय-समय पर पुकारा जाता रहा है। बीच में मूल भाषा से भारोपीय की तरह ही 'हिन्दी' को भी कुछ लोगों ने विकसित माना और इस आधार पर मूल भाषा को 'भारोपीय' के स्थान पर 'भारत-हिस्ट्री' (Indo-Hittitte) नाम दिया था, किन्तु बाद में यह मत अस्वीकृत हो गया। अब इस समुदाय को भारोपीय ही कहते हैं।

इस समुदाय के मूल स्थान के बारे में काफी विवाद रहा है तथा इस पर काम भी बहुत हुआ है। भारतीय विद्वान् इसका मूल स्थान भारत में मानते रहे हैं तो कुछ लोग मध्य एशिया की सीमा पर, आजकल ब्रांदेशताईन का मत सर्वाधिक मान्य है। जिन्होंने यूराल पर्वत के दक्षिण पूर्व में किर्गीज़ के मैदानी भाग को भारोपीय लोगों का मूल स्थान माना है। इस तरह 'मूल भरोपीय' जिन्हें भारोपीय भाषा-भाषी कह सकते हैं, किर्गीज़ में रहते थे। वहीं से धीरे-धीरे शाखाओं में विभक्त होकर ये लोग यूरोप और एशिया के विभिन्न देशों में पहुँचे और अब तो अफ्रीका, अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया में भी फैल गए हैं तथा पूरे यूरोप, एशिया, कनाडा, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया आदि में अंग्रेजी, फ़्रांसिसी, रूसी, स्पेनिश, फ़ारसी, संस्कृत, हिन्दी, मराठी, बंगला, गुजराती, कश्मीरी आदि भाषाओं के बोलने वाले के रूप में आज भी विद्यमान हैं।

## 2.2.2. हिन्दी भाषा-समुदाय का वर्गीकरण

एक भाषा का जन-समुदाय अपनी भाषा के विविध भेदों एवं रूपों के माध्यम से एक भाषिक इकाई का निर्माण करता है। विविध भाषिक भेदों के बीच अभिव्यक्ति की सम्भावना से भाषिक एकता का निर्माण होता है। एक भाषा के समस्त भाषिक-रूप जिस समुदाय में प्रयुक्त होते हैं, उसे उस भाषा का 'भाषा-समुदाय' कहते हैं।

प्रत्येक भाषा क्षेत्र में भाषिक भिन्नताएँ प्राप्त होती हैं, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भाषा की भिन्नताओं का आधार प्रायः वर्णगत एवं धर्मगत नहीं होता। एक वर्ण या एक धर्म के व्यक्ति यदि भिन्न भाषा क्षेत्रों में निवास करते हैं तो वे भिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं। हिन्दू-मुसलमान आदि सभी धर्मावलम्बी तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं तथा केरल में मलयालम। इसके विपरीत यदि दो भिन्न वर्णों या दो धर्मों के व्यक्ति एक भाषा क्षेत्र मे रहते हैं तो उनके एक ही भाषा को बोलने की सम्भावनाएँ अधिक होती हैं। हिन्दी भाषाक्षेत्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्व आदि सभा वर्णों के व्यक्ति हिन्दी का प्रयोग करते हैं। यह बात अवश्य है कि विशिष्ट स्थितियों में वर्ण या धर्म के आधार पर भाषा में बोलीगत अथवा शैलीगत प्रभेद हो जाते हैं। कभी-कभी ऐसी भी स्थितियाँ विकसित हो जाती हैं जिनके कारण एक भाषा के दो रूपों को दो भिन्न भाषाएँ समझा जाने लगता है।

आप जानते हैं कि हिन्दी भाषा का भौगोलिक विस्तार काफी दूर-दूर तक है जिसे मोटे तौर पर तीन क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है – (1) हिन्दी क्षेत्र, (2) अन्य भाषा क्षेत्र और (3) भारतेतर क्षेत्र।

### 2.2.2.1. हिन्दी क्षेत्र

हिन्दी मध्य भारत की सामान्य बातचीत की भाषा है। इसका विकास मध्यकालीन आर्यभाषा अपभ्रंश से हुआ। मध्य भारत के हिन्दीभाषी क्षेत्र को हिन्दी प्रदेश कहते हैं। इस प्रदेश में बोली जाने वाली अनेक स्थानीय बोलियाँ हैं। इन बोलियों के समूह को उपभाषाएँ कहते हैं। इन उपभाषाओं का सामूहिक नाम हिन्दी है। हालाँकि भाषा और बोली का वर्गीकरण औपनिवेशिक मानसिकता की देन है। जिन्हें बोलियाँ कहा जाता है वो तो हर मायने में हिन्दी से प्राचीन भाषाएँ हैं। लेकिन सामन्ती मानसिकता के विद्वानों ने इन मातृभाषाओं को बोली कहकर उसे हिन्दी की रैयत बना दिया। इस मामले में सभी पंथों के बुद्धिजीवी शामिल रहे हैं। तथाकथित बोलियों से ही हिन्दी समृद्ध हुई है अर्थात् इसमें कोई सन्देह नहीं होना चाहिए है कि बोलियाँ ही हिन्दी की ताकत हैं। बावजूद इसके हम हिन्दी को समझने के लिए कई आधारों पर विभक्त करते हैं।

हिन्दी क्षेत्र में हिन्दी की मुख्यतःअट्ठारह बोलियाँ बतायी जाती हैं, जिन्हें पाँच बोली वर्गों में इस प्रकार विभक्त करके रखा जा सकता है – पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, राजस्थानी हिन्दी, बिहारी हिन्दी और पहाड़ी हिन्दी।

**हिन्दी की उपभाषाएँ –**

अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विकास हो जाता है तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। हिन्दी की पाँच उपभाषाएँ हैं – (i) पश्चिमी हिन्दी, (ii) पूर्वी हिन्दी, (iii) राजस्थानी हिन्दी, (iv) बिहारी हिन्दी और (v) पहाड़ी हिन्दी।

## 2.2.2.1.1. पश्चिमी हिन्दी

जैसा कि आपने जाना कि पश्चिमी हिन्दी, हिन्दी की उपभाषा का नाम है, जो कि पाँच बोलियों या विभाषाओं के समुदाय का नाम है। पश्चिमी हिन्दी किसी भाषा-विशेष या बोली विशेष का नाम न होकर यह पाँच बोलियों का समूह है, जिसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। पश्चिमी हिन्दी के बारे में आपको विस्तार से चौथी इकाई में पढ़ने को मिलगा। पश्चिमी हिन्दी का क्षेत्र हरियाणा और पश्चिमी उत्तरप्रदेश है। इसकी निम्नलिखित बोलियाँ हैं – (क) हरियाणवी या बाँगरू, (ख) कौरवी या खड़ीबोली, (ग) बुंदेली, (घ) ब्रजभाषा और (ङ) कन्नौजी।

आइए, इनके बारे में संक्षिप्त रूप में परिचयात्मक जानकारी प्राप्त करते हैं।

(क) **हरियाणवी या बाँगरू –** हरियाणा प्रदेश की बोली होने के कारण इसका नाम 'हरियाणवी' पड़ा है। इसका दूसरा नाम 'बाँगरू' है। 'बाँगर' का अर्थ है – उबड़-खाबड़ या उच्च भूमि। करनाल जिले के आसपास का क्षेत्र 'बाँगर' कहलाता है। इसी कारण, ग्रियर्सन ने इस विभाषा को 'बाँगरू' कहा है। इसका तीसरा नाम 'जाटू' भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, हरियाणा प्रदेश की बोली होने के कारण 'हरियाणवी', बाँगर क्षेत्र की भाषा होने के कारण 'बाँगरू' तथा जाटों की भाषा होने के कारण 'जाटू' नाम से जानी जाती है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र कर्नल, रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र, गुडगाँव, पटियाला का कुछ भाग तथा दिल्ली के आसपास तक फैला हुआ है। हरियाणवी में लोकसाहित्य काफी है, जिसका कुछ अंश अब प्रकाशित भी हो चुका है। हरियाणवी कड़ी बोली से काफी प्रभावित है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

(i) हरियाणवी में 'ल' के स्थान पर 'ळ' का उच्चारण होता है। जैसे – 'जाल' शब्द स्थान पर 'जाळ' बोला जाता है।

(ii) इसमें दीर्घ व्यंजन का प्रयोग अधिक देखने को मिलता है। 'बेटा' से 'बेट्टा', 'गाड़ी' से 'गाड्डी' आदि।

(ख) **खड़ीबोली या कौरवी –** खड़ीबोली के नामकरण को लेकर लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है। विवादास्पद होने के कारण ही राहुल सांकृत्यायन ने कुरुक्षेत्र की बोली होने के कारण इसका नाम 'कौरवी' किया था। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर तथा मेरठ का यह सारा क्षेत्र कुरु के नाम से जाना जाता है। इसी कारण इस क्षेत्र की बोली की बोली होने के कारण इसका नाम कौरवी भी किया गया था, मगर यह नाम अधिक सही और सार्थक होने पर भी खड़ीबोली के आगे नहीं चल पाया और नाम ही के रूप में रह गया। खड़ीबोली का क्षेत्र दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तथा देहरादून के मैदानी भाग तक फैला हुआ है। वैसे खड़ीबोली का क्षेत्र बिजनौर है।

'खड़ीबोली' नाम का प्रयोग दो अर्थ होता है – एक 'मानक हिन्दी' या 'परिनिष्ठित हिन्दी' के रूप में, जो साहित्यिक रूप है और खड़ीबोली से विकसित है। दूसरा, लोकबोली के अर्थ में, जो मेरठ-

दिल्ली के आसपास के आस-पास स्थानीय बोली है। यहाँ लोकबोली के रूप में इसके मानक या परिनिष्ठित रूप को हिन्दी भाषा के नाम से जाना जाता है। यहाँ मात्र खड़ीबोली को लेकर दिल्ली-मेरठ के आसपास की स्थानीय बोली के रूप में विचार किया जा रहा है। इसकी सामान्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

(i) खड़ीबोली में 'ऐ', 'औ' का उच्चारण 'ए', 'ओ' की तरह होता है, जैसे – 'बैर' से 'बेर', 'दौरा' से 'दोरा' आदि।

(ii) हरियाणवी की तरह खड़ीबोली में भी अधिकतर शब्दों में 'न' के स्थान पर 'ण' का प्रयोग होता है, जैसे – 'हवाना' से 'हवाणा', 'पानी' से 'पाणी' आदि।

(iii) अधिकतर शब्दों में 'ल' के 'ळ' का प्रयोग किया जाता है।

(iv) खड़ीबोली में भी दीर्घ व्यंजन का प्रयोग अधिक देखने को मिलता है। 'बेटा' से 'बेट्टा', 'गाड़ी' से 'गाड्डी' आदि।

(v) 'ड़' के स्थान पर 'ड' का उच्चारण होता है। जैसे – 'पेड़' के स्थान पर 'पेड', बड़ा के स्थान पर 'बड्डा' आदि।

(ग) **बुंदेली –** बुंदेलखंड के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली बोली बुंदेली है। यह कहना बहुत कठिन है कि बुंदेली कितनी पुरानी बोली हैं लेकिन ठेठ बुंदेली के शब्द अनूठे हैं जो सदियों से आज तक प्रयोग में हैं। केवल संस्कृत या हिन्दी पढ़ने वालों को उनके अर्थ समझना कठिन हैं। ऐसे सैकड़ों शब्द जो बुंदेली के निजी है, उनके अर्थ केवल हिन्दी जानने वाले नहीं बतला सकते किन्तु बंगला या मैथिली बोलने वाले आसानी से बता सकते हैं। बुंदेलखंड के नाम से झाँसी, सागर, बाँदा और इसके आसपास का क्षेत्र जाना जाता है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसमें लोकसाहित्य प्रयाप्त मात्रा में मिलता है। इसकी सामान्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं –

(i) 'ऐ' तथा 'औ' का उच्चारण 'ए' तथा 'ओ' की तरह किया जाता है। जैसे – 'जैसो' से 'जेसो' तथा 'और' से 'ओर' आदि।

(ii) इसमें स्वरों के अनुनासिक रूपों का प्रयोग अधिक मिलता है, जैसे – 'हाथ' से 'हांत', 'भूख' से 'भूंक' इत्यादि।

(iii) 'ड़' के स्थान पर 'र' का उच्चारण किया जाता है, जैसे – 'दौड़' से 'दौर', 'बड़ा' से 'बरा' आदि।

(iv) 'ल' के स्थान पर 'र' का उच्चारण किया जाता है, जैसे – 'गाली' से गारी' 'काली' से 'कारी' आदि।

(घ) **ब्रजभाषा –** ब्रजभाषा मूलतः ब्रज क्षेत्र की बोली है। विक्रम की 13वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक भारत के मध्य देश की साहित्यिक भाषा रहने के कारण ब्रज की इस जनपदीय बोली ने अपने उत्थान एवं विकास के साथ आदरार्थ भाषा नाम प्राप्त किया और ब्रजबोली नाम से नहीं, अपितु ब्रजभाषा नाम से विख्यात हुई। भारतीय आर्यभाषाओं की परम्परा में विकसित होने वाली 'ब्रजभाषा' शौरसेनी अपभ्रंश

की कोख से जन्मी है। जब से गोकुल वल्लभ सम्प्रदाय का केन्द्र बना, ब्रजभाषा में कृष्ण विषयक साहित्य लिखा जाने लगा। इसी के प्रभाव से ब्रज की बोली साहित्यिक भाषा बन गई। भक्तिकाल के प्रसिद्ध महाकवि महात्मा सूरदास से लेकर आधुनिककाल के विख्यात कवि वियोगी हरि तक ब्रजभाषा में प्रबन्ध काव्य तथा मुक्तक काव्य समय-समय पर रचे जाते रहे। ब्रजभाषा की सामान्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

(i) यह विभाषा ओकारान्त प्रधान है, जैसे – प्यारों, ऐसों, जैसो आदि।

(ii) ब्रज में 'ण' के स्थान पर 'न' का प्रयोग अधिक होता है, जैसे – प्रवीण के स्थान पर प्रवीन, वेणु के स्थान पर वेनु आदि।

(iii) इसमें 'स', 'श' 'ष' के स्थान पर 'स' का ही उच्चारण होता है। जैसे – देश के स्थान पर 'देस', 'ऋषि' के बदले 'रिसी' आदि।

(iv) ब्रज में 'ड़' के स्थान पर 'र' का प्रयोग मिलता है, जैसे – घोडा के स्थान पर 'घोरा', 'लड़का' के स्थान पर 'लरिका' आदि।

(ङ) **कन्नौजी –** कन्नौज और उसके आस-पास बोली जाने वाली भाषा को कन्नौजी या कनउजी भाषा कहते हैं। 'कान्यकुब्ज' से 'कन्नौज' शब्द व्युत्पन्न हुआ और कन्नौज के आस-पास की बोली 'कन्नौजी' नाम से अभिहित की गयी। कन्नौज वर्तमान में एक जिला है जो उत्तरप्रदेश में है। यह भारत का अति प्राचीन, प्रसिद्ध एवं समृद्ध नगर रहा है। इसका उल्लेख प्राचीन ग्रन्थों रामायण आदि में मिलता है। कन्नौजी का विकास शौरसेनी प्राकृत की भाषा पांचाली प्राकृत से हुआ। इसीलिए आचार्य किशोरीदास बाजपेयी ने इसे पांचाली नाम दिया। वस्तुतः पांचाल प्रदेश की मुख्य बोली'पांचाली' अर्थात् 'कन्नौजी' ही है। यह बोली उत्तर में हरदोई, शाहजहाँपुर और पीलीभीत तक तथा दक्षिण में इटावा, मैनपुरी की भोगाँव, मैनपुरी तथा करहल तहसील, एटा, अलीगंज, बदायूँ, दातागंज, बरेली, नवाबगंज, पीलीभीत में बोली जाती है। स्पष्ट है कि उत्तर पांचाल के अनेक जनपदों में तथा दक्षिण पांचाल के लगभग समस्त जनपदों में 'कन्नौजी' का ही प्रचार-प्रसार है। कन्नौजी का क्षेत्र बहुत विस्तृत नहीं है, परन्तु भाषा के सम्बन्ध में यह कहावत बड़ी सटीक है कि पर कोस कोस' पानी बदले, दो कोस पर बानी' व्यवहार में देखा जाता है कि एक गाँव की भाषा अपने पड़ोसी गाँव की भाषा से कुछ न कुछ भिन्नता लिये होती है।

## 2.2.2.1.2. पूर्वी हिन्दी

पश्चिमी हिन्दी के पूर्वी भाग या पूर्व में इसका क्षेत्र होने के कारण इसका नाम पूर्वी हिन्दी रखा गया है। पूर्वी हिन्दी भी तीन विभाषाओं के समुदाय का नाम है, जिसका विकास अर्द्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। पूर्वी हिन्दी के बारे में आपको विस्तार से चौथी इकाई में पढ़ने को मिलगा। ग्रियर्सन ने भी पूर्वी हिन्दी को तीन विभाषाओं का समुदाय स्वीकार किया है, जिसकी तीन बोलियाँ निम्नलिखित हैं, जिनके बारे में संक्षिप्त रूप में परिचयात्मक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं –

(क) **अवधी –** यह पूर्वी हिन्दी क्षेत्र की एक उपभाषा है। यह उत्तरप्रदेश में लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कौशाम्बी, अम्बेडकरनगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती तथा फतेहपुर में भी बोली जाती है। इसके अतिरिक्त इसकी एक शाखा बघेलखंड में बघेली नाम से प्रचलित है। 'अवध' शब्द की व्युत्पत्ति अयोध्या से है। इस नाम का एक सूबा के राज्यकाल में था। तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में अयोध्या को 'अवधपुरी' कहा है। इसी क्षेत्र का पुराना नाम 'कोसल' भी था जिसकी महत्ता प्राचीनकाल से चली आ रही है।

भाषा शास्त्री ग्रियर्सन के भाषा सर्वेक्षण के अनुसार अवधी बोलने वालों की कुल आबादी 1615458 थी। मौजूदा समय में शोधकर्त्ताओं का अनुमान है कि 6 करोड़ से ज्यादा लोग अवधी बोलते हैं। उत्तरप्रदेश के 19 जिलों – सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कौशांबी, फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद व अंबेडकरनगर में पूरी तरह से यह बोली जाती है। जबकि 6 जिलों – जौनपुर, मिर्जापुर, कानपुर, शाहजहाँपुर, बस्ती और बांदा के कुछ क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। बिहार के दो जिलों के साथ पड़ोसी देश नेपाल के 8 जिलों में यह प्रचलित है। इसी प्रकार दुनिया के अन्य देशों – मॉरिशस, त्रिनिदाद एवं टुबैगो, फिजी, गयाना, सूरीनाम सहित आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व हॉलैंड में भी लाखों की संख्या में अवधी बोलने वाले लोग हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नवत हैं –

(i) अवधी में 'ऐ' का उच्चारण संयुक्त स्वर 'अई' तथा 'औ' का 'अड़' की तरह किया जाता है, जैसे 'कैसा' के स्थान पर 'कइसा', पैसा के स्थान 'पइसा', 'औरत' के स्थान पर 'अउरत' आदि।

(ii) संज्ञाओं के तीन रूप मिलते हैं – सामान्य, दीर्घ और दीर्घतर। जैसे – कुत्ता, कुतवा, और कुतउना आदि। इसे अवधी की निजी विशेषता के रूप में स्वीकार किया जाता है।

(iii) तीनों – 'श', 'ष' तथा 'स' के स्थान पर 'स' का उच्चारण किया जाता है।

(iv) 'ण' के स्थान पर 'न' और कई बार 'ल' के स्थान पर 'र' का उच्चारण होता है।

(ख) **बघेली –** पूर्वी हिन्दी की एक बोली है जो भारत के बघेलखण्ड क्षेत्र में बोली जाती है। यह मध्यप्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, उमरिया एवं अनूपपुर में; उत्तरप्रदेश के इलाहाबाद एवं मिर्जापुर जिलों में तथा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एवं कोरिया जनपदों में बोली जाती है। इसे बघेलखण्डी, रिमही और रिवई भी कहा जाता है। इसकी विशेषताएँ निम्नवत हैं –

(i) बघेली में दीर्घ तथा दीर्घतर रूप बनाने के 'का', 'कौना' तथा 'वा' जोड़कर बनाये जाते है, जैसे – छोटका, छोटकौना तथा 'ललन' से 'ललनवा' आदि।

(ii) बघेली में 'व' के स्थान पर 'म' का प्रयोग भी होता है, जैसे – 'चरावे' में 'चरामें', धरावे' से 'धरामे' आदि।

(ग) **छत्तीसगढ़ी –** छत्तीसगढ़ी शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक तो छत्तीसगढ़ी भाषा वह भाषा है, जो भारत के छत्तीसगढ़ प्रान्त और उसके आसपास बोली जाती है और दूसरे, छत्तीसगढ़ी लोग वे लोग हैं,

जो भारत के छत्तीसगढ़ प्रान्त में रहते हैं या जिनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है । छत्तीसगढ़ी भारत में छत्तीसगढ़ प्रान्त में बोली जाने वाली एक अत्यन्त ही मधुर व सरस भाषा है । छत्तीसगढ़ी की कुछ विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

(i) छत्तीसगढ़ी में 'श' तथा 'ष' व्यंजनों के स्थान पर 'स' तो कभी 'ख' का उच्चारण होता है, जैसे – 'वर्षा' के स्थान पर 'बरसा' या 'बरखा, 'भाषा' के स्थान 'भाखा' या 'भासा' आदि।

(ii) इसमें महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग अधिक होता है, जैसे – 'जन' से स्थान पर 'छन', 'कचहरी' के स्थान पर 'कछेरी' आदि।

(iii) 'स' के स्थान पर 'छ' का उच्चारण होता है, जैसे – 'सीता' स्थान पर 'छीता', 'सात' के स्थान पर 'छात' आदि।

### 2.2.2.1.3. राजस्थानी हिन्दी

राजस्थानी हिन्दी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। इसके बारे में आपको अगली इकाई में विस्तार से पढ़ने को मिलेगा । इसकी चार बोलियाँ हैं – (क) मारवाड़ी (पश्चिमी राजस्थानी), (ख) जयपुरी (पूर्वी राजस्थानी), (ग) मेवाती (उत्तरी राजस्थानी) और (घ) मालवी (दक्षिणी राजस्थानी)।

(क) **मारवाड़ी –** मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसका नाम मारवाड़ी पड़ा है । इसका परिनिष्ठित या शुद्ध रूप जोधपुर के आस-पास देखा जा सकता है । यह जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़, सिरोही तथा इनकी आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है । मारवाड़ी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है । साहित्य की दृष्टि से राजस्थानी की सभी बोलियों में मारवाड़ी सबसे सम्पन्न है । इसमें साहित्य तथा लोकसाहित्य पर्याप्त मात्रा में मिलता है । साहित्य में इसका आरम्भिक रूप 'डिंगल' के रूप में देखने को मिलता है, जिसका प्रयोग काव्य-रचना के लिए किया जाता है । वैसे भी 'डिंगल' हिन्दी के विकास को स्पष्ट करने में एक कड़ी का काम करती है, इसी कारण साहित्य-रचना में मारवाड़ी का महत्त्वपूर्ण स्थान है । करीब-करीब राजस्थानी का पूरा साहित्य 'डिंगल' में ही लिखा गया है । नरपति नाल्ह, मीराबाई, बाँकीदास आदि । इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

(i) 'ल' ध्वनि का उच्चारण अनेक बार 'ल' के स्थान पर 'ळ' किया जाता है, जैसे – 'बाल' के स्थान पर 'बाळ' किया जाता है।

(ii) 'ऐ' तथा 'औ' स्वरों का उच्चारण कई बार संयुक्तस्वर 'अइ' तथा 'अड़' के रूप मिलता है।

(iii) मारवाड़ी में दो विशेष ध्वनियाँ – 'ध' तथा 'स' मिलती है, जो कि क्लिक ध्वनियाँ हैं।

(ख) **जयपुरी –** मुख्य रूप से जयपुर की बोली होने के कारण इसका नाम 'जयपुरी' पड़ा है । इसका पुराना नाम 'ढूँढाड़ी' है । इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। आज जयपुरी केवल जयपुर की ही नहीं, बल्कि उसके साथ-साथ किशनगढ़ और अजमेर के कुछ भाग में भी जयपुरी ही बोली जाती है । जयपुरी

में लोकसाहित्य तो है ही, उसका कुछ अंश लिखित रूप में भी उपलब्ध है, विशेष रूप से दादूपंथी साहित्य। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएँ निम्नवत हैं –

(i) जयपुरी में अल्पप्राणीकरण की प्रवृति देखने को मिलती है, जैसे – 'जीभ' से 'जीव', 'आधो' से 'आदो' आदि।

(ii) 'ह' ध्वनि का शब्द में लोप हो जाता है, जैसे – 'शहर' से 'सैर', 'सहाय' से 'साय' आदि।

(iii) क्रियारूप 'हूँ', 'हो' के स्थान पर 'छूँ', 'छो' का प्रयोग मिलता है।

(ग) **मेवाती –** 'मेव' जाति के लोगों की बोली होने के कारण तथा इसका क्षेत्र मेवात होने के कारण इसका नाम 'मेवाती' पड़ा है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। मेवाती में मात्र लोकसाहित्य ही मिलता है। मेवाती का क्षेत्र एक तरफ़ से 'हरियाणवी' से घिरा है तो दूसरी तरफ ब्रज से घिरा है। इसी कारण, यहाँ मेवाती का एक मिश्रित रूप भी मिलता है, जो 'अहिरावाटी' के नाम से जाना जाता है। 'मेवाती' में पश्चिमी हिन्दी की विशेषताएँ ही मिलती है। इसकी उप-बोलियों में राठी, नहैर, गुजरी, कठेर आदि हैं।

(घ) **मालवी –** उज्जैन के आसपास का क्षेत्र 'मालवा' नाम से जाना जाता है, इसी कारण, इस क्षेत्र की बोली का 'मालवी' पड़ा है। इसका क्षेत्र – उज्जैन, इंदौर, रतलाम, देवास, होशंगाबाद तथा इसके आसपास पड़ता है। वैसे शुद्ध मालवी इंदौर, उज्जैन और देवास है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। मालवी में लोकसाहित्य के साथ-साथ थोड़ा-बहुत उसका अंश लिखित रूप में भी मिलता है। इसकी विशेषताएँ इस प्रकार हैं –

(i) 'ल' ध्वनि का उच्चारण अनेक बार 'ळ' के रूप में किया जाता है।

(ii) 'न' व्यंजन 'ण' में परिवर्तित हो जाता है, जैसे – 'कहानी' से 'कैणी' आदि।

(iii) 'ऐ' तथा 'औ' का उच्चारण 'ए' तथा 'ओ' के रूप में मिलता है, जैसे – 'पैसा' से 'पेसा', 'और' से 'ओर' आदि।

### 2.2.2.1.4. बिहारी हिन्दी

बिहारी हिन्दी बिहार और पूर्वी उत्तरप्रदेश में बोली जाती है। बिहारी हिन्दी के बारे में आप अगली इकाई में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। बिहारी हिन्दी की मुख्यतः तीन बोलियाँ हैं – भोजपुरी, मगही और मैथिली।

(क) **भोजपुरी –** भोजपुरी शब्द का निर्माण बिहार का प्राचीन जिला भोजपुर के आधार पर पड़ा। जहाँ के राजा 'राजा भोज' ने इस जिले का नामकरण किया था। भाषाई परिवार के स्तर पर भोजपुरी एक आर्यभाषा है और मुख्य रूप से पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तरप्रदेश तथा उत्तरी झारखण्ड के क्षेत्र में बोली जाती है। आधिकारिक और व्यावहारिक रूप से भोजपुरी हिन्दी की एक उपभाषा या बोली है। भोजपुरी अपने शब्दावली के लिये मुख्यतः संस्कृत एवं हिन्दी पर निर्भर है कुछ शब्द इसने उर्दू से भी ग्रहण किये

हैं। भोजपुरी जानने-समझने वालों का विस्तार विश्व के सभी महाद्वीपों पर है। जिसका कारण ब्रिटिश राज के दौरान उत्तर भारत से अंग्रेजों द्वारा ले जाये गए मजदूर हैं, जिनके वंशज अब जहाँ उनके पूर्वज गये थे वहीं बस गए हैं। इनमे सूरिनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, फिजी आदि देश प्रमुख है। भोजपुरी की कुछ सामान्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं – भोजपुरी में 'ल' व्यंजन ध्वनि 'न' में परिवर्तित हो जाती है, जैसे –'लवण' से 'नून', 'नोट' से 'लोट' आदि। अवधी की तरह ही भोजपुरी में भी संज्ञा शब्दों के सामान्य, दीर्घ तथा दीर्घतर रूप मिलते हैं, जैसे – सोनार (सामान्य), सोनारा (दीर्घ), सोनारवा (दीर्घतर) आदि। 'ल' के स्थान पर 'र' व्यंजन का प्रयोग मिलता है, जैसे – 'मछली' से 'मछरी', 'गला' से 'गरा' आदि।

(ख) **मगही –** 'मगही' शब्द 'मागधी' से विकसित है। 'मगध' की भाषा होने के कारण इसका नाम 'मगही' पड़ा है। ग्रियर्सन ने इसे आधुनिक आर्यभाषा की बाहरी उपशाखा के पूर्वी समुदाय में रखकर इसे बिहारी कहा है। वर्ष 2002 में इसके बोलने वालों की संख्या 1 लाख 30 हज़ार आँकी गई थी। लेकिन, वर्ष 2017 तक आते-आते इसके बोलने वालों की संख्या में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में यह भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है – गया, पटना, राजगीर, नालन्दा, नवादा, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद। बिहार के जिलों के अलावा भी झारखंड के कुछ क्षेत्रों, जिनमें सिंहभूम, मानभूम, हजारीबाग, पलामू, संथालपरगना आदि में भी मगही भाषा-भाषी बोलने समझने वाले लोग है। इसकी सामान्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

(i) मगही में भी संज्ञा शब्दों के सामान्य, दीर्घ तथा दीर्घतर रूप मिलते हैं, जैसे – बेटा (सामान्य), बेटवा (दीर्घ), बेटउवा (दीर्घतर) आदि।

(ii) कहीं-कहीं 'ओ' का उच्चारण 'अ' की तरह किया जाता है, जैसे – 'ओकर' से 'अकर' आदि।

(ग) **मैथिली –** 'मिथिला' क्षेत्र की विभाषा होने के कारण इसका नाम 'मैथिली' पड़ा है। इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र भारत में मुख्य रूप से दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, शिवहर, भागलपुर, मधेपुरा, अररिया, सुपौल, वैशाली, सहरसा, राँची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद और देवघर जिलों में है। नेपाल के आठ जिलों धनुषा, सिरहा, सुनसरी, सरलाही, सप्तरी, मोहतरी, मोरंग और रौतहट में भी यह बोली जाती है। इसकी सामान्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

(i) अवधी की तरह ही मैथिली में भी संज्ञा शब्दों के सामान्य, दीर्घ तथा दीर्घतर रूप मिलते हैं, जैसे – घोड़ा (सामान्य), घोड़वा (दीर्घ), घोउडवा (दीर्घतर) आदि।

(ii) 'ल' ध्वनि 'न' में परिवर्तित हो जाती है, जैसे – 'लवण' से 'नून', 'नोट' से 'लोट' आदि।

(iii) महाप्राणीकरण प्रवृति देखने को मिलती है। जैसे – 'बेख' से 'भेख', 'जर्जर' से 'झांझर' आदि।

(iv) स्वरों का उच्चारण अतिलघु भी मिलता है। विशेष रूप से 'अ, इ, उ' का।

## 2.2.2.1.5. पहाड़ी हिन्दी

पहाड़ी हिन्दी का सम्बन्ध मुख्य रूप से पहाड़ों से होने के कारण इसे 'पहाड़ी' कहा गया है। 'समुदाय' शब्द इसलिए जोड़ा गया है, क्योंकि इस वर्ग के अन्तर्गत दो उपभाषाओं की विभाषाएँ आती हैं, इसी कारण यह समुदाय है। पहाड़ी समुदाय का क्षेत्र हिमाचल से लेकर उतरांचल तक फैला हुआ है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इस समुदाय के अन्तर्गत आज पहाड़ी के दो समुदाय आते हैं – एक, मध्य पहाड़ी तथा दूसरे, पश्चिमी पहाड़ी। एक पूर्वी पहाड़ी का भी भेद किया जाता है। पहाड़ी समुदाय के बारे में विस्तार से आप अगले इकाई में पढ़ेंगे। मध्य पहाड़ी की दो प्रमुख बोलियाँ हैं– (क) कुमायूँनी और (ख) गढ़वाली।

(क) **कुमायूँनी –** यह जिला नैनीताल, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ में प्रयुक्त होती है। हिन्दी द्वितीय भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। इस कारण कुमाउँनी हिन्दी खड़ीबोली के अत्यधिक निकट आ गई है। इसकी विशेषताएँ निम्नवत हैं –

(i) कुमायूँनी में व्याकरण की दृष्टि से सर्वनामों में– मैं, तू, हम, तुम, ऊ, ऊँ, (वह, वे) का प्रयोग चलता है। सम्बन्ध कारक बहुवचन का रूप 'उनको' न होकर 'उनर' होता है। हिन्दी की भाँति कुमाउँनी में दो ही लिंग प्रयुक्त होते हैं और यह लिंगत्व केवल पुरुषत्व-स्त्रीत्व के भेद पर आधारित नहीं प्रत्युत वस्तु के आकार तथा स्वभाव पर भी निर्भर है। वचन दो हैं, तथा हिन्दी की प्रायः सभी धातुएँ मिलती हैं। पदक्रम एवं वाक्यविन्यास भी मिलता जुलता है। आरम्भ में कर्त्ता अन्त में क्रियापद रहता है। क्रियाविशेषण भी हिन्दी की भाँति क्रिया के पूर्व आता है।

(ii) कुमाउँनी में कुछ ध्वनियाँ खड़ीबोली हिन्दी की अपेक्षा विशिष्ट हैं। स्वरों की दृष्टि से ह्रस्व 'आ', ह्रस्व 'ए', ह्रस्व 'ऐ', ह्रस्व 'ओ' तथा ह्रस्व 'औ' ध्वनियाँ देखी जा सकती हैं।

(ख) **गढ़वाली –** अभी इसमें प्राचीन तत्त्व कुमाउँनी की अपेक्षा ज्यादा सुरक्षित हैं। इसका व्यवहार जिला गढ़वाल, टेहरी, चमोली, तथा उत्तर काशी में होता है। यहाँ भौगोलिक कारणों से आवागमन की कठिनाइयाँ हैं। इसलिए पहाड़ियों के दोनों ओर रहनेवालों अथवा एक ही नदी के आर-पार रहनेवालों के भाषागत प्रयोगों में विशेषताएँ उभर आई हैं। उत्तर की बोलियों में तिब्बती तथा पूर्व की ओर कुमाउँनी प्रभाव स्पष्ट होता गया है क्योंकि इन क्षेत्रों की सीमाएँ मिली हुई हैं। राजपूत जातियों का निवास होने के कारण गढ़वाली पर राजस्थानी प्रभाव तो है ही, इसके दक्षिण-पश्चिम की ओर खड़ीबोली भी अपना प्रभाव डालती जा रही है। इसकी कुछ विशेषताएँ द्रष्टव्य हैं –

(i) गढ़वाली का झुकाव दीर्घत्व की ओर है। अतः स्वरों में ए, ऐ, ओ, औ, की ध्वनियाँ, जिनका दीर्घ रूप प्रधान है, अधिक प्रयुक्त होती हैं।

(ii) अनुनासिकता की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम हैं। कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जो प्राचीन भाषाओं से चले आए हैं जैसे 'मुख' के अर्थ में 'गिच्चो' शब्द। सम्भव है कि इनमें अनेक प्राप्त शब्द प्राचीनतम जातियों के अवशेष हों।

(iii) व्याकरण की दृष्टि से गढ़वाली में एक दंताग्र 'ल' ध्वनि पाई जाती है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलती।

(iv) क्रिया-रूपों में धातु के अन्तिम 'अ' का लोप करके 'ओ' या 'अवा' जोड़ा जाता है, जैसे दौड़ना।

(v) लिंगभेद भी प्रायः नियमित नहीं।

(vi) वस्तुओं की लघुता, गुरुता पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

### 2.2.2.2. अन्य भाषा क्षेत्र

इनमें परिगणित की जाने वाली प्रमुख बोलियाँ इस प्रकार हैं – दक्खिनी हिन्दी (गुलबर्गी, बीदरी, बीजापुरी तथा हैदराबादी आदि), बम्बइया हिन्दी, कलकतिया हिन्दी तथा शिलांगी हिन्दी (बाजार-हिन्दी) आदि।

अन्य भाषाक्षेत्र का वर्गीकरण –

**(i)** दक्खिनी

**(ii)** रेख़्ता

**(iii)** बम्बइया हिन्दी

**(iv)** कलकतिया हिन्दी

**(v)** शिलांगी हिन्दी

### 2.2.2.3. भारतेतर क्षेत्र

भारत के बाहर भी कई देशों में हिन्दीभाषी लोग बड़ी संख्या में बसे हैं। सीमावर्ती देशों के अलावा यूरोप, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, रुस, जापान, चीन तथा समस्त दक्षिण पूर्व व मध्य एशिया में हिन्दी बोलने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। लगभग सभी देशों की राजधानियों के विश्वविद्यालयों में हिन्दी एक विषय के रूप में पढ़ी-पढ़ाई जाती है। भारत के बाहर हिन्दी की प्रमुख बोलियाँ में ताजुज्बेकी हिन्दी, मारिशसी हिन्दी, फीज़ी हिन्दी, सरनामी हिन्दी आदि हैं।

भारतेतर क्षेत्र का वर्गीकरण –

**(i)** ताजुज्बेकी हिन्दी

**(ii)** मॉरीशशी हिन्दी

**(iii)** फीजी हिन्दी

**(iv)** सरनामी हिन्दी

**(v)** अन्य हिन्दी

## 2.2.3. पाठ-सार

हिन्दी भाषा का भौगोलिक विस्तार काफी दूर-दूर तक है जिसे मोटे तौर पर तीन क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है – पहला, हिन्दी क्षेत्र, इसमें हिन्दी की मुख्यतः अट्ठारह बोलियाँ बतायी जाती हैं, जिन्हें पाँच बोली वर्गों में इस प्रकार विभक्त करके रखा जा सकता है – पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, राजस्थानी हिन्दी, पहाड़ी हिन्दी और बिहारी हिन्दी। दूसरा, अन्य भाषाक्षेत्र, इसमें दक्खिनी हिन्दी (गुलबर्गी, बीदरी, बीजापुरी तथा हैदराबादी आदि), बम्बइया हिन्दी, कलकतिया हिन्दी तथा शिलंगी हिन्दी (बाजार-हिन्दी) जैसी प्रमुख बोलियाँ आती हैं। और तीसरा, भारतेतर क्षेत्र, भारत के बाहर भी कई देशों में हिन्दीभाषी लोग बड़ी संख्या में बसे हैं। सीमावर्ती देशों के अलावा यूरोप, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, रुस, जापान, चीन तथा समस्त दक्षिण पूर्व व मध्य एशिया में हिन्दी बोलने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। लगभग सभी देशों की राजधानियों के विश्वविद्यालयों में हिन्दी एक विषय के रूप में पढ़ी-पढ़ाई जाती है। भारत के बाहर हिन्दी की प्रमुख बोलियाँ में ताजुज्बेकी हिन्दी, मारिशसी हिन्दी, फीज़ी हिन्दी, सूरीनामी हिन्दी आदि हैं।

सार रूप में हिन्दी भाषा समुदाय के वर्गीकरण को इस प्रकार समझा जा सकता है –

| | | |
|---|---|---|
| | हिन्दी भाषा समुदाय का वर्गीकरण – | (1) हिन्दी क्षेत्र (2) अन्य भाषा क्षेत्र (3) भारतेतर क्षेत्र। |
| (1) | हिन्दी क्षेत्र का वर्गीकरण – | (i) पश्चिमी हिन्दी (ii) पूर्वी हिन्दी (iii) राजस्थानी हिन्दी (iv) बिहारी हिन्दी (v) पहाड़ी हिन्दी। |
| **(i)** | पश्चिमी हिन्दी का वर्गीकरण – | (क) खड़ीबोली (ख) बाँगरू (ग) बुंदेली (घ) ब्रजभाषा (ङ) कन्नौजी |
| **(ii)** | पूर्वी हिन्दी का वर्गीकरण – | (क) अवधी (ख) बघेली (ग) छत्तीसगढ़ी |
| **(iii)** | राजस्थानी हिन्दी का वर्गीकरण – | (क) मारवाड़ी (ख) जयपूरी (ग) मेवाती (घ) मालवी |
| **(iv)** | बिहारी हिन्दी का वर्गीकरण – | (क) भोजपुरी (ख) मगही (ग) मैथिली |
| **(v)** | पहाड़ी हिन्दी का वर्गीकरण – | (क) पूर्वी पहाड़ी (ख) मध्य पहाड़ी (ग) पश्चिमी पहाड़ी |
| (2) | अन्य भाषाक्षेत्र का वर्गीकरण – | (i) दक्खिनी (ii) रेख़्ता (iii) बम्बइया हिन्दी (iv) कलकतिया हिन्दी (v) शिलांगी हिन्दी |
| (3) | भारतेतर क्षेत्र का वर्गीकरण – | (i) ताजुज्बेकी हिन्दी (ii) मॉरीशशी हिन्दी (iii) फीजी हिन्दी (iv) सरनामी हिन्दी (v) अन्य हिन्दी |

## 2.2.4. बोध प्रश्न

**बहुविकल्पीय प्रश्न**

1. हिन्दी किस भाषा समुदाय की भाषा है ?
   (क) हिन्दी क्षेत्र
   (ख) अन्य भाषा क्षेत्र
   (ग) भारतेतर क्षेत्र
   (घ) उपर्युक्त सभी

2. भोजपुरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बोली जाती है ?
   (क) पश्चिमी बिहार
   (ख) पूर्वी उत्तरप्रदेश
   (ग) उत्तरी झारखण्ड
   (घ) उपर्युक्त सभी

3. अवधी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बोली जाती है ?
   (क) लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई
   (ख) सीतापुर, लखीमपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कौशाम्बी
   (ग) अम्बेडकरनगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, फतेहपुर
   (घ) उपर्युक्त सभी

4. हिन्दीक्षेत्र में हिन्दी की मुख्यतः कितनी बोलियाँ बतायी जाती हैं ?
   (क) 15
   (ख) 16
   (ग) 17
   (घ) 18

5. खड़ीबोली का दूसरा नाम क्या है ?
   (क) हरियाणवी
   (ख) बाँगरू
   (ग) कौरवी
   (घ) ढूँढाड़ी

**लघु उत्तरीय प्रश्न**

(1) पहाड़ी उपभाषाओं में किन-किन की गिनती की जाती है ?
(2) भाषा-समुदाय और भाषा-परिवार में क्या अन्तर होता है ?
(3) प्रयोग के आधार पर हिन्दी भाषा को कितने भागों में विभक्त किया जाता है ?
(4) बिहारी की कितनी बोलियाँ बतायी जाती हैं ?
(5) अहिन्दी क्षेत्र में हिन्दी की कौन-सी बोलियाँ बोली जाती हैं ?

**दीर्घ उत्तरीय प्रश्न**

(1) हिन्दी भाषा-समुदाय का वर्गीकरण का आधार मुख्यतः क्याहै ?
(2) गैर-हिन्दी क्षेत्र में बोली जाने वाली हिन्दी की बोलियों का परिचय दीजिए।
(3) भारतेतर क्षेत्र में बोली जाने वाली हिन्दी भाषा के बारे में विस्तार से लिखिए।
(4) हिन्दी क्षेत्र के भाषा-समुदाय पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए।

## 2.2.5. व्यावहारिक (प्रायोगिक) कार्य

(i) आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, क्या वहाँ हिन्दी बोली जाती है, अगर 'हाँ', तो साहित्यिक हिन्दी से वह आपको किस रूप में भिन्न लगती है ? अगर 'नहीं' तो वहाँ हिन्दी का अस्तित्व किस तरह का है ? अपने अनुभव साझा करें ।

(ii) क्या आपने कलकत्ता, मुंबई और हैदराबाद का भ्रमण किया है, अगर 'हाँ' तो आप इन तीनों स्थानों की भाषा के मध्य क्या अन्तर पाते हैं ?

(iii) अपनी मातृभाषा और हिन्दीभाषा के तकरीबन 50 समान शब्दों को लिखिए।

## 2.2.6. उपयोगी ग्रन्थ-सूची


1. जी. ए. ग्रियर्सन, भारत का भाषा सर्वेक्षण, अनुवादक – डॉ॰ उदयनारायण तिवारी, 1959
2. भोलानाथ तिवारी, हिन्दी भाषा का इतिहास, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
3. उदयनारायण तिवारी, हिन्दी भाषा : उद्भव व विकास, लोकभारती प्रकाशन, 2016, ISBN : 978–8180–31–1024


**उपयोगी लिंक :**

1. https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%80_%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%81

## खण्ड – 2 : हिन्दी भाषा-समुदाय

## इकाई – 3 : भाषा-समुदाय – प्रथम वर्ग (हिन्दी की उपभाषाएँ) : राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी भाषाएँ

**इकाई की रूपरेखा**


2.3.0. उद्देश्य
2.3.1. प्रस्तावना
2.3.2. हिन्दी की उपभाषाएँ – राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी भाषाएँ
 2.3.2.1. राजस्थानी भाषाएँ
 2.3.2.2. बिहारी भाषाएँ
 2.3.2.3. पहाड़ी भाषाएँ
2.3.3. पाठ-सार
2.3.4. बोध प्रश्न
2.3.5. व्यावहारिक (प्रायोगिक) कार्य
2.3.6. उपयोगी ग्रन्थ-सूची


### 2.3.0. उद्देश्य

प्रस्तुत पाठ का अध्ययन करने के उपरान्त आप –

(i) हिन्दी भाषा की उपभाषाओं में राजस्थानी और उसकी बोलियों के बारे में जान सकेंगे।

(ii) बिहारी उपभाषा और उसकी बोलियों के सम्बन्ध में जान सकेंगे तथा बोली से भाषा बनी मैथिली के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर पाएँगे।

(iii) पहाड़ी उपभाषा और उसकी बोलियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

### 2.3.1. प्रस्तावना

किसी भाषा की तुलना में हिन्दी की उपभाषाओं एवं बोलियों की संख्या अधिक है। इन उपभाषाओं व बोलियों को भौगोलिकता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ये उपभाषाएँ व बोलियाँ मुख्य रूप से हिन्दी-क्षेत्र में व्यवहार में लायी जाती है। इन्हें प्रादेशिक बोलियाँ या स्थानीय बोलियाँ भी कहा जाता है। हिन्दी का क्षेत्र भौगोलिकता की दृष्टि से उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक फैला हुआ है। हिन्दी की उपभाषाओं व बोलियों का सर्वेक्षण सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। अपने सर्वेक्षण के आधार पर उन्होंने हिन्दी को पश्चिमी तथा पूर्वी हिन्दी में विभाजित किया। उनके अनुसार राजस्थानी एवं बिहारी उपभाषाओं की बोलियाँ हिन्दी क्षेत्र के बाहर की हैं।

## 2.3.2. हिन्दी की उपभाषाएँ – राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी भाषाएँ

यदि किसी भाषा में बोलियों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा उस भाषा का क्षेत्र बहुत विशाल होता है तो पारस्परिक बोधगम्यता अथवा अन्य भाषेतर कारणों से बोलियों के वर्ग बन जाते हैं। इनको 'उपभाषा' के स्तर के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अर्थात् भाषा अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विकास हो जाता है तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। एक भाषा के अन्तर्गत कई उपभाषाएँ होती हैं तथा एक उपभाषा के अन्तर्गत कई बोलियाँ होती हैं। हिन्दी भाषा-समुदाय के प्रथम वर्ग में हिन्दी की जिन उपभाषाओं की चर्चा की जाती है, उनमें राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी भाषाओं का नाम लिया जाता है।

### 2.3.2.1. राजस्थानी भाषाएँ

राजस्थानी भाषा भारत के राजस्थान प्रान्त व मालवा क्षेत्र तथा पाकिस्तान के कुछ भागों में करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। इस भाषा का इतिहास बहुत पुराना है। इस भाषा में प्राचीन साहित्य विपुल मात्रा में उपलब्ध है। इस भाषा में विपुल मात्रा में लोक-गीत, संगीत, नृत्य, नाटक, कथा, कहानी आदि उपलब्ध हैं। इस भाषा को सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है। इस कारण इसे स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता है। इस कारण शिक्षित वर्ग धीरे-धीरे इस भाषा का उपयोग छोड़ रहा है, परिणामस्वरूप, यह भाषा धीरे-धीरे ह्रास की ओर अग्रसर है। कुछ मातृभाषा प्रेमी इस भाषा को सरकारी मान्यता दिलाने के प्रयास में लगे हुए हैं।

डॉ० ग्रियर्सन ने राजस्थानी की पाँच बोलियाँ मानी हैं – (1) पश्चिमी राजस्थानी (मारवाड़ी), (2) उत्तर पूर्वी राजस्थानी (मेवाती अहीरवाटी), (3) मध्यपूर्वी (पूर्वी) राजस्थानी (ढूँढाड़ी, हाड़ौती), (4) दक्षिण-पूर्वी राजस्थानी (मालवी) और (5) दक्षिणी राजस्थानी (निमाड़ी)।

ग्रियर्सन ने भीली और खानदेशी को स्वतन्त्र भाषा वर्ग में माना है, किन्तु डॉ० चाटुर्ज्या इन्हें 'राजस्थानी वर्ग' के ही अन्तर्गत रखना चाहेंगे, जो अधिक समीचीन जान पड़ता है। डूँगरपुर, बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा आसपास की भीली बोलियों और खानदेशी की व्याकरणिक संघटना राजस्थानी से विशेष भिन्न नहीं है। वस्तुतः ये राजस्थानी के वे रूप हैं जो क्रमशः गुजराती और मराठी तत्त्वों से मिश्रित हैं। राजस्थानी वर्ग के अन्तर्गत पाकिस्तान तथा कश्मीर के सीमान्त प्रदेश की गूजरी बोली और तमिलनाडु की सौराष्ट्र बोली भी आती है, जो पूर्वी राजस्थानी से विशेष सम्बद्ध जान पड़ती है। डॉ० चाटुर्ज्या ने ग्रियर्सन के राजस्थानी के पाँच बोली-भेदों को नहीं माना है। वे मारवाड़ी और ढूँढाड़ी हाड़ौती को ही 'राजस्थानी' संज्ञा देना ठीक समझते हैं। उनके अनुसार राजस्थानी के दो ही वर्ग हैं – (1) पश्चिमी राजस्थानी (मारवाड़ी) और (2) पूर्वी राजस्थानी (जैपुरी, हाड़ौती)। मेवाती, मालवी और निमाड़ी को वे पश्चिमी हिन्दी की ही विभाषा मानने के पक्ष में हैं, यद्यपि इस सम्बन्ध में व अन्तिम निर्णय नहीं देते। राजस्थानी भाषा की सामान्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

(i) राजस्थानी में 'ण', 'ड़' और (मराठी) 'ल' तीन विशिष्ट ध्वनियाँ (Phonemes) पाई जाती हैं।

(ii) राजस्थानी तद्‌भव शब्दों में मूल संस्कृत 'अ' ध्वनि कई स्थानों पर 'इ' तथा 'इ', 'उ' के रूप में परिवर्तित होती देखी जाती हैं – 'मिनक' (मनुष्य), हरण (हरिण) आदि।

(iii) मेवाड़ी और मालवी में 'च', 'छ', 'ज', 'झ' का उच्चारण भीली और मराठी की तरह क्रमश: 'त्स', 'स', 'द्‌ज', 'ज़' की तरह पाया जाता है।

(iv) संस्कृत हिन्दी पदादि 'स-ध्वनि' पूर्वी राजस्थानी में तो सुरक्षित है, किन्तु मेवाड़ी-मालवी-मारवाड़ी में अघोष 'ह्ठ' हो जाती है, जैसे – 'सास' शब्द जयपुरी-हाड़ौती में 'सासू', मेवाड़ी-मारवाड़ी 'हाऊ' हो जाता है।

(v) पद मध्यगत हिन्दी शुद्ध प्राण ध्वनि या महाप्राण ध्वनि की प्राणता राजस्थानी में प्रायः पदादि व्यंजन में अन्तर्भुक्त हो जाती है – 'कंधा' शब्द राजस्थानी में 'खाँदो' आदि।

## 2.3.2.2. बिहारी भाषाएँ

बिहारी उपभाषा का क्षेत्र सम्पूर्ण बिहार एवं पूर्वी उत्तरप्रदेश का क्षेत्र है। इसके अन्तर्गत भोजपुरी, मैथिली और मगही तीन हिन्दी बोलियाँ और कई उपबोलियाँ बोली जाती हैं। भोजपुरी का अधिकांश क्षेत्र उत्तरप्रदेश में पड़ता है तथा अपनी कुछ विशेषताओं के आधार पर भोजपुरी पूर्वी हिन्दी से सम्बन्धित प्रतीत होती है। इसलिए कुछ विद्वान् इसे बिहारी बोली नहीं मानते पर डॉ० उदयनारायण तिवारी ने तीनों को मागधी से उत्पन्न मानते हुए, उनमें आन्तरिक एकता देखने की बात की है। उत्तरप्रदेश के बनारस, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़ और गोरखपुर, जौनपुर आदि तथा बिहार में शाहाबाद और सारन जिले तथा चम्पारन, राँची और पलामू के कुछ भागों तक भोजपुरी बोली जाती है।

(क) **भोजपुरी –** भोजपुरी शब्द का निर्माण बिहार के प्राचीन जिला भोजपुर के आधार पर पड़ा। जहाँ के राजा 'राजा भोज' ने इस जिले का नामकरण किया था। भाषाई परिवार के स्तर पर भोजपुरी एक आर्यभाषा है और मुख्य रूप से पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तरप्रदेश तथा उत्तरी झारखण्ड के क्षेत्र में बोली जाती है। आधिकारिक और व्यावहारिक रूप से भोजपुरी हिन्दी की एक उपभाषा या बोली है। भोजपुरी अपने शब्दावली के लिये मुख्यतः संस्कृत एवं हिन्दी पर निर्भर है कुछ शब्द इसने उर्दू से भी ग्रहण किये हैं। भोजपुरी जानने-समझने वालों का विस्तार विश्व के सभी महाद्वीपों पर है। जिसका कारण ब्रिटिश राज के दौरान उत्तर भारत से अंग्रेजों द्वारा ले जाये गए मजदूर हैं, जिनके वंशज अब जहाँ उनके पूर्वज गये थे वहीं बस गए हैं। इनमे सूरिनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, फिजी आदि देश प्रमुख है। भारत के जनगणना (2001) आँकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 3.3 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं। पूरे विश्व में भोजपुरी जानने वालों की संख्या लगभग 4 करोड़ है, हालाँकि एक अनुमान यह बताया गया है कि पूरे विश्व में भोजपुरी के वक्ताओं की संख्या 16 करोड़ है, जिसमें बिहार में 8 करोड़ और उत्तरप्रदेश में 7 करोड़ तथा शेष विश्व में 1 करोड़ है। उत्तर अमेरिकी भोजपुरी संगठन के अनुसार वक्ताओं की संख्या 18 करोड़ है। वक्ताओं के संख्या के आँकड़ों में ऐसे अन्तर का सम्भावित कारण यह हो सकता है कि जनगणना के समय लोगों द्वारा भोजपुरी को अपनी मातृभाषा नहीं बतायी जाती है।

डॉ॰ ग्रियर्सन ने भारतीय भाषाओं को अन्तरंग ओर बहिरंग दो श्रेणियों में विभक्त किया है, जिसमें बहिरंग के अन्तर्गत उन्होंने तीन प्रधान शाखाएँ स्वीकार की हैं – (1) उत्तर पश्चिमी शाखा, (2) दक्षिणी शाखा और (3) पूर्वी शाखा ।

इस अन्तिम शाखा के अन्तर्गत उड़िया, असमी, बांग्ला और पुरबिया भाषाओं की गणना की जाती है। पुरबिया भाषाओं में मैथिली, मगही और भोजपुरी – ये तीन बोलियाँ मानी जाती थीं। लेकिन अब इनमें से मैथिली ने भाषा का दर्जा प्राप्त कर लिया है। भले ही क्षेत्र-विस्तार और भाषाभाषियों की संख्या के आधार पर भोजपुरी अपनी बहनों मैथिली और मगही में सबसे बड़ी है।

भोजपुरी भाषा का नामकरण बिहार राज्य के आरा (शाहाबाद) जिले में स्थित भोजपुर नामक गाँव के नाम पर हुआ है। पूर्ववर्ती आरा जिले के बक्सर सब-डिविजन (अब बक्सर अलग जिला है) में भोजपुर नाम का एक बड़ा परगना है जिसमें 'नवका भोजपुर' और 'पुरनका भोजपुर' दो गाँव हैं। कहते हैं कि मध्यकाल में इस स्थान को मध्यप्रदेश के उज्जैन से आए भोजवंशी परमार राजाओं ने बसाया था। उन्होंने अपनी इस राजधानी को अपने पूर्वज राजा भोज के नाम पर भोजपुर रखा था। इसी कारण इसके पास बोली जाने वाली भाषा का नाम 'भोजपुरी' पड़ गया।

भोजपुरी भाषा का इतिहास 7वीं सदी से शुरू होता है – 1000 से अधिक साल पुरानी । गुरु गोरखनाथ ने 1100वें वर्ष में गोरखबानी की रचना की थी । सन्त कबीरदास (1298) का जन्मदिवस भोजपुरी दिवस के रूप में भारत में स्वीकार किया गया है और विश्व भोजपुरी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भोजपुरी भाषा प्रधानतया पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तरप्रदेश तथा उत्तरी झारखण्ड के क्षेत्रों में बोली जाती है। इन क्षेत्रों के अलावा भोजपुरी विदेशों में भी बोली जाती है। भोजपुरी भाषा फिजी और नेपाल की सांवैधानिक भाषाओं में से एक है । इसे मॉरीशस, फिजी, गयाना, गुयाना, सूरीनाम, सिंगापुर, उत्तर अमरीका और लैटिन अमेरिका में भी बोला जाता है । बिहार में बक्सर जिला, सारण जिला, सिवान, गोपालगंज जिला, पूर्वी चम्पारण जिला, पश्चिम चम्पारण जिला, वैशाली जिला, भोजपुर जिला, रोहतास जिला, बक्सर जिला, भभुआ जिले में बोई जाती है । उत्तरप्रदेश में बलिया जिला, वाराणसी जिला, चन्दौली जिला, गोरखपुर जिला, महाराजगंज जिला, गाजीपुर जिला, मिर्जापुर जिला, मऊ जिला, इलाहाबाद जिला, जौनपुर जिला, प्रतापगढ़ जिला, सुल्तानपुर जिला, फैजाबाद जिला, बस्ती जिला, गोंडा जिला, बहराईच जिला, सिद्धार्थ नगर, आजमगढ़ जिला झारखण्ड में पलामू जिला, गढ़वा जिला और नेपाल में रौतहट जिला, बारा जिला, बीरगंज, चितवन जिला, नवलपरासी जिला, रुपनदेही जिला, कपिलवस्तु जिला, पर्सा जिले में बोली जाती है । भोजपुरी के विभिन्न रूप आदर्श भोजपुरी, पश्चिमी भोजपुरी tathaa अन्य दो उप-बोलियाँ 'मघेसी' तथा 'थारु' के नाम से प्रसिद्ध हैं।

**(1) आदर्श भोजपुरी –** जिसे डॉ॰ ग्रियर्सन ने स्टैंडर्ड भोजपुरी कहा है वह प्रधानतया बिहार राज्य के आरा जिला और उत्तरप्रदेश के बलिया, गाजीपुर जिले के पूर्वी भाग और घाघरा (सरयू) एवं गंडक के दोआब में बोली जाती है। यह एक लम्बे भूभाग में फैली हुई है। इसमें अनेक स्थानीय विशेषताएँ पाई जाती है। जहाँ शाहाबाद, बलिया और गाजीपुर आदि दक्षिणी जिलों में 'ड़' का प्रयोग किया जाता है वहाँ उत्तरी

जिलों में 'ट' का प्रयोग होता है। इस प्रकार उत्तरी आदर्श भोजपुरी में जहाँ 'बाटे' का प्रयोग किया जाता है वहाँ दक्षिणी आदर्श भोजपुरी में 'बाड़े' प्रयुक्त होता है। गोरखपुर की भोजपुरी में 'मोहन घर में बाटें' कहते परन्तु बलिया में 'मोहन घर में बाड़ें' बोला जाता है।

पूर्वी गोरखपुर की भाषा को 'गोरखपुरी' कहा जाता है परन्तु पश्चिमी गोरखपुर और बस्ती जिले की भाषा को 'सरवरिया' नाम दिया गया है। 'सरवरिया' शब्द 'सरुआर' से निकला हुआ है जो 'सरयूपार' का अपभ्रंश रूप है। 'सरवरिया' और गोरखपुरी के शब्दों – विशेष तौर पर संज्ञा शब्दों के प्रयोग में भिन्नता पाई जाती है।

बलिया (उत्तरप्रदेश) और सारन (बिहार) इन दोनों जिलों में 'आदर्श भोजपुरी' बोली जाती है। परन्तु कुछ शब्दों के उच्चारण में थोड़ा अन्तर है। सारन के लोग 'ड' का उच्चारण 'र' करते हैं। जहाँ बलिया निवासी 'घोड़ागाड़ी आवत बा' कहता है, वहाँ छपरा या सारन का निवासी 'घोरागारी आवत बा' बोलता है। आदर्श भोजपुरी का नितान्त निखरा रूप बलिया और आरा जिले में बोला जाता है।

**(2) पश्चिमी भोजपुरी –** जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, गाजीपुर के पश्चिमी भाग और मिर्जापुर में बोली जाती है। आदर्श भोजपुरी और पश्चिमी भोजपुरी में बहुत अधिक अन्तर है पश्चिमी भोजपुरी में आदरसूचक के लिये 'तुँह' का प्रयोग दीख पड़ता है परन्तु आदर्श भोजपुरी में इसके लिये 'रउरा' प्रयुक्त होता है। सम्प्रदान कारक का परसर्ग (प्रत्यय) इन दोनों बोलियों में भिन्न-भिन्न पाया जाता है। आदर्श भोजपुरी में सम्प्रदान कारक का प्रत्यय 'लागि' है परन्तु वाराणसी की पश्चिमी भोजपुरी में इसके लिये 'बदे' या 'वास्ते' का प्रयोग होता है।

**(3) मधेसी और थारू –** मधेसी शब्द संस्कृत के 'मध्यप्रदेश' से निकला है जिसका अर्थ है – बीच का देश। चूँकि यह बोली तिरहुत की मैथिली बोली और गोरखपुर की भोजपुरी के बीच वाले स्थानों में बोली जाती है, अतः इसका नाम मधेसी (अर्थात् वह बोली जो इन दोनो के बीच में बोली जाये) पड़ गया है। यह बोली चंपारण जिले में बोली जाती और प्रायः 'कैथी लिपि' में लिखी जाती है। 'थारू' लोग नेपाल की तराई में रहते हैं। ये बहराइच से चंपारण जिले तक पाए जाते हैं और भोजपुरी बोलते हैं। यह विशेष उल्लेखनीय बात है कि गोंडा और बहराइच जिले के थारू लोग भोजपुरी बोलते हैं जबकि वहाँ की भाषा पूर्वी हिन्दी (अवधी) है।

भोजपुरी बहुत ही सुन्दर, सरस तथा मधुर भाषा है। भोजपुरी भाषा-भाषियों की संख्या भारत की समृद्ध भाषाओं – बांग्ला, गुजराती और मराठी आदि बोलने वालों से कम नहीं है। इन दृष्टियों से इस भाषा का महत्त्व बहुत अधिक है और इसका भविष्य उज्ज्वल है। भोजपुरी भाषा में साहित्य यद्यपि अभी प्रचुर मात्रा में नहीं है तथापि अनेक सरस कवि और अधिकारी लेखक इसके भण्डार को भरने में संलग्न हैं। भोजपुरी प्रदेश के लोगों को अपनी भाषा से बड़ा प्रेम है। अनेक पत्र-पत्रिकाएँ तथा ग्रन्थ इसमें प्रकाशित हो रहे हैं तथा इसके प्रचार में अनेक भोजपुरी सांस्कृतिक सम्मेलन संलग्न है। भोजपुरी

जनजागरण अभियान से लेकर विश्व भोजपुरी सम्मेलन तक समय-समय पर आन्दोलनात्मक, रचनात्मक और बौद्धिक तीन स्तरों पर भोजपुरी भाषा, साहित्य और संस्कृति के विकास में निरन्तर जुटा हुआ है। देवरिया (यूपी), दिल्ली, मुंबई, कोलकाटा, पोर्ट लुईस (मॉरीशस), सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और अमेरिका में इसकी शाखाएँ खोली जा चुकी हैं।

भोजपुरी साहित्य में भिखारी ठाकुर का योगदान अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। उन्हें भोजपुरी का शेक्सपीयर भी कहा जाता है। उनके लिखे हुए नाटक तत्कालीन स्त्रियों और भोजपुरी प्रदेश के प्रवासी मजदूरों के मार्मिक दृश्य को दर्शाते हैं। अपने नाटकों के द्वारा उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया है। उनके प्रमुख ग्रन्थ हैं – बिदेसिया, बेटी-बेचवा, भाई बिरोध, कलजुग प्रेम, विधवा-बिलाप इत्यादि।

**(ख)** **मैथिली –** मैथिली भारत के उत्तरी बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। यह हिन्द आर्यभाषा समुदाय की सदस्य है। इसका प्रमुख स्रोत संस्कृत भाषा है, जिसके शब्द 'तत्सम' वा 'तद्भव' रूप में मैथिली में प्रयुक्त होते हैं। यह भाषा बोलने और सुनने में बहुत ही मोहक लगती है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और इसे राजभाषा की मान्यता प्राप्त हो गयी है। मैथिली भारत में मुख्य रूप से दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, शिवहर, भागलपुर, मधेपुरा, अररिया, सुपौल, वैशाली, सहरसा, राँची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद और देवघर जिलों में बोली जाती है। नेपाल के आठ जिलों धनुषा, सिरहा, सुनसरी, सरलाही, सप्तरी, मोहतरी, मोरंग और रौतहट में भी यह बोली जाती है।

बांग्ला, असमिया और ओड़िया के साथ-साथ इसकी उत्पत्ति मागधी प्राकृत से हुई है। कुछ अंशों में यह बांग्ला और कुछ अंशों में हिन्दी से मिलती जुलती है। वर्ष 2003 में मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। सन् 2007 में नेपाल के अंतरिम संविधान में इसे एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में स्थान दिया गया है। पहले इसे मिथिलाक्षर तथा कैथी लिपि में लिखा जाता था जो बांग्ला और असमिया लिपियों से मिलती थी परन्तु कालान्तर में देवनागरी का प्रयोग होने लगा। मिथिलाक्षर को तिरहुता या वैदेही लिपी के नाम से भी जाना जाता है। यह असमिया, बांग्ला व उड़िया लिपियों की जननी है। उड़िया लिपि बाद में द्रविड़ भाषाओं के सम्पर्क के कारण परिवर्तित हुई।

मैथिली का प्रथम प्रमाण रामायण में मिलता है। यह त्रेता युग में मिथिलानरेश राजा जनक की राज्यभाषा थी। इस प्रकार यह इतिहास की प्राचीनतम भाषाओं में से एक मानी जाती है। प्राचीन मैथिली के विकास का शुरुआती दौर प्राकृत और अपभ्रंश के विकास से जोड़ा जाता है। लगभग 700 ई. के आसपास इसमें रचनाएँ की जाने लगी। विद्यापति मैथिली के आदिकवि तथा सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। विद्यापति ने मैथिली के अतिरिक्त संस्कृत तथा अवहट्ट में भी रचनाएँ लिखीं। ये वह दो प्रमुख भाषाएँ हैं जहाँ से मैथिली का विकास हुआ। मैथिली विश्व की सर्वाधिक समृद्ध, शालीन और मिठासपूर्ण भाषाओं में से एक मानी जाती है। मैथिली की अपनी लिपि है जो एक समृद्ध भाषा की प्रथम पहचान है।

मैथिली साहित्य का अपना समृद्ध इतिहास रहा है। चौदहवीं तथा पन्द्रहवीं शताब्दी के कवि विद्यापति को मैथिली साहित्य में सबसे ऊँचा दर्जा प्राप्त है। विद्यापति के बाद के काल में गोविन्द दास, चन्दा झा, मनबोध, पण्डित सीताराम झा, जीवनाथ झा प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं।

**(ग)** **मगही –** मगही का संक्षिप्त परिचय है कि यह 'बिहारी भाषा' के अन्तर्गत बोली जाने वाली तीन प्रमुख में से एक है। ग्रियर्सन ने इसे आधुनिक आर्यभाषा की बाहरी उपशाखा के पूर्वी समुदाय में रखकर इसे बिहारी कहा है। वर्ष 2002 में इसके बोलने वालों की संख्या 1 लाख 30 हज़ार आँकी गई थी। लेकिन, वर्ष 2017 तक आते-आते इसके बोलने वालों की संख्या में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में यह भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है – गया, पटना, राजगीर, नालन्दा, नवादा, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद। बिहार के जिलों के अलावा भी झारखंड के कुछ क्षेत्रों, जिनमें सिंहभूम, मानभूम, हजारीबाग, पलामू, संथालपरगना आदि में भी मगही भाषा-भाषी बोलने समझने वाले लोग हैं।

कुछ विद्वानों का मानना है कि मगही संस्कृत भाषा से जन्मी हिन्द आर्यभाषा है, परन्तु महावीर और बुद्ध दोनों के उपदेश की भाषा मागधी ही थी। बुद्ध ने भाषा की प्राचीनता के सवाल पर स्पष्ट कहा है – "सा मागधी मूल भाषा।" अतः मगही 'मागधी' से ही निकली भाषा है।

## 2.3.2.3. पहाड़ी भाषाएँ

हिमालय पर्वत शृंखलाओं के दक्षिणवर्ती भूभाग में कश्मीर के पूर्व से लेकर नेपाल तक पहाड़ी भाषाएँ बोली जाती हैं। ग्रियर्सन ने आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का वर्गीकरण करते समय पहाड़ी भाषाओं का एक स्वतन्त्र समुदाय माना है। चैटर्जी ने इन्हें पैशाची, दरद अथवा खस प्राकृत पर आधारित मानकर मध्यकाल में इन पर राजस्थान की प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं का प्रभाव घोषित किया है। एक नये मत के अनुसार कम से कम मध्य पहाड़ी भाषाओं का उद्गम शौरसेनी प्राकृत है, जो राजस्थानी का मूल भी है।

पहाड़ी भाषाओं के शब्दसमूह, ध्वनिसमूह, व्याकरण आदि पर अनेक जातीय स्तरों की छाप पड़ी है। यक्ष, किन्नर, किरात, नाग, खस, शक, आर्य आदि विभिन्न जातियों की भाषागत विशेषताएँ प्रयत्न करने पर खोजी जा सकती हैं जिनमें अब यहाँ आर्य-आर्येतर तत्त्व परस्पर घुल-मिल गए हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसा अनुमान किया जाता है कि प्राचीनकाल में इनका कुछ पृथक् स्वरूप अधिकांश मौखिक था। मध्यकाल में यह भूभाग राजस्थानी भाषा-भाषियों के अधिक सम्पर्क में आया और आधुनिककाल में आवागमन की सुविधा के कारण हिन्दी भाषाई तत्त्व यहाँ प्रवेश करते जा रहे हैं। पहाड़ी भाषाओं का व्यवहार एक प्रकार से घरेलू बोलचाल, पत्र-व्यवहार आदि तक ही सीमित हो चला है।

पहाड़ी भाषाओं में दरद भाषाओं की कुछ ध्वन्यात्मक विशेषताएँ मिलती हैं जैसे घोष महाप्राण के स्थान पर अघोष अल्पप्राण ध्वनि हो जाना। पश्चिमी तथा मध्य पहाड़ी प्रदेश का नाम प्राचीनकाल में सम्पादलक्ष था।

यहाँ मध्यकाल में गुर्जरों एवं अन्य राजपूत लोगों का आवागमन होता रहा जिसका मुख्य कारण मुसलमानी आक्रमण था। अतः स्थानीय भाषा प्रयोगों में जो अधिकांश 'न' के स्थान पर 'ण' तथा अकारान्त शब्दों की ओकारान्त प्रवृत्ति लक्षित होती है, वह राजस्थानी प्रभाव का द्योतक है। पूर्वी हिन्दी को भी एकाधिक प्रवृत्तियाँ मध्य पहाड़ी भाषाओं में विद्यमान हैं क्योंकि यहाँ का कत्यूर राजवंश सूर्यवंशी अयोध्या नरेशों से सम्बन्ध रखता था। इस आधार पर पहाड़ी भाषाओं का सम्बन्ध अर्द्धमागधी क्षेत्र के साथ भी स्पष्ट हो जाता है।

इनके वर्तमान स्वरूप पर विचार करने पर दो तत्त्व मुख्यतः सामने आते हैं। एक तो यह कि पहाड़ी भाषाओं की एकाधिक विशेषता इन्हें हिन्दी भाषा से भिन्न करती हैं और दूसरे, कुछ तत्त्व दोनों के समान हैं। कहीं तो हिन्दी शब्द स्थानीय शब्दों के साथ वैकल्पिक रूप से प्रयुक्त होते हैं और कहीं हिन्दी शब्द ही स्थानीय शब्दों का स्थान ग्रहण करते जा रहे हैं। खड़ीबोली के माध्यम से कुछ विदेशी शब्द, जैसे 'हजामत', 'अस्पताल', 'फीता', 'सीप', 'डागदर' आदि भी चल पड़े हैं। पहाड़ी भाषाओं के तीन भेद निर्धारित किए जा सकते हैं – पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी।

**(क)** **पूर्वी पहाड़ी –** इसे नेपाली अथवा 'खसकुरा' भी कहते हैं। 'गोरखाली' इसी के अन्तर्गत है। इसमें लिखित साहित्य पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं।

**(ख)** **मध्य पहाड़ी –** मध्य पहाड़ी कुमाऊँ एवं गढ़वाल में बोली जाती हैं। अतः इसी आधार पर 'कुमाउँनी' तथा 'गढ़वाली' के नाम से प्रसिद्ध हैं। उत्तरप्रदेश के सात पार्वत्य जिले इनके क्षेत्र हैं और इन्हें बोलने वालों की संख्या लगभग 16 लाख बताई जाती है। कुमाउँनी भाषा जिला नैनीताल, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ में प्रयुक्त होती है। इसका क्षेत्र इस समय लगभग 8000 वर्ग मील में विस्तृत है तथा सन् 1951 की जनगणना के अनुसार इसे बोलने वालों की संख्या लगभग 570,008 है। हिन्दी द्वितीय भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। इस कारण कुमाउँनी हिन्दी खड़ीबोली के अत्यधिक निकट आ गई है। व्याकरण की दृष्टि से सर्वनामों में – मैं, तू, हम, तुम, ऊ, ऊँ, (वह, वे) का प्रयोग चलता है। सम्बन्ध कारक बहुवचन का रूप 'उनको' न होकर 'उनर' होता है। हिन्दी की भाँति कुमाउँनी में दो ही लिंग प्रयुक्त होते हैं और यह लिंगत्व केवल पुरुषत्व, स्त्रीत्व के भेद पर आधारित नहीं प्रत्युत वस्तु के आकार तथा स्वभाव पर भी निर्भर है। वचन दो हैं, तथा हिन्दी की प्रायः सभी धातुएँ मिलती हैं। पदक्रम एवं वाक्यविन्यास भी मिलता जुलता है। आरम्भ में कर्त्ता अन्त में क्रियापद रहता है। क्रियाविशेषण भी हिन्दी की भाँति क्रिया के पूर्व आता है।

फिर भी कुमाउँनी में कुछ ध्वनियाँ खड़ीबोली हिन्दी की अपेक्षा विशिष्ट हैं। स्वरों की दृष्टि से ह्रस्व 'आ', ह्रस्व 'ए', ह्रस्व 'ऐ', ह्रस्व 'ओ' तथा ह्रस्व 'औ' ध्वनियाँ देखी जा सकती हैं। इस भेद से शब्दार्थों का अन्तर हो गया है। जैसे, 'काँव' (ह्रस्व आ) शब्द का कुमाउँनी में अर्थ हैं – 'काला' और 'काव' (दीर्घ आ) शब्द का अर्थ होता है – 'काल' अर्थात् मृत्यु। व्यंजनों में विशेष 'न' तथा विशेष 'ल' की उपलब्धि होती है। 'कांन' (काँटा), 'भांन' (बर्तन) जैसे शब्दों में विशिष्ट 'न' ध्वनि है जिसका

उच्चारण कुछ तालव्य की ओर झुका हुआ है । विशेष 'ल' वर्ण गंगोली तथा काली कुमाऊँ की बोलियों में प्राप्त होती है । कुमाउँनी की आठ बोलियाँ हैं – (1) खसरजिया, (2) कुमय्याँ, (3) पछाईं, (4) दनपुरिया, (5) सोरमाली, (6) शीराली, (7) गंगोला, (8) भोटिया । कुमाउँनी भाषा की लिपि देवनागरी है । इसका मौखिक साहित्य बड़ा समृद्ध है, यद्यपि लिखित साहित्य भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं।

गढ़वाली भाषा में अभी प्राचीन तत्त्व कुमाउँनी की अपेक्षा सुरक्षित हैं। इसका व्यवहार जिला गढ़वाल, टेहरी, चमोली, तथा उत्तर काशी में होता है । यह क्षेत्र लगभग 10,000 वर्गमील है तथा गढ़वाली भाषा भाषियों की संख्या लगभग 10 लाख है । यहाँ भौगोलिक कारणों से आवागमन की कठिनाइयाँ हैं । इसलिए पहाड़ियों के दोनों ओर रहने वालों अथवा एक ही नदी के आर-पार रहने वालों के भाषागत प्रयोगों में विशेषताएँ उभर आई हैं। उत्तर की बोलियों में तिब्बती तथा पूर्व की ओर कुमाउँनी प्रभाव स्पष्ट होता गया है क्योंकि इन क्षेत्रों की सीमाएँ मिली हुई हैं। राजपूत जातियों का निवास होने के कारण गढ़वाली पर राजस्थानी प्रभाव तो है ही, इसके दक्षिण-पश्चिम की ओर खड़ीबोली भी अपना प्रभाव डालती जा रही है।

गढ़वाली भाषा की कुछ विशेषताएँ द्रष्टव्य हैं –

(i) इसका झुकाव दीर्घत्व की ओर है । अतः स्वरों में ए, ऐ, ओ, औ, की ध्वनियाँ, जिनका दीर्घ रूप प्रधान है, अधिक प्रयुक्त होती हैं।

(ii) अनुनासिकता की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम हैं।

(iii) कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जो प्राचीन भाषाओं से चले आए हैं जैसे 'मुख' के अर्थ में 'गिच्चो' शब्द। सम्भव है इनमें अनेक प्राप्त शब्द प्राचीनतम जातियों के अवशेष हों।

(iv) व्याकरण की दृष्टि से गढ़वाली में एक दंताग्र 'ल' ध्वनि पाई जाती है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलती।

(v) क्रिया रूपों में धातु के अन्तिम 'अ' का लोप करके 'ओ' या 'अवा' जोड़ा जाता है, जैसे दौड़ना।

(vi) लिंगभेद भी प्रायः नियमित नहीं।

(vii) वस्तुओं की लघुता, गुरुता पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

(viii) अनेक शब्दों के एकवचन, बहुवचन रूप समान चलते हैं।

(ix) उच्चारण में मूर्धन्य 'ल' और 'ण' की विशेषताएँ द्रष्टव्य हैं।

(x) स्थानभेद से गढ़वाली की नौ प्रमुख बोलियाँ हैं – (1) श्रीनगरिय, (2) सलाणी, (3) मंझकुमइयाँ, (4) गंगवारिय, (5) बधाणी, (6) राठी, (7) दसौलिया, (8) लोभिया और (9) रर्वाल्टी । इनमें उच्चारण का ही मुख्य अन्तर प्रतीत होता है।

गढ़वाली भाषा का भी मौखिक साहित्य महत्त्व रखता है।

**(ग) पश्चिमी पहाड़ी –** यह पहाड़ी भाषाओं का तीसरा भेद है । वस्तुतः यह अनेक बोलियों का सामूहिक नाम है । ये बोलियाँ जोनसार बावर, शिमला, उत्तर-पूर्वी-सीमान्त पंजाब, कुल्लू घाटी, चंबा आदि स्थानों में बोली जाती हैं । इन सभी बोलियों का साहित्य लिखित रूप में प्राप्त नहीं, इस कारण इस भाषा की वैज्ञानिक खोज बहुत कम हो पाई है । अभी तक जो बोलियाँ इसके अन्तर्गत निश्चित की जा सकी हैं, उनका क्षेत्र विस्तार लगभग 14 हजार वर्ग मील का है तथा बोलने वाले प्रायः 16 लाख हैं । इनमें मुख्य हैं – (1) सिरमौरी, (2) जौनसारी, (3) कुलुई, (4) चंपाली, (5) आंडियाली और (6) भद्रवाही, आदि । इन बोलियों में अधिकांश लोकगीत और लोक कथाएँ विशेष प्रचलित हैं । कुलुई तथा चंबाली पर इधर कुछ कार्य हुआ है ।

कुलुई का क्षेत्र के बारे में यह सम्भावना व्यक्त की जाती है कि प्राचीन कुणिंद जल का क्षेत्र रहा हो, जिसने यहाँ राज्य किया था । इस समय यह बोली कुल्लू घाटी से लेकर हिमाचलप्रदेश के महासू जिले तक बोली जाती है । चंपाली अपने स्वर माधुर्य के लिए उल्लेखनीय है तथा स्थान भेद से इसके भी 'भट्याली', 'चुराही', आदि रूपान्तर मिलते हैं ।

## 2.3.3. पाठ-सार

हिन्दी भाषा-समुदाय के प्रथम वर्ग में हिन्दी की उपभाषाओं की चर्चा की जाती है, जिसमें राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी भाषाएँ आती हैं । राजस्थानी भाषा भारत के राजस्थान प्रान्त व मालवा क्षेत्र तथा पाकिस्तान के कुछ भागों में बोली जाने वाली भाषा है । इसका इतिहास बहुत पुराना है । इस भाषा में प्राचीन साहित्य विपुल मात्रा में उपलब्ध है । इस भाषा में विपुल मात्रा में लोक गीत, संगीत, नृत्य, नाटक, कथा, कहानी आदि उपलब्ध हैं । इस भाषा को सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है । लेकिन राजकीय भाषा का दर्जा पाने के लिए पिछले कुछ सालों से आन्दोलनरत है । भाषा वैज्ञानिक ग्रियर्सन ने राजस्थानी की पाँच बोलियाँ मानी हैं । लेकिन आमतौर पर इसे चार भागों में ही विभक्त जाता है – मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी । बिहारी उपभाषा का क्षेत्र सम्पूर्ण बिहार एवं पूर्वी उत्तरप्रदेश का क्षेत्र है । इसके अन्तर्गत भोजपुरी, मैथिली और मगही तीन हिन्दी बोलियाँ और कई उपबोलियाँ बोली जाती हैं । भोजपुरी का अधिकांश क्षेत्र उत्तरप्रदेश में पड़ता है तथा अपनी कुछ विशेषताओं के आधार पर भोजपुरी पूर्वी हिन्दी से सम्बन्धित प्रतीत होती है । इसलिए कुछ विद्वान् इसे बिहारी बोली नहीं मानते पर उदयनारायण तिवारी ने तीनों को मागधी से उत्पन्न मानते हुए, उनमें आन्तरिक एकता देखने की बात की है । मैथिली भारत के उत्तरी बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है । यह हिन्द आर्यभाषा समुदाय की सदस्य है । इसका प्रमुख स्रोत संस्कृत भाषा है, जिसके शब्द 'तत्सम' वा 'तद्भव' रूप में मैथिली में प्रयुक्त होते हैं । यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है । और इसे राजभाषा की मान्यता प्राप्त हो गया है । मगही बिहारी भाषा के अन्तर्गत बोली जाने वाली तीसरी प्रमुख भाषा है । ग्रियर्सन ने इसे आधुनिक आर्यभाषा की बाहरी उपशाखा के पूर्वी समुदाय में रखकर इसे बिहारी कहा है । कुछ विद्वानों का मानना है कि मगही संस्कृत भाषा से जन्मी हिन्द आर्यभाषा है, परन्तु महावीर और बुद्ध दोनों के उपदेश की भाषा मागधी ही थी । हिमालय पर्वत शृंखलाओं के दक्षिणवर्ती भूभाग में कश्मीर के पूर्व से लेकर नेपाल तक पहाड़ी भाषाएँ बोली जाती हैं । ग्रियर्सन ने

आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का वर्गीकरण करते समय पहाड़ी भाषाओं का एक स्वतन्त्र समुदाय माना है। पहाड़ी भाषाओं में पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी की गणना की जाती है।

## 2.3.4. बोध प्रश्न

**बहुविकल्पीय प्रश्न**

1. मगही निम्नलिखित में से किसकी बोली बतायी जाती है –
   (क) राजस्थानी
   (ख) बिहारी
   (ग) पहाड़ी
   (घ) पूर्वी हिन्दी

2. मैथिली का भौगोलिक क्षेत्र नहीं है –
   (क) आरा
   (ख) मधुबनी
   (ग) दरभंगा
   (घ) सुपौल

3. जोधपुर में निम्नलिखित में से कौन-सी बोली बोली जाती है –
   (क) मेवाती
   (ख) मारवाड़ी
   (ग) मालवी
   (घ) ढूँढाड़ी

4. निम्नलिखित में से कौन-सी बोली विदेश में भी बोली जाती है –
   (क) मैथिली
   (ख) कुमायूँनी
   (ग) भोजपुरी
   (घ) मारवाड़ी

5. निम्नलिखित में से कौन-सी बोलियाँ सांवैधानिक दर्जा पाने के किये आन्दोलनरत हैं –
   (क) भोजपुरी-राजस्थानी
   (ख) मगही-मैथिली

(ग) नेपाली-मैथिली

(घ) अवधी-बुन्देली

**लघु उत्तरीय प्रश्न**

1. बिहारी की बोलियों का उद्‌गम स्रोत कहाँ से है ?
2. पहाड़ी भाषाओं को कितने वर्गों में विभक्त किया जाता है ?
3. राजस्थानी को ग्रियर्सन ने कितने भागों में बाँटा है ?
4. गढ़वाली किस भाषा समूह की बोली है ?
5. मगही का उद्‌भव किससे हुआ है ?
6. हिन्दी की किस बोली को सांवैधानिक अधिकार मिल चुका है ?

**दीर्घ उत्तरीय प्रश्न**

1. राजस्थानी भाषा का परिचय देते हुए उसकी वर्गीकृत बोलियों का विस्तारपूर्वक विवेचन कीजिए।
2. बिहारी भाषा का परिचय देते हुए उसके वर्गीकृत बोलियों की सविस्तार चर्चा कीजिए।
3. पहाड़ी भाषा की विभिन्न बोलियों की विशेषताओं की विस्तार से विवेचना कीजिए।

## 2.3.5. व्यावहारिक (प्रायोगिक) कार्य

1. क्या आप मानते हैं कि जिन्हें हिन्दी की बोलियाँ कहा जाता है, उनमें से किसी एक या दो या तीन को अगर सांवैधानिक पद मिल जाता है तो उससे हिन्दी भाषा का नुकसान हो जायेगा। अगर 'हाँ' तो अपने तर्क दीजिए और अगर 'नहीं' तो अपने तर्क दीजिए।

## 2.3.6. उपयोगी ग्रन्थ-सूची

1. जी. ए. ग्रियर्सन, भारत का भाषा सर्वेक्षण, अनुवादक – डॉ॰ उदयनारायण तिवारी, 1959
2. भोलानाथ तिवारी, हिन्दी भाषा का इतिहास, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
3. उदयनारायण तिवारी, हिन्दी भाषा : उद्‌भव व विकास, लोकभारती प्रकाशन, 2016, ISBN : 978–8180–31–1024

**उपयोगी लिंक** :

1. https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%80_%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%81

## खण्ड – 2 : हिन्दी भाषा-समुदाय

### इकाई – 4 : भाषा-समुदाय – द्वितीय वर्ग (हिन्दी की बोलियाँ) : पूर्वी और पश्चिमी हिन्दी में अन्तर, पश्चिमी हिन्दी की बोलियाँ – खड़ीबोली, बाँगरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुन्देली का परिचय, पूर्वी हिन्दी की बोलियाँ – अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का परिचय

**इकाई की रूपरेखा**


2.4.0. उद्देश्य
2.4.1. प्रस्तावना
2.4.2. पूर्वी और पश्चिमी हिन्दी में अन्तर
2.4.3. पश्चिमी हिन्दी की बोलियाँ
  2.4.3.1. खड़ीबोली
  2.4.3.2. ब्रजभाषा
  2.4.3.3. हरियाणवी या बाँगरू
  2.4.3.4. बुन्देली
  2.4.3.5. कन्नौजी
2.4.4. पूर्वी हिन्दी की बोलियाँ
  2.4.4.1. अवधी
  2.4.4.2. बघेली
  2.4.4.3. छत्तीसगढ़ी
2.4.5. पाठ-सार
2.4.6. बोध प्रश्न
2.4.7. उपयोगी ग्रन्थ-सूची


## 2.4.0. उद्देश्य

प्रस्तुत पाठ का अध्ययन करने के उपरान्त आप –

i. हिन्दी भाषा-समुदाय के दूसरे वर्ग मे आने वाली हिन्दी की बोलियों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे।
ii. पूर्वी और पश्चिमी हिन्दी में अन्तर को जान सकेंगे।
iii. पश्चिमी हिन्दी की बोलियों में आने वाली खड़ीबोली, बाँगरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुन्देली का परिचय का प्राप्त कर पाएँगे।
iv. पूर्वी हिन्दी की बोलियों में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का परिचय प्राप्त कर सकेंगे।

## 2.4.1. प्रस्तावना

हिन्दी विशाल प्रदेश में बोली और समझी जाती है परन्तु सभी स्थानों में इसका स्वरूप एक-सा नहीं है। सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो एक व्यक्ति की भाषा दूसरे व्यक्ति की भाषा से भिन्न होगी, यहाँ तक कि एक ही व्यक्ति एक बार उच्चरित ध्वनि का उच्चारण स्वयं उसी रूप में दूसरी बार नहीं कर सकता। व्यक्तिगत भाषा भिन्नता से आगे देखें तो प्रत्येक परिवार की बोली और दूसरे परिवार की बोली में अन्तर होता है। ब्लूमफील्ड का कहना है – "समुदाय के कोई भी सदस्य समान रूप से नहीं बोलते हैं।" एक भाषा-समुदाय में भी कई बोलियाँ हो सकती हैं जो आपस में एकरूप नहीं होती हैं। बोली भाषा का वह रूप है जो विशेष क्षेत्र में बोली जाती है और उच्चारण, व्याकरणिक रूप और शब्द प्रयोगों की दृष्टि से अन्य बोलियों से भिन्न होती है परन्तु इतनी भिन्न भी नहीं कि उन्हें एक भाषा के अन्तर्गत न रखा जा सके। बोलीगत भेद महत्त्वपूर्ण होते हैं। इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हिन्दी भाषा समुदाय में भी कई बोलियाँ, उपभाषाएँ, विभाषाएँ आदि बोली जाती हैं जिनमें आपस में थोड़ी भिन्नता होती है। यह कहा जा सकता है कि एक ही भाषा बोलने वाले लोगों की भाषा भी एक रूप नहीं, विषमरूप होती है। तथापि यह भिन्नता इतनी अधिक नहीं होती है कि समीप की बोलियों में पारस्परिक बोधगम्यता में बाधा पड़े। हिन्दी भाषा-क्षेत्र जैसे कहा जाता है, वह एक बोली-समुच्चय है। इस समुच्चय के समीप की सभी बोलियों में पारस्परिक बोधगम्यता है परन्तु दूरस्थ बोलियों में बोधगम्यता कम होती है।

## 2.4.2. पूर्वी और पश्चिमी हिन्दी में अन्तर

पूर्वी और पश्चिमी हिन्दी – ये नाम ग्रियर्सन के रखे हुए हैं। वे केवल आठ बोलियों को ही भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिन्दी के अन्तर्गत मानते थे। इन दोनों में अन्तर मूलतः इनकी भौगोलिक स्थिति तथा इन दोनों के इतिहास पर आधारित है। भौगोलिक दृष्टि से 'पश्चिमी हिन्दी' पंजाबी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी हिन्दी तथा मराठी भाषाओं के बीच में है, अतः उसमें इन भाषाओं की कुछ बातें न्यूनाधिक रूप में पायी जाती हैं। दूसरी ओर, 'पूर्वी हिन्दी' पहाड़ी, बिहारी, उड़िया, मराठी तथा पश्चिमी हिन्दी के बीच में है। अतः उसमें इनकी विशेषताएँ अंशतः समाहित हैं। 'पश्चिमी हिन्दी' शौरसेनी से उद्भूत है, अतः उसे उक्त अपभ्रंश की परम्पराएँ मिली हैं, जबकि 'पूर्वी हिन्दी' अर्द्धमागधी से विकसित हुई है इसलिए उसमें पूर्वी शौरसेनी तथा पश्चिमी मागधी की विशेषताएँ मिल गई हैं। इन दोनों में मुख्य अन्तर निम्नांकित हैं –

(1) **ध्वनि के आधार पर –** पूर्वी हिन्दी में 'अ' ध्वनि का उच्चारण 'ओ' के निकट होता है जबकि पश्चिमी हिन्दी में ह्रस्व 'इ', 'उ' का उच्चारण दीर्घ 'ई', 'ऊ' के निकट होता है। पूर्वी हिन्दी में दो स्वर एक साथ आते हैं जबकि पश्चिमी हिन्दी में नहीं। पूर्वी हिन्दी में 'र', 'ल' हो जाता है, इसी प्रकार पश्चिमी हिन्दी में शब्द के आदि में प्रयुक्त 'य', 'व' ध्वनि पूर्वी हिन्दी में 'ए' हो जाते हैं। पश्चिमी हिन्दी में आकारान्त या ओकारान्त पूर्वी हिन्दी में अकारान्त ही रह जाते हैं – पश्चिमी हिन्दी का 'बड़ा' पूर्वी हिन्दी में 'बड़ो' या 'बड' हो जाता है।

(2) **वाक्य-रचना के आधार पर –** पूर्वी और पश्चिमी हिन्दी का सबसे महत्त्वपूर्ण अन्तर वाक्य-रचना से सम्बन्धित है। इसी विशेषता को आधार बनाकर डॉ॰ सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या ने भारतीय आर्यभाषाओं को दो भागों में विभाजित किया है। उक्त विभाजन का आधार लेकर कहा जा सकता है कि पश्चिमी हिन्दी कर्म-प्रयोग प्रधान भाषाओं के साथ आती है और पूर्वी हिन्दी की बोलियाँ कर्त्री-प्रयोग प्रधान भाषाओं के साथ।

## 2.4.3. पश्चिमी हिन्दी की बोलियाँ

पश्चिमी हिन्दी में पाँच बोलियों की गणना की जाती है – खड़ीबोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी।

### 2.4.3.1. खड़ीबोली

'खड़ी' का अर्थ है – 'खरी' अर्थात् शुद्ध अथवा ठेठ हिन्दी बोली। शुद्ध अथवा ठेठ हिन्दी बोली या भाषा को उस समय खरी या खड़ीबोली के नाम से सम्बोधित किया गया जबकि हिन्दुस्तान में अरबी, फ़ारसी और हिन्दुस्तानी शब्द मिश्रित उर्दू भाषा का चलन था और दूसरी ओर अवधी या ब्रजभाषा का। ठेठ या शुद्ध हिन्दी का चलन न था। यह लगभग 18वीं शताब्दी के आरम्भ का समय था, जब कुछ हिन्दी गद्यकारों ने ठेठ हिन्दी में लिखना शुरू किया। इसी ठेठ हिन्दी को खरी हिन्दी या खड़ी हिन्दी बोली कहा गया। खड़ीबोली से तात्पर्य 'खड़ीबोली हिन्दी' से है जिसे भारतीय संविधान ने राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया है। भाषाविज्ञान की दृष्टि से इसे आदर्श हिन्दी, उर्दू तथा हिन्दुस्तानी की मूल आधार स्वरूप बोली होने का गौरव प्राप्त है। खड़ीबोली पश्चिमी रुहेलखंड, गंगा के उत्तरी दोआब तथा अम्बाला जिले की उपभाषा है जो वहाँ की ग्रामीण जनता द्वारा मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। इस प्रदेश में रामपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, सहारनपुर, देहरादून का मैदानी भाग, अम्बाला तथा कलसिया और भूतपूर्व पटियाला रियासत के पूर्वी भाग आते हैं।

'खड़ीबोली' (या खरी बोली) वर्तमान हिन्दी का एक रूप है जिसमें संस्कृत के शब्दों की बहुलता करके वर्तमान हिन्दी भाषा की सृष्टि की गई और फ़ारसी तथा अरबी के शब्दों की अधिकता करके वर्तमान उर्दू भाषा की सृष्टि की गई है। अर्थात् वह बोली जिस पर ब्रज या अवधी आदि की छाप न हो, ठेठ हिन्दी हो। खड़ीबोली आज की राष्ट्रभाषा हिन्दी का पूर्व रूप है। यह परिनिष्ठित पश्चिमी हिन्दी का एक रूप है। इसका इतिहास शताब्दियों से चला आ रहा है।

जिस समय मुसलमान इस देश में आकर बस गए, उस समय उन्हें यहाँ की कोई एक भाषा ग्रहण करने की आवश्यकता हुई। वे प्रायः दिल्ली और उसके पूरबी प्रांतों में ही अधिकता से बसे थे और ब्रजभाष तथा अवधी भाषाएँ, क्लिष्ट होने के कारण अपना नहीं सकते थे, इसलिये उन्होंने मेरठ और उसके आसपास की बोली ग्रहण की और उसका नाम खड़ी (खरी) बोली रखा। इसी खड़ीबोली में वे धीरे-धीरे फ़ारसी और अरबी शब्द मिलाते गए, जिससे अन्त में वर्तमान उर्दू भाषा की सृष्टि हुई। विक्रमी 14वीं शताब्दी में पहले-पहल अमीर ख़ुसरो ने इस

प्रान्तीय बोली का प्रयोग करना आरम्भ किया और उसमें बहुत कुछ कविता की, जो सरल तथा सरस होने के कारण शीघ्र ही प्रचलित हो गई। बहुत दिनों तक मुसलमान ही इस बोली का बोलचाल और साहित्य में व्यवहार करते रहे, पर पीछे हिन्दुओं में भी इसका प्रचार होने लगा। 15वीं और 16वीं शताब्दी में कोई कोई हिन्दी के कवि भी अपनी कविता में कहीं-कहीं इसका प्रयोग करने लगे थे, पर उनकी संख्या प्रायः नहीं के समान थी। अधिकांश कविता बराबर अवधी और ब्रजभाषा में ही होती रही। 18वीं शताब्दी में हिन्दू भी साहित्य में इसका व्यवहार करने लगे, पर पद्य में नहीं, केवल गद्य में; और तभी से मानों वर्तमान हिन्दी गद्य का जन्म हुआ, जिसके आचार्य मुंशी सदासुखलाल, लल्लू लाल और सदल मिश्र माने जाते हैं। जिस प्रकार मुसलमानों ने इसमें फ़ारसी तथा अरबी आदि के शब्द भरकर वर्तमान उर्दू भाषा बनाई, उसी प्रकार हिन्दुओं ने भी उसमें संस्कृत के शब्दों की अधिकता करके वर्तमान हिन्दी प्रस्तुत की।

वर्तमान हिन्दी का एक रूप जिसमें संस्कृत के शब्दों की बहुलता करके वर्तमान हिन्दी भाषा की और फ़ारसी तथा अरबी के शब्दों की अधिकता करके वर्तमान उर्दू भाषा की सृष्टि की गई है।

## 2.4.3.2. ब्रजभाषा

ब्रजभाषा मूलतः ब्रज क्षेत्र की बोली है। विक्रम की 13वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक भारत के मध्य देश की साहित्यिक भाषा रहने के कारण ब्रज की इस जनपदीय बोली ने अपने उत्थान एवं विकास के साथ आदरार्थ भाषा नाम प्राप्त किया और ब्रजबोली नाम से नहीं, अपितु ब्रजभाषा नाम से विख्यात हुई। अपने विशुद्ध रूप में यह आज भी आगरा, हिण्डौन सिटी, धौलपुर, मथुरा, मैनपुरी, एटा और अलीगढ़ जिलों में बोली जाती है। इसे केन्द्रीय ब्रजभाषा के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है।

ब्रजभाषा में ही प्रारम्भ में काव्य की रचना हुई। सभी भक्तकवियों ने अपनी रचनाएँ इसी भाषा में लिखी हैं। जिनमें प्रमुख हैं – सूरदास, रहीम, रसखान, केशव, घनानन्द, बिहारी, इत्यादि। फिल्मों के गीतों में भी ब्रजभाषा के शब्दों का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, कन्नौजी को ब्रजभाषा का ही एक रूप मानते हैं। दक्षिण की ओर ग्वालियर में पहुँचकर इसमें बुंदेली की झलक आने लगती है। पश्चिम की ओर गुड़गाँव तथा भरतपुर का क्षेत्र राजस्थानी से प्रभावित है। ब्रजभाषा आज के समय में प्राथमिक तौर पर एक ग्रामीण भाषा है, जो कि मथुरा-आगरा केन्द्रित ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है। यह मध्य दोआब के इन जिलों की प्रधान भाषा है।

भारतीय आर्यभाषाओं की परम्परा में विकसित होनेवाली 'ब्रजभाषा' शौरसेनी अपभ्रंश की कोख से जन्मी है। जब से गोकुल वल्लभ सम्प्रदाय का केन्द्र बना, ब्रजभाषा में कृष्ण विषयक साहित्य लिखा जाने लगा। इसी के प्रभाव से ब्रज की बोली साहित्यिक भाषा बन गई। भक्तिकाल के प्रसिद्ध महाकवि महात्मा सूरदास से लेकर आधुनिककाल के विख्यात कवि वियोगी हरि तक ब्रजभाषा में प्रबन्ध काव्य तथा मुक्तक काव्य समय-समय पर रचे जाते रहे।

### 2.4.3.3. हरियाणवी या बाँगरू

हरियाणा प्रदेश की बोली होने के कारण इसका नाम 'हरियाणवी' पड़ा है। इसका दूसरा नाम 'बाँगरू' है। 'बाँगर' का अर्थ है – उबड़-खाबड़ या उच्च भूमि। करनाल जिले के आसपास का क्षेत्र 'बाँगर' कहलाता है। इसी कारण, ग्रियर्सन ने इस विभाषा को 'बाँगरू' कहा है। इसका तीसरा नाम 'जाटू' भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, हरियाणा प्रदेश की बोली होने के कारण 'हरियाणवी', बाँगर क्षेत्र की भाषा होने के कारण 'बाँगरू' तथा जाटों की भाषा होने के कारण 'जाटू' नाम से जानी जाती है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र कर्नल, रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र, गुडगाँव, पटियाला का कुछ भाग तथा दिल्ली के आस-पास तक फैला हुआ है। हरियाणवी में लोकसाहित्य काफी है, जिसका कुछ अंश अब प्रकाशित भी हो चुका है। हरियाणवी कड़ी बोली से काफी प्रभावित है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

(i) हरियाणवी में 'ल' के स्थान पर 'ळ' का उच्चारण होता है।

(ii) इसमें दीर्घ व्यंजन का प्रयोग अधिक देखने को मिलता है। 'बेटा' से 'बेट्टा', 'गाड़ी' से 'गाड्डी' आदि।

### 2.4.3.4. बुन्देली

बुंदेलखंड के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली बोली बुंदेली है। यह कहना बहुत कठिन है कि बुंदेली कितनी पुरानी बोली हैं लेकिन ठेठ बुंदेली के शब्द अनूठे हैं जो सदियों से आज तक प्रयोग में हैं। केवल संस्कृत या हिन्दी पढ़ने वालों को उनके अर्थ समझना कठिन हैं। ऐसे सैकड़ों शब्द जो बुंदेली के निजी है, उनके अर्थ केवल हिन्दी जानने वाले नहीं बतला सकते किन्तु बांग्ला या मैथिली बोलने वाले आसानी से बता सकते हैं।

प्राचीनकाल में बुंदेली में शासकीय पत्र-व्यवहार, सन्देश, बीजक, राजपत्र, मैत्री-सन्धियों के अभिलेख प्रचुर मात्रा में मिलते है। कहा तो यह भी जाता है कि औरंगजेब और शिवाजी भी क्षेत्र के हिन्दू राजाओं से बुंदेली में ही पत्र-व्यवहार करते थे। ठेठ बुंदेली का शब्दकोश भी हिन्दी से अलग है और माना जाता है कि वह संस्कृत पर आधारित नहीं हैं। एक-एक क्षण के लिए अलग-अलग शब्द हैं। गीतो में प्रकृति के वर्णन के लिए, अकेली संध्या के लिए बुंदेली में इक्कीस शब्द हैं। बुंदेली में वैविध्य है, इसमें बांदा का अक्खड़पन है और नरसिंहपुर की मधुरता भी है।

बुंदेली बुंदेलखंड की उपभाषा है। शुद्ध रूप में यह झाँसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी तथा होशंगाबाद में बोली जाती है। इसके कई मिश्रित रूप दतिया, पन्ना, चरखारी, दमोह, बालाघाट तथा छिंदवाड़ा विदिशा के कुछ भागों में पाए जाते हैं। कुछ कुछ बाँदा के हिस्से में भी बोली जाती है।

वर्तमान बुंदेलखंड चेदि, दशार्ण एवं कारुष से जुड़ा था। यहाँ पर अनेक जनजातियाँ निवास करती थीं। इनमें कोल, निषाद, पुलिंद, किराद, नाग, सभी की अपनी स्वतन्त्र भाषाएँ थी, जो विचारों-अभिव्यक्तियों की

माध्यम थीं। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में इस बोली का उल्लेख प्राप्त है। शबर, भील, चांडाल, सजर, द्रविड़ोद्भवा, हीना वने वारणम् व विभाषा नाटकम् स्मृतम् से बनाफरी का अभिप्रेत है। संस्कृत भाषा के विद्रोहस्वरूप प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। इनमें देशज शब्दों की बहुलता थी। हेमचन्द्र सूरि ने पामरजनों में प्रचलित प्राकृत अपभ्रंश का व्याकरण दशवी शती में लिखा। मध्यदेशीय भाषा का विकास इस काल में हो रहा था। हेमचन्द्र के कोश में विंध्येली के अनेक शब्दों के निघंटु प्राप्त हैं।

बारहवीं सदी में दामोदर पण्डित ने 'उक्ति व्यक्ति प्रकरण' की रचना की। इसमें पुरानी अवधी तथा शौरसेनी ब्रज के अनेक शब्दों का उल्लेख मिलता है। इसी काल में अर्थात् एक हजार ईस्वी में बुंदेली पूर्व अपभ्रंश के उदाहरण प्राप्त होते हैं। इसमें देशज शब्दों की बहुलता थी। किशोरीदास वाजपेयी द्वारा लिखित 'हिन्दी शब्दानुशासन' के अनुसार हिन्दी एक स्वतन्त्र भाषा है, उसकी प्रकृति संस्कृत तथा अपभ्रंश से भिन्न है। बुंदेली की माता प्राकृत शौरसेनी तथा पिता संस्कृत भाषा है। दोनों भाषाओं से जन्मने के उपरान्त भी बुंदेली भाषा की अपनी चाल, अपनी प्रकृति तथा वाक्यविन्यास की अपनी मौलिक शैली है। हिन्दी प्राकृत की अपेक्षा संस्कृत के निकट है।

मध्यदेशीय भाषा का प्रभुत्व अविच्छन्न रूप से ईसा की प्रथम सहस्राब्दी के सारे काल में और इसके पूर्व कायम रहा। नाथ तथा नाग पंथों के सिद्धों ने जिस भाषा का प्रयोग किया, उसके स्वरूप अलग-अलग जनपदों में भिन्न-भिन्न थे। वह देशज प्रधान लोकभाषा थी। इसके पूर्व भी भवभूतिकृत उत्तररामचरितम् में ग्रामीणजनों की भाषा विंध्येली प्राचीन बुंदेली ही थी। सम्भवतः चंदेल नरेश गंडदेव (सन् 940 से 999 ई.) तथा उसके उत्तराधिकारी विद्याधर (999 ई. से 1025 ई.) के काल में बुंदेली के प्रारम्भिक रूप में महमूद गजनवी की प्रशंसा की कतिपय पंक्तियाँ लिखी गयीं। इसका विकास रासो काव्यधारा के माध्यम से हुआ। जगनिक आल्हाखंड तथा परमाल रासो प्रौढ़ भाषा की रचनाएँ हैं। बुंदेली के आदिकवि के रूप में प्राप्त सामग्री के आधार पर जगनिक एवं विष्णुदास सर्वमान्य हैं, जो बुंदेली की समस्त विशेषताओं से मंडित हैं।

बुंदेली के बारे में कहा गया है – 'बुंदेली बा है जौन में बुंदेलखंड के कवियन ने अपनी कविता लिखी, बारता लिखवे वारन ने वारता (गद्य) लिखी। जा भासा पूरे बुंदेलखंड में एकई रूप में मिलत है। बोली के कई रूप जगा के हिसाब से बदलत जात हैं। जाई से कही गई है कि कोस-कोस पे बदले पानी, गाँव-गाँव में बानी। बुंदेलखंड में जा हिसाब से बहुत सी बोली चलन में हैं जैसे डंघाई, चौरासी पवारी आदि।"

## 2.4.3.5. कन्नौजी

कन्नौज और उसके आस-पास बोली जाने वाली भाषा को कन्नौजी या कनउजी भाषा कहते हैं। 'कान्यकुब्ज' से 'कन्नौज' शब्द व्युत्पन्न हुआ और कन्नौज के आस-पास की बोली 'कन्नौजी' नाम से अभिहित की गयी। कन्नौज वर्तमान में एक जिला है जो उत्तरप्रदेश में है। यह भारत का अति प्राचीन, प्रसिद्ध एवं समृद्ध नगर रहा है। इसका उल्लेख प्राचीन ग्रन्थों रामायण आदि में मिलता है। कन्नौजी का विकास शौरसेनी प्राकृत की भाषा

पांचाली प्राकृत से हुआ। इसीलिए आचार्य किशोरीदास बाजपेयी ने इसे पांचाली नाम दिया। वस्तुतः पांचाल प्रदेश की मुख्य बोली 'पांचाली' अर्थात् 'कन्नौजी' ही है। यह बोली उत्तर में हरदोई, शाहजहाँपुर और पीलीभीत तक तथा दक्षिण में इटावा, मैनपुरी की भोगाँव, मैनपुरी तथा करहल तहसील, एटा की एटा और अलीगंज तहसील, बदायूँ की बदायूँ तथा दातागंज तहसील, बरेली की बरेली, फरीदपुर तथा नवाबगंज तहसील, पीलीभीत, हरदोई (संडीला तहसील में गोसगंज तक), खेरी की मुहम्मदी तहसील तथा सीतापुर की मिस्रिख तहसील में बोली जाती है। स्पष्ट है कि उत्तर पांचाल के अनेक जनपदों में तथा दक्षिण पांचाल के लगभग समस्त जनपदों में 'कन्नौजी' का ही प्रचार-प्रसार है।

कन्नौजी का क्षेत्र बहुत विस्तृत नहीं है, परन्तु भाषा के सम्बन्ध में यह कहावत बड़ी सटीक है कि – "कोस-कोस पर पानी बदले ढ्ड-ढ्ड कोस में बानी।" व्यवहार में देखा जाता है कि एक गाँव की भाषा अपने पड़ोसी गाँव की भाषा से कुछ न कुछ भिन्नता लिये होती है। इसी आधार पर कन्नौजी की उपबोलियों का निर्धारण किया गया है।

कन्नौजी उत्तरप्रदेश के कन्नौज, औरैया, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, शाहजहाँपुर, कानपुर, पीलीभीत जिलों के ग्रामीण अंचल में बहुतायत से बोली जाती है। कन्नौजी भाषा या कनउजी, पश्चिमी हिन्दी के अन्तर्गत आती है।

कन्नौजी भाषा क्षेत्र में विभिन्न बोलियों का व्यवहार होता है, जिनको इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है – मध्य कन्नौजी, तिरहारी, पछरुआ, बंग्रही, शहजहाँपुरिया, पीलीभीती, बदउआँ, अन्तर्वेदी। पहचान की दृष्टि से कन्नौजी ओकारान्त प्रधान बोली है। ब्रजभाषा और कन्नौजी में मूल अन्तर यही है कि कन्नौजी के ओकारान्त और एकारान्त के स्थान पर ब्रजभाषा में 'औकारान्त' और 'ऐकारान्त' क्रियाएँ आती हैं। जैसे – 'गओ' > 'गयौ', 'खाओ' > 'खायौ', 'चले' > 'चलै', 'करे' > 'करै'।

इसकी ध्वनियो में मध्यम 'ह' का लोप हो जाता है – 'जाहि' > 'जाइ'। शब्दारम्भ में 'ल्ह', 'ह्र', 'म्ह्' व्यंजन मिलते हैं – 'ल्हसुन', 'ह्रैंट', 'महंगाई' आदि। अन्त्य अल्पप्राण महाप्राण में बदल जाता है – 'हाथ' > 'हात्'। स्वरों में अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है – 'अइँचत', 'जुआँ', 'इंकार', 'भउजाई', 'उंघियात', 'अनेंठ', 'मों' (मुँह)। 'य' के स्थान पर 'ज' हो जाता है – 'यमुना' > 'जमुना', 'यश' > 'जस'। 'व' के स्थान पर 'ब' का व्यवहार होता है – 'वर' > 'बर', 'वकील' > 'बकील'। कहीं-कहीं पर 'व' के स्थान पर 'उ' भी प्रयुक्त होता है – 'अवतार' > 'अउतार'। उसमें अवधी की भाँति उकारान्त की प्रवृत्ति भी पाई जाती है – 'खेत' > 'खेतु', 'मरत' > 'मत्तु'। कहीं-कहीं 'ख' के स्थान पर 'क' उच्चरित होता है – 'भीख' > 'भीक', 'ण' 'ड़' हो जाता है – 'रावण' > 'रावड़', 'गण' > 'गड़'। 'स' के स्थान पर 'ह' उच्चरित होता है – 'मास्टर' > 'महट्टर', 'सप्ताह' > 'हप्ताह'। उपेक्षाभाव से उच्चरित संज्ञा शब्दों में 'टा' प्रत्यय का योग विशेष उल्लेखनीय है – 'बनियाँ' > 'बनेटा', 'किसान' > 'किसन्टा', 'काछी' > 'कछेटा', 'बच्चा' > 'बच्चटा' आदि।

## 2.4.4. पूर्वी हिन्दी की बोलियाँ

पूर्वी हिन्दी की मुख्यतः तीन बोलियों की गणना की जाती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी; जिन्हें आप परिचयात्मक रूप में यहाँ समझ सकते हैं।

### 2.4.4.1. अवधी

हिन्दी क्षेत्र की एक उपभाषा है। यह उत्तरप्रदेश में अवध क्षेत्र (लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़), इलाहाबाद, कौशाम्बी, अम्बेडकरनगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती तथा फतेहपुर में भी बोली जाती है। इसके अतिरिक्त इसकी एक शाखा बघेलखंड में बघेली नाम से प्रचलित है। 'अवध' शब्द की व्युत्पत्ति 'अयोध्या' से है। इस नाम का एक सूबा के राज्यकाल में था। तुलसीदास ने अपने 'रामचरितमानस' में अयोध्या को 'अवधपुरी' कहा है। इसी क्षेत्र का पुराना नाम 'कोसल' भी था जिसकी महत्ता प्राचीनकाल से चली आ रही है।

भाषाशास्त्री जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन के भाषा सर्वेक्षण के अनुसार अवधी बोलने वालों की कुल आबादी 1615458 थी जो सन् 1971 की जनगणना में 28399552 हो गई। मौजूदा समय में शोधकर्त्ताओं का अनुमान है कि 6 करोड़ से ज्यादा लोग अवधी बोलते हैं। उत्तरप्रदेश के 19 जिलों – सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कौशांबी, फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद व अंबेडकरनगर में पूरी तरह से यह बोली जाती है। जबकि 6 जिलों – जौनपुर, मिर्जापुर, कानपुर, शाहजहाँपुर, बस्ती और बांदा के कुछ क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। बिहार के दो जिलों के साथ पड़ोसी देश नेपाल के 8 जिलों में यह प्रचलित है। इसी प्रकार दुनिया के अन्य देशों – मॉरिशस, त्रिनिदाद एवं टुबैगो, फिजी, गयाना, सूरीनाम सहित आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व हॉलैंड में भी लाखों की संख्या में अवधी बोलने वाले लोग हैं।

### 2.4.4.2. बघेली

पूर्वी हिन्दी की एक बोली है जो भारत के बघेलखण्ड क्षेत्र में बोली जाती है तथा बघेल या बघेले राजपूतों की बोली होने के कारण इसका नाम बघेली पड़ा है। बघेल के नामकरण के आधार क्षेत्रगत तथा जातिगत है। बघेल राजाओं की राजधानी रीवाँ रही है। इसकी कारण इसे रिवाई या रीमाई भी कहते हैं। यह मध्यप्रदेश के रीवाँ, सतना, सीधी, उमरिया एवं अनूपपुर में; उत्तरप्रदेश के इलाहाबाद एवं मिर्जापुर जिलों में तथा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एवं कोरिया जनपदों में बोली जाती है। इसे बघेलखण्डी भी कहा जाता है। बघेली में लोकसाहित्य ही मिलता है, लेकिन अब यह लिखित रूप में भी उपलब्ध है। साहित्य रचना के लिए यहाँ के साहित्यकारों ने ब्रज में ही साहित्य रचना की है। बघेली में लोकगीतों तथा लोककथाओं के संग्रह उपलब्ध हैं।

### 2.4.4.3. छत्तीसगढ़ी

छत्तीसगढ़ी शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक तो छत्तीसगढ़ी भाषा वह भाषा है, जो भारत के छत्तीसगढ़ प्रान्त और उसके आस-पास बोली जाती है और दूसरे, छत्तीसगढ़ी लोग वे लोग हैं, जो भारत के छत्तीसगढ़ प्रान्त में रहते हैं या जिनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है। छत्तीसगढ़ी भारत में छत्तीसगढ़ प्रान्त में बोली जाने वाली एक अत्यन्त ही मधुर व सरस भाषा है। यह हिन्दी के काफ़ी निकट है और इसकी लिपि देवनागरी है। इसका अपना समृद्ध साहित्य व व्याकरण है। यह भाषा 2 करोड़ लोगों की मातृभाषा है। यह पूर्वी हिन्दी की प्रमुख बोली है और छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख भाषा है। राज्य की 82.56 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शहरी क्षेत्रों में केवल 17 प्रतिशत लोग रहते हैं। यह निर्विवाद सत्य है कि छत्तीसगढ़ का अधिकतर जीवन छत्तीसगढ़ी के सहारे गतिमान है। यह अलग बात है कि गिने-चुने शहरों के कार्य-व्यापार राष्ट्रभाषा हिन्दी व उर्दू, पंजाबी, उड़िया, मराठी, गुजराती, बाँग्ला, तेलुगु, सिन्धी आदि भाषा में एवं आदिवासी क्षेत्रों में हलबी, भतरी, मुरिया, माडिया, पहाड़ी कोरवा, उराँव आदि बोलियो के सहारे ही सम्पर्क होता है। इस सबके बावजूद छत्तीसगढ़ी ही ऐसी भाषा है जो समूचे राज्य में बोली और समझी जाती है। एक दूसरे के दिल को छू लेने वाली यह छत्तीसगढ़ी एक तरह से छत्तीसगढ़ राज्य की सम्पर्क भाषा है। वस्तुतः छत्तीसगढ़ राज्य के नामकरण के पीछे उसकी भाषिक विशेषता भी है।

### 2.4.5. पाठ-सार

किसी भी भाषा की तुलना में हिन्दी की बोलियों की संख्या अधिक है। इन बोलियों को भौगोलिकता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ये बोलियाँ मुख्य रूप से हिन्दी-क्षेत्र में व्यवहार में लायी जाती है। इन्हें प्रादेशिक बोलियाँ या स्थानीय बोलियाँ भी कहा जाता है। हिन्दी का क्षेत्र भौगोलिकता की दृष्टि से उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक फैला हुआ है। हिन्दी की बोलियों का सर्वेक्षण सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने किया था। अपने सर्वेक्षण के आधार पर उन्होंने हिन्दी को पश्चिमी तथा पूर्वी हिन्दी में विभाजित किया। उनके अनुसार राजस्थानी एवं बिहार की बोलियाँ हिन्दी क्षेत्र के बाहर की हैं।

पूर्वी और पश्चिमी हिन्दी में अन्तर मूलतः इनकी भौगोलिक स्थिति तथा इन दोनों के इतिहास पर आधारित है। भौगोलिक दृष्टि से 'पश्चिमी हिन्दी' पंजाबी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी हिन्दी तथा मराठी भाषाओं के बीच में है, अतः उसमें इन भाषाओं की कुछ बातें न्यूनाधिक रूप में पायी जाती हैं। दूसरी ओर, 'पूर्वी हिन्दी' पहाड़ी, बिहारी, उड़िया, मराठी तथा पश्चिमी हिन्दी के बीच में है। अतः उसमें इनकी विशेषताएँ अंशतः समाहित हैं। 'पश्चिमी हिन्दी' शौरसेनी से उद्भूत है, अतः उसे उक्त अपभ्रंश की परम्पराएँ मिली हैं, जबकि 'पूर्वी हिन्दी' अर्द्धमागधी से विकसित हुई है। पश्चिमी हिन्दी में पाँच बोलियाँ परिगणित की जाती है – खड़ीबोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। जबकि पूर्वी हिन्दी के अन्तर्गत तीन बोलियाँ हैं – अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। व्यावहारिक दृष्टिकोण से इन आठ बोलियों के समूह को हिन्दी की बोलियाँ कहा जाता है।

## 2.4.6. बोध प्रश्न

**बहुविकल्पीय प्रश्न**

1. निम्नलिखित में से कौनसी पश्चिमी हिन्दी की बोली नहीं है –
   (क) खड़ीबोली
   (ख) ब्रजभाषा
   (ग) अवधी
   (घ) छत्तीसगढ़ी

2. निम्नलिखित में से कौनसी पूर्वी हिन्दी की बोली नहीं है –
   (क) अवधी
   (ख) भोजपुरी
   (ग) बघेली
   (घ) छत्तीसगढ़ी

3. पूर्वी हिन्दी का उद्गम स्रोत क्या है ?
   (क) शौरसेनी अपभ्रंश
   (ख) पैशाची अपभ्रंश
   (ग) मागधी अपभ्रंश
   (घ) अर्द्धमागधी अपभ्रंश

4. पश्चिमी हिन्दी का उद्गम स्रोत क्या है ?
   (क) शौरसेनी अपभ्रंश
   (ख) पैशाची अपभ्रंश
   (ग) मागधी अपभ्रंश
   (घ) अर्द्धमागधी अपभ्रंश

5. निम्नलिखित में से किस स्थान में बघेली नहीं बोली जाती है ?
   (क) रीवा
   (ख) सतना
   (ग) सुल्तानपुर
   (घ) अनूपपुर

**लघु उत्तरीय प्रश्न**

1. पूर्वी हिन्दी की कितनी बोलियाँ हैं ?
2. पश्चिमी हिन्दी के अन्तर्गत कितनी बोलियों की गिनती की जाती है ?
3. पूर्वी हिन्दी और पश्चिमी हिन्दी में क्या अन्तर है ?
4. बोली का क्या अर्थ है ?
5. विभाषा का क्या अर्थ है ?

**दीर्घ उत्तरीय प्रश्न**

1. पूर्वी हिन्दी की बोलियों का परिचयात्मक विवेचन प्रस्तुत कीजिए ।
2. पश्चिमी हिन्दी की बोलियों का परिचयात्मक विवेचन प्रस्तुत कीजिए ।

## 2.4.7. उपयोगी ग्रन्थ-सूची

1. भोलानाथ तिवारी, हिन्दी भाषा का इतिहास, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
2. जी. ए. ग्रियर्सन, भारत का भाषा सर्वेक्षण, अनुवादक – डॉ० उदयनारायण तिवारी, संस्करण : 1959
3. बहुवचन, हिन्दी की त्रैमासिक पत्रिका, अंक–46 (जुलाई–सितम्बर 2015), ISSN 2348–4586
4. उदयनारायण तिवारी, हिन्दी भाषा : उद्भव व विकास, लोकभारती प्रकाशन, संस्करण : 2016, ISBN : 978–8180–31–1024

**उपयोगी लिंक** :

1. https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%80_%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%81

❖❖❖

## खण्ड – 2 : हिन्दी भाषा-समुदाय

## इकाई – 5 : भाषा-समुदाय – तृतीय वर्ग (हिन्दी की विभाषाएँ) : हिन्दवी, दक्खिनी हिन्दी, रेख़्ता, उर्दू, हिन्दुस्तानी

### इकाई की रूपरेखा

2.5.0. उद्देश्य
2.5.1. प्रस्तावना
2.5.2. हिन्दी की विभाषाएँ – हिन्दवी, दक्खिनी हिन्दी, रेख़्ता, उर्दू, हिन्दुस्तानी
  2.5.2.1. हिन्दवी
  2.5.2.2. दक्खिनी हिन्दी
  2.5.2.3. रेख़्ता
  2.5.2.4. उर्दू
  2.5.2.5. हिन्दुस्तानी
2.5.3. पाठ-सार
2.5.4. बोध प्रश्न
2.5.5. व्यवहार
2.5.6. कठिन शब्दावली
2.5.7. उपयोगी ग्रन्थ-सूची

### 2.5.0. उद्देश्य

प्रस्तुत पाठ का अध्ययन करने के उपरान्त आप –

i. हिन्दी भाषा-समुदाय के तृतीय वर्ग में आने वाली हिन्दी की विभाषाओं के बारे में समझने की कोशिश करेंगे।
ii. हिन्दवी, दक्खिनी हिन्दी, रेख़्ता, उर्दू, हिन्दुस्तानी का परिचय प्राप्त कर सकेंगे।

### 2.5.1. प्रस्तावना

एशिया की प्रायः सभी भाषाओं में यह स्थिति है कि एक सामाजिक पक्ष में अगर एक शैली का प्रयोग होता है तो दूसरे में दूसरी शैली दिखाई देती है । हिन्दी भाषा की कई शैलियाँ रही हैं, लेकिन उनमें से प्रमुख रही हैं – हिन्दवी, रेख़्ता, उर्दू और हिन्दुस्तानी। ये शैलियाँ ही इन्हें खास बनाती हैं। इन्हें विभाषा भी कहते हैं। हिन्दी और उर्दू ये दो शैलियाँ संस्कृति और धर्म के साथ जुड़ी हैं। इन शैलियों का मुख्य भेद लिपि को लेकर भी है।

बोलियाँ राजनैतिक तथा सांस्कृतिक आधार पर अपना क्षेत्र बढ़ाती हैं और साहित्य रचना के आधार पर वह अपना स्थान 'बोली' से उच्च करते हुए 'विभाषा' तक पहुँचती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है और विभाषा एक प्रान्त या उप-प्रान्त में प्रचलित होती है। इसमें साहित्यिक रचनाएँ भी प्राप्त होती हैं। हिन्दी की विभाषाएँ हैं – हिन्दवी, उर्दू, दक्खिनी, रेख़्ता, हिन्दुस्तानी इत्यादि। आइए, अब इनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं।

## 2.5.2. हिन्दी की विभाषाएँ– हिन्दवी, दक्खिनी हिन्दी, रेख़्ता, उर्दू, हिन्दुस्तानी

### 2.5.2.1. हिन्दवी

आप सुप्रसिद्ध कवि अमीर ख़ुसरो के नाम और उनकी कविता से अवश्य परिचित होंगे। वे तुर्क थे, लेकिन भारत में आकर पूरी तरह से भारतीय हो गए थे। उन्हें 'हिन्दवी' (हिन्दी) मातृभाषा विरासत में मिली थी। भारतीय होने पर उन्हें गर्व था। वे लिखते भी हैं – "तुर्क हिन्दुतानियम मन हिन्दवी गोयम जवाब" अर्थात् मैं हिन्दुस्तानी तुर्क हूँ, हिन्दवी में जबाब देता हूँ। 'नूह सिपेहर' शीर्षक ग्रन्थ सिपेहर में उल्लेख किया है कि अन्य भाषाओं के समान हिन्दुस्तान में प्राचीनकाल से 'हिन्दवी' बोली जाती थी, किन्तु गोरियों और तुर्कों के पश्चात् लोगों ने फ़ारसी भाषा का ज्ञान भी प्राप्त करना शुरू कर दिया था। ख़ुसरो ने इस भाषा को 'हिन्दवी', 'देहलवी' भी कहा है। ख़ुसरो के अलावे दक्खिनी के कवि शरफ ने 'नौसरहार' (1503 ई.) में इस भाषा को 'हिन्दवी' कहा है –

**नज़्म लिखी सब मौजूँ आन।**
**यों सब 'हिन्दवी' कर आसान।**

'हिन्दवी' के साथ 'हिन्दुई' रूप भी मिलता है जिसका स्पष्ट उल्लेख 'कुतुब शतक' (15वीं शती) में मिलता है। 'कुतुब शतक' में जिस भाषा को अपनाया गया है वही दक्षिणी भारत की रियासतों में पहुँचकर साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकार कर ली गई है। इसका विकसित रूप ही दक्खिनी बना। 'कुतुब शतक' के सम्पादक डॉ॰ माताप्रसाद गुप्त ने स्पष्ट लिखा है – "राउलबेल और दक्खिनी के बीच की जनभाषा कुतुब शतक की भाषा है तथा राउलबेल और कुतुब शतक की जनभाषा की कड़ी गोरखनाथ की बानियाँ हैं।" (प्रस्तावना, पृष्ठ–5) 'हिन्दुई' नाम का सबसे पुराना उल्लेख सुप्रसिद्ध भारतीय फ़ारसी कवि मुहम्मद ऑफी (1228 ई.) में मिलता है। वे मसऊद-ए-उलेमान (मृत्यु 1121 ई.) की रचनाओं का उल्लेख करते हुए उन्हें 'हिन्दुई' का भी कवि मानते हैं और कहते हैं कि उनका एक दिवान 'ताज़ी' (अरबी) और फ़ारसी के अलावा हिन्दी में भी था। जैसा कि आपको पहले बताया गया कि इस भाषा का प्रयोग ही 'कुतुब शतक' में मिलता है। 'कुतुब शतक' के वार्तिक तिलक में अन्य भाषाओं के साथ 'हिन्दुई' का नाम भी आया है –

**बीबी बिवानां की फ़ारसी हिन्दवी**
**चयारों की हकीकति।**
**तारीफ़ वेद की। कुरान की।**

**बड़ा भाई ह्यु न्दु छोटा भाई मुसलमान।**
**ह्युं दई मो पंडित नाम राषो(राखो) सोई नाम।**

– कुतुब शतक और हिन्दुई, डॉ॰ माताप्रसाद गुप्त, पृ. 25

इस प्रकार हिन्दवी की तीन प्रकार की वर्तनी मिलती है – (i) हिन्दुई, (ii) ह्युंदूई और (iii) हिन्दवी। स्पष्ट है कि 'हिन्दुई' हिन्दी शब्द का पूर्व रूप सिद्ध होता है। हिन्दी साहित्य के अनेक साहित्यकारों ने अमीर ख़ुसरो को हिन्दवी का पहला कवि माना है।

## 2.5.2.2. दक्खिनी हिन्दी

भारत के दक्षिण में ले जाई गई दिल्ली-हरियाणा की बोली को 'दक्खिनी' अथवा 'दक्कनी' कहलायी। इसका विकास ऐतिहासिक कारणों से 14वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य बहमनी, कुतुबशाही और आदिलशाही जैसे विभिन्न राज्यों में होता रहा जिसके केन्द्र बीजापुर, गोलकुंडा, गुलबर्गा, बीदर आदि बने। शाही दफ्तरों में इसको सरकारी ज़बान का दर्ज़ा भी दिया गया। इसकी उत्पत्ति के बारे में उर्दू व दक्कनी के विद्वान् वरिष्ठ भाषाविद् डॉ॰ मसूद हुसैन खाँ ने इस प्रकार लिखा है – "कदीम दक्खिनी को अगर किसी बोली से गहरी निस्बत हो सकती है तो वह दिल्ली के नवाह की दो बोलियाँ यानी कड़ी बोली और हरियाणा हैं। जिनकी कदामत पर शुबह करना तारीखी नुक्ते-नज़र से सरासर गलत है। हमारे ख्याल से दक्कनी की तमाम खसुसियात नवाहे दिल्ली के पास के इजलाह की बोलियों से की जा सकती है।" दक्खिनी भाषा का मूलाधार चौदहवीं-पन्द्रहवीं की वह खड़ीबोली है जो अपने मूल रूप में मेरठ, मुरादाबाद, हरियाणा में बोली जाती थी। दक्षिण और दक्खन एक होते हुए भी भाषापरक अर्थ में 'दक्खनी' या 'दक्कनी' ही प्रयोग में आता है। मुसलमानों के आगमन के बाद में 'दक्खनी' उस भूभाग के लिए प्रयुक्त होने लगा जो किसी समय दक्षिणपथ कहा जाता था। खानदेश और बरार को छोड़कर शेष महाराष्ट्र दक्खिन (Deccan) कहलाने लगा। गोदावरी और कृष्णा के मध्य का प्रदेश दखिन कहलाया। अकबर काल में दक्खिनी सीमाओं में परिवर्तन हुआ। औरंगज़ेब ने छह प्रदेशों को मिलाकर 'दक्खिन' की रचना की – बरार, खानदेश, औरंगाबाद, हैदराबाद, मुहम्मदाबाद तथा बीजापुर। 'दक्खिनी' साहित्य की सर्जना महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना आदि में हैदराबाद को केन्द्र मानकर की गई। 'दक्खिनी' हिन्दी साहित्य की ऐसी कड़ी है जिसको अब नकारा नहीं जा सकता। इस प्रदेश के एक कवि वजही ने इस प्रदेश के बारे में लिखा है –

**दखन-सा ठार संसार में।**
**निपज (उपज) फ़ाजिला (निपुण) का है इस ठार में॥**
**दखन है नगीना अँगूठी है जग।**
**अँगूठी कूँ हरमत नगीना है लग॥**
**दखिन मुल्क कहन धन अजब साज है।**
**कि सब मुल्क सिर होर दखन ताज है॥**

वजही 'मर्सिया' लिखने में निपुण थे। दुःख-दारुण से घिरी नारी का चित्र द्रष्टव्य है –

**काली न चोरी चिर बंदी बैठी है ज्यों कालिंदी।**
**काले लटों काले भुआँ काले गले में गलसरी ॥**

हिन्दी की तरह दक्खिनी का प्रयोग दो अर्थों में होता है – (i) दक्षिण निवासी मुसलमान (ii) दक्कनी ज़बान ।

हब्सन जोबसन के अनुसार दक्कनी हिन्दुस्तान की ऐसी विचित्र ज़बान है जिसको मुसलमान बोलता है। इसका पहली बार प्रयोग सन् 1516 में किया गया जिसमें इस भाषा को देश की स्वाभाविक भाषा स्वीकार किया गया । इससे स्पष्ट होता है कि पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त तक इसका भाषिक स्वरूप स्थिर हो गया – "Deccan, adj. also used as subt. Properly dakshini, dakkhini, damini, coming from the Deccan. Also the very dialect of Hindustani spoken by such people." (Hobson Hobson, 1903, P. 302)

डॉ० सुनीतिकुमार चाटुजर्या ने स्वीकार किया है – "पश्चिमी हिन्दी की ओकारान्त बोलियों से एक प्रचलित सार्वदेशिक भाषा का जन्म हुआ, जिस पर आद्य पंजाबी का भी थोड़ा-बहुत प्रभाव पड़ा । सोलहवीं शताब्दी में प्रथम बार दक्कन में इसके एक रूप का साहित्य के लिए उपयोग हुआ जो ब्रजभाषा से मिलकर उत्तरी भारत की, भविष्य की साहित्यिक भाषा का प्रारम्भिक स्वरूप बना । इसी सार्वदेशिक भाषा के दक्कनी रूप का दक्षिण में गोलकुंडा आदि स्थानों में मुसलमानों ने भी सर्वप्रथम इसे फ़ारसी लिपि में लिखकर इसका काव्य के लिए व्यवहार किया ।" (आर्यभाषा और हिन्दी, पृ. 217) दक्खिन में पन्द्रहवीं शताब्दी में इसका फैलना प्रारम्भ हो गया था । जब उत्तर भारत में फ़ारसी का प्रभुत्व बना रहा तो दक्षिण में 'दक्कनी' का । हिन्दी ने जो कदम दक्खिन में जमाए उन्हें फ़ारसी हिला न सकी । सुप्रसिद्ध इतिहासकार फ़रिश्ता ने लिखा है कि "बहमनी राज्य के दफ्तरों में हिन्दी जबान प्रचलित थी और सल्तनत ने उसे सरकारी ज़बान का पद दे रखा था । बहमनी राज्य के छिन्न-भिन्न हो जाने के बाद हिन्दी का यह पद उत्तराधिकार में रियासतों ने कायम रखा ।" (बाबूराम सक्सेना, दक्खनी हिन्दी, पृ. 33–34) दक्कनी का एक और रूप दक्षिण में मैसूर तथा केरल में भी विकसित हो गया। तलश्शेरी के कासिम ख़ाँ के एक तील्लना गीत की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं –

**बजे नक्कारे दनी के सारे**
**धुंध चनाघन घनघनाना**
**तबल पै थापा पड़े पिपड़धक**
**गिडघन गिड़घन गिड़घनना**
**अब रमझुम रमझुम निन्दनिया से**
**हुमझु म हो जाय होशियार।**

डॉ० जी. गोपीनाथन् ने अपने शोध ग्रन्थ में केरल की दक्कनी पर भी चर्चा की है । दक्षिण के ही अन्य विद्वान् डॉ० एन. पी. कुट्टन् ने दक्कनी के ग्रन्थों का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है । उनका मानना है कि "बोलचाल की दक्खिनी गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अतिरिक्त तमिलनाडु तथा केरल में भी सुनी जाती है।

इस पर क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रभाव पड़ा है । इसलिए क्षेत्रीय आधार पर भेद-उपभेद है ... उसने (खड़ीबोली ) गुजराती तथा मराठी के कई तत्त्वों को कालान्तर में आत्मसात किया । इन तत्त्वों को उसने इस ढंग से आत्मसात किया कि वे दक्खिनी के निजी गुण बन गए। लेकिन दक्खनी ने जब अपने सीमा का विस्तार किया तब उस पर तेलुगु, तमिल, मलयालम का भी प्रभाव पड़ा । दक्खिनी हिन्दी के प्रारम्भिक ग्रन्थों में तत्सम तथा अर्द्ध-तत्सम शब्दों की ओर झुकाव स्पष्ट देखा जा सकता है, पर मध्यकाल में यह भाषा फ़ारसीकरण की ओर धीरे-धीरे झुकती-सी दिखाई देती है ।" (भारतीय भाषाओं का दक्खिनी पर प्रभाव : अध्ययन और अनुशीलन, पृ. 224) इस भाषा को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है – गोसाधि भाषा, तुलुक भाषा (मुसलमानों की भाषा), पट्टानी भाषा (पठानों की भाषा), हिन्दी भाका, हिन्दवी, गुजरी, रेख़्ता, भाका आदि ।

### 2.5.2.3. रेख़्ता

रेख़्ता हिन्दी की वह शैली है जिसमें अरबी-फ़ारसी के शब्दों का मिश्रण हो । रेख़्ता उर्दू का पर्यायवाची नहीं है । रेख़्ता की व्युत्पति के सम्बन्ध में विद्वानों में काफी मतभेद है । कुछ मतों को आप जान लीजिए – रेख़्ता शब्द फ़ारसी के रेख़तन मस्दर से बना है, जिसका अर्थ है – रचना, बनाना, डालना, मिलाना, तोडना, छिड़कना इत्यादि । संस्कृत की 'रिच' धातु तथा फ़ारसी का 'रेख्तन' मस्दर मूलतः एक है। 'रिच' का अर्थ गिराना, अलगाना आदि होता है । लैटिन, ग्रीक आदि में यह धातु है। 'रेख़्ता' का फ़ारसी में अर्थ गिरा हुआ या गिराकर बनाया हुआ ढेर आदि है । भारत में 'रेख़्ता' शब्द का प्रयोग पहले छन्द और संगीत के क्षेत्र में हुआ है। इन दोनों ही क्षेत्रों में इसमें 'मिलने' या 'मिश्रण' का भाव है । फ़ारसी और भारतीय पद्धति को मिलकर बनाया गया है । साथ ही ऐसे छन्दों को भी रेख़्ता कहा गया है, जिनमें कुछ अंश फ़ारसी का तथा कुछ अंशहिन्दी का हो ।

रेख़्ता – मुख़्तलिफ़ ज़बानों के अल्फ़ाज़ से (विभिन्न भाषाओं के शब्दों से) भाषा को रेख़्ता-पुष्ट या अलंकृत किया गया हो, जैसे – ईंट की दीवार को चुने या सीमेंट के प्लास्टर से पायदारी और हमवारी मजबूती और सजावट के लियर रेख़्ता करते हैं । (आबेहयात)

रेख़्ता को बमानी गिरे हुए यानी जो ज़बान अपनी असलियत से गिर जाए भी कहा गया है । (मुंशी दुर्गाप्रसाद) विभिन्न अँगरेज़ विद्वानों ने भी रेख़्ता को परिभाषित करने की कोशिश की है – The Hindustani Language (being mixed one) is called Dekhta. (बाटे) Hindustani verse written in the tones and idioms of women with peculiar sentiments and characteristics. (फैलन)

'हिन्दी रेख़्ता' का प्रयोग विशेष महत्त्वपूर्ण है । जिस प्रकार हिन्दुस्तानी आज हिन्दी और उर्दू के बीच की चीज़ समझी जाती है, उसी प्रकार उस समय रेख़्ता बीच की भाषा समझी जाती थी । रेख़्ता उर्दू नहीं, चाहे व्यवहार में उर्दू का साथ देती रहे । फोर्ट विलियम कॉलेज के मुंशियों को सलाह दी गई कि वे ठेठ हिन्दुस्तानी, खड़ीबोली, "हिन्दी रेख़्ता में लिखना शुरू करें। इसी से साहबों का काम चलेगा ।" साहब (जान गिलक्राइस्ट) ने लल्लूलाल से कहा कि ब्रजभाषा में कोई अच्छी कहानी हो, उसे रेख़्ते की बोली में कहो । मीर का मशहूर शेर है –

**मज़बूत कैसे कैसे कहे रेख़्ते वाले,**
**समझा न कोई मेरी जबाँ इस दियार में**

ग़ालिब का प्रसिद्ध शेर है –

**रेख़्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो ग़ालिब**
**कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था।**

## 2.5.2.4. उर्दू

उर्दू भाषा हिन्द आर्यभाषा है। उर्दू भाषा हिन्दुस्तानी भाषा की एक मानकीकृत रूप मानी जाती है । उर्दू में संस्कृत के तत्सम शब्द न्यून हैं और अरबी-फ़ारसी और संस्कृत से तद्भव शब्द अधिक हैं। ये मुख्यतः दक्षिण एशिया में बोली जाती है। यह भारत की शासकीय भाषाओं में से एक है तथा पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा भी है। इस के अतिरिक्त भारत के राज्य तेलंगाना, दिल्ली, बिहार और उत्तरप्रदेश की अतिरिक्त शासकीय भाषा है।

राजकाज में फ़ारसी भाषा का प्रयोग जब कम हो गया तो हिन्दवी का फ़ारसीयुक्त रूप 'ज़बाने-उर्दू-ए-मुअल्ला' – शाही खेमे या दरबार की भाषा – एक तरह से बादशाही भाषा बनी। जिसका अट्ठारहवीं सदी में फ़ौज-शासन में प्रयोग किया जाने लगा। यह समय मुग़ल साम्राज्य का अन्तिम समय कहा जा सकता है। मुहम्मद बाकर 'आगह' (1743–1805 ई.) की रचनाओं में इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है । उनके अनुसार इस भाषा (भाका) उर्दू का प्रारम्भ मुहम्मद शाह रंगीले के शासनकाल में हुआ । उन्होंने 'उर्दू की भाषा' और 'दक्खिनी ज़बान' में इस प्रकार भेद किया – "और इन सब रिसालों में शायरी नहीं किया हूँ, बल्कि साफ़ और सादा कहा हूँ और उर्दू के भाके में नहीं कहा क्या वास्ते कि रहने वाले यहाँ के (दक्षिणी) इस भाके से वाकिफ नहीं है। ऐ भाई यह रिसाले दक्खिनी ज़बान में है ।" उर्दू की उत्पत्ति के बारे में चन्द्रबली पाण्डेय ने शाह अब्दुल कादिर के विचार उदधृत किये हैं। शाहजी ने कुरान शरीफ का अनुवाद किया और उसकी भाषा के सम्बन्ध में लिखा था – "अब कई बातें मालूम रखिए। अव्वल यह कि तरजुमा लफ़्ज़बलफ़्ज़ ज़रूर नहीं, क्योंकि तरकीब हिन्दी तरकीब अरबी से बहुत बईद है .... दूसरे यह कि रेख़्ता नहीं बोली बल्कि हिन्दी मुतारफ्ता अनाम को बेतकल्लुफ दरियाफ्त हो ।" पाण्डेयजी के अनुसार शाह साहब ने 'रेख़्ता' और 'हिन्दी मुतारफ' में भेद किया है। मौलाना अब्दुल हक के अनुसार "हिन्दी मुतारफ से वही ज़बान मुराद है जिसे आजकल हिन्दुस्तानी से तबीर किया जाता है।" इसी को डॉ० बेली ने उर्दू कहा है। उर्दू तुर्की शब्द है। जिसका अर्थ है – लश्कर (छावनी)। शुरू में मुग़ल और तुर्क छावनी में ही रहते थे। उनका दरबार तथा रनवास सब लश्कर में ही होता है। बागोबहार के लेखक मीर उम्मन ने इस सम्बन्ध में लिखा है – "हकीकत उर्दू की ज़बान को बुजुर्गों के मुँह से यूँ सुनी है कि दिल्ली शहर हिन्दुओं के नज़दीक चौजुगी है उन्हीं के राजा, परजा, कदीम से वहाँ रहते थे और अपनी भाखा बोलते थे। ... लश्कर का बाजार शहर में दाखिल हुआ। इस वास्ते शहर का बाजार उर्दू कहलाया ... इक्कठे होने से आपस में लेन-देन, सौदा-सुल्फ़, सवाल जबाब करते-करते एक ज़बान उर्दू की मुक़र्रर हुई। ... और वहाँ के शहर को उर्दू मुअल्ला खिताब दिया।" (बागोबहार, भूमिका) शम्शुलउल्लेमा मुहमद हसन ने भी लिखा है कि "उर्दू का दरख़्त अगरचे

संस्कृत और भाषा की ज़मीन में उगा, मगर फ़ारसी की हवा में सरसब्ज़ हुआ है।" सय्यद इंशा अल्लाह ने साफ़-साफ़ लिखा है कि "लाहौर, मुल्तान, आगरा, इलाहाबाद की वह प्रतिष्ठा नहीं है जो शाहजहानाबाद या दिल्ली की है जहाँ उर्दू का जन्म हुआ।" उर्दू तो धीरे-धीरे आती है जिसको दरिया साहब ने साफ़-साफ़ कह दिया –

**नहीं खेल है दाग़ चारों से कह दो**
**कि आती है उर्दू जबाँ आते आते।**

यही कारण है कि इंशा साहब ने साफ़ कह दिया कि "उसको ही मुस्तनद और सही उर्दू आयेगी जो कुलीन-नजीब होगा, जिसके माँ-बाप दिल्ली के निवासी हों।" यह बात चुने हुए आदमियों के सम्बन्ध में ही है, स्वयं इंशा भी ठीक उर्दू के स्थान पर कड़ी बोली हिन्दी की ओर झुक गए क्योंकि रची हुई ताज़ा ज़बान को ठीक से नहीं पचा सके। बाद में दिल्ली में जो उर्दू-ए-मुअल्ला यानी उर्दू भाषा थी, वही लखनऊ में पहुँचकर 'उर्दू' बन गई। वहीं दिल्ली में मीर साहब ने जामा मस्जिद के आस-पास की भाषा को काफी महत्त्व दिया। बोलने के हिसाब से उर्दू-ए-मुअल्ला के स्थान पर मात्र उर्दू रह गई। कहा जाता है कि भाषा के अर्थ में उर्दू का प्रयोग मुशहफ़ी ने किया, जिनकी मृत्यु सन् 1824 ई. में हुई।

**ख़ुदा रक्खे ज़बाँ हमने सुनी है मीर वो मिरज़ा की,**
**कहें किस मुंह से हम ये 'मुसहफ़ी' उर्दू हमारी है।**

इससे पता चलता है कि मीर साहब जिस भाषा में लिखते थे वही उर्दू कहलाई, जिसका उल्लेख सय्यद सुलेमान नदवी ने किया है – "चुनांच लफ़्ज़ 'उर्दू' ज़बान के मानी में, देहली के अलावा किसी सूबा की ज़बान पर इतलाक़ नहीं पाया है। मीर तकी मीर सनद में जब उसका नाम पहली दफ़ा आया तो देहली की ज़बान के लिए आया है। मगर फिर भी वह इस्तेलाह के तौर पर नहीं, बल्कि लुगत के तौर पर आया है, यानी मीर ने 'उर्दू ज़बान' नहीं कहा, बल्कि 'उर्दू की ज़बान' कहा है।" (द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ) इससे स्पष्ट होता है कि मूल में उर्दू शाही दरबार तक सीमित रही पर बाद में चलकर वह जनसाधारण की आम बोलचाल की भाषा हो गई और हिन्दी की शैली के रूप में स्वीकृत होते हुए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हुई।

## 2.5.2.5. हिन्दुस्तानी

हिन्दुस्तानी भाषा हिन्दी और उर्दू का एकीकृत रूप है । ये हिन्दी और उर्दू, दोनों के बोलचाल की भाषा है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्द और अरबी-फ़ारसी के उधार लिये गए शब्द, दोनों कम होते हैं। यही हिन्दी और उर्दू का वह रूप है जो भारत की जनता रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग करती है और हिन्दी सिनेमा इसी पर आधारित है। ये हिन्द यूरोपीय भाषा परिवार की हिन्द आर्य शाखा में आती है। ये देवनागरी या फ़ारसी-अरबी, किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। प्रारम्भ में हिन्दी-उर्दू दोनों एक ही थीं, बाद को जब व्याकरण, पिसल, लिपि और शैली भेद आदि के कारण दो भिन्न दिशाओं में पड़कर यह एक दूसरे से बिलकुल पृथक् होने लगीं, तो सर्वसाधारण के सुभीते और शिक्षा के विचार से इनका विरोध मिटाकर इन्हें एक करने के लिए भाषा की इन दोनों शाखाओं का

संयुक्त नाम हिन्दुस्तानी रखा गया। हिन्दी-उर्दू का भण्डार दोनों जातियों के परिश्रम का फल है । अपनी-अपनी जगह भाषा की इन दोनों शाखाओं का विशेष महत्त्व है। दोनों ही ने अपने-अपने तौर पर यथेष्ट उन्नति की है। दोनों ही के साहित्य भण्डार में बहुमूल्य रत्न संचित हो गए हैं और हो रहे है। हिन्दी वाले उर्दू साहित्य से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी तरह उर्दू वाले हिन्दी के खजाने से फायदा उठा सकते हैं । यदि दोनों पक्ष एक दूसरे के निकट पहुँच जाएँ और भेद बुद्धि को छोडकर भाई-भाई की तरह आपस में मिल जाएँ तो वह गलतफहमियाँ अपने आप ही दूर हो जाएँ, जो एक से दूसरे को दूर किए हुए हैं । ऐसा होना कोई मुश्किल बात नहीं है । सिर्फ मजबूत इरादे और हिम्मत की ज़रूरत है, पक्षपात और हठधर्मी को छोड़ने की आवश्यकता है। बिना एकता के भाषा और जाति का कल्याण नहीं।

गाँधीजी ने कहा था कि हमारी भाषा का नाम हिन्दुस्तानी होना चाहिए, उन्होंने हिन्दुस्तानी नाम को पसंद किया तो किया लेकिन उनकी हिन्दुस्तानी की परिभाषा अपनी अलग थी। उनकी हिन्दुस्तानी 'हिन्दी-उर्दू' से भिन्न, इन दोनों के बीच सरल शैली थी जिसमें प्रचलित शब्दों का ग्रहण होगा, देशी और विदेशी शब्दों का भेद नहीं किया जायेगा । जबकि हिन्दुस्तानी हिन्दी की सामान्य बोलचाल की सामान्य भाषा शैली है जिसे उर्दू का भी पर्यायवाची माना जा सकता है और हिन्दी का भी। जिसको उत्तर भारत में हिन्दू व मुसलमान बोलते हैं और जो नागरी अथवा फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है।

हिन्दुस्तानी का स्वरूप और सीमा इतना सरल नहीं है फिर भी यह ज़रूर कहा जाना चाहिए कि हिन्दुस्तानी गली-बाजार, मोहल्ले, सिनेमा की भाषा है उसमें वह औपचारिकता ज़रूरी नहीं है, जो साहित्य, प्रशासन व शिक्षा के क्षेत्र में होती है। वह लोगों की दिन-प्रतिदिन की अनुभूतियों, अनुभवों और आवश्यकताओं को प्रतिबिम्बित करती है। रोजमर्रा के ज़िंदगी के खट्टे-मीठे अनुभवों को व्यक्त करती है। ऐसी अभिव्यक्ति के लिए तकनीकी पारिभाषिक शब्दों की नहीं, मुहावरों और लोकोक्तियों की आवश्यकता होती है। भारत भर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक हिन्दुस्तानी को जानने-समझने वाले उसके माध्यम से व्यापार करने वाले करोड़ों लोग फैले हुए हैं। रेल-बस में सफर करने वाले सामान्य भारतीय चाहे वे किसी भी प्रान्त के हों, उनकी भाषा मातृभाषा चाहे जो हो, आपस में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वह हिन्दुस्तानी है । अनेक साहित्यकारों ने भी हिन्दुस्तानी के स्वरूप को सुरक्षित रखा है। प्रेमचंद उनमें अग्रणी हैं।

## 2.5.3. पाठ-सार

जब बोलियाँ राजनैतिक-सांस्कृतिक आधार पर अपना क्षेत्र बढ़ाती हैं और साहित्य रचना के आधार पर वे अपना स्थान 'बोली' से उच्च करते हुए 'विभाषा' तक पहुँचती हैं। जाहिर है विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। यह एक प्रान्त या उप-प्रान्त में प्रचलित होती है। इसमें साहित्यिक रचनाएँ भी प्राप्त होती हैं। हिन्दी की विभाषाएँ हैं – हिन्दवी, उर्दू, दक्खिनी, रेख़्ता, हिन्दुस्तानी इत्यादि।

उर्दू भाषा हिन्द आर्यभाषा है। उर्दू भाषा हिन्दुस्तानी भाषा की एक मानकीकृत रूप मानी जाती है । उर्दू में संस्कृत के तत्सम शब्द न्यून हैं और अरबी-फ़ारसी और संस्कृत से तद्भव शब्द अधिक हैं। यह मुख्यतः दक्षिण एशिया में बोली जाती है। यह भारत की शासकीय भाषाओं में से एक है तथा पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा भी है। इस के अतिरिक्त भारत के राज्य तेलंगाना, दिल्ली, बिहार और उत्तरप्रदेश की अतिरिक्त शासकीय भाषा है।

भारत के दक्षिण में ले जाई गई दिल्ली-हरियाणा की बोली को 'दक्खिनी' अथवा 'दक्कनी' कहलायी। इसका विकास ऐतिहासिक कारणों से 14वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य बहमनी, कुतुबशाही और आदिलशाही जैसे विभिन्न राज्यों में होता रहा जिसके केन्द्र बीजापुर, गोलकुंडा, गुलबर्गा, बीदर आदि बने। शाही दफ्तरों में इसको सरकारी ज़बान का दर्ज़ा भी दिया गया।

रेख़्ता हिन्दी की वह शैली है जिसमें अरबी-फ़ारसी के शब्दों का मिश्रण हो। रेख़्ता उर्दू का पर्यायवाची नहीं है। हिन्दुस्तानी भाषा हिन्दी और उर्दू का एकीकृत रूप है । ये हिन्दी और उर्दू, दोनों के बोलचाल की भाषा है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्द और अरबी-फ़ारसी के उधार लिये गए शब्द, दोनों कम होते हैं।

## 2.5.4. बोध प्रश्न

**बहुविकल्पीय प्रश्न**

1. रेख़्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो ग़ालिब
   कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था।
   उपर्युक्त ग़ज़ल के रचयिता हैं –
   (क) मिर्ज़ा गालिब
   (ख) मीर
   (ग) वली दक्कनी
   (घ) नज़ीर अकबराबादी

2. निम्नलिखित में से हिन्दवी को कौन-सी संज्ञा नहीं मिली है –
   (क) हिन्दुई
   (ख) हिन्दवी
   (ग) ह्युंदूई
   (घ) हिन्दसी

3. दक्खनी हिन्दी का उद्भव स्रोत क्या है ?
   (क) मेरठ, मुरादाबाद, हरियाणा की बोली

(ख) वर्धा-नागपुर की बोली
(ग) मुंबई-पुणे की बोली
(घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं

4. दक्खिनी हिन्दी का बोली क्षेत्र कहाँ है ?
(क) दौलताबाद
(ख) औरंगाबाद
(ग) उपर्युक्त दोनों
(घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं

5. उर्दू किन राज्यों की शासकीय भाषा है –
(क) तेलंगाना, दिल्ली
(ख) बिहार, उत्तरप्रदेश
(ग) उपर्युक्त सभी
(घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं

**लघु उत्तरीय प्रश्न**

1. रेख़्ता का आशय स्पष्ट कीजिए।
2. "हिन्दुस्तानी हिन्दी और उर्दू की बोलचाल की भाषा है ।" इस तर्क से आप कहाँ तक सहमत हैं ?
3. विभाषा से क्या तात्पर्य है ?
4. हिन्दवी का पहला कवि किसे कहा गया है ? उनकी दो कविताओं के बारे संक्षेप में लिखिए।
5. बोली और विभाषा में क्या फ़र्क है ?

**दीर्घ उत्तरीय प्रश्न**

1. हिन्दुस्तानी के विषय में महात्मा गाँधी की संकल्पना स्पष्ट करते हुए 'हिन्दुस्तानी' का आशय प्रकट कीजिए।
2. उर्दू क्या केवल मुस्लिम समुदाय की भाषा है ? या यह हिन्दी की विभाषा है ? तर्क सहित अपनी राय दीजिए।
3. हिन्दवी विभाषा का साहित्यिक परिचय दीजिए।
4. बोली और विभाषा में फ़र्क करते हुए रेख़्ता का परिचय दीजिए।
5. दक्खिनी हिन्दी के साहित्यिक अवदान पर चर्चा कीजिए।

## 2.5.5. व्यवहार

1. हिन्दी की विभाषाओं – हिन्दवी, दक्खिनी हिन्दी, रेख़्ता, उर्दू, हिन्दुस्तानी में से आज कौन-सी विभाषा सबसे ज्यादा लोकप्रिय है ? उसकी लोकप्रियता के विषय में अपनी राय दीजिए।
2. आप इस तर्क से कहाँ तक सहमत हैं कि हिन्दुस्तानी विभाषा को समृद्ध करने में हिन्दी सिनेमा का बड़ा योगदान है। अपना मत सोदाहरण प्रकट कीजिए।
3. "दक्षिण भारत में मुस्लिम समुदाय हिन्दी भाषा का अधिकतर व्यवहार करता है।" इस कथन के सम्बन्ध अपने मित्रों और गुरुजनों से जानकारी प्राप्त कर एक शोधपरक आलेख तैयार कीजिए।

## 2.5.6. कठिन शब्दावली

| | | |
|---|---|---|
| भाका | : | भाषा |
| ज़बान | : | भाषा |
| रिसाला | : | छोटी-पतली किताब, घुड़सवारों की सेना |
| उस्ताद | : | कलाकार, कवि, शायर, फ़नकार |
| नुक्ते-नज़र | : | ऐतिहासिक दृष्टिकोण |
| हकीकति | : | सच्चाई |
| तरजुमा | : | अनुवाद |
| दरयाफ्त | : | पूछताछ करना, तलाश करना |
| कदीम | : | प्राचीन |
| नवाह | : | समीप |
| फ़ाजिला | : | निपुण |
| निपज | : | उपज |

## 2.5.7. उपयोगी ग्रन्थ-सूची


1. जी. ए. ग्रियर्सन, भारत का भाषा सर्वेक्षण, अनुवादक – डॉ॰ उदयनारायण तिवारी, संस्करण : 1959
2. भोलानाथ तिवारी, हिन्दी भाषा का इतिहास, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
3. उदयनारायण तिवारी, हिन्दी भाषा : उद्भव व विकास, लोकभारती प्रकाशन, संस्करण : 2016, ISBN : 978–8180–31–1024
4. बाबूराम सक्सेना, दक्खनी हिन्दी, हिन्दुस्तानी अकादेमी, इलाहाबाद, संस्करण : 1952


❖❖❖

## खण्ड – 3 : हिन्दी की भाषा संरचना

## इकाई – 1 : हिन्दी ध्वनियों का निरूपण : उच्चारण अवयव, ध्वनियों का वर्गीकरण, सन्धि तथा उसके भेद-प्रभेद

**इकाई की रूपरेखा**


3.1.0. उद्देश्य कथन
3.1.1. प्रस्तावना
3.1.2. ध्वनियाँ और वर्ण
 3.1.2.1. उच्चारण अवयव
 3.1.2.2. खंडीय तथा खंडेतर ध्वनियाँ
 3.1.2.3. स्वर तथा व्यंजन ध्वनियाँ
 3.1.2.4. ध्वनि तथा वर्ण
3.1.3. ध्वनियों का वर्गीकरण : हिन्दी की स्वर ध्वनियाँ
 3.1.3.1. हिन्दी की स्वर ध्वनियाँ
 3.1.3.2. हिन्दी स्वरों के वर्गीकरण के आधार
 3.1.3.3. हिन्दी शब्दों में स्वरों के उच्चारित रूप
3.1.4. ध्वनियों का वर्गीकरण : हिन्दी की व्यंजन ध्वनियाँ
 3.1.4.1. हिन्दी की व्यंजन ध्वनियाँ
 3.1.4.2. हिन्दी व्यंजनों के वर्गीकरण के आधार
 3.1.4.3. हिन्दी व्यंजनों का वर्गीकरण
 3.1.4.4. संयुक्त व्यंजनएवं व्यंजन द्वित्व
3.1.5. सन्धि तथा उसके भेद प्रभेद
 3.1.5.1. सन्धि एवं सन्धि विच्छेद से तात्पर्य
 3.1.5.2. सन्धि के भेद : स्वर सन्धि
 3.1.5.3. सन्धि के भेद : व्यंजन सन्धि
 3.1.5.4. सन्धि के भेद : विसर्ग सन्धि
 3.1.5.5. विसर्ग सन्धि के प्रमुख नियम
3.1.6. पाठ-सार
3.1.7. बोध प्रश्न
3.1.8. कठिन शब्दावली
3.1.9. उपयोगी / सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची


### 3.1.0. उद्देश्य कथन

प्रस्तुत पाठ का अध्ययन करने के उपरान्त आप –

i. ध्वनियों के उच्चारण में भाग लेने वाले उच्चारण अवयवों के बारे में जान सकेंगे।
ii. स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों का अन्तर स्पष्ट कर सकेंगे।
iii. ध्वनियों तथा वर्ण के सम्बन्ध को समझ सकेंगे।
iv. हिन्दी के स्वरों और व्यंजनों के वर्गीकरण का आधार बता सकेंगे।
v. हिन्दी के स्वरों एवं व्यंजनों का वर्गीकरण कर सकेंगे।
vi. हिन्दी शब्दों में स्वरों एवं व्यंजनों के उच्चरित रूपों को समझ सकेंगे।
vii. सन्धि की संकल्पना से अवगत हो सकेंगे।
viii. सन्धि के समस्त भेदों को सोदाहरण स्पष्ट कर सकेंगे।

### 3.1.1. प्रस्तावना

प्रस्तुत पाठ के माध्यम से आपको हिन्दी भाषा की ध्वनि व्यवस्था से परिचित कराया जाएगा। इसी व्यवस्था के अन्तर्गत आपको स्वर तथा व्यंजनों की संकल्पना स्पष्ट की जाएगी तथा ध्वनियों के उच्चारण में भाग लेने वाले उच्चारण अवयवों की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आप वर्ण की संकल्पना तथा ध्वनि और वर्ण के बीच के सामंजस्य को भी समझ सकेंगे। यही नहीं इस पाठ में आपको हिन्दी के स्वर और व्यंजनों के भेद-प्रभेदों की भी जानकारी दी जाएगी। पाठ के अन्तिम भाग में 'सन्धि' की संकल्पना स्पष्ट करते हुए सन्धि के तीनों भेदों – स्वर सन्धि, व्यंजन सन्धि तथा विसर्ग सन्धि के विषय में सोदाहरण विस्तार से बताया जाएगा।

### 3.1.2. ध्वनियाँ और वर्ण

#### 3.1.2.1. उच्चारण अवयव

क्या आपने कभी सोचा है कि ध्वनियों का उच्चारण हम कैसे करते हैं ? यह तो आप जानते ही हैं कि हम सभी नाक से साँस लेते हैं जो हमारे फेफड़ों में जाती है और बोलते समय मुख के रास्ते से बाहर निकाल दी जाती है। क्या आप मुँह बन्द करके बोल सकते हैं ? नहीं बोल सकते। फेफड़ों से आने वाली यह श्वास (साँस) जब मुख के रास्ते से बाहर निकलती है तब, दो कार्य हो सकते हैं –

(i) इस वायु को बिना किसी रुकावट या अवरोध (Obstruction) के मुख से बाहर निकाल दिया जाए अथवा
(ii) जीभ या निचले ओठ द्वारा इसके रास्ते में मुख में अलग-अलग स्थानों पर 'रुकावट' या 'अवरोध' (obstruction) उत्पन्न किया जाए।

ध्यान रखिए, भाषिक ध्वनियों के उच्चारण में ये दोनों ही कार्य सम्पन्न होते हैं। कुछ ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है तो कुछ ध्वनियों के उच्चारण में इस वायु के रास्ते में रुकावट पैदा की जाती है। हम सभी के मुख में रुकावट पैदा करने वाले दो अंग हैं– 'निचला ओठ' तथा 'जीभ'। इन

अंगों को ही 'उच्चारण अवयव' (Articulaters) कहा जाता है। ये उच्चारण अवयव मुख में आगे-पीछे, ऊपर-नीचे जाकर मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करते हैं और इसी रुकावट के परिणामस्वरूप अनेक ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए यदि आप 'त्' ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो जीभ की नोंक ऊपर उठकर ऊपरी दाँतों के पिछले भाग को स्पर्श करती है तथा 'प्' ध्वनि के उच्चारण में निचला ओठ ऊपर उठकर ऊपरी ओठ का स्पर्श करता है जिससे मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है जबकि, 'आ' या 'ई' ध्वनियों के उच्चारण में जीभ ऊपर तो उठती है पर इतनी ऊँची नहीं जाती कि मुख से बाहर निकलने वाली वायु का रास्ता अवरुद्ध हो सके. इस तरह 'आ' तथा 'ई' ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी रुकावट या अवरोध के किया जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि भाषिक ध्वनियों के उच्चारण में 'उच्चारण अवयवों' की भूमिका सबसे प्रमुख है।

### 3.1.2.2. खंडीय तथा खंडेतर ध्वनियाँ

हर भाषा में दो तरह की ध्वनियाँ पाई जाती हैं – खंडीय ध्वनियाँ एवं खंडेतर ध्वनियाँ। अब हम इन दोनों के सम्बन्ध में चर्चा करेंगे –

**(क) खंडीय ध्वनियाँ–**

'खंडीय ध्वनियाँ' वे ध्वनियाँ हैं जिनके खण्ड विभिन्न अभिलक्षणों (Features) में किए जा सकते हैं। समस्त स्वर एवं व्यंजन ध्वनियाँ इसी वर्ग में आती हैं। वस्तुतः प्रत्येक व्यंजन और स्वर ध्वनि अपने में अनेक गुण या अभिलक्षण समाहित किये रहती है। उदाहरण के लिए त्, थ्, द्, ध् चारों ही व्यंजन दन्त्य व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ की नोंक ऊपर के दाँतों को जाकर स्पर्श करती है और मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। लेकिन यदि यह जानना हो कि इन चारों में परस्पर क्या अन्तर है तो हमें इन चारों के उच्चारणात्मक अभिलक्षणों (गुणों) को बताना होगा जो इस प्रकार होंगे –

| | | |
|---|---|---|
| **त्** | - | अल्पप्राण, अघोष, स्पर्शी, दन्त्य |
| **थ्** | - | महाप्राण, अघोष, स्पर्शी, दन्त्य |
| **द्** | - | अल्पप्राण, सघोष, स्पर्शी, दन्त्य |
| **ध्** | - | महाप्राण, सघोष, स्पर्शी, दन्त्य |

कहने का तात्पर्य यही है कि स्वर तथा व्यंजन ध्वनियाँ ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनके खण्ड विभिन्न अभिलक्षणों में किए जा सकते हैं; अतः ये सभी 'खंडीय ध्वनियाँ' कहलाती हैं।

**(ख) खंडेतर ध्वनियाँ–**

खंडीय ध्वनियों के अलावा भाषाओं में ऐसी ध्वनियाँ भी पाई जाती हैं जिनके खण्ड नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये अपने में ही एक 'अभिलक्षण' होती हैं। उदाहरण के लिए 'हिन्दी में

'अनुनासिकता' एक ऐसा ही अभिलक्षण है। वस्तुतः अनुनासिकता स्वरों का ऐसा गुण है जिसमें स्वरों का उच्चारण करते समय वायु मुख के साथ-साथ नासिका मार्ग से भी बाहर निकलती है। इस तरह मूल स्वरों की तुलना में जब 'अनुनासिक स्वरों' का उच्चारण किया जाता है तो केवल एक अभिलक्षण (मुँह के साथ-साथ नाक से भी वायु बाहर निकलना) के कारण ही शब्द का अर्थ बदल जाता है, जैसे – सास > साँस, भाग > भाँग आदि।

अनुनासिकता के अलावा बलाघात, तान, अनुतान आदि भी खंडेतर ध्वनियाँ हैं, जिनके खण्ड अन्य अभिलक्षणों में नहीं किए जा सकते। खंडेतर ध्वनियाँ चूँकि, स्वयं में ही एक अभिलक्षण होती हैं अतः अलग से स्वतन्त्र रूप में इनका उच्चारण भी नहीं किया जा सकता।

### 3.1.2.3. स्वर तथा व्यंजन ध्वनियाँ

हर भाषा में दो तरह की खंडीय ध्वनियाँ पाई जाती हैं– 'स्वर' तथा 'व्यंजन'। अब हम इन दोनों के विषय में चर्चा करेंगे–

**(क) स्वर –**

'स्वर' वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है अर्थात् जिनके उच्चारण में वायु के मार्ग में कोई अवरोध नहीं होता।

जैसा ऊपर बताया गया है, स्वरों के उच्चारण में जीभ ऊपर-नीचे तो आती-जाती है पर इतना ऊपर नहीं जाती कि हवा का रास्ता रुक सके। आप स्वयं 'अ', 'इ', 'उ', 'ए' आदि स्वरों का उच्चारण करके देखिए। आप अनुभव करेंगे कि मुख के ऊपरी जबड़े और जीभ (उच्चारण अवयव) के बीच काफ़ी जगह (space) रह जाती है जिसके बीच से वायु बिना किसी रुकावट या अवरोध के बाहर निकल जाती है।

**(ख) व्यंजन –**

जब व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है तो 'उच्चारण अवयव' (निचला ओठ या जीभ) ऊपर उठकर ऊपरी जबड़े को या तो स्पर्श करके हवा का रास्ता रोकते हैं या उसके इतना निकट पहुँच जाते हैं कि दोनों के बीच बहुत कम जगह रह जाती है और वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। 'स्पर्श' हो या 'घर्षण', बाहर निकलने वाली वायु का मार्ग दोनों प्रयत्नों में ही अवरुद्ध हो जाता है और इस अवरोध (रुकावट) के फलस्वरूप जो ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं वे 'व्यंजन' कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 'च्' व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा फलक (Blade of the tongue) ऊपर उठकर तालु को स्पर्श करता है जिससे वायु का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तथा 'स्' व्यंजन के उच्चारण में जीभ की नोंक ऊपरी दाँतों के बहुत निकट आ जाती है तथा जीभ और दाँतों के बीच बहुत कम जगह रह जाती है और वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। कहने का तात्पर्य यही है कि –

व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में उच्चारण-अवयव मुख के ऊपरी जबड़े के विभिन्न स्थानों पर पहुँचकर मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में रुकावट या अवरोध पैदा करते हैं।

इसके अलावा व्यंजन की एक विशेषता यह भी है कि जब भी किसी व्यंजन का उच्चारण स्वतन्त्र रूप से किया जाता है तो हमेशा किसी न किसी स्वर की सहायता से ही होता है। भाषा कोई भी हो, व्यंजन का स्वतन्त्र रूप में उच्चारण सदैव किसी न किसी स्वर की मदद से ही होता है।

### 3.1.2.4. ध्वनि तथा वर्ण

भाषा के दो रूप होते हैं – मौखिक तथा लिखित। मौखिक भाषा भाषा का अस्थायी रूप होता है, क्योंकि मौखिक भाषा उच्चरित होते ही समाप्त हो जाती है। अतः मौखिक भाषा में सम्प्रेषण तभी सम्भव है जब वक्ता और श्रोता एक दूसरे के आमने-सामने हों। मनुष्य को जब यह अनुभव हुआ होगा कि वह अपने मन की बात दूर बैठे व्यक्ति तक या आगे आने वाली पीढ़ी तक भी पहुँचा सके तब, उसे लिखित भाषा की आवश्यकता अनुभव हुई होगी और धीरे-धीरे भाषों के लिखित रूपों का विकास हुआ होगा। लिखित भाषा, भाषा का स्थायी रूप होता है और उसमें जो कुछ भी वर्णित कर दिया जाता है वह स्थायी रूप ले लेता है।

भाषिक ध्वनियों (स्वर तथा व्यंजन) का सम्बन्ध मौखिक भाषा से होता है। वस्तुतः मौखिक भाषा का आधार मानव मुख से उच्चारित ध्वनियाँ होती हैं। भाषा को स्थायित्व प्रदान करने के लिए लिखित भाषा में इन्हीं मौखिक ध्वनियों के लिए कुछ 'लिखित चिह्न' बनाए गए जिन्हें 'लिपि चिह्न' या 'वर्ण' (letter) कहा गया। अतः ध्यान रखिए, 'वर्ण' किसी भाषिक ध्वनि का लिखित रूप है तथा 'ध्वनि' उस 'वर्ण का उच्चारित या मौखिक रूप।

अलग-अलग लिपियों में एक ही 'ध्वनि' के लिए अलग-अलग 'वर्ण' हो सकते हैं। उदाहरण के लिए देवनागरी लिपि में प्, त्, क् जिन ध्वनियों को व्यक्त करते हैं उन्हीं ध्वनियों को रोमन लिपि में p, t, k वर्णों से व्यक्त किया जाता है।

## 3.1.3. ध्वनियों का वर्गीकरण : हिन्दी की स्वर ध्वनियाँ

### 3.1.3.1. हिन्दी की स्वर ध्वनियाँ

हिन्दी में तीन तरह के स्वर प्राप्त होते हैं –

(i) **परम्परागत स्वर –**

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, (ऋ), ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर हिन्दी को संस्कृत से प्राप्त हुए हैं। इनमें से 'ऋ' का उच्चारण स्वर के रूप में हिन्दी में समाप्त हो गया है। हिन्दी भाषाभाषी इसका उच्चारण 'र् + इ = रि' के रूप में करते हैं। संस्कृत के 'ऋ' स्वर वाले जो शब्द हिन्दी में आ गए हैं, उनका लेखन

तो 'ऋ' वर्ण से ही किया जाता है, भले ही उसका उच्चारण स्वर के रूप में नहीं होता। इसके बारे में हम अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे।

(ii) **आगत स्वर –**

आगत ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जो अन्य भाषाओं के आ जाने के कारण किसी भाषा में आ जाती हैं। हिन्दी में भी कुछ ध्वनियाँ जिनमें स्वर तथा व्यंजन दोनों हैं, अनेक विदेशी भाषाओं से आ गई हैं तथा इनके लिए नये वर्ण भी विकसित कर लिए गए हैं। जहाँ तक आगत स्वर का प्रश्न है हिन्दी में 'ऑ' आगत स्वर है तथा यह हिन्दी के अन्य स्वरों की तुलना में अर्थ परिवर्तन की क्षमता रखता है, जैसे –

बाल (hair), बॉल (ball), बोल (speech)
कॉफ़ी (coeffee), काफ़ी (sufficient)
हॉल (hall), हाल (condition), होल (hole) आदि।

इस तरह यह कहा जा सकता है कि हिन्दी में (अंग्रेजी से) आगत 'ball', 'hall' आदि शब्द ऐसे हैं जिनमें आने वाला स्वर न तो हिन्दी के 'आ' के समकक्ष है और न ही 'ओ' के. इसीलिए इसके लिए 'आ' वर्ण के ऊपर चंद्राकार (ॅ) मात्रा लगाकर 'ऑ' वर्ण बना लिया गया है। इससे बनाने वाले अन्य शब्द हैं – डॉक्टर, टॉफ़ी, शॉप, बॉय आदि।

(iii) **नव विकसित स्वर –**

हिन्दी से जो परम्परागत स्वर प्राप्त हुए वे सब 'मौखिक' या 'निरनुनासिक' स्वर थे अर्थात् इनके उच्चारण में नासिका मार्ग बन्द रहता था और वायु केवल मुख से बाहर निकलती थी। हिन्दी तक आते-आते सभी स्वरों का उच्चारण दो तरह से किया जाने लगा – केवल मुख से हवा निकालकर तथा मुख और नासिका दोनों से हवा बाहर निकालकर। पहले प्रकार के स्वरों को ही 'मौखिक स्वर' कहा जाता है तथा दूसरे प्रकार के स्वरों को 'अनुनासिक' (nasalized vowels)। संस्कृत में 'अनुनासिक' (स्वर) नहीं थे। इनका विकास हिन्दी में ही हुआ है। 'अनुनासिकता' को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए दो वर्ण – 'चन्द्रबिन्दु' तथा 'बिन्दु' विकसित किए गए। जिन स्वर वर्णों के ऊपर कोई मात्रा-चिह्न नहीं होता उनपर चन्द्रबिन्दु तथा जिन पर मात्रा-चिह्न होता है उन पर बिन्दु लगाया जाता है। देखिए कुछ उदाहरण –

| | |
|---|---|
| सवार | (स् + अ + व् + आ + र् + अ) |
| सँवार | (स् + अँ + व् + आ + र् + अ) |
| गोद | (ग् + ओ + द् + अ) |
| गोंद | (ग् + ओं + द् + अ) |
| पूछ | (प + ऊ + छ् + अ) |

पूँछ (प + ऊँ + छ् + अ)
भाग (भ् + आ + ग + अ)
भाँग (भ् + आँ + ग + अ)

### 3.1.3.2. हिन्दी स्वरों के वर्गीकरण के आधार

हिन्दी के स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित तीन आधारों पर किया जाता है –

(1) **जीभ का कौनसा भाग उच्चारण में भाग लेता है ?** इस आधार पर स्वरों के दो भेद किए जाते हैं – अग्र स्वर तथा पश्च स्वर।

(i) **अग्र स्वर –**

जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग ऊपर उठता है, 'अग्र स्वर' कहे जाते हैं। हिन्दी के अग्र स्वर हैं – इ, ई, ए तथा ऐ अग्र स्वर हैं।

(ii) **पश्च स्वर –**

जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से ऊपर उठता है, पश्च स्वर कहे जाते हैं; जैसे – आ, उ, ऊ, औ तथा ऑ हिन्दी के पश्च स्वर हैं।

(2) **मुख किस मात्रा में खुलता/बन्द होता है ?** इस आधार पर स्वरों के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं – संवृत, अर्द्ध संवृत, विवृत और अर्द्ध विवृत।

(i) **संवृत–**

'संवृत' शब्द का अर्थ है 'ढका हुआ'। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग ढका हुआ रहता है या सबसे कम खुलता है 'संवृत स्वर' कहे जाते हैं। हिन्दी के संवृत स्वर हैं – ई तथा ऊ स्वर।

(ii) **अर्द्ध संवृत–**

इस स्थिति में मुख संवृत स्थिति से कुछ अधिक खुलता है। इस वर्ग में आने वाले स्वर हैं – इ तथा उ स्वर।

(iii) **विवृत –**

'विवृत' शब्द का अर्थ है 'खुला हुआ'। 'विवृत स्वर' वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है। इस वर्ग में आने वाले स्वर हैं – आ, ऐ, तथा औ।

(iv) **अर्द्ध विवृत –**

यह वह स्थिति है जिसमें मुख विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है। इस वर्ग में आने वाले स्वर हैं – ए, ओ, तथा ऑ।

(3) **ओठों की गोलाकार/अगोलाकार स्थिति के आधार पर –** इस आधार पर स्वरों के दो भेद किए जाते हैं – 'वृत्ताकार स्वर' तथा 'अवृत्ताकार स्वर'।

(i) **वृत्ताकार स्वर –**

जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोल (वृत्ताकार) हो जाते हैं, 'वृत्ताकार स्वर' कहलाते हैं। हिन्दी के वृत्ताकार स्वर हैं – उ, ऊ, ओ, औ, तथा ऑ।

(ii) **अवृत्ताकार स्वर –**

'अवृत्ताकार स्वरों' के उच्चारण में ओठ गोल न होकर फैले हुए से रहते हैं। इस वर्ग में आने वाले स्वर हैं – अ, आ, इ, ई, ए, तथा ऐ।

### 3.1.3.3. हिन्दी शब्दों में स्वरों के उच्चारित रूप

(1) **अ, ए तथा ऐ स्वरों के उच्चारित रूप –** हिन्दी में 'अ', 'ए' तथा 'ऐ' तीन ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में अलग-अलग सन्दर्भों में अन्तर आ जाता है। यहाँ हम प्रत्येक स्वर के उच्चारित रूपों की चर्चा अलग-अलग करेंगे।

(i) **अ-स्वर –**

'अ' स्वर का हिन्दी में दो प्रकार से किया जाता है। 'ह्' व्यंजन के पूर्व 'अ' स्वर का उच्चारण 'अ' के रूप में न होकर 'ऍ' स्वर जैसा हो जाता है, जबकि अन्य स्थानों पर 'अ' की भाँति ही होता है; जैसे –

| **सामान्य स्थिति में उच्चारण** | | **'ह्' व्यंजन के पूर्व उच्चारण** | |
|---|---|---|---|
| असर, अमर, पल, कहना | 'अ' की भाँति | शहर > शॅहर | 'ऍ' की भाँति |
| | | कहना > कॅहना | 'ऍ' की भाँति |

(ii) **ऐ/औ स्वर –**

'अ' स्वर की ही भाँति ही हमें हिन्दी में 'ऐ / औ' स्वरों के भी दो-दो प्रकार के उच्चारण प्राप्त होते हैं। सामान्य स्थिति में तो इनके उच्चारण यथावत रूप में ही रहते हैं, जैसे – ऐनक, थैला, पैसा, मैला तथा और, औरत, कौन, मौन, सौ आदि। परन्तु जब 'ऐ' स्वर का उच्चारण

'य्' के पूर्व तथा 'औ' का उच्चारण 'व्' के पूर्व होता है तब इनका उच्चारण क्रमश: 'अइ' ('अ+इ' का संयुक्त रूप) तथा 'अउ' ('अ+उ' का संयुक्त रूप) के रूप में किया जाता है; जैसे –

| **'य' के पूर्व 'ऐ'** | **शब्द** | **उच्चारित रूप** |
|---|---|---|
| | भैया | भइआ |
| | रुपैया | रुपइआ |
| | गैया | गइआ |
| | मैया | मइया |
| **'व्' के पूर्व 'औ'** | कौवा | कउआ |
| | चौवन | चउअन |

(2) **स्वर आगम –**

हिन्दी में संयुक्त व्यंजनों से बने वाले व्यंजन-गुच्छों को तोड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है । यह कार्य व्यंजन-गुच्छ के आदि या मध्य में किसी स्वर का आगम कर लिया जाता है। यह प्रवृत्ति संस्कृत से आए तत्सम शब्दों के अलावा अरबी, फ़ारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं से आए शब्दों के साथ भी देखी जा सकती है, जैसे –

धर्म > धरम
कर्म > करम
स्नान > इस्नान / अस्नान
दर्द > दरद
स्पष्ट > सपष्ट / इस्पष्ट
स्टेशन > इस्टेशन / सटेशन
कब्र > कबर
ग्लास > गिलास
स्कूल > इस्कूल

(3) **अ-लोप की स्थिति –**

जिस तरह कुछ शब्दों का उच्चारण करते समय अ-स्वर का आगम होता है ठीक इसके विपरीत कुछ स्थितियों में अ-स्वर का लोप कर दिया जाता है । हिन्दी शब्दों में अ-लोप दो स्थितियों में दिखाई देता है – 'शब्दान्त में' तथा 'शब्द के मध्य में' शब्दान्त में अ-लोप । हिन्दी के शब्दों के अन्त में आने वाले 'अ' स्वर का उच्चारण नहीं किया जाता या उसका लोप कर दिया जाता है । यद्यपि लिखते समय हम व्यंजन पर हलन्त नहीं लगाते पर अन्तिम 'अ' का उच्चारण नहीं किया जाता । उदाहरण के लिए हिन्दी भाषाभाषी 'नाम' तथा 'अहम्' शब्दों के अन्त में आने वाले 'म्' का उच्चारण तो समान रूप से

करता है लेकिन लिखते समय 'नाम' के 'म' पर हलन्त नहीं लगाया जाता। वस्तुतः इन शब्दों के उच्चारित एवं लिखित रूपों में अन्तर होता है –

| | | |
|---|---|---|
| आम | > | आम् |
| कल | > | कल् |
| प्यार | > | प्यार् |
| पुल | > | पुल् |
| सच | > | सच् |
| अधिक | > | अधिक् |

इस नियम को हम इस प्रकार लिखकर दिखा सकते हैं –

अ → शून्य / ——— शब्दान्त

(4) **शब्द मध्य में अ-लोप –**

शब्द के मध्य में उस 'अ' का लोप हो जाता है (उच्चारण नहीं किया जाता) जिसके पहले एक स्वर तथा व्यंजन हो और उसके बाद एक व्यंजन तथा कोई दीर्घ स्वर हो। उदाहरण के लिए 'खुरपी' शब्द की रचना 'ख्+उ+र्+अ+प्+ई' ध्वनियों के मेल से हुई है। आप देख सकते हैं कि इस शब्द के मध्य में आने वाले 'अ' स्वर के पहले एक स्वर तथा व्यंजन (उ+र्) आ रहे हैं तथा 'अ' के बाद एक व्यंजन और दीर्घ स्वर (प्+ई) आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस 'अ' का उच्चारण नहीं होता। वास्तव में हिन्दी भाषाभाषी 'खुरपी' शब्द का उच्चारण 'खुर्पी' के रूप में करते हैं। इस नियम को इस प्रकार लिखकर दिखा सकते हैं –

अ → शून्य / स्वर + व्यंजन —— व्यंजन + दीर्घ स्वर

देखिए शब्द के मध्य में होने वाले अ-लोप के अन्य उदाहरण –

| | | |
|---|---|---|
| लकड़ी | > | लक्ड़ी |
| कुरसी | > | कुर्सी |
| धरती | > | धर्ती |
| गरमी | > | गर्मी |
| फिसला | > | फिस्ला |
| चमचा | > | चम्चा |

(5) **शब्दान्त में ह्रस्व स्वरों का दीर्घीकरण –**

हिन्दी में तीन ह्रस्व स्वर हैं – अ, इ तथा उ। इनमें से शब्दान्त में आने वाले 'अ-स्वर' का तो लोप हो जाता है। जहाँ तक बात 'इ / उ' स्वरों की है, मातृभाषाभाषी शब्दान्त में इनका उच्चारण ह्रस्व

स्वरों के रूप में न कर दीर्घ स्वरों के रूप में करता है। उदाहरण के लिए 'पति' और 'मधु' शब्दों का उच्चारण 'पती' तथा 'मधू' के रूप में किया जाता है। इस नियम को इस प्रकार लिखकर बता सकते हैं –

इ / उ → ई / ऊ / ———— शब्दान्त

देखिए कुछ और उदाहरण –

| | | |
|---|---|---|
| गति | > | गती |
| जाति | > | जाती |
| कपि | > | कपी |
| साधु | > | साधू |
| कटु | > | कटू |
| वधु | > | वधू |

## 3.1.4. ध्वनियों का वर्गीकरण : हिन्दी की व्यंजन ध्वनियाँ

### 3.1.4.1. हिन्दी की व्यंजन ध्वनियाँ

स्वरों की ही भाँति हिन्दी में तीन प्रकार के व्यंजन पाए जाते हैं – 'मूल या केन्द्रीय व्यंजन', 'आगत व्यंजन' तथा नव विकसित व्यंजन।

(1) **मूल या केन्द्रीय व्यंजन –**

हिन्दी को जो व्यंजन संस्कृत से प्राप्त हुए हैं वे ही मूल याकेन्द्रीय व्यंजन कहलाते हैं। ये इस प्रकार हैं –

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क् | ख् | ग् | घ् | ङ् | |
| च् | छ् | ज् | झ् | ञ् | |
| ट् | ठ् | ड् | ढ् | ण् | |
| त् | थ् | द् | ध् | न् | (न्ह्) |
| प् | फ् | ब् | भ् | म् | (म्ह्) |
| य् | र् | ल् | (ल्ह्) | व् | |
| श् | स् | ष् | ह् | | |

जहाँ तक 'ङ्', 'ञ्' तथा 'ष्' व्यंजनों का प्रश्न है, इनका उच्चारण हिन्दी में समाप्त हो चुका है। इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों (संस्कृत से प्राप्त) में ही किया जाता है तथा मूर्धन्य 'ष्' का उच्चारण तालव्य 'श्' के रूप में होने लगा है।

(2) **आगत व्यंजन –**

अरबी, फ़ारसी, तुर्की, अंग्रेजी तथा अन्य योरोपीय भाषाओं के शब्दों के हिन्दी में आ जाने के कारण जो व्यंजन आ गए हैं, 'आगत व्यंजन' कहलाते हैं। इन व्यंजनों का भाषा में प्रयोग सीमित लोगों के द्वारा सीमित सन्दर्भों में ही किया जाता है। इन व्यंजन ध्वनियों के लिए वर्ण भी बना लिए गए हैं जो इस प्रकार हैं – क़्, ख़्, ग़्, ज़् तथा फ़्. । जहाँ तक इन व्यंजनों के उच्चारण का सवाल है, सभी की स्थिति भिन्न है। अधिकांश हिन्दी भाषाभाषी प्रायः क़्, ख़्, ग़्, के स्थान पर इन्हीं के निकट के व्यंजन क्, ख् ग् के रूप में उच्चारण करते हैं। हाँ ! वे लोग जिनके पास अरबी/फ़ारसी की परम्परा है वे इनका उच्चारण सही करते हैं। जहाँ तक ज़् तथा फ़्. का सवाल है चूँकि ये ध्वनियाँ अरबी-फ़ारसी के अलावा अंग्रेजी के शब्दों के आ जाने के कारण भी आयी हैं अतः शिक्षित लोग इनका उच्चारण ठीक प्रकार से करते हैं। इन व्यंजनों से बनाने वाले शब्दों के कुछ उदाहरण देखिए – ताक़ (दीवार का आला), ख़ाना (अलमारी का ख़ाना), बाग़ (बगीचा), राज़ (रहस्य). फ़न (हुनर) आदि।

(3) **नव विकसित व्यंजन –**

हिन्दी में कुछ नये ऐसे व्यंजनों का भी विकास हुआ है जो संस्कृत में नहीं थे। ये व्यंजन ध्वनिय किसी अन्य भाषा के शब्दों के आने के कारण विकसित न होकर हिन्दी के संरचनात्मक विकास का परिणाम हैं। हिन्दी में नव विकसित व्यंजन हैं – ड़्, ढ़्, न्ह्, म्ह्, ल्ह्। इनमें से ड़् / ढ़् क्रमश 'ड्' तथा 'ढ्' से विकसित हुए हैं। हिन्दी में ड् / ढ् शब्दारम्भ या व्यंजन गुच्छों में ही आते हैं। जब भी ये शब्द के मध्य में दो स्वरों के बीच में तथा शब्दान्त में आते हैं तो इनका उच्चारण क्रमश: 'ड़् / ढ़्' में बदल जाते हैं, जैसे – घोड़ा, जोड़ी, पहाड़ी, मोड़, तोड़, बूढ़ा, मूढ़ा आदि।

हिन्दी में न्, म् तथा ल् अल्प प्राण व्यंजन हैं। हिन्दी में अब इनके महाप्राण रूप क्रमश: न्ह्, म्ह्, ल्ह् भी स्वतन्त्र व्यंजनों की भाँति प्रयुक्त होने लगे हैं और न्, म् ल् के व्यतिरेक में शब्द का अर्थ परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, जैसे – काना > कान्हा, कुमार > कुम्हार, आला > आल्हा आदि।

## 3.1.4.2. हिन्दी व्यंजनों के वर्गीकरण के आधार

हिन्दी के व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है – 'उच्चारण स्थान' के आधार पर तथा 'उच्चारण प्रयत्न' के आधार पर। 'उच्चारण स्थान' से तात्पर्य है मुख के ऊपरी जबड़े के वे स्थान जहाँ उच्चारण अवयव (जीभ या निचला ओठ) ऊपर उठकर फेफड़ों से आने वाली वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इस दृष्टि से प्रमुख उच्चारण स्थान हैं – ऊपरी ओठ, ऊपरी दाँत, वर्त्स (ऊपर के दाँतों के पीछे का कठोर स्थान), कठोर तालु या तालु, कोमल तालू या कण्ठ, अलिजिह्वा आदि। 'प्रयत्न' या 'उच्चारण प्रयत्न' से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके कारण उच्चारण अवयव मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। जैसे वे कभी उच्चारण स्थान को स्पर्श करते हैं, कहीं उसके बहुत निकट पहुँच जाते हैं जिससे वायु घर्षण करती हुई

निकलती है, कुछ व्यंजनों के उच्चारण में कम्पन होता है तो कभी मुख से कम या अधिक मात्र में वायु बाहर निकलती है, आदि।

### 3.1.4.3. हिन्दी व्यंजनों का वर्गीकरण

(1) **उच्चारण स्थान के आधार पर –**

उच्चारण स्थान के आधार पर हिन्दी के व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है –

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| काकल्य | : | (क़्) | (ग़्) | | | | | | |
| कण्ठ्य | : | क् | ख् | (ख़) | ग् | घ् | ङ् | | |
| तालव्य | : | च् | छ् | ज् | (ज़्) | झ् | ञ् | य् | श् |
| मूर्धन्य | : | ट् | ठ् | ड् | ढ् | ण् | {ड़्} | {ढ़्} | ष् |
| दन्त्य | : | त् | थ् | द् | ध् | न् | {न्ह्} | | |
| वर्त्स्य | : | स् | र् | ल् | {ल्ह्} | | | | |
| ओष्ठ्य | : | प् | फ् | ब् | भ् | म् | {म्ह्} | | |
| दन्त्योष्ठ्य | : | व् | (फ़्) | | | | | | |
| स्वरयन्त्रीय | : | ह् | | | | | | | |

( ( ) में आगत व्यंजन तथा { } कोष्ठक में नवविकसित व्यंजन दिखाए गए हैं)

(2) **प्रयत्न (उच्चारण प्रयत्न) के आधार पर –**

प्रयत्न कई प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ हम विभिन्न प्रयत्नों के आधार पर होने वाले व्यंजनों के भेदों का वर्णन करेंगे –

**(i) उच्चारण अवयवों द्वारा किए जाने वाले अवरोध की प्रकृति के आधार पर**

**(क) स्पर्शी व्यंजन –**

जब उच्चारण अवयव ऊपर उठकर उच्चारण स्थान का स्पर्श कर मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं तब जो व्यंजन उत्पन्न होते हैं वे 'स्पर्शी व्यंजन' कहलाते हैं। उदाहरण के लिए प-वर्ग के सभी व्यंजनों के उच्चारण में निचला ओठ ऊपर के ओठ का स्पर्श कर वायु का मार्ग अवरुद्ध करता है। इसी तरह त-वर्ग के व्यंजनों में जीभ की नोंक ऊपरी दाँतों के पिछले भाग को स्पर्श कर वायु का मार्ग अवरुद्ध करती है और क-वर्ग के व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग ऊपर उठकर कण्ठ या कोमल तालु को जाकर स्पर्श करता है और वायु का मार्ग अवरुद्ध करता है। इस तरह हिन्दी में कुल स्पर्शी व्यंजन हैं – क्, ख्, ग्, घ्, ङ्, ट्, ठ्, ड्, ढ्, ण्, त्, थ्, द्, ध्, न्, न्ह्, प्, फ्, ब्, भ्, म्, म्ह् तथा क़्।

**(ख) संघर्षी व्यंजन–**

कुछ व्यंजनों के उच्चारण में उच्चारण अवयव उच्चारण स्थान का स्पर्श नहीं करते बल्कि उसके इतने निकट पहुँच जाते हैं कि दोनों के बीच इतनी कम जगह रह जाती है कि वायु को घर्षण करते हुए मुख से बाहर निकलना पड़ता है। इस स्थिति में उच्चारित होने वाले व्यंजन 'संघर्षी व्यंजन' कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 'स्' व्यंजन के उच्चारण में जीभ की नोंक वर्त्स (ऊपरी दाँतों के पीछे का कठोर भाग) के बहुत निकट आ जाती है तथा 'श्' के उच्चारण में जिह्वाफलक ऊपर उठकर तालु के निकट आ जाता है और वायु सी-सी की ध्वनि के साथ घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। हिन्दी में स्, श्, ह्, ख़्, ग़्, ज़् तथा फ़् संघर्षी व्यंजन हैं।

**(ग) स्पर्श संघर्षी व्यंजन–**

कुछ व्यंजनों के उच्चारण में जीभ पहले तो उच्चरण स्थान का स्पर्श करती है फिर वहाँ से हटकर उच्चारण स्थान के इतना निकट रह जाती है कि वायु को घर्षण करते हुए ही मुख से बाहर निकलना पड़ता है। इस तरह इन ध्वनियों के उच्चारण में स्पर्श भी होता है तथा घर्षण भी। अतः ये 'स्पर्श संघर्षी' व्यंजन कहे जाते हैं। हिन्दी में क-वर्ग के सभी व्यंजन – च्, छ्, ज्, झ्, ञ् 'स्पर्श संघर्षी' व्यंजन हैं।

**(घ) अन्तस्थ व्यंजन –**

संस्कृत में य् र् ल् तथा व् को अन्तस्थ व्यंजन कहा गया था। इनके उच्चारण में श्वास का अवरोध व्यंजनों की तुलना में कम मात्र में होता है। इनमें से य् तथा व् को अर्द्ध स्वर कहा जाता है। 'र्' व्यंजन के उच्चारण में जीभ मुख के मध्य में आ जाती है और बारम्बार झटके से आगे-पीछे गिरती है। इसी आधार पर इसे 'लुण्ठित' व्यंजन कहा जाता है। 'ल' के उच्चारण में जीभ की नोंक मुख के बीच में जाकर मुँह के एक ओर या दोनों ओर 'पार्श्व' बनाती है, अतः 'ल' व्यंजन को 'पार्श्विक व्यंजन' कहलाता है।

**(ङ) उत्क्षिप्त व्यंजन –**

हिन्दी में विकसित 'ड़् / ढ़्' व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन कहे जाते हैं। इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर कठोर तालु को स्पर्शकर तुरन्त नीचे गिरती है।

## (ii) स्वरतन्त्रियों में उत्पन्न कम्पन के आधार पर –

**अघोष तथा सघोष –**

हम सब के गले में एक 'स्वर यन्त्र' होता है जिसमें माँसपेशियों की बनी दो झिल्लियाँ होती हैं जिन्हें 'स्वर तन्त्रियाँ' (Vocal Cords) कहते हैं। फेफड़ों से निकलकर मुख तक जाने वाली वायु इन स्वर तन्त्रियों से टकराती

है जिससे वे झंकृत हो जाती हैं और उनमें कम्पन पैदा हो जाता है। कम्पन के कारण कभी तो ये परस्पर निकट आ जाती हैं और कभी दूर चली जाती हैं। इनकी परस्पर निकटता की स्थिति में जो वायु इनके मध्य से निकलकर मुख तक पहुँचती है उसमें इन स्वर तन्त्रियों की गूँज या नाद या घोष शामिल हो जाता है तथा जब ये दूर-दूर होती हैं तब वायु बिना गूँज या नाद के ही मुख तक पहुँचती है।

जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तन्त्रियों की गूँज (घोष) शामिल रहता है उन्हें 'सघोष व्यंजन' तथा जिनमें यह घोषत्व शामिल नहीं रहता उन्हें 'अघोष व्यंजन' कहा जाता है। हिन्दी में सभी वर्गों के प्रथम तथा द्वितीय व्यंजन फ़्, श्, ष्, स् अघोष व्यंजन हैं तथा वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम व्यंजन एवं ड़् ढ़्, ज़्, य्, र्, ल्, व्, ह् (तथा सभी स्वर भी) सघोष व्यंजन हैं।

### (iii) श्वास (प्राण) की मात्रा के आधार पर

**अल्पप्राण तथा महाप्राण व्यंजन –**

'प्राण' शब्द का अर्थ है – 'वायु'। कुछ व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में वायु बहर निकलती है तथा कुछ में अधिक। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम या अल्प मात्रा में वायु निकलती है उन्हें 'अल्पप्राण' तथा तथा जिनके उच्चारण में अधिक (महा) वायु निकलती है 'महाप्राण' कहलाते हैं। हिन्दी में पंचवर्गीय व्यंजनों में पहला, तीसरा तथा पाँचवाँ व्यंजन अल्पप्राण हैं तथा दूसरा और चौथा महाप्राण। इनके अलावा नवविकसित व्यंजन – न्ह्, म्ह् तथा ल्ह् भी क्रमश: न्, म् और ल् व्यंजनों के महाप्राण रूप ही हैं।

### (iv) वायु के नासिका से निकलने के आधार पर –

**नासिक्य और निरनुनासिक व्यंजन–**

जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख के साथ-साथ नासिका मार्ग से भी बाहर निकलती है 'नासिक्य' ध्वनियाँ कहलाती हैं तथा जिन ध्वनियों में नासिका मार्ग बन्द रहता है और वायु केवल मुख से ही बाहर निकलती है 'निरनुनासिक' या 'मौखिक' ध्वनियाँ कहलाती हैं। इस दृष्टि से हिन्दी में वर्ग के सभी पंचम व्यंजन– ङ्, ञ्, ण्, न् तथा म् तो नासिक्य व्यंजन (स्वतन्त्र) हैं ही साथ ही 'अनुस्वार' भी आश्रित नासिक्य व्यंजन का उदाहरण है।

## 3.1.4.4. संयुक्त व्यंजन एवं व्यंजन द्वित्व

**संयुक्त व्यंजन–**

'संयुक्त व्यंजन' वे व्यंजन हैं जो दो या दो से अधिक व्यंजन एक इकाई के रूप में उच्चारित किए जाते हैं। इनको 'व्यंजन गुच्छ' भी कहते हैं। इनकी पहचान यही है कि इनमें एक से अधिक व्यंजन आकर संयुक्त होजाते हैं तथा इनके मध्य में कभी कोई स्वर नहीं आता; जैसे –

| | | |
|---|---|---|
| सप्ताह | – | प्+त् |
| राष्ट्रीय | – | ष्+ट्+र् |
| विद्वान् | – | द्+व् |
| अस्त | – | स्+त् |
| स्वप्न | – | स्+व् तथा प्+न् |
| विख्यात | – | ख्+य् |
| लक्ष्य | – | क्+ष् |
| स्त्री | – | स्+त्+र् |

**व्यंजन द्वित्व –**

संयुक्त व्यंजनों में तो अलग-अलग व्यंजन संयुक्त होकर एक इकाई बनाते हैं परन्तु जब सामान व्यंजन संयुक्त होते हैं तब वे 'व्यंजन द्वित्व' कहलाते हैं, जैसे – पक्का, गन्ना, मिट्टी, गद्दी, बच्चा, इक्का, रस्सी, सत्तर, अड्डा, बिल्ली आदि।

## 3.1.5. सन्धि तथा उसके भेद प्रभेद

### 3.1.5.1. सन्धि एवं सन्धि विच्छेद से तात्पर्य

**सन्धि –**

'सन्धि शब्द का अर्थ है – 'मेल'। जब दो शब्दों का उच्चारण एक साथ किया जाता है तो पहले शब्द की अन्तिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द की पहली ध्वनि एक दूसरे के सम्पर्क में आती हैं और इसके परिणामस्वरूप इन ध्वनियों के उच्चारण में कुछ परिवर्तन हो जाता है। कभी यह परिवर्तन पहले शब्द की अन्तिम ध्वनि में होता है तो कभी दूसरे शब्द की पहली ध्वनि में और कभी दोनों में; जैसे –

**1. पहले शब्द की अन्तिम ध्वनि में परिवर्तन**

| | | |
|---|---|---|
| वाक् + ईश | = | वागीश (क् + ई के मेल के परिणामस्वरूप 'क्' का परिवर्तन 'ग्' में ) |
| तत् + भव | = | तद्भव (त् + भ् के मेल के परिणामस्वरूप 'त्' का परिवर्तन 'द्' में ) |

**2. दूसरे शब्द की पहली ध्वनि में परिवर्तन**

| | | |
|---|---|---|
| परि + सद | = | परिषद (इ + स् के मेल के परिणामस्वरूप 'स्' का परिवर्तन 'ष्' में) |
| वि+ सम | = | विषम (इ + स् के मेल के परिणामस्वरूप 'स्' का परिवर्तन 'ष्' में) |

**3. दोनों शब्दों की दोनों ध्वनियों में परिवर्तन**

| | | |
|---|---|---|
| राम + ईश्वर | = | रामेश्वर (अ+ई के मेल के परिणामस्वरूप दोनों का परिवर्तन 'ए' में ) |
| उत् + शिष्ट | = | उच्छिष्ट ( त्+द् के मेल से 'त्' का 'च्' में तथा 'श्' का 'छ्' में परिवर्तन) |

दो शब्दों की ध्वनियों के इस तरह के मेल के कारण होने वाले परिवर्तन को सन्धि कहते हैं। अतः दो शब्दों का उच्चारण एक साथ करते समय दोनों शब्दों की निकटतम ध्वनियों के बीच होने वाले परिवर्तन को 'सन्धि' कहते हैं।

**सन्धि विच्छेद –**

'सन्धि-विच्छेद' वस्तुतः 'सन्धि' की विपरीत प्रकिया है। सन्धि परिणामस्वरूप बने नये शब्दों को तोड़कर या विच्छेद करके उन्हें सन्धि से पहले की मूल स्थिति में लाए जाने की प्रक्रिया 'सन्धि-विच्छेद' कहलाती है। उदाहरण के लिए यदि 'सत् + जन' शब्दों के मेल या सन्धि से बने 'सज्जन' शब्द को तोड़कर यदि उसे 'सत् + जन' की मूल स्थिति में लाया जाता है तो यह सन्धि-विच्छेद का उदाहरण होगा। देखिए अन्य उदाहरण –

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| अत्यधिक | = | अति | + | अधिक |
| सप्तर्षि | = | सप्त | + | ऋषि |
| नारीश्वर | = | नारी | + | ईश्वर |
| रजनीश | = | रजनी | + | ईश |
| इत्यादि | = | इति | + | आदि |
| तदनुसार | = | तत् | + | अनुसार |
| निश्चल | = | निः | + | चल |

## 3.1.5.2. सन्धि के भेद : स्वर सन्धि

दो स्वरों का परस्पर मेल होने से किसी एक स्वर अथवा दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है वह 'स्वर सन्धि' कहलाता है। स्वर सन्धि के पाँच उपभेद होते हैं – (i) दीर्घ सन्धि, (ii) गुण सन्धि, (iii) वृद्धि सन्धि, (iv) यण सन्धि तथा (v) अयादि सन्धि।

### (i) दीर्घ सन्धि –

जब ह्रस्व 'अ/इ/उ' अथवा दीर्घ 'आ/ई/ऊ' स्वरों के बाद ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर आते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं अर्थात् 'आ/ई/ऊ' में बदल जाते हैं; जैसे –

**(क) अ / आ + अ / आ = आ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| वेद | + | अन्त | = | वेदान्त |
| स्व | + | अर्थ | = | स्वार्थ |
| शरण | + | अर्थी | = | शराणार्थी |
| सूर्य | + | अस्त | = | सूर्यास्त |
| देव | + | आलय | = | देवालय |
| सत्य | + | आनन्द | = | सत्यानन्द |
| शरण | + | आगत | = | शरणागत |
| विद्या | + | आलय | = | विद्यालय |
| शिक्षा | + | अर्थी | = | शिक्षार्थी |
| यथा | + | अर्थ | = | यथार्थ |
| सीमा | + | अन्त | = | सीमान्त |
| परा | + | अस्त | = | परास्त |
| महा | + | आत्मा | = | महात्मा |
| दया | + | आनन्द | = | दयानन्द |
| दिवा | + | आकर | = | दिवाकर |
| वार्ता | + | आलाप | = | वार्तालाप |

**(ख) इ / ई + इ / ई = ई**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| मुनि | + | इन्द्र | = | मुनीन्द्र |
| अभि | + | इष्ट | = | अभीष्ट |
| शशि | + | इन्द्र | = | शशीन्द्र |
| हरि | + | इच्छा | = | हरीच्छा |
| मुनि | + | ईश | = | मुनीश |
| कपि | + | ईश | = | कपीश |
| हरि | + | ईश | = | हरीश |
| कवि | + | ईश्वर | = | कवीश्वर |
| पत्नी | + | इच्छा | = | पत्नीच्छा |
| योगी | + | इन्द्र | = | योगीन्द्र |
| अवनी | + | इन्द्र | = | अवनीन्द्र |
| लक्ष्मी | + | इच्छा | = | लक्ष्मीच्छा |
| रजनी | + | ईश | = | रजनीश |
| शची | + | इन्द्र | = | शचीन्द्र |
| सती | + | ईश | = | सतीश |
| श्री | + | ईश | = | श्रीश |

**(ग) उ / ऊ + उ / ऊ = ऊ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| लघु | + | उत्तर | = | लघूत्तर |
| भानु | + | उदय | = | भानूदय |
| गुरु | + | उपदेश | = | गुरूपदेश |
| भानु | + | उदय | = | भानूदय |
| अम्बु | + | ऊर्जा | = | अम्बूर्जा |
| सिन्धु | + | ऊर्मि | = | सिन्धूर्मि |
| भू | + | उद्धार | = | भूद्धार |
| वधू | + | उत्सव | = | वधूत्सव |
| भू | + | ऊर्जा | = | भूर्जा |
| वधू | + | ऊर्मि | = | वधूर्मि । |

(ii) **गुण सन्धि –**

जब 'अ/आ' स्वरों के बाद 'इ/ई' आने पर 'ए', 'उ/ऊ' आने पर 'ओ', तथा ऋ' आने पर 'अर्' हो जाता है तो वहाँ 'गुण सन्धि' होती है, जैसे –

**(क) अ / आ + इ / ई = ए**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| नर | + | इन्द्र | = | नरेन्द्र |
| राज | + | इन्द्र | = | राजेन्द्र |
| सत्य | + | इन्द्र | = | सत्येन्द्र |
| भारत | + | इन्दु | = | भारतेन्दु |
| गण | + | ईश | = | गणेश |
| सुर | + | ईश | = | सुरेश |
| दिन | + | ईश | = | दिनेश |
| परम | + | ईश्वर | = | परमेश्वर |
| महा | + | इन्द्र | = | महेन्द्र |
| राजा | + | इन्द्र | = | राजेन्द्र |
| रमा | + | ईश | = | रमेश |
| राजा | + | ईश | = | राजेश |
| कमला | + | ईश | = | कमलेश |
| महा | + | ईश | = | महेश |

**(ख) अ / आ + उ / ऊ = ओ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| वसन्त | + | उत्सव | = | वसन्तोत्सव |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | + | उदय | = | सूर्योदय |
| लोक | + | उक्ति | = | लोकोक्ति |
| सर्व | + | उत्तम | = | सर्वोत्तम |
| जल | + | ऊर्मि | = | जलोर्मि |
| सूर्य | + | ऊष्मा | = | सूर्योष्मा |
| महा | + | उत्सव | = | महोत्सव |
| महा | + | उदय | = | महोदय |
| गंगा | + | ऊर्मि | = | गंगोर्मि |
| महा | + | ऊर्जा | = | महोर्जा |

**(ग) अ + ऋ = अर्**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ब्रह्म | + | ऋषि | = | ब्रह्मर्षि |
| सप्त | + | ऋषि | = | सप्तर्षि |

**(घ) आ + ऋ = अर**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| राजा | + | ऋषि | = | राजर्षि |
| महा | + | ऋषि | = | महर्षि |

### (iii) वृद्धि सन्धि –

जब 'अ/आ' के बाद 'ए/ऐ' स्वर आते हैं तो दोनों मिलकर 'ऐ' हो जाते हैं तथा यदि 'ओ/औ' स्वर आते हैं तो 'औ' हो जाते हैं तब वहाँ 'वृद्धि सन्धि' होती है, जैसे –

**(क) अ / आ + ए / ऐ = 'ऐ'**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| एक | + | एक | = | एकैक |
| लोक | + | एषणा | = | लोकेषणा |
| मत | + | ऐक्य | = | मतैक्य |
| परम | + | ऐश्वर्य | = | परमैश्वर्य |
| सदा | + | एव | = | सदैव |
| तथा | + | एव | = | तथैव |
| राजा | + | ऐश्वर्य | = | राजैश्वर्य |
| महा | + | ऐश्वर्य | = | महैश्वर्य |

**(ख) अ / आ + ओ / औ = 'औ'**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| परम | + | ओज | = | परमौज |
| वन | + | ओषधि | = | वनौषधि |
| जल | + | औघ | = | जलौघ |
| वीर | + | औदार्य | = | वीरौदार्य |
| महा | + | ओज | = | महौज |
| महा | + | ओजस्वी | = | महौजस्वी |
| महा | + | औषध | = | महौषध |
| महा | + | औदार्य | = | महौदार्य |

**(iv) यण सन्धि –**

जब 'इ/ई/, उ/ऊ तथा 'ऋ' के बाद इनसे भिन्न कोई स्वर आता है तो इनके स्थान पर 'य, 'व' तथा 'र' हो जाता है, जैसे –

**(क) इ / ई + अ / आ / उ / ऊ / ए = य / या / यु / यू / ये**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| अति | + | अन्त | = | अत्यन्त |
| अति | + | अधिक | = | अत्यधिक |
| अति | + | आनन्द | = | अत्यानन्द |
| अति | + | आचार | = | अत्याचार |
| परि | + | आवरण | = | पर्यावरण |
| इति | + | आदि | = | इत्यादि |
| नदी | + | अर्पण | = | नद्यर्पण |
| देवी | + | अर्पण | = | देव्यर्पण |
| सखी | + | आगमन | = | सख्यागमन |
| देवी | + | आलय | = | देव्यालय |
| उपरि | + | उक्त | = | उपर्युक्त |
| प्रति | + | उपकार | = | प्रत्युपकार |
| नि | + | ऊन | = | न्यून |
| वि | + | ऊह | = | व्यूह |
| प्रति | + | एक | = | प्रत्येक |

**(ख) उ / ऊ + अ / आ /इ / ई / ए = व / वा / वि / वी / वे**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| सु | + | अच्छ | = | स्वच्छ |
| अनु | + | अय | = | अन्वय |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| सु | + | आगत | = | स्वागत |
| वधू | + | आगमन | = | वध्वागमन |
| अनु | + | इति | = | अन्विति |
| अनु | + | ईक्षण | = | अन्वीक्षण |
| अनु | + | एषण | = | अन्वेषण |

**(ग) ऋ + अ / आ / इ / उ = र / रा / रि / रु**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| मातृ | + | अनुमति | = | मात्रनुमति |
| पितृ | + | अनुमति | = | पित्रनुमति |
| पितृ | + | आज्ञा | = | पित्राज्ञा |
| मातृ | + | आज्ञा | = | मात्राज्ञा |
| मातृ | + | इच्छा | = | मात्रिच्छा |
| पितृ | + | इच्छा | = | पित्राच्छा |
| मातृ | + | उपदेश | = | मात्रुपदेश |
| पितृ | + | उपदेश | = | पित्रुपदेश |

### (V) अयादि सन्धि –

'ए/ऐ' तथा 'ओ'औ' के बाद भिन्न स्वर आने पर क्रमश; 'अय', 'आय', 'अव' तथा 'आव' हो जाता है, जैसे –

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ने | + | अन | = | नयन |
| शे | + | अन | = | शयन |
| गै | + | अक | = | गायक |
| नै | + | अक | = | नायक |
| पो | + | अन | = | पवन |
| भो | + | अन | = | भवन |
| पौ | + | अन | = | पावन |
| पौ | + | अक | = | पावक |
| पो | + | इत्र | = | पवित्र |
| भो | + | इष्य | = | भविष्य |
| नौ | + | इक | = | नाविक |
| भौ | + | उक | = | भावुक |

### 3.1.5.3. सन्धि के भेद : व्यंजन सन्धि

किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर अथवा व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है वह 'व्यंजन सन्धि' कहलाता है; जैसे –

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| जगत् | + | नाथ | = | जगन्नाथ |
| सत् | + | मति | = | सन्मति |
| उत् | + | चारण | = | उच्चारण |
| उत् | + | लास | = | उल्लास |
| वि | + | सम | = | विषम |
| परि | + | सद् | = | परिषद् |
| परि | + | नाम | = | परिणाम |

**व्यंजन सन्धि के कुछ प्रमुख नियम –**

**1. वर्ग के पहले व्यंजन का तीसरे व्यंजन में परिवर्तन–**

वर्ग के पहले व्यंजन (क्, च्, ट, त्, प्) के बाद यदि कोई स्वर, वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन (ग् / घ्, ज् / झ्, ड् / ढ्, द् / ध् तथा ब् / भ्) अथवा य्, र्, ल्, व्, ह् व्यंजन आते हैं तो निम्नलिखित परिवर्तन होता है – क् => ग्, च् => ज्, ट् => ड्, त् => द् तथा प् => ब्। देखिए उदाहरण –

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| दिक् | + | गज | = | दिग्गज |
| वाक् | + | ईश | = | वागीश |
| वाक् | + | जाल | = | वाग्जाल |
| दिक् | + | दर्शन | = | दिग्दर्शन |
| अच् | + | अन्त | = | अजन्त |
| षट् | + | आनन् | = | षडानन |
| षट् | + | दर्शन | = | षड्दर्शन |
| सत् | + | उपयोग | = | सदुपयोग |
| जगत् | + | ईश | = | जगदीश |
| उत् | + | घाटन | = | उद्घाटन |
| तत् | + | भव | = | तद्भव |
| अप् | + | ज | = | अब्ज |

**2. वर्ग के पहले व्यंजन का पाँचवें व्यंजन में परिवर्तन–**

वर्ग के पहले व्यंजन के बाद यदि कोई नासिक्य व्यंज्न आता है तो पहला व्यंजन अपने ही वर्ग के नासिक्य व्यंजन (पंचम व्यंजन) में बदल जाता है। इसका अर्थ यही हुआ कि क्, च्, ट्, त्, प् के बाद

यदि कोई भी नासिक्य व्यंजन आता है तो निम्नलिखित परिवर्तन होता है – क् => ङ्, च् =>ञ्, ट् => ण्, त् => न् तथा प् => म्; जैसे –

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| वाक् | + | मय | = | वाङ्मय |
| दिक् | + | नाद | = | दिङ्नाद |
| षट् | + | मास | = | षण्मास |
| षट् | + | मुख | = | षण्मुख |
| सत् | + | मति | = | सन्मति |
| जगत् | + | नाथ | = | जगन्नाथ |

### 3. 'त्' सम्बन्धी विशेष नियम –

(क) 'त्' व्यंजन के बाद यदि च् / छ्, ज् / झ्, ट् / ठ्, ड् / ढ् तथा ल् व्यंजन आते हैं तो क्रमशः च् / छ् का 'च्', ज् / झ् का ज्, ट् / ठ का ट्, ड् / ढ् का ड् और ल् का ल् में परिवर्तन होता है, जैसे –

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| उत् | + | चारण | = | उच्चारण |
| शरत् | + | चन्द्र | = | शरच्चन्द्र |
| जगत् | + | छाया | = | जगच्छाया |
| सत् | + | चरित्र | = | सच्चरित्र |
| सत् | + | जन | = | सज्जन |
| उत् | + | ज्वल | = | उज्ज्वल |
| उत् | + | डयन | = | उट्डयन |
| बृहत् | + | टीका | = | वृहट्टीका |
| उत् | + | लास | = | उल्लास |
| तत् | + | लीन | = | तल्लीन |

(ख) यदि 'त्' के बाद 'श्' व्यंजन आता है तो 'त्' का 'च्' तथा 'श्' का 'छ्' हो जाता है, जैसे –

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| उत् | + | शिष्ट | = | उच्छिष्ट |
| उत् | + | श्वास | = | उच्छवास |

(ग) यदि 'त्' के बाद 'ह्' व्यंजन आता है तो 'त्' का 'द्' तथा 'ह्' का 'ध्' हो जाता है, जैसे –

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| उत् | + | हरण | = | उद्धरण |
| उत् | + | हार | = | उद्धार |

### 4. 'छ्' सम्बन्धी नियम –

यदि किसी स्वर के बाद 'छ्' व्यंजन आता है तो 'छ्' से पहले एक 'च्' का आगम हो जाता है; जैसे –

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| वि | + | छेद | = | विच्छेद |
| अनु | + | छेद | = | अनुच्छेद |
| स्व | + | छन्द | = | स्वच्छन्द |
| परि | + | छेद | = | परिच्छेद |

### 5. 'न्' का 'ण्' में परिवर्तन –

यदि 'ऋ', 'र्' और 'ष्' के बाद किसी शब्द में किसी भी स्थान पर 'न्' व्यंजन आ रहा हो तो वह 'ण्' में बदल जाता है; जैसे –

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| राम | + | अयन | = | रामायण |
| ऋ | + | न | = | ऋण |
| प्र | + | मान | = | प्रमाण |
| हर | + | न | = | हरण |

यह नियम उस समय लागू नहीं होता जब 'ऋ', 'र्' और 'ष' के बाद तथा 'न्' के बीच यदि 'च-वर्ग', 'ट-वर्ग', 'त-वर्ग' का कोई व्यंजन या 'श्' / 'स्' व्यंजन आ रहा हो, जैसे –

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| परि | + | अटन | = | पर्यटन |
| दुर् | + | जन | = | दुर्जन |

### 6. स् का ष् में परिवर्तन –

यदि 'स्' से पहले 'अ / आ' को छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो 'स्' का परिवर्तन 'ष्' में हो जाता है; जैसे –

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| अभि | + | सेक | = | अभिषेक |
| सु | + | सुप्ति | = | सुषुप्ति |
| वि | + | सम | = | विषम |
| नि | + | सिद्ध | = | निषिद्ध |

## 3.1.5.4. सन्धि के भेद : विसर्ग सन्धि

विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन ध्वनि आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग सन्धि कहते हैं। जैसे –

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| निः | + | धन | = | निर्धन |
| दुः | + | गुण | = | दुर्गुण |
| पुनः | + | जन्म | = | पुनर्जन्म |
| निः | + | आशा | = | निराशा |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| निः | + | चय | = | निश्चय |
| दुः | + | साहस | = | दुस्साहस |
| निः | + | रोग | = | नीरोग |

व्यंजन सन्धि की ही तरह विसर्ग सन्धि के भी कुछ नियम हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए।

### 3.1.5.5. विसर्ग सन्धि के प्रमुख नियम

**1. विसर्ग का श्, ष्, स् में परिवर्तन –**

यदि विसर्ग के बाद 'च् / छ्' व्यंजन हों तो विसर्ग का 'श्' में, 'ट् / ठ्' व्यंजन हों तो 'ष्' में तथा 'त् / थ्' व्यंजन हों तो 'स्' में परिवर्तन हो जाता है, जैसे –

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| निः | + | चिन्त | = | निश्चिन्त |
| निः | + | छल | = | निश्छल |
| धनुः | + | टंकार | = | धनुष्टंकार |
| निः | + | ठुर | = | निष्ठुर |
| नमः | + | ते | = | नमस्ते |
| निः | + | तेज | = | निस्तेज |

**2. (क) विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं या आगामी व्यंजन में परिवर्तन –**

विसर्ग से पहले 'अ / आ' स्वर के अलावा कोई अन्य स्वर हो और बाद में 'श् / ष् / स्' में से कोई भी व्यंजन आए तो विसर्ग या तो यथावत बना रहता है या अपने आगे आने वाले व्यंजन में बदल जाता है, जैसे –

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| निः | + | सन्देह | = | निःसन्देह / निस्सन्देह |
| निः | + | संतान | = | निःसंतान / निस्संतान |
| दुः | + | साहस | = | दुःसाहस / दुस्साहस |
| दुः | + | शासन | = | दुःशासन / दुश्शासन |

**2. (ख) विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं –**

यदि विसर्ग के बाद 'क् / ख् या 'प् / फ्' व्यंजन आते हैं तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे –

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| प्रातः | + | काल | = | प्रातःकाल |
| अन्तः | + | करण | = | अन्तःकरण |

परन्तु यदि विसर्ग के पहले 'इ / उ' स्वर हों तो विसर्ग का परिवर्तन 'ष्' में हो जाता है, जैसे –

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| निः | + | कपट | = | निष्कपट |
| निः | + | पाप | = | निष्पाप |
| दुः | + | कर | = | दुष्कर |
| निः | + | फल | = | निष्फल |

### 3. विसर्ग का 'र्' में परिवर्तन –

विसर्ग से पहले यदि 'अ / आ' स्वर के अलावा कोई अन्य स्वर हो और बाद में कोई भी स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवाँ व्यंजन अथवा य्, र् ल्, व्, ह् में से कोई भी व्यंजन हो तो विसर्ग का परिवर्तन 'र्' में हो जाता है; जैसे –

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| दुः | + | उपयोग | = | दुरुपयोग |
| निः | + | आशा | = | निराशा |
| निः | + | गुण | = | निर्गुण |
| निः | + | धन | = | निर्धन |
| निः | + | भय | = | निर्भय |
| निः | + | मल | = | निर्मल |
| निः | + | यात | = | निर्यात |
| निः | + | विघ्न | = | निर्विघ्न |
| दुः | + | लभ | = | दुर्लभ |

### 4. विसर्ग का लोप तथा पूर्व स्वर दीर्घ –

विसर्ग से पहले यदि 'अ / आ' स्वर के अलावा कोई भी स्वर हो और बाद में 'र्' व्यंजन आ रहा हो तथा विसर्ग का लोप हो जाता है तथा उसके पहले आने वाला स्वर दीर्घ हो जाता है; जैसे –

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| निः | + | रोग | = | नीरोग |
| निः | + | रज | = | नीरज |

### 5. अः के स्थान पर ओ –

यदि विसर्ग के पहले 'अ' स्वर हो (अर्थात् 'अः' हो) और बाद में कोई स्वर अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवाँ व्यंजन अथवा य्, र् ल्, व्, ह् में से कोई भी व्यंजन हो तो 'अः' का परिवर्तन 'ओ' में हो जाता है; जैसे –

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| मनः | + | अनुकूल | = | मनोनुकूल |
| तमः | + | गुण | = | तमोगुण |
| यशः | + | दा | = | यशोदा |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| तपः | + | बल | = | तपोबल |
| मनः | + | योग | = | मनोयोग |
| मनः | + | रथ | = | मनोरथ |

## 3.1.6. पाठ-सार

प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य था आपको हिन्दी भाषा की ध्वनि व्यवस्था से परिचित कराना। उक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको संक्षेप में उच्चारण अवयवों, खंडेतर एवं खंडीय ध्वनियों का परिचय तथा स्वर एवं व्यंजन का अन्तर बताते हुए स्वर एवं वर्ण के सम्बन्ध को स्पष्ट किया गया। इसके साथ ही आपको स्वर और व्यंजन ध्वनियों के वर्गीकरण के आधारों को स्पष्ट किया गया तथा स्वर एवं व्यंजनों ध्वनियों के विस्तृत वर्गीकरण से आपका परिचय कराया गया। इसके साथ ही हिन्दी शब्दों में स्वरों के विभिन्न उच्चारित रूपों का परिचय दिया गया जिससे आप हिन्दी के उच्चारण के नियमों से अवगत हो सकें। व्यंजनों के वर्गीकरण के खण्ड में आपको संयुक्त व्यंजन तथा व्यंजन द्वित्व के विषय में भी बताया गया। इसके अलावा पाठ के अन्तिम खण्ड में आपको सन्धि एवं सन्धि-विच्छेद की संकल्पना के बारे में बताया गया तथा अनेक सन्धि के तीनों भेदों – स्वर सन्धि, व्यंजन सन्धि तथा विसर्ग सन्धि को उदाहरण देकर विस्तार से समझाया गया।

## 3.1.7. बोध प्रश्न

**अभ्यास**

1. निम्नलिखित शब्दों में अ-लोप कहाँ-कहाँ किया जाता है ? जिस व्यंजन के बाद अ-लोप होता है उस व्यंजन पर हलन्त लगाइए –

   अनाज, प्रयोग, कुरसी, ककड़ी, धमकी, सर्प, विचार, नकली, विनती, गरमी, दुकान, चमचा

2. निम्नलिखित कथनों के सही अथवा ग़लत की पहचान कीजिए –

   i. हिन्दी के सभी व्यंजन स्पर्शी व्यंजन हैं।
   ii. स्वरों के उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के मुख से बाहर निकलती है।
   iii. हिन्दी में अं तथा अः भी स्वर हैं।
   iv. अल्पप्राण व्यंजनों के उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलती है।
   v. हिन्दी में 'ऋ' स्वर का उच्चारी 'रि' के रूप में किया जाता है।
   vi. अनुस्वार एक आश्रित नासिक्य व्यंजन है।
   vii. वृद्धि सन्धि में दो समान वर्गीय स्वरों का मेल होता है।
   viii. 'पौ+अन = पावन' अयादि सन्धि का उदाहरण है।

3. निम्नलिखित शब्दों का सन्धि विच्छेद कीजिए –

यथार्थ, राजर्षि, गणेश, उद्धार, निराशा, विद्यालय, नायक, परोपकार, प्रत्येक, महोत्सव, किंचित्, मनोविकार

**लघूत्तरीय प्रश्न**

1. अन्तर स्पष्ट कीजिए –

i. स्वर एवं व्यंजन
ii. अघोष एवं सघोष व्यंजन
iii. सन्धि तथा सन्धि विच्छेद
iv. दीर्घ एवं वृद्धि सन्धि

2. टिप्पणी लिखिए –

i. गुण सन्धि
ii. उच्चारण अवयव
iii. उच्चारण स्थान
iv. संयुक्त व्यंजन

**दीर्घ उत्तरीय प्रश्न**

1. स्वरों के वर्गीकरण के आधार प्रस्तुत करते हुए स्वरों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए।
2. प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण सोदाहरण प्रस्तुत कीजिए।
3. स्वर सन्धि के कितने भेद हैं ? सभी की चर्चा उदाहरण देकर कीजिए।

### 3.1.8. कठिन शब्दावली

प्रस्तुत पाठ में आपको निम्नलिखित कठिन शब्दों की जानकारी मिली –

आगत, उच्चारण अवयव, खंडीय, खंडेतर, अवरोध, संवृत, विवृत, वृत्ताकार, अवृत्ताकार, आगम, लोप, घर्षण, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण

### 3.1.9. उपयोगी / सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

1. हिंदी संरचना, EHD – 07, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्तविश्वविद्यालय प्रकाशन

2. भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, खण्ड – हिंदी संरचना, MHD – 07, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय प्रकाशन
3. बृहत् हिंदी व्याकरण, 2014, गुप्त, रवि प्रकाश, अरु पब्लिकेशन्स प्रा. लि., नयी दिल्ली
4. हिंदी भाषा संरचना के विविध आयाम, 1995, श्रीवास्तव, रवीन्द्रनाथ, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली


**उपयोगी इंटरनेट स्रोत :**


1. http://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=18
2. http://www.hindisamay.com/
3. http://hindinest.com/
4. http://www.dli.ernet.in/
5. http://www.archive.org


❖❖❖

## खण्ड – 3 : हिन्दी की भाषा संरचना

### इकाई – 2 : हिन्दी शब्द रचना : उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास, उपसर्ग और परसर्ग में अन्तर

**इकाई की रूपरेखा**


3.2.0. उद्देश्य
3.2.1. प्रस्तावना
3.2.2. उपसर्ग
    3.2.2.1. उपसर्ग से तात्पर्य
    3.2.2.2. तत्सम उपसर्ग
    3.2.2.3. तद्भव उपसर्ग
    3.2.2.4. आगत या विदेशी उपसर्ग
    3.2.2.5. उपसर्ग तथा परसर्ग में अन्तर
3.2.3. प्रत्यय
    3.2.3.1. प्रत्यय से तात्पर्य
    3.2.3.2. कृत प्रत्यय
    3.2.3.3. तद्धित प्रत्यय
    3.2.3.4. प्रकार्य के आधार पर प्रत्यय-भेद
    3.2.3.5. उपसर्ग तथा प्रत्यय में अन्तर
3.2.4. समास
    3.2.4.1. समास से तात्पर्य
    3.2.4.2. तत्पुरुष समास
    3.2.4.3. बहुब्रीहि समास
    3.2.4.4. द्वन्द्व समास
    3.2.4.5. अव्ययीभाव समास
3.2.5. पाठ-सार
3.2.6. बोध प्रश्न
3.2.7. कठिन शब्दावली
3.2.8. उपयोगी / सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची


### 3.2.0. उद्देश्य

प्रस्तुत पाठ का अध्ययन करने के उपरान्त आप –

i. शब्द रचना से क्या तात्पर्य है, समझ सकेंगे।
ii. हिन्दी में शब्द रचना उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास द्वारा किस प्रकार होती है, यह बता सकेंगे।
iii. हिन्दी में प्रयुक्त होने वाले तत्सम, तद्भव तथा आगत उपसर्गों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

iv. उपसर्ग तथा परसर्ग का अन्तर स्पष्ट कर सकेंगे।
v. प्रकार्य के आधार पर प्रत्ययों के भेदों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
vi. हिन्दी के कृत एवं तद्धित प्रत्ययों का अन्तर समझ सकेंगे।
vii. समास के समस्त भेद-प्रभेदों के बीच अन्तर कर सकेंगे।
viii. तत्पुरुष समास के भेदों – कर्मधारय तथा द्विगु समास के बारे में बता सकेंगे।
ix. कर्मधारय, द्विगु तथा अव्ययीभाव समास का अन्तर स्पष्ट कर सकेंगे।

### 3.2.1. प्रस्तावना

हर भाषा में शब्दों का महत्त्व होता है। वाक्यों की रचना शब्दों से ही होती है। शब्द भाषा की अर्थवान् एवं स्वतन्त्र इकाई होते हैं। हर भाषा में शब्दों की संख्या असीमित होती है फिर भी नयी-नयी संकल्पनाओं एवं विचारों के लिए भाषा में नये-नये शब्द बनते रहते हैं। भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाए जाने की प्रक्रिया ही 'शब्द रचना' या 'शब्द निर्माण' की प्रक्रिया कहलाती है। उदाहारण के लिए 'सुन्दर' शब्द के प्रारम्भ में 'अ' जोड़कर हम 'असुन्दर' शब्द और अन्त में 'ता' जोड़कर 'सुन्दरता' शब्द बना सकते हैं। नये शब्द बनाने के लिए जो इकाइयाँ शब्द के शुरू में जोड़ी जाती हैं उन्हें 'उपसर्ग' कहते हैं तथा अन्त में जुड़ने वाली इकाइयों को 'प्रत्यय'. इसके अलावा कभी कभी दो स्वतन्त्र शब्दों को जोड़कर भी नये शब्द बनाए जाते हैं, जैसे 'स्नान' तथा 'गृह' दो स्वतन्त्र शब्दों को मिलाकर या दोनों शब्दों का समास कर हम एक नया शब्द 'स्नानगृह' (Bathroom) बना सकते हैं। अतः कहा जा सकता है कि हर भाषा में 'शब्द-रचना' तीन प्रकार से हो सकती है –

(क) उपसर्गों द्वारा जैसे – सु + योग = सुयोग, अप + यश = अपयश।
(ख) प्रत्ययों द्वारा जैसे – ईमान + दार = ईमानदार, मित्र + ता = मित्रता।
(ग) समास द्वारा जैसे – राष्ट्र + पिता = राष्ट्रपिता, घोड़ा + सवार = घुड़सवार।

प्रस्तुत पाठ में आप शब्द रचना की इन तीनों प्रक्रियाओं (उपसर्गों द्वारा, प्रत्ययों द्वारा तथा समास द्वारा) का विस्तार से अध्ययन करेंगे।

### 3.2.2. उपसर्ग

#### 3.2.2.1. उपसर्ग से तात्पर्य

'उपसर्ग', भाषा के वे 'रूप' या लघुतम अर्थवान् खण्ड हैं जो मूल शब्दों के आरम्भ में लगकर नये-नये शब्दों की रचना करते हैं। शब्दों की तरह ये भी विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनते हैं और अर्थवान् भी होते है, हाँ स्वतन्त्र होना इनके लिए अनिवार्य शर्त नहीं है। इसीलिए इनका प्रयोग भाषा में शब्दों की तरह स्वतन्त्र रूप से नहीं किया जा सकता। भाषाविज्ञान में इस तरह की लघुतम अर्थवान् इकाइयों को 'रूप' (morph) कहा जाता है।

उपसर्गों से शब्द बनाने के कुछ उदाहरण देखिए – वि + शेष = विशेष, आ + जन्म = आजन्म, उप + मंत्री = उपमंत्री, स + पूत = सपूत, आदि। अतः ध्यान रखिए –

(i) 'उपसर्ग' शब्द नहीं हैं बल्कि शब्दों के छोटे-छोटे खण्ड हैं।
(ii) शब्दों की तरह ये भी अर्थवान् इकाइयाँ हैं।
(iii) उपसर्ग शब्दों की तरह स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त नहीं हो सकते।
(iv) उपसर्ग हमेश किसी मूल शब्द के प्रारम्भ में लगकर नया शब्द बनाते हैं।

जिस प्रकार हिन्दी में स्रोत के आधार पर शब्दों के तत्सम, तद्भव तथा आगत या विदेशी भेद किए जाते हैं उसी तरह उपसर्गों के भी स्रोत के आधार पर निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं – तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग तथा आगत या विदेशी उपसर्ग। इनके विषय में आप आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे।

### 3.2.2.2. तत्सम उपसर्ग

'तत्सम' शब्द 'तत्'+सम' शब्दों के योग से बना है। 'तत्' का अर्थ है 'उसके' तथा 'सम' का अर्थ है 'सामान'। इस तरह इस शब्द का अर्थ हुआ 'उसके सामान'। यहाँ 'उसके' सर्वनाम का प्रयोग 'संस्कृत' के लिए हुआ है। अतः 'तत्सम उपसर्ग' वे उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग हिन्दी में संस्कृत के सामान ही होता है। वस्तुतः हिन्दी में अनेक उपसर्ग अपने शब्दों के साथ संस्कृत से सीधे आ गए हैं और हिन्दी के तत्सम शब्दों में संस्कृत की ही भाँति प्रयुक्त होते हैं। इन उपसर्गों को 'तत्सम उपसर्ग' कहा जाता है। नीचे कुछ प्रमुख तत्सम उपसर्ग और उनसे बनने वाले शब्दों के उदाहरण दिए जा रहे हैं –

| उपसर्ग | अर्थ | उदाहरण |
|---|---|---|
| अति | अधिक | अत्यन्त, अत्यधिक, अत्याचार, अतिशय, अत्युत्तम |
| अधि | ऊपर, समीप, श्रेष्ठ | अधिकारी, अधिनायक, अध्यक्ष (अधि+अक्ष) |
| अनु | पीछे, समान | अनुज, अनुवाद, अनुराग, अनुभूति अनुशासन |
| | बाद में आने वाला | अनुकरण, अनुमान, अनुचर |
| अप | बुरा, हीन | अपयश, अपमान, अपशब्द, अपहरण |
| अभि | सामने, ओर | अभिनय, अभिमान, अभ्यास, अभिलाषा |
| अव | बुरा, हीन | अवकाश, अवसर, अवगुण, अवशेष, अवतार |
| आ | तक, समेत | आक्रमण, आजीवन, आजन्म, आमरण, आरक्षण |
| उत् | ऊपर, श्रेष्ठ | उत्थान, उद्गम, उन्नति, उद्योग,उच्चारण, उल्लंघन |
| उप | निकट, छोटा | उपवन, उपकार, उपस्थित,उपदेश, उपग्रह, उपचार |
| दुस् / दुर् | कठिन, बुरा | दुस्साहस, दुष्कर, दुर्गति, दुर्भाग्य, दुष्कर्म, दुर्लभ |
| निस् / निर् | रहित, निषेध | निस्सन्देह, निश्चय, निर्दोष, निर्मल, निर्जीव |
| नि | नीचे, निषेध | नियम, निबन्ध, निवास |
| परा | विपरीत, अनादर, नाश | पराजय, पराक्रम, परामर्श, पराधीन, परास्त |

| | | |
|---|---|---|
| परि | चारों ओर | परिचय, परिणाम,परीक्षा,परिवर्तन,परिष्कार,पर्यटन |
| प्र | अधिक | प्रयत्न, प्रबल, प्रहार, प्रधान, प्रलय |
| प्रति | विरुद्ध, सामने | प्रतिनिधि, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रत्यक्ष, प्रस्थान |
| वि | विशिष्ट, भिन्न | वियोग, विनाश, विदेश, विशिष्ट, विरोध, विमुख |
| सम् (सं) | पूरी / अच्छी तरह से | सम्पूर्ण, संयोग, सम्मान, सम्भव, सम्मेलन, सम्पत्ति |
| सु | अच्छा | सुयोग, सुपुत्र, सुबोध, सुलभ, स्वच्छ, स्वागत |

**उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के कुछ शब्दांश:**

संस्कृत में कुछ शब्दांश समास रचना में पूर्व पद के रूप में प्रयुक्त होते थे पर हिन्दी में आकर ये इतने अधिक प्रचलित हो गए कि इनका हिन्दी में प्रयोग उपसर्गों की तरह होने लगा है। ये इस प्रकार हैं –

| **उपसर्ग** | **अर्थ** | **उदाहरण** |
|---|---|---|
| अ | निषेध | भाव, अज्ञान, अधर्म, अनाथ,अहिंसा |
| कु | बुरा | कुपुत्र, कुरूप, कुपात्र, कुकर्म |
| सु | अच्छा | सुयोग, सुपुत्र, सुपात्र |
| अन्तर् /अन्तः | अंदर | अन्तर्राष्ट्रीय,अन्तर्देशीय,अन्तर्रात्मा |
| अधः | नीचे | अधोगति, अधःपतन / अधोपतन, अधोमुख |
| सत् | अच्छा | सत्कर्म, सद्गति, सत्कर्म, सदाचार |
| बहिर् / बहिष् | बाहर | बहिष्कार, बहिर्मुखी |
| स्व | अपना | स्वदेश, स्वतन्त्र, स्वराज्य |
| पुनः/ पुनर् | फिर | पुनर्जन्म, पुनरागमन |
| चिर | बहुत देर | चिरकाल, चिरजीवी, चिरायु |
| सम | समान | समकोण, समकालीन, समभाव |
| सह | साथ | सहपाठी, सहमति, सहयोग |

## 3.2.2.3. तद्भव उपसर्ग

तद्भव उपसर्ग मूलतः तत्सम उपसर्गों या संस्कृत के उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। इन्हीं को हिन्दी उपसर्ग भी कहा जाता है। इनमें से कुछ उपसर्ग थोड़े-बहुत रूप परिवर्तन के साथ भी विकसित हो गए हैं, जैसे 'अध' => 'अध', 'कु' => 'क', 'सु' => 'स' आदि। कुछ संस्कृत के तत्सम उपसर्ग हिन्दी में आकर हिन्दी के अपने बन गए और यथावत रूप में तद्भव शब्दों के साथ लगकर शब्द रचना करने लगे। अतः आपको कुछ उपसर्ग जो तत्सम उपसर्गों की सूची में मिलते हैं, वे तद्भव या हिन्दी उपसर्गों की सूची में भी दिखाई देंगे; पर ध्यान देने की बात यह है कि ये तद्भव शब्दों के साथ मिलकर नये शब्दों की रचना करेंगे। कुछ प्रमुख तद्भव उपसर्ग इस प्रकार हैं –

| उपसर्ग | अर्थ | उदाहरण |
|---|---|---|
| अ / अन | रहित | अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अछूत, अथाह |
| औ | हीनता, रहित | औगुन, औघट |
| नि | रहित | निहत्था, निकम्मा, निपूता, निगोड़ा |
| पर | दूसरी पीढ़ी के अर्थ में | परदादा, परनाना, परपोता |
| भर | पूरा | भरपेट, भरपूर, भरसक |
| स | अच्छा | सपूत |
| अध | आधा | अधजला, अधमरा, अधपका |
| बिन | बिना | बिनब्याहा, बिनजाने, बिनदेखे |
| कु | बुरा | कुचाल, कुसंग, कुघड़ी |
| चौ | चार | चौपाई, चौराहा, चौकन्ना |

### 3.2.2.4. आगत या विदेशी उपसर्ग

हिन्दी में अनेक शब्द अरबी, फ़ारसी, तुर्की, अंग्रेजी, फ्रांसिसी, पुर्तगाली आदि अनेक भाषाओं से आये हैं और आज हिन्दी के अपने बन गए हैं। इन शब्दों के साथ इन भाषाओं के उपसर्ग भी ठीक वैसे ही आ गए हैं जैसे संस्कृत शब्दों के साथ तत्सम उपसर्ग आए थे। इन उपसर्गों को 'आगत' या 'विदेशी' उपसर्ग कहा जाता है। देखिए आगत उपसर्गों के कुछ उदाहरण –

| उपसर्ग | अर्थ | उदाहरण |
|---|---|---|
| ब | के साथ | बगैर, बदौलत, बखूबी |
| बा | साथ, से | बाक़ायदा, बावजूद, बाइज़्ज़त |
| बे | बिना | बेअदब, बेरहम, बेईमान, बेतुका, बेइज़्ज़त |
| बद | बुरा | बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू, बदचलन |
| ख़ुश | अच्छा | ख़ुशबू, ख़ुशकिस्मत, ख़ुशनसीब, ख़ुशहाल |
| ग़ैर | भिन्न | ग़ैरहाज़िर, ग़ैरक़ानूनी, ग़ैरज़िम्मेदार, ग़ैरकानूनी |
| ना | नहीं | नालायक, नापसंद, नासमझ, नाराज़, नाबालिग़ |
| ला | नहीं, अभाव | लाइलाज, लापरवाह, लावारिस, लापता |
| हम | साथ, समान | हमराही, हमवतन, हमसफ़र, हमदर्द, हमशक्ल |

### 3.2.2.5. उपसर्ग तथा परसर्ग में अन्तर

'उपसर्ग' की संकल्पना से आप परिचित हो चुके हैं। उपसर्ग भाषा के वे लघुतम अर्थवान् रूप हैं जो किसी मूल शब्द के आरम्भ में लगकर नये-नये शब्दों की रचना करते हैं। जहाँ तक परसर्गों का प्रश्न है ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें 'सम्बन्धबोधक' अव्यय भी कहते हैं। ये वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर

वाक्य के किसी अन्य पद (संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया) के साथ सम्बन्ध का बोध कराते हैं। इनके उदाहरण हैं – में, से, को, पर, के लिए, के सामने, के बारे में, आदि। देखिए कुछ उदाहरण –

(i) आपके कमरे **में** एक लड़की बैठी है।
(ii) घर **के सामने** बहुत भीड़ है।
(iii) मेज़ **पर** एक किताब रखी है।
(iv) वह बच्चों **के लिए** मिठाई लायी।

अतः ध्यान रखिए शब्द रचना के साथ 'परसर्गों' का कोई सम्बन्ध नहीं है।

## 3.2.3. प्रत्यय

### 3.2.3.1. प्रत्यय से तात्पर्य

हमने आपको बताया था कि नये शब्दों के निर्माण में प्रत्ययों की भी प्रमुख भूमिका होती है। उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी भाषा के लघुतम अर्थवान् बद्ध रूप हैं जो मूल शब्द के अन्त में जुड़कर नये शब्दों का निर्माण करते हैं। प्रत्यय भी शब्दों की भाँति भाषा में स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त नहीं हो सकते। उपसर्गों की ही तरह ये भी भाषा की अर्थवान् इकाइयाँ हैं तथा किसी-न-किसी शब्द के साथ बद्ध होकर ही प्रयुक्त होते हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि 'प्रत्यय' तथा 'उपसर्ग' में गुणों के स्तर पर कोई अन्तर नहीं होता। अन्तर केवल इस बात का है कि उपसर्ग मूल शब्द के आरम्भ में लगते हैं तो प्रत्यय अन्त में। देखिए प्रत्ययों के कुछ उदाहरण –

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| सहज | + | ता | = | सहजता |
| प्रारम्भ | + | इक | = | प्रारम्भिक |
| धन | + | ई | = | धनी |
| नौकर | + | आनी | = | नौकरानी |

अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि –

(i) 'प्रत्यय' तथा उपसर्ग में गुणों के स्तर पर कोई अन्तर नहीं है।
(ii) प्रत्यय भी भाषा की अर्थवान् इकाइयाँ हैं।
(iii) उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी बद्धरूप हैं अतः किसी न किसी मूल शब्द के साथ जुड़कर आते हैं।
(iv) प्रत्यय, शब्द के अन्त में जुड़कर नये-नये शब्दों का निर्माण करते हैं।

'प्रत्यय' किस प्रकार के शब्दों के साथ बद्ध होते हैं या जुड़ते हैं; इस आधार पर प्रत्ययों के दो भेद किए जाते हैं। क्रिया शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय 'कृत प्रत्यय' कहलाते हैं तथा क्रिया के अलावा अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय 'तद्धित प्रत्यय' कहलाते हैं। इनके अलावा प्रत्यय का

प्रकार्य क्या है इस आधार पर भी प्रत्ययों के भेद किए जाते हैं। अब हम इन सभी भेदों को उदाहारण देकर स्पष्ट करेंगे।

### 3.2.3.2. कृत प्रत्यय

वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप 'धातु' के साथ जुड़कर संज्ञा, विशेषण आदि नये शब्दों का निर्माण करते हैं, 'कृत प्रत्यय' कहलाते हैं। कृत-प्रत्यय या क्रिया शब्दों में लगने वाले प्रत्यय अलग-अलग प्रकार्य करने वाले संज्ञा / विशेषण शब्द बनाते हैं; इसके आधार पर कृत प्रत्ययों को निम्नलिखित वर्गों में बाँटा जाता है –

**(i) क्रिया को करने वाला –**

| | | **प्रत्यय** | **उदाहरण** |
|---|---|---|---|
| तद्भव / हिन्दी प्रत्यय | – | अक्कड़ | भुलक्कड़, पियक्कड़ |
| | – | ऊ | कमाऊ, बिकाऊ, कमाऊ |
| | – | हार | खेवनहार, होनहार |
| | – | ऐया / वैया | गवैया, खिवैया |
| आगत / विदेशी प्रत्यय | – | इयल | मरियल, अड़ियल, सड़ियल |
| | – | दार | लेनदार, देनदार |
| | – | आक | तैराक |

**(ii) क्रिया का कर्म –**

| | | | |
|---|---|---|---|
| हिन्दी प्रत्यय | – | नी | फूँकनी, चटनी |
| | – | ना | खाना, बिछौना, गाना |

(iii) **क्रिया का परिणाम** (भाववाचक संज्ञा बनाने का कार्य) –

| | | | |
|---|---|---|---|
| हिन्दी प्रत्यय | – | आन | उड़ान, मिलान, पहचान |
| | – | आई | सिलाई, पढ़ाई, बुनाई |
| | – | ई | बोली, हँसी |
| | – | आवट | लिखावट, सजावट |

**(iv) क्रिया करने का साधन –**

| | | | |
|---|---|---|---|
| तत्सम प्रत्यय | – | अन | भवन, चितन, मनन |
| हिन्दी प्रत्यय | – | ना | बेलना, पिटना, ढकना |
| | – | नी | चलनी, बेलनी, फूँकनी |
| | – | ई | फाँसी, धुलाई, सफ़ाई |

### 3.2.3.3. तद्धित प्रत्यय

तद्धित प्रत्यय क्रिया शब्दों के अलावा अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि में लगते हैं और प्रायः संज्ञा / विशेषण शब्द बनाते हैं, जैसे –

**(i) संज्ञा से संज्ञा–**

| | प्रत्यय | उदाहरण |
|---|---|---|
| – | आर | चमार, लुहार, सुनार |
| – | इया | डिबिया, खटिया, बिटिया |
| – | ई | रस्सी, चोरी, खेती, बोली |
| – | कार | सलाहकार, कलाकार, पत्रकार |
| – | गर | सौदागर, जादूगर, बाजीगर |
| – | ड़ा | मुखड़ा, दुखड़ा |
| – | ता / त्व | मानवता, मनुष्यत्व |
| – | दार | दुकानदार, ज़मींदार, किरायेदार |
| – | पन | बचपन, लड़कपन |
| – | वान् | धनवान्, गाड़ीवान् |
| – | वाला | चायवाला, दूधवाला, गाड़ीवाला |
| – | हारा | लकड़हारा, पालनहारा |

**(ii) विशेषण से संज्ञा–**

| | | |
|---|---|---|
| – | आस | मिठास, खटास |
| – | आई | भलाई, बुराई, लड़ाई, मिठाई |
| – | आहट | कड़वाहट, मुस्कराहट, लिखावट |
| – | ई | ईमानदारी, ग़रीबी, बीमारी |
| – | ता | लघुता, सुन्दरता, मधुरता |

**(iii) संज्ञा से विशेषण–**

| | | |
|---|---|---|
| – | आ | प्यासा, भूखा, चमकीला |
| – | आना | मर्दाना, जनना, सालाना |
| – | इक | ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक |
| – | इया | मुंबइया, कलकतिया |
| – | ई | ऊनी, गुलाबी, बसन्ती |
| – | ईला | हठीला, शर्मीला, भड़कीला |
| – | एरा | ममेरा, चचेरा |
| – | एलू | घरेलू |

**(iv) क्रियाविशेषण से संज्ञा–**

| | | |
|---|---|---|
| – | ला | अगला, पिछला, मझला |

### 3.2.3.4. प्रकार्य के आधार पर प्रत्यय-भेद

शब्दों के अन्त में जुड़कर प्रत्यय क्या प्रकार्य करते हैं, इस आधार पर भी प्रत्ययों के भेद किये जा सकते हैं। प्रकार्य के आधार पर प्रत्ययों के निम्नलिखित भेद किये जाते हैं –

### 1. लिंग बोधक प्रत्यय –

लिंग बोधक प्रत्यय संज्ञा शब्दों के लिंग परिवर्तन का कार्य करते हैं। ये पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग में बदलते हैं। देखिए उदाहरण –

#### (क) पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का कार्य–

| **प्रत्यय** | **पुल्लिंग** | **स्त्रीलिंग** | **पुल्लिंग** | **स्त्रीलिंग** |
|---|---|---|---|---|
| – आ | शिष्य | शिष्या | प्रिय | प्रिया |
| – आइन | बाबू | बबुआइन | पण्डित | पण्डिताइन |
| – आनी | नौकर | नौकरानी | देवर | देवरानी |
| – इका | गायक | गायिका | अध्यापक | अध्यापिका |
| – इन | सुनार | सुनारिन | धोबी | धोबिन |
| – इया | चूहा | चुहिया | बुड्ढा | बुढ़िया |
| – नी | मोर | मोरनी | ऊँट | ऊँटनी |

#### (ख) स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने का कार्य –

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| – आ | मौसी | मौसा | जीजी | जीजा |

### 2. गुणवाचक विशेषण बनाने का कार्य –

| **प्रत्यय** | **संज्ञा** | **विशेषण** | **संज्ञा** | **विशेषण** |
|---|---|---|---|---|
| – आ | भूख | भूखा | प्यास | प्यासा |
| – आवना | डर | डरावना | लोभ | लुभावना |
| – इक | पुराण | पौराणिक | मास | मासिक |
| – ई | लोभ | लोभी | धन | धनी |
| – ईय | राष्ट्र | राष्ट्रीय | जाति | जातीय |
| – लु | कृपा | कृपालु | दया | दयालु |
| – मान् | बुद्धि | बुद्धिमान् | श्री | श्रीमान् |
| – वान् | गुण | गुणवान् | धन | धनवान् |

### 3. भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय –

| प्रत्यय | शब्द | भाववाचक संज्ञा | शब्द | भाववाचक संज्ञा |
|---|---|---|---|---|
| – आवट | मिल | मिलावट | बन | बनावट |
| – आस | मीठा | मिठास | खट्टा | खटास |
| – इमा | काला | कालिमा | लाल | लालिमा |
| – ई | अच्छा | अच्छाई | भला | भलाई |
| – ता | भव्य | भव्यता | आवश्यक | आवश्यकता |
| – पन | लड़का | लड़कपन | बच्चा | बचपन |

### 4. व्यवसाय बोधक प्रत्यय –

| प्रत्यय | शब्द | नया शब्द | शब्द | नया शब्द |
|---|---|---|---|---|
| – आर | लोहा | लुहार | सोना | सुनार |
| – गर | जादू | जादूगर | सौदा | सौदागर |
| – वाला | चाय | चायवाला | दूध | दूधवाला |

### 5. स्थान बोधक प्रत्यय –

| प्रत्यय | शब्द | नया शब्द | शब्द | नया शब्द |
|---|---|---|---|---|
| – ई | राजस्थान | राजस्थानी | पाकिस्तान | पाकिस्तानी |
| – ईय | भारत | भारतीय | योरोप | योरोपीय |

### 3.2.3.5. उपसर्ग तथा प्रत्यय में अन्तर

जैसा हमने ऊपर स्पष्ट किया उपसर्ग तथा प्रत्यय में कोई गुणात्मक अन्तर नहीं होता। दोनों ही भाषा के लघुतम अर्थवान् बद्धरूप हैं। दोनों का कार्य है मूल शब्द में जुड़कर नये-नये शब्दों की रचना करना। अन्तर केवल इतना ही है कि उपसर्ग मूल शब्द के आरम्भ में लगते हैं तथा प्रत्यय मूल शब्द के अन्त में। भाषाविज्ञान में इन दोनों को ही प्रत्यय कहा जाता है। शब्द के आरम्भ में लगने वाले उपसर्गों को 'पूर्व प्रत्यय' (Prefix) तथा अन्त में लगने वाले प्रत्ययों को 'पर प्रत्यय' (Suffix) कहा जाता है।

## 3.2.4. समास

### 3.2.4.1. समास से तात्पर्य

उपसर्गों एवं प्रत्ययों के अलावा 'समास रचना' के माध्यम से भी शब्द निर्माण किया जाता है। समास रचना में दो या दो से अधिक शब्द या पद मिलकर नया शब्द बनाते हैं; जैसे –

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| नीला | + | कण्ठ | = | नीलकण्ठ |
| राष्ट्र | + | पिता | = | राष्ट्रपिता |
| घोड़ा | + | सवार | = | घुड़सवार |
| जन्म | + | अन्धा | = | जन्मान्ध |

इन सभी उदाहरणों में अलग-अलग अर्थ वाले दो शब्द मिलकर एक तीसरा नया शब्द बना रहे हैं जिसका अर्थ पहले दोनों शब्दों से भिन्न है। उदाहरण के लिए पहले उदाहरण में 'नीला' शब्द का अर्थ आप जानते हैं 'नीला रंग' तथा 'कण्ठ' का अर्थ है 'गला', परन्तु इन दोनों शब्दों के मेल से बने नये शब्द 'नीलकण्ठ' का अर्थ है 'शिव'। अतः ध्यान रखिए कि समास प्रक्रिया में जो दो पद (शब्द) मिलते हैं उनके अर्थ एक दूसरे से भिन्न होते हैं तथा उन दोनों के मेल से बने तीसरे नये पद का अर्थ पहले दोनों पदों से भिन्न होता है। समास रचना में भाग लेने वाले पहले शब्द या पद को 'पूर्व पद' तथा दूसरे शब्द को 'उत्तर पद' कहा जाता है तथा इन दोनों के मेल से बने तीसरे पद को 'समस्त पद' कहते हैं;

**समास विग्रह –**

'समास विग्रह' प्रक्रिया वस्तुतः 'समास रचना' प्रक्रिया के विपरीत है। इसमें समस्त पद के सभी पदों को अलग-अलग करके पहले की स्थिति में लाया जाता है; जैसे – 'राजपुत्र' समस्त पद का विग्रह होगा – 'राजा का पुत्र'।

**समास के भेद –**

समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं – तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वन्द्व समास तथा अव्ययीभाव समास। तत्पुरुष समास के दो उपभेद हैं – कर्मधारय समास तथा द्विगु समास। इन सब के विषय में आगे आप विस्तार से पढ़ेंगे।

## 3.2.4.2. तत्पुरुष समास

'तत्पुरुष समास' की सबसे बड़ी पहचान है कि इसका पूर्व पद 'विशेषण' तथा उत्तर पद 'विशेष्य' होता है। यह तो आप जानते ही हैं कि विशेषण हमेशा गौण होते हैं तथा विशेष्य प्रधान। इस तरह तत्पुरुष समास का पूर्व पद 'गौण' तथा उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास की दूसरी बड़ी पहचान यह है कि विग्रह करते समय पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच के कारकीय-चिह्नों को जिनका समास करते समय लोप कर दिया गया था, फिर से जोड़ दिया जाता है, जैसे – 'अकालपीड़ित' समस्त पद का विग्रह होगा – 'अकाल से पीड़ित'। यहाँ 'अकाल' तथा 'पीड़ित' पदों के बीच कारकीय चिह्न 'से' को पुनः जोड़ दिया गया है। देखिए अन्य उदाहरण –

| | | |
|---|---|---|
| स्वर्गगत | = | स्वर्ग को गत |
| रेखांकित | = | रेखा से अंकित |

डाकगाड़ी = डाक के लिए गाड़ी
पथभ्रष्ट = पथ से भ्रष्ट
दानवीर = दान में वीर

**कारकीय सम्बन्धों के आधार पर तत्पुरुष समास के उपभेद –**

पूर्वपद तथा उत्तरपद के बीच कौन से कारकीय सम्बन्ध हैं, इस आधार पर तत्पुरुष समास के कई उपभेद सामने आते हैं। कारकीय सम्बन्ध की पहचान विग्रह के बाद आने वाले कारकीय चिह्नों या परसर्गों को देखकर की जा सकती है। देखिए सभी उपभेदों के उदाहरण –

**(1) कर्म तत्पुरुष** (कारकीय चिह्न – 'को')

परलोकगमन परलोक को गमन
जेबकतरा जेब को कतरने वाला
पदप्राप्त पद को प्राप्त
ग्रामगत ग्राम को गत
सुखप्राप्त सुख को प्राप्त
स्वर्गगत स्वर्ग को गत

**(2) करण तत्पुरुष** (कारकीय चिह्न – 'से'/ 'के द्वारा')

भुखमरा भूख से मरा
भयग्रस्त भय से ग्रस्त
अकालपीड़ित अकाल से पीड़ित
कष्टसाध्य कष्ट से साध्य
गुणयुक्त गुणों से युक्त
कष्टसाध्य कष्ट से साध्य

**(3) सम्प्रदान तत्पुरुष** (कारकीय चिह्न – 'के लिए')

रसोईघर रसोई के लिए घर
देशभक्ति देश के लिए भक्ति
राहखर्च राह के लिए ख़र्च
डाकगाड़ी डाक के लिए गाड़ी
आरामकुरसी आराम के लिए कुरसी
प्रयोगशाला प्रयोग के लिए शाला

**(4) अपादान तत्पुरुष** (कारकीय चिह्न – 'से' (अलग होने के अर्थ में))

| | |
|---|---|
| विद्याहीन | विद्या से हीन |
| भयभीत | भय से भीत |
| बन्धनमुक्त | बन्धन से मुक्त |
| कार्यमुक्त | कार्य से मुक्त |
| नेत्रहीन | नेत्रों से हीन |
| मदमस्त | मद से मस्त |

**(5) सम्बन्ध तत्पुरुष** (कारकीय चिह्न – 'का', 'के', की')

| | |
|---|---|
| सेनापति | सेना का पति |
| राजकुमार | राजा का कुमार |
| जीवनसाथी | जीवन का साथी |
| घुड़दौड़ | घोड़ों की दौड़ |
| सिरदर्द | सिर का दर्द |
| दिनचर्या | दिन की चर्या |

**(6) अधिकरण तत्पुरुष** (कारकीय चिह्न – 'में', 'पर')

| | |
|---|---|
| घुड़सवार | घोड़े पर सवार |
| देशाटन | देश में अटन |
| शरणागत | शरण में आगत |
| गृहप्रवेश | गृह में प्रवेश |
| पुरुषोत्तम | पुरुषों में उत्तम |
| रेलगाड़ी | रेल पर चलने वाली गाड़ी |

**तत्पुरुष समास के भेद –**

यह तो आप जान ही गए हैं कि तत्पुरुष समास में भी पूर्वपद गौण तथा उत्तरपद प्रधान होता है। ऊपर हमने जिन तत्पुरुष समासों के उपभेद प्रस्तुत किए वे सब कारकीय सम्बन्धों वाले उदाहरण हैं। लेकिन कुछ तत्पुरुष समास ऐसे भी होते हैं जिनके दोनों पदों के बीच कारकीय सम्बन्ध नहीं होता; अतः उनका विग्रह करते समय कारकीय चिह्न या परसर्ग नहीं लगाए जाते। ऐसे तत्पुरुष समास दो तरह के हो सकते हैं – (क) कर्मधारय समास तथा (ख) द्विगु समास। चूँकि कर्मधारय तथा द्विगु दोनों ही तत्पुरुष समास के उपभेद हैं अतः यह ध्यान रखना चाहिए कि इनका पूर्व पद हमेशा विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होगा. इनमें भी यदि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण है तो वह 'द्विगु समास' के अन्तर्गत आएगा और यदि कोई अन्य विशेषण है तो वह 'कर्मधारय समास' के अन्तर्गत।

**(क) कर्मधारय समास –**

जैसा ऊपर बताया गया 'कर्मधारय समास' के पूर्वपद तथा उत्तरपद के बीच विशेषण-विशेष्य सम्बन्ध होता है तथा विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच कारकीय चिह्न नहीं आते । यह विशेषण-विशेष्य सम्बन्ध दो तरह का हो सकता है –

**क. संख्यावाची विशेषण को छोड़कर पूर्व पद कोई भी विशेषण हो।**

**ख. पूर्वपद तथा उत्तर पद के बीच उपमेय-उपमान का सम्बन्ध हो ।**

ध्यान रखिए, उपमेय विशेषण का कार्य करता है तथा उपमान विशेष्य का । देखिए, दोनों तरह के उदाहरण –

**विशेषण-विशेष्य सम्बन्ध –**

| | | |
|---|---|---|
| नीलगाय | = | नीली है जो गाय |
| शुभागमन | = | शुभ है जो आगमन |
| कालीमिर्च | = | काली है जो मिर्च |
| महाराजा | = | महान है जो राजा |
| भलामानस | = | भला है जो मानस |
| महादेव | = | महान है जो देव |

**उपमेय-उपमान सम्बन्ध –**

| | | |
|---|---|---|
| घनश्याम | = | घनरूपी श्याम |
| कमलनयन | = | कमल के समान नयन |
| चन्द्रमुखी | = | चन्द्रमा के समान मुख वाली (स्त्री) |
| नरसिंह | = | सिंहरूपी नर |
| संसारसागर | = | संसाररूपी सागर |
| क्रोधाग्नि | = | क्रोधरूपी अग्नि |

**(ख) द्विगु समास –**

आपको ऊपर बताया जा चुका है कि द्विगु समास भी तत्पुरुष समास का ही भेद है, क्योंकि इसका भी पूर्वपद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तरपद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है; पर ध्यान रखिए द्विगु समास का पूर्व पद हमेशा संख्यावाची विशेषण ही होता है । इसके अलावा इसका उत्तरपद किसी समूह का बोध

कराता है। अतः विग्रह करते समय उत्तरपद के साथ 'समूह' या 'समाहार' शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। देखिए उदाहरण –

| **समास** | **विग्रह** |
|---|---|
| चतुर्भुज | चार भुजाओं का समूह |
| दोपहर | दो पहरों का समाहार |
| त्रिफला | तीन फलों का समूह |
| अष्टाध्यायी | आठ अध्यायों का समाहार |
| चवन्नी | चार आनों का समाहार |
| सप्ताह | सात दिनों का समूह |
| चौमासा चार | मासों का समाहार |
| पंजाब | पाँच आबों (नदियों) का समूह |
| त्रिकोण | तीन कोनों का समाहार |
| पञ्चतन्त्र | पाँच तन्त्रों का समाहार |

यहाँ एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि यदि विग्रह करते समय उत्तरपद के साथ 'समूह' या 'समाहार' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया तो पूर्वपद संख्यावाची होते हुए भी यह 'कर्मधारय समास'का उदाहरण माना जाएगा; जैसे –

| **समस्तपद** | **विग्रह–I (कर्मधारय समास)** | **विग्रह–II (द्विगु समास)** |
|---|---|---|
| त्रिलोक | तीन लोक (हैं जो) | तीन लोकों का समूह |
| चौराहा | चार राहें (हैं जो) | चार राहों का समूह |
| सप्तसिन्धु | सात सिन्धु (हैं जो) | सात सिन्धुओं का समाहार |

### 3.2.4.3. बहुब्रीहि समास

बहुब्रीहि समास के दोनों पद गौण होते हैं तथा दोनों पद एक जोड़े के रूप में आते हैं जिससे कोई तीसरा पद ही प्रधान हो जाता है। वास्तव में बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं और उसका वही अर्थ हर व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता है। उदाहरण के लिए 'दशानन' शब्द में 'दश' तथा 'आनन' एक जोड़े के रूप में आए हैं और दोनों मिलकर 'रावण' के अर्थ में रूढ़ हो गए हैं।

दो पदों का जोड़े के रूप में आने से तात्पर्य है कि दोनों में से किसी भी पद को उसके समानार्थी शब्द से 'रिप्लेस' नहीं किया जा सकता। 'दशानन' में यदि 'आनन' के स्थान पर 'मुख' रिप्लेस किया जाए तो 'दश' तथा 'मुख' के मेल से (दशमुख) तो तीसरा अर्थ 'रावण' नहीं निकलेगा।

यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि 'कर्मधारय', 'द्विगु' तथा बहुब्रीहि तीनों के उदाहरण समान हो सकते हैं। तीनों का अन्तर विग्रह के आधार पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए 'चतुर्भुज' शब्द 'चतुर' तथा 'भुज' दो पदों

से मिलकर बना है। यदि इस शब्द का विग्रह 'चार भुजाएँ हैं जो' किया जाएगा तो 'विशेषण' तथा 'विशेष्य' होने के कारण यह 'कर्मधारय समास' का उदाहरण होगा; किन्तु यदि इसका विग्रह 'चार भुजाओं का समाहार' किया जाएगा तो यह द्विगु समास का उदाहरण बन जाएगा तथा यदि इसका विग्रह 'चार भुजाएँ हैं जिसकी अर्थात् विष्णु' किया जाएगा तो यही उदाहरण 'बहुब्रीहि समास' का हो जाएगा, क्योंकि इस विग्रह में 'चतुर' तथा 'भुज' दोनों पद जोड़े के रूप में तीसरे पद 'विष्णु' की विशेषता बता रहे हैं। अतः समास का निर्धारण विग्रह के आधार पर करना चाहिए। देखिए, बहुब्रीहि समास के अन्य उदाहरण –

| **समस्तपद** | **विग्रह** | **प्रधान** |
|---|---|---|
| पीताम्बर | पीला अम्बर (वस्त्र) है जिसका | विष्णु |
| चक्रधर | चक्र धारण किया है जिसने | विष्णु |
| नीलकण्ठ | नीला है कण्ठ जिसका | शिव |
| चक्रपाणि | चक्र है पाणि (हाथ) में जिसके | विष्णु |
| गिरिधर | गिरि को धारण किया है जिसने | कृष्ण |

## 3.2.4.4. द्वन्द्व समास

द्वन्द्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पद समुच्चयबोधक अव्यय 'और', 'या' 'अथवा' आदि से जुड़े रहते हैं। समास होने पर इन समुच्चयबोधक अव्ययों का लोप कर दिया जाता है तथा विग्रह करते समय इनको लगाकर लिखा जाता है। जैसे, 'भाई-बहन' समस्त पद का विग्रह होगा – भाई और बहन। ध्यान रखिए द्वन्द्व समास के दोनों पद या तो 'संज्ञा + संज्ञा' होते हैं या 'विशेषण + विशेषण' या 'क्रिया + क्रिया'; जैसे –

**संज्ञा + संज्ञा –**

| | |
|---|---|
| भाई-बहन | भाई और बहन |
| माँ-बाप | माँ तथा बाप |
| जल-थल | जल और थल |
| स्वर्ग-नर्क | स्वर्ग और नर्क |
| माता-पिता | माता और पिता |
| अन्न-जल | अन्न और जल |

**विशेषण + विशेषण –**

| | |
|---|---|
| अच्छा-बुरा | अच्छा या बुरा |
| भूखा-प्यासा | भूखा और प्यासा |
| भला-बुरा | भला और बुरा |
| लम्बा-चौड़ा | लम्बा और चौड़ा |

**क्रिया + क्रिया –**

| | |
|---|---|
| लेना-देना | लेना और देना |
| खाना-पीना | खाना और पीना |
| गाना-बजाना | गाना और बजाना |
| करना-कराना | करना और कराना |

### 3.2.4.5. अव्ययीभाव समास

जिस समास का पहला पद कोई अव्यय या अविकारी शब्द होता है उस समास को 'अव्ययीभाव समास' कहा जाता है; जैसे – 'प्रतिदिन' समस्त पद 'प्रति' और 'दिन' पदों के योग से बना है। इसका पूर्वपद 'प्रति' एक अव्यय है और इसका विग्रह – 'दिन-दिन' किया जाएगा। देखिए, अव्ययीभाव समास के अन्य उदाहरण –

| समस्त पद | अव्यय | विग्रह |
|---|---|---|
| आजीवन | आ | जीवन भर |
| अनुरूप | अनु | रूप के अनुसार |
| प्रतिदिन | प्रति | दिन-दिन |
| बेखटके | बे | बिना खटके के |
| यथाशक्ति | यथा | समय के अनुसार |
| प्रतिदिन | प्रति | दिन-दिन / हर दिन |
| भरपूर | भर | पूरा भरा हुआ |
| हरघड़ी | हर | घड़ी-घड़ी |
| आमरण | आ | मरण तक |
| प्रत्येक | प्रति | एक-एक |
| बेमिसाल | बे | जिसकी मिसाल न हो |
| बाअदब | बा | अदब के साथ |

### 3.2.5. पाठ-सार

(i) इस पाठ में उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास द्वारा होने वाली शब्द रचना की प्रक्रिया के विषय में चर्चा की गई है।

(ii) आपको बताया गया कि उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास क्या हैं, तथा शब्द रचना में उनकी क्या भूमिका रहती है।

(iii) इसी चर्चा के अन्तर्गत आपको उपसर्गों के विभिन्न भेदों – तत्सम, तद्भव तथा आगत या विदेशी उपसर्गों का परिचय विभिन्न उदाहरण देकर कराया गया।

(iv) इसके अतिरिक्त उपसर्ग तथा परसर्ग का अन्तर भी स्पष्ट किया गया।

(v) आपको प्रत्ययों के अन्तर्गत कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय तथा प्रकार्य के आधार पर होने वाले प्रत्यय भेदों के विषय में बताते हुए उपसर्ग तथा प्रत्यय का अन्तर भी स्पष्ट किया गया।

(vi) इसी पाठ में समास की संकल्पना स्पष्ट करते हुए आपका परिचय समास के विभिन्न भेदों – तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वन्द्व तथा अव्ययीभाव के साथ कराया गया।

### 3.2.6. बोध प्रश्न

**बहुविकल्पीय प्रश्न**

1. निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए उपसर्ग से न बना हो –

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (i) | अधि | = | (क) अधिपति | (ख) अधिक | (ग) अध्यक्ष | (घ) अधिवक्ता |
| (ii) | अव | = | (क) अवज्ञा | (ख) अवगुण | (ग) अवमानना | (घ) अवसर |
| (iii) | उप | = | (क) उपग्रह | (ख) उपवन | (ग) उपचार | (घ) उपला |
| (iv) | प्रति | = | (क) प्रतीक | (ख) प्रतिध्वनि | (ग) प्रत्यक्ष | (घ) प्रतिरोध |
| (v) | सत् | = | (क) सत्पुरुष | (ख) सज्जन | (ग) सदाचार | (घ) सत्ता |
| (vi) | पुनः | = | (क) पुनर्जन्म | (ख) पुनीत | (ग) पुनरुत्थान | (घ) पुनरुद्धार |

2. निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त सही प्रत्यय का चयन कीजिए –

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (i) | भौतिकी | = | (क) की | (ख) इकी | (ग) ई | (घ) तिकी |
| (ii) | प्रचलित | = | (क) लित | (ख) इत | (ग) त | (घ) चलित |
| (iii) | बिकाऊ | = | (क) ऊ | (ख) आऊ | (ग) काऊ | (घ) तीनों ग़लत |
| (iv) | पर्वतीय | = | (क) य | (ख) ईय | (ग) इय | (घ) तीय |
| (v) | चाँदनी | = | (क) दनी | (ख) अनी | (ग) नी | (घ) तीनों ग़लत |
| (vi) | अपनत्व | = | (क) नत्व | (ख) त्व | (ग) व | (घ) तीनों ग़लत |

**लघु उत्तरीय प्रश्न**

1. विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए –

(i) दाल-चावल

(ii) आमरण

(iii) चौराहा

(iv) तुलसी-कृत

(v) दशानन

(vi) कमलनयन

2. नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह इस प्रकार कीजिए कि द्विगु और बहुब्रीहि समास दोनों के उदाहरण बन जाएँ –

| समस्त पद | विग्रह द्विगु समास | विग्रह बहुब्रीहि समास |
|---|---|---|
| उदाहरण – तिरंगा | तीन रंगों का समाहार | तीन रंग हैं जिसके अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय ध्वज |

(i) चतुर्भुज
(ii) दशानन
(iii) पंचानन
(iv) त्रिलोचन
(v) पंचवटी

3. निम्नलिखित में अन्तर स्पष्ट कीजिए –
(i) उपसर्ग तथा प्रत्यय
(ii) कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्य
(iii) कर्मधारय एवं द्विगु समास

4. निम्नलिखित कथनों में सही अथवा ग़लत की पहचान कीजिए –
(i) उपसर्ग भाषा की लघुतम अर्थवान् इकाई हैं।
(ii) उपसर्गों का प्रयोग शब्द के अन्त में भी किया जा सकता है।
(iii) उपसर्ग भाषा के बद्ध रूप हैं।
(iv) हिन्दी में आगत उपसर्ग संस्कृत से आए हैं।
(v) 'स्वागत' शब्द 'स्व' उपसर्ग से बना है।
(vi) 'अध्यक्ष' शब्द में 'अधि' उपसर्ग लगा हुआ है।

**दीर्घ उत्तरीय प्रश्न**

1. तत्सम उपसर्ग से आप क्या समझते है ? प्रत्येक तत्सम उपसर्ग के दो-दो उदाहरण दीजिए।
2. प्रकार्य के आधार पर हिन्दी में कौन-कौन से प्रत्यय पाए जाते हैं ? उदाहरण देकर समझाइए।
3. समास की संकल्पना स्पष्ट करते हुए समास के समस्त भेद-प्रभेदों को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।

## 3.2.7. कठिन शब्दावली

प्रस्तुत पाठ में आपको निम्नलिखित कठिन शब्दों की जानकारी मिली –

तद्‌भव, तत्सम, आगत, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, परसर्ग, समस्त पद, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वन्द्व, अव्ययीभाव, द्विगु, कर्मधारय, उपमेय, उपमान

## 3.2.8. उपयोगी / सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची


1. हिंदी संरचना, EHD–07, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्तविश्वविद्यालय प्रकाशन
2. भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, खण्ड – हिंदी संरचना, MHD–07, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय प्रकाशन
3. बृहत् हिंदी व्याकरण, 2014, गुप्त, रवि प्रकाश, अरु पब्लिकेशन्स प्रा. लि., नयी दिल्ली
4. हिंदी भाषा संरचना के विविध आयाम, 1995, श्रीवास्तव, रवीन्द्रनाथ, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली


**उपयोगी इंटरनेट स्रोत :**

1. http://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=18
2. http://www.hindisamay.com/
3. http://hindinest.com/
4. http://www.dli.ernet.in/
5. http://www.archive.org

❖❖❖

## खण्ड – 3 : हिन्दी की भाषा संरचना

## इकाई – 3 : व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर हिन्दी शब्द वर्ग : (i) विकारी शब्द – संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया (ii) अविकारी शब्द – क्रियाविशेषण, सम्बन्धबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक तथा निपात

**इकाई की रूपरेखा**


3.3.00. उद्देश्य
3.3.01. प्रस्तावना
3.3.02. विकारी शब्द – संज्ञा
  3.3.02.1. विकारी तथा अविकारी शब्द
  3.3.02.2. संज्ञा से तात्पर्य
  3.3.02.3. संज्ञा के भेद : परम्परागत के आधार पर
  3.3.02.4. संज्ञा के भेद : प्रकार्य के आधार पर
  3.3.02.5. संज्ञा शब्दों का परस्पर परिवर्तन
3.3.03. विकारी शब्द – सर्वनाम
  3.3.03.1. सर्वनाम से तात्पर्य
  3.3.03.2. सर्वनाम के भेद-प्रभेद
  3.3.03.3. हिन्दी में मध्यम पुरुष सर्वनामों के प्रयोग की स्थिति
  3.3.03.4. सर्वनाम : पुनरुक्त रूप
  3.3.03.5. सर्वनाम : संयुक्त रूप
3.3.04. विकारी शब्द – विशेषण
  3.3.04.1. विशेषण से तात्पर्य
  3.3.04.2. विशेषण के भेद : परम्परा के आधार पर
  3.3.04.3. विशेषण के भेद : प्रकार्य के आधार पर
  3.3.04.4. प्रविशेषण
  3.3.04.5. उद्देश्य विशेषण तथा विधेय विशेषण
3.3.05. विकारी शब्द – क्रिया
  3.3.05.1. क्रिया से तात्पर्य
  3.3.05.2. क्रिया पदबंध के घटक : मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया
  3.3.05.3. हिन्दी क्रिया के प्रमुख भेद
  3.3.05.4. अनुकरणात्मक क्रिया
  3.3.05.5. समापिका तथा असमापिका क्रिया
3.3.06. अविकारी शब्द – क्रियाविशेषण, सम्बन्धबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक, निपात
  3.3.06.1. क्रियाविशेषण
  3.3.06.2. सम्बन्धबोधक

3.3.06.3. समुच्चयबोधक
3.3.06.4. विस्मयादिबोधक
3.3.06.5. निपात
3.3.07. पाठ-सार
3.3.08. बोध प्रश्न
3.3.09. कठिन शब्दावली
3.3.10. उपयोगी / सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

## 3.3.00. उद्देश्य

प्रस्तुत पाठ का अध्ययन करने के उपरान्त आप –

i. विकारी और अविकारी शब्द की संकल्पना समझ कर विकारी तथा अविकारी वर्गों में कौन-कौन से शब्द आते हैं, यह बता सकेंगे।
ii. संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया की संकल्पना एवं उनकेभेद-प्रभेदों को समझा सकेंगे।
iii. व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में तथा जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस प्रकार होता है, यह समझा सकेंगे।
iv. प्रकार्य के आधार पर संज्ञा तथा विशेषण के भेदों को स्पष्ट कर सकेंगे।
v. सर्वनाम के पुनरुक्त एवं संयुक्त रूपों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
vi. विशेषण एवं प्रविशेषण के अन्तर को स्पष्ट कर सकेंगे।
vii. समापिका तथा असमापिका क्रिया एवं उनके भेद-प्रभेदों के बारे में बता सकेंगे।
viii. अविकारी शब्द वर्ग में आने वाले क्रियाविशेषण, सम्बन्धबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक तथा निपात शब्दों की संकल्पना एवं उनके भेद-प्रभेदों से परिचित हो सकेंगे।

## 3.3.01. प्रस्तावना

शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है तब शब्द यथावत रूप में वाक्यों में नहीं जाते। उनमें कोई न कोई 'रूपसाधक प्रत्यय' अवश्य जोड़ा जाता है जिससे उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे – 'बच्चा' शब्द में प्रत्यय लगकर बने 'बच्चे', 'बच्चो', 'बच्चों' आदि रूप, 'मैं' सर्वनाम से बने 'मेरा', 'मेरे' 'मुझे' 'मुझको' आदि रूप तथा 'करना' क्रिया से बने 'कर', करो' 'कीजिए', 'करे', 'करूँ', 'किया' आदि रूप। इसके विपरीत भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं अर्थात् इनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए 'यहाँ', 'वहाँ', 'और', 'अथवा', 'अरे', 'ने', 'से', 'तो', 'भी' आदि ऐसे ही शब्द हैं। शब्दों के रूप में होने वाले परिवर्तन को ही व्याकरण में 'विकार' कहा जाता है। विकार के आधार पर हिन्दी में हमें दो तरह के शब्द प्राप्त होते हैं – विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। जैसा आपको ऊपर भी बताया गया विकारी शब्द वर्ग के अन्तर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं

तथा अविकारी शब्द वर्ग के अन्तर्गत क्रियाविशेषण, सम्बन्धबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक तथा निपात शब्द आते हैं। प्रस्तुत पाठ में आपको विकारी एवं अविकारी शब्द वर्गों में आने वाले समस्त शब्दों की संकल्पना एवं उनकेभेद-प्रभेदों से परिचित कराया जाएगा।

## 3.3.02. विकारी शब्द – संज्ञा

### 3.3.02.1. विकारी तथा अविकारी शब्द

आपको ऊपर यह बताया जा चुका है कि हर भाषा में दो तरह के शब्द पाए जाते हैं। वाक्य में किए जाने पर कुछ शब्दों में रूपसाधक प्रत्यय जोड़े जाते हैं और कुछ में नहीं जोड़े जाते। जिन शब्दों में रूपसाधक प्रत्यय जोड़े जाते हैं उनके रूप में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। इसी परिवर्तन को 'विकार' कहा जाता है। इस तरह कुछ शब्दों में विकार उत्पन्न होता है और कुछ में नहीं होता। इस तरह जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है वे 'विकारी शब्द' तथा जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता 'अविकारी शब्द' कहलाते हैं। विकारी शब्दों के अन्तर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं तथा अविकारी शब्दों के अन्तर्गत क्रियाविशेषण, सम्बन्धबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक तथा निपात आते हैं।

### 3.3.02.2. संज्ञा से तात्पर्य

'संज्ञा' की संकल्पना समझने के लिए नीचे दिए गए वाक्यों के मोटे छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए–

1. **सलीम** आज **आगरा** से वापस आया है।
2. **दिनेश** आज **कार** से **घर** गया है।
3. **गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र** के **किनारे** पर तथा **दिल्ली**, **यमुना नदी** के किनारे पर बसे हुए हैं।
4. उन **लोगों** को **बुराई** करने में **ख़ुशी** मिलती है।
5. **हैरिस** ने अपना **बचपन ग़रीबी** में ही गुज़ार दिया।

आपने देखा कि इन वाक्यों के मोटे अक्षरों में छपे सभी शब्द किसी-न-किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, गुण, भाव आदि के नामों की ओर संकेत कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि ऊपर के वाक्यों के मोटे अक्षरों में छपे सभी शब्द व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जाति, अवस्था, भाव, गुण आदि के 'नामों' की ओर संकेत कर रहे हैं। व्याकरण में नामों को बताने वाले शब्दों को 'संज्ञा' कहते हैं।

**संज्ञा की परिभाषा –**

व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द 'संज्ञा शब्द' कहलाते हैं।

### 3.3.02.3. संज्ञा के भेद : परम्परागत के आधार पर

परम्परागत के आधार पर परम्परागत रूप में संज्ञा के निम्नलिखित भेद किये जाते हैं –

1. **व्यक्तिवाचक संज्ञा –**

जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, या वस्तु के व्यक्तिगत नाम का बोध करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे – रशीद, शबनम, कैथी, मरिया (व्यक्ति), कामधेनु, एरावत आदि (प्राणी), दशहरी, लँगड़ा, ताजमहल, क़ुतुबमीनार, गोदान आदि (वस्तुएँ / इमारतें), मुंबई, दिल्ली आदि (नगर) तथा भारत, चीन, जापान (देश) आदि।

2. **जातिवाचक संज्ञा –**

जो संज्ञा शब्द किसी जाति, समूह, ग्रुप, झुण्ड अर्थात् एक से अधिक के होने का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहे जाते हैं।

ध्यान रखिए कि हर व्यक्ति किसी-न-किसी जाति का सदस्य अवश्य होता है, जैसे हरीश, मोना, मरिया मानव हैं। दिल्ली, आगरा शहर हैं। कामधेनु, एरावत आदि जानवर हैं। गंगा, यमुना नदियाँ हैं। इस तरह मानव, शहर, जानवर, नदियाँ आदि शब्द किसी-न-किसी जाति या समुदाय का बोध कराते हैं, अतः ये 'जातिवाचक संज्ञा' शब्द कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्दों के दो भेद किए जाते हैं – द्रव्यवाचक तथा समूह वाचक।

**(क) द्रव्यवाचक संज्ञा –**

जो जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी पदार्थ, द्रव्य अथवा धातु का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं; जैसे, द्रव्य – घी, तेल, पानी, दूध आदि, धातु – लोहा, पीतल, सोना, चाँदी आदि तथा पदार्थ – कोयला, लकड़ी, घास, फूस, ऊन, प्लास्टिक आदि।

**(ख) समूहवाचक संज्ञा–**

जो जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं 'समूहवाचक' संज्ञा शब्द कहलाते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि ये एक से अधिक सदस्यों के होने का बोध कराते हैं; जैसे, सेना, कक्षा, टीम, पुलिस। होम-गार्ड, संसद, जुलूस आदि।

3. **भाववाचक संज्ञा –**

जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष, शील, स्वभाव, धर्म, भाव, अवस्था, स्थिति, संकल्पना आदि का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ध्यान रखिए 'भाववाचक संज्ञा शब्द' किसी 'अमूर्त

संकल्पना' (Abstract Concept) को व्यक्त करते हैं, जैसे – प्रेम, डर, क्रोध, भय, दया, सत्य, धर्म, घृणा, सुख, दुख, मृत्यु, जन्म, अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, बेईमानी, जवानी, बुढ़ापा, लम्बाई, चौड़ाई आदि।

### 3.3.02.4. संज्ञा के भेद : प्रकार्य के आधार पर

वाक्य में प्रयुक्त शब्द अर्थात् पद का 'पदनाम' इस बात पर निर्भर करता है कि वह उस वाक्य में क्या प्रकार्य कर रहा है। कभी-कभी संज्ञा शब्दों के अलावा अन्य वर्गों के शब्द भी वाक्य में संज्ञा का प्रकार्य करने लगते हैं तब उस सन्दर्भ में हम उसका 'पदनाम' भी बदल जाता है। संज्ञा का प्रकार्य करने के कारण उस सन्दर्भ में ऐसे पद 'संज्ञा पद' बन जाते हैं। यहाँ हम प्रकार्य के आधार पर होने वाले संज्ञा के भेदों की चर्चा करेंगे –

#### 1. क्रियात्मक संज्ञा (Verbal Noun) –

अनेक बार हमें हिन्दी में ऐसे प्रयोग देखने को मिलते हैं जिनमें 'क्रिया' शब्द क्रिया का प्रकार्य न कर 'संज्ञा पद' का प्रकार्य करते पाए जाते हैं तब उन्हें 'क्रियात्मक संज्ञा' कहा जाता है, जैसे –

i. अच्छे स्वास्थ्य के लिए सुबह टहलना बहुत आवश्यक है।
ii. तुम अब रोना बन्द करो।
iii. आपका बतियाना मुझे पसंद नहीं।

उपर्युक्त वाक्यों में आए सभी रेखांकित पद मूलतः क्रिया शब्द थे पर इन वाक्यों में तीनों 'संज्ञा' का प्रकार्य कर रहे हैं। अतः इस सन्दर्भ में ये सभी 'संज्ञा पद' हैं। क्रिया शब्दों से बने ऐसे पद जो वाक्य में संज्ञा का प्रकार्य करते हैं 'क्रियात्मक संज्ञा' कहे जा सकते हैं।

#### 2. विशेषणात्मक संज्ञा (Adjectival Noun) –

जिस तरह कुछ क्रिया शब्द वाक्य में संज्ञा का प्रकार्य करते हैं उसी तरह कुछ विशेषण का भी प्रकार्य करते हैं। ऐसी स्थितियों में 'विशेष्य' (संज्ञा पद) का लोप कर दिया जाता है तथा संज्ञा पद में लगाने वाले प्रत्यय विशेषण में लग जाते हैं, जैसे –

i. **शराबियों** पर मुझे यकीन नहीं।
ii. इस देश में **ईमानदारों** की कमी नहीं है।
iii. चल **झूठे** कौन तुझ पर भरोसा करेगा।
iv. मैं **मूर्खों** से बात नहीं करता।

ऊपर के वाक्यों में आए 'शराबी', 'ईमानदार', 'झूठा' तथा 'मूर्ख' शब्द मूलतः विशेषण हैं पर यहाँ विशेष्य (संज्ञा पद) का लोप हो जाने के कारण ये संज्ञा का प्रकार्य कर रहे हैं, अतः प्रकार्य के आधार पर इन्हें 'विशेषणात्मक संज्ञा' कहा जा सकता है।

### 3.3.02.5. संज्ञा शब्दों का परस्पर परिवर्तन

### 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग

कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में भी हो सकता है। जैसे जब हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम का प्रयोग उसके गुण बताने के लिए करते हैं तब वे शब्द जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त होने लगते हैं, जैसे – भीष्म पितामह 'दृढ़ प्रतिज्ञा' के लिए मशहूर हैं। पर यदि हम कहते हैं कि 'हमीद तो भीष्म पितामह है, उसे अपने रास्ते से कोई नहीं हटा सकता' तो यहाँ हमीद स्वयं भीष्म पितामह नहीं है, बल्कि 'दृढ़-प्रतिज्ञ' है। ऐसी स्थिति में इस वाक्य का 'भीष्म पितामह' शब्द प्रकार्य के आधार पर जातिवाचक संज्ञा माना जाएगा। देखिए अन्य उदाहरण –

(i) हमारे देश को जयचन्दों ने ही लूटा है।
(ii) भाई ! मुझ सूरदास की मदद करो।
(iii) मैं तो 'एकलव्य' हूँ, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता हूँ।

यहाँ 'जयचन्द' धोखेबाज़ के लिए, 'सूरदास' नेत्रहीन के लिए तथा 'एकलव्य' गुरुभक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हैं अतः सभी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं।

### 2. जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग

कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होकर अपने अर्थ में 'रूढ़' हो जाते हैं, जैसे – 'महात्माजी' शब्द है तो जातिवाचक संज्ञा पर, यदि कोई कहता है कि 'महात्माजी के बलिदान के कारण ही भारत स्वतन्त्र हुआ।' तो यहाँ 'महात्माजी' शब्द जाति का बोध न कराकर 'महात्मा गाँधी' (व्यक्ति) का बोध करा रहा है। अन्य उदाहरण देखिए–

**(क) नेताजी** ने कहा था, 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा'। (नेताजी = सुभाष चन्द्र बोस)
**(ख)** आज़ादी के बाद **सरदार** देश के उप-प्रधानमंत्री बने। (सरदार = सरदार पटेल)

### 3. भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग

'भाववाचक संज्ञा' शब्दों का प्रयोग हमेशा एकवचन में होता है किन्तु यदि इनका प्रयोग बहुवचन में किया जाए तो वे 'जातिवाचक संज्ञा' का प्रकार्य करने के कारण 'जातिवाचक संज्ञा' बन जाते हैं, जैसे –

(i) **बीमारी** से बचकर रहो। (i) (क) इतनी तरह की **बीमारियों** से कैसे बचा जाए ?

(ii) **प्रार्थना** करो अवश्य सफलता मिलेगी। (ii) (क) सब की **प्रार्थनाओं** का असर अवश्य होगा।

## 3.3.03. विकारी शब्द – सर्वनाम

### 3.3.03.1. सर्वनाम से तात्पर्य

'सर्वनाम' शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है – 'सर्व' तथा 'नाम'। 'सर्व' शब्द का अर्थ है – 'सब' या 'समस्त' तथा 'नाम' शब्द 'संज्ञा' का पर्याय है। अतः सर्वनाम वे शब्द हैं जो समस्त नामों या संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तथा वही प्रकार्य (function) करते हैं जो 'संज्ञा' द्वारा किया जाता है।

**परिभाषा :** वाक्य में, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञाओं का ही प्रकार्य करने वाले शब्दों को'सर्वनाम' कहा जाता है।

### 3.3.03.2. सर्वनाम के भेद-प्रभेद

जिस तरह सभी संज्ञा शब्द एक प्रकार के नहीं होते, उसी तरह सभी 'सर्वनाम शब्द' भी एक जैसे नहीं होते। सर्वनामों के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं –

#### 1. पुरुषवाचक सर्वनाम –

जब भी दो लोग बातचीत करते हैं तो वक्ता कभी अपने बारे में कुछ कहता है, कभी श्रोता के बारे में और कभी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो वहाँ मौजूद नहीं होता। इन तीनों ही स्थितियों में वक्ता द्वारा अपने लिए, श्रोता के लिए तथा उस तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम 'पुरुषवाचक सर्वनाम' कहलाते हैं। इन्हीं आधारों पर पुरुषवाचक सर्वनामों के तीन भेद किए जाते हैं – 'उत्तम पुरुष', 'मध्यम पुरुष' तथा 'अन्य पुरुष'।

#### (i) उत्तम पुरुष –

जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने नाम के स्थान पर करता है, वे सर्वनाम 'उत्तम पुरुष' के सर्वनाम कहलाते हैं। इस वर्ग के अन्तर्गत एकवचन में 'मैं' तथा 'मैं के सभी रूप' (मैंने, मुझे, मेरा आदि) तथा बहुवचन में 'हम' तथा 'हम के सभी रूप' (हमने, हमें, हमारा आदि) आते हैं।

#### (ii) मध्यम पुरुष –

वक्ता द्वारा श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, वे 'मध्यम पुरुष' के सर्वनाम कहलाते हैं। इस वर्ग में 'तू' (एकवचन), 'तुम' (बहुवचन) तथा 'आप' (बहुवचन आदरसूचक) सर्वनाम

तथा इनके विभिन्न रूप आते हैं। हिन्दी में 'तुम' तथा 'आप' का प्रयोग एकवचन में होने लगा है, इसलिए बहुवचन में इनके साथ 'लोग' शब्द जोड़ा जाता है, जैसे – तुम लोग, आप लोग आदि।

### (iii) अन्य पुरुष –

वक्ता या श्रोता के द्वारा जब किसी अन्य व्यक्ति के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे 'अन्य पुरुष' के सर्वनाम कहलाते हैं। इस वर्ग में एकवचन के अन्तर्गत 'वह' तथा उसके विभिन्न रूप जैसे – 'उसने', उससे, 'उसमें' आदि आते हैं तथा बहुवचन के अन्तर्गत 'वे' तथा उसके विभिन्न रूप जैसे – 'उनसे', 'उनका', 'उन्होंने' आदि आते हैं। हिन्दी में 'वे' सर्वनाम का प्रयोग भी एकवचन में होने लगा है अतः बहुवचन में इसके साथ भी 'लोग' शब्द लगाया जाता है, जैसे – वे लोग मंत्रीजी से मिलना चाहते हैं।

### 2. निश्चयवाचक सर्वनाम –

जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है वे 'निश्चयवाचक सर्वनाम' कहे जाते हैं। इसके अन्तर्गत एकवचन में 'यह / वह' तथा बहुवचन में 'ये / वे' रूप आते हैं। 'यह' तथा 'ये' का प्रयोग निकट के व्यक्तियों एवं वस्तुओं के लिए किया जाता है तथा 'वह / वे' का प्रयोग दूर के व्यक्तियों / वस्तुओं के लिए, जैसे –

**'यह' / 'ये' तथा उनके रूप**

i. अध्यापक – (पास में रखी कुरसी की और संकेत करते हुए) अब्दुल, इसे यहाँ से ले जाओ।

**'वह' / 'वे' तथा उनके रूप**

ii. पिता – (दूर पड़ी किताब की और संकेत करते हुए) वह किसकी है ?

जिन व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर संकेत किया जाता है वे वक्ता और श्रोता के सामने उपस्थित होने चाहिए। यदि इन सर्वनामों का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों / वस्तुओं के लिए किया जाता है जो वक्ता तथा श्रोता के सामने उपस्थित नहीं हैं तो ये सर्वनाम 'पुरुषवाचक सर्वनाम' की कोटि में आते हैं।

### iii. अनिश्चयवाचक सर्वनाम –

जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में यह निश्चय न हो कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है तब जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे 'अनिश्चयवाचक सर्वनाम' कहलाते हैं। अतः अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता न चलता हो। हिन्दी में 'कोई' (व्यक्ति के लिए) तथा 'कुछ' (वस्तु के लिए) 'अनिश्चयवाचक सर्वनाम' हैं, देखिए उदाहरण –

(i) शायद दरवाज़े के बाहर **कोई** खड़ा है।
(ii) आपसे मिलने **कोई** आया है।
(iii) बाज़ार से **कुछ** लेते आना।
(iv) ओढ़ने के लिए मुझे भी **कुछ** दे दो।

## iv. प्रश्नवाचक सर्वनाम –

कई बार किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में मन में प्रश्न उठते रहते हैं कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर हम 'प्रश्नवाचक सर्वनामों' का प्रयोग करते है। हिन्दी में प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं – 'कौन' (व्यक्ति के लिए) तथा 'क्या', 'कौन-सा', 'कौन-सी' (वस्तु या घटना के लिए)। देखिए उदाहरण –

(i) यहाँ **कौन** रहता है ?
(ii) **कौन** शोर कर रहा था ?
(iii) आज आपने **क्या** बनाया है ?
(iv) आप **क्या** लेना पसंद करेंगे ?
(v) तुम्हें **क्या** चाहिए ?
(vi) इन साड़ियों में से तुम्हें **कौनसी** पसंद है ?

## v. सम्बन्धवाचक सर्वनाम –

मिश्र वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष आश्रित उपवाक्य। कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। इनको 'सम्बन्धवाचक सर्वनाम' कहा जाता है। हिन्दी में 'जो' तथा 'जिसे' सम्बन्धवाचक सर्वनाम हैं। देखिए इनके उदाहरण –

(i) वह लड़का चला गया **जो** अक्सर झूठ बोलता है।
(ii) वह किताब फट गई **जिसे** तुमने दिया था।
(iii) वह मकान गिर गया **जिसकी** दीवार कच्ची थी।
(iv) **जो** चोरी करता है, वह अवश्य पकड़ा जाता है।

### vi. निजवाचक सर्वनाम –

'निज' शब्द का अर्थ होता है – 'अपना' 'निजवाचक सर्वनाम' वे सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग वक्ता के द्वारा वाक्य के कर्त्ता के लिए किया जाता है। हिन्दी में 'स्वयं', 'ख़ुद', 'अपने आप', 'आप ही' आदि 'निजवाचक सर्वनाम' हैं। देखिए उदाहरण –

(i) अब इस काम को वह **स्वयं** करेगा।
(ii) वह **ख़ुद** खाना बना सकती है।
(iii) तुम **अपने आप** अपना काम क्यों नहीं करते ?
(iv) वह **अपने आप** अपने कपड़े धोता है।

## 3.3.03.3. हिन्दी में मध्यम पुरुष सर्वनामों के प्रयोग की स्थिति

आप जानते हैं कि हिन्दी में माध्यम पुरुष सर्वनाम हैं – 'तू', 'तुम' तथा 'आप'। इनमें 'तू' एकवचन, 'तुम' बहुवचन तथा 'आप' आदरसूचक बहुवचन के सर्वनाम हैं पर, प्रयोग के स्तर पर स्थिति भिन्न है। प्रयोग के स्तर पर इन तीनों का ही प्रयोग एकवचन में किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि किन-किन स्थितियों इन तीनों का प्रयोग एकवचन में होता है ?

प्रायः दो अपरिचित व्यक्ति जब एक-दूसरे से मिलते हैं तो वे परस्पर एक-दूसरे को 'आप' से सम्बोधित करते हैं। धीरे धीरे जब उनमें निकटता बढ़ती चली जाती है तब वे 'आप' का प्रयोग छोड़कर 'तुम' पर आ जाते हैं। यदि घनिष्ठता बहुत अधिक बढ़ आती है तब वे एक दूसरे को 'तू' से सम्बोधित करते पाए जाते हैं। अतः हिन्दी में 'तू' का एकवचन में प्रयोग अत्यन्त घनिष्ठता (Deep Closeness) की स्थिति में ही होता है। इसके अलावा क्रोध, अनादर जैसी स्थितियों में भी 'तू' का प्रयोग किया जाता है।

आज से कुछ वर्ष पूर्व तक हिन्दी में 'तू' सर्वनाम का प्रयोग घनिष्ठता के अलावा अपने से छोटी उम्र वाले और अपने से छोटे पद, स्टेटस, जाति वाले लोगों के लिए भी दिखाई देता था पर आजकल इन स्थितियों में 'तू' का प्रयोग लगभग समाप्त हो गया है। आजकल तो माता-पिता भी अपने बच्चों को 'तू' से सम्बोधित नहीं करते। इसके अलावा 'तू' या 'तू सर्वनाम के रूपों का प्रयोग ईश्वर को सम्बोधित करते हुए भी किया जाता है, जैसे – 'हे ईश्वर ! तू मेरी मदद कर।'

इसके विपरीत 'आप' सर्वनाम केवल आदरसूचक ही नहीं है। अनौपचारिक स्थितियों में दो अपरिचित लोग परस्पर एक दूसरे को 'आप' से ही सम्बोधित करते हैं। उस समय दोनों के मन में एक-दूसरे के लिए आदर की भावना होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक कि लड़ाई-झगड़े के समय भी एक दूसरे को 'आप' सर्वनाम से ही सम्बोधित करते हैं। ऐसी स्थिति में जब अपमान करना हो तब अवश्य 'तू' का प्रयोग करते हैं।

### 3.3.03.4. सर्वनाम : पुनरुक्त रूप

हिन्दी के सर्वनामों में कुछ सर्वनाम ऐसे भी हैं जो पुनरुक्त या द्वित्व रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। 'पुनुरुक्त' (पुनः+ उक्त) शब्द का अर्थ है 'कही हुई बात का पुनर्कथन' । हिन्दी में कुछ सर्वनामों के प्रयोग में सर्वनाम को दोहराया जाता है । उदाहरण के लिए वाक्य 'जो यहाँ रुकना चाहे, रुक सकता है' में आया 'जो' सर्वनाम किसी एक व्यक्ति की ओर संकेत करता है पर जब इसी सर्वनाम का प्रयोग पुनरुक्त या द्वित्व रूप में किया जाता है, जैसे – 'जो-जो यहाँ रुकना चाहे, रुक सकता है' तो यहाँ 'जो-जो' एक से अधिक व्यक्तियों की ओर संकेत किया जा रहा है । इस तरह सर्वनामों के पुनरुक्त रूप प्रायः एक से अधिक या अनेक की ओर संकेत करते हैं पर संरचना के स्तर पर इनका प्रयोग एकवचन में ही होता है । देखिए कुछ सर्वनामों के पुनरुक्त रूपों में प्रयोग –

**1. अनिश्चयवाचक सर्वनाम – 'कोई'/कुछ –**

(i) **कोई-कोई** तो बहुत घमण्डी होता है ।
(ii) वह हमेशा **कुछ-कुछ** करती रहती है ।

**2. प्रश्नवाचक सर्वनाम – 'कौन/क्या' –**

(i) मेरे साथ **कौन-कौन** चल रहा है ?
(ii) आपने दावत में **क्या-क्या** खाया ?

**3. सम्बन्धवाचक सर्वनाम – 'जो/जिस' –**

(i) **जो-जो** आना चाहे, आ सकता है ।
(ii) **जिस-जिस** को चलना है, हाथ उठाए ।

**4. निजवाचक सर्वनाम – 'आप ही आप' –**

यद्यपि निजवाचक सर्वनामों के अनेक रूप हैं, जैसे – स्वयं, ख़ुद, आप ही, अपने आप आदि, लेकिन पुनरुक्त रूप में केवल 'आप ही आप' का प्रयोग मिलता तथा यह व्यक्ति के स्वयं कार्य करने की ओर ही संकेत करता है अतः यह 'अनेक'का अर्थ नहीं देता, जैसा की अन्य सर्वनामों के द्वित्व रूप देते हैं, जैसे –

(i) वह **आप ही आप** खा रही थी ।
(ii) वह **आप ही आप** बोले जा रहा था ।

### 3.3.03.5. सर्वनाम : संयुक्त रूप

हिन्दी में पुनरुक्त या द्वित्व रूपों के अलावा सर्वनामों के संयुक्त एवं मिश्रित रूप भी मिलते हैं। कुछ प्रमुख संयुक्त सर्वनामों के उदाहरण देखिए–

01. **जो कोई / जो कुछ;** जैसे –

(i) जो कोई पैसे देगा, मैं तो उसी का काम करूँगा।

(ii) जो कुछ मिलेगा, खा लूँगा।

02. **जो कि / जो;** जैसे – तुम वह काम भी न कर सके जो कि बहुत आसान था।

03. **हर कोई / सब कोई;** जैसे – हर कोई / सब कोई अमीर बनाना चाहता है।

04. **कोई न कोई;** जैसे – कोई न कोई तो हमारी मदद करेगा।

05. **कोई ... कोई;** जैसे – कोई कुछ कर रहा था तो कोई कुछ।

06. **कुछ न कुछ;** जैसे – खाने के लिए कुछ न कुछ तो मिलेगा ही।

07. **कुछ का कुछ;** जैसे – उसने तो कुछ का कुछ कर डाला।

08. **सब कुछ;** जैसे – उसने अपना सब कुछ बेच दिया।

09. **बहुत कुछ;** जैसे – मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ।

10. **कुछ-कुछ;** जैसे – इसके बारे में कुछ-कुछ तो मैं भी जानता हूँ।

## 3.3.04. विकारी शब्द – विशेषण

### 3.3.04.1. विशेषण से तात्पर्य

'विशेषण' वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते है, जैसे 'काला कुत्ता' में 'काला' शब्द 'कुत्ता' शब्द के रंग की विशेषता बता रहा है। इससे पता चल रहा है कि 'कुत्ते का रंग काला है।' संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता संज्ञा सर्वनाम के गुण, संख्या तथा परिमाण या मात्रा बताकर बतायी जा सकती है। इस बात को समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों पर ध्यान दीजिए–

(i) **छोटे** बच्चे हमेशा शरारत करते हैं।

(ii) उसे **कच्चे** आम बहुत पसंद हैं।

(iii) मुझे **थोड़ी** चीनी चाहिए।

(iv) पिताजी **सफ़ेद** कमीज़ पहनकर गए हैं।

(v) **कुछ** लोग हमेशा झूठ ही बोलते रहते हैं ।

(vi) आज **तीन** अध्यापक अनुपस्थित थे।

(vii) खीर बनाने के लिए **चार लीटर** दूध ले आना।

उपर्युक्त 1 से 3 तक के वाक्यों के रेखांकित पद अपनी अपनी संज्ञाओं के गुणों(qualities) की ओर संकेत कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि 'बच्चे छोटी उम्र के हैं', 'आम कच्चे हैं' तथा 'कमीज़ का रंग सफ़ेद' है। वाक्य 4 और 5 के रेखांकित पद अपनी अपनी संज्ञाओं की संख्या(number) के बारे में सूचना दे रहे हैं। 'कुछ'

पद लोगों की अनिश्चित संख्या बता रहा है तथा 'तीन' पद अध्यापकों की निश्चित संख्या बता रहा है। वाक्य 6 तथा 7 के रेखांकित पद अपनी अपनी संज्ञाओं की मात्रा या परिमाण (quantity) की सूचना दे रहे हैं। 'थोड़ी' पद से 'चीनी की अनिश्चित मात्रा' का पता चल रहा है तो 'चार लीटर' पद से 'दूध की 'निश्चित मात्रा' का संकेत मिल रहा है। कहने का तात्पर्य यही है कि सभी रेखांकित पद अपनी-अपनी संज्ञाओं के या तो गुण या संख्या या मात्रा अथवा परिमाण सम्बन्धी विशेषता बता रहे हैं। जो शब्द अपने विशेष्य की विशेषता बताता है उसे व्याकरण में 'विशेषण' कहा जाता है। विशेषण न केवल संज्ञा की बल्कि 'सर्वनाम' तथा 'विशेषणों' की भी विशेषता बता सकते हैं, जैसे –

(i) बेचारी वह ऐसे में और क्या करती ? ( 'वह' सर्वनाम की विशेषता)
(ii) पिताजी ने तीनों ग़रीब बच्चों की फीस जमा करा दी। ('ग़रीब' विशेषण की विशेषता)

वाक्य – (i) का 'बेचारी' पद 'वह' सर्वनाम की विशेषता बता रहा है तथा वाक्य – (ii) का 'तीनों' पद 'ग़रीब' विशेषण पद की विशेषता बता रहा है। 'विशेषण' शब्दों की विशेषता बताने वाले विशेषणों को 'प्रविशेषण' कहते हैं। वस्तुतः विशेषणों के पहले जितने भी विशेषण लगते हैं वे सब 'प्रविशेषण' कहलाते हैं, क्योंकि वे अपने आगे वाले विशेषण की विशेषता बताते हैं।

**विशेषण की परिभाषा :** जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के गुण, संख्या या परिमाण / मात्रा आदि से सम्बन्धित विशेषता की सूचना देते हैं, 'विशेषण' कहलाते हैं।

### 3.3.04.2. विशेषण के भेद : परम्परा के आधार पर

परम्परागत रूप में विशेषणों के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं –

#### 1. गुणवाचक विशेषण (Qalitative Adjectives) –

जो विशेषण अपने विशेष्य के गुण-दोष, रूप-रंग, आकार-प्रकार, स्वभाव, दशा, स्थिति, अवस्था आदि की सूचना देते हैं, 'गुणवाचक विशेषण' कहलाते हैं। संज्ञा (विशेष्य) पर 'कैसा / कैसी / कैसे' शब्दों से प्रश्न कीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर में जो विशेषण मिलेंगे वे 'गुणवाचक' विशेषण होंगे, जैसे – 'छोटा बच्चा' के 'बच्चा' संज्ञा पद पर प्रश्न किया जाए कि कैसा बच्चा ? तो उत्तर में प्राप्त 'छोटा' विशेषण 'गुणवाचक विशेषण' होगा। देखिए अन्य उदाहरण – **मोटी** रस्सी, **चौड़ा** रास्ता, **साँवली** लड़की, **पुराना** मन्दिर, **दरिद्र** ब्राह्मण, **फ़ीके** पकवान, **ग्रामीण** लोग, **कमज़ोर** बच्चे आदि।

#### 2. संख्यावाचक विशेषण ( Numeric Adjectives) –

वे विशेषण जो अपने विशेष्य की संख्या का बोध कराते हैं, 'संख्यावाची विशेषण' कहलाते हैं, जैसे – दस आदमी, दूसरी कक्षा, पहली मंजिल, प्रथम स्थान, सब लोग, कुछ लड़के, थोड़े मकान, दुगुनी कीमत, प्रत्येक

व्यक्ति, वार्षिक कार्यक्रम आदि। संख्यावाचक विशेषण, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं वे 'जातिवाचक संज्ञा' शब्द होते हैं तथा उनकी गिनती की जा सकती है। इनमें भी कुछ विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित संख्या की सूचना देते हैं तो कुछ अनिश्चित संख्या की। इसी आधार पर इनके दो उपभेद हो जाते हैं – 'निश्चित संख्यावाचक विशेषण' तथा 'अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण'। देखिए उदाहरण –

निश्चित संख्यावाचक विशेषण –

(i) इस घर में दस लोग रहते हैं।
(ii) वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है।

अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण –

(i) इस घर में कुछ लोग रहते हैं।
(ii) मेले में बहुत लोग थे।

### 3. परिमाणवाचक विशेषण ( Quantitative Adjectives):

'परिमाण' शब्द का अर्थ है 'मात्रा' (Quantity) जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा की सूचना देते हैं, 'परिमाणवाचक विशेषण' कहलाते हैं, जैसे – दस किलो आटा, पाँच लीटर दूध, थोड़ी चीनी, बहुत मिठाई, कुछ सामान, अधिक वज़न, कम खर्च, इतना खाना आदि। 'परिमाण' या 'मात्रा' किसी द्रव्य पदार्थ की ही बताई जा सकती है; अतः परिमाणवाचक विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं, वे 'द्रव्यवाचक संज्ञा' होते हैं।

संख्यावाचक विशेषणों की ही तरह परिमाणवाचक विशेषण भी अपने विशेष्य के निश्चित तथा अनिश्चित परिमाण की सूचना देते हैं। अतः इसी आधार पर इनके भी दो उपभेद हो जाते हैं – निश्चित परिमाणवाचक विशेषण तथा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए दोनों के उदाहरण –

निश्चित परिमाणवाचक विशेषण –

(i) माँ ने दो किलो आलू खरीदे।
(ii) एक किलो प्याज दीजिए।

अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण –

(i) मुझे थोड़े चावल चाहिए।
(ii) कल मैंने बहुत खाना खाया।

## 3.3.04.3. विशेषण के भेद : प्रकार्य के आधार पर

जैसा ऊपर बताया गया जब विशेषण के अलावा अन्य शब्द वाक्य में विशेषण का प्रकार्य करने लगते हैं तब वे विशेषण ही बन जाते हैं। ऐसे विशेषणों को प्रकार्यात्मक विशेषण कहा जा सकता है। हिन्दी में इस वर्ग में निम्नलिखित विशेषण आते हैं –

### 1. सार्वनामिक विशेषण –

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वाक्य में जब 'सर्वनाम' शब्द 'संज्ञा' की विशेषता बताने का प्रकार्य करने लगते हैं तब वे सर्वनाम नहीं कहे जाते, बल्कि उस सन्दर्भ में 'विशेषण' बन जाते हैं, जैसे 'मेरा', तेरा'। आपका', 'जिसका', 'उसका' आदि सर्वनाम शब्द हैं पर 'मेरा भाई', 'तेरा घर', 'आपका स्कूल' जैसे उदाहरणों में ये 'भाई', 'घर', 'स्कूल' संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं अतः इस सन्दर्भ में ये 'विशेषण' हैं। अतः ध्यान रखिए – जब सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य न कर, किसी संज्ञा की विशेषता बताने का प्रकार्य करने लगते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं।

### 2. नामिक विशेषण –

जिस तरह से सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बता सकते हैं उसी तरह से वाक्यों में प्रयुक्त होकर संज्ञा शब्द भी अन्य संज्ञाओं की विशेषता बता सकते है, जैसे – '**मोहन का** घर'। '**लोहे का** जहाज़'। '**लकड़ी का** पुल', '**काँच के** बर्तन' '**भिंडी की** सब्जी' आदि उदाहरणों में समस्त रेखांकित संज्ञा पद अपने अपने संज्ञा पदों की विशेषता बता रहे हैं; अतः ये यहाँ विशेषण हैं। आपने देखा था कि जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उनको 'सार्वनामिक विशेषण' कहा जाता है, उसी तरह जब 'नाम' या 'संज्ञा' शब्द किसी अन्य 'संज्ञा' की विशेषता बताता है तो उसे कहा जा सकता है। देखिए उदाहरण –

(i) **मीरा की** सहेली कल नहीं आई।
(ii) **लकड़ी का** पुल डूब गया।
(iii) मुझे **स्कूल की** यूनिफ़ॉर्म नहीं पहननी ।
(iv) **बीमारी का** इलाज कराओ।
(v) **बेईमानी की** आदत मत डालो।
(vi) **घोड़े जैसी** चाल किसी जानवर की नहीं है।

## 3.3.04.4. प्रविशेषण

यह तो आप जान ही गए हैं की विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, पर जो विशेषण किसी विशेषण शब्द की विशेषता बताता है, 'प्रविशेषण' कहलाता है, जैसे – 'वह बहुत परिश्रमी बालक है' वाक्य में 'परिश्रमी' शब्द 'बालक' संज्ञा की विशेषता बताने के कारण 'विशेषण' है किन्तु इसके पहले लगा हुआ 'बहुत' विशेषण 'परिश्रमी' विशेषण की विशेषता बता रहा है। व्याकरण ऐसे विशेषणों को जो किसी अन्य विशेषण की विशेषता बताते हैं 'प्रविशेषण' कहे जाते हैं। देखिए अन्य उदाहरण –

(i) वह **बहुत** बेईमान व्यक्ति है।
(ii) मुझे **कम** मीठी चाय पसंद है।

(iii) कक्षा में **लगभग** दस छात्र हैं।

### 3.3.04.5. उद्देश्य विशेषण तथा विधेय विशेषण

आपने अब तक विशेषणों के जितने भी प्रयोग देखे उनमें सभी विशेषण किसी न किसी संज्ञा या विशेष्य के पहले लगकर आते हैं, जैसे – लाल कमीज़, नीली साड़ी, पुराना घर, सुन्दर लड़की आदि। विशेष्य के पहले लगकर प्रयुक्त होने वाले विशेषण 'उद्देश्य विशेषण' (Attributive Adjective) कहलाते हैं। लेकिन वाक्यों में विशेषणों का प्रयोग दूसरे ढंग से भी किया जाता है, जैसे –

(i) आपकी साड़ी **सुन्दर** है।
(ii) वह बहुत **ईमानदार** है।
(iii) होटल **पुराना** है।
(iv) दुकानदार **भला** है।

इन वाक्यों में प्रयुक्त 'सुन्दर', 'ईमानदार', 'पुराना' तथा 'भला' विशेषणों का प्रयोग विशेष्य के पहले न होकर वाक्य के विधेय के स्थान पर क्रिया के पहले हुआ है। व्याकरण में ऐसे विशेषण 'विधेय विशेषण' (Predicative Adjective) कहलाते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि चाहे उद्देश्य विशेषण हो या विधेय विशेषण, उनके रूप अपनी-अपनी संज्ञाओं (विशेष्यों) के अनुरूप ही बदलते हैं; जैसे –

उद्देश्य विशेषण – काला घोड़ा, काली घोड़ी

विधेय विशेषण – घोड़ा काला है, घोड़ी काली है।

## 3.3.05. विकारी शब्द – क्रिया

### 3.3.05.1. क्रिया से तात्पर्य

निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित अंशों पर ध्यान दीजिए –

(i) बच्चे **खेल रहे हैं**।
(ii) बारिश **हो रही थी**।
(iii) बच्चा **पढ़ रहा था**।
(iv) धूप **निकल रही है**।
(v) मीरा एक डॉक्टर **है**।
(vi) किताब मेज़ पर **थी**।
(vii) वह बहुत पैसे वाला **है**।

(viii) वह बीमार **थी**।

ऊपर के (i) से (iv) तक के वाक्यों के रेखांकित अंशों से किसी-न-किसी 'गतिविधि' या 'कार्य-व्यापार' (Action) का पता चल रहा है तो वाक्य (v) से (viii) तक के वाक्यों के रेखांकित अंशों से किसी व्यक्ति या वस्तु की 'स्थिति' या 'अवस्था' का। व्याकरण में ये अंश 'क्रिया-पदबंध' के नाम से जाने जाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है की 'क्रिया' शब्द किसी कार्यकलाप की जानकारी या किसी व्यक्ति / वस्तु की स्थिति / अवस्था की सूचना देते है। अतः 'क्रिया', वे शब्द हैं जिनसे किसी घटना या कार्यकलाप (action) के होने या करने की सूचना मिलती है अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या अवस्था का पता चलता है। इसी आधार पर हर भाषा में हमें दो तरह की क्रियाएँ मिलती हैं –

**(क) कार्यकलाप बोधक क्रियाएँ (Action Verbs) –**

चलना, आना, जाना, खाना, पीना, लेना देना, करना, पढना, लिखना आदि क्रियाओं के मूल रूप को 'धातु' कहते हैं। क्रिया के 'धातु' रूप में 'ना' (Infinitive) जोड़कर क्रिया का मूल रूप बनाया जाता है तथा वाक्य में प्रयुक्त करते समय 'ना' का लोप कर दिया जाता है।

**(ख) अस्तित्ववाची क्रिया ( Existencial Verb) –**

जिस तरह अंग्रेजी में 'to be' अस्तित्ववाची क्रिया है उसी तरह हिन्दी में 'होना' 'अस्तित्ववाची 'क्रिया' है। इसके वर्तमानकाल के रूप हैं – 'है', 'हैं', 'हूँ', 'हों' आदि तथा भूतकाल के रूप हैं – 'था', थे', थी', 'थीं' आदि।

### 3.3.05.2. क्रिया पदबंध के घटक : मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया

प्रत्येक 'क्रिया पदबंध में दो अंश होते हैं– 'मुख्य क्रिया' तथा 'सहायक क्रिया'।

**(1) मुख्य क्रिया –**

क्रिया पदबंध का वह अंश है जो क्रिया के मुख्य अर्थ को बताता है जैसे – 'जाता है', 'जाएगा', 'जा चुका है', 'जा रहा है' आदि सभी क्रिया पदबंधों में 'जा' (जाना) अंश 'मुख्य क्रिया' का अंश है जो 'जाने' का अर्थ बता रहा है तथा 'जाना' क्रिया के सभी रूपों में समान रूप से आ रहा है। इसी अंश को 'धातु' कहा गया है। किसी एक क्रिया के विभिन्न रूपों में 'समान' रूप से आने वाला अंश 'धातु' है। 'सोना', 'पढ़ना', 'लिखना', देना', 'धोना' आदि क्रियाओं में 'मुख्य क्रिया' या 'धातु' का अंश है– 'सो', 'पढ़', 'लिख', 'दे', 'धो' तथा इसी अंश में सहायक क्रिया के प्रत्यय जुड़ते हैं और क्रिया पदबंध की रचना होती है।

### (2) सहायक क्रिया

क्रिया पदबंध में से मुख्य क्रिया को या धातु को अलग करने के बाद जो भी अंश शेष बचता है वह 'सहायक क्रिया' का अंश होता है। ऊपर के क्रिया पदबंधों में से 'जा' अंश को अलग करने के बाद बचे 'ता है', 'एगा', 'चुका है' तथा 'रहा है' अंश सहायक क्रिया के अंश हैं। ध्यान रखिए, 'सहायक क्रिया' कोई अलग से क्रिया का भेद नहीं है। वस्तुतः यह तो 'काल' (Tens), 'पक्ष' (Aspect), 'वृत्ति' (Mood), 'वाच्य' (Voice) आदि प्रत्ययों का समुच्चय है। इनके विषय में आप अगली इकाई में अध्ययन करेंगे।

## 3.3.05.3. हिन्दी क्रिया के प्रमुख भेद

हिन्दी में मुख्य रूप से दो तरह की क्रियाएँ मिलती हैं – 'मूल क्रियाएँ' (Basic Verbs) तथा 'व्युत्पन्न क्रियाएँ' (Derivd Verbs)। संरचना की दृष्टि से मूल क्रियाएँ 'सरल क्रियाएँ' (simple verbs) हैं, जैसे – खाना, पीना, गाना, बजाना, देना, लेना आदि। 'व्युत्पन्न क्रियाएँ' वे क्रियाएँ हैं जो मूल क्रियाओं में अन्य अंश जोड़कर व्युत्पन्न (derive) की जाती हैं, जैसे – 'चल देना', 'खा लेना', 'सो जाना', 'सुलाना', 'सुलवाना', 'भूख लगना' आदि।

### (1) मूल क्रियाएँ (Basic Verbs) –

अंग्रेजी में 'अकर्मक क्रिया' को 'Intrasitive Verb' तथा 'सकर्मक क्रिया' को 'Transitive Verb' कहते हैं। ये दोनों 'बेसिक क्रियाएँ' हैं तथा संसार की हर भाषा में पाई जाती हैं। क्रिया के ये दोनों भेद इस आधार पर किए गए हैं कि क्रिया 'कर्म' (Object) की अपेक्षा करती है या नहीं ? वाक्य में 'कर्म' उपस्थित है या नहीं, इस बात से क्रिया की 'अकर्मकता' या 'सकर्मकता' तय नहीं होती। अकर्मक होना या सकर्मक होना क्रिया के गुण हैं। क्रिया के इन गुणों का पता इस बात से नहीं चलता कि वाक्य में 'कर्म' उपस्थित है या नहीं बल्कि क्रिया पर 'क्या' तथा 'किसे' जैसे शब्दों से प्रश्न करने से चलता है। 'क्या' प्रश्न के उत्तर में क्रिया किसी 'वस्तु' या 'निर्जीव संज्ञा' (प्रत्यक्ष कर्म) की अपेक्षा करती है तथा 'किससे / किसे / किसको' आदि प्रश्नों के उत्तर में किसी 'व्यक्ति' या 'सजीव संज्ञा' (अप्रत्यक्ष कर्म) की अपेक्षा करती है। 'कर्म' ( प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) की अपेक्षा करने के कारण ही वह 'सकर्मक' कहलाती है तथा जो क्रिया 'कर्म' की अपेक्षा नहीं करती तो वह 'अकर्मक'।

#### (क) अकर्मक क्रिया (Intransitive verb) –

'अकर्मक' क्रिया वह क्रिया है जो वाक्य में 'कर्म' की अपेक्षा नहीं करती', जैसे – 'आना' 'जाना', .चलना', 'दौड़ना', 'सोना', 'हँसना', 'रोना', 'मुसकुराना' आदि। देखिए निम्नलिखित उदाहरण –

(i) बच्चे घर **गए**।

(ii) तुम क्यों **हँस रहे हो** ?

(iii) मैं रोज़ सुबह **दौड़ता हूँ**।

(iv) वह रात को दस बजे **सोती है**।

उपर्युक्त समस्त वाक्यों की क्रियाओं पर यदि 'क्या' से प्रश्न किया जाए तो इन क्रियाओं पर प्रश्न ही नहीं बनता। उदाहरण के लिए हम यह नहीं कह सकते कि 'क्या हँस रहे हो ? ऐसी क्रियाएँ 'अकर्मक' कहलाती हैं।

### (ख) सकर्मक क्रिया ( Transitive Verb) –

जो क्रिया 'कर्म' की अपेक्षा करती है वह 'सकर्मक' होती है, जैसे – 'खाना', पीना', 'देखना', 'करना', लेना', 'देना' आदि। वाक्य में कर्म उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी। देखिए उदाहरण –

(i) नीला खाना बना रही है, तुम कब बनाओगी ?

(ii) मैं फिल्म देख रहा हूँ, आओ तुम भी देखो।

(iii) सब लड़कियों ने गीत गाया था। तुमने क्यों नहीं गाया ?

(iv) मैंने अभी-अभी चाय पी थी, तुम भी पियोगे ?

**सकर्मक क्रिया के उपभेद –**

सकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं – एककर्मक तथा द्विकर्मक।

### (i) एककर्मक सकर्मक क्रिया –

जो सकर्मक क्रिया केवल एक ही 'कर्म' (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) की ही अपेक्षा करती है, एककर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे –

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | धोबी ने कपड़े धोए। | (क्या धोये ? | उत्तर – कपड़े (प्रत्यक्ष कर्म)) |
| (ii) | नौकर ने आज काम नहीं किया ? | (क्या नहीं किया ? | उत्तर – काम (प्रत्यक्ष कर्म)) |

### (ii) द्विकर्मक सकर्मक क्रिया –

वाक्य को पूरा करने के लिए कुछ सकर्मक क्रियाएँ दो-दो कर्मों की अपेक्षा करती हैं। एक 'प्रत्यक्ष कर्म' जिसका पता क्रिया पर 'क्या' शब्द से प्रश्न करने पर चलता है तथा दूसरा 'अप्रत्यक्ष कर्म' जिसका पता क्रिया पर 'किस / किसे' शब्दों से प्रश्न करने पर लगता है, जैसे – 'माँ बच्चे को मिठाई दे रही है।' इस वाक्य में 'मिठाई' प्रत्यक्ष कर्म है तथा 'बच्चा' अप्रत्यक्ष कर्म। यहाँ 'देना' क्रिया 'दो कर्मों' की अपेक्षा करने के कारण 'द्विकर्मक है। इस तरह ध्यान रखिए 'देना', लेना', 'बेचना', 'खरीदना' आदि 'द्विकर्मक क्रिया' हैं जो वाक्य को पूरा करने के लिए दो-दो कर्मों की अपेक्षा करती हैं। देखिए अन्य उदाहरण –

(i) मालिक ने नौकर को तनख्वाह दी।

(क्या दी ? उत्तर – तनख्वाह (प्रत्यक्ष कर्म))

(किसे ? उत्तर – नौकर को (अप्रत्यक्ष कर्म))

(ii) मैंने अपनी किताबें प्रवीण को बेच दी।

(क्या बेच दी ? उत्तर – किताबें (प्रत्यक्ष कर्म))

(किसे ? उत्तर – प्रवीण को (अप्रत्यक्ष कर्म))

## (2) व्युत्पन्न क्रियाएँ (Derived Verbs) :

इस वर्ग में वे सभी क्रियाएँ आती हैं जो मूल क्रियाओं से व्युत्पन्न (derive) की गई हैं। इस वर्ग की प्रमुख क्रियाएँ इस प्रकार हैं – संयुक्त क्रिया, सामासिक क्रिया, मिश्र क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया तथा व्युत्पन्न अकर्मक क्रिया। इनके अतिरिक्त एक क्रिया और है जिसका हिन्दी में विकास संस्कृत के प्रभाव से हुआ है; इसका नाम है – 'नामिक क्रिया'।

### 1. संयुक्त क्रिया (Compound Verb) –

जैसा कि नाम से स्पष्ट है 'संयुक्त क्रिया' की रचना दो मूल क्रियाओं (अकर्मक / सकर्मक) के संयोग से होती है, जैसे – 'आ जाना', 'कर लेना', 'सो जाना', 'देख लेना', 'भेज देना', 'उठ जाना', 'धो देना', 'बुला लेना', 'मार डालना' आदि। संयुक्त क्रिया की पहली क्रिया ही क्रिया के मुख्य अर्थ को बताती है जबकि दूसरी क्रिया अपना अर्थ पूरी तरह से छोड़ देती है, जैसे 'आ जाना' क्रिया का मोटा-मोटा अर्थ 'आना' है, इसी तरह से 'कर लेना' का मोटा-मोटा अर्थ 'करना' है जिसका पता पहली क्रिया 'आ' तथा 'कर' से लग रहा है। दूसरी क्रियाएँ 'जाना' तथा 'लेना' अपना अर्थ पूरी तरह छोड़ चुकी हैं क्योंकि 'आ जाना' का अर्थ यह नहीं है कि कोई पहले आया और फिर चला गया। संयुक्त क्रिया की पहली क्रिया को 'प्रधान क्रिया' (Main Verb) कहा जाता है। संयुक्त क्रिया की दूसरी क्रिया अपना अर्थ तो छोड़ देती है पर पहली क्रिया के अर्थ में रंग भरने का काम करती है जिससे एक ही 'प्रधान क्रिया' से बनी संयुक्त क्रियाओं के अर्थ में सूक्ष्म अन्तर आ जाता है, जैसे –

(i) मेहमान आ गए। (आना + जाना)

(ii) मेहमान आ टपके। (आना + टपकना)

(iii) मेहमान आ धमके। (आना + धमकना)

(iv) मेरे घर मेहमान आ मरे। (आना + मरना)

वाक्य – (i) से वाक्य – (iv) तक के सभी वाक्यों में 'संयुक्त क्रिया' का प्रयोग हुआ है तथा सभी संयुक्त क्रियाओं की प्रधान क्रिया 'आना' है और सभी का मोटा-मोटा अर्थ 'आना' ही है। अंग्रेजी में इन सबका अनुवाद होगा – 'The guest came.' क्योंकि अंग्रेजी में 'संयुक्त क्रिया' नहीं होती। पर हिन्दी भाषा-भाषी

जानता है कि इन सभी संयुक्तक्रियाओं के अर्थ में थोड़ा-थोड़ा अन्तर है। 'आ गए' में पहुँच जाने की निश्चितता का भाव है, 'आ टपके' में 'अचानक आ जाने का भाव है', 'आ धमके' में 'होस्ट' का मेहमानों के प्रति 'अनिच्छा का भाव है' तथा 'आ मरे' में होस्ट की अनिच्छा का क्लाइमेक्स पर होने का भाव है। प्रश्न उठता है कि प्रधान क्रिया 'आना' तो सभी संयुक्त क्रियाओं में समान अर्थ दे रही है तब अर्थ के ये सूक्ष्म अन्तर कहाँ से आए ? वस्तुतः संयुक्त क्रिया की दूसरी क्रिया ही पहली क्रिया के अर्थ में रंग भरकर अर्थ के ये अन्तर ला रही है। 'रंग भरने के लिए' संस्कृत में एक शब्द है – 'रंजन करना'। चूँकि संयुक्त क्रिया की दूसरी क्रिया पहली 'प्रधान क्रिया' के अर्थ में 'रंजन करने' का कार्य करती है अतः इसे 'रंजक क्रिया' कहा जाता है। इस प्रकार संयुक्त क्रिया में दो अंश होते हैं – प्रधान क्रिया तथा रंजक क्रिया। देखिए संयुक्त क्रिया के प्रयोग के अन्य उदाहरण–

(i) गाड़ी **चल दी**।
- (i) (क) गाड़ी **चल निकली**।
- (i) (ख) गाड़ी **चल पड़ी**।
- (i) (ग) गाड़ी **चल गई**।

(ii) नौकर काम **कर गया**।
- (ii) (क) नौकर ने काम **कर दिया**।
- (ii) (ख) नौकर ने काम **कर लिया**।

(iii) वह हँस **निकली**।
- (iii) (क) वह **हँस पड़ी**।
- (iii) (ख) वह **हँस दी**।

## 2. सामासिक क्रिया (Contractional Verb) –

जैसा कि नाम से स्पष्ट है 'सामासिक क्रिया' की रचना भी दो मूल क्रियाओं के योग से होती है तथा दोनों क्रियाएँ समास (द्वन्द्व समास) के आधार पर मिलती हैं, जैसे – चलना-फिरना, आना-जाना, उठना-बैठना, देखना-भालना, लेना-देना, करना-कराना, देखना-दिखाना, सोना-सुलाना आदि। संयुक्त क्रिया से भिन्न यहाँ दोनों क्रियाएँ अपना-अपना अर्थ बनाये रखती हैं, जैसे 'वह पढ़-लिख सकती है' वाक्य की सामासिक क्रिया का अर्थ है कि वह पढ़ भी सकती है और लिख भी सकती है। देखिए अन्य उदाहरण –

(i) अब वह उठ-बैठ सकती है। (अर्थात् उठ भी सकती है तथा बैठ भी सकती है)

(ii) चल-फिर नहीं सकता। (न चल सकता है और न फिर सकता है)

(iii) खा-पी लिया, अब यहाँ से खिसको। (खा भी लिया और पी भी लिया)

(iv) वह मेरे यहाँ नहीं आती-जाती। (न आती है और न जाती है)

### 3. मिश्र क्रिया (Complex Verb) –

'मिश्र क्रिया' की रचना मूल क्रिया में 'संज्ञा', 'सर्वनाम, 'विशेषण' या क्रियाविशेषण जोड़कर की जाती है। अर्थात् 'मिश्र क्रिया' का पहला अंश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रियाविशेषण होता है तथा दूसरा अंश 'मूल क्रिया' (अकर्मक या सकर्मक), जैसे –

(i) संज्ञा + क्रिया = भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, स्मरण करना, रिश्वत लेना, दान देना
(ii) सर्वनाम + क्रिया = अपना लगना, पराया लगना
(iii) विशेषण + क्रिया = अच्छा लगना, बुरा लगना, प्यारा लगना, सुन्दर लगना / दिखाना, गर्म करना / लगना आदि।
(iv) क्रियाविशेषण + क्रिया = भीतर करना, बाहर करना, अंदर करना आदि।

### 4. प्रेरणार्थक क्रिया (Causative Verb) –

प्रेरणार्थक क्रिया' वह क्रिया है जिसमें एक से अधिक 'कार्यकलाप (Actions) होते हैं। इसको समझने के लिए 'उड़ाना' क्रिया के निम्नलिखित दो प्रयोग देखिए –

(i) बच्चा पतंग उड़ाता है।
(ii) बच्चा चिड़िया उड़ाता है।

वाक्य – (i) की 'उड़ाना' क्रिया 'सकर्मक क्रिया' है, क्योंकि 'पतंग' उसका 'प्रत्यक्ष कर्म' है परन्तु वाक्य – (ii) में 'चिड़िया' कर्म नहीं है। हम जानते हैं कि बच्चा पतंग को तो धागे में बाँधकर उड़ा रहा है पर दूसरे वाक्य का अर्थ है कि बच्चा कुछ ऐसा कर रहा है (शोर मचाना, पत्थर मारना आदि) जिससे चिड़िया स्वयं उड़ रही है। इसे दूसरे शब्दों में इस तरह कह सकते हैं कि बच्चा चिड़िया को उड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप चिड़िया स्वयं उड़ रही है।

वास्तव में वाक्य – (ii) दो वाक्यों से मिलकर बना है – 'बच्चा चिड़िया को उड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है' तथा 'चिड़िया उड़ रही है'।

अतः प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें एक से अधिक 'एक्शन' समाहित रहते हैं तथा प्रेरणार्थक क्रिया वाले वाक्यों में पहले कोई एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को प्रेरित करती है तब दूसरी संज्ञा उस कार्य को स्वयं सम्पन्न करती है।

हिन्दी में दो तरह की प्रेरणार्थक क्रियाएँ मिलती हैं – 'प्रथम प्रेरणार्थक' तथा 'द्वितीय प्रेरणार्थक'। 'मूल क्रिया के मध्य में 'आ' प्रत्यय जोड़कर 'प्रथम प्रेरणार्थक' तथा 'वा' जोड़कर 'द्वितीय प्रेरणार्थक' क्रिया बनाई

जाती हैं, जैसे – 'चलना' क्रिया से 'चलाना' प्रथम प्रेरणार्थक है तथा 'चलवाना' द्वितीय प्रेरणार्थक। देखिए दोनों के अन्य उदाहरण –

| **प्रथम प्रेरणार्थक** | **द्वितीय प्रेरणार्थक** |
|---|---|
| (i) माँ बच्चे को चलाती है। | (i) (क) माँ नौकर से बच्चे को चलवाती है। |
| (ii) मीरा बच्चे को खाना खिलाती है। | (ii) (क) मीरा आया से बच्चे को खाना खिलवाती है। |
| (iii) मैंने मोहन को फिल्म दिखाई। | (iii) (क) मैंने रमेश से मोहन को फिल्म दिखलवाई। |

### 5. व्युत्पन्न अकर्मक क्रिया (Derived Intransitive verb) –

जिस तरह अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं से प्रेरणार्थक क्रियाएँ व्युत्पन्न की जाती हैं उसी तरह सकर्मक क्रियाओं से 'व्युत्पन्न अकर्मक क्रियाएँ' भी व्युत्पन्न की जाती हैं; जैसे – चलाना=> चलना, उड़ाना => उड़ना, काटना => काटना आदि। रूप रचना के स्तर पर व्युत्पन्न अकर्मक तथा अकर्मक क्रियाएँ समान होती हैं किन्तु प्रयोग के स्तर पर दोनों के प्रकार्य भिन्न हो जाते हैं। अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में जहाँ लौकिक कर्त्ता विद्यमान रहता है वहीं, व्युत्पन्न अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में लौकिक कर्त्ता का लोप कर दिया जाता है। दोनों के अन्तर को समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों की संरचना पर ध्यान दीजिए –

| **अकर्मक क्रिया वाले वाक्य** | **व्युत्पन्न अकर्मक क्रिया वाले वाक्य** |
|---|---|
| (i) लड़की चल रही है। | (i) (क) मशीन चल रही है। |
| (ii) चिड़िया उड़ रही है। | (ii) (क) पतंग उड़ रही है। |

इन उदाहरणों में वाक्य – (i) तथा वाक्य – (ii) में प्रयुक्त क्रियाएँ अकर्मक हैं किन्तु वाक्य – (i) (क) तथा वाक्य (ii) (क) की क्रियाएँ देखने में तो अकर्मक क्रियाओं के समान हैं पर ये अकर्मक नहीं हैं क्योंकि 'मशीन' और 'पतंग' इनके 'लौकिक कर्त्ता' नहीं हो सकते। हम जानते हैं कि मशीन स्वयं नहीं चल सकती और पतंग स्वयं नहीं उड़ सकती। वस्तुतः 'मशीन' और 'पतंग' संज्ञाएँ 'चलाना' तथा 'उड़ाना' क्रिया की 'कर्म' हैं, जैसे –

(i) लड़की मशीन चला रही है।
(ii) लड़का पतंग उड़ा रहा है।

वस्तुतः वाक्य (i) (क) तथा (ii) (क) में लौकिक कर्त्ता का लोप कर दिया गया है तथा 'मशीन' और 'पतंग' व्याकरणिक कर्त्ता का प्रकार्य कर रहे हैं क्योंकि क्रिया उन्हीं के अनुसार बदल रही है। इन वाक्यों की 'चलना' तथा 'उड़ना' क्रियाएँ 'व्युत्पन्न अकर्मक' क्रिया के उदाहरण हैं। व्युत्पन्न अकर्मक क्रियाओं के अन्य उदाहरण देखिए –

(i) हवा चल रही है।
(ii) बारिश हो रही है।
(iii) गिलास टूट गया।
(iv) दरवाज़ा खुल गया।

### 6. नामिक क्रिया –

हिन्दी में नामिक क्रिया का विकास संस्कृत के प्रभाव से हुआ है। संस्कृत के वैयाकरणों ने 'संज्ञा', 'सर्वनाम' तथा 'विशेषणों' तीनों को 'नाम' कहा था। आधुनिक भाषा विज्ञान भी इसी बात को मानता है कि भाषा के आन्तरिक धरातल पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण तीनों एक ही हैं। संस्कृत में 'नाम' अर्थात् संज्ञा, सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय जोड़कर अनेक क्रिया शब्द बनाए जाते थे तथा ऐसी क्रियाओं को 'नामिक क्रिया' कहा जाता था। 'नाम' को ही इन क्रियाओं की 'धातु' माना जाता था (नाम धातु)। यह परम्परा हिन्दी में भी आ गई पर कम हो गई क्योंकि हिन्दी प्रत्यय प्रधान भाषा नहीं है। हिन्दी में कुछ गिनी-चुनी 'नामिक क्रियाएँ' ही मिलती हैं। देखिए कुछ उदाहरण – ललचाना, गपियाना, झुठलाना, शरमाना, टकराना (संज्ञा + प्रत्यय से), अपनाना (सर्वनाम + प्रत्यय से) तथा गरमाना, लँगड़ाना, सठियाना (विशेषण+प्रत्यय से)।

## 3.3.05.4. अनुकरणात्मक क्रिया

हिन्दी में कुछ क्रियाएँ ऐसी धातुओं से बनती हैं जिनकी रचना अनुकरणात्मक शब्दों की भाँति अनुकरण के आधार पर होती है तथा ये द्वित्व रूप में प्रयुक्त होती हैं; जैसे – सन-सन => सनसनाना, भन-भन => भनभनाना, थर-थर => थरथराना, चीं-चीं =>चिचियाना, खट-खट => खटखटाना, हिन-हिन => हिनहिनाना, भिन-भिन => भिनभिनाना, थप-थप=>थपथपाना, बड़-बड़ => बड़बड़ना, लप-लप => लपलपाना आदि। देखिए इन क्रियाओं के कुछ प्रयोग –

(i) चिड़ियाँ क्यों चिचिया रही हैं?
(ii) युद्ध में घोड़े हिनहिना रहे थे।
(iii) खाने पर मखियाँ भिनभिना रही थीं।
(iv) वह हमेशा बड़बड़ाता रहता है।

### 3.3.05.5. समापिका तथा असमापिका क्रिया

**समापिका क्रिया –**

ऊपर जिन क्रियाओं की चर्चा की गई वे सब समापिका क्रियाएँ थीं क्योंकि वाक्य इन क्रियाओं पर समाप्त हो जाता है। हिन्दी में ये वाक्य के अन्त में आती हैं। चूँकि वाक्य इन क्रियाओं पर आकर समाप्त होता है अतः ये समापिका क्रियाएँ कहलाती हैं।

**असमापिका क्रिया –**

हिन्दी में समापिका क्रियाओं से ऐसे अनेक शब्द व्यत्पन्न किए जाते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होकर अलग-अलग प्रकार्य करते हैं। क्रिया से बने ऐसे रूपों को 'असमापिका क्रिया' कहा जाता है। वस्तुतः ये क्रिया का प्रकार्य न कर संज्ञा, विशेषण, क्रियाविशेषण आदि का प्रकार्य करती हैं। संस्कृत में इनको 'कृदन्त' कहा गया था। देखिए निम्नलिखित उदाहरण –

(i) प्रातः **टहलना** (संज्ञा) चाहिए।
(ii) आपके **लिखे** (विशेषण) पत्र खो गए।
(iii) बच्चा **दौड़कर** (क्रियाविशेषण) आया।

इन सभी वाक्यों के रेखांकित पद वाक्य के अन्त में नहीं आ रहे।

## 3.3.06. अविकारी शब्द – क्रियाविशेषण, सम्बन्धबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक, निपात

### 3.3.06.1. क्रियाविशेषण

जिस तरह 'विशेषण' शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उसी तरह 'क्रिया' की विशेषता बताने वाले शब्द 'क्रियाविशेषण' कहे जाते हैं। देखिए दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्द–

(i) **जोर से** चिल्लाओ।
(ii) मेरे घर **आज** कोई आने वाला है।
(iii) वह **उधर** क्यों खड़ी है ?
(iv) उसने **बहुत** खाया।

ऊपर के वाक्यों में आए 'जोर से', 'आज', 'उधर' तथा 'बहुत' पद अपनी अपनी क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने के कारण ये शब्द 'क्रियाविशेषण' कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता पाँच तरह से बतायी जा सकती है – क्रिया के घटित होने का स्थान बताकर, क्रिया के घटित होने का समय बताकर,

क्रिया के घटित होने का तरीका या रीति बताकर, क्रियाओं के घटित होने की मात्र या परिमाण बताकर तथा क्रिया के घटित होने का कारण बताकर। इन्हीं आधारों पर 'क्रिया विशेषणों के निम्नलिखित भेद सामने आते हैं –

i. **स्थानवाची क्रियाविशेषण –**

जिन क्रियाविशेषण शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया कहाँ या किस स्थान पर घटित हुई, वे क्रियाविशेषण शब्द 'स्थानवाची क्रियाविशेषण' कहलाते हैं, जैसे – यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, इधर, उधर, बाहर, भीतर, दूर, पास, निकट आदि।

ii. **कालवाची क्रियाविशेषण –**

जिन क्रियाविशेषण शब्दों से क्रिया के घटित होने के समय के बारे में सूचना मिलती है वे शब्द कालवाचक क्रियाविशेषण कहलाते हैं, जैसे – सुबह, शाम, अक्सर, दिनभर, हमेशा, आज, कल, रोज़, प्रतिदिन, अभी, नित्य, प्रतिदिन आदि।

iii. **रीतिवाची क्रियाविशेषण –**

जिन क्रियाविशेषण शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया किस तरह से या किस रीति से घटित हुई है वे 'रीतिवाचक क्रियाविशेषण' शब्द कहलाते हैं, जैसे – धीरे, जल्दी, तेजी से, अचानक, धीमे, अचानक, जल्दी, ठीक से, अपने आप, आदि।

iv. **परिमाणवाची क्रियाविशेषण –**

जिन क्रियाविशेषण शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया किस मात्रा में घटित हुई है वे शब्द 'परिमाणवाची क्रियाविशेषण' शब्द कहे जाते हैं, जैसे – कम, ज्यादा, अधिक, खूब, जितना, उतना, थोड़ा, आदि।

### 3.3.06.2. सम्बन्धबोधक

'सम्बन्धबोधक' वे अविकारी शब्द हैं जो संज्ञा / सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा / सर्वनामों के साथ सम्बन्ध का बोध कराते हैं। इन्हें 'परसर्ग' भी कहा जाता है। देखिए निम्नलिखित उदाहरण –

(i) बच्चे माँ के साथ बाज़ार गए हैं।
(ii) मेरे घर के सामने मन्दिर है।
(iii) वह घर के भीतर छुपा हुआ है।
(iv) पार्क के चारों ओर लोग खड़े हैं।
(v) आप के अलावा मेरा कोई नहीं है।
(vi) उस लड़के की तरफ देखिए।

ऊपर के वाक्यों के रेखांकित पद 'के साथ', 'के सामने', 'के भीतर', 'के चारों ओर', 'के अलावा', 'की तरफ' ऐसे शब्द रूप हैं जो वाक्य में आए दो संज्ञा / सर्वनाम रूपों के मध्य सम्बन्ध स्थापित कर रहे हैं। इन्हें ही 'सम्बन्धबोधक अव्यय' कहा जाता है। सम्बन्धबोधक अव्ययों के कुछ और उदाहरण देखिए –

(i) से पहले, की ओर, की तरफ़
(ii) के बिना, के अलावा, के बग़ैर
(iii) के बदले, की जगह
(iv) के बारे में, के विषय में
(v) के साथ, के संग
(vi) से लेकर, से तक
(vii) के विपरीत, के अनुसार

इन उदाहरणों में 'से पहले', 'के भीतर', 'की ओर', आदि कुछ ऐसे सम्बन्धबोधक हैं जो क्रियाविशेषण की तरह काल, स्थान, दिशा आदि का बोध करते हैं, जैसे –

(i) बच्चा कमरे के भीतर सो रहा है।
(ii) बच्चा दरवाज़े के बाहर गिर गया।

ध्यान रखिए, 'का' परसर्ग को छोड़कर सभी सम्बन्धबोधक संज्ञा या सर्वनाम के साथ मिलकर क्रियाविशेषण का प्रकार्य करते हैं तथा क्रियाविशेषणों की ही भाँति ये भी क्रिया की शक्ति को सीमित करते हैं। 'क्रियाविशेषण' तथा 'सम्बन्धबोधक' में प्रमुख अन्तर यही है कि जहाँ क्रियाविशेषण क्रिया की विशेषता स्वतन्त्र रूप से बताते हैं वहीं सम्बन्धबोधक या परसर्ग यही कार्य किसी संज्ञा या सर्वनाम के सहयोग से करते हैं, जैसे –

(i) लड़की अन्दर है। (क्रियाविशेषण)
   (i) (क) लड़की घर के अन्दर है।
   (सम्बन्धबोधक 'के अन्दर,' संज्ञा 'घर' के साथ मिलकर क्रियाविशेषण का प्रकार्य)

(ii) बच्चा ऊपर गया. (क्रियाविशेषण)

   (ii) (क) बच्चा छत के ऊपर गया।
   (सम्बन्धबोधक 'के ऊपर,' संज्ञा 'छत' के साथ मिलकर क्रियाविशेषण का प्रकार्य)

परन्तु 'का' परसर्ग संज्ञा / सर्वनाम के साथ लगकर 'विशेषण' का प्रकार्य करते हैं, जैसे –

(i) शीला की बहन अमेरिका में रहती है।
(ii) मेरा भाई कल आएगा।

(iii) उसने सिल्क की साड़ी खरीदा।

अतः ध्यान रखिए जो सम्बन्धबोधक क्रियाविशेषण का प्रकार्य करते हैं उन्हें 'क्रियाविशेषणात्मक सम्बन्धबोधक' कहना अधिक उपयुक्त होगा।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि हिन्दी में सम्बन्धबोधक अव्ययों का प्रयोग तीन तरह से होता है –

(क) कारकीय चिह्न सहित, जैसे – के आगे, के पीछे, के मारे आदि।
(ख) कारकीय चिह्न रहित, जैसे – पर्यन्त (जीवनपर्यन्त), भर ( दिन भर) आदि।
(ग) कारकीय चिह्न सहित एवं रहित दोनों रूपों में, जैसे – द्वारा / के द्वारा, पार / के पार आदि।

### 3.3.06.3. समुच्चयबोधक

कुछ अविकारी शब्द दो पदों, दो पदबंधों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे अव्ययों को ही व्याकरण में 'योजक' या 'समुच्चयबोधक' अव्यय कहते हैं। समुच्चयबोधक अव्यय केवल जोड़ने का ही कार्य नहीं करते. जोड़ने के अलावा ये और भी कार्य करते हैं, जैसे –

(1) जोड़ने का कार्य – और, तथा, एवं

(i) मोहन और सोहन दोनों जाएँगे।
(ii) मैं चलूँगा और तुम भी चलोगे।

(2) विरोध दिखाने का कार्य – लेकिन, मगर, किन्तु, परन्तु

(i) वह आना चाहती थी लेकिन / मगर न आ पाई।
(ii) मैं चलूँगा किन्तु / परन्तु आपको भी आना होगा।

(3) कारण/परिणाम बताने का कार्य – अतः, इसलिए, क्योंकि, ताकि

(i) मेहनत नहीं की अतः / इसलिए फ़ेल हो गया।
(ii) मुझे कुछ रुपये चाहिए ताकि कर्ज़ चूका सकूँ।

(4) विकल्प बताने का कार्य – या, अथवा, चाहे, अन्यथा

(i) आप चाय लेंगे या कॉफ़ी ?
(ii) किराया दो अथवा मकान खाली कर दो।

**समुच्चयबोधक अव्ययों के भेद –**

समुच्चयबोधक अव्ययों के दो भेद किये जाते हैं – समानाधिकर समुच्चयबोधक तथा व्याधिकरण समुच्चयबोधक।

**(1) समानाधिकरण समुच्चयबोधक –**

वे योजक शब्द जो समान स्तर वाले अंशों को जोड़ते हैं, जैसे –

(1) जोड़ने का कार्य – और, तथा, एवं

(i) राम और भरत भाई-भाई थे।
(ii) तुम भी आना तथा अपनी बहन को भी लाना।

(2) विरोध प्रदर्शन – लेकिन, मगर, किन्तु, परन्तु, पर, बल्कि

(i) दौड़ो मगर ध्यान से।
(ii) वह काम तो करता है मगर / पर गलतियाँ बहुत करता है।

(3) विकल्प – या, अथवा, या-या, नहीं तो, अन्यथा, वरना

(i) देर तक पढ़ो वरना / अन्यथा पास नहीं हो पाओगे।
(ii) सामान वापस करो या जेल जाओ।

(4) परिणाम प्रदर्शन – इसलिए, अतः, फलतः, नहीं तो, अन्यथा

(i) परिश्रम नहीं किया अतः पास न हो सका।
(ii) ब्लेक-मनी था इसलिए लुटा रहा है।

**(2) व्याधिकरण समुच्चयबोधक –**

वे योजक जिनमें एक अंश मुख्य होता है और दूसरा गौण या जो मिश्र वाक्यों के आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्यों से जोड़ने का काम करते हैं, 'व्याधिकरण समुच्चयबोधक' अव्यय कहलाते हैं। इनके भेद इस प्रकार हैं –

(1) हेतुबोधक – क्योंकि, चूँकि, इसलिए, इस कारण

(i) बारिश तेज़ थी इसलिए न आ सका।

(ii) चूँकि आज बहुत भीड़ है, हम लोग कल चलेंगे।

(2) संकेतबोधक – यद्यपि ... तथापि / तो भी, यदि ... तो, चाहे ... तो

(i) यदि तुम चाहो तो मैं यह चल सकता हूँ।
(ii) यद्यपि वह बीमार है तो भी इतना काम करती है।

(3) स्वरूपबोधक – अर्थात्, मानों, यानी, यहाँ तक

(i) नोट बंदी यानी बेईमानों का खात्मा।
(ii) ऐसा लगा मानों धरती हिल गई हो।

(4) उद्देश्यबोधक – ताकि, जिससे, कि

(i) मेहनत करो जिससे पास हो सको
(ii) दिन-रात एक कर दो ताकि कक्षा में प्रथम आ सको।

## 3.3.06.4. विस्मयादिबोधक

'विस्मय' शब्द का अर्थ होता है 'आश्चर्य'। ये अव्यय शब्द विस्मय आदि अनेक भावों को व्यक्त करते हैं। वस्तुतः विस्मयादिबोधक शब्द वे अविकारी शब्द हैं जो विस्मय, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, दुःख, पीड़ा आदि मनोभावों का बोध कराते हैं; जैसे – 'ओह','अरे', 'हाय', 'उफ़' आदि। ये शब्द किसी विशिष्ट अर्थ की सूचना तो नहीं देते पर किसी विशिष्ट परिस्थिति में अचानक मुँह से निकल जाते हैं। नीचे विभिन्न मनोभावों को व्यक्त करने वाले विस्मयादि शब्दों के उदाहरण दिए जा रहे हैं –

| | | |
|---|---|---|
| (1) विस्मय / आश्चर्य | : | ओह !, अहो !, अरे !, हैं !, क्या !, ऐं ! आदि। |
| (2) हर्ष / उल्लास | : | वाह !, ओह !, क्या ख़ूब !, बहुत अच्छा !, लाजबाब ! आदि। |
| (3) शोक / पीड़ा / ग्लानि | : | उफ़ !, हाय !, ओह माँ !, हाय राम ! आदि। |
| (4) तिरस्कार / घृणा | : | छिः ... छिः !, धिक् !, हट ! आदि। |
| (5) प्रशंसा | : | शाबाश !, सुन्दर !, बहुत ख़ूब ! आदि। |
| (6) चेतावनी | : | सावधान !, बच के !, हटो !, हट के ! आदि। |
| (7) स्वीकृति / सहमति | : | अच्छा !, बहुत अच्छा !, ठीक ! आदि। |
| (8) सम्बोधन / आह्वान | : | हे !, अजी ! आदि। |
| (9) सम्वेदना | : | हाय !, राम-राम !, तौबा-तौबा ! आदि। |

### 3.3.06.5. निपात

कुछ अविकारी शब्द वाक्य में किसी पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल ला देते हैं। इन्हें 'निपात' कहा जाता है। विशेष प्रकार का बल या अवधारणा देने के कारण इनको 'अवधारक' शब्द भी कहा जाता है। हिन्दी के प्रमुख निपात इस प्रकार हैं–

(1) ही –
  i. आपको ही मेरे साथ चलना होगा।
  ii. वह उस लड़की के ही पीछे क्यों पड़ा है ?

(2) भी –
  i. आप भी मेरे साथ चलिए।
  ii. कभी आप मेरे साथ भी चलिए।

(3) तक –
  i. तुमने मुझे सूचना तक नहीं दी।
  ii. तुमने मुझ तक को सूचना नहीं दी।

(4) तो –
  i. तुम तो चलो मेरे साथ।
  ii. तुम चलो तो मेरे साथ।

(5) मात्र –
  i. शिक्षा मात्र से ही कुछ नहीं होता।
  ii. नौकरी मात्र ही मेरे लिए काफा नहीं है।

(6) भर –
  i. मैंने उसे देखा भर था, बात नहीं की।
  ii. मैं उसे जानता भर हूँ, दोस्ती नहीं है।

### 3.3.07. पाठ-सार

प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य था आपको विकारी तथा अविकारी शब्दों से परिचित कराना। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विकारी तथा अविकारी शब्दों की संकल्पना स्पष्ट की गई तथा आपको संक्षेप में दोनों शब्द वर्गों में आने वाले विभिन्न भेद-प्रभेदों से परिचित कराया गया। विकारी शब्दों के अन्तर्गत आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के विभिन्न भेदों से परिचय प्राप्त किया। साथ ही विभिन्न शब्द रूपों के परम्परागत भेदों तथा प्रकार्यात्मक भेदों का भी परिचय प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त अविकारी शब्द वर्ग के अन्तर्गत आने वाले शब्दों क्रियाविशेषण, सम्बन्धबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक तथा निपात की संकल्पनाओं को समझा तथा उनके भेद-प्रभेदों की सोदाहरण विस्तृत जानकारी आपने प्राप्त की।

## 3.3.08. बोध प्रश्न

**बहुविकल्पीय प्रश्न**

रेखांकित विशेषणों के सही भेद का चयन विकल्पों में से कीजिए –

1. जापानी लोग बहुत विनम्र होते हैं।

(क) गुणवाचक विशेषण
(ख) परिमाणवाचक विशेषण
(ग) नामिक विशेषण
(घ) तीनों ग़लत

2. मेरी कक्षा में चालीस विद्यार्थी हैं।

(क) संख्यावाचक विशेषण
(ख) परिमाणवाचक विशेषण
(ग) नामिक विशेषण
(घ) गुणवाचक विशेषण

3. मीरा ने सोने के कंगन खरीदे।

(क) गुण वाचक विशेषण
(ख) सार्वनामिक विशेषण
(ग) नामिक विशेषण
(घ) परिमाणवाचक विशेषण

4. कल वाम मुझे अपने घर ले गई थी।

(क) संख्यावाचक विशेषण
(ख) सार्वनामिक विशेषण
(ग) नामिक विशेषण
(घ) परिमाणवाचक विशेषण

5. मेरे लिए भी बाज़ार से कुछ सामान ले आना।

(क) गुणवाचक विशेषण
(ख) सार्वनामिक विशेषण
(ग) नामिक विशेषण
(घ) परिमाणवाचक विशेषण

वाक्यों की रेखांकित क्रियाओं के सही भेद का चयन विकल्पों में से कीजिए –

1. मेरा बेटा केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ता है।

(क) सकर्मक क्रिया

(ख) व्युत्पन्नअकर्मक क्रिया

(ग) अकर्मक क्रिया

(घ) प्रेरणार्थक क्रिया

2. माँ ने बच्चों के मिठाई बाँटी।

(क) अकर्मक क्रिया

(ख) एककर्मक क्रिया

(ग) द्विर्मक क्रिया

(घ) प्रेरणार्थक क्रिया

3. बच्चा चिड़िया उड़ा रहा है।

(क) सकर्मक क्रिया

(ख) अकर्मक क्रिया

(ग) द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया

(घ) प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया

4. आज वह सुबह से गप मार रही है।

(क) सकर्मक क्रिया

(ख) अकर्मक क्रिया

(ग) मिश्र क्रिया

(घ) संयुक्त क्रिया

5. आकाश में पतंगें उड़ रही हैं।

(क) सकर्मक क्रिया

(ख) व्युत्पन्न अकर्मक क्रिया

(ग) मिश्र क्रिया

(घ) अकर्मक क्रिया

**लघु उत्तरीय प्रश्न**

1. निम्नलिखित वाक्यों से सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण छाँटकर लिखिए –

(i) वह विदेश से वापस आ गई है।

(ii) यह पुस्तक मोहन की है।

(iii) वे लोग अब यहाँ नहीं रहते।

(iv) मेरी बहन लंदन में रहती है।

(v) ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में कोई खड़ा है।

(vi) आपसे मिलने कोई लड़का आया है।

2. अविकारी शब्दों द्वारा वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

(i) वह विद्यालय में ........ आया।

(ii) बच्चा चाँद ........ देख रहा था।

(iii) पेट्रोल के ......... गाड़ी नहीं चल सकती थी।

(iv) पुलिस चोरों ....... पीछे लगी है।

(v) ........ उसके भाग्य में यही लिखा था।

(vi) आपको ..... मेरा काम करना होगा।

3. निम्नलिखित में अन्तर स्पष्ट कीजिए –

(i) द्रव्यवाचक संज्ञा एवं समूहवाचक संज्ञा

(ii) सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण

(iii) अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया

(iv) सम्बन्धबोधक तथा समुच्चयबोधक

**दीर्घ उत्तरीय प्रश्न**

1. लगभग 100-150 शब्दों में टिप्पणी लिखिए –

(i) क्रियाविशेषण

(ii) निपात

(iii) संयुक्त क्रिया

2. क्रिया से क्या तात्पर्य है ? हिन्दी में कितने प्रकार की क्रियाएँ पाई जाती हैं ? समस्त क्रिया-भेदों को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।

3. प्रकार्य के आधार पर विशेषणों के समस्त भेदों को उदाहरण देकर समझाइए।

### 3.3.09. कठिन शब्दावली

प्रस्तुत पाठ में आपको निम्नलिखित कठिन शब्दों की जानकारी मिली –

पुनरुक्ति, विशेष्य, नामिक, सार्वनामिक, व्युत्पन्न, योजक

### 3.3.10. उपयोगी / सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

1. हिंदी संरचना, EHD–07, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्तविश्वविद्यालय प्रकाशन
2. भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, खण्ड – हिंदी संरचना, MHD–07, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय प्रकाशन
3. बृहत् हिंदी व्याकरण, 2014, गुप्त, रवि प्रकाश, अरु पब्लिकेशन्स प्रा. लि., नयी दिल्ली
4. हिंदी भाषा संरचना के विविध आयाम, 1995, श्रीवास्तव, रवीन्द्रनाथ, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली

**उपयोगी इंटरनेट स्रोत :**

1. http://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=18
2. http://www.hindisamay.com/
3. http://hindinest.com/
4. http://www.dli.ernet.in/
5. http://www.archive.org

❖❖❖

# खण्ड – 3 : हिन्दी की भाषा संरचना

## इकाई – 4 : भाषा संरचना की व्याकरणिक कोटियाँ : लिंग, वचन, कारक, काल, पक्ष, वृत्ति तथा वाच्य

**इकाई की रूपरेखा**


3.4.00. उद्देश्य कथन
3.4.01. प्रस्तावना
3.4.02. लिंग
  3.4.02.01. लिंग से तात्पर्य
  3.4.02.02. सेक्स तथा लिंग में अन्तर
  3.4.02.03. हिन्दी की लिंग व्यवस्था
  3.4.02.04. संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण
  3.4.02.05. हिन्दी में लिंग परिवर्तन के नियम
3.4.03. वचन
  3.4.03.01. वचन से तात्पर्य
  3.4.03.02. संख्या तथा वचन में अन्तर
  3.4.03.03. संज्ञा शब्दों का वचन निर्धारण
  3.4.03.04. हिन्दी में वचन परिवर्तन के नियम
  3.4.02.05. वचन परिवर्तन के उदाहरण
3.4.04. कारक
  3.4.04.01. कारक से तात्पर्य
  3.4.04.02. कारक, विभक्ति तथा परसर्ग
  3.4.04.03. कारक भेद-प्रभेद : परम्परागत आधार पर
  3.4.04.04. कारकों का वर्गीकरण : हिन्दी की प्रकृति की दृष्टि से
3.4.05. काल, पक्ष तथा वृत्ति
  3.4.05.01. काल से तात्पर्य
  3.4.05.02. काल के भेद
  3.4.05.03. पक्ष से तात्पर्य
  3.4.05.04. पक्ष के भेद
  3.4.05.05. वृत्ति से तात्पर्य
  3.4.05.06. वृत्ति के भेद
3.4.06. वाच्य
  3.4.06.01. वाच्य से तात्पर्य
  3.4.06.02. वाच्य के भेद
  3.4.06.03. वाच्य परिवर्तन के नियम
  3.4.06.04. वाच्य एवं प्रयोग
3.4.07. पाठ-सार

3.4.08. बोध प्रश्न
3.4.09. कठिन शब्दावली
3.4.10. उपयोगी / सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

## 3.4.00. उद्देश्य कथन

प्रस्तुत पाठ का अध्ययन करने के उपरान्त आप –

i. भाषा संरचना की विभिन्न व्याकरणिक कोटियों का परिचय प्राप्त कर सकेंगे।
ii. संज्ञा तथा क्रिया की व्याकरणिक कोटियाँ कौनसी हैं, यह बता सकेंगे।
iii. लिंग तथा सेक्स एवं संख्या और वचन केअन्तर को समझ सकेंगे।
iv. संज्ञा शब्दों का लिंग एवं वचन निर्धारण कैसे किया जाता है, यह स्पष्ट कर सकेंगे।
v. क्रिया की व्याकरणिक कोटियाँ कौन-कौन सी हैं, यह बता सकेंगे।
vi. काल, पक्ष, वृत्ति की संकल्पना और उनके भेद-प्रभेदों को समझ सकेंगे।
vii. वाच्य की संकल्पना को स्पष्ट कर सकेंगे।
viii. कर्तृवाच्य एवं अकर्तृवाच्य के अन्तर को समझ सकेंगे।
ix. वाच्य और प्रयोग के अन्तर को स्पष्ट कर सकेंगे।

## 3.4.01. प्रस्तावना

प्रस्तुत पाठ के अध्ययन के बाद आप संज्ञा तथा क्रिया पदों की व्याकरणिक कोटियों का परिचय प्राप्त करेंगे। आपको बताया जाएगा कि लिंग, वचन तथा कारक वे व्याकरणिक कोटियाँ हैं जिनके प्रभाव से संज्ञा शब्द विकृत होते हैं। भौतिक जगत् का 'सेक्स' तथा भाषिक जगत् का 'लिंग' दोनों एक नहीं हैं। हिन्दी के समस्त संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग शब्द हैं या स्त्रीलिंग । इसी तरह भौतिक जगत् की इकाई 'संख्या' तथा भाषिक जगत् की इकाई 'वचन' भी एक नहीं हैं। हिन्दी में वचन परिवर्तन कैसे करें यह भी इस पाठ में आपको बताया जाएगा। लिंग तथा वचन के अलावा संज्ञा को प्रभावित करने वाली तीसरी इकाई है – 'कारक'। प्रस्तुत पाठ में आप कारक की संकल्पना, उसके भेद-प्रभेद तथा हिन्दी में प्रयुक्त उसके विभिन्न चिह्नों से भी परिचित हो सकेंगे। जहाँ तक 'क्रिया' को प्रभावित करने वाली व्याकरणिक कोटियों का प्रश्न है, ये हैं – काल, पक्ष, वृत्ति तथा वाच्य। ये चारों मिलकर 'सहायक क्रिया' की रचना करते हैं। इस पाठ में आप को इन सभी के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। पाठ के अन्त में आप वाच्य एवं प्रयोग या अन्विति के अन्तर को भी समझ सकेंगे।

## 3.4.02. लिंग (GENDER)

### 3.4.02.01. लिंग से तात्पर्य

'लिंग' शब्द अंग्रेजी के 'जेंडर' (Gender) शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। 'लिंग' शब्द का सामान्य अर्थ है – 'चिह्न या पहचान का साधन'। जिस व्याकरणिक कोटि से यह पहचान हो या पता चले कि कोई संज्ञा शब्द पुरुषवर्ग का है अथवा स्त्रीवर्ग का, व्याकरण में उस कोटि को 'लिंग' कहते हैं। हर भाषा में उसकी प्रकृति के अनुसार लिंग होते हैं। संस्कृत में तीन लिंग थे– पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। अनेक भारतीय भाषाओं में भी तीन लिंग हैं। हिन्दी में दो ही लिंग हैं– 'पुल्लिंग' (Masculin Gender) तथा 'स्त्रीलिंग' (Feminine Gender)। इसका अर्थ है कि हिन्दी का प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग क्योंकि बिना लिंग से जुड़े वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता।

### 3.4.02.02. सेक्स तथा लिंग में अन्तर

प्रायः 'लिंग' के सम्बन्ध में यह आम धारणा है कि भौतिक जगत् में जिन संज्ञाओं का 'सेक्स' पुरुषवाची (Male) है, भाषा में आने पर वे 'पुल्लिंग शब्द' होंगे, जिनका 'सेक्स' स्त्रीवाची (Female) है वे भाषा में 'स्त्रीलिंग शब्द' होंगे तथा जो निर्जीव वस्तुएँ हैं भाषा में उनको व्यक्त करने वाले शब्द 'नपुंसकलिंग वाची' होंगे। परन्तु ऐसा होना अनिवार्य नहीं है। यह भाषा की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हर भाषा में 'लिंग' की संख्या समान हो। आप जानते ही हैं कि संस्कृत में तीन लिंग थे – पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग' पर हिन्दी में दो ही रह गए – पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। उदाहरण के लिए संस्कृत में 'woman' के लिए तीन अलग-अलग शब्द मिलते हैं – 'नारी', 'दारा' तथा 'कलत्रम्'। इनमें से 'नारी' स्त्रीलिंग शब्द है, 'दारा' पुल्लिंग शब्द है तथा 'कलत्रम्' नपुंसकलिंग शब्द है जबकि, 'सेक्स' के स्तर पर तीनों ही स्त्रीवाची (female) शब्द हैं। यह उदाहरण इस बात की ओर संकेत करता है कि भौतिक जगत् से सम्बन्ध रखने वाला 'सेक्स' तथा भाषिक जगत् से सम्बन्ध रखने वाला 'लिंग' (gender) एक नहीं हैं।

इस बात को समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि भाषा में जिसे 'लिंग' कहा जाता है वह है क्या ? वस्तुतः 'सेक्स' का सम्बन्ध भौतिक जगत् से है। भौतिक जगत् में विद्यमान प्रत्येक वस्तु की अपनी सत्ता (Physical Reality) होती है अतः भौतिक जगत् की वस्तुओं को हम 'भौतिक सत्य' (Physical Reality) कह सकते हैं। इसी 'भौतिक सत्य' को भाषाभाषी द्वारा भाषा में अभिव्यक्त किया जाता है। भौतिक सत्य के भाषा में अभिव्यक्त रूप को 'भाषिक सत्य' (Linguistic Reality) कह सकते हैं। इस तरह 'सेक्स' यदि भौतिक सत्य है तो 'लिंग' भाषिक सत्य।

'भौतिक सत्य' को भाषा में 'भाषिक सत्य' के रूप में अभिव्यक्त करने का कार्य मनुष्य के द्वारा किया जाता है। मनुष्य के पास कल्पनाशक्ति होती है। कभी तो वह किसी भौतिक सत्य को भाषा में यथावत रूप में व्यक्त कर देता है और कभी अपनी कल्पना से उसकी भाषिक प्रस्तुति में अन्तर कर देता है। उदाहरण के लिए

कभी तो भौतक जगत् की 'स्त्री' (woman) जो सेक्स के स्तर पर 'female' है को भाषा में स्त्री के रूप में ही व्यक्त करता है और हमें संस्कृत में 'नारी / स्त्री' जैसे स्त्रीलिंग शब्द प्राप्त होते हैं जिनके सेक्स और लिंग समान होते हैं और दूसरी ओर कभी वह भौतिक जगत् की स्त्री को अपनी कल्पना से पुरुष बनाकर पुल्लिंग रूप में व्यक्त करता है तो उसे संस्कृत में 'दारा' (पुल्लिंग शब्द) कहा जाता है या कभी उसे नपुंसक रूप में व्यक्त करता है तो उसे उसे 'कलत्रम्' कहा जाता है। इस बात को समझने के लिए निम्नलिखित तालिका पर ध्यान दीजिए –

| शब्द | सेक्स (भौतिक सत्य) | लिंग (भाषिक सत्य) |
|---|---|---|
| नारी / स्त्री | महिला (female) | स्त्रीलिंग भौतिक सत्य एवं भाषिक सत्य समान |
| दारा | महिला (female) | पुल्लिंग भौतिक सत्य एवं भाषिक सत्य असमान |
| कलत्रम् | महिला (female) | नपुंसकलिंग भौतिक सत्य एवं भाषिक सत्य असमान |

इस तरह संस्कृत में 'नारी', 'दारा' तथा 'कलत्रम्' तीनों ही शब्दों का भौतिक धरातल पर सेक्स तो समान है पर भाषिक सत्य के स्तर पर तीनों में अन्तर है। 'नारी स्त्रीलिंग शब्द है, 'दारा' पुल्लिंग तथा 'कलत्रम्' नपुंसकलिंग। अतः ध्यान रखिए 'सेक्स' और 'लिंग' समान नहीं होते।

## 3.4.02.03. हिन्दी की लिंग व्यवस्था

यह बात तो स्पष्ट हो गई कि 'सेक्स' और 'लिंग' समान नहीं होते। हमने यह भी बताया था कि जहाँ संस्कृत में तीन लिंग थे वहीं, हिन्दी में दो ही लिंग रह गए। आप यह भी जानते हैं की संस्कृत के अनगिनत शब्द हिन्दी में आ गए हैं। संस्कृत के अधिकांश पुल्लिंग शब्द हिन्दी में पुल्लिंग वर्ग में चले गए तथा अधिकांश स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीलिंग वर्ग में चले गए पर करोड़ोंनपुंसकलिंग शब्द भी थे जिन्हें इन्हीं दो वर्गों में ही जाना था। इस तरह संस्कृत के नपुंसकलिंग शब्दों में से कुछ शब्द तो पुल्लिंग वर्ग में गए और कुछ स्त्रीलिंग वर्ग में। गए का अर्थ यह नहीं है कि शब्दों ने स्वयं यह तय किया कि कौनसा शब्द किस वर्ग में जाएगा। वस्तुतः, कौनसा शब्द किस वर्ग में जाएगा यह प्रयोक्ता पर निर्भर करता है। किसी प्रयोक्ता ने पहली वार किसी नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग अपनी कल्पना से पुल्लिंग में कर दिया और समस्त हिंदीभाषी समाज ने उसे स्वीकार कर लिया तो वह शब्द पुल्लिंग वर्ग का सदस्य हो गया और यदि किसी ने किसी नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में कर दिया और समाज ने उसे स्वीकृत कर लिया तो वह स्त्रीलिंग शब्द बन गया।

## 3.4.02.04. संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण

अतः ध्यान रखिए भाषा में अभिव्यक्ति देता है व्यक्ति और स्वीकृति देता है समाज। किसी प्रयोग को जब एक बार समाज स्वीकार कर लेता है तब व्यक्ति उसमें अन्तर नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए हिन्दी में 'माला' तथा 'ताला' दोनों आकारान्त संज्ञा शब्द इनमें से किसी प्रयोक्ता ने 'ताला' शब्द का पहली वार प्रयोग पुल्लिंग में तथा 'माला' शब्द का स्त्रीलिंग में कर दिया और सारे समाज ने उसे स्वीकार कर लिया तो 'ताला' पुल्लिंग तथा 'माला' स्त्रीलिंग शब्द बन गया।

चूँकि संस्कृत में तीन लिंग थे अतः वहाँ लिंग सम्बन्धी नियम अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित थे परन्तु हिन्दी में दो लिंग रह जाने के कारण हिन्दी की लिंग व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई। नियम उतने स्पष्ट न रह गए। उनमें लचरता आ गई।

यही कारण है कि हिन्दी को द्वितीय भाषा के रूप में सीखने वाले छात्रों की अभिव्यक्ति में लिंग सम्बन्धी अशुद्धियाँ इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि उन्हें संज्ञा शब्दों के सही लिंग का ज्ञान नहीं होता। उदाहरण के लिए यदि किसी शिक्षार्थी को 'रोटी' और 'चावल' शब्दों के सही लिंग का बोध नहीं है तो वह इस प्रकार की त्रुटियाँ कर सकता है –

(i) बच्चे ने आज चावल नहीं खाई।
(ii) माँ ने आज रोटी नहीं बनाया।

द्वितीय भाषाभाषी शिक्षार्थी हिन्दी में लिंग सम्बन्धी त्रुटियाँ न करें इसके लिए यह ज़रूरी है कि उन्हें नया संज्ञा शब्द सिखाते समय ही उस शब्द के लिंग का भी ज्ञान करा दिया जाना चाहिए।

### 3.4.02.05. हिन्दी में लिंग परिवर्तन के नियम

हिन्दी में प्रायः पुल्लिंग शब्दों को ही मूल शब्द माना जाता है और उन्हीं में प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। इस तरह से बने स्त्रीलिंग शब्दों में मूल शब्द का अंश विद्यमान रहता है और वे पुल्लिंग-स्त्रीलिंग शब्दों के युग्म के रूप में मिलते हैं। हिन्दी में यद्यपि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के वैसे स्पष्ट नियम नहीं है जैसे संस्कृत में थे पर फिर भी विकल्पों को छोड़ दिया जाए तो कुछ सामान्य नियम बताए जा सकते हैं जो इस प्रकार हैं –

(1) कुछ अकारान्त तथा आकारान्त संज्ञा शब्दों के अन्त में आने वाले 'अ / आ' स्वर का लोप हो जाता है और उनके स्थान पर स्त्रीलिंग सूचक प्रत्यय 'ई' लग जाता है –

पुल्लिंग संज्ञा शब्द + 'ई' प्रत्यय –

| **पुल्लिंग** | **स्त्रीलिंग** |
|---|---|
| बच्चा | बच्ची |
| कबूतर | कबूतरी |
| लड़का | लड़की |
| ब्राह्मण | ब्राह्मणी |
| घोड़ा | घोड़ी |
| दास | दासी |
| दादा | दादी |

| | |
|---|---|
| गोप | गोपी |
| मौसा | मौसी |
| नर्तक | नर्तकी |
| गधा | गधी |
| तरुण | तरुणी |

(2) पुल्लिंग संज्ञा शब्द + 'इया' प्रत्यय –

(क) कुछ 'अ / आ' अन्त वाले शब्दों के 'अ / आ' स्वरों का लोप हो जाता है तथा उनके स्थान पर – 'इया' प्रत्यय लग जाता है तथा यदि मूल शब्द का पहला स्वर दीर्घ है तो वह ह्रस्व हो जाता है।

(ख) यदि मूल शब्द में व्यंजन द्वित्त्व है तो एक व्यंजन का लोप हो जाता है जैसे –

| | |
|---|---|
| बूढ़ा | बुढ़िया |
| लोटा | लुटिया |
| चूहा | चुहिया |
| गुड्डा | गुड़िया |
| कुत्ता | कुतिया |
| डिब्बा | डिबिया |
| बन्दर | बँदरिया |
| बछड़ा | बछिया |

(3) पुल्लिंग संज्ञा शब्द + 'आनी / आणी' प्रत्यय –

| | |
|---|---|
| भव | भवानी |
| देवर | देवरानी |
| जेठ | जेठानी / जिठानी |
| हिन्दू | हिन्दुस्तानी |
| क्षत्रिय | क्षत्राणी |
| इन्द्र | इन्द्राणी |

(4) पुल्लिंग संज्ञा शब्द + 'आइन' प्रत्यय –

| | |
|---|---|
| पण्डित | पण्डिताइन |
| हलवाई | हलवाइन |
| चौधरी | चौधराइन |
| चौबे | चौबाइन |
| ठाकुर | ठकुराइन |
| लाला | ललाइन |
| बनिया | बनियाइन |
| ओझा | ओझाइन |

(5) पुल्लिंग संज्ञा शब्द + 'नी' प्रत्यय –

| | |
|---|---|
| राक्षस | राक्षसनी |
| सियार | सियारनी |
| सिंह | सिंहनी |
| भील | भीलनी |
| ऊँट | ऊँटनी |
| जाट | जाटनी |

(6) पुल्लिंग संज्ञा शब्द + 'इन' प्रत्यय –

| | |
|---|---|
| ग्वाला | ग्वालिन |
| धोबी | धोबिन |
| साँप | साँपिन |
| तेली | तेलिन |
| मालिक | मालकिन |
| नायी | नायिन |
| कुम्हार | कुम्हारिन |
| दर्ज़ी | दर्जिन |

(7) पुल्लिंग संज्ञा शब्द + 'इनी' प्रत्यय –

| | |
|---|---|
| तपस्वी | तपस्विनी |
| हंस | हंसिनी |
| आज्ञाकारी | आज्ञाकारिणी |
| हितकारी | हितकारिणी |
| अभिमानी | अभिमानिनी |
| प्रार्थी | प्रार्थिनी |

(8) पुल्लिंग संज्ञा शब्द + 'इका' प्रत्यय –

| | |
|---|---|
| दर्शक | दर्शिका |
| प्रेक्षक | प्रेक्षिका |
| परिचायक | परिचायिका |
| संयोजक | संयोजिका |
| शिक्षक | शिक्षिका |
| निर्देशक | निर्देशिका |

(9) पुल्लिंग संज्ञा शब्द + 'वती'/ 'मती' प्रत्यय –

| | |
|---|---|
| बुद्धिमान् | बुद्धिमती |
| धैर्यवान् | धैर्यवती |
| शक्तिमान् | शक्तिमती |
| पुत्रवान् | पुत्रवती |
| श्रीमान् | श्रीमती |
| सत्यवान् | सत्यवती |
| आयुष्मान् | आयुष्मती |
| ज्ञानवान् | ज्ञानवती |

(10) तत्सम पुल्लिंग संज्ञा शब्द + 'आ' प्रत्यय –

| | |
|---|---|
| अध्यक्ष | अध्यक्षा |
| पूज्य | पूज्या |
| वृद्ध | वृद्धा |
| प्रियतम | प्रियतमा |
| आत्मज | आत्मजा |
| आचार्य | आचार्या |

(11) तत्सम पुल्लिंग संज्ञा शब्द + 'त्री' प्रत्यय –

| | |
|---|---|
| कर्त्ता | कर्त्री |
| रचयिता | रचयित्री |
| विधाता | विधात्री |
| नेता | नेत्री |

(12) नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में 'नर' या 'मादा' शब्द जोड़कर –

| | |
|---|---|
| ख़रगोश | मादा ख़रगोश |
| नर मक्खी | मक्खी |
| भेड़िया | मादा भेड़िया |
| नर छिपकली | छिपकली |
| भालू | मादा भालू |
| नर कोयल | कोयल |
| कौवा | मादा कौवा |
| नर चील | मादा चील |

(13) मूल स्त्रीलिंग शब्दों में प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द –

| | |
|---|---|
| मौसी | मौसा |
| ननद | नंदोई/ ननदोई |
| बहन | बहनोई |
| जीजी | जीजा |

(14) भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग शब्द –

| | |
|---|---|
| मियाँ | बीबी |
| बैल | गाय |
| फूफा | बुआ |
| साधु | साध्वी |
| वीर | वीरांगना |
| साला | सलहज |
| कवि | कवयित्री |
| विधुर | विधवा |
| बिलाव | बिल्ली |
| विद्वान् | विदुषी |
| बादशाह | बेग़म |
| वर | वधु |

## 3.4.03. वचन

### 3.4.03.01. वचन से तात्पर्य

'वचन' अंग्रेजी के 'नंबर' (Number) शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। इस व्याकरणिक कोटि से एक अथवा अनेक का पता चलता है। अर्थात् इससे यह पता चलता है की कोई संज्ञा शब्द एक इकाई के रूप में ग्रहण किया जाएगा अथवा अनेक के रूप में, जैसे –

एक – बच्चा, कुरसी, घोड़ा, कमरा, लड़की, मेज़, किताब आदि

अनेक – बच्चे, कुरसियाँ, घोड़ा, कमरे, लड़कियाँ, मेजें, किताबें आदि

हिन्दी में संज्ञा शब्द दो वचनों में पाए जाते हैं – एकवचन (singular) तथा बहुवचन (plural)। संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है वहाँ 'एकवचन' तथा जहाँ एकाधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है वहाँ 'बहुवचन' होता है। अतः ध्यान रखिए – शब्द के जिस रूप से 'एक' अथवा 'अनेक' का पता चलता है, वह 'वचन' कहलाता है।

## 3.4.03.02. संख्या तथा वचन में अन्तर

जिस तरह सेक्स और जेंडर (लिंग) समान नहीं हैं उसी तरह 'संख्या' और 'वचन' भी समान नहीं होते। भौतिक जगत् से सम्बन्ध होने के कारण 'संख्या' 'भौतिक सत्य' है तथा 'वचन' संख्या की भाषिक अभिव्यक्ति होने के कारण 'भाषिक सत्य' है। 'लिंग' की चर्चा करते समय यह बताया जा चुका है कि भौतिक सत्य और भाषिक सत्य हमेशा एक होंगे यह आवश्यक नहीं है। भौतिक सत्य और भाषिक सत्य समान होंगे या परस्पर भिन्न यह तो भाषाभाषी पर निर्भर करता है। वह कभी भाषा में दोनों को समान रूप में अभिव्यक्त करता है तो कभी अपनी कल्पना से दोनों में अन्तर कर देता है। इस बात को समझने के लिए निम्नलिखित तालिका को देखिए –

| वाक्य | संख्या | वचन | |
|---|---|---|---|
| | (भौतिक सत्य) | (भाषिक सत्य) | |
| लड़का गया | लड़का – एक | एकवचन | भौतिक सत्य एवं भाषिक सत्य समान |
| लड़के गए | लड़के – अनेक | बहुवचन | भौतिक सत्य एवं भाषिक सत्य समान |
| पिताजी गए | पिताजी – एक | बहुवचन | भौतिक सत्य एवं भाषिक सत्य असमान |

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वाक्य – 1 का 'लड़का' पद भौतिक जगत् में संख्या के स्तर पर भी एक एक है तथा भाषिक जगत् में भी एक होने के कारण 'एकवचन' में है। वाक्य – 2 का 'लड़के' पद भौतिक सत्य के स्तर पर भी अनेक है तथा भाषिक सत्य के स्तर पर भी एकाधिक होने के कारण 'बहुवचन' में है। लेकिन वाक्य – 3 का 'पिताजी' पद भौतिक सत्य के स्तर पर तो एक है पर वाक्य में उसे बहुवचन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इसका कारण स्पष्ट है कि हिन्दी में आदर/सम्मान देने के लिए कर्त्ता के बाद 'जी' लगाया जाता है और भाषा में उसे बहुवचन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अतः ध्यान रखिए जिस तरह सेक्स और लिंग एक नहीं हैं उसी तरह 'संख्या' और 'वचन' भी एक नहीं हैं।

## 3.4.03.03. संज्ञा शब्दों का वचन निर्धारण

वचन निर्धारण के लिए यह देखना होता है कि वह संज्ञा शब्द 'एक' इकाई का अर्थ दे रहा है या 'अनेक' का। अनेकता की पहचान संज्ञाओं की गिनती या गणना करके की जा सकती है; जैसे – कमरे, लड़के, जूते, कुरसियाँ, मेजें, रुपये, घोड़े आदि संज्ञा शब्दों की गिनती की जा सकती है। लेकिन कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके बहुवचन रूपों की गणना करना सम्भव नहीं होता; जैसे –आटा, चावल, दूध, घी, पानी, दाल आदि संज्ञाओं की गिनती नहीं की जा सकती। केवल नाप-तौल करके ही यह बताया जा सकता है कि किसकी मात्र कम है और किसकी अधिक। इसी आधार पर संज्ञा शब्दों को दो भागों में बाँट लिया जाता है – 'गणनीय संज्ञा शब्द' तथा 'अगणनीय संज्ञा शब्द'। दोनों प्रकार की संज्ञाओं का परस्पर अन्तर इस प्रकार है –

| क्रम संख्या | गणनीय संज्ञा | अगणनीय संज्ञा |
|---|---|---|
| 1. | इनकी गिनती करके एक या अनेक का बोध हो सकता है। | इनकी गिनती नहीं की जा सकती। केवल नाप-तौलकर यह बताया जा सकता है कि किसकी मात्र कम है और किसकी अधिक। |
| 2. | इनके पहले संख्यावाची विशेषण प्रयुक्त हो सकते हैं; जैसे –चार बच्चे, दो केले आदि। | इनके साथ केवल परिमाणवाची विशेषण ही लग सकते हैं; जैसे – थोड़ा दूध, ज्यादा चाय आदि। |
| 3. | इस वर्ग में जातिवाचक संज्ञाएँ आती हैं। | इस वर्ग में एकवचन वाली समूहवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाएँ आती हैं। |

## 3.4.03.04. हिन्दी में वचन परिवर्तन के नियम

संज्ञा शब्दों के बहुवचन रूप बनाने के लिए संज्ञा के 'लिंग' की जानकारी होना अनिवार्य है। यदि संज्ञा शब्दों के लिंग का ज्ञान नहीं है तो बहुवचन बनाते समय गलती हो सकती है। उसका कारण यह है कि हिन्दी में पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन बनाने वाले प्रत्यय अलग हैं तथा स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन बनाने वाले प्रत्यय अलग। अतः एकवचन से बहुवचन बनाने का कार्य निम्नलिखित तीन चरणों में किया जा सकता है –

चरण – 1: सभी संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दो अलग-अलग वर्गों में बाँट लें–

**संज्ञा शब्द**

| पुल्लिंग | स्त्रीलिंग |
|---|---|
| नौकर, पाठक, सेवक, गायक, कान | गति, विधि, मति, घोड़ी, नाली |
| बच्चा, लड़का, घोड़ा, ताला, तबला | रानी, मोरनी, आँख, नाक, मेज़ |
| पति, कवि, धोबी, नाई, भाई, दही | क़लम, किताब, माला, गायिका |
| साधु, गुरु, भालू, आलू, चीकू, चाकू | गुड़िया, बुढ़िया, चुहिया, महिला |

चरण – 2 : अब इन शब्दों को पुनः दो-दो वर्गों में बाँट लीजिए –

| पुल्लिंग शब्द | | स्त्रीलिंग शब्द | |
|---|---|---|---|
| आकारान्त शब्द | अन्य शब्द | इ / ईकारान्त / इयांत शब्द | अन्य शब्द |
| बच्चा, लड़का, घोड़ा | घर, मकान, मित्र | गति, मति, विधि | मेज़, आँख, चाय |
| कमरा, गमला, ताला | कवि, पति, अरि | मोरनी, गोरी, साड़ी | माला, महिला, लता |
| मसाला, भला, नाला | धोबी, नाई, पानी, | लड़की, बच्ची, गली | वस्तु, वधु, बहू |
| | साधु, गुरु भालू, आलू, नीबू | बुढ़िया, चुहिया, गुड़िया | |

चरण – 3 : अब इन शब्दों के बहुवचन कोष्ठक में दिए गए नियमों के आधार पर बनाइए –

| पुल्लिंग शब्द | | स्त्रीलिंग शब्द | |
|---|---|---|---|
| आ-कारान्त शब्द | अन्य शब्द | इ / ई-कारान्त / इयांत शब्द | अन्य शब्द |
| ('ए' प्रत्यय जोड़ें) | ('शून्य' प्रत्यय जोड़ें) | ('आँ' प्रत्यय जोड़ें) | ('एँ' प्रत्यय जोड़ें) |
| लड़का+ए=लड़के | मित्र + O = मित्र | चाबी+ आँ=चाबियाँ | वस्तु+एँ = वस्तुएँ |
| गाना+ए = गाने | घर + O = घर | दवाई +आँ = दबाइयाँ | वधू + एँ = बधुएँ |
| ताला + ए = ताले | पानी + O = पानी | विधि + आँ = विधियाँ | आँख + एँ = आँखें |
| तबला + ए = तबले | पति + O = पति | गति + आँ = गतियाँ | बहन + एँ = बहनें |
| भाला + ए = भाले | साधु + O = साधु | बुढ़िया + आँ = बुढ़ियाँ | माला +एँ= मालाएँ |
| गधा + ए = गधे | भालू + O = भालू | चुहिया + आँ = चुहियाँ | माता + एँ= माताएँ |

अब इन नियमों को इस प्रकार लिखा जा सकता है –

**पुल्लिंगशब्द -**

(क) आकारान्त ('आ' अन्त वाले) पुल्लिंग संज्ञा शब्द – इनको बहुवचन में बदलते समय अन्तिम स्वर 'आ' को हटा दिया जाता है तथा उसके स्थान पर 'ए' प्रत्यय जोड़ दिया जाता है।

अपवाद :

(i) कुछ आकारान्त संज्ञा शब्द जैसे – योद्धा, राजा, पिता, मुखिया, लाला आदि बहुवचन में परिवर्तित नही होते।

(ii) रिश्ते-नाते के द्वित्त्व संज्ञा शब्दों (Reduplicative Kinship Terms) जैसे – चाचा, मामा, दादा, काका, मौसा, आदि बहुवचन में नहीं बदलते, जैसे – 'मेरी शादी में मेरे तीनों मामा / चाचा नहीं आए' किन्तु बेटा, भतीजा, भांजा, पोता आदि शब्द द्वित्त्व न होने के कारण विकृत होते हैं।

(ख) अन्य पुल्लिंग शब्द (– 'आ' को छोड़ कर शब्दान्त में कोई भी स्वर) – इस वर्ग में वे सभी पुल्लिंगशब्द आते हैं जिनके अन्त में 'आ' के अलावा अन्य कोई भी स्वर आता है। बहुवचन बनाने के लिए इनमें 'शून्य प्रत्यय' (O) जोड़ा जाता है अर्थात् इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इनके एकवचन तथा बहुवचन दोनों के रूप समान रहते हैं।

**स्त्रीलिंग शब्द :**

इ / ई तथा इया अन्त वाले स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द – इन शब्दों में बहुवचन बनाने वाला 'आँ' प्रत्यय जोड़ा जाता है तथा जिन शब्दों के अन्त में दीर्घ स्वर आ रहा है वह ह्रस्व हो जाता है। चूँकि हिन्दी में दो स्वर

एक साथ नहीं आ सकते अतः अन्तिम दोनों स्वरों के बीच एक 'य' वर्ण की श्रुति हो जाती है, जैसे – लड़की + आँ = लड़कि + आँ = लड़कि + य + आँ = लड़कियाँ, स्त्री + आँ = स्त्रि + आँ = स्त्रि + य + आँ = स्त्रियाँ आदि। अन्य स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द इस वर्ग में वे शब्द आते हैं जिनके अन्त में 'इ/ई' स्वरों के अलावा अन्य कोई भी स्वर आता है। इनके बहुवचन बनाते समय 'एँ' प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। 'ऊ' अन्त वाले शब्दों के बहुवचन बनाते समय दीर्घ 'ऊ' स्वर को ह्रस्व 'उ' में अवश्य बदल दिया जाता है।

### 3.4.02.05. वचन परिवर्तन के उदाहरण

(1) 'ए' प्रत्यय जोड़कर –

| **एकवचन** | **बहुवचन** |
|---|---|
| प्यासा | प्यासे |
| रास्ता | रास्ते |
| कौवा | कौवे |
| घण्टा | घण्टे |
| चौका | चौके |
| थैला | थैले |
| गद्दा | गद्दे |
| रुपया | रुपये |
| लोटा | लोटे |
| छाता | छाते |
| खोखा | खोखे |
| भाला | भाले |

(2) 'एँ' प्रत्यय जोड़कर –

| | |
|---|---|
| पुस्तक | पुस्तकें |
| बोतल | बोतलें |
| बाँह | बाँहें |
| गाय | गाएँ |
| चीज़ | चीजें |
| आँख | आँखें |
| कविता | कविताएँ |
| शाला | शालाएँ |
| दवा | दवाएँ |
| बहू | बहुएँ |
| वधु | वधुएँ |
| गौ | गौएँ |

(3) 'आँ' प्रत्यय जोड़कर –

| | |
|---|---|
| दवाई | दवाइयाँ |
| स्त्री | स्त्रियाँ |
| घोड़ी | घोड़ियाँ |
| कुरसी | कुरसियाँ |
| लकड़ी | लकड़ियाँ |
| थाली | थालियाँ |
| मछली | मछलियाँ |
| बिल्ली | बिल्लियाँ |
| झाड़ी | झाड़ियाँ |
| निधि | निधियाँ |
| विधि | विधियाँ |
| तिथि | तिथियाँ |
| बुढ़िया | बुढ़ियाँ |
| गुड़िया | गुड़ियाँ |
| डिबिया | डिबियाँ |

(4) समूहवाची शब्द जोड़कर –

कुछ शब्दों में समूहवाची शब्द जैसे – 'लोग, 'गण', 'वृन्द', 'वर्ग' 'जन' आदि जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे –

| | |
|---|---|
| कर्मचारी | कर्मचारी वर्ग |
| पक्षी | पक्षीवृन्द |
| लेखक | लेखकगण |
| सभ्य | सभ्य लोग |
| विद्वान् | विद्वज्जन |
| असभ्य | असभ्य लोग |

(5) सदैव बहुवचनरूपी शब्द –

कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं जैसे – समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोग, आँसू, केश, होश आदि। देखिए कुछ उदाहरण –

(i) चोर को देखकर तो उसके होश उड़ गए।
(ii) बहुत दिनों से उसके कोई समाचार नहीं मिले।
(iii) भाई की मृत्यु का समाचार मिलते ही करीना के आँसू निकल आए।

(6) सदैव एकवचन रूपी शब्द –

कुछ संज्ञा शब्द हमेशा एकवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे – प्रेम, क्रोध, दान, धर्म, दया, घृणा, पानी, जल, आग, घी, वर्षा, हवा आदि। देखिए निम्नलिखित उदाहरण–

(i) गड्ढों में पानी भर गया है।
(ii) मुझे पाँच किलो घी खरीदना है।
(iii) तेज़ हवा के कारण आग जल उठी।

## 3.4.04. कारक

### 3.4.04.01. कारक से तात्पर्य

वाक्य में जितने भी संज्ञा शब्द आते हैं उनका वाक्य की क्रिया के साथ कोई न कोई सम्बन्ध अवश्य होता है। कोई 'संज्ञा' उस क्रिया को 'पूरा करने' का काम करती है, किसी संज्ञा पर उस क्रिया का 'प्रभाव' पड़ता है, कोई संज्ञा उस क्रिया के पूरा होने में 'साधन' बनती है तो कोई संज्ञा उस क्रिया के घटित होने का 'आधार'। एक उदाहरण से इस बात को समझने की कोशिश कीजिए–

'बच्चे ने बोतल से दूध पिया।' इस वाक्य की क्रिया है – 'पीना'। इसको पूरा करने में तीन संज्ञाएँ – 'बच्चा', 'बोतल' तथा 'दूध' अपनी-अपनी भूमिकाएँ निभा रही हैं। पीने का काम करने वाली संज्ञा है– 'बच्चा', पिए जाने वाली वस्तु है – 'दूध' तथा (दूध) पिए जाने का साधन है – 'बोतल'। कहने का तात्पर्य यही है कि 'पीना' क्रिया के साथ वाक्य की सभी संज्ञाएँ किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई हैं या उनका क्रिया के साथ कोई न कोई सम्बन्ध अवश्य है। वाक्य की संज्ञाओं का क्रिया के साथ जो सम्बन्ध होता है, व्याकरण में उसी सम्बन्ध को 'कारक' कहते हैं।

अब प्रश्न उठता है कि वाक्य की संज्ञाओं और क्रिया के बीच के इस सम्बन्ध को कैसे पहचाना जाए? वास्तव में हर भाषा इस 'सम्बन्ध' को अलग-अलग ढंग से व्यक्त करती है। हिन्दी में इस सम्बन्ध को 'परसर्गों' (ने, से, को, पर आदि चिह्न) के माध्यम से व्यक्त किया जाता है अतः परसर्गों को 'कारकीय चिह्न' भी कहते हैं।

**कारक की परिभाषा :** 'कारक' वह व्याकरणिक कोटि है जो यह बताती है कि वाक्य की विभिन्न संज्ञाओं का उस वाक्य की क्रिया के साथ स्थापित सम्बन्ध को व्यक्त करती है।

### 3.4.04.02. कारक, विभक्ति तथा परसर्ग

कारक के विषय में आपको बताया जा चुका है कि 'कारक' वाक्य की संज्ञाओं और क्रिया के बीच का सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध को हर भाषा अपने-अपने ढंग से व्यक्त करती है। संस्कृत में इस सम्बन्ध को व्यक्त करने

के लिए संज्ञा / सर्वनामों में कुछ 'रूपसाधक प्रत्यय' (Inflexional Suffixes) जोड़े जाते थे । इन्हीं प्रत्ययों को 'विभक्ति' कहा जाता था । संस्कृत में प्रत्येक कारक के लिए तीनों वचनों में विभक्ति चिह्न (प्रत्यय) निर्धारित थे । उदाहरण के लिए 'बालक' शब्द के प्रथमा, द्वितीया और तृतीया विभक्ति में बनने वाले रूप देखिए –

| | | | |
|---|---|---|---|
| प्रथमा | बालक: | बालकौ | बालका: |
| द्वितीया | बालकम् | बालकौ | बालका: |
| तृतीया | बालकेन | बालकाभ्याम् | बालकै: |

जहाँ तक हिन्दी का प्रश्न है, हिन्दी में इन विभक्ति सूचक प्रत्ययों की जगह 'ने', 'से', 'को' आदि 'कारकीय चिह्नों' या 'परसर्गों' ने ले ली और इन्हीं परसर्गों के माध्यम से संज्ञाओं का क्रिया के साथ सम्बन्ध व्यक्त किया जाने लगा ।

हिन्दी में दो तरह के कारकीय चिह्न मिलते हैं – (i) विश्लिष्ट और (ii) संश्लिष्ट । संज्ञाओं के साथ आनेवाले कारकीय चिह्न विश्लिष्ट होते हैं अर्थात् जो संज्ञा शब्द से अलग रहते हैं; जैसे – बच्चे ने, लड़की को, छत पर, चम्मच से, अध्यापक के लिए आदि । जहाँ तक सर्वनामों का सम्बन्ध है, सर्वनामों के साथ कारकीय चिह्न संश्लिष्ट या मिले रहते हैं; जैसे – मुझे, तुम्हें, मेरा, तेरा, उसका, इसमें, तुम्हें, तुम्हारा, उन्हें, हमारा आदि । यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि 'मुझे / तुझे' आदि रूप मुझको / तुझको से विकसित रूप हैं जिनमें कारकीय चिह्न संश्लिष्ट है । जहाँ तक 'के लिए'– जैसे दो पदों से बनने वाले कराकीय चिह्नों का प्रश्न है इनमें पहला पद संश्लिष्ट होता है और दूसरा विश्लिष्ट । जैसे – मैं + रे लिए = मेरे लिए; तुम + रे लिए = तुम्हारे लिए; तू + रे लिए = तेरे लिए आदि

## 3.4.04.03. कारक भेद-प्रभेद : परम्परागत आधार पर

संस्कृत वैयाकरणों ने कारकों के छह भेद किए थे – कर्त्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान तथा अधिकरण । इन सभी कारकों को भाषा में व्यक्त करने के लिए तीनों वचनों में विभक्तियों के प्रत्यय लगते थे जिससे सभी कारकों में संज्ञाओं के अलग-अलग रूप सामने आते थे, जैसे 'पुस्तक' शब्द के 'पुस्तकम्', 'पुस्तके', 'पुस्तकानि' जैसे विभिन्न रूप । संस्कृत में दो संज्ञाओं के बीच के सम्बन्ध को दिखाने के लिए तथा वक्ता द्वारा किसी संज्ञा को सम्बोधित करने के लिए भी उस संज्ञा शब्द में विभक्ति प्रत्यय लगते थे और इनके भी तीनों वचनों में भिन्न रूप मिलते थे, जैसे 'बालक' शब्द के सम्बन्ध एवं सम्बोधन के रूप –

| | | | |
|---|---|---|---|
| सम्बन्ध | बालकस्य | बालकयो: | बालाकानाम् |
| सम्बोधन | हे बालकः | हे बालकौ | हे बालका: |

अतः आगे चलकर संस्कृत के कुछ वैयाकरणों ने सम्बन्ध तथा सम्बोधनों को भी कारकों की सूची में जोड़ दिया और आगे आने वाले लोग कारकों की संख्या छह के स्थान पर आठ मानने लगे।

वस्तुतः 'सम्बन्ध' और 'सम्बोधन' को कारक इसलिए नहीं माना जाना चाहिए था क्योंकि 'सम्बन्ध' के अन्तर्गत दो संज्ञाओं का परस्पर सम्बन्ध दिखाया जाता है तथा 'सम्बोधन' में वक्ता द्वारा किसी व्यक्ति को सम्बोधित किया जाता है जबकि 'कारक' का अर्थ था वाक्य की संज्ञाओं का क्रिया के साथ सम्बन्ध।

यही परम्परा हिन्दी में भी चली आई और हिन्दी में आठ कारकों का उल्लेख किया जाने लगा। ऐसी स्थिति के लिए कुछ लोगों ने 'कारक' की परिभाषा में ही संशोधन कर दिया और कारक की नयी परिभाषा इस प्रकार दे डाली – "वाक्य में आने वाली संज्ञाओं का परस्पर तथा क्रिया के साथ जो सम्बन्ध है, उसे कारक कहते हैं।" वास्तव में 'सम्बन्ध' और सम्बोधन' को कारक नहीं माना जाना चाहिए जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया था, कारकों (संज्ञा-क्रिया सम्बन्ध) को संस्कृत में विभक्ति चिह्नों या रूपसाधक प्रत्ययों द्वारा व्यक्त किया जाता है तो हिन्दी में परसर्गों द्वारा। संस्कृत में प्रत्येक कारक के लिए तीनों वचनों में में विभक्ति-चिह्न निर्धारित थे। उसी का अनुसरण करते हुए हिन्दी के बहुत से व्याकरण-लेखकों ने हिन्दी में भी प्रत्येक करक के लिए कुछ कारकीय चिह्न या परसर्ग निर्धारित कर दिए जो इस प्रकार हैं –

| | |
|---|---|
| कर्त्ता कारक | ने |
| कर्म कारक | को |
| करण कारक | से (साधनसूचक) |
| सम्प्रदान कारक | के लिए |
| अपादान कारक | से (पृथकतासूचक) |
| सम्बन्ध | का / के / की तथा रा / रे / री |
| अधिकरण | में, पे, पर, ऊपर |
| सम्बोधन | हे, रे, अरे, ओ आदि। |

परन्तु हिन्दी में कुछ कारकों जैसे कर्त्ता, कर्म आदि के लिए केवल एक-दो चिह्न (परसर्ग) मात्र निर्धारित करने से इन कारकों के क्रिया के साथ सम्बन्ध स्पष्ट नहीं किए जा सकते। इन सम्बन्धों को स्पष्ट करने के लिए अन्य कारकीय चिह्नों या परसर्गों को निर्दिष्ट किये जाने की आवश्यकता है। कारकों के भेद-प्रभेद के प्रसंग में अलग-अलग कारकों के सभी कारकीय चिह्नों को स्पष्ट किया जाएगा।

### 3.4.04.04. कारकों का वर्गीकरण : हिन्दी की प्रकृति की दृष्टि से

यह हम ऊपर बता चुके हैं कि वाक्य में संज्ञाओं और क्रिया के सम्बन्धों को ध्यान में रखकर संस्कृत के प्राचीन वैयाकरणों ने कारकों के छह भेद किए थे तथा आगे चलकर इस सूची में दो नाम और जोड़ दिए। भले ही 'सम्बन्ध' तथा 'सम्बोधन' कारक नहीं हैं पर हम यहाँ परम्परा का अनुसरण करते हुए परवर्ती संस्कृत आचार्यों की तरह उनकी चर्चा कारकों के ही अन्तर्गत कर रहे हैं –

1. कर्त्ता कारक (Nominative Case) : (कारकीय चिह्न: 'शून्य' (O), 'ने', 'से', 'के द्वारा', 'को')

वाक्य में संज्ञा / सर्वनाम के जिस रूप से यह पता चले कि वह क्रिया को पूरा करने का कार्य कर रहा है तो वह संज्ञा 'कर्त्ता कारक' में होती है।

ध्यान रखिए 'कर्त्ता कारक' को व्यक्त करने वाला केवल 'ने' चिह्न ही नहीं है बल्कि 'शून्य', 'से', 'के द्वारा', 'को' आदि भी कर्त्ता कारक के चिह्न हैं। नीचे दिए गए वाक्यों की रेखांकित संज्ञाएँ 'कर्त्ता कारक' में हैं। देखिए उदाहरण –

| | | |
|---|---|---|
| बच्चा घर गया है। | माँ खाना बना रही है। | शून्य (O) |
| बच्चों ने फिल्म देख ली है। | शीरी ने काम नहीं किया | 'ने' |
| माँ से चला नहीं जाता | मजदूर से पेड़ नहीं काटा जाता | 'से' |
| राष्ट्रपति के द्वारा उदघाटन किया गया | डॉक्टर द्वारा इलाज किया गया | 'द्वारा / के द्वारा' |
| पिताजी को एक कार चाहिए | मुझको कोई फिल्म देखनी है। | 'को' |

2. कर्म कारक : (Accusitive Case) ( कारकीय चिह्न: 'शून्य' (O), 'को', 'से' )

वाक्य की जिस संज्ञा पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है वह संज्ञा 'कर्म कारक' में होती है। जैसे –

| | | |
|---|---|---|
| लड़कियाँ तबला बजा रही हैं। | नौकर खाना बना रहा है। | शून्य (O) |
| लोगों ने उस इमारत को गिरा दिया। | पुलिस ने घर को सील कर दिया। | 'को' |
| मैंने मोहन से पहले ही कह दिया था। | वह मुझसे मिलने आई। | 'से' |

3. करण कारक (Instrumental Case) : (कारकीय चिह्न : 'से' )

'करण' का अर्थ है – 'साधन'। अर्थात् वाक्य की क्रिया को पूरा करने में जो संज्ञा 'साधन' बनती है वह 'करण कारक' में होती है, जैसे –

| | | |
|---|---|---|
| बच्चे ने बोतल से दूध पिया | उसने चाकू से फल काटे | 'से' |
| उसने कुत्ते को डंडे से मारा | मैंने पेन्सिल से चित्र बनाया | 'से' |

4. सम्प्रदान कारक ( Dative Case ) : ( कारकीय चिह्न: 'के लिए', 'को')

वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है वह संज्ञा 'सम्प्रदान कारक' में कही जाती है, जैसे –

| | | |
|---|---|---|
| माँ ने बच्चों के लिए मिठाई बनाई | इस होटल में आपके लिए कमरा बुक है। | 'के लिए' |
| सेठजी ने ग़रीबों को दान दिया | पिताजी ने भिखारियों को कंबल बाँटे | 'को' |

5. अपादान कारक ( Ablative case) : (कारकीय चिह्न : 'से' (अलग होने के अर्थ में))

वाक्य की क्रिया के द्वारा जब किसी एक संज्ञा से (दूसरी संज्ञा के) अलग होने का भाव प्रकट होता है तो वह संज्ञा 'अपादान कारक' में कही जाती है, जैसे –

| | | |
|---|---|---|
| पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। | समुद्र से तेल निकाला जाएगा | 'से' |
| मैं नदी से पानी ले आया | वह ट्रेन से नीचे उतर आई | 'से' |

6. अधिकरण कारक ( Locative Case ) : ( कारकीय चिह्न : 'में', 'पर', 'ऊपर', 'के ऊपर', 'के नीचे', 'के पहले', 'के बाद' आदि)

क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित होती है उस स्थान या समय के लिए जो संज्ञा आधार बनती है वह अधिकरण कारक में कही जाती है, जैसे 'बच्चा छत पर बैठा है' वाक्य में 'छत' संज्ञा बच्चे के बैठने का आधार बनी है अतः यहाँ संज्ञा 'छत' अधिकरण कारक में है तथा क्रिया के साथ उसके इस सम्बन्ध को बताने वाला कराकीय चिह्न है – 'पर'।

| | | |
|---|---|---|
| बच्चे छत पर खेल रहे हैं। | इस समय वह घर पर मिलेगी | 'पर' |
| बिल्ली रसोई में है। | हम गरमियों में शिमला जाएँगे ? | 'में' |
| वह मेज़ के ऊपर बैठा है। | तुम मेज़ के नीचे छुप जाओ | 'के ऊपर / के नीचे |

'समय' के साथ 'में', 'पर' परसर्ग तो लगते ही हैं कभी कभी 'को' परसर्ग का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे –

| | | |
|---|---|---|
| मेरी छुट्टियाँ जून में होंगी | वह दोपहर को पहुँचेगी | 'में / को' |
| मेरी ट्रेन दस बजकर बीस मिनट पर पहुँची | | 'पर' |

7. सम्बन्ध कारक (Genetive case ): (कारकीय चिह्न: 'का', 'के', 'की' / 'रा', 'रे', 'री')

जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ सम्बन्ध दिखाया जाता है वहाँ वे संज्ञा / सर्वनाम 'सम्बन्ध कारक' में होते हैं, जैसे – 'रमेश का भाई बीमार है' वाक्य में 'रमेश' तथा 'भाई' दोनों संज्ञाओं के बीच के सम्बन्ध को 'का' परसर्ग से दिखाया गया है। यहाँ संज्ञा 'रमेश' दूसरी संज्ञा 'भाई' के साथ 'सम्बन्ध कारक' में है।

| | | |
|---|---|---|
| ये बच्चों की किताबें हैं। | उसने लकड़ी का मकान बनबाया है। | 'का'/ के / की' |
| तुम्हारे घर में कौन कौन है ? | मेरी बेटी लंदन में रहती है। | 'रा / रे / री' |

8. सम्बोधन कारक ( Vocative Case ) : (कारकीय चिह्न : 'हे', 'रे', 'अरे', 'ओ' आदि)

जब वक्ता द्वारा किसी संज्ञा का ध्यान आकर्षित किया जाए या उसे सम्बोधित किया जाए तो वह संज्ञा सम्बोधन कारक में होती है। सम्बोधित संज्ञा से पहले प्रायः हे, रे, अरे, आदि विस्मयादिसूचक शब्द लगाये जाते है, जैसे – 'हे'/ 'रे'/ 'अरे'/ 'ए' आदि।

(i) हे राम ! या लड़का कब सुधरेगा।
(ii) अरे भाई ! इधर मत बैठो।
(iii) ए लड़के ! यहाँ से भाग।
(iv) हे भगवान् ! मेरी रक्षा करो।
(v) भाइयो और बहनों ! मेरी बात ध्यान से सुनिए।
(vi) लड़कियो ! चाकू से मत खेलो।

इस तरह आपने देखा कि एक कारकीय चिह्न एक से अधिक कारकों में प्रयुक्त हो सकता है, जैसे 'को' परसर्ग 'कर्म कारक' में भी आता है और 'कर्त्ता कारक' में भी या 'से' परसर्ग 'कर्त्ता कारक', 'करण कारक' तथा 'अपादान कारक' तीनों में आ सकता है। अतः केवल चिह्न देखकर किसी भी कारक का निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए। कारक-निर्धारण से पहले 'अर्थ' को समझना चाहिए तथा यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि वाक्य में आयी संज्ञाएँ उस वाक्य की क्रिया को पूरा करने में क्या भूमिका निभा रही हैं।

## 3.4.05. काल, पक्ष तथा वृत्ति

### 3.4.05.01. काल से तात्पर्य

प्रायः लोग 'काल' (Tens) तथा 'समय' (Time) को एक मान लेते हैं पर ये दोनों एक नहीं हैं। जिस तरह 'सेक्स' और 'लिंग' तथा 'संख्या' और 'वचन' एक नहीं हैं उसी तरह 'समय' और 'काल' भी एक नहीं हैं। 'सेक्स' और 'संख्या' की तरह 'समय" भी 'भौतिक सत्य' है तथा 'काल' उसी की भाषिक अभिव्यक्ति होने के कारण 'भाषिक सत्य'। इस बात को समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए –

| | | |
|---|---|---|
| (i) | (क) तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। | (भूतकाल) |
| | (ख) तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है। | (वर्तमानकाल) |
| (ii) | (क) कल मैं दिल्ली जाऊँगा। | (भविष्यतकाल) |
| | (ख) कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ। | (वर्तमानकाल) |

उपर्युक्त वाक्य (i) (क) तथा (ख) जैसे वाक्यों को व्याकरण की अनेक पुस्तकों में 'भूतकाल' का तथा वाक्य (ii) (क) तथा (ख) को भविष्यतकाल का बताया गया है। यह तो आप जानते ही हैं कि हिन्दी में

वर्तमानकाल के चिह्न – है, हूँ, हैं आदि हैं, भूतकाल के चिह्न – था, थी, थे या आ, ई, ए तथा भविष्यतकाल के चिह्न – गा, गे, गी माने गए हैं। इसी आधार पर वाक्य (i) (क) भूतकाल का वाक्य है तथा वाक्य (i) (ख) वर्तमानकाल का। इसी तरह वाक्य (ii) (क) भविष्यतकाल का होगा और वाक्य (ii) (ख) वर्तमानकाल का किन्तु वाक्य (i) के (क) और (ख) दोनों वाक्यों में तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस लिखे जाने की घटना (क्रिया) 'समय' की दृष्टि से 'भूत समय' (Past Time) में घटित हुई है तथा वाक्य (ii) के (क) और (ख) वाक्यों में दिल्ली जाने की घटना समय की दृष्टि से 'भविष्यत समय' (Future Time) में होने वाली है।

इन उदाहरणों से और कुछ पता चले या न चले इतना तो पता चल ही रहा है की 'काल'(Tense) तथा 'समय' (Time) हमेशा एक होंगे यह आवश्यक नहीं है। उपर्युक्त वाक्य (i) (क) तथा (ii) (क) 'समय' और 'काल' की दृष्टि से समान हैं पर वाक्य (i) (ख) वक्ता द्वारा 'भूत समय' की घटना को वक्ता द्वारा अपनी कल्पना से वर्तमान में खींच लिया गया है तथा वाक्य (ii) (ख) में ससमय की दृष्टि से भविष्य में घटित होने वाली घटना को अपनी कल्पना से 'वर्तमान' के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया है।

अतः यह कहा जा सकता है कि 'काल' और 'समय' एक नहीं हैं; 'समय' एक भौतिक सत्य है तो 'काल' भाषिक सत्य।

## 3.4.05.02. काल के भेद

यह बात तो स्पष्ट हो गई कि 'समय' और 'काल' एक नहीं हैं। अब प्रश्न उठता है कि हमें 'समय' का बोध कैसे होता है ? वास्तव में 'समय' का बोध कराती है 'क्रिया'। समय के अन्तराल में जिस बिन्दु पर क्रिया घटित होती है वही उसका 'वर्तमान समय' होता है। उससे पहले जो कुछ घटित हुआ है उस क्रिया के लिए वह 'भूत समय' तथा उसके बाद जो कुछ घटित हुआ है उस क्रिया के लिए वह 'भविष्यत समय' होगा।

इस तरह क्रिया के घटित होने के आधार पर 'समय' के तीन भेद कर लिए गए – वर्तमान समय। भूत समय तथा भविष्यत समय। इसी आधार पर भाषा में भी तीन काल भी मान लिए गए – वर्तमानकाल, भूतकाल तथा भविष्यतकाल। परन्तु आगे चलकर स्पष्ट होगा कि 'समय' के तो तीन भेद हो सकते हैं पर 'काल' तो सिर्फ दो ही होते हैं – वर्तमानकाल तथा भूतकाल। 'भविष्यतकाल' जैसा कोई काल नहीं होता।

जहाँ तक परम्परागत व्याकरण का प्रश्न है परम्परागत रूप से तीन काल स्वीकार किये गए हैं तथा उनके चिह्न भी निर्धारित कर दिए गए हैं। ये इस प्रकार हैं – (क) वर्तमानकाल (ख) भूतकाल तथा (ग) भविष्यतकाल।

### (1) वर्तमानकाल (Present Tens) :

जिस समय कोई क्रिया घटित होती है, वह समय व्याकरण में 'वर्तमानकाल' कहा जाता है। यह क्रिया बार बार हो सकती है या लगातार हो सकती है। हिन्दी में 'वर्तमानकाल' की सूचना देने वाले चिह्न हैं– 'है', हैं',

'हो' तथा हूँ। अतः भाषा में जिन चिह्नों से यह पता चलता है कि 'क्रिया' 'वर्तमान समय' में घटित हो रही है या होती है वे चिह्न 'वर्तमानकाल' के चिह्न कहे जाते हैं तथा वह वाक्य वर्तमानकाल का होता है।

ध्यान रखिए – जिन वाक्यों के क्रिया पदबंध में 'है'/ हैं / हूँ / हो' चिह्न लगे होंगे तो वे वाक्य 'वर्तमानकाल' के होंगे। देखिए निम्नलिखित उदाहरण –

(i) वे लोग रोज़ आठ बजे नाश्ता करते हैं।
(ii) वे लोग इस समय नाश्ता कर रहे हैं।
(iii) वे लोग नाश्ता कर चुके है।
(iv) उन लोगों ने नाश्ता कर लिया है।
(v) वे लोग मेरे स्कूल के अध्यापक हैं।
(vi) किताब मेज़ पर रखी है।

## (2) भूतकाल (Past Tens):

बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का पता भाषा में जिन चिह्नों से लगता है वे 'भूतकाल' के सूचक चिह्न कहलाते हैं तथा वह क्रिया 'भूतकाल' में कही जाती है। हिन्दी में भूत कल की सूचना देने वाले चिह्न हैं – 'था', 'थे', 'थी', 'थीं' या 'आ', 'ए', 'ई', 'ईं'। अतः भाषा में जिन चिह्नों से यह पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय या भूत समय में घटित हुई है या हुई थी, वे चिह्न 'भूतकाल' के चिह्न कहलाते हैं तथा वह वाक्य 'भूतकाल' का वाक्य होता है।

ध्यान रखिए जिन वाक्यों के क्रिया पदबंध में 'आ / ई / ए' या 'था / थी / थे' आदि चिह्न लगे होंगे वे वाक्य भूतकाल के होंगे। देखिए निम्नलिखित उदाहरण –

(i) उन लोगों ने नाश्ता कर लिया।
(ii) वह बाज़ार गई।
(iii) वे ट्रेन से वापस आए।
(iv) उन लोगों ने नाश्ता कर लिया था।
(v) वह बाज़ार गई थी।
(vi) वे ट्रेन से वापस आए थे।
(vii) वे लोग नाश्ता कर रहे थे।
(viii) वह बाज़ार जा रही थी।
(ix) वह बाज़ार में थी।

### (3) भविष्यतकाल (Future Tens) :

भविष्य में घटित होने वाले कार्य-व्यापार की सूचने देने वाले काल को 'भविष्यतकाल' कहा जाता है। 'भविष्यतकाल' ली सूचना देने वाले चिह्न हैं – 'गा', 'गे', 'गी', 'गीं'। अतः भाषा में जिन चिह्नों से यह पता चलता है कि क्रिया भविष्य में घटित होने वाली है, वे चिह्न 'भविष्यतकाल' के चिह्न कहलाते हैं तथा वह वाक्य 'भविष्यतकाल' का होता है।

ध्यान रखिए, जिन वाक्यों के क्रिया पदबंध में 'गा', 'गे', 'गी' आदि प्रत्यय लगे होते हैं वे वाक्य 'भविष्यतकाल' के माने जाते हैं। देखिए निम्नलिखित उदाहरण –

(i) मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा
(ii) तुम कब चलोगे ?
(iii) हम फिल्म देखने जाएँगे।
(iv) आज वे भी मैच खेलेंगे।
(v) वे सुबह तक पहुँचेंगे।
(vi) क्या आप मेरे साथ चलेंगे ?

## 3.4.05.03. पक्ष से तात्पर्य

आपने देखा कि 'काल' के प्रत्यय उन्हीं क्रियाओं में लगते हैं जो घटित होती हैं क्योंकि यदि क्रिया घटित होगी तभी वह घटित होने में कुछ न कुछ समय लेगी। भले ही वह समय एक क्षण का हो, एक घण्टे का हो, एक दिन का हो, या एक युग का हो। 'पक्ष' का सम्बन्ध इस बात से है कि क्रिया कैसे घटित होती है या हुई है। अतः ध्यान रखिए – समय के सन्दर्भ में क्रिया कैसे घटित हुई है, इस बात की सूचना क्रिया-पदबंध में लगने वाले जिन प्रत्ययों से मिलती है वे 'पक्ष' सूचक प्रत्यय कहलाते हैं।

## 3.4.05.04. पक्ष के भेद

हिन्दी के क्रिया-पदबंधों में मुख्य रूप से चार प्रकार के 'पक्ष' दिखाई देते हैं –

### (1) आवृत्तिमूलक पक्ष (Repeatative Aspect) (प्रत्यय – 'त्')

'आवृत्ति' का अर्थ है 'किसी कार्य का बार बार होना'। सहायक क्रिया के वे 'प्रत्यय' जो 'क्रिया' के बार-बार घटित होने की सूचना देते हैं, 'आवृत्तिमूलक पक्ष सूचक प्रत्यय' कहलाते हैं तथा वह क्रिया 'आवृत्ति मूलक पक्ष' की होती है।

हिन्दी में 'आवृत्तिमूलक पक्ष सूचक प्रत्यय' है – 'त्' । उदाहरण के लिए ' वह गाना गाती है' वाक्य का अर्थ यह नहीं है कि वह एक बार गाकर रुक जाती है बल्कि इसका अर्थ है कि वह गाने का कार्य बार-बार करती है । आवृत्तिमूलक पक्ष 'वर्तमानकाल' तथा 'भूतकाल' दोनों में पाया जाता है । दोनों ही कालों की क्रिया में 'त्' प्रत्यय लगता है, जैसे –

(क) वर्तमानकाल आवृत्तिमूलक पक्ष ( Present Indefinite) :

(i) वे रोज़ स्कूल जाते है ।

(ii) वे बड़ों की बात मानते हैं ।

(iii) शाम को बारिश होती है ।

(iv) चर्च में लोग प्रार्थना करते हैं ।

(ख) भूतकाल आवृत्तिमूलक पक्ष (Past Indefinite) :

(i) वे रोज़ स्कूल जाते थे ।

(ii) वे बड़ों की बात मानते थे ।

(iii) शाम को बारिश हो ती थी ।

(iv) चर्च में लोग प्रार्थना करते थे ।

### (2) सातत्यबोधक पक्ष ( Continuous Aspect) : (प्रत्यय – 'रह्')

'सातत्य' शब्द का अर्थ है 'लगातार' या 'निरन्तर' (Continuous) । अतः सातत्यबोधक पक्ष के वाक्यों में क्रिया के लगातातर या निरन्तर होने की सूचना मिलती है । हिन्दी में निरन्तरता को बताने के लिए क्रिया पदबंध में 'रह्' प्रत्यय लगता है ।

अतः ध्यान रखिए सहायक क्रिया के जिन प्रत्ययों से क्रिया के लगातार होने का पता चलता है वे 'सातत्यबोधक पक्ष' के प्रत्यय कहलाते हैं और वह क्रिया 'सातत्यबोधक पक्ष' की होती है ।

हिन्दी में 'सातत्यबोधक' पक्ष सूचक प्रत्यय 'रह्' है । अंग्रेजी में इस पक्ष की सूचना 'ing' से मिलती है । यह पक्ष भी 'वर्तमान' तथा 'भूत' दोनों कालों में पाया जाता है, जैसे –

(क) वर्तमानकाल सातात्यबोधक पक्ष ( Present Continuous) :

(i) हम लोग खाना खा रहे हैं ।

(ii) वे गाना सुना रही हैं ।

(iii) घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं

(iv) मेरी बहन नृत्य सीख रही है ।

(ख) भूतकाल सातत्यबोधक पक्ष ( Past Continuous) :

(i) हम लोग खाना खा रहे थे

(ii) वे गाना सुना रही थीं ।

(iii) घोड़े मैदान में दौड़ रहे थे ।

(iv) मेरी बहन नृत्य सीख रही थी ।

### (3) पूर्ण पक्ष (Perfect Aspect) : (प्रत्यय – 'शून्य')

'पूर्ण' का अर्थ है 'पूरा' । जिन वाक्यों में कार्य पूर्ण या समाप्त हो जाता है वे वाक्य 'पूर्ण पक्ष' के वाक्य होते है । अंग्रेजी में इस पक्ष को 'Perfect Aspect' कहा जाता है । हिन्दी में इसके लिए 'शून्य प्रत्यय' (अर्थात् कोई प्रत्यय नहीं) लगता है । अतः सहायक क्रिया के जिन प्रत्ययों से कार्य के पूरा होने की सूचना मिलती है वे 'पूर्ण पक्ष' के प्रत्यय कहलाते हैं तथा वह क्रिया पूर्ण पक्ष की होती है ।

हिन्दी में इस पक्ष के के लिए 'शून्य प्रत्यय' लगता है तथा क्रिया से ही कार्य की पूर्णता का पता चल जाता है । अंग्रेजी में इस पक्ष के लिए 'has', 'have', 'had चिह्न लगते हैं । यह पक्ष भी वर्तमान तथा भूत दोनों कालों में पाया जाता है, जैसे –

(क) वर्तमानकाल पूर्ण पक्ष ( Present Perfect) :

(i) तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है।

(ii) माँ ने खाना बना लिया है ।

(iii) हम बाज़ार हो आये हैं ।

(iv) फिल्म समाप्त हो चुकी है ।

(v) अध्यापक कक्षा ले चुके हैं ।

(vi) बारिश रुक गई है ।

(ख) भूतकाल पूर्ण पक्ष ( Past Perfect) :

(i) तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था ।

(ii) माँ ने खाना बना लिया था ।

(iii) हम बाज़ार हो आए थे ।

(iv) फिल्म समाप्त हो चुकी थी ।

(v) अध्यापक कक्षा ले चुके थे ।

(vi) बारिश रुक गई थी ।

### (4) स्थित्यात्मक पक्ष : (चिह्न – 'शून्य' प्रत्यय)

यह पक्ष अस्तित्ववाची क्रियाओं में पय जाता है। जिन अस्तित्वावाची वाक्यों में किसी व्यक्ति या वास्तु की स्थिति, अवस्था, दशा अदि का पता चलता है वहाँ 'स्थित्यात्मक पक्ष' होता है; जैसे –

(i) मेरी बहन बीमार है।
(ii) शीला डॉक्टर है।
(iii) बिल्ली रसोई में है।

उपर्युक्त वाक्यों में से वाक्य – (i) में बहन के बीमार होने की, वाक्य – (ii) में शीला के डॉक्टर होने की तथा वाक्य – (iii) में बिल्ली के रसोई में होने की स्थिति या दशा का पता चल रहा है; अतः यहाँ 'स्थित्यात्मक पक्ष' है। अन्य तीनों पक्षों की ही भाँती यह पक्ष भी वर्तमान कल एवं भूतकाल दोनों में पाया जाता है; जैसे –

| **वर्तमानकाल स्थित्यात्मक पक्ष** | **भूतकाल स्थित्यात्मक पक्ष** |
|---|---|
| (i) किताब मेज़ पर है। | (i) किताब मेज़ पर थी। |
| (ii) वह बहुत ईमानदार है। | (ii) वह बहुत ईमानदार था। |
| (iii) अध्यापक कक्षा में हैं। | (iii) अध्यापक कक्षा में थे। |

इस तरह आपने देखा कि क्रिया में जहाँ-जहाँ 'कालसूचक प्रत्यय' लगते हैं वहाँ-वहाँ 'पक्षसूचक प्रत्यय' भी लगते हैं क्योंकि दोनों का सम्बन्ध क्रिया के घटित होने से है। क्रिया यदि घटित हुई है तो एक ओर उसके घटित होने वाले समय से उसके 'वर्तमान', 'भूत' और 'भविष्य' की सूचना मिलेगी दूसरी ओर घटित होने में क्रिया कुछ न कुछ समय अवश्य लेगी। समय के सन्दर्भ में क्रिया कैसे घटित होती है – बार-बार (आवृत्ति), लगातार (सातत्य), पूर्ण हो चुकी है या किसी संज्ञा / सर्वनाम की स्थिति, अवस्था, दशा की सूचना दे रही है (स्थित्यात्मक) आदि के सूचक प्रत्यय क्रिया के 'पक्ष' की सूचना देते हैं।

## 3.4.05.05. वृत्ति से तात्पर्य

'काल' की चर्चा करते समय आपको बताया गया था कि 'काल' और 'पक्ष' के प्रत्यय उन्हीं क्रियाओं में लगते हैं जो प्रारम्भ हो चुकी हैं लेकिन भाषा में वक्ता ऐसे अनेक वाक्यों का प्रयोग करता है जहाँ क्रिया प्रारम्भ ही नहीं हुई होती है। ऐसी क्रिआओं में 'काल' और 'पक्ष' के प्रत्यय नहीं लगेंगे। ऐसे वाक्यों में तो क्रिया के घटित होने के प्रति वक्ता का क्या 'मूड' (Mood) है, यह पता चलता है। 'मूड' को ही हिन्दी में 'वृत्ति' या 'अभिवृत्ति' कहते हैं।

### 3.4.05.06. वृत्ति के भेद

हिन्दी की प्रमुख 'वृत्तियाँ' तथा उनकी सूचना देने वाले चिह्न या प्रत्ययों का विवरण इस प्रकार है –

#### (1) आज्ञार्थक वृत्ति –

जिस वृत्ति से आज्ञा, अनुरोध, चेतावनी, प्रार्थना आदि के भावों का पता चलता है वहाँ 'आज्ञार्थक वृत्ति' होती है। इस वृत्ति की सूचना देने वाले प्रत्यय हैं – 'शून्य', 'ओ', 'इए', 'इएगा' तथा 'ना'। देखिए उदाहरण –

| | | |
|---|---|---|
| तू यहाँ से जा | (– शून्य प्रत्यय) | आज्ञा |
| तुम यहाँ से जाओ | (– ओ प्रत्यय) | आज्ञा / अनुरोध |
| आप मेरे साथ चलिए | (– इए प्रत्यय) | अनुरोध / प्रार्थना |
| कल ज़रूर पहुँच जाइएगा | (– इएगा प्रत्यय) | अनुरोध / प्रार्थना / अति विनम्रता |
| शाम को सब्जी लेते आना | (– ना प्रत्यय) | आदेश / अनुरोध / धमकी |

#### (2) सम्भावनार्थक वृत्ति –

जिस वृत्ति से क्रिया के घटित होने की सम्भावना तथा वक्ता की इच्छा, कामना, अनुरोध चिन्ता आदि का पता चलता है वहाँ 'सम्भावनार्थक वृत्ति' होती है। इस वृत्ति की सूचना देने वाले प्रत्यय हैं – 'ए', 'एँ', तथा 'ऊँ'। जैसे –

| | | |
|---|---|---|
| शायद वह कल तक लौट आए | (–ए प्रत्यय) | सम्भावना |
| सम्भवतः मैं कल दिल्ली जाऊँ | (–ऊँ प्रत्यय) | सम्भावना |
| आज आप यहीं ठहर जाएँ | (–एँ प्रत्यय) | इच्छा |
| अब वह क्या करे ? | (–ए प्रत्यय) | चिन्ता |
| आप भोजन तो कर लें | (–एँ प्रत्यय) | अनुरोध |

#### (3) सामर्थ्यसूचक वृत्ति–

'सामर्थ्य' का अर्थ होता है 'क्षमता' (capability)। सहायक क्रिया के जिन प्रत्ययों से कार्य करने की सामर्थ्य या क्षमता का पता चलता है वहाँ 'सामर्थ्यसूचक वृत्ति' होती है। इस वृत्ति के सूचक प्रत्यय हैं – 'सक' तथा 'पा'। देखिए उदाहरण –

| | | |
|---|---|---|
| वह अंग्रेजी बोल सकता है | (–सक प्रत्यय) | सामर्थ्य |
| वे गाना नहीं गा सकतीं | (–सक प्रत्यय) | असामर्थ्य |
| वह चल नहीं पाती | (–पा प्रत्यय ) | असामर्थ्य |

हिन्दी में 'सकना' से सामर्थ्य के अलावा 'अनुमति' और 'सम्भावना' का भाव भी प्रकट होता है, जैसे –

| | | |
|---|---|---|
| गाड़ी दो घण्टे में आ सकती है। | (–सक प्रत्यय) | सम्भावना |
| आप यहाँ ठहर सकते हैं। | (–सक प्रत्यय) | अनुमति |

### (4) बाध्यतासूचक वृत्ति–

जिस वृत्ति से कार्य के घटित होने में बाध्यता या मजबूरी का भाव प्रकट होता है वहाँ 'बाध्यतासूचक वृत्ति' होती है। इस वृत्ति की सूचना देने वाले चिह्न हैं – 'ना है', 'ना पड़' तथा 'ना चाहिए'। देखिए उदाहरण –

| | | |
|---|---|---|
| अब मुझे जाना है | (–'ना है' प्रत्यय) | बाध्यता |
| अब मुझे चलना चाहिए | (–'ना चाहिए' प्रत्यय) | बाध्यता |
| उसे नौकरी करनी पड़ी | (–'नी पड़' प्रत्यय) | बाध्यता |

### (5) इच्छार्थक वृत्ति –

जिन वाक्यों में कर्त्ता द्वारा किसी बात की इच्छा या कामना प्रकट की जाती है वहाँ इच्छार्थक वृत्ति होती है। इस वृत्ति का सूचक चिह्न 'चाहना' है। हिन्दी में प्रायः इसका प्रयोग 'कृदन्त' (Verbal Noun) रूपों के साथ होता है, जैसे –

(i) मैं विदेश जाना चाहता हूँ।
(ii) मेरी बहन पत्रकार बनना चाहती है।
(iii) वह नौकरी करना नहीं चाहता।
(iv) वह भी हमारे साथ आना चाहता था।

### (6) संकेतार्थक वृत्ति :

जिन 'मिश्र वाक्यों' के दोनों उपवाक्य 'यदि ... तो' या 'अग ... तो' अव्ययों से जुड़े होते हैं तो दोनों उपवाक्यों के बीच कार्य-कारण का सम्बन्ध होता है। इस कार्य-कारण के सम्बन्ध को बताने वाली वृत्ति 'संकेतार्थ वृत्ति' कहलाती है। इसके सूचक चिह्न हैं – 'आ', 'ई', 'ए' जो दोनों वाक्यों के क्रिया पदबंध में लगते हैं। देखिए उदाहरण –

(i) यदि वह झूठ न बोलता तो स्कूल से न निकाला जाता।
(ii) यदि तुमने कहा होता तो मैं ज़रूर आता।
(iii) अगर वह परिश्रम करती तो अवश्य पास हो जाती।

### (7) निश्चयार्थ वृत्ति या भविष्यत वृत्ति –

परम्परागत व्याकरण में जिसे 'भविष्यतकाल' कहा जाता था, आधुनिक भाषाविज्ञान उसे 'भविष्यत वृत्ति' या 'निश्चयार्थ वृत्ति' कहता है। इसका कारण यह है कि भविष्यतकाल के अन्तर्गत आने वाले वाक्यों में भी क्रिया प्रारम्भ नहीं होती जैसे – 'वह शाम को आएगी' या 'आज स्कूल बन्द रहेगा।'

यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि काल और पक्ष का सम्बन्ध उन क्रियाओं के साथ होता है जो प्रारम्भ हो गई हों, हो रही हों या हो चुकी हों। जहाँ क्रिया प्रारम्भ ही नहीं हुई है, उन वाक्यों में तो केवल वक्ता के 'मूड' (mood) या 'वृत्ति' का ही पता चलता है।

परम्परागत व्याकरण के अनुसार भविष्यतकाल के अन्तर्गत आने वाले सभी वाक्यों में वक्ता किसी कथन को कहने में अपने मन की निश्चित भावना को व्यक्त करता है जैसे – 'मैं बाज़ार जाऊँगा' वाक्य में कर्त्ता के द्वारा बाज़ार जाने के प्रति निश्चितता का भाव प्रकट किया गया है परन्तु आधुनिक भाषा विज्ञान के अनुसार काल तो दो ही हैं – 'वर्तमानकाल' तथा 'भूतकाल'। जिसे हम 'भविष्यतकाल' कहते थे, क्रिया प्रारम्भ न होने के कारण उसे 'निश्चयार्थ वृत्ति' या 'भविष्यत वृत्ति' कहना ही अधिक उपयुक्त है। देखिए निश्चयार्थ वृत्ति के अन्य उदाहरण –

(i) सब लोग पिकनिक पर जाएँगे।
(ii) हम लोग खाना नहीं खाएँगे।
(iii) तुम मुझसे कब मिलोगी ?
(iv) आज माताजी खाना नहीं बनाएँगी।

## 3.4.06. वाच्य

### 3.4.06.01. वाच्य से तात्पर्य

'वाच्य' का अर्थ है – 'वाणी' या 'कथन' अर्थात् लगभग एक ही बात को अर्थ में थोड़ा अन्तर लाकर दो तरह से कहना। जैसे –

(i) लड़का सेब खाता है।
(ii) लड़के से / के द्वारा सेब खाया जाता है।

यद्यपि इन दोनों वाक्यों का मोटा-मोटा अर्थ तो एक ही है पर फिर भी दोनों वाक्यों के अर्थ में थोड़ा सा अन्तर है। पहले वाक्य में लड़के ने सेब खाने का जो कार्य किया है उसको वक्ता द्वारा प्रधानता (Importance) दी गई है जब कि दूसरे वाक्य में लड़के के कार्य को वक्ता द्वारा निरस्त करने या नकारने का काम किया गया है। किसी कार्य को निरस्त करने या नकारने का अर्थ है यह दिखाने की कोशिश करना कि मानों वाक्य की क्रिया को करने में

कर्त्ता की कोई भूमिका नहीं है। हिन्दी में कर्त्ता के कार्य को और अधिक निरस्त करने के लिए प्रायः वाक्य से कर्त्ता का लोप ही कर दिया जाता है, जैसे –

(i) माँ खाना बना रही है। (कर्त्ता के कार्य को प्रधानता दिया जाना)
(ii) माँ के द्वारा खाना बनाया जा रहा है। (कर्त्ता के कार्य को निरस्त किया जाना)
(iii) खाना बनाया जा रहा है। (कर्त्ता के कार्य को और अधिक निरस्त करना)

## 3.4.06.02. वाच्य के भेद

वाक्य में कर्त्ता के कार्य को प्रधानता देने अथवा निरस्त किए जाने के आधार पर वाच्य के दो भेद किए जाते हैं – 'कर्तृवाच्य' (Active Voice) तथा 'अकर्तृवाच्य' (Passive Voice)।

### (1) कर्तृवाच्य (Active Voice)

जिन वाक्यों में वक्ता द्वारा कर्त्ता के कार्य को 'प्रधानता' दी जाती है या 'महत्त्व' दिया जाता है, वे वाक्य 'कर्तृवाच्य' के अन्तर्गत आते हैं। कर्तृवाच्य के वाक्यों में 'अकर्मक' तथा 'सकर्मक' दोनों ही प्रकार की क्रियाएँ आ सकती हैं, जैसे –

| अकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य के वाक्य | सकर्मक क्रिया वाले कर्तृवाच्य के वाक्य |
|---|---|
| बच्चा सुबह से रो रहा है। | वह रिक्शा चलाता है। |
| हम लोग आज नहीं दौड़े। | बच्चे ने सुन्दर चित्र बनाया। |
| आप कब वापस आ रहे हैं ? | हमने कल ही यह फिल्म देखी थी। |

'कर्तृवाच्य' के वाक्यों में कर्त्ता को प्रधानता दिए जाने का अर्थ कुछ व्याकरण लेखकों ने यह ले लिया है कि 'क्रिया' केवल कर्त्ता के लिंग / वचन के अनुसार ही बदलती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्रिया के बदलने का सम्बन्ध 'वाच्य' के साथ नहीं होता। वस्तुतः किसी भी वाच्य का वाक्य हो 'क्रिया' उस संज्ञा के अनुसार बदलती है जिसके बाद कोई परसर्ग नहीं लगा होता, जैसे, कर्तृवाच्य के निम्नलिखित वाक्य देखिए –

| | | |
|---|---|---|
| माँ खाना बनाती है | नौकर खाना बनता है। | (कर्त्ता के अनुसार बदल रही है) |
| माँ / नौकर ने खाना बनाया | माँ/नौकर ने मिठाई बनाई | (कर्म के अनुसार बदल रही है) |
| माँ / नौकर ने खाने / मिठाई को बनाया | (न कर्त्ता के अनुसार बदल रही है और न कर्म के अनुसार ) | |

### (2) अकर्तृवाच्य (Passive Voice)

'अकर्तृवाच्य' के वाक्यों से तात्पर्य है उन वाक्यों से है 'जो कर्तृवाच्य के नहीं हैं' अर्थात् जिन वाक्यों में वक्ता द्वारा कर्त्ता के कार्य को 'निरस्त' कर दिया गया है। वाक्य को निरस्त करने के लिए वाक्य की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं –

(क) कर्त्ता के बाद 'के द्वारा' या 'से' परसर्ग लगाया जाता है।
(ख) क्रिया के मध्य में 'जा' प्रत्यय जोड़ा जाता है।
(ग) क्रिया की धातु या मुख्य क्रिया में भूतकालिक प्रत्यय ('आ / ई / ए') जोड़ दिया जाता है। उदाहरण –

| कर्तृवाच्य | अकर्तृवाच्य |
|---|---|
| सिमरन गाना गा रही है। | सिमरन के द्वारा गाना गाया जा रहा है। |
| मेरा दोस्त दावत देगा। | मेरे दोस्त द्वारा दावत दी जाएगी। |
| कल रात मैं नहीं सो सका। | कल रात मुझसे नहीं सोया जा सका। |
| अध्यापिका विद्यालय नहीं आई। | अध्यापिका से विद्यालय नहीं आया गया। |
| मरीज़ ने दवा नहीं खाई। | मरीज़ से दवा नहीं खाई गई। |

**अकर्तृवाच्य के भेद**

अकर्तृवाच्य के वाक्यों में 'सकर्मक क्रिया' का प्रयोग किया गया है या 'अकर्मक क्रिया' का, इस आधार पर 'अकर्तृवाच्य' के दो भेद किए जाते हैं – कर्मवाच्य तथा भाववाच्य।

**कर्मवाच्य –**

'अकर्तृवाच्य' के वे वाक्य जिनमें 'सकर्मक क्रिया' का प्रयोग हुआ है 'कर्मवाच्य' के वाक्य कहलाते हैं। जैसे,

(i) हलवाई के द्वारा मिठाई बनाई गई।
(ii) पुलिस द्वारा चोर को बहुत पीटा गया।
(iii) किसी के द्वारा भी काम पूरा नहीं किया गया।
(iv) मुझसे झूठ नहीं बोला गया।

उपर्यक्त सभी वाक्य अकर्तृवाच्य के हैं तथा सभी में 'सकर्मक क्रिया' का प्रयोग हुआ है अतः ये सभी वाक्य 'कर्मवाच्य' के वाक्य कहे जाएँगे।

प्रायः लोग यह समझते हैं कि 'कर्मवाच्य' में क्रिया केवल 'कर्म' के अनुसार बदलती है पर यह बात नही सही नहीं है। यदि 'कर्म' के बाद भी कोई परसर्ग लग होता है तो क्रिया 'कर्म' के अनुसार भी नहीं बदलती, जैसे –

(i) बच्चे के द्वारा पंखा चलाया गया।
(ii) बच्चे के द्वारा मशीन चलाई गई।
(iii) बच्चे के द्वारा पंखे/ मशीन को चलाया गया। (कर्म के अनुसार नहीं बदल रही)

**भाववाच्य –**

'अकर्तृवाच्य' के वे वाक्य जिनमें 'अकर्मक क्रिया' का प्रयोग किया जाता है, 'भाववाच्य' के अन्तर्गत आते हैं, जैसे –

(i) मच्छरों के कारण कल मुझसे नहीं सोया गया।
(ii) खिलाड़ियों से आज दौड़ा नहीं गया।
(iii) उनसे अब नहीं भागा जाता।
(iv) मुझसे अब नहीं चला जाता।

उपर्यक्त सभी वाक्य 'अकर्तृवाच्य' के हैं तथा इनमें 'अकर्मक क्रिया' का प्रयोग हुआ है अतः ये सभी 'भाववाच्य' के वाक्य कहलाएँगे।

**कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में अन्तर –**

गुणों के स्तर पर, 'कर्मवाच्य' तथा 'भाववाच्य' में कोई अन्तर नहीं होता। दोनों ही 'अकर्तृवाच्य' (Passive Voice) के भेद हैं। अन्तर केवल इस बात को लेकर है कि 'कर्मवाच्य' वाले वाक्यों की क्रिया 'सकर्मक' होती है तथा 'भाववाच्य' वाले वाक्यों की क्रिया 'अकर्मक'।

## 3.4.06.03. वाच्य परिवर्तन के नियम

हिन्दी के वाच्य परिवर्तन के नियमों को हम यहाँ अंग्रेजी भाषा के नियमों के साथ तुलना करके स्पष्ट करेंगे अतः अंग्रेजी में 'कर्तृवाच्य' को Active Voice तथा 'अकर्तृवाच्य' को Passive Voice कहते हैं। दोनों भाषाओं के कर्तृवाच्य एवं अकर्तृवाच्य के निम्नलिखित उदाहरणों पर ध्यान दीजिए –

| अंग्रेजी | हिन्दी | |
|---|---|---|
| The boy eats an apple. | बच्चा सेब खाता है। | (कर्तृवाच्य) |
| An apple is eaten by the child. | सेब बच्चे से / द्वारा खाया जाता है।<br>अथवा<br>सेब बच्चे से / द्वारा खाया जाता है। | (अकर्तृवाच्य) |

उपर्युक्त उदाहरणों के आधार पर अंग्रेजी तथा हिन्दी में 'कर्तृवाच्य' से 'अकर्तृवाच्य' में बदलने के निम्नलिखित तीन-तीन नियम सामने आते हैं –

| क्रमांक | अंग्रेजी के नियम | हिन्दी के नियम |
|---|---|---|
| 1. | कर्त्ता तथा कर्म का परस्पर स्थान-परिवर्तन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। | कर्त्ता तथा कर्म का परस्पर स्थान परिवर्तन वैकल्पिक है। वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। |
| 2. | कर्त्ता के पहले 'by' पूर्वसर्ग (preposition) अनिवार्यतः लग जाता है। | कर्त्ता के बाद 'के द्वारा' या 'से' में से कोई एक परसर्ग (Postposition) लग जाता है। |
| 3. | क्रिया में 'to be' क्रिया का कोई न कोई रूप (जैसे – is, are, was, were, has, have आदि) लग जाता है तथा मुख्य क्रिया तीसरे रूप (Participle form) में आ जाती है। | क्रिया के मध्य में 'जा-प्रत्यय' लग जाता है तथा क्रिया भूतकालिक प्रत्यय ले लेती है, जैसे – किया जाता है, सोया जाता है, देखा जाता है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है आदि। |

इनके अलावा हिन्दी के 'अकर्तृवाच्य' के वाक्यों की कुछ विशेषताएँ और भी हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए –

(1) हिन्दी में 'कर्तृवाच्य' से 'अकर्तृवाच्य' बनाते समय कर्त्ता के बाद 'से' या 'के द्वारा' प्रत्यय अवश्य लगता है। पर ध्यान रखिए बोलचाल की भाषा में प्रायः 'के द्वारा' का प्रयोग 'सकारात्मक या विधानवाचक वाक्यों' (Affirmative sentences) में तथा 'से' का प्रयोग 'निषेधात्मक वाक्यों' (Negative sentences) में किया जाता है, जैसे –

| | विधानवाचक वाक्य | निषेधात्मक वाक्य |
|---|---|---|
| (i) | (क) माँ के द्वारा नाश्ता बनाया गया। | (ख) माँ से नाश्ता नहीं बनाया गया। |
| (ii) | (क) लड़कियों द्वारा गाना गाया गया। | (ख) लड़कियों से गाना नहीं गाया गया। |

(2) हिन्दी के 'अकर्तृवाच्य' के वाक्यों में प्रायः कर्त्ता का लोप कर दिया जाता है अत; कर्त्ता के साथ लगे 'से / के द्वारा' परसर्गों का भी लोप हो जाता है, जैसे –

| | | |
|---|---|---|
| (i) | (क) नाश्ता बनाया गया। | (ख) नाश्ता नहीं बनाया गया। |
| (ii) | (क) गाना गाया गया। | (ख) गाना नहीं गाया |

(3) हिन्दी में 'अकर्तृवाच्य' के वाक्यों में क्रिया के मध्य में 'जा प्रत्यय' लगता है लेकिन अनेक 'व्युत्पन्न अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों' का प्रयोग भी अकर्तृवाच्य में किया जाता है अतः हिन्दी के 'अकर्तृवाच्य' के वाक्यों में दोनों प्रकार के वाक्य आ सकते हैं; जैसे –

| | अकर्तृवाच्य के सामान्य वाक्य | व्युत्पन्न अकर्मक क्रिया वाले अकर्तृवाच्य के वाक्य |
|---|---|---|
| (i) | माँ से खाना नहीं बनाया जाता। | (i) माँ से खाना नहीं बनता। |
| (ii) | मजदूर से पेड़ नहीं काटा जाता। | (ii) मजदूर से पेड़ नहीं कटता। |

## 3.4.06.04. वाच्य एवं प्रयोग

जैसा हमने ऊपर भी संकेत किया था कि व्याकरण की अनेक पुस्तकों में 'वाच्य' को लेकर भ्रम की स्थिति है। इन पुस्तकों में 'कर्तृवाच्य' का अर्थ लिया गया है – 'जहाँ कर्त्ता प्रधान हो' तथा कर्त्ता की प्रधानता का अर्थ लिया गया है – 'जहाँ क्रिया कर्त्ता की संज्ञा के लिंग / वचन के अनुसार बदलती हो'। इसी तरह 'कर्मवाच्य' में 'कर्म की प्रधानता बताते हुए यह माँ लिया गया है कि 'कर्मवाच्य' के वाक्यों में 'क्रिया केवल 'कर्म' की संज्ञा के अनुसार बदलती है। इसी तरह से 'भाववाच्य' के वाक्यों में 'भाव' (क्रिया) को प्रधानता देते हुए यह माँ लिया गया है कि भाववाच्य में क्रिया किसी भी संज्ञा के अनुसार नहीं बदलती।

वस्तुतः क्रिया के बदलने का सम्बन्ध 'वाच्य' के साथ होता है नहीं है। यह मानना कि 'कर्तृवाच्य' के वाक्यों में क्रिया केवल 'कर्त्ता' की संज्ञा के अनुसार बदलेगी या 'कर्मवाच्य' में केवल 'कर्म' की संज्ञा के अनुसार, यह एक बहुत बड़ी भ्रान्ति है। 'वाच्य' का अर्थ तो केवल इतना ही है कि वक्ता द्वारा 'कर्त्ता' के कार्य को प्रधानता दी गई है या उसे निरस्त किया गया है। वाक्य की क्रिया किस संज्ञा के अनुसार बदलेगी या प्रयुक्त होगी यह विषय 'प्रयोग' या 'अन्विति' के अन्तर्गत आता है। हिन्दी में क्रिया के 'प्रयोग' या 'अन्विति' के तीन नियम हैं जो इस प्रकार हैं –

नियम – 1 :

यदि कर्त्ता की संज्ञा परसर्ग रहित है तो क्रिया सदैव कर्त्ता की संज्ञा के अनुसार बदलती है, जैसे –

(i) लड़का संतरा / रोटी खाता है।
(ii) लड़के संतरे / रोटियाँ खाते हैं।
(iii) लड़की संतरा / रोटी खाती है।
(iv) लड़कियाँ संतरे / रोटियाँ खाती हैं।

उपर्यक्त सभी वाक्यों में 'कर्त्ता' परसर्ग रहित है अतः सभी वाक्यों में क्रिया कर्त्ता की संज्ञा के लिंग / वचन के अनुसार बदल रही है। ऐसे 'प्रयोग' जहाँ क्रिया कर्त्ता की संज्ञा के अनुसार बदलती है 'कर्त्तरि प्रयोग' कहे जाते हैं।

नियम – 2 :

यदि कर्त्ता की संज्ञा के बाद कोई भी परसर्ग लगा होगा तो क्रिया उसके अनुसार न बदलकर दूसरी संज्ञा (कर्म की संज्ञा) के अनुसार बदलती है; जैसे –

(i) लड़के / लड़की ने आम खाया।
(ii) लड़के / लड़की ने रोटी खाई।

(iii) लड़कों / लड़कियों ने आम खाए।

(iv) लड़के / लड़कियों ने रोटियाँ खाईं।

अतः ध्यान रखिए, जिन वाक्यों में क्रिया 'कर्म' की संज्ञा के अनुसार बदलती है, ऐसे प्रयोग को 'कर्मणि प्रयोग' कहा जा है।

नियम–3 :

यदि कर्त्ता तथा कर्म दोनों के बाद परसर्ग आता है तो क्रिया दोनों के अनुसार नहीं बदलती। ऐसी स्थिति में क्रिया 'तटस्थ' (Neutral) हो जाती है। क्रिया का तटस्थ रूप वही है जो अन्यपुरुष, पुल्लिंग एकवचन सर्वनाम के साथ भूतकाल में होता है, जैसे – उसने खाया, उसने पिया, उसने देखा आदि। क्रिया जब कर्त्ता या कर्म के अनुसार न बदलकर तटस्थ रूप में आती है तो ऐसे 'प्रयोग' को 'भावे प्रयोग' कहा जाता है। अतः ध्यान रखिए –

(क) 'कर्तृवाच्य' के वाक्यों में तीनों ही प्रयोग हो सकते हैं; जैसे –

| | | |
|---|---|---|
| लड़की दूध / चाय पीती है | लड़का दूध / चाय पीता है | (कर्तृवाच्य कर्तरि प्रयोग) |
| लड़की / लड़के ने दूध पिया | लड़की / लड़के ने चाय पी | (कर्तृवाच्य कर्मणि प्रयोग) |
| लड़की / लड़के ने दूध / चाय को पिया | | (कर्तृवाच्य भावे प्रयोग) |

(ख) कर्मवाच्य में दो ही प्रयोग सम्भव हैं –

चूँकि 'कर्मवाच्य' में कर्त्ता के बाद 'से/के द्वारा' परसर्ग लग होता है अतः क्रिया कर्त्ता के अनुसार कभी नहीं बदलती। कर्मवाच्य में या तो क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है या कर्त्ता कर्म दोनों के अनुसार नहीं बदलती; जैसे –

| | | |
|---|---|---|
| लड़की / लड़के के द्वारा दूध पिया गया | लड़की / लड़के के द्वारा चाय पी गई | (कर्मवाच्य कर्मणि प्रयोग) |
| लड़की / लड़के के द्वारा दूध / चाय को पिया गया | | (कर्मवाच्य भावे प्रयोग) |

(ग) भाववाच्य में केवल भावे प्रयोग ही सम्भव है –

भाववाच्य के वाक्यों में भी कर्त्ता के बाद 'से/के द्वारा' परसर्ग लगता है अतः क्रिया उसके अनुसार नहीं बदलती तथा 'अकर्मक क्रिया' होने के कारण 'कर्म' होता नहीं है अतः भाववाच्य के वाक्य सदैव 'भाव प्रयोग' में ही होते हैं; जैसे –

| | | |
|---|---|---|
| पिताजी / माताजी से नहीं सोया गया | लड़के / लड़की से नहीं चला जाता | (भाववाच्य भावे प्रयोग) |

## 3.4.07. पाठ-सार

प्रस्तुत पाठ का अध्ययन कर आपने संज्ञा तथा क्रिया पदों की व्याकरणिक कोटियों का विस्तृत परिचय प्राप्त किया। आपको बताया गया कि लिंग, वचन तथा कारक वे व्याकरणिक कोटियाँ हैं जिनके प्रभाव से संज्ञा शब्द विकृत होते हैं। आपको बताया गया कि भौतिक जगत् का 'सेक्स' तथा भाषिक जगत् का 'लिंग' दोनों एक नहीं हैं। हिन्दी में दो 'लिंग' पाए जाते हैं अतः हिन्दी के समस्त संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग वर्ग में आते हैं या स्त्रीलिंग वर्ग में। इसी तरह भौतिक जगत् की इकाई 'संख्या' तथा भाषिक जगत् की इकाई 'वचन' भी एक नहीं हैं। इसके साथ-साथ वचन परिवर्तन के नियमों का भी ज्ञान कराया गया। लिंग तथा वचन के अलावा संज्ञा को प्रभावित करने वाली तीसरी इकाई है – 'कारक'। प्रस्तुत पाठ में आपको 'कारक' की संकल्पना, उसके भेद-प्रभेद तथा हिन्दी में प्रयुक्त उसके विभिन्न चिह्नों से भी विस्तार से परिचित कराया गया। जहाँ तक 'क्रिया' को विकृत करने वाली व्याकरणिक कोटियों का प्रश्न है, ये हैं – काल, पक्ष, वृत्ति तथा वाच्य। ये चारों मिलकर 'सहायक क्रिया' की रचना करते हैं। इस पाठ में आप को इन सभी के बारे में विस्तार से बताया गया। आपने देखा कि 'काल' तथा 'समय' भी एक नहीं होते। 'समय' भाषिक सत्य है तो 'काल' भाषिक सत्य। आपको बताया गया कि जिन वाक्यों में क्रिया घटित होती है उनमें 'काल' तथा 'पक्ष' के प्रत्यय लगते हैं तथा जिन वाक्यों में क्रिया घटित नहीं होती उनमें 'वृत्ति' के प्रत्यय लगते हैं। इस पाठ में आपने 'वाच्य' के बारे में भी विस्तार से अध्ययन किया। वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाता है इसके लिए आपको हिन्दी वाच्य-परिवर्तन के नियमों को अंग्रेजी के नियमों के साथ तुलना करते हुए बताया गया। पाठ के अन्त में आपको वाच्य एवं प्रयोग या अन्विति के अन्तर को भी समझाया गया तथा हिन्दी के प्रयोग सम्बन्धी नियमों को भी उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया।

## 3.4.08. बोध प्रश्न

**बहुविकल्पीय प्रश्न**

1. वाक्यों के रेखांकित अंश किस कारक में हैं ? सही विकल्प का चयन कीजिए –

(i) दानी ने भिक्षुओं को भर पेट भोजन कराया।

(क) कर्त्ता कारक
(ख) कर्म कारक
(ग) सम्प्रदान कारक
(घ) तीनों ग़लत

(ii) चोर चलती गाड़ी से कूद गया।

(क) कर्त्ता कारक
(ख) करण कारक
(ग) सम्प्रदान कारक
(घ) अपादान कारक

(iii) आज देश पर संकट के बादल छाए हैं।

(क) सम्बन्ध कारक

(ख) अधिकरण कारक

(ग) कर्त्ता कारक

(घ) तीनों ग़लत

(iv) बच्चा माँ के सीने से लग गया।

(क) कर्त्ता कारक

(ख) करण कारक

(ग) अपादान कारक

(घ) अधिकरण करक

(v) उसने पेंसिल से चित्र बनाया।

(क) कर्त्ता कारक

(ख) अपादान कारक

(ग) सम्प्रदान कारक

(घ) करण कारक

**अभ्यास**

1. निम्नलिखित वाक्यों को 'भूतकाल आवृत्तिमूलक पक्ष' के वाक्यों में बदलिए –

(i) घर में काम चल रहा है।

(ii) शिमला में रोज़ बारिश हो रही है।

(iii) वे लोग फिल्म देख रहे हैं।

(iv) वह मिठाई बना रही है।

(v) तेज़ धूप निकल रही है।

(vi) मैं उनको गाना सुना रहा हूँ।

2. निम्नलिखित वाक्यों को अकर्तृवाच्य में बदलिए –

(i) ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा।

(ii) मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊँगा।

(iii) बीमार व्यक्ति चल नहीं सकता।

(iv) नौकर सब्जी लाया।

(v) वह दिन में कई बार चाय पीता है।
(vi) आप क्यों हँस रहे हैं ?
(vii) बच्चा नहीं सो रह है।
(viii) मैं इस बार परीक्षा ज़रूर दूँगा ।

3. सुमेलित कीजिए –

| वर्ग– क | वर्ग – ख |
|---|---|
| (i) वर्तमानकाल आवृत्तिमूलक पक्ष | (i) मैंने होमवर्क समाप्त कर लिया है। |
| (ii) भूतकाल आवृत्तिमूलक पक्ष | (ii) पिताजी ने अखबार पढ़ लिया था। |
| (iii) सामान्य भूतकाल | (iii) गाड़ी तेजी से चली जा रही थी। |
| (iv) वर्तमानकाल सातत्यबोधक पक्ष | (iv) सब लोग परिश्रम करते हैं। |
| (v) भूतकाल सातत्यबोधक पक्ष | (v) आज वह स्कूल नहीं गया। |

**लघूत्तरात्मक प्रश्न**

1. निम्नलिखित में अन्तर स्पष्ट कीजिए –
(i) आवृत्तिमूलक पक्ष तथा सातत्यबोधक पक्ष
(ii) करण कारक तथा अपादान कारक
(iii) कर्मवाच्य तथा भाववाच्य
(iv) कर्तरि प्रयोग तथा कर्मणि प्रयोग

2. संक्षिप्त टिपण्णी लिखिए –
(i) पूर्ण पक्ष
(ii) बाध्यतासूचक वृत्ति
(iii) वाच्य परिवर्तन के नियम

**दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न**

1. पक्ष से क्या तात्पर्य है ? पक्ष के सभी भेदों के नाम लिखिए।
2. 'कारक' की संकल्पना स्पष्ट करते हुए हिन्दी कारकों के भेद सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।
3. 'वाच्य एवं प्रयोग' विषय पर एक सारगर्भित लेख लिखिए।

## 3.4.09. कठिन शब्दावली

प्रस्तुत पाठ में आपको निम्नलिखित कठिन शब्दों की जानकारी मिली –

व्याकरणिक कोटि, भौतिक सत्य, भाषिक सत्य, प्रयोक्ता, व्यंजन द्वित्त्व, गणनीय, रूपसाधक प्रत्यय, विश्लिष्ट, संश्लिष्ट, अभिव्यक्ति

## 3.4.10. उपयोगी / सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची


1. हिंदी संरचना, EHD – 07, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्तविश्वविद्यालय प्रकाशन
2. भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, खण्ड – हिंदी संरचना, MHD – 07, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय प्रकाशन
3. बृहत् हिंदी व्याकरण, 2014, गुप्त, रवि प्रकाश, अरु पब्लिकेशन्स प्रा. लि., नयी दिल्ली
4. हिंदी भाषा संरचना के विविध आयाम, 1995, श्रीवास्तव, रवीन्द्रनाथ, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली


**उपयोगी इंटरनेट स्रोत :**


1. http://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=18
2. http://www.hindisamay.com/
3. http://hindinest.com/
4. http://www.dli.ernet.in/
5. http://www.archive.org


❖❖❖

## खण्ड – 3 : हिन्दी की भाषा संरचना

## इकाई – 5 : हिन्दी वाक्य-रचना : वाक्य के प्रकार, उपवाक्य, उपवाक्य के प्रकार, पदक्रम और अन्विति

**इकाई की रूपरेखा**


3.5.0. उद्देश्य कथन
3.5.1. प्रस्तावना
3.5.2. वाक्य
- 3.5.2.1. वाक्य : स्वरूप एवं संरचना
- 3.5.2.2. पूर्णांग तथा अल्पांग वाक्य
- 3.5.2.3. अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद
- 3.5.2.4. रचना के आधार पर वाक्य के भेद

3.5.3. उपवाक्य
- 3.5.3.1. उपवाक्य से तात्पर्य
- 3.5.3.2. सरल वाक्य और उपवाक्य
- 3.5.3.3. उपवाक्य : भेद-प्रभेद
- 3.5.3.4. आश्रित उपवाक्य : भेद-प्रभेद

3.5.4. पद, पदबंध, अन्विति और पदक्रम
- 3.5.4.1. शब्द, पद और पदबंध
- 3.5.4.2. पदबंध : भेद-प्रभेद
- 3.5.4.3. अन्विति : तात्पर्य एवं तत्सम्बन्धी नियम
- 3.5.4.4. हिन्दी के वाक्यों में पदक्रम सम्बन्धी नियम

3.5.5. पाठ-सार
3.5.6. बोध प्रश्न
3.5.7. कठिन शब्दावली
3.5.8. उपयोगी / सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची


### 3.5.0. उद्देश्य कथन

प्रस्तुत पाठ का अध्ययन करने के उपरान्त आप –

i. वाक्य एवं उसके स्वरूप को समझ सकेंगे।
ii. पूर्णांग एवं अल्पांग वाक्यों के अन्तर को समझा सकेंगे।
iii. रचना एवं अर्थ के आधार पर होने वाले वाक्यों के भेदों को बता सकेंगे।
iv. उपवाक्य और वाक्य का अन्तर समझा सकेंगे।
v. उपवाक्यों के समस्त भेदों को समझा सकेंगे।

vi. शब्द, पद और पदबंध के अन्तर को समझ सकेंगे ।
vii. पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट कर सकेंगे ।
viii. हिन्दी के वाक्यों में पदक्रम के क्या नियम हैं, समझ सकेंगे ।
ix. अन्विति की संकल्पना को स्पष्ट कर सकेंगे।
x. विशेषण-विशेष्य अन्विति तथा संज्ञा-क्रिया अन्विति को उनके नियमों के साथ समझा सकेंगे ।

## 3.5.1. प्रस्तावना

प्रस्तुत पाठ में आप हिन्दी-वाक्य संरचना का विस्तार से अध्ययन करेंगे । इसके अन्तर्गत आपको वाक्य की संकल्पना से परिचित कराया जाएगा तथा रचना और अर्थ के आधार पर होने वाले वाक्य के भेदों का भी ज्ञान कराया जायेगा । आप यह भी जानेंगे कि वाक्य की रचना विभिन्न पदों के योग से होती है । हिन्दी के सरल वाक्य में पदों का क्रम क्या होता है ? इस विषय में भी आपको बताया जाएगा । आपको बताया जाएगा कि जब एक से अधिक सरल वाक्यों को मिलकर जटिल वाक्य बनाए जाते हैं तो समस्त सरल वाक्यों को उपवाक्य बनाकर जटिल वाक्य का अंग बना दिया जाता है । ये सभी उपवाक्य भी अलग-अलग तरह के होते हैं । आप इस पाठ में उन सभी भेदों का अध्ययन करेंगे । पाठ के अन्त में आपको 'अन्विति' तथा उससे सम्बन्धित नियमों के सम्बन्ध में बताया जाएगा ।

## 3.5.2. वाक्य

### 3.5.2.1. वाक्य : स्वरूप एवं संरचना

**वाक्य का स्वरूप**

जब भी हमें अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचानी होती है या किसी से बातचीत करनी होती है तो हम वाक्यों का सहारा लेकर ही बातचीत करते हैं । यद्यपि वाक्य की रचना विभिन्न पदों के योग से होती है और हर पद का अपना अलग अर्थ होता है पर वाक्य में आए सभी घटक परस्पर मिलकर एक पूरा विचार या सन्देश प्रकट करते हैं । वस्तुतः वाक्य भाषा की लघुतम इकाई है जो स्वयं में एक पूर्ण एवं स्वतन्त्र रचना होती है तथा किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर पाने में समर्थ होती है । इस तरह यह कहा जा सकता है कि 'वाक्य' मानव मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा की लघुतम इकाई है । देखिए वाक्यों के कुछ उदाहरण –

(i) बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं।
(ii) सब लोग बहस कर रहे हैं ।
(iii) किसान खेतों में हल चला रहे हैं ।
(iv) नौकर काम कर रहा है ।
(v) बच्चों ने खाना खा लिया है ।

(vi) किताब मेज़ पर रखी है।

**वाक्य की संरचना**

यदि वाक्यों की संरचना पर ध्यान दें तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वाक्यों की रचना मुख्यतः 'कर्त्ता (संज्ञा पदबंध) तथा 'क्रिया' (क्रिया पदबंध) दो अंशों से मिलकर होती है। क्रिया पदबंध के बिना तो वाक्य हो ही नहीं सकता। यदि हम कहते हैं – 'लड़के ने बिल्ली को डंडे से' तो यह वाक्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें 'क्रिया पदबंध' नहीं है। जब इसमें क्रिया पदबंध को भी जोड़ दिया जाता है तभी यह वाक्य बनता है, जैसे – 'लड़के ने बिल्ली को डंडे से मारा।' अतः ध्यान रखिए बिना क्रिया पदबंध के वाक्य नहीं बनता। प्राचीन शब्दावली में 'कर्त्ता' को 'उद्देश्य' तथा 'क्रिया पदबंध' को 'विधेय' कहते थे। अतः यह कहा जा सकता है कि वाक्य की रचना दो अंशों के मिलने से होती है– 'उद्देश्य' तथा 'विधेय'।

**उद्देश्य –**

उद्देश्य वाक्य का वह भाग है जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है या विधान किया जाता है। इसके अन्तर्गत कर्त्ता एवं कर्त्ता के विस्तारक आते हैं।

**विधेय –**

विधेय वह अंश है जिसका विधान उद्देश्य के लिए किया जाता है। विधेय के अन्तर्गत'क्रिया पदबंध' तथा उसके विस्तारक आते हैं, जैसे –

| वाक्य | उद्देश्य | विधेय |
|---|---|---|
| लड़का झूठ बोल रहा है। | लड़का | झूठ बोल रहा है। |
| आपका लड़का झूठ बोल रहा है। | आपका लड़का | झूठ बोल रहा है। |
| चोरी करने वाला लड़का अपने घर गया। | चोरी करने वाला लड़का | अपने घर गया। |

उद्देश की रचना में 'कर्त्ता' तथा 'कर्त्ता के विस्तारक' और 'विधेय' की रचना में 'विधेय' तथा 'विधेय के विस्तारक' आते हैं तथा वाक्य स्वयं में पूर्ण तथास्वतन्त्र होता है।

**वाक्य की परिभाषा**

उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की वह लघुतम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों और विचारों को श्रोता तक सम्प्रेषित करता है 'वाक्य' कहलाता है।

### 3.5.2.2. पूर्णांग तथा अल्पांग वाक्य

जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया वाक्य की रचना के लिए उद्देश्य तथा विधेय का होना अति आवश्यक है लेकिन नीचे दिए गए खण्ड – क के वार्त्तालाप में आए रूपों को देखिए –

| क | ख |
|---|---|
| पहला – चलोगे ? | पहला – (क्या तुम मेरे साथ) चलोगे ? |
| दूसरा– कहाँ ? | दूसरा – (मुझे) कहाँ (चलना है) ? |
| पहला – बाज़ार ? | पहला – (हम लोग) बाज़ार (चलेंगे) ? |
| दूसरा– कब ? | दूसरा – कब (चलोगे) ? |
| पहला – शाम को। | पहला – (हम लोग) शाम को (चलेंगे)। |

आप देख सकते हैं कि क – खण्ड के वार्तालाप में यद्यपि एक पद वाली रचनाएँ हैं लेकिन भाव या विचार को प्रकट करने की दृष्टि से वे पूर्ण हैं । वास्तव में हम जानते हैं कि ये खण्ड – ख में आए वाक्यों के लघु रूप हैं । अतः यह कहा जा सकता है कि भाषा में कुछ वाक्य ऐसे भी हो सकते हैं जिनके कुछ अंशों का लोप कर दिया गया हो, परन्तु ये अर्थ या भाव को सन्दर्भ के अनुसार स्पष्ट करने में समर्थ होते हैं । ऐसे वाक्यों को 'लघु वाक्य' या 'अल्पांग वाक्य' (अल्प या कम हैं अंग जिसके) कहा जाता है। इस दृष्टि से वाक्य दो तरह के हो जाते हैं –

(क) पूर्णांग वाक्य –

वे वाक्य जिनके सभी अंग वाक्य में विद्यमान हों। पूर्णांग वाक्यों में 'उद्देश्य' तथा 'विधेय' सम्बन्धी सभी घटक वाक्य में विद्यमान रहते हैं । जैसे – 'मजदूर पेड़ काट रहे है', 'मेरी छोटी बहन सिलाई की मशीन चला रही है', 'झूठ बोलने वाला लड़का आपनी साइकिल से घर चला गया है।'

(ख) अल्पांग वाक्य –

जिन वाक्यों में उद्देश्य अथवा विधेय से सम्बन्धित घटकों में से कोई एक घटक विद्यमान हो, 'अल्पांग वाक्य' कहलाते हैं; जैसे – आइए, उधर बैठिए, नमस्कार, क्यों ? आदि।

### 3.5.2.3. अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद

#### (1) कथनात्मक वाक्य

इस वर्ग में या तो सामान्य कथन आते हैं या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति / अवस्था की सूचना देने वाले वाक्य आते हैं, जैसे –

(i) बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं।

(ii) सभी अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं।
(iii) वे दोनों सो चुके हैं।
(iv) ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुँच गई है।
(v) वह आँखों की डॉक्टर है।
(vi) सारी किताबें अलमारी में हैं।
(vii) लड़के खेल रहे हैं और लड़कियाँ दौड़ रही हैं।
(viii) जो लड़का बीमार है उसका इलाज चल रहा है।

**(2) आज्ञार्थक वाक्य**

जिन वाक्यों में वक्ता किसी को आज्ञा, आदेश, अनुमति आदि देता है, 'आज्ञार्थक वाक्य' कहलाते हैं, जैसे –

(i) आज तू यहीं सो जा।
(ii) तुम अपना काम करो।
(iii) आप मेरे साथ आइए।
(iv) शाम को जल्दी आ जाइएगा।
(v) शाम को सब्जी लेते आना।
(vi) उसे दवाई पिला दो।
(vii) पहले खाना खाओ फिर जाकर सो जाओ।
(viii) अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल लो।

**(3) प्रश्नवाचक वाक्य**

जिन वाक्यों में वक्ता द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है, वे वाक्य 'प्रश्नवाचक वाक्य' कहलाते हैं। ये दो तरह के होते हैं –

(क) 'हाँ / ना' – उत्तर वाले प्रश्नवाचक वाक्य –

इन प्रश्नवाचक वाक्यों के प्रारम्भ में 'क्या' प्रश्नवाचक शब्द लगता है और इन प्रश्नों के उत्तर 'हाँ' या 'ना' में दिए जा सकते हैं, जैसे –

| प्रश्नवाचक वाक्य | सम्भावित उत्तर |
|---|---|
| क्या यह मकान खाली है? | जी हाँ या जी नहीं |
| क्या इन दिनों बाज़ार में आम मिलता है? | जी हाँ या जी नहीं |
| क्या तुम्हारी नौकरी लग गई? | हाँ या नहीं |

(ख) अन्य प्रश्नवाचक वाक्य –

वे प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, जैसे –

(i) वह कहाँ रहती है ?
(ii) तुमको खाने में क्या पसंद है ?
(iii) तुम दोनों यहाँ से कैसे जाओगे ?
(iv) ताजमहल किसने बनवाया था ?
(v) घर के बाहर कौन खड़ा है ?
(vi) बीमार को दवा कब देनी है ?
(vii) अपने आज क्या-क्या खरीदा ?
(viii) तुम वहाँ से कब चले और यहाँ कब पहुँचे ?

**(4) इच्छार्थक वाक्य**

जिन वाक्यों में वक्ता अपनी किसी इच्छा को व्यक्त करता है, 'इच्छार्थक वाक्य' कहलाते हैं, जैसे –

(i) आपको नौकरी मिल जाए।
(ii) आप जल्दी स्वस्थ हो जाएँ।
(iii) लौटरी निकल आए तो अच्छा हो।
(iv) बारिश आ जाए तो अच्छा है।
(v) ईश्वर आपको शक्ति दे।
(vi) नौकरी लग जाए, यही कामना है।

**(5) सम्भावनार्थक वाक्य**

इन वाक्यों में वक्ता कार्य के होने या न होने की सम्भावना प्रकट करता है, जैसे –

(i) शायद ट्रेन देर से आए।
(ii) हो सकता है तुम्हारा काम बन जाए?
(iii) हो सकता है भाईसाहब चल दिए हों।
(iv) यह दवाई दें, हो सकता है बुखार उतर जाए।

### (6) निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य

इन वाक्यों में सामान्य कथनों को नकारा जाता है। हिन्दी में प्रायः 'नहीं', 'मत' तथा 'न' लगाकर निषेधात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। कथनात्मक वाक्यों को 'नहीं' लगाकर निषेधात्मक बनाया जाता है; जैसे –

(क) कथानात्मक निषेधात्मक वाक्य –

(i) फिल्म नहीं दिखाई जाएगी।

(ii) प्रधानमंत्री अमेरिका नहीं जा रहे।

(iii) किताब मेज़ पर नहीं है।

इसके अलावा 'आज्ञार्थक वाक्यों' को नकारात्मक वाक्यों में बदलने के लिए 'मत' तथा 'इच्छार्थक एवं 'सम्भावनार्थक' वाक्यों' को नकारात्मक वाक्यों में बदलने के लिए 'न' लगाया जाता है, जैसे –

(ख) आज्ञार्थक निषेधात्मक वाक्य –

(i) मेरे सामने झूठ मत बोलो।

(ii) देर रात तक मत जागा करो।

(iii) आप उसकी बात मत सुनिए।

(ग) इच्छार्थक निषेधात्मक वाक्य –

(i) मैं चाहता हूँ कि आप कभी सफल न हों।

(ii) तुम्हें कभी नौकरी न मिले।

(घ) सम्भावनार्थक निषेधात्मक वाक्य –

(i) शायद ट्रेन समय पर न आए।

(ii) हो सकता है आज बारिश न हो ।

### (7) विस्मयादिबोधक वाक्य

इन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष, प्रेम आदि के भाव व्यक्त किए जाते हैं तथा वाक्य के प्रारम्भ में विस्मयादिसूचक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे –

(i) वाह ! कितना बढ़िया भोजन बनाया है।

(ii) उफ़ ! कितनी तेज़ गरमी है।

(iii) हाय ! मैं क्या करूँ ?

(iv) छिः ! कितनी गंदी जगह है।

(v) शाबाश ! तुमने तो कमाल कर दिया।

(vi) अरे ! यह क्या कर रहे हो ?

**(8) संकेतवाचक या शर्तवाची वाक्य–**

इन वाक्यों में किसी न किसी शर्त को पूरा करने का कार्य किया जाता है अतः इन वाक्यों को 'शर्तवाची वाक्य' भी कहते हैं। इन वाक्यों के उपवाक्य प्रायः 'यदि / अगर ... तो' से जुड़े रहते हैं; जैसे –

(i) यदि विमान का किराया देंगे तो ही मैं हैदराबाद जाऊँगा।

(ii) यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे।

(iii) अगर उसने शादी की होती तो अज इस तरह से भटकना न पड़ता।

(iv) अगर मीरा मेरी बात मानेगी तो मैं उसका काम अवश्य करूँगा।

## 3.5.2.4. रचना के आधार पर वाक्य के भेद

रचना की दृष्टि से सभी वाक्य एक जैसे नहीं होते। कुछ वाक्यों की रचना 'एक क्रिया पदबंध' के द्वारा होती है तो कुछ की रचना 'दो या दो से अधिक क्रिया पदबंधों' के द्वारा। देखिए निम्नलिखित उदाहरण –

| **एक क्रिया पदबंध वाले वाक्य** | **एकाधिक क्रिया पदबंध वाले वाक्य** |
|---|---|
| (i) लड़का बाज़ार गया है। | (iii) जो लड़का बाज़ार गया है वह मेरा भाई है। |
| (ii) लड़की खाना बना रही है। | (iv) लड़का बाज़ार गया है और लड़की खाना बना रही है। |

एक क्रिया पदबंध वाले वाक्यों को 'सरल वाक्य' तथा एक से अधिक क्रिया पदबंध वाले वाक्यों को 'जटिल वाक्य' कहा जाता है। ऊपर के उदाहरणों में वाक्य (i) तथा (ii) 'एक क्रिया पदबंध' होने के कारण 'सरल वाक्य' हैं तथा वाक्य (iii) तथा (iv) एक से अधिक क्रियाएँ होने के कारण 'जटिल वाक्य' हैं।

परन्तु सभी जटिल वाक्यों की रचना एक जैसी नहीं होती। वाक्य (iv) में आने वाले दोनों 'उपवाक्य' 'समान स्तर' के हैं। इनको हम वाक्य से बाहर निकाल कर अलग से स्वतन्त्र रूप में भी बोल सकते हैं। अर्थात् यह कहा जा सकता है कि 'लड़का बाज़ार गया है' तथा 'लड़की खाना बना रही है'। लेकिन वाक्य (iii) के उपवाक्य – 'वह मेरा भाई है' को तो हम अलग से स्वतन्त्र रूप में बोल सकते हैं पर दूसरे उपवाक्य 'जो लड़का बाज़ार गया है' को स्वतन्त्र रूप से नहीं बोल सकते क्योंकि यह उपवाक्य दूसरे उपवाक्य 'वह मेरा भाई है' पर आश्रित है।

इस तरह प्रत्येक भाषा के 'जटिल वाक्यों' में दो तरह के उपवाक्य मिलते हैं। कुछ 'स्वतन्त्र उपवाक्यों' वाले जटिल वाक्य तथा कुछ ऐसे जटिल वाक्य जिनमें एक 'प्रधान उपवाक्य' हो तथा अन्य उस पर 'आश्रित

उपवाक्य' हों। ऊपर के वाक्य (iii) में एक उपवाक्य 'आश्रित उपवाक्य' है और दूसरा 'प्रधान उपवाक्य'; जबकि वाक्य (iv) के दोनों उपवाक्य परस्पर 'स्वतन्त्र उपवाक्य' हैं। न कोई किसी का 'प्रधान' है और न कोई किसी का 'आश्रित'। स्वतन्त्र उपवाक्यों को 'समानाधिकृत उपवाक्य' (समान अधिकार वाले) भी कहा जाता है। अतः ध्यान रखिए – जिस जटिल वाक्य में एक 'प्रधान उपवाक्य' तथा शेष 'आश्रित उपवाक्य' होते हैं उसे 'मिश्र वाक्य' कहते हैं तथा जिसमें सभी 'समानाधिकृत' या 'स्वतन्त्र' उपवाक्य होते हैं उसे 'संयुक्त वाक्य' कहते हैं। कभी-कभी कुछ 'जटिल वाक्य' ऐसे भी हो सकते है जिनमें 'एक प्रधान उपवाक्य' हो 'दूसरा आश्रित उपवाक्य' तथा 'तीसरा स्वतन्त्र उपवाक्य', जैसे –

(i) अध्यापक को मालूम है कि रश्मि बीमार है और परीक्षा नहीं दे सकती।
(ii) नेताजी ने कल कहा था कि देश पर संकट है अतः सब लोगों को काम करना चाहिए।
(iii) जब ट्रेन आएगी तब कुली सामान उठा लेगा और तुम पानी की बोतल ले आना।

| प्रधान उपवाक्य | आश्रित उपवाक्य | स्वतन्त्र उपवाक्य |
|---|---|---|
| अध्यापक को मालूम है | कि रश्मि बीमार है | और परीक्षा नहीं दे सकती। |
| नेताजी ने कल कहा था | कि देश पर संकट है | अतः सब लोगों को काम करना चाहिए। |
| जब ट्रेन आएगी | तब कुली सामान उठा लेगा | और तुम पानी की बोतल ले आना। |

उपर्युक्त सभी वाक्यों में एक 'प्रधान उपवाक्य', दूसरा 'आश्रित उपवाक्य' तथा तीसरा 'स्वतन्त्र उपवाक्य' है। ऐसे जटिल वाक्यों को 'संयुक्त-मिश्र वाक्य' कहते हैं।

### (1) सरल वाक्य

जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया, जिन वाक्यों में 'एक उद्देश्य' तथा 'एक विधेय' होता है वे 'सरल वाक्य' (Simple Sentences) कहलाते हैं। ध्यान रखिए, 'सरल वाक्य' की सबसे बड़ी पहचान यही है कि उसमें केवल एक ही 'क्रिया पदबंध' होता है। देखिए निम्नलिखित उदाहरण –

(क) कथनात्मक या विधान वाचक सरल वाक्य –
(i) सब लोग घर चले गए।
(ii) उन लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया।
(iii) मैं कल लंदन जा रहा हूँ।

(ख) प्रश्नवाचक सरल वाक्य –
(i) आपकी गाड़ी कहाँ है ?
(ii) आप यहाँ से कैसे जाएँगे ?
(iii) क्या कल बारिश आयी थी ?

इनमें निषेधात्मक प्रश्नवाचक वाक्य भी आ सकते हैं; जैसे –

(i) तुम कल क्यों नहीं आए ?
(ii) आपने खाना क्यों नहीं खाया।
(iii) क्या वह नहीं आएगी ?

(ग) आज्ञार्थक सरल वाक्य –
(i) तू यहाँ से जा।
(ii) तुम अपना काम करो।
(iii) कल जल्दी आ जाना।
(iv) अपना काम कीजिए।

इनमें भी निषेधात्मक वाक्य आ सकते हैं; जैसे –

(i) आज फिल्म मत देखना।
(ii) शादी मत करना।
(iii) मुझे गाली मत दो।
(iv) झूठ मत बोलो।

(घ) निषेधात्मक सरल वाक्य
(i) बच्चे घर नहीं पहुँचे हैं।
(ii) नौकर ने काम नहीं किया है।
(iii) मैं थोड़े ही उससे मिलूँगा।

(ङ) सम्भावनार्थक सरल वाक्य
(i) हो सकता है वह सही सलामत हो।
(ii) शायद ट्रेन आ गई हो।

इस वर्ग में निषेधात्मक वाक्य भी आ सकते हैं; जैसे –

(i) हो सकता है वहाँ बारिश न आई हो।
(ii) शायद अभी फिल्म शुरू न हुई हो।

(च) इच्छार्थक सरल वाक्य

(i) चलो अब खाना खाया जाए।

(ii) आपकी यात्रा शुभ हो।

(छ) विस्मयादिबोधक सरल वाक्य

(i) वाह ! कितनी बढ़िया कॉफ़ी बनाई है।

(ii) छिः ! बहुत बदबू है।

## (2) जटिल वाक्य

### 1. संयुक्त वाक्य

संयुक्त वाक्यों में सभी उपवाक्य 'स्वतन्त्र उपवाक्य' होते हैं तथा प्रत्येक उपवाक्य का स्तर समान होता है इसीलिए इन उपवाक्यों को 'समानाधिकृत उपवाक्य' कहा जाता है तथा संयुक्त वाक्यों के उपवाक्य प्रायः 'और', 'एवं', 'तथा', 'या', 'अथवा', 'नहीं तो', 'इसलिए', 'कि', 'अतः', 'पर', 'परन्तु', 'किन्तु', 'लेकिन', 'वरना', 'मगर', 'या ... या', 'न ... न', आदि समुच्चयबोधक अव्ययों के माध्यम से एक-दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं; जैसे –

(i) आप चुप रहिए और अपना काम कीजिए।

(ii) मैं यहीं रहूँगा तथा तुमको को भी साथ रखूँगा।

(iii) तुम आ रही हो या तुम्हारी बहन आ रही है ?

(iv) ठीक से बात करो नहीं तो चले जाओ।

(v) होमवर्क पूरा कर लो वरना टीचर नाराज़ होंगी।

(vi) वह बीमार है पर अभी भी काम करती रहती है।

**संयुक्त वाक्यों के भेद-प्रभेद –**

संयुक्तवाक्यों में आने वाले समुच्चयबोधक अव्यय चार तरह के कार्य करते हैं –

(क) उपवाक्यों को जोड़ने का

(ख) उपवाक्यों को विभाजित करने का

(ग) उपवाक्यों के बीच विरोध प्रकट करने का

(घ) उपवाक्यों के बीच कारण तथा परिणाम का सम्बन्ध प्रकट करने का

(क) संयोजक संयुक्त वाक्य:

कार्य :– उपवाक्यों को जोड़ना, समुच्चयबोधक अव्यय :– 'और', 'तथा', 'एवं'। देखिए उदाहरण –

(i) आप चलिए और किसी को भेज दीजिये।
(ii) वह ख़ुद चलेगी तथा आपको भी ले चलेगी।
(iii) भाईसाहब काम करेंगे एवं भाभीजी बाज़ार जायेंगी।
(iv) आप आइए और डिनर कीजिए।

(ख) विभाजक संयुक्त वाक्य:

कार्य :– उपवाक्यों को विभाजित करना, समुच्चयबोधक अव्यय :– 'या', 'अथवा', 'की', 'नहीं तो', 'अन्यथा', 'न कि', 'न ... न' आदि।

(i) खिचड़ी खाओगे या दाल-चावल खाओगे?
(ii) पहुँच जाओ वरना मुलाक़ात नहीं होगी।
(iii) न कभी मिला न बात की।
(iv) बिल जमा करो नहीं तो फ़ोन कट जाएगा।

(ग) विरोधवाचक संयुक्त वाक्य:

कार्य :– उपवाक्यों की बीच विरोध प्रकट करना, समुच्चयबोधक अव्यय :– 'किन्तु', 'परन्तु', 'लेकिन', 'मगर', 'पर' आदि।

(i) मैं आऊँगा तो सही पर खाना नहीं खाऊँगा।
(ii) मैं ने समझाया था लेकिन वह मानी नहीं।
(iii) वह चला तो गया किन्तु भूलता नहीं है।
(iv) यहाँ बैठो परन्तु बात मत करो।

(घ) परिणामवाची संयुक्त वाक्य

कार्य :– दोनों उपवाक्यों के बीच कारण तथा परिणाम का सम्बन्ध प्रकट करना, समुच्चयबोधक अव्यय :– 'अतः', 'इसलिए', 'सो', 'अतएव' आदि।

(i) आज परीक्षा है अतः कोई नहीं मिलेगा।

(ii) मुझे दवाई चाहिए थी इसलिए बाज़ार तक गया था।\

(iii) मैं थक गया था सो आराम करने बैठ गया।

(iv) फीस नहीं जमा की अतएव स्कूल से निकाल दिया।

## 2. मिश्र वाक्य (Complex Sentence) :

जिन जटिल वाक्यों में एक 'प्रधान उपवाक्य' तथा शेष उस पर 'आश्रित उपवाक्य' होते हैं, उसे 'मिश्र वाक्य' कहते हैं।

हम यह तो बता ही चुके हैं कि 'प्रधान उपवाक्य' वह उपवाक्य होता है जिसका उच्चारण अलग से स्वतन्त्र रूप में किया जा सकता है; जबकि 'आश्रित उपवाक्यों' का उच्चारण स्वतन्त्र रूप से नहीं किया जा सकता। देखिए मिश्र वाक्यों के उदाहरण –

| मिश्र वाक्य | प्रधान उपवाक्य | आश्रित उपवाक्य |
|---|---|---|
| माताजी ने कहा कि वे मन्दिर नहीं जायेंगी। | माताजी ने कहा | कि वे मन्दिर नहीं जाएँगी। |
| वह लड़की नहीं आई जिसने गाना सुनाया था। | वह लड़की नहीं आई | जिसने गाना सुनाया था |
| वह स्टेशन तब पहुँचा जब ट्रेन छूट चुकी थी। | वह स्टेशन तब पहुँचा | जब ट्रेन छूट चुकी थी। |
| वह ऐसे बोलता है जैसे कोई नेता बोलता हो। | वह ऐसे बोलता है | जैसे कोई नेता बोलता हो। |
| तुम जितना दोगी उतना मेरे लिए काफ़ी है। | तुम जितना दोगी | उतना मेरे लिए काफ़ी है |

### 3.5.3. उपवाक्य

#### 3.5.3.1. उपवाक्य से तात्पर्य

जटिल वाक्यों की चर्चा में आपने देखा था कि जटिल वाक्यों की रचना विभिन सरल वाक्यों के मेल से होती है, जैसे– 'वह बच्चा जो अभी भी किताब पढ़ रहा है बहुत परिश्रमी है' तथा 'बच्चा बहुत परिश्रमी है अतः वह अभी भी किताब पढ़ रहा है'; ये दोनों वाक्य-रचना की दृष्टि से 'जटिल वाक्य' हैं (पहला मिश्र वाक्य तथा दूसरा संयुक्त वाक्य)। इनकी रचना निम्नलिखित दो वाक्यों के मेल से हुई है – 'बच्चा किताब पढ़ रहा है' तथा 'बच्चा बहुत परिश्रमी है।' इस तरह, जब सरल वाक्य किसी जटिल वाक्य के अंग बन जाते हैं तब वे सरल वाक्य नहीं कहलाते; उन्हें 'उपवाक्य' कहा जाता है।

#### 3.5.3.2. सरल वाक्य और उपवाक्य

आपको बताया गया कि विभिन्न 'सरल वाक्यों' के मेल से ही 'उपवाक्यों' की रचना होती है लेकिन जटिल वाक्यों का अंग बन जाने के बाद वे सरल वाक्य न कहलाकर 'उपवाक्य' कहलाते हैं। बात केवल नाम परिवर्तन मात्र की ही नहीं है, उपवाक्य बनाने से पूर्व सरल वाक्यों के स्वरूप में भी कुछ परिवर्तन हो सकता है; जैसे

ऊपर के उदाहरणों – 'वह बच्चा जो अभी भी किताब पढ़ रहा है बहुत परिश्रमी है' तथा 'बच्चा बहुत परिश्रमी है अतः वह अभी भी किताब पढ़ रहा है ।'; पर ध्यान दीजिए । पहले वाक्य के दो उपवाक्य हैं — 'वह बच्चा बहुत परिश्रमी है' तथा 'जो अभी भी किताब पढ़ रहा है ।' यहाँ पहला सरल वाक्य तो यथावत है लेकिन दूसरे उपवाक्य 'बच्चा किताब पढ़ रहा है' के स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है; अर्थात् 'बच्चा' के स्थान पर 'जो' सर्वनाम का प्रयोग किया गया है । इसी तरह से दूसरे जटिल वाक्य में भी 'बच्चा' के स्थान पर 'वह' सर्वनाम का प्रयोग किया गया है । कहने का तात्पर्य यही है कि सरल वाक्यों और उपवाक्यों में कोई गुणात्मक अन्तर नहीं होता । अन्तर केवल इस बात का होता है कि सरल वाक्यों की सत्ता 'जटिल वाक्यों' के बाहर होती है तो उपवाक्यों की सत्ता 'जटिल वाक्यों' के अन्तर्गत ।

## 3.5.3.3. उपवाक्य : भेद-प्रभेद

जटिल वाक्यों आए सभी उपवाक्य एक जैसे नहीं होते । आपको ऊपर बताया गया था कि प्रायः 'जटिल वाक्य' दो तरह के होते हैं – 'संयुक्त वाक्य' और 'मिश्र वाक्य' । उपवाक्यों के भेद भी इन्हीं को ध्यान में रखकर किए जाते हैं । यह देखा जाता है कि उपवाक्य किसी संयुक्त वाक्य के अन्तर्गत आ रहे हैं या मिश्र वाक्यों के । संयुक्त वाक्यों के अन्तर्गत आने वाले उपवाक्यों की प्रकृति मिश्र वाक्यों में आने वाले उपवाक्यों की प्रकृति से भिन्न होती है । संयुक्त वाक्यों के अन्तर्गत आने वाले उपवाक्य 'समानाधिकृत उपवाक्य' कहलाते हैं तथा मिश्र वाक्यों के अन्तर्गत दो तरह के उपवाक्य आते हैं – 'प्रधान उपवाक्य' तथा 'आश्रित उपवाक्य' ।

### (1) समानाधिकृत उपवाक्य

'समानाधिकृत' शब्द का अर्थ है – 'समान अधिकार है जिनका' अर्थात् वे उपवाक्य जिनका अधिकार समान है अर्थात् जो समान स्तर के हैं । उनमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता । इन्हें संयुक्त वाक्य से बाहर निकाल कर अलग से स्वतन्त्र रूप में बोला जा सकता है । देखिए निम्नलिखित संयुक्त वाक्यों में आए समानाधिकृत उपवाक्य –

(i) माँ मन्दिर गई हैं और पिताजी दफ्तर गए हैं ।
(ii) तुम मेरे साथ चलोगी या यहीं रुकोगी ।
(iii) वह मेहनती तो बहुत है पर किसी की बात नहीं मानता ।
(iv) तेज़ बारिश थी अतः मैं न आ सका ।

### (2) प्रधान तथा आश्रित उपवाक्य

आपको बताया गया था कि मिश्र वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं । जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहते हैं वे ही 'आश्रित उपवाक्य' कहलाते हैं, देखिए मिश्र वाक्यों में आने वाले प्रधान और आश्रित उपवाक्य –

| प्रधान उपवाक्य | | आश्रित उपवाक्य |
|---|---|---|
| पिताजी ने मुझसे कहा | कि | मैं भी गंगा स्नान को चलूँ। |
| उस लड़की को बुलाओ | जो | नीली साड़ी पहने है। |
| वह उस जगह रहती है | जहाँ | बहुत गंदगी है। |
| वह ऐसे चल रहा था | जैसे | कोई बीमार कहता हो। |

प्रधान उपवाक्य को तो मिश्र वाक्य से बाहर निकालकर स्वतन्त्र रूप से बोला जा सकता है लेकिन आश्रित उपवाक्यों को स्वतन्त्र रूप से नहीं बोला जा सकता।

## 3.5.3.4. आश्रित उपवाक्य : भेद-प्रभेद

मिश्र वाक्यों में तीन तरह के 'आश्रित उपवाक्य' आ सकते हैं – संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य तथा क्रियाविशेषण उपवाक्य।

### (1) संज्ञा उपवाक्य

संज्ञा उपवाक्य वे उपवाक्य हैं जो वाक्य में 'संज्ञा पद' या 'संज्ञा पदबंध' के स्थान पर आ सकते हैं और वही प्रकार्य करते हैं जो प्रकार्य 'संज्ञा पद/ पदबंध' द्वारा किया जाता है। संज्ञा उपवाक्य की पहचान के लिए वाक्य की क्रिया पर 'क्या' शब्द से प्रश्न करना चाहिए। 'क्या' के उत्तर में जो उपवाक्य मिलता है वही 'संज्ञा उपवाक्य' होता है'। इसके अलावा 'संज्ञा उपवाक्य' प्रायः 'कि' अव्यय से जुड़े रहते हैं; जैसे – पिताजी ने कहा कि कल से वे नौकरी पर नहीं जाएँगे। इस वाक्य की क्रिया पर यदि 'क्या' शब्द से प्रश्न किया जाए कि 'पिताजी ने क्या कहा ?' तो उत्तर होगा – 'कल से वे नौकरी पर नहीं जाएँगे।' साथ ही यह उपवाक्य 'कि' समुच्चयबोधक अव्यय से भी जुड़ा है अतः 'संज्ञा उपवाक्य' है। देखिए अन्य उदाहरण –

| प्रधान उपवाक्य | | संज्ञा उपवाक्य |
|---|---|---|
| मुझे मालूम है | कि | लोग मुझे पसंद नहीं करते। |
| अध्यापक बोले | कि | कल से वे विशेष कक्षाएँ नहीं लेंगे। |
| लोग कह रहे थे | कि | कल बिजली नहीं आएगी। |
| मैं ने यह सुना है | कि | इस गाँव में देवी का प्रसिद्ध मन्दिर है। |

### (2) विशेषण उपवाक्य

'विशेषण उपवाक्य' वे उपवाक्य हैं जो 'संज्ञा पद' की विशेषता वैसे ही बताते हैं जैसे कोई 'विशेषण पद' या 'विशेषण पदबंध' बताता है। विशेषण उपवाक्य की पहचान के लिए 'प्रधान उपवाक्य' के कर्त्ता पर 'कौनसा / कौनसी' शब्दों से प्रश्न कीजिए। उत्तर में मिलने वाले उपवाक्य 'विशेषण उपवाक्य' होंगे। इसके अतिरिक्त 'विशेषण उपवाक्य' प्रायः 'जो / जिस' आदि अव्ययों से जुड़े रहते हैं, जैसे – 'जो लड़की काम कर रही थी वह

बहुत ईमानदार है' वाक्य के 'प्रधान उपवाक्य पर यदि 'कौनसी' शब्द से प्रश्न करें कि 'कौनसी लड़की ईमानदार है ? तो उत्तर में मिलने वाला उपवाक्य 'जो लड़की काम कर रही थी' 'विशेषण उपवाक्य' होगा। इसके अलावा यह 'जो' परसर्ग से भी जुड़ा हुआ है। देखिए निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित उपवाक्य, जो 'विशेषण उपवाक्य' हैं –

| प्रधान उपवाक्य | विशेषण उपवाक्य |
|---|---|
| मैंने वह मकान बेच दिया | **जो पुराना हो गया था।** |
| मेरी वह कमीज़ फट गई | **जिसे आप अमेरिका से लाए थे।** |
| वह लड़की मिलने आई थी | **जिसने इनाम जीता था।** |
| उस बच्चे को इनाम मिला | **जो ईमानदार है।** |

### (3) क्रियाविशेषण उपवाक्य

'क्रियाविशेषण उपवाक्य' वाक्य में 'क्रियाविशेषण पद' या 'क्रियाविशेषण पदबंध' के स्थान पर आते हैं और जिस तरह क्रियाविशेषण पद / पदबंध वाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं उसी तरह ये भी क्रिया की विशेषता बताते हैं। जिस तरह क्रियाविशेषण क्रिया के घटित होने के 'समय', 'स्थान', रीति' और 'परिमाण' सम्बन्धी विशेषताएँ बताते हैं उसी तरह 'क्रियाविशेषण उपवाक्य' भी क्रिया की इन्हीं विशेषताओं को बताने का प्रकार्य करते हैं। इन्हीं प्रकार्यों के कारण 'क्रियाविशेषण उपवाक्यों' के निम्नलिखित भेद हो जाते हैं –

(क) स्थानवाची क्रियाविशेषण उपवाक्य –

यदि वाक्य की क्रिया पर 'कहाँ' प्रश्नवाचक शब्द से प्रश्न किया जाए तो उत्तर में जो उपवाक्य मिलते हैं वे 'क्रियाविशेषण उपवाक्य' होते हैं; जैसे –

(i) जहाँ तुम जाओगे मैं भी वहीं आऊँगा।
(प्रश्न – कहाँ जाओगे ? उत्तर – जहाँ तुम जाओगे)

(ii) वह वहाँ गया है जहाँ हर कोई नहीं जाता।
(प्रश्न – कहाँ गया है ? उत्तर – जहाँ हर कोई नहीं जाता)

(ख) कालवाची क्रियाविशेषण उपवाक्य –

इनका पता क्रिया पर 'कब' के उत्तर में मिलता है; जैसे –

(i) जब तुम खाओगी तब वे भी खाएँगे।
(प्रश्न – वे कब खाएँगे ? उत्तर – जब तुम खाओगी)

(ii) वे तब एयरपोर्ट पहुँचे जब विमान छूट चुका था।
(प्रश्न – कब पहुँचे ? उत्तर – जब विमान छूट चुका था)

(ग) रीतिवाची क्रियाविशेषण उपवाक्य –

क्रिया पर जब 'कैसे' प्रश्नवाचक शब्द से प्रश्न किया जाता है तब 'रीतिवाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य' प्राप्त होते है; जैसे –

(i) वह ऐसे चल रहा था जैसे कोई बीमार चलता हो।
(प्रश्न – कैसे चल रहा था ? उत्तर – जैसे बीमार चलता हो)

(ii) वह इस तरह बोल रहा था जैसे कोई नेता हो।
(प्रश्न – कैसे बोल रहा था ? उत्तर – जैसे कोई नेता हो)

(घ) परिमाणवाची क्रियाविशेषण उपवाक्य –

इन उपवाक्यों का पता क्रिया पर 'कितना' प्रश्नवाचक शब्द के उत्तर में मिलता है, जैसे –

(i) मैं ने इतना खाया जितना कोई नहीं खा सकता।
(प्रश्न – कितना खाया ? उत्तर – जितना कोई नहीं खा सकता)

(ii) जितना सामान बेच सकता था, उसने बेच दिया।
(प्रश्न – कितना बेच दिया ? उतर – जितना बेच सकता था)

अतः 'क्रियाविशेषण उपवाक्यों' की पहचान के लिए प्रधान उपवाक्य की क्रिया पर 'कब', 'कहाँ', 'कैसे' और 'कितना / कितने' शब्दों से प्रश्न करने चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर में मिलने वाले आश्रित उपवाक्य 'क्रियाविशेषण उपवाक्य' कहलाते हैं।

## 3.5.4. पद, पदबंध, अन्विति और पदक्रम

### 3.5.4.1. शब्द, पद और पदबंध

**शब्द तथा पद –**

'शब्द' के बारे में आप जानते हैं कि 'शब्द' की सत्ता वाक्य से बाहर होती है अतः 'शब्द' भाषा की स्वतन्त्र इकाई है। 'शब्द' जब वाक्य में आ जाता है तब उसे शब्द नहीं कहते 'पद' कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को 'पद' इसलिए कहते हैं क्योंकि वाक्य में आकर यह वाक्य के नियमों में बंध जाता है तथा कोई न कोई 'प्रकार्य' करने लगता है। उदाहरण के लिए 'दीपक' और 'अनिल' दोनों 'व्यक्तिवाचक संज्ञा' शब्द हैं पर वाक्य में वे क्या प्रकार्य करते हैं इसके आधार पर उनका 'पद' तय होता है, जैसे –

(i) दीपक ने अनिल को पैसे दिए।

(ii) अनिल ने दीपक को पैसे दिए।

वाक्य (i) में दीपक 'कर्त्ता' का कार्य कर रहा है तथा अनिल 'अप्रत्यक्ष कर्म' का जब कि वाक्य (ii) में स्थिति बदल गई है। यहाँ, अनिल 'कर्त्ता' का कार्य कर रहा है और दीपक 'अप्रत्यक्ष कर्म' का। अतः वाक्य में 'पद' का निर्धारण उसके 'प्रकार्य' के आधार पर किया जाता है।

**पदबंध–**

'पदबंध' शब्द दो शब्दों – 'पद' तथा 'बन्ध' से मिलकर बना है। 'पद' के बारे में आपको ऊपर बताया जा चुका है। 'बन्ध' शब्द का अर्थ है 'बँधा हुआ' या बन्धनयुक्त'। वास्तव में 'पदबंध' के अन्तर्गत एक से अधिक पद एक साथ बँधकर या बन्धनयुक्त होकर आते हैं और वही प्रकार्य करते हैं जो प्रकार्य किसी एक पद द्वारा किया जा रहा था। इस बात को समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए –

(i) बच्चा आम खा रहा है।
(ii) छोटा बच्चा आम खा रहा है।
(iii) आपका छोटा बच्चा आम खा रहा है।

वाक्य (i) में 'बच्चा' संज्ञा पद है और 'कर्त्ता' का प्रकार्य कर रहा है। इसके स्थान पर हम 'छोटा बच्चा' या 'आपका छोटा बच्चा' भी रख सकते हैं क्योंकि एक से अधिक पदों का यह समूह भी वाक्य में वही 'प्रकार्य' कर रहा है जो अकेला 'बच्चा' पद कर रहा था' (देखिए वाक्य (ii) तथा वाक्य (iii))। ध्यान रखिए किसी एक इकाई के स्थान पर किसी दूसरे का 'रिप्लेसमेंट' (replacement) तभी हो सकता है जब दोनों समान प्रकार्य कर रहे हों।

इसी तरह से ऊपर के वाक्यों में हम 'आम' 'संज्ञा पद' के स्थान पर एक से अधिक पदों वाली रचना जैसे 'पके आम' या 'मीठे-मीठे पके आम' को भी रख सकते हैं, जैसे –

(iv) बच्चा पके आम खा रहा है।
(v) बच्चा मीठे-मीठे पके आम खा रहा है।

इसका अर्थ यही हुआ कि 'पके आम' तथा 'मीठे-मीठे पके आम' भी वही प्रकार्य कर रहे हैं जो प्रकार्य वाक्य (i) में 'आम' द्वारा किया जा रहा था।

इस तरह, कोई भी 'शब्द' वाक्य में आकर इसलिए 'पद' कहलाता है क्योंकि वह कोई न कोई प्रकार्य करता है। यदि वही प्रकार्य जब 'एक से अधिक पदों के समूह या बंध द्वारा किया जाता है तो ऐसे 'बंध' को 'पदबंध' कहते हैं।

### 3.5.4.2. पदबंध : भेद-प्रभेद

वाक्य में मुख्य रूप से चार प्रकार के पदबंध आते हैं – संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रियाविशेषण पदबंध तथा क्रिया पदबंध।

#### (1) संज्ञा पदबंध

जो पदबंध वाक्य में 'संज्ञा' या 'सर्वनाम' पद के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं, 'संज्ञा पदबंध' कहे जाते हैं। इसका अर्थ यही है कि 'संज्ञा पदबंध' वाक्य में वही प्रकार्य करता है जो प्रकार्य किसी 'संज्ञा पद' द्वारा किया जाता है। देखिए निम्नलिखित उदाहरण –

| रेखांकित पद – 'संज्ञा पद' | रेखांकित पदबंध– 'संज्ञा पदबंध' |
|---|---|
| मीरा **अध्यापिका** है। | मीरा **हिन्दी की अध्यापिका** है। |
| **लड़कियाँ** चली गयीं। | **नृत्य करने वाली लड़कियाँ** चली गयीं। |
| मुझे **ट्रेन** पकड़नी है। | मुझे **दिल्ली वाली ट्रेन** पकड़नी है। |
| मैंने **किताबें** बच्चों को दे दीं। | मैंने **अपनी सभी किताबें** बच्चों को दे दीं। |

आपने देखा कि 'संज्ञा पद' में यदि 'विशेषण पद' जोड़ दिया जाता है तो 'संज्ञा पदबंध' बन जाता है। ध्यान रखिए 'संज्ञा' तथा 'सर्वनाम' एक ही कार्य करते हैं अतः 'सर्वनाम पदबंध' को भी 'संज्ञा पदबंध' के अन्तर्गत ही रखा जाता है। अलग से 'सर्वनाम पदबंध' के भेद की आवश्यकता नहीं है।

#### (2) विशेषण पदबंध

'संज्ञा पदबंध' की रचना पर ध्यान दीजिए। 'संज्ञा पदबंध' में से यदि 'संज्ञा पद' को हटा दें तो 'विशेषण पद' शेष बचता है, जैसे – 'छोटा बच्चा बहुत शरारती है' वाक्य में 'छोटा बच्चा' संज्ञा पदबंध है। इसमें से यदि 'बच्चा' संज्ञा पद को हटा दें तो 'छोटा' विशेषण पद शेष रह जाता है। इस तरह वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता जब अकेला एक विशेषण बताता है अब वह 'विशेषण पद' कहलाता है लेकिन जब यही कार्य 'विशेषणों के समूह' द्वारा किया जाता है तो उस पदबंध को 'विशेषण पदबंध' कहते हैं, जैसे –

| रेखांकित पद – 'विशेषण पद' | रेखांकित पदबंध– 'विशेषण पदबंध' |
|---|---|
| **मेरा** बेटा कल वापस आ रहा है। | **मेरा छोटा** बेटा कल वापस आ रहा है। |
| मल्लिका **एक** डॉक्टर है। | मल्लिका **एक मशहूर** डॉक्टर है। |
| मैंने **एक** कार खरीदी। | मैंने **एक नई** कार खरीदी। |

अतः 'विशेषण पदबंध' भी वाक्य में वही कार्य करते हैं जो कार्य अकेला 'विशेषण पद' करता है।

### (3) क्रियाविशेषण पदबंध

आप यह जानते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त होकर 'क्रियाविशेषण पद' क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे –

(i) बच्चा **धीरे** चल रहा है।
(ii) पिताजी **कल** आएँगे।
(iii) वह **वहाँ** बैठी है।

उपर्युक्त वाक्यों में आए 'धीरे', 'कल' तथा 'वहाँ' पद अपनी अपनी क्रियाओं की विशेषता बताने के कारण 'क्रियाविशेषण' पद हैं। यदि किसी 'क्रियाविशेषण पद' के स्थान पर एक से अधिक क्रियाविशेषण पद मिलकर 'पदबंध' के रूप में आते हैं और 'क्रिया' की विशेषता बताने का कार्य करते हैं तो उस 'पदबंध' को 'क्रियाविशेषण पदबंध' कहा जाता है। अतः वह 'पदबंध' जो 'क्रियाविशेषण पद' के स्थान पर प्रयुक्त होकर वही कार्य करता है जो अकेला एक क्रियाविशेषण पद कर रहा था तब उस पदबंध को 'क्रियाविशेषण पदबंध' कहते हैं। देखिए उदाहरण –

| रेखांकित पद – 'क्रियाविशेषण पद' | रेखांकित पदबंध – 'क्रियाविशेषण पदबंध' |
|---|---|
| वह **धीरे** चल रही है। | वह **बहुत धीरे** चल रही है। |
| मैं **कल** पहुँचूँगा। | मैं **कल चार बजे** पहुँचूँगा। |
| सब लोग **मन्दिर** गए हैं। | सब लोग **पुराने गणेश मन्दिर** गए हैं। |
| कल दावत में उसने **बहुत** खाया। | कल दावत में उसने **बहुत ज्यादा** खाया। |

### (4) क्रिया पदबंध

कोई भी 'क्रिया' शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसमें 'सहायक क्रिया' के प्रत्यय जुड़ते हैं। इस तरह 'मुख्य क्रिया' तथा 'सहायक क्रिया' से युक्त पूरी रचना को 'क्रिया पदबंध' ही कहते हैं। अतः वाक्य में प्रयुक्त 'क्रिया' सदैव पदबंध के रूप में ही होती है। देखिए क्रिया पदबंध के कुछ उदाहरण –

(i) बच्चे मैदान में **दौड़ रहे हैं**।
(ii) मैं रोज़ रात को मन्दिर **जाया करता था**।
(iii) माताजी से खाना नहीं **बनाया जाता**।
(iv) वे मुझ को अक्सर फोन **कर लिया करती है**।
(v) वह नौकर से कपड़े **धुलवा रही है**।
(vi) आप वहाँ जाकर **बैठिए**।

### 3.5.4.3. अन्विति : तात्पर्य एवं तत्सम्बन्धी नियम

'अन्विति' से तात्पर्य है – दो पदों के बीच तारतम्य (Concordence) । वाक्य में अन्विति की स्थिति विशेषण और विशेष्य के मध्य तथा वाक्य की संज्ञाओं एवं क्रिया के बीच दिखाई देती है। इसका तात्पर्य यह है कि हिन्दी में कुछ विशेषण अपने विशेष्य के लिंग / वचन के अनुसार बदलते हैं तथा हिन्दी के वाक्यों में 'क्रिया' वाक्य की अलग-अलग संज्ञाओं के लिंग / वचन के अनुरूप अन्वित होती या प्रयुक्त होती है। इसीलिए 'अन्विति' को 'प्रयोग' भी कहते हैं। हिन्दी में विभिन्न स्तरों पर 'अन्विति' या 'प्रयोग' की क्या स्थिति है इसका ज्ञान अन्विति सम्बन्धी नियमों की जानकारी के बाद ही होता है। हम आगे इन नियमों की चर्चा करेंगे।

**अन्विति सम्बन्धी नियम –**

**(1) विशेषण-विशेष्य अन्विति**

हिन्दी में प्रायः आकारान्त (आ-अन्त वाले) विशेषण अपने विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार अन्वित होते हैं, जैसे – पके फल, मीठी चाय, खट्टा अमरूद, जली रोटी, काली बिल्ली, छोटा बच्चा, छोटी बच्ची, हरा वृक्ष, हरी घास आदि।

यदि विशेष्य के स्थान पर एक से अधिक संज्ञाएँ हैं तो विशेष्य निकटवर्ती विशेष्य के अनुसार अन्वित होता है, जैसे – छोटे बच्चे और बच्चियाँ, कच्ची इमली और आम, पुराना मकान और दुकान, छोटी लड़की और लड़के आदि।

**(2) कर्त्ता-क्रिया अन्विति**

वाक्य में आने वाली संज्ञाओं में से किस संज्ञा के लिंग/ वचन के अनुसार क्रिया अन्वित होगी इसके हिन्दी में तीन नियम इस प्रकार हैं –

**नियम – 1 :** यदि कर्त्ता के स्थान पर आने वाली संज्ञा के बाद कोई परसर्ग नहीं लगा है (संज्ञा परसर्ग रहित है) तो वाक्य की क्रिया सदैव कर्त्ता की संज्ञा के लिंग / वचन के अनुसार प्रयुक्त होगी, जैसे –

(i) लड़का रोज़ दौड़ता है।
(ii) लड़के रोज़ दौड़ते हैं।
(iii) लड़की रोज़ दौड़ती है।
(iv) लड़कियाँ रोज़ दौड़ती हैं।
(v) घोड़ा घास खाता है।
(vi) घोड़े घास खाते हैं।
(vii) घोड़ी घास खाती है।

(viii) घोड़ियाँ घास खाती हैं।

**नियम – 2 :** यदि कर्त्ता की संज्ञा के बाद कोई भी परसर्ग आ जाता है तो क्रिया उससे अन्वित न हो कर दूसरी (कर्म की) संज्ञा के अनुसार बदलती है; जैसे –

(i) लड़के / लड़की ने दूध पिया।
(ii) लड़के / लड़की ने चाय पी।
(iii) माँ ने नाश्ता बनाया।
(iv) माँ ने मिठाई बनाई।

**नियम – 3 :** यदि कर्त्ता और कर्म दोनों परसर्ग सहित हैं तो क्रिया उन दोनों से अन्वित न होकर पुल्लिंग, एकवचन अन्यपुरुष के भूतकालिक रूप में आती है; जैसे –

(i) लड़कों / लड़कियों ने रोटी / रोटियों / आम / आमों को खाया।
(ii) माँ / पिताजी ने नौकरों / नौकरानियों को डाँटा।

**नियम – 4 :** कर्त्ता में यदि समान लिंग वाली विभिन्न संज्ञाएँ 'और' से जुड़ी हों तो क्रिया बहुवचन में आती है; जैसे –

(i) मोहन, सोहन और दीपक आगरा गए हैं।
(ii) सुनीता, मीरा और मधु बाज़ार जा रही हैं।

**नियम – 5 :** यदि कर्त्ता में संज्ञाएँ 'या' से जुड़ी हैं तो क्रिया अन्तिम संज्ञा के लिंग/ वचन के अनुसार बदलती है; जैसे –

(i) मोहन, सोहन या मीरा आएगी।
(ii) गीता, मीरा या मदन आएगा।

**नियम – 6 :** कर्त्ता की विभिन्न लिंग वाली संज्ञाएँ यदि 'और' से जुड़ी हैं तो क्रिया सदैव पुल्लिंग बहुवचन में आएगी; जैसे –

(i) सभी लड़के, लड़कियाँ, छात्र, छात्राएँ कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।
(ii) मैं, वह, तुम और मेरे दोस्त पिकनिक पर चलेंगे।

**नियम – 7 :** यदि कर्त्ता का लिंग ज्ञात न हो तो क्रिया पुल्लिंग रूप लेगी; जैसे –

(i) कमरे के बाहर कौन खड़ा है ?

(ii) वहाँ कौन मिलेगा ?

### 3.5.4.4. हिन्दी के वाक्यों में पदक्रम सम्बन्धी नियम

हिन्दी के वाक्यों में पदक्रम सम्बन्धी नियम इस प्रकार हैं –

(1) वाक्य में पहले 'कर्त्ता' फिर 'कर्म' और अन्त में 'क्रिया' (सकर्मक) आते हैं, जैसे –

(i) बच्चा खाना खाता है।

(ii) माँ खाना बनाती है।

(iii) वे फिल्म देखने जा रहे हैं।

(2) यदि वाक्य की क्रिया अकर्मक है तो पहले कर्त्ता और फिर क्रिया आते हैं, जैसे –

(i) लड़की दौड़ रही है।

(ii) बच्चा सो रहा है।

(iii) तुम क्यों हँस रहे हो ?

(3) अप्रत्यक्ष कर्म या गौण कर्म (सम्प्रदान कारक में) प्रायः प्रत्यक्ष कर्म के पहले आता है, जैसे –

(i) माँ ने बच्चों को मिठाई दी।

(ii) पिताजी ने माँ को उपहार दिया।

(4) विस्मयादिबोधक शब्द वाक्य के आरम्भ में आते हैं, जैसे –

(i) उफ़ ! कितनी गरमी है।

(ii) हाय ! मैं मर गया।

(iii) छिः ! कितनी बदबू है ?

(5) सम्बन्ध कारक बताने वाले चिह्न (का, के, की) 'सम्बन्धी संज्ञा' से पहले आते हैं, जैसे – मीरा का बेटा, कविता की किताब, शर्माजी के बच्चे, लोगों का घर आदि।

(6) 'हाँ / ना' – उत्तर वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द 'क्या' वाक्य के पहले आता है तथा अन्य प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आते हैं, जैसे –

(i) क्या तुम मेरे घर चलोगी ?

(ii) क्या आप मुझे किताब दे सकते हैं ?

(iii) क्या आज बारिश होगी ?

(iv) तुम अब कब आओगे ?

(v) आप कहाँ रहते हैं ?

(vi) वहाँ कौन बैठा है ?

जब कर्त्ता पर प्रश्न किया जाता है तब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारम्भ में भी आ सकते हैं, जैसे –

(i) कौन बोला ?

(ii) किसने पुकारा ?

(iii) किससे बात कर रहे थे ?

(7) 'क्रियाविशेषण' सदैव क्रिया के पहले आते हैं, जैसे –

(i) वह धीरे-धीरे चल रही है।

(ii) मैं सुबह चार बजे उठा।

(iii) बच्चा दौड़कर आया।

(8) आग्रह या सहमति के लिए 'न' अव्यय का प्रयोग वाक्य के अन्त में होता है, जैसे –

(i) तुम शाम को आओगी न।

(ii) खाना खाओगे न।

(iii) कल मिलोगी न।

(9) वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क-संगति होना ज़रूरी है, जैसे –

| | | |
|---|---|---|
| (i) | खरगोश को काटकर सब्जी खिलाओ। | (अतर्कसंगत (अशुद्ध)) |
| (ii) | सब्जी काटकर खरगोश को खिलाओ। | (तर्कसंगत (शुद्ध)) |
| (iii) | यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। | (अतर्कसंगत (अशुद्ध)) |
| (iv) | यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। | (तर्कसंगत (शुद्ध)) |

### 3.5.5. पाठ-सार

प्रस्तुत पाठ के माध्यम से आपको हिन्दी के वाक्यों की संरचना, वाक्य के घटक, भेद-प्रभेद आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। इस पाठ के माध्यम से आपको वाक्य के स्वरूप और संरचना के विषय में बताया गया। आपने सीखा कि वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं – रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। प्रत्येक भाषा में रचना के आधार पर दो भेद किए जाते हैं – सरल वाक्य तथा जटिल वाक्य। सरल वाक्यों की रचना विभिन्न पदों एवं पदबंधों के मेल से होती है। इसी सन्दर्भ में आपको एक ओर शब्द, पद तथा पदबंध का अन्तर बताया गया तो दूसरी ओर पदबंधों के भेद-प्रभेदों से भी आपको परिचित कराया गया। आपने देखा कि सरल वाक्यों में केवल एक 'क्रिया पदबंध' होता है तथा जटिल वाक्यों में एक से अधिक क्रिया पदबंध होते हैं

क्योंकि जटिल वाक्यों की रचना एकाधिक सरल वाक्यों के मेल से होती है। जो सरल वाक्य किसी जटिल वाक्य का अंग बन जाते हैं उन्हें सरल वाक्य न कहकर 'उपवाक्य' कहते हैं। इसी पाठ में आपको उपवाक्यों के भेद-प्रभेदों से भी परिचित कराया गया। हर भाषा के सरल वाक्यों में आने वाले पदों का क्रम उस भाषा की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रस्तुत पाठ के अन्त में आपको हिन्दी के पद-क्रम सम्बन्धी नियमों का भी परिचय दिया गया। हिन्दी की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि वाक्य की क्रिया वाक्य में आने वाली अलग-अलग संज्ञाओं के लिंग / वचन के अनुसार अन्वित हो सकती है। जो लोग हिन्दी को द्वितीय भाषा या विदेशी भाषा के रूप में सीखते हैं उनको भाषा के सही प्रयोग के लिए हिन्दी के अन्विति सम्बन्धी नियमों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। प्रस्तुत पाठ के अन्तिम खण्ड में आपको हिन्दी के अन्विति सम्बन्धी नियम भी बताये गए।

## 3.5.6. बोध प्रश्न

**अभ्यास**

1. रेखांकित पदबंधों के नाम बताइए–

(i) प्राणों की बाजी लगाने वाले लोग इतिहास में प्रसिद्ध हो जाते हैं।
(ii) नित्यप्रति की भाँति वह पढ़ने बैठ गया।
(iii) परिश्रम करने वाले छात्र अवश्य सफल होंगे।
(iv) कुछ लोग धीरे-धीरे बात करते हुए चले जा रहे हैं।
(v) मुझे अब सब कुछ दिखाई दे रहा है।
(vi) पुत्र के पास होने की खबर सुनकर पिता को बहुत ख़ुशी हुई।

2. अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के प्रकार बताइए –

(i) कितना सुहावना दृश्य है !
(ii) उसने भोजन नहीं किया।
(iii) ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे।
(iv) कल कौन आने वाला है ?
(v) आप यहाँ से चले जाइए।
(vi) यदि वह मुझसे मिली होती तो उसका काम अवश्य हो जाता।

3. रचना की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों के भेद बताइए –

(i) मोहन ने बताया कि उसे सिनेमा की टिकिट नहीं मिली।
(ii) सभी लड़कियाँ अपने-अपने कपड़े सिल रही हैं।
(iii) जो विद्वान् होते हैं उनका सभी आदर करते हैं।
(iv) तुम मेरे साथ चलोगी या यहीं रुकोगी।

(v) जीवन का आधार धन नहीं बल्कि मनुष्य के अच्छे विचार हैं।
(vi) मुझे विश्वास है कि वे लोग मेरी बहन की शादी में अवश्य आएँगे।

**लघूत्तरीय प्रश्न**

1. अन्तर स्पष्ट कीजिए –
(i) अल्पांग वाक्य तथा पूर्णांग वाक्य
(ii) अन्तर्केन्द्रित एवं बहिर्केन्द्रित रचना
(iii) संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्य
(iv) प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य

2. संक्षिप्त टिपण्णी लिखिए–
(i) विशेषण उपवाक्य
(ii) समानाधिकृत उपवाक्य
(iii) पदबंध का स्वरूप

**दीर्घ उत्तरीय प्रश्न**

1. रचना के आधार पर वाक्य के कौन-कौन से भेद किए जाते हैं ? उदाहरण देकर समझाइए।
2. 'अन्विति' से क्या तात्पर्य है ? हिन्दी के अन्विति सम्बन्धी नियमों को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।
3. हिन्दी के पदक्रम सम्बन्धी नियमों को उदाहरण देकर बताइए।

## 3.5.7. कठिन शब्दावली

प्रस्तुत पाठ में आपको निम्नलिखित कठिन शब्दों की जानकारी मिली –
समुच्चयबोधक, लघुतम, विस्तारक, गुणात्मक, अव्यय, अल्पांग, पूर्णांग, निषेध, विस्मय, आश्रित, समानाधिकृत, अन्वित

## 3.5.8. उपयोगी / सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

1. हिंदी संरचना, EHD – 07, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्तविश्वविद्यालय प्रकाशन
2. भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, खण्ड – हिंदी संरचना, MHD – 07, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय प्रकाशन
3. बृहत् हिंदी व्याकरण, 2014, गुप्त, रवि प्रकाश, अरु पब्लिकेशन्स प्रा. लि., नयी दिल्ली
4. हिंदी भाषा संरचना के विविध आयाम, 1995, श्रीवास्तव, रवीन्द्रनाथ, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली

❖❖❖

# खण्ड – 4 : हिन्दी के विविध रूप

## इकाई – 1 : भाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में हिन्दी

### इकाई की रूपरेखा


4.1.0. उद्देश्य
4.1.1. प्रस्तावना
4.1.2. भाषा के रूप में हिन्दी
 4.1.2.1. खड़ीबोली का विकास
 4.1.2.2. हिन्दी भाषा का मानकीकरण
 4.1.2.3. हिन्दी के मानक रूप का विकास
4.1.3. राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी
 4.1.3.1. ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हिन्दी
 4.1.3.2. प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम और हिन्दी
 4.1.3.3. स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान हिन्दी
 4.1.3.4. स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी का विकास
4.1.4. राजभाषा के रूप में हिन्दी
 4.1.4.1. राजभाषा हिन्दी की सांवैधानिक स्थिति
 4.1.4.2. राजभाषा के प्रयोग की प्रगति
4.1.5. पाठ-सार
4.1.6. शब्दावली
4.1.7. सम्बन्धित प्रश्न
4.1.8. उपयोगी ग्रन्थ-सूची


### 4.1.0. उद्देश्य

प्रस्तुत पाठ का अध्ययन करने के उपरान्त आप –

i. भाषा के रूप में हिन्दी के विकास को जान सकेंगे।
ii. राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी के विविध आयामों की विवेचना कर सकेंगे।
iii. राजभाषा के रूप में हिन्दी की दशा और दिशा का विश्लेषण कर सकेंगे।

### 4.1.1. प्रस्तावना

'हिन्दी' जिस भाषा-धारा के विशिष्ट दैशिक और कालिक रूप का नाम है, भारत में उसका प्राचीनतम रूप संस्कृत है। लगभग एक हजार वर्ष की यात्रा-प्रक्रिया में आज हिन्दी जिस मुकाम पर पहुँची है उसमें अनेक भाषाओं का योगदान रहा है। इस अनुक्रम में हिन्दी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के शौरसेनी, अर्द्धमागधी और

मागधी रूपों से हुआ है। भारत की सामासिक संस्कृति को भाषा और साहित्य दोनों ही धरातलों पर धारण करने वाली हिन्दी का आरम्भ दसवीं शताब्दी के आस-पास हुआ अतः हिन्दी भाषा का इतिहास बहुत पुराना है। इसके प्रारम्भिक रूप को आदिकालीन अपभ्रंश तथा अवहट्ट रचनाओं में देखा जा सकता है। अनेक विद्वान् प्राचीन 'डिंगल' और 'पिंगल' रचनाओं को हिन्दी का ही रूप मानते हैं। आदिकाल में रचित सिद्ध और जैन साहित्य की भाषा हिन्दी के आदिकालीन स्वरूप का परिचय देती है। विदित है कि भारतीय आर्यभाषाओं का उदय अपभ्रंशों से हुआ। हिन्दी के बीज भी अपभ्रंश में ही निहित थे इसलिए भाषिक सन्दर्भ में यह माना गया है कि रूप रचना से लेकर साहित्यिक रूपों तक में अपभ्रंश ने हिन्दी को प्रभावित किया है। भाषा विशेष के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग प्रायः छठी शताब्दी के आस-पास मिलता है। ध्यातव्य है कि प्राचीन हिन्दी के अन्तर्गत बौद्ध और सिद्धों की कविताओं की भाषा में पश्चिमी और पूर्वी अपभ्रंश के शब्दों का मिलाजुला रूप देखने को मिलता है। हिन्दी के प्राचीन रूप को विकसित करने में रासो साहित्य का भी महत्त्वपूर्ण योगदान है। तेरहवीं शताब्दी में विकसित हिन्दी का एक अन्य रूप अमीर ख़ुसरो की रचनाओं में मिलता है। चौदहवीं शताब्दीं के आसपास दक्षिण में हिन्दी का एक नवीन रूप दिखाई देता है जिसे 'दक्खिनी हिन्दी' की संज्ञा दी गई है। 'दक्खिनी हिन्दी' खड़ीबोली का वह रूप है जिसमें एक ओर ब्रजभाषा तथा फ़ारसी के शब्दों का बाहुल्य है तो दूसरी ओर दक्षिण भारत की भाषाओं के शब्दों का। इस प्रकार मध्यकाल तक आते-आते हिन्दी के स्वरूप में स्थिरता के दर्शन होते हैं तथा वह आत्मनिर्भर होने लगती है। हिन्दी में अब तक जो अपभ्रंश के रूप मिलते थे, वे इस समय तक प्रायः लुप्त हो जाते हैं। हिन्दी की तीन बोलियाँ – ब्रज, अवधी और खड़ीबोली अस्तित्व में आती हैं लेकिन साहित्य के क्षेत्र में ब्रज तथा अवधी की ही प्रधानता रहती है। खड़ीबोली गद्य का सूत्रपात 1500 ई. के लगभग किसी अज्ञात रचनाकार द्वारा रचित 'कुतुबशतक' पर लिखे वार्तिकाशतक, औरंगजेब के समकालीन स्वामी प्राणनाथ और उनके शिष्यों की रचनाओं में, 1472 ई. में रामप्रसाद निरंजनी के 'भाषा योगवाशिष्ठ' में देखा जा सकता है। इस प्रकार यहाँ से गुजरते हुए हिन्दी भाषा आधुनिककाल में प्रवेश करती है। इस समय वह लगभग पूरी तरह विकसित हो जाती है।

## 4.1.2. भाषा के रूप में हिन्दी

आरम्भ में 'हिन्दी', 'हिन्दवी' या 'हिन्दुस्तानी' किसी एक भाषा का नाम नहीं था। इसके अन्तर्गत मध्यदेश की लगभग सभी भाषाएँ विशेषकर दिल्ली और इसके आसपास की भाषाएँ अवधी और ब्रजभाषा सम्मिलित थीं। आधुनिककाल में जब 'हिन्दी' भाषा को परिभाषित किया जाने लगा तो भाषावैज्ञानिकों और साहित्यकारों ने एक दूसरे से किंचित् भिन्न दृष्टिकोण अपनाया। उदाहरणार्थ ग्रियर्सन, सुनितिकुमार चाटुर्ज्या, धीरेन्द्र वर्मा, उदयनारायण तिवारी आदि भाषाशास्त्रियों के अनुसार प्राचीन मध्यदेश की मुख्य बोलियों के समूह को 'हिन्दी' के नाम से पुकारा जाता है। जार्ज ग्रियर्सन ने अपने लिहाज से हिन्दी का एक क्षेत्र निर्धारित कर उसे दो वर्गों में विभाजित किया है। पूरब के क्षेत्र को उन्होंने पूर्वी हिन्दी क्षेत्र और पश्चिम के क्षेत्र को पश्चिमी हिन्दी क्षेत्र कहा है। पूर्वी हिन्दी क्षेत्रों में उन्होंने अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी – मात्र तीन बोलियों को जगह दी, जबकि पश्चिमी हिन्दी उपभाषा के अन्तर्गत खड़ीबोली, बाँगरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली एवं निमाड़ी को शामिल किया। इस तरह ग्रियर्सन ने बिहारी, राजस्थानी एवं पहाड़ी क्षेत्र हिन्दी क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं माना और न ही इन

क्षेत्रों की बोलियों को हिन्दी क्षेत्र की बोलियों के रूप में स्वीकार किया। परवर्ती भाषावैज्ञानिकों ने ग्रियर्सन के इस वर्गीकरण और सीमा-निर्धारण की आलोचना की। राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी भाषाओं को शब्द-भण्डार और व्याकरणिक संरचना की दृष्टि से हिन्दी परिवार या हिन्दी की उपभाषा वर्ग में रखा जा सकता है।

### 4.1.2.1. खड़ीबोली का विकास

खड़ीबोली अपने मूलरूप में एक मिश्रित बोली है जिसमें कौरवी के साथ पंजाबी, बाँगरू एवं ब्रज के तत्त्व भी अपने मूलरूप या परिवर्तित रूप में समाहित हैं। खड़ीबोली मध्यप्रदेश के भाषारूपों पर आधारित है। उत्पत्ति की दृष्टि से इसे शौरसेनी अपभ्रंश या उसके सन्धिकालीन रूप शौरसेनी अवहट्ट से सम्बन्धित किया जा सकता है।

भाषा के रूप में खड़ीबोली हिन्दी का अस्तित्व सन् 1900 ई. के आसपास मिलने लगता है। उल्लेखनीय है कि हिन्दी आम आदमी की ज़रूरत की भाषा के रूप में उत्पन्न हुई इसलिए उसके विकास का इतिहास भारत की लोकचेतना के विकास से जुड़ा रहा। हिन्दी के प्रथम महाकवि चन्दवरदाई ने उसे 'षट्भाषा' कहा है यानी यह विभिन्न प्रदेशों एवं स्रोतों से बनी हुई सामासिक देश की सामासिक भाषा है। यह अकारण नहीं है कि साझी संस्कृति के महत्त्वपूर्ण कवि अमीर ख़ुसरो ने हिन्दी को अपनी मातृभाषा कहा। उन्होंने न केवल इस भाषा को अपनी काव्य-रचनाओं का माध्यम बनाया प्रत्युत इसके गाम्भीर्य और माधुर्य पर गर्व भी किया।

खड़ीबोली का आदिकालीन रूप गोरखनाथ, ख़ुसरो, रामानन्द, कबीर, नामदेव आदि के साहित्य में उपलब्ध है। आदिकालीन खड़ीबोली का शब्द-समूह मुख्यतः तद्भव और देशज था। वहाँ तत्सम शब्द अपेक्षाकृत बहुत कम थे। उसमें पश्तो, तुर्की, फ़ारसी, अरबी के कुछ शब्द स्वभावतः शामिल थे। खड़ीबोली के मध्यकाल का स्वरूप कवि गंग की 'चन्द छन्द वर्णन की महिमा', आलम के 'सुदामा चरित्र' तथा नानक, दादू व रहीम के साहित्य में दिखाई देता है। इस काल के अन्त तक हिन्दी ध्वनियों में पाँच नयी ध्वनियाँ भी शामिल हो गईं – क, ख, ग, ज, फ। मध्यकाल तक खड़ीबोली स्वतन्त्र रूप से साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित नहीं हो सकी थी। 19वीं शताब्दी में खड़ीबोली साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित हुई। खड़ीबोली के विकास के अनेक ऐतिहासिक कारण थे जिनका विश्लेषण निम्नांकित बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है –

**(1) आधुनिक भावबोध का सूत्रपात :** भारतीय इतिहास में उन्नीसवीं सदी आधुनिकता के प्रस्थान-बिन्दु के रूप में मान्य है। अंग्रेजी साम्राज्य का उपनिवेश बनने के बाद भारत की परम्परागत आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन हुए, जिनका दूरगामी असर जीवन पर पड़ा। हजारों वर्षों की कृषि संस्कृति के आकाश में चिमनियों व कारखानों का धुआँ उठा। नगरीकरण का नये ढंग से सूत्रपात हुआ। गाँवों में विस्थापन की प्रक्रिया का चलन आरम्भ हुआ। जीवन पुरानी धुरी से उतर गया। भारतीयों का अंग्रेजों से सम्पर्क एक नितान्त नया अनुभव था। यूरोप का संसार चकित करने वाला और ज्ञान-विज्ञान के प्रति आकर्षित करने वाला था। डार्विन, मार्क्स व फ्रायड की स्थापनाएँ धर्मप्राण और आस्थाशील भारतीय मन को झकझोरने वाली थीं। इन सभी स्थितियों के जटिल दबाव से जिस नयी

चेतना का आरम्भ हुआ, उसमें इतिहास की पुनर्व्याख्या अपनी अस्मिता का आत्ममंथन एवं पश्चिमी संस्कृति से खुले संवाद के लिए दबाव बना और इसी दबाव के भीतर से आधुनिक भावबोध विकसित हुआ। इस आधुनिक भावबोध और खड़ीबोली के बीच एक गहरा सम्बन्ध है।

भाषाचिन्तकों का मानना है कि ब्रजभाषा मध्यकालीन भावबोध की भाषा है। यह भक्ति आन्दोलन से उपजे जीवन-मूल्यों और बाद में दरबारी संस्कृति की अभिव्यक्ति की भाषा है। स्पष्ट है कि मध्यकालीन भावबोध को व्यंजित करने वाली भाषा से इस आधुनिक युग के भावबोध को अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं रह गई थी। मध्ययुग के नेपथ्य में जाने के साथ उसकी भाषा भी उसी के साथ चली गई और वर्तमान के मंच पर खड़ीबोली हिन्दी का उदय हुआ। हिन्दी साहित्य में इस आधुनिक भावबोध की अभिव्यक्ति भारतेन्दु युग के गद्य साहित्य में हुई। मानवीय वर्तमान की केन्द्रीयता इस आधुनिकता की धुरी है। यद्यपि इस युग में खड़ीबोली का मानक रूप स्थिर नहीं हो सका तथापि इतना स्पष्ट हो गया कि आने वाले समय में खड़ीबोली ही सर्जना व चिन्तन की भाषा बनेगी।

**(2) ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना :** उन्नीसवीं शताब्दी में खड़ीबोली के विकास का दूसरा महत्त्वपूर्ण कारण ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना भी था। ब्रिटिश शासन की स्थापना का एक छोर मुगल साम्राज्य के पतन से भी जुड़ा हुआ है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने ग्रन्थ 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' में यह स्वीकार किया है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण दिल्ली के व्यापारी पूर्वी क्षेत्रों – लखनऊ, पटना, कलकत्ता की ओर पलायन करने लगे। उनके साथ यहाँ की खड़ीबोली भी गई। अनुकूल परिवेश पाकर वह तेजी से विकसित हुई। खड़ीबोली के प्रचार-प्रसार में व्यापार का विकेन्द्रीकरण एक महत्त्वपूर्ण कारण रहा। इस प्रकार खड़ीबोली भारत के बड़े हिस्से में सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित हुई। उस समय के अनेक सर्वेक्षणों से ज्ञात होता है कि खड़ीबोली हिन्दुस्तान की सम्पर्क भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी थी।

**(3) भारतीय नवजागरण की चेतना :** उन्नीसवीं शताब्दी में पश्चिमी संस्कृति और भारतीय अस्मिता की टकराहट से उत्पन्न चेतना को ही नवजागरण की चेतना कहा गया है। खड़ीबोली के विकास में इस नवजागरण की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है। परम्परा की तार्किक व्याख्या, नया इतिहास बोध, जातीय अस्मिता की तीव्र चेतना एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित एक स्वस्थ समाज की रचना का स्वप्नादि भारतीय नवजागरण के आधार-बिन्दु थे। इन आधारों की अभिव्यक्ति खड़ीबोली के माध्यम से हुई। यह बेवजह नहीं है कि भारतीय नवजागरण के प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण चिन्तकों, विचारकों एवं धार्मिक नेताओं ने खड़ीबोली हिन्दी को अपनाया। उदाहरणार्थ आर्यसमाज के प्रवर्त्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 'सत्यार्थप्रकाश' की रचना हिन्दी में की थी। राजा राममोहन राय ने हिन्दी के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता को स्वीकार किया। आधुनिक हिन्दी साहित्य के प्रवर्त्तक बाबू भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने भाषा के विकास का सम्बन्ध राष्ट्रीय विकास की सर्वांगता से जोड़ा – "निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।" इस प्रकार भारतीय नवजागरण ने न केवल नये जीवनादर्श एवं मूल्यों को विकसित किया, अपितु उन्हें अभिव्यक्ति देने वाली भाषा के रूप में खड़ीबोली हिन्दी को भी विकसित किया।

**(4) फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना :** सन् 1800 ई. में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई जिसका उद्देश्य अंग्रेज अधिकारियों को हिन्दी भाषा का ज्ञान कराना था। कॉलेज में हिन्दुस्तानी विभाग के अध्यक्ष जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट ने हिन्दी के विकास में अविस्मरणीय योगदान किया। उनकी अध्यक्षता में अनेक पुस्तकों के हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हुए और कुछ मौलिक ग्रन्थों की रचना हुई। इस कार्य में उनके सहयोगियों में इंशाअल्ला खां, लल्लूलाल, सदल मिश्र और सदासुखलाल जैसे विद्वज्जनों का नाम उल्लेखनीय है। इंशाअल्ला खां की चर्चित कहानी 'रानी केतकी की कहानी' ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखी गई है। वैसे यह कृति भाषा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण न होकर विधा की दृष्टि से अधिक चर्चित रही है। लल्लूलाल का 'प्रेमसागर', सदल मिश्र का 'नासिकेतोपाख्यान' एवं सदा सुखलाल का 'सुखसागर' खड़ीबोली के विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

**(5) राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' और राजा लक्ष्मणसिंह के प्रयास :** खड़ीबोली हिन्दी के विकास में 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध के दो महत्त्वपूर्ण विद्वज्जनों राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' और राजा लक्ष्मणसिंह का योगदान महत्त्वपूर्ण है। इन्होंने स्वतन्त्र रूप से हिन्दी की दो शैलियों का विकास किया। शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' ने हिन्दी में उर्दूबहुल शैली को विकसित किया। साथ ही उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज और सरकारी विद्यालयों के लिए अनेक पुस्तकों की रचना की जिनमें 'राजा भोज का सपना', 'इतिहास तिमिरनाशक', 'भूगोल हस्मातलक' आदि बहुचर्चित हुईं। राजा लक्ष्मणसिंह ने तत्सम (संश्लिष्ट) प्रधान शैली में हिन्दी अनुवाद किया।

**(6) पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन :** उन्नीसवीं शताब्दीं में पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन का शुभारम्भ हुआ जिसके चलते हिन्दी भाषा को स्थापित होने में बहुत मदद मिली। इस युग की सम्पूर्ण वैचारिकता और ज्ञान के प्रचार-प्रसार का माध्यम पत्रकारिता थी। यही वजह है कि महत्त्वपूर्ण रचनाकार पत्रकार भी थे। पत्रकारिता के उदय ने हिन्दी की सम्भावनाओं के क्षितिज को विस्तार दिया। हिन्दी का पहला पत्र 'उदन्त मार्तण्ड' वर्ष 1826 ई. में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। वर्ष 1828 ई. में कलकत्ता से ही 'बंगदूत' निकला जिसे सरकार ने बन्द कर दिया। राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' का 'बनारस अखबार' वर्ष 1844 ई. में प्रकाशित होने लगा। सन् 1854 ई. में कलकत्ता से ही 'समाचार' नाम का दैनिक पत्र प्रकाशित हुआ। वर्ष 1873 ई. में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' के माध्यम से खड़ीबोली को साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित करने का सफल प्रयास किया। कहना सही होगा कि इन पत्र-पत्रिकाओं ने हिन्दी की रूप-रचना को बहुत हद तक व्यवस्थित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया है।

**(7) ईसाई मिशनरियों का योगदान :** ईसाई धर्म के प्रचार की प्रक्रिया में मिशनरियों ने खड़ीबोली के महत्त्व और आवश्यकता को समझा। उन्होंने सरल खड़ीबोली को अपना माध्यम बनाया। नये संसार एवं नयी शिक्षा के व्यापक प्रसार के लिए उन्होंने पुस्तक-प्रकाशन की योजना बनाई। श्रीरामपुर, मिर्जापुर, बनारस, इलाहाबाद और आगरा में 'बुक सोसाइटियों' की स्थापना की गई और अनेक स्कूल व कॉलेज खोले गए। इन सोसाइटियों ने भूगोल, इतिहास, धर्मशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र, साहित्य, ज्योतिष, चिकित्सा, विज्ञान आदि विषयों की पाठ्यपुस्तकें तैयार कराकर प्रकाशित कीं। बाइबिल का भी बड़े पैमाने पर हिन्दी अनुवाद कराया गया। मिशनरियों के इस प्रयास ने खड़ीबोली के विकसित होने में बहुत मदद की।

**(8) भारतेन्दु एवं उनकेमण्डल का योगदान :** अनेक राजनैतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों ने खड़ीबोली को आधुनिक युग की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित तो कर दिया लेकिन उसे साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित करने का श्रेय भारतेन्दु युग के साहित्यकारों को है। यद्यपि इस युग की कविता की भाषा ब्रजभाषा ही रही, लेकिन गद्य की खड़ीबोली में लिखा जाना भारतेन्दु युग की रचनात्मक उपलब्धि है। इस युग में रचित गद्य साहित्य के माध्यम से ही नये युग की सम्वेदना को अभिव्यक्त किया जा सका। वस्तुतः भारतेन्दु युग ने ही साहित्य के क्षेत्र में खड़ीबोली की वह नींव रखी जिस पर द्विवेदी युग, छायावाद युग और छायावादोत्तर युग का विशाल भवन खड़ा हो सका।

खड़ीबोली का विकास एक ऐतिहासिक अनिवार्यता थी। जीवन की तरह भाषा भी निरन्तर परिवर्तनशील है। जब भाषा जीवन के बदलावों के समानान्तर नहीं बदलती तब जीवन और भाषा के बीच गतिरोध आ जाता है। भाषा में परिवर्तन से ही यह गतिरोध टूट पाता है। उन्नीसवीं शताब्दी में जीवन के जिन नये आयामों का उदय हुआ, उन्हीं से खड़ीबोली भी विकसित और प्रतिष्ठित हुई। इसलिए यह महज भाषा मात्र नहीं, आधुनिक सम्वेदना और सर्जना की शर्त भी है। ध्वनि, शब्द, पद एवं वाक्य संरचना सम्बन्धी व्याकरणिक विशेषताओं के आधार पर खड़ीबोली हिन्दी के निजी विशिष्ट स्वरूप को भलीभाँति समझा जा सकता है।

किसी भाषा की व्याकरणिक विशेषताएँ मूलतः उसकी संरचना प्रविधि से सम्बन्धित होती है। भाषिक प्रयुक्तियों की संरचना एक विशिष्ट सोपानिक प्रक्रिया है। ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य ही भाषिक विधान के प्रमुख स्तर स्वीकार किये जाते हैं। इन्हीं प्रमुख स्तरों का व्यवस्थित, वैज्ञानिक और संगत प्रयोगात्मक विश्लेषण ही किसी भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं का मूल आधार है। खड़ीबोली की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

i. खड़ी हिन्दी की सभी ध्वनियाँ उच्चारण-अवयवों के क्रमानुसार कण्ठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य आदि वर्गों में वर्गीकृत हैं। इनके श्रवणगोचर के अनुसार इन्हें घोष-अघोष, ओष्ठ्य-विवृत-संवृत, अन्तस्थ, उष्म तथा अल्पप्राण-महाप्राण आदि वर्गों में विभाजित किया गया है।
ii. खड़ीबोली का शब्द-भण्डार प्रायः तीन वर्गों में प्राप्त है – रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। खड़ीबोली हिन्दी में सभी स्रोतों (संस्कृत, अंग्रेजी, फ़ारसी तथा आंचलिक) से प्राप्त शब्दों की संरचना में यह प्रवृत्ति लक्षित की जा सकती है, यथा – किंकर्त्तव्यविमूढ़, मोटरचालक, जिलाधीश, घुसपैठिया आदि।
iii. प्रकृति और प्रत्यय के योग से शब्दसंरचना की प्रवृत्ति खड़ीबोली की प्रमुख व्याकरणिक विशेषता है।
iv. खड़ी हिन्दी की पद संरचना व्यवस्थित, वैज्ञानिक और नियमबद्ध है।
v. वाक्य संरचना मुख्यतः संस्कृत के अनुसार है। इसमें हमेशा कर्त्ता-कर्म-क्रिया के क्रम का पालन होता है।
vi. विशेषण पद विशेष पद (संज्ञा) से पहले रखा जाता है, किन्तु सर्वनाम का विशेषण उसके बाद आता है, पहले नहीं।
vii. कारक सम्बन्धी विभक्ति चिह्न उसी संज्ञा या सर्वनाम पद के साथ, उसके तुरन्त बाद जुड़ता है जो उस कारक विशेष का घटक होता है।

viii. भूतकालिक क्रिया के कर्त्ता पद के साथ यदि कारक सूचक परसर्ग न लगा हो तो उस क्रिया के लिंग वचन का रूप कार्य के अनुसार होता है, कर्त्ता के अनुसार नहीं ।

ix. जिन वाक्यों में भिन्न-भिन्न लिंग और वचन वाली अनेक संज्ञाएँ होती हैं, उसमें क्रिया का रूप अन्तिम संज्ञा पद के अनुसार होता है; यथा – शिकारी ने एक शेर, कई हिरण और एक हिरनी मारी ।

x. खड़ीबोली हिन्दी की वाक्य संरचना तीन रूपों में प्राप्त होती हैं – सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य ।

### 4.1.2.2. हिन्दी भाषा का मानकीकरण

भाषा के साथ यह विचित्र विरोधाभास है कि उसे परिवर्तन की निरन्तरता और मानकता की मर्यादा के बीच से गुजरना होता है । गति और ठहराव के परस्पर विरोधी दबावों में भाषा निश्चय ही गति का साथ देती है और मानकता के आग्रहों को धीरे-धीरे अस्वीकार करती हुई अपनी संरचना को युगानुरूप बनाती चलती है । यह जीवित भाषा की प्राणवत्ता की पहचान भी है और ज़रूरत भी । परिवर्तन की अपरिहार्यता से संचालित होने के बावजूद भाषा का अपना एक अनुशासन, अपनी एक आन्तरिक मर्यादा और पहचान होती है । भाषा की मानकता का मूल सम्बन्ध उसी अनुशासन की पहचान है ।

मानकता की दृष्टि से विश्व भाषाओं में हिन्दी की स्थिति विशिष्ट है । यह एक भाषा नहीं अपितु अपनी संरचना में विभिन्न उपभाषाओं और बोलियों का मिश्रण है । मध्य भारत के विशाल भू-भाग में, दसवीं शताब्दी के आसपास जिन भारतीय भाषाओं और बोलियों का उदय हुआ, उनमें हिन्दी भी एक थी । ऐतिहासिक-सामाजिक कारणों से यह हिन्दी क्षेत्रीय बोलियों एवं अपनी भाषाओं से ऊर्जा लेती हुई उन्नीसवीं शताब्दी तक अखिल भारतीय स्तर पर सम्पर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई । एक ओर इसकी आधार भाषा संस्कृत है तो दूसरी ओर इसके विकास में भोजपुरी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी एवं हरियाणवी बोलियों का योगदान है । यह अखिल भारतीय स्तर पर सम्पर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होने के कारण गैर हिन्दी लोगों द्वारा भी बोली जाती है । भारत जैसे विशाल देश की सम्पर्क भाषा एवं राष्ट्रभाषा होने के कारण यह क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव से अछूती नहीं रह सकती ।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है इसलिए भी हिन्दी की मानकता का प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो जाता है । यहाँ स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि हिन्दी की मानकता का प्रश्न केवल भाषिक संरचना से ही नहीं, अपितु उसकी लिपि यानी देवनागरी से भी सम्बद्ध है । इसलिए हिन्दी भाषा की मानकता की समस्याओं एवं उनके समाधान पर विचार करते हुए देवनागरी लिपि पर चर्चा भी आवश्यक है । भाषा और लिपि को पृथकता में नहीं देखा जा सकता है । हिन्दी के मानकीकरण की समस्याएँ उसके भाषिक प्रयोग एवं लिपि, दोनों स्तरों पर है इसलिए सर्वप्रथम मानकीकरण की समस्याओं पर विचार करना अधिक तर्कसंगत होगा । व्यवहार और व्याकरण के स्तर पर हिन्दी की मानकता के मार्ग में निम्नांकित समस्याएँ उल्लेखनीय हैं –

**(1) उच्चारण**

उच्चारण की दृष्टि से हिन्दी में मानक एवं अमानक रूपों का प्रचलन है। विभिन्न बोलियों का स्थानीय प्रभाव हिन्दी शब्दों के उच्चारण में दिखाई देता है। यद्यपि इन शब्दों की मानकता असंदिग्ध है लेकिन व्यवहार में इस मानकता का पालन नहीं होता। यह समस्या विशेष तौर पर श-स, य-ज, छ-क्ष आदि ध्वनियों के स्तर पर है। उच्चारण की अमानकता के कारण कई बार वर्तनी भी प्रभावित होती है। कतिपय उदाहरण प्रस्तुत हैं –

| **शुद्ध** | **अशुद्ध** |
|---|---|
| शहर | सहर |
| यज्ञ | जज्ञ |
| क्षमा | छमा |
| स्वच्छ | स्वक्ष |

**(2) व्याकरणिक समस्याएँ**

हिन्दी में व्याकरण के स्तर पर अमानक तत्त्वों की बहुलता नहीं है फिर भी व्यावहारिक धरातल पर अमानकता पर बढ़ता प्रभाव स्पष्टतया देखा जा सकता है। उदाहरणार्थ हिन्दी के मानक रूप का अतिक्रमण कुछ पूर्वी प्रयोगों एवं पंजाबी के द्वारा हो रहा है। इस अतिक्रमण को निम्नांकित बिन्दुओं पर देखा जा सकता है –

**(क) संज्ञा**

पूर्वी हिन्दी में 'के कारण' के स्थान पर 'के चलते' का प्रचलन है –

(i) बच्चों के चलते मुझे ठहरना पड़ा।
(ii) आपके चलते मैं समय पर नहीं पहुँच सकूँगा।

पंजाबी प्रभाव के कारण संज्ञाओं में अनावश्यक रूप से 'ए' जोड़ने की प्रवृत्ति दिखाई देती है; यथा – लाले से, माने के घर से, चाचे की कमी से आदि।

इस तरह के प्रयोग जन स्वीकृत हो रहे हैं और साहित्य में भी इनका प्रयोग सहज द्रष्टव्य है। भाषावैज्ञानिकों का मानना है कि क्षेत्रीय स्तर पर बोलने के क्रम में प्रायः ऐसे प्रयोगों को रोका नहीं जा सकता है लेकिन लेखन के स्तर पर इन्हें नियन्त्रित किया जाना आवश्यक है।

**(ख) सर्वनाम**

हिन्दी के मानक सर्वनाम रूपों के समानान्तर कुछ क्षेत्रीय कारकीय रूपों का प्रचलन बढ़ रहा है। कतिपय उदाहरण प्रस्तुत हैं –

(i) मुझे, मुझको – मेरे को
(ii) तुमसे – तेरे से
(iii) मुझमें – मेरे में
(iv) तुममें – तेरे में
(v) मैं – हम

**(ग) विशेषण**

विशेषण के स्तर पर मानकता की समस्या आकारान्त विशेषण शब्दों के साथ है। ये आकारान्त विशेषण लिंग एवं वचन के साथ परिवर्तित होने लगे हैं; यथा – ताजा फल – ताजे फल – ताजी खबर। मानक हिन्दी में 'ताजा' विशेषण अपरिवर्तनीय है। इसी प्रकार 'सुनहरी' शब्द अपरिवर्तनीय और मानक है, लेकिन प्रयोग में 'सुनहरा मौका' का चलन बढ़ रहा है।

**(घ) क्रिया**

मानक हिन्दी के क्रिया रूपों में भी अमानक रूपों का प्रचलन है। यहाँ भी अमानकता केवल व्यावहारिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि लेखन के स्तर पर भी है; यथा–

| **मानक रूप** | **अमानक रूप** |
|---|---|
| किया | करा |
| की | करी |
| कीजिए | करिये |

(ङ) **लिंग**

हिन्दी भाषा में लिंग की समस्या किंचित् जटिल है। यह जटिलता मुख्यतः रूप-निर्माण के स्तर पर है। हालाँकि, प्रयोग के स्तर पर ऐसे शब्दों की संख्या बहुत अधिक नहीं है जिन्हें लेकर विवाद की स्थिति हो। उदाहरणार्थ तौलिया, गिलास, तकिया, दही, रूमाल, पेंट, कलम, चर्चा आदि शब्द इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं।

**(3) शब्द-भण्डार एवं अर्थ की समस्या**

एक विशाल भू-भाग में बोली जाने के कारण हिन्दी की शब्द-सम्पदा में अपार वैविध्य है और एक ही शब्द के अर्थ में अनेकरूपता है। यह मानकीकरण की उल्लेखनीय समस्या है। हिन्दी में यह समस्या दोनों स्तरों पर है – सामान्य शब्द के स्तर पर भी व पारिभाषिक शब्दों के स्तर पर भी। सामान्य शब्द के स्तर पर अनेकरूपता के कतिपय उदाहरण प्रस्तुत हैं; यथा –

(i) चींटी – कीड़ी
(ii) कद्दू – घिया, लौकी
(iii) तोरी – नेनुवां, घेंवड़ा, परोल
(iv) भिण्डी – रामतरोई
(v) ताऊ – बड़का बाबू, चाचा, काका

पारिभाषिक शब्दों के स्तर पर भी यह अनेकरूपता देखी जा सकती है; यथा –

(i) डाइरेक्टर – निदेशक, निर्देशक, संचालक
(ii) वर्कशाप – कार्यशाला, कार्यगोष्ठी, कर्मशाला
(iii) कवरिंग लेटर – प्रावरण पत्र, आवरण पत्र, उपरि पत्र

सामान्य एवं लोक-प्रचलित शब्दों में एकरूपता लाना सम्भव नहीं है लेकिन पारिभाषिक शब्दों में एकरूपता का होना अनिवार्य है। इस दिशा में सार्थक प्रयास किए जा सकते हैं।

### (4) वाक्य-रचना

अमानकता की बढ़ती प्रवृत्तियों का प्रभाव हिन्दी वाक्य-रचना की मानकता पर भी पड़ा है। कतिपय उदाहरण प्रस्तुत हैं –

| **मानक** | **अमानक** |
|---|---|
| मुझे लिखना है | मैंने लिखना है |
| उसे पढ़ना था | उसने पढ़ना था |
| मुझे कुछ नहीं चाहिए | मेरे को कुछ नहीं चाहिए |
| मैंने खेला | हमने खेला |

### (5) लिपि

व्यवहार और व्याकरण के स्तर पर मानकीकरण की समस्याओं के साथ-साथ कुछ समस्याएँ लिपि के स्तर पर भी हैं। वर्तनी की अनेकरूपता के उदाहरण देखिए –

(i) माताएँ – मातायें
(ii) नई – नयी
(iii) जाएगा – जायेगा
(iv) लिए – लिये

हल चिह्नों के प्रयोग को लेकर हिन्दी व्याकरणों में विवाद है। एक समूह संस्कृत में प्रयुक्त हल चिह्नों का यथावत प्रयोग हिन्दी में जारी रखने का पक्षधर है । इसके विपरीत दूसरा समूह यह मानता है कि हिन्दी में हलन्त चिह्नों का प्रयोग बन्द कर देना चाहिए, क्योंकि हिन्दी भाषा में आकर आकारान्त शब्द स्वतः हलन्त हो गए हैं इसलिए अलग से हलन्त के प्रयोग का कोई औचित्य नहीं है, यथा – आम, फल, आप, खेत, जगत्, दयावान् आदि। कुछ विद्वानों की राय है कि जिन शब्दों के हलन्त को हिन्दी में स्वीकार कर लिया गया है, उसे जारी रखना चाहिए, यथा– संवत्, सत्, पृथक् आदि।

विसर्ग प्रयोग को लेकर भी हिन्दी में एकरूपता नहीं है । संस्कृत के अनेक विसर्गयुक्त शब्द हिन्दी में आकर विसर्गरहित हो गए हैं। दुःख, निःसन्देह, निःसंतान आदि ऐसे ही शब्द हैं। निःसन्देह व निःसंतान तो संस्कृत के सन्धि-नियमों से निस्सन्देह व निस्संतान हो गए हैं, लेकिन दुख हिन्दी का अपना शब्द हो गया है और इससे 'दुखिया' जैसे विशेषण भी बना लिया गया है। इसके अतिरिक्त हिन्दी में विसर्गयुक्त और विसर्गरहित प्रयोगों की विकल्पना भी मौजूद है, यथा – छः / छह / छ, छिः / छि आदि।

हिन्दी में अनुस्वार और चन्द्रबिन्दु के प्रयोगों में भी अनेकरूपता है। आधुनिक लेखन में उन शब्दों में भी अनुस्वार का प्रचलन बढ़ा है जिसमें चन्द्रबिन्दु का प्रयोग होता रहा है। इसके अतिरिक्त एक ही शब्द को अनुस्वार एवं चन्द्रबिन्दु, दोनों के साथ लिखने का प्रयोग दिख रहा है। इँधन – ईंधन, आँख – आंख, चाँद – चांद आदि ऐसे ही उदाहरण हैं । इसमें यह व्यवस्था दी गई है कि सर्वत्र अनुस्वार का प्रयोग वर्जित है लेकिन अनुनासिक पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग स्वीकृत हो गया है। साथ-ही यह भी व्यवस्था अपना ली गई है कि शिरोरेखा के उपर अगर कोई मात्रा है तो वहाँ चन्द्रबिन्दु का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाएगा।

हिन्दी के मानकीकरण में छह विदेशी ध्वनियों – ऑ, क़, ख़, ग़, ज़ और फ़ के प्रयोग को लेकर भी कुछ समस्याएँ हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हिन्दी में इन ध्वनियों का प्रयोग अनिवार्य नहीं है और इसलिए विदेशी शब्दों को देवनागरी की ध्वनि व्यवस्था के अनुसार ही लिखा जाना चाहिए, यथा – क़ानून की जगह कानून और ख़ून की जगह खून। लेकिन अनेक विद्वान् ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि इन ध्वनियों का प्रयोग होना चाहिए क्योंकि इन ध्वनियों के कारण हिन्दी शब्दों में पर्याप्त अर्थभेद हैं और ये लगभग स्वीकृत हैं, जैसे, राज – राज़, जरा – ज़रा, फन – फ़न आदि। हालाँकि इस परिप्रेक्ष्य में यह व्यवस्था दी गई है कि जहाँ विदेशी ध्वनियों के साथ अर्थगत सूक्ष्मता जुड़ी हुई है, वहाँ नुक्तों का प्रयोग अपेक्षित है। बाकी जगहों पर इनका प्रयोग अनिवार्य नहीं है।

## 4.1.2.3. हिन्दी के मानक रूप का विकास

अनेक सीमाओं और समस्याओं के बावजूद आज हिन्दी का एक मानक रूप उपलब्ध है। यह मानकता इस भाषा की एक सहज और लम्बी विकास-प्रक्रिया के तहत उपलब्ध हुई है। भारतेन्दु युग में भाषा की मानकता की चिन्ता लगभग नहीं दिखाई देती। उस समय उस समय खड़ीबोली पहली बार रचना का माध्यम बन रही थी

और उस पर क्षेत्रीय बोलियों का सीधा प्रभाव था। व्याकरणसम्बन्धी बहुरूपता, शब्द-चयन की अनिश्चयता, वाक्य-योजना की शिथिलता एवं अन्वयहीनता भारतेन्दुयुगीन खड़ीबोली में प्रचुरता के साथ मौजूद हैं।

खड़ीबोली की मानकता का सवाल द्विवेदी युग में उठा। अपने दृढ़ निश्चय, कठोर अनुशासन और रचनात्मक संकल्पना के बल पर आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने खड़ीबोली को मानक रूप प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। उन्होंने खड़ीबोली को गद्य के साथ-साथ कविता की भाषा बनाने में भी उल्लेखनीय योगदान किया। उनकी प्रेरणा और प्रयासों से कामताप्रसाद गुरु और किशोरीदास वाजपेयी ने खड़ीबोली के व्याकरण लिखे। इस आलोक में अयोध्याप्रसाद खत्री के योगदान भी महत्त्वपूर्ण है। द्विवेदी युग में मानकता के सन्दर्भ में निम्नलिखित व्यवस्थाएँ निर्धारित की गईं –

i. हिन्दी में किसी भी भाषा के जो शब्द प्रचलित हो गए हैं, उन्हें ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर लिया जाए।
ii. परसर्ग को संज्ञा से पृथक् रखा जाए, यथा – गाय का दूध, राम ने, पेड़ से आदि।
iii. सर्वनाम के प्रयोग में परसर्गों को साथ लिया जाए, यथा – उनकी मर्जी, आपका भविष्य आदि।
iv. लिंग निर्धारण का आधार स्वीकृत और प्रचलित मान्यताएँ हों। संस्कृत के अग्नि, आत्मा, वायु, मृत्यु आदि पुल्लिंग हैं लेकिन हिन्दी में इनका प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में होता है। इनके स्त्रीलिंग रूप ही मानक माने जाएँ।
v. लिखित भाषा में एकवचन के लिए 'मैं' और बहुवचन के लिए 'हम' का प्रयोग हो।
vi. क्रिया में ब्रजभाषा रूपों का परित्याग किया जाए, यथा – आवैं, जावैं, लीजैं के स्थान पर क्रमश: आएँ, जाएँ, लीजिए।
vii. विराम चिह्नों को सुव्यवस्थित किया गया।

द्विवेदी युग में जिस मानक स्वरूप की स्थापना हुई, उसी का पालन छायावाद और प्रगतिवाद में हुआ। लेकिन आजादी के बाद जब संविधान में हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, तब उसकी चुनौतियाँ बढ़ीं। जीवन के अनेक क्षेत्रों में शब्दावली-निर्माण की ज़रूरत हुई इसलिए मानकता का सवाल अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया। उच्च शिक्षा, विधि, प्रशासन, विज्ञान आदि क्षेत्रों में हिन्दी के प्रयोग को सम्भव बनाने के लिए अनेक आयोगों की स्थापना हुई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने वर्तनी के मानकीकरण पर काफी बल दिया। स्वतन्त्रता के बाद हिन्दी के मानकीकरण को तीन आधारों पर व्यवस्थित किया गया; यथा –

(1) वर्तनी के स्तर पर यह व्यवस्था दी गई कि वर्तनी संस्कृत के व्याकरण के नियमों के अनुरूप हो, जैसे – जितेन्द्र, उज्ज्वल, बीभत्स, व्यंग्य आदि। रेफ के कारण जिन शब्दों में विकल्प से द्वित्व होता है, उनमें सरलता की दृष्टि से द्वित्व का निषेध किया जाए, जैसे, आर्य्य – आर्य, वर्म्मा – वर्मा आदि। पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार लिखने का विकल्प मान्य हुआ, जैसे, सन्त – संत, ग्रन्थ – ग्रंथ, पण्डित – पंडित, सम्बन्ध – संबंधआदि।

(2) देश की अन्य भाषाओं से आए शब्दों का हिन्दी में यथावत स्वीकार करने की सिफारिश की गई, यथा– इडली, डोसा, सांभर आदि। अंग्रेजी से अनूदित पारिभाषिक शब्दों की एकरूपता पर भी बल दिया गया।

(3) खड़ीबोली व्याकरण का जो ढाँचा द्विवेदी युग में निर्मित किया गया था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

उल्लेखनीय है कि समकालीन व्याकरणिक मान्यताएँ श्री कामताप्रसाद गुरु के व्याकरण पर आधारित है।

सारांशतः हिन्दी के मानकीकरण की जो प्रक्रिया बीसवीं सदी में आरम्भ हुई थी, वह एक मुकाम पर पहुँच चुकी है। आज हिन्दी का अधिकांश स्वरूप मानक हो गया है फिर भी कई क्षेत्रों में द्विरूपता बरकरार है। हालाँकि, इनके समाधान के प्रयास निरन्तर जारी हैं। मानकीकरण एक निरन्तर प्रक्रिया है। स्वयं भाषा का स्वभाव परिवर्तनशील है। समकालीन हिन्दी सशक्त और समर्थ है लेकिन नये आर्थिक उपनिवेशवाद के कारण पाश्चात्य देशों का जो हमला हिन्दी पर हो रहा है, उससे हिन्दी की मानकता ही नहीं, बल्कि उसकी गरिमा और आत्मविश्वास को भी ठेस पहुँच रही है। यही वजह है कि मानकता का प्रश्न अब केवल भाषा का प्रश्न नहीं रह गया है अपितु उसका सम्बन्ध हमारी सांस्कृतिक-राष्ट्रीय अस्मिता से भी जुड़ गया है।

### 4.1.3. राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी

राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जो सम्पूर्ण राष्ट्र में सामान्य तौर पर बोली और समझी जाती है। राष्ट्र के अधिक से अधिक लोग उसी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति करते हैं। कहना सही होगा कि राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की आत्मा बोलती है। समूचे राष्ट्र की जनता की सोच, संस्कृति, विश्वास, धर्म और समाजसम्बन्धी धारणाएँ जीवन के विविधापूर्ण व्यावहारिक पहलू, आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ, निजी और सामूहिक सुख-दुःख के भाव, लोकनीति सम्बन्धी विविध विचार और दृष्टिकोण राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही साकार होते हैं। भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्र में प्रयुक्त सभी भाषाएँ राष्ट्रभाषा हैं किन्तु जब राष्ट्र की जनता स्थानीय और तात्कालिक हितों और पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की कई भाषाओं में से किसी एक भाषा को विशेष प्रयोजनों के लिए चुनकर उसे राष्ट्रीय अस्मिता एवं गौरव गरिमा का एक आवश्यक उत्पादन समझने लगती है तो वह भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में मान्य हो जाती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता और अन्तर्प्रान्तीय संवाद-सम्पर्क की आवश्यकता की उपज होती है। इस सन्दर्भ में अमर कथाशिल्पी मुंशी प्रेमचंद का यह कथन उल्लेखनीय है – "भारत की राष्ट्रीयता एक राष्ट्रभाषा पर निर्भर है और दक्षिण के हिन्दीप्रेमी राष्ट्रभाषा का प्रचार करके राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। राष्ट्रभाषा का होना लाजिमी है। अगर सम्पूर्ण भारत को एक राष्ट्र बनना है तो उसे एक भाषा का आधार लेना पड़ेगा।"

#### 4.1.3.1. ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हिन्दी

हिन्दी भाषा और हिन्दी साहित्य के सन्दर्भ में आधुनिक युग का आरम्भ सन् 1850 ई. के आसपास माना जाता है। यद्यपि इससे पहले लगभग एक सौ वर्ष पहले से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में अंग्रेज विदेशियों ने अपनी भाषायी कूटनीति का जाल फैलाना आरम्भ कर दिया था तथापि अनेक वर्षों तक उनका षड्यन्त्र भारतीय

जनता समझ नहीं पायी। इसका एक कारण यह भी था कि ब्रिटिश शासन ने भारत में अपने साम्राज्य की जड़ें मजबूत करने के लिए जो शिक्षा-नीति और भाषा-नीति अपनायी, उसमें हिन्दी को भी प्रमुख स्थान प्राप्त था, क्योंकि उसके बिना वे भारतीय जनता पर शासन नहीं कर सकते थे। ध्यातव्य है कि सन् 1800 ई. में कलकत्ता में जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई तो उसमें हिन्दी (जिसे वे 'हिन्दुस्तानी' कहते थे) विभाग भी खोला गया। यहीं भारत की बहुप्रचलित कौरवी बोली को खड़ीबोली हिन्दी के रूप में विकसित करने का अवसर मिला। कॉलेज की शिक्षा नीति के अन्तर्गत इस खड़ीबोली में अनेक पुस्तकें लिखवायी गईं। धीरे-धीरे हिन्दी का यही रूप देश भर में, शिक्षा और साहित्य, बोलचाल और पत्र-व्यवहार, संवाद-संचार आदि में विकसित और प्रचलित होता गया। सन् 1801 ई. में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह घोषणा की कि प्रशासनिक सेवा में केवल उसी व्यक्ति को जिम्मेदार पद पर नियुक्त किया जाए जिसे गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए कानूनों को अमल में लाने के लिए 'हिन्दुस्तानी' का भी ज्ञान हो। इसलिए फ्रेडरिक जॉन शोर, मैटकॉफ, फ्रेडरिक पिन्कॉट आदि ने हिन्दी सीखी। स्मरणीय है कि यह सब काम भारत के एक अहिन्दीभाषी क्षेत्र कलकत्ता में हो रहा था। इस प्रकार आधुनिककाल की वास्तविक शुरुआत से पहले ही हिन्दी प्रकारान्तर से राष्ट्रभाषा के रूप में मान्य हो चुकी थी।

### 4.1.3.2. प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम और हिन्दी

वर्ष 1857 ई. में भारत का प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम लड़ा गया। इसमें सर्वत्र हिन्दी ही माध्यम थी, अंग्रेजी या फ़ारसी नहीं। सभी क्रान्ति समाचार, संवाद और सन्देश हिन्दी में प्रकाशित किए जाते थे। उस प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम का मुखपत्र 'पयाम-ए-आजादी', जिसका हिन्दी अर्थ है – 'स्वाधीनता-सन्देश', था जो दिल्ली से देवनागरी और फ़ारसी दोनों लिपियों में निकलता था। प्रसिद्ध राष्ट्रभक्त और स्वतन्त्रता सेनानी अज़ीमउल्ला ख़ाँ इसके सम्पादक थे।

### 4.1.3.3. स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान हिन्दी

धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक स्तर पर तो हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के अनेक उल्लेखनीय प्रयास बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध तक हुए ही, राजनैतिक स्तर पर इस दिशा में सर्वाधिक उल्लेखनीय योगदान मिला भारत के स्वाधीनता आन्दोलन से, जिसके सूत्रधार महात्मा गाँधी थे। भारत के राजनैतिक मंच पर गाँधी का अभ्युदय वर्ष 1916 के आसपास हुआ। इससे पहले वे हिन्दी अच्छी तरह नहीं जानते थे, कुछ-कुछ समझ सकते थे। फिर भी उन्होंने स्वाध्याय के बल पर हिन्दी का समृद्ध ज्ञान प्राप्त कर लिया। सन् 1916-17 ई. में, कांग्रेस अधिवेशन, कलकत्ता में वे पहली बार एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे और तभी से उन्होंने एक राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को प्रतिष्ठित करना अपने समूचे स्वदेशी आन्दोलन तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम का अभिन्न अंग बना लिया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1916 ई. में ही उन्होंने अधिवेशन का सारा कार्य हिन्दी में चलाने का शुभारम्भ कराया। यहाँ तक कि अधिवेशन के अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक से भी उन्होंने हिन्दी में भाषण देने का आग्रह किया। श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा इस पर तनिक असहमति का भाव दिखाने पर गाँधी ने स्पष्ट किया कि "कांग्रेस का करीब-करीब सारा ही काम अंग्रेजी में चलाने से राष्ट्र को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है।"

इसी अनुक्रम में दिसंबर 1916 में गाँधी के निर्देश पर लखनऊ में हिन्दी और देवनागरी को राष्ट्रीय दर्जा देने के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास हुआ, उसके समर्थकों में श्री रामास्वामी अय्यर तथा श्री रंगस्वामी आयंगर जैसे दक्षिण भारतीय प्रतिनिधि अग्रणी रहे।

कलकत्ता से लौटने के उपरान्त कानपुर में एक सार्वजनिक सभा को सम्बोधित करते हुए लोकमान्य तिलक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि "मैं उन लोगों में से हूँ जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि हिन्दी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है।"

सन् 1939 ई. में जब भारत के कई प्रदेशों में कांग्रेस की निर्वाचित सरकारों का गठन हुआ तो मद्रास के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री राजगोपालचारी ने मद्रास प्रान्त के सभी विद्यालयों में हिन्दी शिक्षण अनिवार्य कर दिया। उस समय महात्मा गाँधी ने अन्य राज्यों को भी इस नीति का अनुसरण करने की प्रेरणा देते हुए लिखा कि "अगर हमें अखिल भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त करनी है तो प्रान्तीय आवरण को भेदना ही पड़ेगा। जो लोग यह मानते हैं कि भारत एक देश है, उन्हें राजाजी का समर्थन करना ही चाहिए।"

सारांशतः स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान हिन्दी का राष्ट्रभाषा के रूप में बड़ी तेजी से विकास हुआ। स्वाधीनता आन्दोलन का प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन करने वाले असंख्य नेताओं, क्रान्तिकारियों, बलिदानी वीरों, लेखकों, कवियों और पत्रकारों ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में भरपूर योगदान किया।

### 4.1.3.4. स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी का विकास

भाषा राष्ट्रीय अस्मिता की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है इसलिए देश की स्वतन्त्रता का स्वप्न भी भाषा की मुक्ति से जुड़ा हुआ है। वर्ष 1947 ई. में जब देश आजाद हुआ तब संविधान निर्माताओं को ऐसी भाषा की आवश्यकता महसूस हुई जो राष्ट्र के विभिन्न समूहों की भाषा बन सके, जिसमें भारतीय संस्कृति की सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति हो सके, जो इस विशाल देश की प्रशासनिक भाषा बनने का दायित्व वहन कर सके। स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी के भाषिक विकास के सन्दर्भ में निम्नलिखित बिन्दुओं का उल्लेख किया जा सकता है –

i. राजभाषा के रूप में हिन्दी को प्रतिष्ठित करते हुए सांवैधानिक प्रावधान
ii. तकनीकी शब्दावली एवं विधि कोश आयोग की स्थापना
iii. हिन्दी भाषा के मानकीकरण के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयास
iv. हिन्दी में अनुवाद कार्य
v. भारतीय भाषाओं में परस्पर लिप्यन्तरण को प्रोत्साहित करना
vi. गैर हिन्दीभाषी राज्यों में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रयास।

## 4.1.4. राजभाषा के रूप में हिन्दी

राजभाषा मूलतः पारिभाषिक और प्रयोजन की व्यवस्था से जुड़ी हुई होती है। इसे शासकीय प्रयोजनों के लिए बनाया जाता है। इसका प्रयोग न्यायपालिका, शिक्षा, प्रशासन और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के लिए होता है। राजभाषा के सम्बन्ध में एक विशेष तथ्य यह भी है कि इसमें अनेकरूपता की अपेक्षा एकरूपता पाई जाती है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त जब भारतीय संविधान की रचना हुई तो 14 सितंबर 1949 ई. को भारत के संविधान में हिन्दी को 'राजभाषा' के रूप में मान्यता प्रदान की गई तथा राजभाषा के रूप में हिन्दी को प्रतिष्ठित करने के लिए कुछ सांवैधानिक प्रावधान किये गए।

### 4.1.4.1. राजभाषा हिन्दी की सांवैधानिक स्थिति

राष्ट्रभाषा हिन्दी का विकास स्वतन्त्रता-पूर्व हुआ है तो राजभाषा हिन्दी की समूची अवधारणा स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त विकसित हुई है। भारतीय संविधान के भाग – 5 (संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा), भाग – 6 (विधान मण्डल में प्रयोग की जाने वाली भाषा) और भाग – 17 (संघ की भाषा) में राजभाषा सम्बन्धी प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि भाग – 17 का शीर्षक 'राजभाषा' है।

संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिन्दी या अंगेजी भाषा में किया जाता है। परन्तु लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित करने की अनुमति दे सकता है। संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तो पन्द्रह वर्ष की अवधि के उपरान्त 'या अंग्रेजी में' शब्दों का लोप किया जा सकेगा। इसी प्रकार का उपबंध संविधान की धारा 210 में राज्य के विधान मण्डलों के सम्बन्ध में है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी और अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा। शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग पन्द्रह वर्ष की अवधि के दौरान किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के साथ हिन्दी भाषा का प्रयोग अधिकृत कर सकेगा। इसी अनुच्छेद के अन्तर्गत कहा गया है कि संसद उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के बाद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या देवनागरी अंकों का प्रयोग किन्हीं प्रयोजनों के लिए उपबंध कर सकेगी। संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को एक आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया है। यह आयोग प्रति पाँच वर्ष पर गठित किया जा सकेगा। इसमें यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि आयोग अपनी सिफारिशों से पूर्व भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोकसेवाओं के सम्बन्ध में अहिन्दीभाषी क्षेत्रों के न्यायसंगत दावों और हितों का पूरा-पूरा ध्यान रखेगा।

संविधान के अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किसी अन्य भाषाओं को या हिन्दी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। यदि राज्य का विधान मण्डल ऐसा नहीं कर सकेगा तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा।

संविधान के अनुच्छेद 346 में विभिन्न राज्यों एवं राज्य-संघ के बीच पत्रादि राजभाषा का प्रावधान मिलता है जबकि अनुच्छेद 347 में राज्य की जनसंख्या के किसी भाग को माँग के आधार पर राजभाषा के सम्बन्ध में विशेष उपबंध किया गया है। संविधान का अनुच्छेद348 न्यायालयों की भाषा से सम्बन्धित है।

अनुच्छेद 349 में भाषा से सम्बन्धित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है। अनुच्छेद 350 में आयोगों में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान है।

संविधान के अनुच्छेद 351 के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रचार-प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी के और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्टि भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो, वहाँ उसके शब्द-भण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

### 4.1.4.2. राजभाषा के प्रयोग की प्रगति

भारतीय संविधान में हिन्दी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए यह व्यवस्था की गई कि संविधान लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 के पन्द्रह वर्ष बाद अर्थात् 1965 ई. तक हिन्दी को पूरी तरह से राजभाषा के पद पर आसीन कर दिया जाएगा। इस सन्दर्भ में राष्ट्रपति, राजभाषा आयोग, संसद और सरकार के आदेश, सुझाव, नियम और अनुदेश जारी करके राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को सुनिश्चित किया गया है। राजभाषा के प्रयोग की प्रगति के आलोक में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं ध्यातव्य हैं –

i. राष्ट्रपति ने वर्ष 1955 ई. में यह आदेश जारी किया कि जनता के साथ पत्र व्यवहार में, प्रशासकीय प्रतिवेदनों, प्रस्तावों, सरकारी सन्धिपत्रों और करारनामों, अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों और व्यवहारों तथा संसदीय विधियों में हिन्दी के प्रयोग को अंग्रेजी के साथ बढ़ावा दिया जाए।
ii. सांवैधानिक अनुच्छेद 344 के तहत वर्ष 1955 ई. भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग (21 सदस्यीय) का गठन किया।
iii. राजभाषा आयोग की अनुशंसाओं पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन हुआ।
iv. राजभाषा आयोग और संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया जिसके तहत दो स्थायी आयोग बनाए गए तथा अनुवाद कार्य होने लगा और कार्मिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।
v. राजभाषा सम्बन्धी राष्ट्रपति के आदेशों, संसद की सिफारिशों और राजभाषा अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व भारत सरकार के गृह मंत्रालय को सौंपा गया। इसके लिए गृह मंत्रालय के अधीन स्वतन्त्र राजभाषा विभाग बनाया गया।

vi. राजभाषा विभाग ने राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में संशोधित) से प्राप्त अधिकार के तहत राजभाषा नियम, 1976 निर्धारित किया जिसमें 12 नियम हैं जिसके तहत आज भी सरकार की द्विभाषी नीति का अनुपालन होता है।

समग्रतः देखा जाए तो राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए योजना-स्तर पर काफी कुछ किया जा चुका है और आज भी किया जा रहा है। हालाँकि, व्यावहारिक धरातल पर परिणाम संतोषजनक नहीं माना जा सकता क्योंकि राजभाषा विभाग द्वारा जारी नियमों व आदेशों का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाता है और वार्षिक कार्यक्रम प्रायः कागजों पर ही बनकर रह जाते हैं। वस्तुतः राजभाषा के रूप में हिन्दी का विकास तभी सम्भव है जब राजभाषा के रूप में हिन्दी सैद्धान्तिक व विधिक बनने के साथ-साथ व्यावहारिक भी बने।

## 4.1.5. पाठ-सार

हिन्दी भाषा का इतिहास बहुत पुराना है। इसका प्रारम्भिक स्वरूप अपभ्रंश तथा अवहट्ट की रचनाओं में ही मिलने लगता है। सिद्धों और जैनों के आठवीं शताब्दी में रचित साहित्य में खड़ीबोली के दर्शन होते हैं। बारहवीं शताब्दी तक इसका स्वरूप स्पष्ट होने लगता है। चौदहवीं शताब्दी तक खड़ीबोली व्यापक जन-जीवन से जुड़ गई और आम बोलचाल में इस भाषा का प्रयोग होने लगा। भक्तिकाल के बाद रीतिकालीन कवियों ने भी खड़ीबोली का भरपूर प्रयोग किया है। हालाँकि, काव्यभाषा के रूप में खड़ीबोली हिन्दी की प्रतिष्ठा द्विवेदी युग में ही हुई। खड़ीबोली हिन्दी की गद्य परम्परा काफी पुरानी है। इसके प्राचीनतम नमूने नाथ साहित्य में उपलब्ध होते हैं। हिन्दी जगत् में भारतेन्दु का उदय एक क्रान्तिकारी घटना है। भारतेन्दु के समय में हिन्दी गद्य का परिष्कृत रूप सामने आया। इसमें व्याकरण सम्बन्धी अव्यवस्थाओं को आगे चलकर द्विवेदी युग में दूर कियागया। स्वतन्त्रता-आन्दोलन के दौरान हिन्दी ने सम्पूर्ण भारत में सम्पर्क भाषा के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। आजादी के बाद इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। आज हिन्दी विश्व की समृद्ध भाषाओं में अपना स्थान बना चुकी है।

## 4.1.6. शब्दावली

| | | |
|---|---|---|
| राष्ट्रभाषा | : | पूरे देश में बोले जाने वाली भाषा |
| राजभाषा | : | राजकाज की भाषा |
| सम्पर्क भाषा | : | लोक व्यवहार की भाषा |
| परिष्कृत | : | परिमार्जित |
| विधिक | : | कानूनसम्मत |

## 4.1.7. सम्बन्धित प्रश्न

### टिप्पणी लिखिए

1. ईस्ट इंडिया कंपनी केशासनकाल में हिन्दी

2. स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान हिन्दी
3. खड़ीबोली हिन्दी का विकास
4. हिन्दी की शब्द-सम्पदा एवं अर्थ की समस्या
5. हिन्दी के मानक रूप का विकास

**दीर्घ उत्तरीय प्रश्न**

1. हिन्दी भाषा की विकास-यात्रा पर प्रकाश डालिए।
2. राजभाषा हिन्दी की सांवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डालिए।

**वस्तुनिष्ठ प्रश्न**

1. हिन्दी भाषा का स्वरूप है –
   (क) राष्ट्रभाषा
   (ख) राजभाषा
   (ग) सम्पर्क भाषा
   (घ) उपर्युक्त सभी

2. संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संसद का कार्य हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में किया जाता है ?
   (क) अनुच्छेद 110
   (ख) अनुच्छेद 120
   (ग) अनुच्छेद 343
   (घ) अनुच्छेद 345

3. राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है ?
   (क) राष्ट्रभाषा
   (ख) प्रधानमंत्री
   (ग) गृहमंत्री
   (घ) उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

4. राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन है ?
   (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   (ख) रक्षा मंत्रालय
   (ग) गृह मंत्रालय
   (घ) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

5. संविधान का अनुच्छेद 348 सम्बन्धित है –
   - (क) संसद की भाषा से
   - (ख) राज्य विधानमण्डल की भाषा से
   - (ग) न्याय और विधि की भाषा से
   - (घ) इनमें से कोई नहीं

### 4.1.8. उपयोगी ग्रन्थ-सूची


1. श्रीवास्तव, रवीन्द्रनाथ, भाषाई अस्मिता और हिन्दी, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली.
2. शर्मा, रामविलास, भारत की भाषा समस्या, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली.
3. चाटुर्ज्या, सुनीतिकुमार, भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली.
4. शर्मा, देवेन्द्रनाथ, राष्ट्रभाषा हिन्दी : समस्याएँ और समाधान, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद.
5. तिवारी, उदयनारायण, हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद.
6. वर्मा, धीरेन्द्र, हिन्दी भाषा का विकास, हिन्दुस्तान एकेडेमी, इलाहाबाद.
7. सिंह, राजकिशोर, हिन्दी भाषा का विकास एवं नागरी लिपि, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा.
8. सिंह, कन्हैया, हिन्दी भाषा साहित्य और नागरी लिपि, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी.


**उपयोगी इंटरनेट स्रोत :**

1. http://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=18
2. http://www.hindisamay.com/
3. http://hindinest.com/
4. http://www.dli.ernet.in/
5. http://www.archive.org

❖❖❖

# खण्ड – 4 : हिन्दी के विविध रूप

## इकाई – 2 : माध्यम भाषा, संचार भाषा

**इकाई की रूपरेखा**


4.2.0. उद्देश्य
4.2.1. प्रस्तावना
4.2.2. विचार-अभिव्यक्ति माध्यम और संचार
    4.2.2.1. भाव और विचार की स्थापना
    4.2.2.2. विचार-अभिव्यक्ति और माध्यम की प्रकार्यात्मक भूमिका
    4.2.2.3. विभिन्न माध्यम, संचार और सम्प्रेषण का अन्तस्सम्बन्ध
4.2.3. माध्यम, भाषा और अभिव्यक्ति प्रक्रिया
    4.2.3.1. माध्यम की भाषा और माध्यम में प्रयुक्त भाषा-तात्पर्य
    4.2.3.2. विभिन्न माध्यम, संचार-भाषा और अभिव्यक्ति प्रक्रिया
4.2.4. माध्यम, संचार, भाषा-कौशल एवं रोज़गार के क्षेत्र
    4.2.4.1. माध्यम, संचार-भाषा-कौशल अर्जन की दिशाएँ
4.2.5. पाठ-सार
4.2.6. बोध प्रश्न
4.2.7. व्यावहारिक (प्रायोगिक) कार्य
4.2.8. उपयोगी / सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची


### 4.2.0. उद्देश्य

प्रस्तुत पाठ को समझने के उपरान्त, आपको निम्नलिखित मुद्दों की व्यापक जानकारी प्राप्त हो सकेगी –

i. मनोविचारों की अभिव्यक्ति हेतु माध्यमों की आवश्यकता,
ii. विचार, अभिव्यक्ति और भाषा का परस्पर सम्बन्ध,
iii. माध्यम-भाषा के विभिन्न रूपों की जानकारी,
iv. विचाराभिव्यक्ति तथा संचार-भाषा के विभिन्न भाषिक-रूपों का ज्ञान,
v. संचार-भाषा कौशल के अर्जन की दिशाएँ और रोज़गार के क्षेत्र।

### 4.2.1. प्रस्तावना

इस पड़ाव तक आते-आते आपने, हिन्दी भाषा की विकास यात्रा एवं देवनागरी लिपि के विषय के अन्तर्गत, हिन्दी भाषा समुदाय-विषय के सन्दर्भों में, हिन्दी शब्द के अर्थ और प्रयोगों के विभिन्न पक्षों को जाना। इस दिशा में अग्रसर होते हुए अब प्रस्तुत पाठ में हम, हिन्दी के विविध रूपों के आलोक में, माध्यम भाषा तथा

संचार भाषा को लेकर, माध्यम की अवधारणा का समझेंगे । साथ ही जानेंगे कि माध्यम और अभिव्यक्ति के सन्दर्भों भाषा की क्या भूमिका रहती है ? तकनीकी सन्दर्भों में आपके ध्यान में यह भी आएगा कि किसी माध्यम की भाषा और किसी माध्यम में प्रयुक्त भाषा से क्या तात्पर्य है ? व्यापक सन्दर्भों में, आज का युग संचार-क्रान्ति का युग है । आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि किसी माध्यम, माध्यम में प्रयुक्त भाषा, संचार और संचार-भाषा को किस तरह समझा जाए ? संचार के इस युग में भाषा की प्रयोजनमूलकता को ध्यान में रखते हुए भाषा-कौशल को कैसे अर्जित किया जाए ? विश्वास है, इस पाठ में इन प्रश्नों का उत्तर पाने के साथ-साथ आपके ध्यान में यह भी आएगा कि भाषा के विभिन्न रूप किस प्रकार सक्रियता से अपनी भूमिका निभाते हैं ? और 21वीं सदी में, भाषा के सन्दर्भों में, विशेष कर हिन्दी को लेकर, राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय मचों पर रोज़गार के कितने क्षेत्र उपलब्ध हैं ? आइए, इस दिशा में आगे बढ़ें ...

### 4.2.2. विचार-अभिव्यक्ति माध्यम और संचार

मनुष्य के समान, हर जीव की रचना में मस्तिष्क एक ऐसा घटक है जिसमें भाव (Idea) / विचार (Thought) जन्म लेता / लेते है / हैं । भाव के जन्म लेते ही उससे सम्बन्धित विचार भी जन्म लेता / लेते है / हैं । अब इसे / इन्हें, किसी न किसी रूप में, बाहर निकालने / अभिव्यक्त (Express) करने तथा अपने अभीष्ट-श्रोता / दर्शक / पाठक आदि तक, संचारित* / पहुँचाने / सम्प्रेषित (Communicate (* संस्कृत की 'चर्' धातु चलना / सरकना / Move से ...) संचार के अर्थ में) करने की छटपटाहट महसूस होती है । और, इस क्रिया के लिए उसे किसी माध्यम-साधन (Medium-Mean(s) की आवश्यकता रहती है । भावाभिव्यक्ति / सम्प्रेषण के लिए, विषय-प्रकृति की आवश्यकता के अनुसार, ये माध्यम एक या हो सकते हैं । साथ ही ये माध्यम, स्वतन्त्र रूप से एकल माध्यम की हैसियत से अथवा अन्य किसी माध्यम / माध्यमों (bi-media / multi-media) के साथ मिलकर (Composite) या समेकित (Consolidated) रूप में (भी) कार्य कर, माध्यम और संचार की सक्रिय-भूमिका (Active-Role) तय कर सकते हैं । यह अपने आप में एक पेचीदा और तकनीकी मसला है । चलिए, इस मसले को समझने के लिए हम, विचार-अभिव्यक्ति, माध्यम और संचार की पूर्ण अवधारणा के क्रमिक-रूप जानने का प्रयास करते हैं ...

#### 4.2.2.1. भाव और विचार की स्थापना

मान लीजिये, आपके घर पर मेहमान आया । आपके मन / मस्तिष्क में उसकी आवभगत करने का भाव (Intention / Purport) पैदा हुआ; अब आप विचार (Thought/s) करते हैं कि किस प्रकार इनकी आवभगत की जाए; इसके कार्यान्वयन को लेकर आप कई विकल्पों पर विचार करते हैं और निर्णय तक आते-आते आपके विचार एक सामासिक विचार एक ठोस अवधारणा (Concept) के रूप में स्थापित हो जाते हैं; जिसमें, आतिथ्य-सुख-प्राप्ति का प्राधान्य रहता है । अब इस अवधारणा को अमली जामा पहनाने / मूर्त रूप देने की दिशा में आप, माध्यमों / साधनों / ज़रियों (Means / Medium / Media) अर्थात् किसी रेस्त्रां का चुनाव कर, जाने के लिए वाहन आदि का प्रबन्ध कर, अन्ततोगत्वा अपने भाव / विचार / अवधारणा को, एक ठोस रूप में अभिव्यक्त /

संचारित कर, उसे एक सन्देश / आशय के रूप में स्थापित करते हैं। इस उदाहरण से आपके ध्यान में आ गया होगा कि भाव > विचार > अवधारणा > माध्यम > अभिव्यक्ति > और > सन्देश / आशय-स्थापना , किस प्रकार आपस में जुड़ कर कार्यान्वित होते हैं ...।

अब इसी सन्दर्भ में, विचार-अभिव्यक्ति और माध्यम की प्रकार्यात्मक (Functional) भूमिका देखी जाए

### 4.2.2.2. विचार-अभिव्यक्ति और माध्यम की प्रकार्यात्मक भूमिका

पूर्व मुद्दे में हमने किसी भाव की उत्पत्ति से उसकी अभिव्यक्ति तक की प्रक्रिया को एक उदाहरण के आधार पर परिचयात्मक रूप में जाना। आपको यह एक सामान्य बात / प्रक्रिया लगी होगी। परन्तु ऐसा है नहीं; वास्तव में यह एक तकनीकी / पेचीदा प्रक्रिया है। क्योंकि इसमें शरीर के अंग / गों से लेकर कई अन्य पारम्परिक / वैज्ञानिक-तकनीकी माध्यमों / साधनों जैसे भाषा (पारम्परिक) / दृश्य-श्रव्य आदि के एकल अथवा सामासिक प्रकार्य (Functions) भी जुड़े हुए हैं। आइए, इसे प्रस्तुत मुद्दों के आधार पर ध्यान में रखें ...

(1) भाव / विचारोत्पत्ति और उनकी अभिव्यक्ति – प्रक्रिया का सम्बन्ध मस्तिष्क (Brain) से है। मस्तिष्क का एक मुख्यांश है– प्रमस्तिष्क (Cerebrum) जो, दो गोलार्द्धों (Hemispheres), वामांग-दक्षिणांग (Left-Right) में बँटा हुआ है। वैसे तो प्राचीन जीव-वैज्ञानिकों ने इन दो हिस्सों के अलग-अलग प्रकार्य बताए हैं; (मसलन, वामांग भाषा / विचार प्रकार्यों से जुड़ा हुआ है; परन्तु, आधुनिक चिकित्सा शोध इसे नकार देते हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब वामांग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो, दक्षिणांग उसका स्थान लेकर उसके प्रकार्य सम्पन्न करने लगता है, अर्थात् दोनों अंग एक-दूसरे का काम कर सकते हैं; यथा – "Studies of left hemispherectomy in severely brain-damaged patients have shown interesting, often puzzling, recovery of language functioning and linguistic memory which was not evident when the damaged hemisphere was in situ.., / This shows / … each hemisphere is capable of taking over functions of the other ..." – (A student's Dictionary of Psychology, by Peter Stratton & Nicky Hayes, Reprint–1996, Universal Book Stall, NewDelhi–11002 pg. 79 )
मेडिकल कोश भी बताता है "... the main part of the brain is the cerebrum, formed of two sections or hemispheres, which relate to thought and to sensations from either side of the body" – ( Medical Dictionary; Ed. by P. H. Collin, 1992, Universal Book Stall, NewDelhi–11002 pg. 41.) इस विवरण से हमें मस्तिष्क में, भाव / विचारोत्पत्ति और उनकी अभिव्यक्ति / सन्देश / आशय स्थापना-प्रक्रिया के अन्तस्सम्बन्धों का पता चलता है।

(2) ज़ाहिर है, भाव / विचारोत्पत्ति / उनकी अभिव्यक्ति / सन्देश-स्थापना के लिए हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इसी सन्दर्भ में हम, माध्यम और उनकी प्रकार्यात्मक भूमिका की ओर अग्रसर होंगे ... आज हमारे पास अपने भावों / विचारों को अभिव्यक्त करने के एक, दो या अनेक / बहु (Multi)

माध्यम हैं जो इन्हें सामूहिकता में लेकर, तीव्रगतिशील माध्यमों (Hyper-Media) के रूप में काम करते हैं। इनमें, जहाँ एक ओर पारम्परिक दृश्य-श्रव्य माध्यम जैसे; हाव-भाव, ध्वनियाँ, रंग, चित्रांकन, शिल्प (वास्तु / मूर्ति), बोली, भाषा, आदि हैं; जो, शारीरिक-क्रियाओं, रंगों, शिलाओं, लकड़ी / धातुओं आदि के रूप में रहे हैं तो, दूसरी ओर आधुनिक / अत्याधुनिक विज्ञान के माध्यम कागज़ / पर्चे-पुस्तकों के साथ, विज्ञान और तकनीक के मेलजोल से यान्त्रिक दृश्य-श्रव्य माध्यम (टेलीफोन / माइक रेडियो / सिनेमा / टेलीविज़न / कंप्यूटर/ मोबाइल आदि) हैं। इन सभी के प्रकार्य; विचार, अभिव्यक्ति और सन्देश स्थापना (किसी न किसी पारम्परिक भाषा {मातृभाषा / प्रथम-भाषा} के उपकरणात्मक (Instrumental) के सहारे) के स्तर पर, एकल, बहु-क्षेत्रों (व्यक्ति–> परिवार–> समाज–> राष्ट्र–> विश्व) में, सीमित / लघु / विस्तृत रूप में, ज्ञान की अनेक विधाओं (मनोवैज्ञानिक / सामाजिक / धार्मिक / कला-सांस्कृतिक / ऐतिहासिक / राजनैतिक / वैज्ञानिक-चैकित्सिक / वाणिज्यिक आदि) से जुड़े हुए हैं। इसी आलोक में हम, विभिन्न माध्यमों, विचार-सम्प्रेषण और तदनुसार, अन्ततोगत्वा सन्देश-स्थापना के अन्तस्सम्बन्धों पर चर्चा करेंगे ...

### 4.2.2.3. विभिन्न माध्यम, संचार और सम्प्रेषण का अन्तस्सम्बन्ध

अब तक आपने जाना कि विचार / अभिव्यक्ति को किसी माध्यम द्वारा ही सम्प्रेषित किया जा सकता है और सम्प्रेषण की प्रक्रिया में माध्यम की अपनी भूमिका होती है। अब आपके सामने यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि माध्यम कितने प्रकार के हो सकते हैं तथा संचार-साधनों को लेकर, विचार-सम्प्रेषण एवं सन्देश-स्थापना के बीच, क्या कोई तकनीकी अन्तस्सम्बन्ध हो सकता है ? आइए, इस पर विचार करें ...

#### (1) विचार-सम्प्रेषण, माध्यम और सन्देश-स्थापन

भावोत्पत्ति से लेकर सन्देश-स्थापन की प्रक्रिया में अनेक घटक कार्य करते हैं। इन्हें आधार बनाकर, आदि-विचारकों (अरस्तू) से लेकर, अब तक के कई विद्वानों (नॉम चॉमस्की) ने अपने-अपने सिद्धान्त और उनके प्रकार्यों को लेकर कई प्रतिरूप (प्रादर्श / मॉडेल / Models) प्रस्तुत किए। परन्तु इन सबमें, अरस्तू (ई.पू. 384–322) द्वारा प्रतिपादित आधार-प्रतिरूप के तत्त्व, बराबर मौज़ूद हैं, । आइए देखते हैं, अरस्तू के मॉडल के तत्त्व क्या बताते / दर्शाते हैं ...

**अरस्तू-मॉडल**

हम जानते हैं अरस्तू महान् दार्शनिक और श्रेष्ठ सम्प्रेषक थे। सन्देश-सम्प्रेषण के सन्दर्भ में, अरस्तू-मॉडल एक आदि-मॉडल के रूप में आधारभूत-मॉडल जाना जाता है, चूँकि इसमें प्रयुक्त तात्विक मुद्दे अब भी लगभग, सभी मॉडलों में पाए जाते हैं। कथित मॉडल इस प्रकार है –

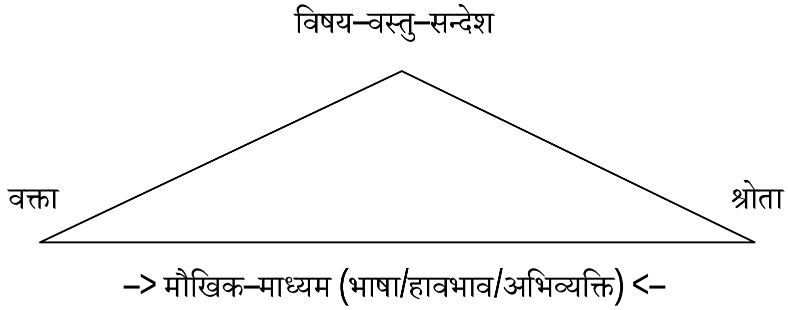


ज़ाहिर है, सार्थक सम्प्रेषण हेतु इसमें, वक्ता–> माध्यम–> श्रोता–> एवं–> सन्देश का तारतम्य / अन्तस्सम्बन्ध निहित है। आगे चलकर, इसमें मनोविज्ञान / व्यवहारविज्ञान के के सिद्धान्तों के आधार पर और भी कई तकनीकी मुद्दे जुड़ते चले गए; जैसे वक्ता-प्रस्तोता–> श्रोता–> की / का आयु / लिंग / आपसी-सम्बन्ध / रिश्ते / शिक्षा / सांस्कृतिक-सामाजिक-पृष्ठभूमि-हैसियत आदि प्रस्तुति-माध्यम-प्रकार–> श्रव्य / दृश्य / श्रव्य-दृश्य / पारम्परिक-भाषा / शारीरिक-क्रियाएँ आदि एवं–> विषय-वस्तु एवं सन्देश /-स्थापना : असीम विषय (सांस्कृतिक-धार्मिक / सामाजिक / आर्थिक / राजनैतिक / शैक्षणिक : (कला-विज्ञान-वाणिज्य आदि) –> अन्त में, श्रोता का फीड-बैक। / इसी / फीड-बैक के आधार पर वक्ता-प्रस्तोता–> पुनः अपनी अगली प्रस्तुति के लिए स्वयं को तैयार करता है। सन्देश-सम्प्रेषण के सन्दर्भ में, यह प्रक्रिया संचार को लेकर, वर्तुल रूप में घूमती रहती है।

इसी आधारभूत प्रक्रिया को ध्यान में रख कर, अब हम अगले केन्द्रीय मुद्दे – माध्यम, भाषा और अभिव्यक्ति प्रक्रिया को संचार के सन्दर्भों में समझते जाएँ –

## 4.2.3. माध्यम, भाषा और अभिव्यक्ति प्रक्रिया

पिछले मुद्दों में आपने, भाव, विचार और अभिव्यक्ति-पारम्परिक भाषा की अवधारणात्मक जानकारी प्राप्त करते हुए उन्हें, अभिव्यक्त करने के विभिन्न माध्यमों, उनके प्रकार्यों को लेकर, इन सबके अन्तस्सम्बन्धों के सन्दर्भ में जाना। अब हम, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा (प्रचलित पारम्परिक अर्थों में (*)) को, हिन्दी उदाहरणों के साथ समझने का प्रयास करेंगे। आइए, इसी कड़ी में पहले हम यह समझने का प्रयास करें कि किसी माध्यम की भाषा और किसी माध्यम में प्रयुक्त भाषा से क्या तात्पर्य हो सकता है ?

### 4.2.3.1. माध्यम की भाषा और माध्यम में प्रयुक्त भाषा-तात्पर्य

(i) पूर्व मुद्दों में आपने, माध्यम और भाषा के सन्दर्भों की चर्चा के दौरान; भाषा (*), भाव, विचार, अभिव्यक्ति एवं माध्यम को पारिभाषिक एवं अवधारणामूलक सन्दर्भों में विस्तार से जानते हुए, आपने ध्यान दिया होगा कि विचार-अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में हम किसी माध्यम और उसके द्वारा अभिव्यक्त करने वाले अपने आशय / विचार के लिए किसी न किसी भाषा (संवाद / उद्घोषणा / केप्शन के रूप में) (*) आदि का सहारा लेते हैं। इससे, अब हम यह जानेंगे कि एक ओर, किसी माध्यम के प्रचालन / प्रयोग के सन्दर्भ में, उस माध्यम की अपनी तकनीकी-अनुप्रयोगात्मक भाषा

(माध्यम-भाषा) होती है, जिसके सहारे वह-माध्यम स्वयं को सम्प्रेषित करता है तो दूसरी ओर उस माध्यम में, माध्यम-प्रयोक्ता द्वारा स्वयं को (आशय / विचार आदि के लिए) सम्प्रेषित करने हेतु कोई प्रयुक्त भाषा (*) भी होती है जिसे, माध्यम में प्रयुक्त भाषा के रूप में जान सकते हैं। इसे उदाहरण के साथ समझते हैं;

(ii) पहले माध्यम-भाषा लेते हैं । 20वीं सदी के क्रान्तिकारी मीडिया-विचारक मार्शल मेकलुहान (Herbert Marshall McLuhan, Canadian professor, philosopher and intellectual (21.7.1911 – 31.12.1980) की जगप्रसिद्ध उक्ति है “The medium is the message.”; जिससे, इस विचार को बल मिला कि माध्यम अपने आप में एक ऐसा उपकरण है जो अपने प्रकार्यात्मक-प्रभावों द्वारा, प्रयोक्ता के विचार को, अपने तकनीकी-प्रभाव से एक स्वतन्त्र / दृश्य / सन्देश में तब्दील कर स्थापित कर देता है । उदाहरणार्थ, अगर हम किसी विचार को मूवी-कैमरा (माध्यम) द्वारा अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो कैमरा (माध्यम) की अपनी तकनीकी / प्रभावशाली व्यवस्थाएँ (शॉट्स / ज़ूम / लाईट्स / शेड्स / स्पीड / रेंज आदि) भी, हमारे कल्पित / अपेक्षित विचार को और भी शक्तिशाली / कमज़ोर ढंग से प्रस्तुत कर एक स्वतन्त्र सन्देश की स्थापना कर सकती हैं जो, मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे लिए लाभप्रद या ख़तरनाक साबित हो सकता है । चूँकि, इस माध्यम द्वारा रचित दृश्य वास्तविकता से काफ़ी परे की चीज हो सकते हैं, और दर्शक, कैमरा (माध्यम) द्वारा रखे गए अवास्तविक दृश्य को वास्तविक (Real) मान कर, मनोवैज्ञानिक रूप से उनसे सम्मोहित (Hypnotize) होकर अपना नाश भी कर सकता है ... ऐसे कई उदाहरण हैं : शक्तिमान धारावाहिक के प्रभाव से हुए कई हादसे ... आदि । अतः हमें, माध्यम- / की /-भाषा को समझना चाहिए । इसी प्रकार श्रव्य माध्यम रेडियो द्वारा, विशेष ध्वनि प्रभावों से निर्मित / प्रस्तुत कार्यक्रम, श्रोताओं के लिए एक स्वतन्त्र सन्देश सम्प्रेषित करते हैं ... इसी तरह अन्य कला-माध्यम मसलन, चित्र, नृत्य, नाट्य, वास्तु, संगीत या लेखन आदि अपना-अपना सन्देश-सम्प्रेषणीय-प्रभाव छोड़ते हैं । ये सब माध्यम-भाषा के अर्थों में आएँगे । चलिए, अब हम माध्यम में प्रयुक्त भाषा पर चर्चा करते हैं ...

(iii) माध्यम में प्रयुक्त भाषा : पिछले मुद्दे में आपने जाना कि आज, अपने आशय / विचार की अभिव्यक्ति / सम्प्रेषण के लिए हमारे पास कई माध्यम हैं । ये माध्यम स्वतन्त्र रूप से या किसी अन्य माध्यम / माध्यमों के साथ मिलकर कार्य करते हैं । जैसे, किसी राग की केवल धुन का बजाना संगीत के ध्वनि-स्वरों / सुरों की संगीति-भाषा की बात करता है परन्तु अगर, राग में भजन की प्रस्तुति की जाए तो वहाँ संगीति-भाषा और पारम्परिक भाषा का मिश्रण हो जाता है । ऐसी अवस्था में, संगीत-माध्यम * में (राग) प्रयुक्त पारम्परिक-भाषा, माध्यम में प्रयुक्त भाषा* के रूप में जानी जाएगी । उदाहरण के रूप में, हिन्दी के सूर्य-कवि सूरदास का भजन “श्री कृष्णचन्द ने मथुरा ते गोकुल को आइबो छोड़ दियो” (=) का गायन पण्डित जसराजजी, राग भैरवी में प्रस्तुत करते / गाते हैं तो उन्हें कथित भजन की (प्रयुक्त) पारम्परिक भाषा (=) में, राग भैरवी की संगीति-भाषा (आरोही-स्वर : ‘सा रे ग म प ध नि सा’ और अवरोही-स्वर : ‘सा नि ध प म ग रे सा’ तथा पकड़ : ‘म, ग रे ग, सा रे सा,

ध नि सा'; लय / भाव आदि) का प्रयोग होगा । राग और पारम्परिक भाषाएँ मिल कर शास्त्रीय संगीत-भाषा की रचना करेंगी । उसी प्रकार, सिनेमा जैसे मिश्रित / सामासिक-कला माध्यम में, जहाँ संवादों / उद्घोषणा आदि के रूप में किसी पारम्परिक भाषा का प्रयोग है तो वहीं, नाट्य-नृत्य, संगीत / ध्वनि, वास्तु, चित्र, साहित्य / लेखन, चलचित्र-छायांकन, शृंगार आदि कला-भाषाओं का भी समावेश / मिश्रण है । माध्यम में प्रयुक्त भाषा की समग्र अवधारणा को प्रस्तुत संक्षिप्त विवरण के आधार पर परिचयात्मक / सन्दर्भगत रूप में समझा जा सकता है । परन्तु, यहाँ हमारा सम्बन्ध किसी माध्यम में प्रयुक्त पारम्परिक भाषा के भाषिक-रूप / शैली आदि से है जिसे हम, हिन्दी के सन्दर्भों उदाहरणों के साथ अगले मुद्दे में उठाएँगे ।

### 4.2.3.2. विभिन्न माध्यम, संचार-भाषा और अभिव्यक्ति प्रक्रिया

पूर्व मुद्दों में आपको, भाषा-सन्देश-माध्यम और उनमें प्रयुक्त-भाषा की अवधारणा को पारिभाषिकता के साथ समझाया गया । अब, आपके सामने यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक है कि क्या एक ही भाषा का विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त-भाषिक रूप अलग-अलग हो सकता है ? और क्या विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त-भाषिक रूप को, सन्देश-स्थापन के सन्दर्भ में, अलग-अलग तरीक़ों से व्यक्त / संचारित करना होता है ? आइए, इस पर विचार करें ।

(i) आपने सम्भवतः, भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी का, रेडियो / टी.वी. कार्यक्रम 'मन की बात' (प्रत्येक माह का अन्तिम रविवार; पूर्वाह्न 11.00) सुना / देखा हो । आपने ध्यान दिया होगा कि इस कार्यक्रम की भाषा सरल और सम्प्रेषणीय शैली में रहती है; जिसमें, प्रस्तोता (प्रधानमंत्री) श्रोता-दर्शकों से बराबर, सम्बोधन (Address) + संवाद (Dialog) शैली में, अपने सन्देश को पूरे मन से स्थापित करते दिखाई देते हैं । चूँकि, प्रस्तोता (साइड में जिनका चित्र रहता है जो बीच-बीच में फ्लेश होता रहता है), विषयानुसार प्रस्तुत दृश्य-सामग्री के सन्देशानुसार, अपने मन के उद्‌गारों को स्वाभाविक तरीक़े से रखते हैं; / तो / उनकी आवाज़ में भी, शब्दों में निहित भाव के अनुसार उतार-चढ़ाव, लय / गति / शब्द-चयन आदि को, भाषिक / सम्प्रेषणीय-शैली के आधार पर समझा एवं सीखा जा सकता है । मसलन, ऐसे ही एक कार्यक्रम की, किसी ग़रीब (निरक्षर, पर ज्ञानी) कबीरी-ग्रामीण शतायु-महिला जो, अपनी जीविका का साधन बकरी बेचकर, शौचालय का निर्माण करवाती है; खबर को, विषय / सन्देशानुसार, प्रस्तोता की आवाज़, उतार-चढ़ाव, लय / गति / भाषिक / सम्प्रेषणीय-शैली आदि के आधार पर विश्लेषित कर समझा जा सकता है ।

(ii) आज लगभग हर हिन्दी-मीडिया में, वाक्य-विन्यास / दृश्य-श्रव्य-प्रस्तुति-उच्चारण जैसे मुद्दों को लेकर भाषिक अशुद्धियाँ और आक्रामकता बढ़ती जा रही हैं । विशेषकर, टी.वी. समाचार-चैनलों (Channel(s)) पर ऐसा लगता है / कि / एंकर (कार्यक्रम-प्रस्तोता / संचालक / Anchor) किसी मुद्दे को विमर्श हेतु सूचनात्मक तरीक़े से न बता कर / रखकर, धमकाकर / रौब / एहसान जताकर अपनी बात लाउड तरीक़े से रख रहा है । उच्चारण / भाषिक अशुद्धियाँ तो साधारण बात बन गई है ... मज़ेदार बात है जब वे ही धमकाऊ एंकर, समाचार प्रस्तुति देते हैं तो उनके लहज़े में कुछ शालीनता दिखाई देती है । इस मामले में, श्री रजत शर्मा का एक आदर्श उदाहरण है जो;

एक-एक घण्टे तक, पेचीदे से पेचीदे / भड़काऊ मुद्दे / विषय को भी सही भाषिक उच्चारण / शैली / भावाभिव्यक्ति के साथ पूरे संतुलन तरीक़े से रखते हैं। इस मामले में अंग्रेजी चैनल क़ाफी बेहतर हैं। कई चैनलों पर आनेवाले हिन्दी कैप्शनों में (पर) भी अशुद्धियाँ आम बात है: एक नमूना "दिल्ली में फिर छाया कोहरे का चादर"*

*(सही) { दिल्ली पर फिर छाई कोहरे की चादर } दि. 19.1.12, 7.58, महाशतक–100; (चैनल का नाम गुप्त)। इसके अलावा, हिन्दी सिनेमा के प्रभाव से;–> तिहाड़ जेल में चक्की पिसिंग, भँवरा बगियन में गाइंग आदि प्रयोग मीडिया में विशेष-अर्थ सम्प्रेषण को लेकर आ रहे हैं, जो विधा / विषय आदि के हिसाब से मनोरंजन का हिस्सा बन जाते हैं।

(iii) आज, माध्यमों की अपनी प्रकृति और उसमें निहित तकनीकी अद्यतन व्यवस्थाओं / सुविधाओं के आधार पर प्रयोक्ता, किसी भाषिक अर्थाभिव्यक्ति को, प्रमुखतः, सही उच्चारण; बलाघात (Stress); अनुतान (Intonation) का प्रयोग करते हुए अपेक्षित अभिव्यक्ति-रूप दे सकता है। ज़ाहिर है ये सुविधाएँ विभिन्न माध्यमों में अलग-अलग ढंग की / से होंगी। जैसे, मुद्रण-माध्यम में, शब्द की विशेष अर्थाभिव्यक्ति के लिए तदनुसार, विराम-चिह्नों (Punctuation-Mark(s) / अक्षराकार-शैली (डिज़ाइन / फ़ाण्ट (Fount(s)) आदि का सूझ-बूझ के साथ प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, अखबारों / पत्रिकाओं / पुस्तकों / श्रव्य-दृश्य-श्रव्य-संचार माध्यमों आदि के लिए, समाचार / भाषण-स्क्रिप्ट जैसे लेखन में, अपेक्षित अर्थ-सम्प्रेषण के लिए, मुख्यतः प्रस्तुत विराम चिह्नों का प्रयोग किया जाता है :–>

(क) पूर्ण विराम (I) / (.) (Full-stop) : सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों में, किसी आशय के पूरा होने पर या अगले वाक्य को आरम्भ करने के पहले कुछ क्षण रुकने के लिए प्रयुक्त। जैसे : राकेश घर के लिए निकल गया। कल बादल तो घिरे थे लेकिन बरसात नहीं हुई। उसने कहा था शिवानी अवश्य आएगी।

(ख) अर्द्ध / अर्द्ध विराम (Semi Colon) (;) : कई मंतव्यों के बीच विशेष मंतव्य को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे : मेरे लिए कोट और कमीज़ें; जूते, चप्पल और सैंडिल; फ़ाइल आदि निकालकर रख दो।

(ग) अल्पविराम (Comma) (,) :– जब बोलते / पढ़ते समय, विशेष प्रयुक्तिपरक अर्थाभिव्यक्ति हेतु अल्पावधि के लिए रुकना पड़े तब इसका प्रयोग होता है : जैसे : – समानपदी शब्दों; –> सेठ अपनी पूँजी, जायदाद, मानमर्यादा, सब कुछ खो बैठा। – वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के जोड़ों;–> दुख और सुख, जनम और मरण, रात और दिन — ये सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। – किसी वाक्यांश या उपवाक्य; –> मैं समझता हूँ, टैक्स-स्लैब बदल जाने से, इस साल व्यापारियों को लाभ होगा। उपाधियों को अलग करने के लिए किया जाता है;–> एम.ए., एम.फिल., पी-एच.डी.। साथ ही, एक ही वर्ग के तीन या अधिक शब्दों के आने पर अन्तिम शब्द को छोड़कर अन्य शब्दों के बाद प्रयुक्त होता है; –> स्वास्थ्य के लिए दौड़ना, तैरना और खेलना लाभप्रद है। – किसी के उद्धरण से पूर्व, –> नेताजी ने कहा, "मैं अब राजनीति से सन्यास ले रहा हूँ", विशेषणयुक्त उपवाक्यों के बीच में, जैसे : –> वह लम्बा

विद्यार्थी, जिसे हमने अभी-अभी जाते देखा, स्कूल का टॉपर है। सम्बोधन के बाद और यदि सम्बोधन वाक्य के बीच में हो तो पहले तथा बाद में प्रयुक्त; जैसे : –> सर, आइए। यहाँ आइए, सर, यहाँ बैठिए। हाँ या नहीं जैसे पदबंधों के बाद, जैसे –> हाँ, मैं यह सवाल हल कर सकता हूँ। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। एक ही क्रिया की पुनरावृत्ति करके, उसके स्थान पर, जैसे –> प्रवीण लखनऊ होकर वाराणसी गया, स्नेहिल इलाहाबाद होकर*। (* वाराणसी गया की पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है; चूँकि, कथित भाव अपने आप में विदित / स्पष्ट है)। संयुक्त और मिश्र वाक्यों में, जैसे : –> मैं शादी में ज़रूर आता, लेकिन उस दिन मेरी परीक्षा है। मैं शाम को आपके यहाँ नहीं आ सकूँगा, क्योंकि उस समय मुझे बाहर जाना है।

(घ) प्रश्नसूचक / प्रश्नवाचक चिह्न (?) :– भाव सम्प्रेषण कई शैलियों / तरीक़ों में / से हो सकता है। ज़ाहिर है, किसी से पूछताछ / जानकारी करने / लेने हेतु किए गए भाषा प्रयोग / व्यवहार में इसका इस्तेमाल होता है। कुछ भाषाविद् इसे पूर्णविराम का ही एक प्रकार मानते हैं; परन्तु वास्तव में ऐसा है नहीं। प्रश्नसूचक / प्रश्नवाचक भी भावभिव्यक्ति का एक स्वतन्त्र (विराम) चिह्न है जिसका, अर्थवत्ता के क्षेत्र में अपना महत्त्व है। प्रस्तुत नमूनों से आपका वास्ता कई बार पड़ा होगा; जैसे :–> स्वतन्त्र वाक्यों में; – आपका / तुम्हारा नाम क्या है? आप कहाँ रहते हैं? आदि। किसी प्रश्नसूचक-वाक्य में प्रश्नात्मक शैली में कुछ उपवाक्य भी हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में हरेक उपवाक्य के पीछे प्रश्नसूचक-चिह्न न लगा कर, वाक्य के अन्त / समाप्ति में / पर लगाया जाता है यथा :–> मैं क्या करता भाई, कहाँ जाता, कहाँ रहता, वह सब मैं आपको क्यों बताऊँ? इस वाक्य-शैली के विपरीत अगर समूह में से किसी एक से प्रश्न पूछा जा रहा है तो वहाँ आरम्भ में प्रश्नवाचक चिह्न आएगा। परन्तु, उत्तर न मिल पाने की अवस्था में वही प्रश्न अन्यों से पूछने पर प्रश्न-वाचक चिह्न नहीं लगेगा; जैसे –> प्रश्नकर्त्ता ने किसी से पूछा – ब्रह्मपुत्र नदी कौनसे राज्य में है? उत्तर न मिलने या सही उत्तर न मिलने पर, प्रश्नकर्त्ता ने किसी अन्य से पूछा, अच्छा, तुम बताओ। (+) यहाँ, प्रश्नवाचक चिह्न + (?) नहीं लगेगा। काव्यात्मक शैली में प्रश्नात्मक भाव रहने पर भी प्रश्नसूचक-चिह्न का प्रयोग नहीं (भी) किया जा सकता है यथा : गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागूँ पाय। (यहाँ, भी छन्द के पहले चरण में प्रश्न होते हुए भी प्रश्नवाचक चिह्न (?) न लगाकर पूर्णविराम का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार सम्बन्धसूचक या डाँटकर चुप कराने की शैली में भी प्रश्नसूचक-चिह्न का प्रयोग नहीं होता यथा – क्रमश: आपने क्या कहा, मैं कुछ समझा नहीं ... / या / क्यों शोर मचा रहे हो, चुप रहो।

(ङ) विस्मयादिबोधक / आश्चर्यसूचक-चिह्न (!) : प्रसन्नता, आश्चर्य, घृणा, दुख, मनोवेग की गुणात्मक / क्रमिक वृद्धि, असहायता जैसे भावों की सटीक अभिव्यक्ति के लिए इसका प्रयोग होता है; यथा क्रमश; :–> अहा / वाह ! कितना सुन्दर दृश्य है। अरे ! तुम यहाँ कैसे? छि ! सड़क पर कूड़ा फेंक दिया। हाय ! / अरे, रे; रे ... ! बेचारा मारा गया। नाश ! महा / सत्यानाश ! .... अब क्या हो सकता है ! जो होना था सो हो गया।

(च) भाव-अर्थाभिव्यक्ति / सम्प्रेषण के सन्दर्भों में कुछ अन्य विराम-चिह्न भी हैं, जिन्हें कुछ विद्वानों ने इन्हें केवल चिह्न कहकर सम्बोधित किया है। मुख्यतः ये इस प्रकार हैं :–

(i) अपूर्ण विराम / उपविराम (Colon) ( : ) सामान्य रूप से यह किसी सूची आदि के पूर्व प्रयुक्त होता है; यथा : –> तीन समय-काल हैं : भूत, वर्तमान और भविष्य; – संख्याओं के अनुपात दर्शाने हेतु; –> 1 : 2, 5 : 6; समय / स्थान; –> 16 : 10 , स्थान : समिति कक्ष; नाटक आदि में –> राजेश : मैंने नहीं किया ..., मोहन ने किया।

(ii) योजक (Hyphen) ( – ) इसका प्रयोग (+उदाहरण), द्वन्द्व समास / तत्पुरुष समास (माता-पिता / भू-तत्त्व), समानार्थी (पास-पास), विलोम (रात-दिन), साम्य सूचक (शीला-सी पुत्री), शब्दों में होता है।

(iii) निर्देशक (Dash) (¬¬) इसे रेखिका भी कहते हैं। यह योजक से लम्बा होता है। इसका प्रयोग, किसी के वक्तव्य (नाट्य-पटकथा आदि में) आदि को उद्धृत करने या वार्तालाप शैली में लिखी गई सामग्री आदि में होता है; जैसे : –> अध्यापक भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौनसा है ? छात्र – मोर; कहना, लिखना, बोलना, बताना जैसी क्रियाओं के बाद : –> विमला ने कहा – मैं लिख सकती हूँ।; निम्नलिखित / निम्नांकित जैसे पदबंधों के बाद :–> निम्नलिखित / निम्नांकित छात्र पुरस्कृत होंगे – सुशीला, प्रवीण, लता और राकेश।; किसी अवतरण के साथ, सम्बन्धित लेखक / वक्ता / रचयिता के नाम से पहले :–> तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा – नेताजी सुभाषचन्द्र बोस।; किसी वाक्य में सहसा भाव परिवर्तन होने पर / अन्तिम खण्ड पर ज़ोर :–> हाँ, हाँ, आप आइए — बड़े आराम से; संख्याओं के बीच, 'अमुक' से 'अमुक' तक :–> पृष्ठ 30 — 50 (यानी पृ. 30 से 50 तक); कोश में; शब्द के विवरण के साथ, अन्य शब्दों को मुख्य शब्द के साथ जोड़ने हेतु :–> मूल शब्द 'प्रयोग' के साथ :– — कर्त्ता (प्रयोगकर्त्ता), — धर्मी, कर्मी (प्रयोगधर्मी / प्रयोगकर्मी) — शाला (प्रयोगशाला) आदि।

(iv) विवरण चिह्न (Colon–Dash) (:–) अपने चिह्न-स्वरूप से यह स्पष्ट करता है कि यह दो चिह्नों, यथा; अपूर्ण विराम / उपविराम (Colon) ( : ) एवं निर्देशक / रेखिका (Dash) (¬¬) के मिश्रण / योग से बना है। अतः इसके द्वारा, कथित दो भावों को एक साथ प्रस्तुत करने पर इस एक ही विवरण चिह्न (:–) का वैकल्पिक रूप से प्रयोग किया जाता है; यथा–> किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए :– 1. सूरदास 2. कबीरदास 3. केशव तथा समझाने / विवरण के अर्थ में, जैसे —> शब्द की तीन शक्तियाँ हैं :– अभिधा, व्यंजना और लक्षणा।

(v) (क) उद्धरण चिह्न / दोहरे उद्धरण चिह्न (Inverted Comma) ( " " ) – किसी के कथन को ज्यों-का-त्यों उद्धृत (Quote) करने;–> शास्त्रीजी ने "जय जवान, जय किसान" का नारा दिया।, नाटकों में संवाद (के साथ) देने / दर्शाने;–> अधिकारी – "क्या कहा ? ... जल्दी घर जाना है ?" कर्मचारी – "जी, वाइफ को डॉक्टर के पास ले जाना है ...।" – किसी सिद्धान्त / बोध-वाक्य को सूचित करने –> "सत्यमेव जयते" – अथवा लोकोक्ति –> "अन्धों में काना राजा"; के लिए इसका प्रयोग होता है।

(v) (ख) शब्द चिह्न / इकहरे उद्धरण चिह्न (Single Inverted Comma) ( ' ' ) – किसी पुस्तक, व्यक्ति / उपनाम आदि के नाम को, विशेष महत्त्व / ध्यानाकर्षण / सन्दर्भ आदि देने के उद्देश्य से इसका प्रयोग होता है; यथा :–> 'चन्दामामा' बच्चों की प्रिय पत्रिका है।

(vi) कोष्ठक चिह्न (Brackets) – यह तीन रूपों में पाया जाता है :– छोटा ( ) , मँझला / मध्य / सर्पाकार { } एवं बड़ा / दीर्घ [ ] । इनमें छोटा कोष्ठक, प्रमुख रूप से प्रयुक्त होता है; परन्तु जब तकनीकी अथवा भाषा वैज्ञानिक कारणों से दो या तीन प्रकार की सम्बन्धित सूचनाएँ / टिप्पणियाँ एक साथ सम्प्रेषित करनी हो तो छोटा कोष्ठक मँझले में और अन्त में, छोटा + मँझला / सर्पाकार मिलकर बड़े कोष्ठक :–> ({( )}) में समाहित हो जाते हैं; जैसे, गणित के सवालों में होता है; यथा :–> वह लड़का ( जो दूर खड़ा है {पीली शर्ट में 2 } (हमारे विद्यालय का 3 ) सबसे होशियार विद्यार्थी है ।) मेरा अच्छा दोस्त है * । स्पष्ट है इसमें, एक मूल वाक्य * की तीन अलग-अलग सूचनाएँ हैं, जो विशेष अर्थ के अनुसार अलग-अलग कोष्ठक चिह्नों में हैं; अन्त में सभी मिलकर, सम्पूर्ण / कुल अर्थवत्ता को सम्प्रेषित करती हैं ।

(vii) लोप चिह्न (Elimination Sign) (...) – जब किसी प्रति-बन्धित / अमर्यादित शब्द का जानबूझ कर प्रयोग न करना हो या कोई शब्द तत्काल याद न आ रहा हो तो उस लोपता को तीन बिदुओं < ... > द्वारा दर्शाया जाता है; यथा –> तू बड़ा ... है ।, अरे हाँ ... अब याद आया ।

(viii) संक्षेपसूचक या संक्षिप्त बिन्दु(Abbreviation Sign) (॰) / (.) किसी शब्द/पदबंध के सम्पूर्ण अर्थ को, संक्षिप्त रूप दे कर दर्शाया जाता है; जैसे :–> एम.ए. / या / ~ एम॰ए॰ (मास्टर ऑफ़ आर्ट्स) (xi) हंसपद (Sign of left/ add-word indication) (/i) लिखते समय कोई पद रह गया या बाद में कुछ जोड़ने का ध्यान आया तो उस स्थिति में अपेक्षित सामग्री जोड़कर (सूचनार्थ) इस चिह्न (/i) का प्रयोग किया जाता है; यथा –

**आना**

कल आपको **/i** है ।

प्रस्तुत सभी चिह्न, सभी संचार / जनसंचार-माध्यमों (वाचिक-मौखिक / दृश्य / श्रव्य / दृश्य-श्रव्य) के लेखन / पटकथा हेतु भाषिक स्तर पर, अपेक्षित-भाव को सम्प्रेषित करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं ।

अब तक आपने विचार-अभिव्यक्ति, माध्यम, संचार की अवधारणा को, भाषिक रूपों के अनुप्रयोगात्मक उदाहरणों के साथ समझा । अब हम, रोज़गार-क्षेत्रों को ध्यान में रखकर इन पर चर्चा करेंगे ।

### 4.2.4. माध्यम, संचार, भाषा-कौशल एवं रोज़गार के क्षेत्र

21वीं सदी में संचार-माध्यमों की / के शैलियों / रूपों की भरमार के साथ, सन्देश-सम्प्रेषण के सन्दर्भ / क्षेत्र में, भाषा के जुड़ाव ने रोज़गार के कई नये अवसर-क्षेत्र पैदा किए हैं । अगर हिन्दी की बात करें तो, स्थिति उत्साहवर्धक है । तुलनात्मक रूप से देखें तो हिन्दी पत्र / पत्रिकाओं / रेडियो के FM (हिन्दी) चैनलों / हिन्दी-सिनेमा (अन्य भाषाओं में उनकी डब्बिंग तथा अन्य भाषाओं से हिन्दी में डब्बिंग) / टी.वी.-चैनलों / सोशल-मीडिया / वैश्विक-व्यापार / सामाजिक-व्यवहार आदि में हिन्दी का चलन बहुत बढ़ा है । इस सन्दर्भ में गूगल पर,

भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आँकड़ों को देखें तो तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। परन्तु, हजारों की संख्या में चल रहे विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों के हिन्दी विभाग / संस्थान आदि, रोज़गार-क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली हिन्दी के अध्ययन / अध्यापन का कोई मानक / व्यावसायिक शिक्षण / प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम (दीर्घ / लघु) नहीं चला पा रहे। परिणामस्वरूप जनसंचार के सभी माध्यमों में हिन्दी भाषा की कई अशुद्धियाँ एवं भूलें सामने आती रहती हैं। कई मामलों में अभी भी इन हिन्दी चैनलों में प्रस्तुत की जा रही सामग्री, अंग्रेजी सामग्री का ही अनुवाद होती है। इस दिशा में भी, सम्बन्धित भाषाओं के ज्ञान के साथ-साथ, माध्यम / संचार / दृश्य-श्रव्य-भाषा / व्याकरण-सम्प्रेषण आदि के समन्वय की सामान्य तकनीकी जानकारी रखने वाले अनुवादक मिलना मुश्किल हैं। इस दिशा में पर्याप्त कार्य करने की आवश्यकता है।

### 4.2.4.1. माध्यम, संचार-भाषा-कौशल अर्जन की दिशाएँ

आज, उपभोक्तावादी वैश्विक मंच पर, अंग्रेजी की भाँति हिन्दी भी एक जिन्स-भाषा के रूप में अपनायी जा रही है। अतः हिन्दी का अध्येता / विद्यार्थी, आवश्यकता / प्रयोजनानुसार, इसके ज्ञान को एक उपभोक्ता (Consumer) के रूप में प्राप्त करना / सीखना चाहता है। इस दिशा में हिन्दी एक उद्योग बन चुकी है। अतएव, जो संस्थाएँ (विश्वविद्यालय आदि), हिन्दी के नाम पर पारम्परिक तरीक़े से ढर्रे वाला साहित्य पढ़ा रही हैं वहाँ, विद्यार्थियों (उपभोक्ताओं) की संख्या तेजी से गिरती जा रही है और विभाग बन्द होते / सिकुड़ते जा रहे हैं। यह विडम्बनापूर्ण स्थिति है। आइए देखें, मौखिक-श्रव्य, मुद्रित, दृश्य-श्रव्य जैसे संचार-माध्यमों के क्षेत्रों में, रोज़गार कहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ? कुछ प्रमुख भाषा-बाज़ार इस प्रकार है :–

(i) समाचार-लेखन / वाचन, संचालन (Anchoring), पर्यटन-गाइड, विपणन (Marketing)-एजंट, विज्ञापन-लेखन (Copy-writing), वृत्तान्त-लेखन / वाक्-प्रस्तुतिकार / खेल-वृत्तकार, (Commentary-Writer / Commentator) पटकथा-लेखन (Script-writing) आदि क्षेत्र हैं जहाँ हिन्दी-प्रशिक्षित कर्मियों की बड़ी माँग है।

(ii) ज़ाहिर है, इस तरह के हिन्दी-ज्ञान / कौशल के अधिगम (Learning) और अध्यापन (Teaching) के लिए, एक विशेष प्रकार की भाषा-तकनीक (शब्द / वाक्य-विन्यास / उच्चारण-प्रस्तुति आदि) की माँग रहती है, अतः इस क्षेत्र में भी कुशल कर्मियों की कमी है।

आप, इस पाठ्य-इकाई में दी गई तकनीकी-जानकारी को लेकर आगे बढ़ सकते हैं।

### 4.2.5. पाठ-सार

प्रस्तुत पाठ के अन्तर्गत आपने जाना कि भावों / विचारों की उत्पत्ति और उसकी / उनकी अभिव्यक्ति किसी न किसी माध्यम / माध्यमों द्वारा संचारित होती है। ये माध्यम, भाषा, भाषेत्तर या मिश्रित हो सकते हैं। 21वीं सदी तक आते-आते, इन माध्यमों ने, किसी आशय / भाव की अभिव्यक्ति और उसे संचारित करने हेतु मौखिक और चिह्नित-लिखित आधार पर, वाचिक, श्रव्य, दृश्य, श्रव्य-दृश्य जैसे पारम्परिक साधनों के साथ-साथ आधुनिक

/ वैज्ञानिक और तकनीकी माध्यमों ने अपना स्थान बना कर, भाव सम्प्रेषण का नया रूप स्थापित किया है। साथ ही एक ओर जहाँ, भाषा को प्रयोजनमूलकता के आधार पर उसके प्रायोगिक / तकनीकी रूपों को भी विस्तार मिला, वहीं रोज़गार और उसके अध्ययन / अध्यापन के नये क्षेत्र स्थापित हुए। कुल मिलाकर, आप इस व्यावहारिक-तकनीकी ज्ञान को हासिल कर, मीडिया के क्षेत्र में भी रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं।

## 4.2.6. बोध प्रश्न

**लघु उत्तरीय**

1. 'चर्' धातु का अर्थ क्या है ?
2. प्रमस्तिष्क (Cerebrum) का कौनसा भाग भाषा / विचार से जुड़ा है ?
3. 'मन की बात' कौनसी शैली में है ?
4. पूर्ण विराम कब प्रयुक्त होता है ?
5. विस्मयाधिबोधक भाव का एक उदाहरण दीजिए।

**दीर्घ उत्तरीय**

1. भाव और विचार-स्थापना की प्रक्रिया को सोदाहरण समझाइए।
2. अरस्तू का मॉडल दर्शाते हुए उसकी विशेषताएँ लिखिए।
3. 'माध्यम की भाषा और माध्यम में प्रयुक्त भाषा' से क्या तात्पर्य है ?
4. योजक और निर्देशक चिह्नों में क्या अन्तर है ? सोदाहरण समझाइए।
5. 'संचार-माध्यम-क्षेत्र में हिन्दी' विषय पर 300 शब्दों की टिप्पणी लिखिए।

## 4.2.7. व्यावहारिक (प्रायोगिक) कार्य

किसी टी.वी. चैनल की समाचार-वाचन-प्रस्तुति को आधार बनाकर उसमें प्रयुक्त विराम-चिह्नों की समीक्षा कीजिए।

## 4.2.8. उपयोगी / सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची


1. केन्द्रिक हिन्दी व्याकरण और रचना, सं. डॉ० रामजन्म शर्मा, – प्रकाशक : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT), श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली –110016, संस्करण : 1995
2. जनसंचार कल, आज और कल – लेखक : चन्द्रकान्त सरदाना और कृ. शि. मेहता – प्रकाशक : ज्ञान गंगा, 205–सी चावड़ी बाज़ार, दिल्ली – 110006, संस्करण : 2004
3. देवनागरी लिपि तथा हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार, आर.के. पुरम्, नयी दिल्ली–110066 , मुद्रण 2016

4. बहुवचन, हिन्दी का विश्व, प्रकाशक : महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा–442001 अंक : 46 (जुलाई–सितंबर 2015)
5. 'भाषा' – अनुप्रयुक्त भाषा-विज्ञान विशेषांक; नवंबर–दिसंबर–2001, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार, आर.के. पुरम्, नयी दिल्ली–110066
6. भाषा विज्ञान, डॉ॰ भोलानाथ तिवारी, किताब महल, इलाहाबाद, – 1967
7. व्यावहारिक हिन्दी व्याकरण और रचना; लेखक : डॉ॰ भोलानाथ तिवारी और विष्णु दत्त पन्त – फ्रैंक ब्रदर्ज़ एंड कंपनी (पब्लिशर्ज़) लिमिटेड, 4675–ए, अंसारी रोड, 21, दरियागंज, नयी दिल्ली –110002, संस्करण–पुनर्मुद्रण 1982–1993
8. संचार माध्यम लेखन – लेखक : गौरीशंकर रैणा – वाणी प्रकाशन , 21–ए दरियागंज, नयी दिल्ली – 110002, संस्करण–2006

**उपयोगी इंटरनेट स्रोत :**

1. http://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=18
2. http://www.hindisamay.com/
3. http://hindinest.com/
4. http://www.dli.ernet.in/
5. http://www.archive.org

❖❖❖

## खण्ड – 4 : हिन्दी के विविध रूप

## इकाई – 3 : हिन्दी का आधुनिक विकास और सांवैधानिक स्थिति

**इकाई की रूपरेखा**


4.3.0. उद्देश्य
4.3.1. प्रस्तावना
4.3.2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : आदिकाल से भारतेन्दु युग तक
 4.3.2.1. आदिकाल
 4.3.2.2. मध्यकाल
 4.3.2.3. भारतेन्दु पूर्व तात्कालिक प्रयास
4.3.3. आधुनिक हिन्दी के आरम्भिक चरण : भारतेन्दु युग से स्वतन्त्रता तक
 4.3.3.1. भारतेन्दु युग
 4.3.3.2. द्विवेदी युग
 4.3.3.3. अन्य साहित्यिक गतिविधियाँ
4.3.5. आधुनिक युग में हिन्दी भाषा : विविधता एवं विस्तार
 4.3.5.1. हिन्दीभाषी क्षेत्र
 4.3.5.2. हिन्दी की बोलियाँ
 4.3.5.3. हिन्दी का मानकीकरण
 4.3.5.4. विश्वभाषा हिन्दी
 4.3.5.5. ज्ञान-विज्ञान की भाषा हिन्दी
 4.3.5.6. आधुनिक हिन्दी और संचार माध्यम
4.3.6. हिन्दी की सांवैधानिक स्थिति
 4.3.6.1. राजभाषा
 4.3.6.2. सम्पर्क भाषा
 4.3.6.3. कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु
4.3.7. पाठ-सार
4.3.8. बोध प्रश्न
4.3.9. उपयोगी पुस्तकें


### 4.3.0. उद्देश्य

प्रस्तुत पाठ का अध्ययन करने के उपरान्त आप –

i. हिन्दी के विकास की पृष्ठभूमि और इसके आरम्भिक स्वरूप से अवगत हो सकेंगे।
ii. भारतेन्दु युग और द्विवेदी युग में आधुनिक हिन्दी के आरम्भ, गद्य और पद्य में इसके प्रयोग से परिचित हो सकेंगे।

iii. स्वतन्त्रता-पूर्व हिन्दी ने किस प्रकार से अपने आधुनिक स्वरूप को प्राप्त किया इस बारे में बात कर सकेंगे।
iv. स्वतन्त्रता के पश्चात् हिन्दी के सर्वांगीण विकास, जैसे – हिन्दी के विविध रूपों, इसके प्रकार्यों एवं संचार आदि में इसके विस्तार सम्बन्धी बिन्दुओं की चर्चा कर सकेंगे।
v. हिन्दी की सांवैधानिक स्थिति से परिचित हो सकेंगे।

## 4.3.1. प्रस्तावना

हिन्दी भारत की राजभाषा के साथ-साथ सभी भारतीयों की सम्पर्क भाषा भी है। इसका इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हिन्दी के विकास का आधुनिक युग तो 1850 ई. के आसपास से ही आरम्भ हो जाता है, किन्तु इसका वास्तविक एवं व्यापक प्रसार स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद होता है जब यह सांवैधानिक दृष्टि से भारतीय संघ की राजभाषा का पद प्राप्त करती है और इसके प्रचार-प्रसार हेतु सरकारी और संस्थागत/ व्यक्तिगत प्रयास आरम्भ होते हैं। आधुनिक युग में हिन्दी सामान्य व्यवहार, साहित्य, पत्रकारिता के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की भी भाषा बन गई है जिसकी चर्चा इस पाठ में की गई है।

आज हिन्दी भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। सांवैधानिक दृष्टि से यह भारत की राजभाषा है। भारत में कार्यालयों, बैंकों, विद्यालयों, अस्पतालों आदि में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। भारत सरकार की तरफ से भी हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के विकास तथा प्रचार-प्रचार के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाए गए हैं। व्यापारिक प्रतिष्ठानों मुख्यतः उत्पादों पर भी अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में सूचनाएँ देखी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त विज्ञापन, दूरदर्शन, आकाशवाणी, एफ.एम. और फिल्म निर्माण आदि सभी कार्यों में हिन्दी का प्रमुख स्थान है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं की जननी 'संस्कृत' है। इससे ही धीरे-धीरे अन्य भाषाओं का विकास हुआ है। सन् 1000 ई. के आसपास से व्यवहार और साहित्यिक उक्तियों में हिन्दी का प्रयोग आरम्भ हुआ और एक भाषा के रूप में इसका उदय 19वीं सदी के मध्य में भारतेन्दु काल में होता है जब इसमें गद्य लेखन आरम्भ हो गया। द्विवेदी युग में हिन्दी अपने मानकीकरण की तरफ बढ़ चली और गद्य के साथ-साथ पद्य की भी भाषा बन गई। अब धीरे-धीरे 'हिन्दी' भारतीय जनमानस को जोड़ने का कार्य भी करने लगी। स्वतन्त्रता-आन्दोलनों के इतिहास में इसकी महत्ता को देखा जा सकता है।

देश के स्वतन्त्र होने के साथ ही 'हिन्दी' को भारत की 'राजभाषा' का स्थान मिला। इसके साथ-साथ हिन्दी माध्यम से पठन-पाठन का कार्य भी आरम्भ किया गया। सभी भारतीय कार्यालयों में अंग्रेजी के साथ हिन्दी के व्यवहार और बाद में केवल हिन्दी के प्रयोग का प्रावधान भी किया गया। किन्तु तात्कालिक प्रावधानों एवं प्रयासों को भारत की बहुभाषिक स्थिति और तात्कालिक जनान्दोलनों के कारण नुकसान हुआ और यह कभी भी भारतीय कार्यालयों में पूर्णतः अंग्रेजी का स्थान नहीं ले सकी। उच्च शिक्षा में पठन-पाठन की भाषा भी सामान्यतः अभी भी अंग्रेजी ही बनी हुई है।

किन्तु इन सभी बातों के बावजूद हिन्दी ने पिछले 50 वर्षों में बहुत तरक्की की है। कार्यालयी व्यवहार, सम्प्रेषण एवं संचार के माध्यमों में व्यवहार तथा प्रौद्योगिकीय साधनों में प्रयोग आदि की दृष्टि से हिन्दी बहुत उन्नत हुई है। हिन्दी में पठन-पाठन एवं लेखन में भी पिछले तीन-चार दशकों में व्यापक विस्तार हुआ है जो निरन्तर बढ़ता जा रहा है। आज हिन्दी में तकनीकी क्षेत्रों से जुड़ी अनेक छोटी-बड़ी पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ प्राप्त की जा सकती हैं। कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग आदि से सम्बन्धित हिन्दी पुस्तकें प्राप्त की जा सकती हैं। इनके अतिरिक्त हिन्दी में तकनीकी क्षेत्रों से जुड़ी कुछ पत्रिकाएँ भी प्रकाशित होती हैं जो अत्यन्त सरल भाषा में तकनीकी साधनों के उपयोग, उनकी आन्तरिक संरचना, सीमाओं और समस्याओं के बारे में अद्यतन सूचनाएँ प्रदान कर रहीं हैं।

पहले आधुनिक युग में हिन्दी के विस्तार के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या इसमें तकनीकी शब्दों का अभाव माना जाता था किन्तु 'वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली निर्माण आयोग' द्वारा निर्मित 'पारिभाषिक शब्द संग्रह' इस समस्या का समाधान करता है जिसमें लाखों शब्दों का संकलन किया गया है। इसके अलावा आज हिन्दी में और हिन्दी के लिए अनेक सॉफ्टवेयर भी विकसित कर लिए गए हैं। अतः आधुनिक युग में हिन्दी का सर्वांगीण विकास हुआ है जिससे प्रस्तुत पाठ में आपको परिचित कराया जा रहा है।

## 4.3.2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : आदिकाल से भारतेन्दु युग तक

हिन्दी भाषा के विकास के समस्त इतिहास को मुख्यतः तीन कालखण्डों में विभाजित किया जाता है – आदिकाल (1000 ई. से 1500 ई.), मध्यकाल (1500 ई. से 1850 ई.), आधुनिककाल (1850 ई. से आज तक)। आधुनिक हिन्दी का वास्तविक आरम्भ भारतेन्दु युग में हुआ जब भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा तात्कालिक सामाजिक परिस्तिथियों के कारण भारतीय जनमानस में भाषिक एवं साहित्यिक चेतना जगाने हेतु 'हिन्दी' को साहित्य की भाषा के रूप में स्थापित किया गया। किन्तु हिन्दी के भाषिक प्रयोगों के उदाहरण सन् 1000 ई. के आसपास से ही मिलने लगते हैं। अतः आधुनिक हिन्दी के विकास को समझने से पूर्व इस खण्ड में हिन्दी के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर संक्षेप में प्रकाश डाला जा रहा है, जिसे तीन उपभागों में बाँटा गया है –

### 4.3.2.1. आदिकाल

हिन्दी और अन्य आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का उद्भव 1000 ई. के आसपास माना जाता है। हिन्दी का आदिकालीन रूप अमीर ख़ुसरो, कबीर, गोरखनाथ, रैदास, नामदेव, एवं रामानन्द आदि की रचनाओं में प्राप्त होता है। इस समय की भाषा में तद्भव और देशज शब्दों का अधिक प्रयोग हो रहा था एवं अरबी, फ़ारसी आदि भाषाओं के शब्द अपना स्थान बना रहे थे। खड़ीबोली (या हिन्दवी) का एक नमूना अमीर ख़ुसरो की निम्नलिखित शायरी में देखा जा सकता है –

**ख़ुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग।**
**तन मेरो मन पीउ को, दोउ भए इक रंग॥**

### 4.3.2.2. मध्यकाल

मध्यकाल में हिन्दी के भाषा-रूपों का सर्वांगीण विकास हुआ और अनेक उन्नत ग्रन्थों की रचना हुई। इस काल में खड़ीबोली हिन्दी का प्रत्यक्ष विकास बहुत कम हुआ किन्तु हिन्दी के बोलीगत रूपों में अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना हुई। इन रूपों में ब्रजभाषा, अवधी, दक्खिनी तथा उर्दू प्रमुख हैं। भाषिक दृष्टि से अरबी, फ़ारसी, तुर्की और पश्तो के अनेक शब्द खड़ीबोली में आ चुके थे। इस काल के अन्त तक अंग्रेजी, फ्रेंच, डच तथा पुर्तगाली भाषाओं के शब्द भी हिन्दी में प्रवेश करने लगे थे। इस काल के प्रमुख रचनाकार नानक, दादू, गंग, मलूकदास, रहीम, आलम आदि हैं जिनकी रचनाओं में हिन्दी का पर्याप्त पुट प्राप्त होता है।

### 4.3.2.3. भारतेन्दु पूर्व तात्कालिक प्रयास

18वीं शताब्दी के अन्त से ही हिन्दी प्रयोगों और हिन्दी में रचनाओं के प्रयास दिखाई पड़ने लगते हैं जिनमें आधुनिक हिन्दी की नींव प्राप्त होती है। भारतेन्दु पूर्व तात्कालिक प्रयासों को निम्नलिखित उपशीर्षकों में विभाजित कर समझा जा सकता है:

**(क) फोर्ट विलियम कॉलेज :** सन् 1800 ई. में गवर्नर जनरल लार्ड वेलजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता की स्थापना की। इधर 1790 ई. तक जॉन बोर्थविक गिलक्राइस्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिन्दी सिखाने के लिए 'अंग्रेजी और हिन्दुस्तानी' कोश के दो भाग प्रकाशित किए। उन्होंने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया और उस समय की 'हिन्दी' को 'हिन्दुस्तानी' नाम देते हुए 'हिन्दुस्तानी ग्रामर' (1796–98) और 'ओरियेंटल लिंग्विस्ट' (1798 ई.) ग्रन्थों की रचना की।

**(ख) हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ :** 19वीं शताब्दी के आरम्भ में भारत में अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन आरम्भ हुआ। 'उदन्त मार्तण्ड' (1826 ई.), 'बंगदूत' (1828 ई.), 'बनारस अखबार' (1844 ई.), 'बुद्धि प्रकाश' (1852 ई.) आदि जैसे पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन से खड़ीबोली का तीव्र विकास एवं प्रसार हुआ। इनकी भाषा बोलचाल की भाषा थी जो मिश्रित एवं ठेठ है।

**(ग) राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' एवं राजा लक्ष्मणसिंह :** 1850 ई. के लगभग हिन्दी के इतिहास में दो रचनाकारों – राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' एवं राजा लक्ष्मणसिंह का आगमन हुआ। राजा शिवप्रसाद ने हिन्दी के साथ-साथ उर्दू के प्रयोग पर बल दिया। इधर दूसरी तरफ राजा लक्ष्मणसिंह एवं कुछ अन्य लेखकों ने राजा शिवप्रसाद की भाषा-नीति का विरोध किया। इन लोगों ने हिन्दी की संस्कृतनिष्ठता पर बल दिया; अर्थात् हिन्दी में संस्कृत शब्दों के अधिक-से-अधिक प्रयोग का पक्ष लिया।

**(घ) ईसाई मिशनरी :** इधर धर्मप्रचार के लिए ही सही किन्तु ईसाई मिशनरियों ने भी खड़ीबोली में अनेक धर्म सम्बन्धी पुस्तकों को प्रकाशित कराया। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा अनेक स्कूल और कॉलेज खोले गए जिनके लिए साहित्य, व्याकरण, इतिहास, भूगोल, चिकित्सा एवं विज्ञान आदि से सम्बन्धित पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित की गईं।

## 4.3.3. आधुनिक हिन्दी के आरम्भिक चरण : भारतेन्दु युग से स्वतन्त्रता तक

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को आधुनिक हिन्दी साहित्य का जनक कहा गया है जिन्होंने सभी साहित्यिक विधाओं में हिन्दी के प्रयोग को स्थान दिलाया। इसके पश्चात् द्विवेदी युग में मानकीकरण को प्राप्त करते हुए स्वतन्त्रता-पूर्व तक हिन्दी अधिकाधिक भारतीय जनमानस की भाषा बन जाती है। इस ऐतिहासिक विकास को निम्नलिखित तीन उपशीर्षकों के अन्तर्गत समझा जा सकता है – (i) भारतेन्दु युग, (ii) द्विवेदी युग और (iii) अन्य साहित्यिक गतिविधियाँ।

### 4.3.3.1. भारतेन्दु युग

आधुनिक हिन्दी का आरम्भ सन् 1850 ई. के बाद से माना जाता है जिसकी नींव भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (1850–1885) ने रखी। 1873 ई. में 'हरिश्चन्द्र मैग़जीन' का प्रकाशन आरम्भ हुआ जिसमें खड़ीबोली का व्यावहारिक रूप उभरकर सामने आया। हिन्दी में गद्य रचना का वास्तविक आरम्भ इसी काल में हुआ। 'कविवचन सुधा' के प्रकाशन से पत्रकारिता का नया युग आरम्भ हुआ। इसके अतिरिक्त 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' एवं 'बालबोधिनी' आदि पत्रिकाओं में खड़ीबोली का प्रयोग सुदृढ़ हुआ। भारतेन्दु ने विभिन्न साहित्यिक विधाओं जैसे: नाटक, कहानी, निबन्ध आदि में अनेक रचनाएँ की। उनके नाटकों में सत्य-हरिश्चन्द्र, भारत-दुर्दशा, प्रेम योगिनी, 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' आदि महत्त्वपूर्ण है। उनका निबन्ध 'भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है' बहुत लोकप्रिय रहा है।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के सहयोगियों ने काव्य को नयी दिशा प्रदान की। यद्यपि भारतेन्दु ने खड़ीबोली में काव्य रचनाएँ नहीं की, किन्तु इस काल के अन्य कवियों ने धीरे-धीरे खड़ीबोली में काव्य रचना आरम्भ की। इस सन्दर्भ में अयोध्याप्रसाद खत्री का खड़ीबोली का आन्दोलन उल्लेखनीय है। इसी क्रम में 1887 ई. में कविताओं का एक संकलन प्रकाशित हुआ।

राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' की अरबी-फ़ारसी से युक्त हिन्दी और राजा लक्ष्मणसिंह की संस्कृतनिष्ठ हिन्दी दोनों का ही भारतेन्दु ने प्रयोग नहीं किया और मध्यम मार्ग निकालते हुए 'साधु शैली' का विकास किया। उनका प्रयास यही रहा कि हिन्दी से हिन्दीपन न जाने पाए और खड़ीबोली के संस्कृतनिष्ठ या क्लिष्ट प्रयोगों से भी हिन्दी बची रहे। उन्होंने 1873 ई. में हिन्दी के 'साधु रूप' को 'नये चाल की हिन्दी' नाम दिया। उनके साहित्य में सभी प्रकार की गद्य शैलियाँ देखने को मिलती हैं।

हिन्दी भाषा के विकास में भारतेन्दु के योगदान का अनुमान आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के निम्नलिखित कथन से लगाया जा सकता है – "जब भारतेन्दु अपनी मँजी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाए तो हिन्दी बोलने वाली जनता को गद्य के लिए खड़ीबोली का प्राकृत साहित्यिक रूप मिल गया और भाषा के स्वरूप का प्रश्न न रह गया। भाषा का स्वरूप स्थिर हो गया।" (हिन्दी साहित्य का इतिहास)

भारतेन्दु युग में भारतेन्दु के अलावा अन्य कुछ प्रमुख साहित्यकारों ने भी उनकी ही शैली को अपनाते हुए साहित्यिक रचनाएँ की। इनमें श्रीनिवास दास, पण्डित प्रतापनारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, देवकीनन्दन खत्री, गोपालराम गहमरी एवं बालमुकुन्द गुप्त आदि प्रमुख हैं। इनमें से अधिकांश लेखक पत्रकारिता से भी जुड़े हुए थे। इस काल की रचनाओं में सामान्यतः सहज एवं सरल भाषा अपनाई गई। इस कारण खड़ीबोली में ब्रजभाषा और पूर्वी हिन्दी का प्रभाव पूर्णतः समाप्त नहीं हो पाया। शब्दावली की दृष्टि से अरबी-फ़ारसी के शब्दों का प्रयोग तो यथावश्यक चलता ही रहा, अंग्रेजी के शब्द भी धीरे-धीरे स्थान बना रहे थे।

19वीं शताब्दी के अन्त तक खड़ीबोली साहित्यिक भाषा के रूप में अपना स्थान बना चुकी थी। इसे हिन्दी के भाषाविद् डॉ० हरदेव बाहरी के शब्दों में देखा जा सकता है – "उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध की भाषा-स्थिति का अवलोकन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और उनके युग के साथी खड़ीबोली की उन्नति के लिए बहुत सक्रिय थे और उन्होंने मौलिक कृतियों तथा अनुवाद द्वारा साहित्य को समृद्ध करने का भरसक प्रयत्न किया परन्तु भाषा-शैली परिमार्जित नहीं हो पाई थी। अतः सामान्य रूप से भाषा का गठन, शब्दावली प्रयोग, वर्तनी, व्याकरण तथा कथ्य की अव्यवस्था बनी रही। भारतेन्दु भाषा-नीति के सम्बन्ध में जागरूक अवश्य थे, उन्होंने राजा शिवप्रसाद सिंह और राजा लक्ष्मणसिंह की भाषा पद्धति में से एक बीच का मार्ग निकाला तो, परन्तु प्रायः लेखकगण अपने-अपने ढ़ंग से चलते रहे। ... काव्यभाषा में ब्रजभाषा का प्रयोग चलते रहने के कारण खड़ीबोली साहित्य की वेदी पर प्रतिष्ठित तो हुई परन्तु एक आदर्श की स्थापना नहीं हो पायी।"

इसी दौरान 1893 ई. में काशी में बाबू श्यामसुन्दरदास द्वारा 'नागरी प्रचारिणी सभा' की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य साहित्यिक दृष्टि से हिन्दी को अत्यधिक सबल बनाते हुए इसका अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करना था। इस सभा से पण्डित मदनमोहन मालवीय, अम्बिकादत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, श्रीधर पाठक, बद्रीनारायण चौधरी आदि सम्बद्ध रहे। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा 'हिन्दी शब्द सागर' शब्दकोश का प्रकाशन किया गया जिसकी भूमिका के रूप में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' की रचना की।

### 4.3.3.2. द्विवेदी युग

द्विवेदी युग जहाँ एक ओर हिन्दी भाषा के गद्य रूप के मानकीकरण का काल है वहीं खड़ीबोली को पूर्ण रूप से काव्य-भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला युग भी है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अनुमोदन से सन् 1900 ई. में 'सरस्वती' पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया गया। इस पत्रिका में गद्य-पद्य की सभी विधाओं यथा नाटक, शिल्प, कथा-कौशल एवं साहित्यिक रचनाओं की समालोचना का प्रकाशन होता था। सन् 1903 ई. में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने इस पत्रिका के सम्पादकत्व का भार सँभाला एवं लगभग 20 वर्षों तक यह कार्य निष्ठापूर्वक करते रहे।

आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने सरल एवं शुद्ध भाषा के प्रयोग पर बल दिया। तद्भव शब्दों के साथ-साथ विषय एवं शैली की आवश्यकता के अनुसार वे संस्कृत और उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग करते थे। 'सरस्वती'

पत्रिका के माध्यम से उन्होंने हिन्दी भाषा का परिष्कार किया और इसे मानक बनाने में प्रयासरत रहे। इसके लिए वे लेखकों की वर्तनी एवं व्याकरण से सम्बन्धित त्रुटियों का सुधार स्वयं करते थे। किसी भी सामग्री का संशोधन करते समय वे ध्यान रखते थे कि वह सामग्री अन्य लोगों की समझ में आ सके। इस सम्बन्ध में उनका कहना था – "यह न देखना कि यह शब्द अरबी का है या फ़ारसी का या तुर्की का। देखना सिर्फ यह कि इस शब्द, वाक्य या लेख का आशय अधिकांश पाठक समझ लेंगे या नहीं। अल्पज्ञ होकर भी किसी पर विद्वता की झूठी छाप छापने की कोशिश मैंने कभी नहीं की।"

अपने बृहत् प्रयासों से आचार्य द्विवेदी ने खड़ीबोली हिन्दी के प्रत्येक अंग को परिष्कृत किया तथा इस कार्य के लिए अन्य समकालीन लेखकों को भी प्रेरित किया। उनके कार्यों से अनेक समकालीन कवि एवं रचनाकार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए। मैथिलीशरण गुप्त, हरिऔध, श्रीधर पाठक, लोचनप्रसाद पाण्डेय आदि ने उनके कार्य का समर्थन करते हुए खड़ीबोली में साहित्य रचना का कार्य आरम्भ किया। धीरे-धीरे अन्य रचनाकार भी इस ओर प्रवृत्त हुए और विविध विधाओं में हिन्दी में रचनाएँ हुईं। हिन्दी साहित्य में संस्कृत या उर्दू के शब्दों के प्रयोग, विदेशी शब्दावली का ग्रहण एवं भाषा में स्वाभाविकता, प्रवाह तथा मानकता बनाए रखने सम्बन्धी अनेक प्रश्न उठाए गए, उनकी प्रतिक्रिया हुई, टीका टिप्पणी हुई, पत्र-व्यवहार हुआ एवं गोष्ठियाँ हुईं। इस प्रकार खड़ीबोली हिन्दी तत्कालीन जनमानस की साहित्यिक अभिव्यक्ति का पूर्णतः माध्यम बन गई तथा ब्रजभाषा साहित्य जगत् से बाहर हो गई।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस युग ने जहाँ एक ओर साहित्यिक हिन्दी के प्रचार-प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी, वहीं दूसरी ओर खड़ीबोली हिन्दी को गद्य एवं पद्य दोनों ही क्षेत्रों हिन्दीभाषी जनमानस की अभिव्यक्ति की भाषा बना दिया।

### 4.3.3.3. अन्य साहित्यिक गतिविधियाँ

द्विवेदी के साथ ही हिन्दी का साहित्यिक और साहित्येतर क्षेत्रों में विविध प्रकार से प्रयोग होने लगे थे। उनमें से प्रमुख को चुनते हुए प्रस्तुत शीर्षक में द्विवेदी युग से स्वतन्त्रता-पूर्व तक के काल को समाहित किया जा रहा है जिसमें मुख्यतः हिन्दी साहित्य के दो युग – छायावादी युग (1920 से 1936) एवं प्रगतिवादी युग (1936 से 1946) आते हैं। छायावादी युग को साहित्यिक खड़ीबोली हिन्दी का उत्कर्ष काल कहा जा सकता है। इस युग की रचनाओं में सूक्ष्म एवं अमूर्त भावों जैसे: सुख-दुःख, आशा-निराशा, प्रेम की विविध दशाओं एवं विचारों आदि को व्यक्त किया गया है। इस प्रकार, इस युग में हिन्दी में अनेक भाषाई गुणों का समावेश हुआ। इस काल की रचनाओं में भावों के मूर्तीकरण एवं प्रतीकों के विधान से भाषा में मधुरता, सरसता एवं व्यापकता आई। अतः कहा जा सकता है कि इस काल ने हिन्दी के परिमार्जित और श्रेष्ठ रूप को प्रस्तुत किया।

छायावाद के बाद हिन्दी साहित्य के इतिहास में 'प्रगतिवाद' और 'प्रयोगवाद' आते हैं। प्रगतिवादी युग के साहित्यकारों की सहानुभूति निम्नवर्ग के विशाल समुदाय – ग़रीब किसान, पीड़ित और शोषित मजदूर और सामान्य

लोगों के प्रति जगी जिसे उन्होंने जनभाषा के माध्यम से व्यक्त किया। इस काल के लेखकों की भाषा में तद्भव शब्दों का प्रयोग बढ़ा। इन लोगों ने लाक्षणिक की जगह अभिधात्मक (सीधे-सीधे कह देना) शैली को अपनाया। इस कारण इस युग की भाषा सरल और स्वाभाविक दिखाई पड़ती है।

इसी दौरान प्रगतिवाद की एकरसता एवं अभिधात्मकता से अलग होकर कुछ कवि नये विषयों, नये छन्दों, नये प्रतीकों एवं नयी भाषा शैली की खोज करने लगे। इन्हें ही प्रयोगवादी नाम दिया गया जिनमें अज्ञेय, मुक्तिबोध, शमशेर आदि प्रमुख हैं।

इस प्रकार स्वतन्त्रता-पूर्व की तात्कालिक साहित्यिक गतिविधियों ने न केवल खड़ीबोली हिन्दी को सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति में सक्षम बनाया बल्कि उसमें सरलता, सहजता एवं स्पष्टता लाते हुए उसे आम जनमानस से भी जोड़ने का कार्य किया।

## 4.3.5. आधुनिक युग में हिन्दी भाषा : विविधता एवं विस्तार

स्वतन्त्रता के पश्चात् हिन्दी भाषा केवल साहित्य, बातचीत और जनमानस की अभिव्यक्ति का साधन नहीं रह गई है बल्कि यह तो कार्यालयी कामकाज, पठन-पाठन, ज्ञान-विज्ञान, सिनेमा एवं दूरदर्शन, मीडिया एवं प्रौद्योगिकी सभी क्षेत्रों की भाषा बन गई है। आधुनिक युग में हिन्दी के विस्तार को निम्नलिखित उपशीर्षकों के अन्तर्गत व्यवस्थित रूप से समझा जा सकता है –

### 4.3.5.1. हिन्दीभाषी क्षेत्र

हिन्दी और इसकी बोलियाँ उत्तर एवं मध्य भारत के विविध राज्यों में बोली जाती हैं। भारत में हिन्दीभाषी राज्यों में उत्तरप्रदेश, बिहार, उत्तराखण्ड, राजस्थान, मध्यप्रदेश, हिमांचल प्रदेश, पंजाब, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ एवं हरियाणा आदि मुख्य हैं। भारत और अन्य देशों में करोड़ों लोग हिन्दी बोलते, पढ़ते और लिखते हैं। मॉरिशस, फ़िजी, गुयाना, सूरीनाम की आधिकांश और नेपाल की कुछ जनता हिन्दी बोलती है। इस प्रकार देश-विदेश में विस्तार की दृष्टि से हिन्दी एक वैश्विक भाषा के रूप में अपने-आप को स्थापित करती है।

### 4.3.5.2. हिन्दी की बोलियाँ

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि सभी आधुनिक भारतीय आर्यभाषाएँ संस्कृत से विकसित हुई हैं; अतः इन भाषाओं के मातृभाषी एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं। सामान्यतः इन सभी के बीच सम्प्रेषण की औपचारिक भाषा हिन्दी ही होती है। इनके मातृभाषी अपना औपचारिक कामकाज एवं उच्च शिक्षा का ग्रहण हिन्दी में ही करते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि हिन्दी इनकी प्रतिनिधि भाषा है। इस कारण व्यापक दृष्टि अपनाते हुए इन्हें हिन्दी की बोलियाँ ही कहा जाता है। हिन्दी की प्रमुख बोलियों को उपभाषाओं के साथ वर्गीकृत करते हुए संक्षेप में इस प्रकार देखा जा सकता है –

| उपभाषा (अथवा बोली वर्ग) | बोलियाँ |
|---|---|
| पश्चिमी हिन्दी | कौरवी (खड़ीबोली)<br>हरियाणी<br>ब्रजभाषा<br>बुंदेली<br>कन्नौजी |
| पूर्वी हिन्दी | अवधी<br>बघेली<br>छत्तीसगढ़ी |
| राजस्थानी | पश्चिमी राजस्थानी (मारवाड़ी)<br>पूर्वी राजस्थानी (जयपुरी)<br>उत्तरी राजस्थानी (मेवाती)<br>दक्षिणी राजस्थानी (मालवी) |
| पहाड़ी | पश्चिमी पहाड़ी<br>मध्यवर्ती पहाड़ी (कुमाऊँनी – गढ़वाली) |
| बिहारी | भोजपुरी<br>मगही<br>मैथिली |

सन्दर्भ : भोलानाथ तिवारी, हिन्दी भाषा का इतिहास, 2010, पृ. 80

### 4.3.5.3. हिन्दी का मानकीकरण

हिन्दी का मानक रूप क्या हो ? क्या खड़ीबोली ही मानक हिन्दी है ? इस तरह के कुछ प्रश्न हैं जो आधुनिक हिन्दी के सन्दर्भ में खड़े किए जाते हैं। जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है कि हिन्दी किसी स्थान या प्रदेश विशेष की भाषा नहीं है, बल्कि यह अनेक बोलियों (उपभाषाओं) की प्रतिनिधि भी है। वर्तमान में यह देश की राजभाषा है। इसके अतिरिक्त भारत के विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, अनेक अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में इसके अध्यापन की व्यवस्था है । इस कारण इसके मानकीकरण की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि सभी स्थानों पर एक प्रकार की हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन किया जा सके।

हिन्दी और देवनागरी के मानकीकरण की दिशा में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से जो प्रयास हुए हैं उन्हें निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित करके देखा जा सकता है –

### (क) हिन्दी व्याकरण का मानकीकरण

व्याकरण किसी भी भाषा का वह ढाँचा होता है जिसके आधार पर उस भाषा का वाक्यों का निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त व्याकरण के आधार पर ही किसी भाषा के वाक्यों की शुद्धता तथा अशुद्धता का निर्णय

किया जाता है। हिन्दी में व्याकरण लेखन 20वीं सदी के आरम्भ से ही देखा जा सकता है किन्तु बृहत् और मानक स्तर पर इस दिशा में सबसे महत्त्वपूर्ण प्रयास पण्डित कामता प्रसाद गुरु द्वारा 1920 ई. में 'हिन्दी व्याकरण' के रूप में किया गया जो आज भी हिन्दी व्याकरण निर्माण के क्षेत्र में मील का पत्थर है। इसके बाद अनेक प्रयास हुए हैं जिनमें आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का 'हिन्दी शब्दानुशासन' सबसे अधिक उल्लेखनीय है।

हिन्दी व्याकरण के मानकीकरण हेतु सरकारी प्रयासों की दृष्टि से देखा जाए तो इस दिशा में भारत सरकार ने 1954 ई. में सर्वप्रथम एक पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति ने आधुनिक सन्दर्भ में हिन्दी की भूमिका को दृष्टि में रखकर हिन्दी व्याकरण की रूपरेखा तैयार की। समिति के सदस्य डॉ॰ आर्येन्द्र शर्मा ने इस रूपरेखा के आधार पर अंग्रेजी में एक व्याकरण के रूप में पुस्तक प्रस्तुत किया जिसे शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने 1958 ई. में 'A Basic Grammar of a Modern Hindi' के नाम से प्रकाशित किया।

### (ख) हिन्दी वर्तनी एवं देवनागरी का मानकीकरण

भारत सरकार द्वारा हिन्दी वर्तनी के मानकीकरण को लेकर अनेक प्रयास किए गए हैं। मानकीकृत हिन्दी वर्णमाला, परिवर्धित देवनागरी एवं मानक हिन्दी वर्तनी से सम्बन्धित चार्ट व पुस्तिकाएँ आदि प्रकाशित कर वितरित किया जाना इस प्रकार के कार्यों के अनेक उदाहरण हैं, जैसे – 1959 ई. में भारत के शिक्षामंत्रियों के सम्मेलन में मानक देवनागरी को अन्तिम रूप देकर उसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित कराया जाना।

हिन्दी वर्तनी के प्रचलित विविधता को दूर कर उसमें एकरूपता स्थापित करने के उदेश्य से शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने 1961 ई. में आठ सदस्यीय एक मानक हिन्दी वर्तनी समिति का गठन किया। 1967 ई. में शिक्षा मंत्रालय द्वारा 'हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण' नामक पुस्तिका को प्रकाशित किया गया। इसी प्रकार 1983 ई. में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 'देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण' नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया जिसमें मानकीकरण से सम्बन्धित कुछ नये बिन्दु जोड़े गए। इसी तारतम्य में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा वर्ष 2003 में देवनागरी लिपि तथा हिन्दी वर्तनी के मानकीकरण के लिए अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन किया था। इस संगोष्ठी में मानक हिन्दी वर्तनी के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित किए गए थे जिन्हें सन् 2012 में आईएस / IS 16500 : 2012 के रूप में लागू किया गया है।

### (ग) देवनागरी लेखन तथा टंकण में एकरूपता

भ्रम-रहित देवनागरी का लेखन; जैसे: 'ख' को पहले 'रव' लिखा जाता था जिसके 'र' एवं 'व' होने का भ्रम बना रहता था। अतः नये रूप 'ख' में इस प्रकार का भ्रम नहीं रहा। ऐसी ही भ्रमपूर्ण स्थिति कुछ संयुक्ताक्षरों को लेकर भी रहती है। अतः एकरूपता के लिए ऐसे वर्णों में परिवर्तन और मानकीकरण अनिवार्य है।

भारत में कंप्यूटर के प्रयोग के साथ ही हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में टाइपिंग हेतु भिन्न-भिन्न फ़ॉण्टों का विकास किया गया। किन्तु इससे एक समस्या यह उत्पन्न हो गई कि एक फ़ॉण्ट में लिखी गई सामग्री दूसरे फ़ॉण्ट में नहीं खुलती थी। यूनिकोड के आ जाने से हिन्दी टाइपिंग के क्षेत्र में एकरूपता का विकास हुआ है।

### 4.3.5.4. विश्वभाषा हिन्दी

हिन्दी विश्व में बोलने एवं समझने वालों की संख्या के आधार पर विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है। भारत के अलावा अन्य देशों में भी हिन्दी बोलने वालों और समझने वालों की संख्या करोड़ों में है। मॉरीशस, फिजी, गुयाना, सुरीनाम, त्रिनिडाड एवं दक्षिण अफ्रिका आदि देशों में तो बहुत पहले से हजारों भारतीय बसे हुए हैं जो हिन्दी समझते हैं। डॉ॰ विमलेश कांति वर्मा के शब्दों में, "फिजी में तो शायद ही ऐसा कोई भारतीय या फिजीयन हो जो हिन्दी न समझता हो। सम्भवतः इसीलिए फिजी में हिन्दी को सांवैधानिक मान्यता प्राप्त है।" भारत के पड़ोसी देशों; जैसे: नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं श्रीलंका में भी हिन्दी समझने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। वर्तमान में विश्व के लगभग सभी प्रमुख देशों में नौकरी, व्यापार या आजीविका की दृष्टि से भारतीय जाकर बस गए हैं जो वहाँ पर हिन्दी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हिन्दी का प्रयोग करने तथा समझने वाले सभी भारतीयों एवं प्रवासी भारतीयों की विशाल संख्या तथा विश्व के लगभग सभी प्रमुख देशों में उनका होना हिन्दी को वैश्विक बना देता है और यह हिन्दी को विश्वभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में आधार का कार्य कर सकता है।

सूरीनाम में सम्पन्न सातवें विश्व हिन्दी सम्मेलन में प्रकाशित स्मारिका में डॉ॰ जयंती प्रसाद नौटियाल ने विश्व में हिन्दी जानने वालों की सारणी प्रस्तुत की जिसमें भारत के बाहर हिन्दी जानने वालों की संख्या 43 करोड़ बताई गई है। यूनेस्को में भी अन्य स्वीकृत भाषाओं के साथ-साथ हिन्दी का भी प्रयोग किया जाता है। इसके संविधान में संसोधन तथा अन्य निर्णयों का हिन्दी में अनुवाद किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा के रूप में भी हिन्दी को मान्यता दिलाने के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं।

### 4.3.5.5. ज्ञान-विज्ञान की भाषा हिन्दी

भारत में हिन्दी केवल आपसी व्यवहार और कार्यालयों में प्रयोग की ही भाषा नहीं है बल्कि यह ज्ञान-विज्ञान और पठन-पाठन की भी भाषा है। सभी हिन्दीभाषी राज्यों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का माध्यम हिन्दी ही है। इसके अतिरिक्त अनेक विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों, मुख्यतः सामाजिक विज्ञानों एवं शास्त्रों का अध्ययन-अध्यापन हिन्दी में ही किया जाता है। किन्तु अभी तक हिन्दी प्राकृतिक विज्ञानों, जैसे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि के उच्च शिक्षा में शिक्षण का माध्यम नहीं बन सकी है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी से जुड़े विषयों में भी लगभग यही स्थिति है। इसका एक कारण हिन्दी में इन विषयों से जुड़ी उच्च कोटि की पुस्तकों का अभाव होना भी है। इन सभी क्षेत्रों में हिन्दी की जगह अंग्रेजी का वर्चस्व है।

राजभाषा समिति द्वारा सरकारी शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी में परीक्षा एवं शिक्षण से सम्बन्धित कुछ सुझाव दिये गए जिनसे हिन्दी का ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग सुदृढ़ किया जा सकता है। प्रशिक्षण संस्थानों से सम्बन्धित सुझावों के दो उदाहरण इस प्रकार हैं –

क. समिति ने यह सुझाव दिया है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसे प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही बनी रहे किन्तु शिक्षा सम्बन्धी कुछ या सभी प्रयोजनों के लिए माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग शुरू करने के लिए उचित कदम उठाए जाएँ। इसके अतिरिक्त अनुदेश पुस्तिकाओं इत्यादि के हिन्दी प्रकाशन आदि के रूप में समुचित प्रारम्भिक कार्रवाई करें, ताकि जहाँ भी व्यवहार्य हो शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग सम्भव हो जाए।

ख. समिति ने सुझाव दिया कि प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही परीक्षा के माध्यम हों, किन्तु परिक्षार्थियों का यह विकल्प रहे कि वे सब या कुछ परीक्षा पत्रों के लिए उनमें से किसी एक भाषा को चुन लें और एक विशेष समिति यह जाँच करने के लिए नियुक्त की जाए कि नियत कोटा प्रणाली अपनाए बिना प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग परीक्षा के माध्यम के रूप में कहाँ तक शुरू किया जा सकता है।

इसी प्रकार सभी सरकारी तथा अर्द्धसरकारी संस्थानों से सम्बन्धित सुझाव भी हैं जिनमें यदि प्रवेश परीक्षा एवं शिक्षण के माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग किया जाए तो निश्चय ही अध्ययन-अध्यापन की भाषा के रूप में हिन्दी सुदृढ़ होगी।

जहाँ तक हिन्दी में विज्ञान की मानक पुस्तकों का प्रश्न है, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् इस दिशा में प्रयास आरम्भ हो गए। किन्तु इस दिशा में प्रभावी कदम 1960 के बाद से दिखाई पड़ते हैं। इसी क्रम में सुझाव आया कि अंग्रेजी के मानक ग्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद कर लिया जाए। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए 1965 ई. में हिन्दीभाषी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में सुनिश्चित किया गया कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों में भी हिन्दी माध्यम को अपनाने के लिए अपेक्षित पाठ्यपुस्तकों का यथाशीघ्र निर्माण किया जाए। 1968-69 में केन्द्र सरकार ने अंग्रेजी पुस्तकों के हिन्दीकरण का राज्य सरकारों को आदेश दिया। इसके अलावा 1970 में यह भी माँग प्रबल रूप से उठी कि कृषि, पशु एवं चिकित्सा आदि विषयों में स्नातक स्तर तक की शिक्षा हिन्दी माध्यम से आरम्भ कर दी जाए। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए 1983 में तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (C.S.I.R) ने 'हिंदी वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकाशन निदेशिका' प्रकाशित की जिसमें 1966 से 1980 तक हिन्दी में प्रकाशित वैज्ञानिक एवं तकनीकी पुस्तकों का विवरण दिया गया है।

इसके बाद तो व्यापक स्तर पर सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थानों तथा व्यक्तिगत प्रयास किए गए हैं। भारत सरकार के अनेक संस्थान इस दिशा में सक्रिय हैं जिनमें हिन्दी में कोश निर्माण, पुस्तक एवं साहित्य संकलन तथा प्रकाशन एवं हिन्दी माध्यम से पठन-पाठन के विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे है। इन संस्थानों में केंद्रीय हिंदी

निदेशालय (नयी दिल्ली), केंद्रीय हिंदी संस्थान (आगरा), महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय (वर्धा), दक्षिण हिन्दी प्रचार सभा आदि प्रमुख हैं जिनमें हिन्दी माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें से महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय (वर्धा) में तो 'भाषा प्रौद्योगिकी' (Language Technology), अनुवाद प्रौद्योगिकी (Translation Technology), 'कंप्यूटेशनल भाषाविज्ञान' (Computational Linguistics), 'जनसंचार' (Mass Communication) एवं फिल्म अध्ययन (Film Study) जैसे तकनीकी विषयों में एम.ए., एम.फिल. एवं पी-एच. डी. के नियमित पाठ्यक्रम हिन्दी माध्यम से चलाए जाते हैं।

## 4.3.5.6. आधुनिक हिन्दी और संचार माध्यम

स्वतन्त्रता के पश्चात् जनसंचार के माध्यमों में भी हिन्दी का प्रयोग धीरे-धीरे सुदृढ़ हुआ है। आज अनेक समाचार पत्र हिन्दी में प्रकाशित होते हैं जिन्हें लगभग सम्पूर्ण भारत में प्राप्त किया जा सकता है। इनके पाठकों की संख्या भी बहुत अधिक है। उदाहरणस्वरूप हिन्दी दैनिक 'दैनिक जागरण' के पाठकों की संख्या भारत में प्रकाशित होने वाले सभी अंग्रेजी समाचार पत्रों के कुल पाठकों से भी अधिक है। अतः हिन्दी समाचार पत्रों की संख्या बहुत अधिक होने के साथ-साथ इनके पाठक भी सर्वाधिक हैं।

इसी प्रकार रेडियो और टी.वी. की दृष्टि से विचार किया जाए तो हिन्दी के ही प्रसारण केन्द्र तथा चैनल सबसे अधिक हैं जिन पर हर समय विविध प्रकार के कार्यक्रम प्रकाशित होते रहते हैं। रेडियो में चाहे मिडियम वेब के प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र हों या शार्ट वेब के प्रसारण केन्द्र, सभी की लोकप्रियता बहुत अधिक है। उदाहरणस्वरूप हिन्दी के शार्ट वेब प्रसारण केन्द्र 'विविध भारती' से कौन व्यक्ति परिचित नहीं होगा। वर्तमान में एफ.एम. चैनलों की भरमार देखी जा सकती है इनमें भी सर्वाधिक संख्या हिन्दी केन्द्रों की ही है। टी.वी. के क्षेत्र में भी 'दूरदर्शन' की लोकप्रियता अभी भी दूरदराज के क्षेत्रों में है। जहाँ तक प्राइवेट चैनलों का सवाल है तो इधर भी हिन्दी के प्राइवेट चैनलों की भरमार है। कुछ मानक एवं उपयोगी चैनल, जैसे: नेशनल जिओग्राफिकल एवं डिस्कवरी पर भी बहुत अधिक संख्या में हिन्दी में डब या अनूदित कार्यक्रम ही प्रसारित होते रहते हैं।

इंटरनेट आधुनिक संचार का सबसे शक्तिशाली माध्यमहै। यहाँ पर भी हिन्दी ने प्रभावशाली दस्तक दी है। आज हिन्दी के लाखों ब्लॉग एवं वेबसाइटें हैं। पहले देवनागरी में वेबपेज निर्माण में कुछ कठिनाइयाँ आती थीं किन्तु यूनिकोड के आने से यह समस्या भी दूर हो गई है। ब्लॉग एवं वेबसाइटों के अतिरिक्त धीरे-धीरे हिन्दी के बहुत सारे भाषिक टूल भी इंटरनेट पर ऑनलाइन उपलब्ध हो गए है, जैसे, हिन्दी के ई-कोश, हिन्दी शब्द-तन्त्र (Hindi WordNet) एवं हिन्दी साहित्य तथा ज्ञान विज्ञान से सम्बन्धित ई-लाइब्रेरी आदि। इन सभी की उपलब्धता आधुनिक युग में हिन्दी को नयी ऊँचाई प्रदान कर रही है।

अतः संचार के क्षेत्र में हिन्दी का पारम्परिक संचार माध्यमों से लेकर आधुनिक तक सभी में महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन साधनों का न केवल दिन प्रतिदिन विस्तार हो रहा है बल्कि भविष्य में और अधिक क्षेत्रों में हिन्दी प्रयोग की सम्भावनाएँ प्रबल होती जा रही हैं।

### 4.3.6. हिन्दी की सांवैधानिक स्थिति

हिन्दी की सांवैधानिक स्थिति को निम्नलिखित उपशीर्षकों के अन्तर्गत समझ सकते हैं –

#### 4.3.6.1. राजभाषा

सांवैधानिक दृष्टि से हिन्दी भारत की राजभाषा है। महात्मा गाँधी ने 1917 में गुजरात शैक्षिक सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा था कि भारतीय भाषाओं में केवल हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है।

#### (क) अनुच्छेद 343 (1) संघ की राजभाषा

संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा।

खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था, परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का और भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, **अनुच्छेद 343 (3)** के अनुसार संसद उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात्, विधि द्वारा (क) अंग्रेजी भाषा का, या (ख) अंकों के देवनागरी रूप का, ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएँ।

**(ख) अनुच्छेद 344** में राजभाषा के लिए आयोग बनाने का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार संविधान के प्रारम्भ से 5 के बाद तत्पश्चात 10 वर्ष के बाद आदेश द्वारा राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो निम्नलिखित मामलों में अपनी सिफारिशें प्रेषित करेगा–

- (i) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के विषय में।
- (ii) संघ के राजकीय प्रयोजनों में ये सब या किसी एक के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग-प्रतिबन्ध के विषय में।
- (iii) उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में प्रयुक्त होने वाली भाषा के विषय में।
- (iv) संघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के विषय में।
- (v) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संचार की भाषा तथा उनके प्रयोग के बारे में राष्ट्रपति द्वारा आयोग से पृच्छा किए हुए किसी अन्य विषय पर।

**(ग) अनुच्छेद 351** में हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश दिया गया है जिसके अनुसार संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्थानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द-भण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

### (घ) राजभाषा संकल्प, 1968

भारतीय संसद के दोनों सदनों (राज्यसभा और लोकसभा) ने 1968 में 'राजभाषा संकल्प' के नाम से निम्नलिखित संकल्प लिए–

(i) जबकि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिन्दी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना और उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, संघ का कर्त्तव्य है :

यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने के हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी।

(ii) जबकि संविधान की आठवीं अनुसूची में हिन्दी के अतिरिक्त भारत की 21 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास हेतु सामूहिक उपाए किये जाने चाहिए :

यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दी के साथ-साथ इन सब भाषाओं के समन्वित विकास हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा, ताकि वे शीघ्र समृद्ध हों और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बनें।

(iii) जबकि एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रि-भाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णत कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी किया जाना चाहिए :

यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दीभाषी क्षेत्रों में हिन्दी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के, दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए, और अहिन्दीभाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

(iv) और जबकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक सेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोचित दावों और हितों का पूर्ण परित्राण किया जाए ;

यह सभा संकल्प करती है कि–

क. उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिए ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्त्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन हेतु केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिन्दी अथवा दोनों जैसी कि स्थिति हो, का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यत होगा; और

ख. परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रिया सम्बन्धी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात् अखिल भारतीय एवं उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं सम्बन्धी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी ।

### 4.3.6.2. सम्पर्क भाषा

औपचारिक और व्यावहारिक दोनों ही दृष्टियों से हिन्दी भारत की सम्पर्क भाषा है । अधिकांश भारतीयों द्वारा परस्पर सम्प्रेषण का कार्य हिन्दी में ही किया जाता है, मुख्यतः तब जब दो भिन्न-भिन्न भारतीय भाषाओं के मातृभाषी मिलते हैं । सांवैधानिक दृष्टि से भारत सरकार ने हिन्दी (राजभाषा नियम 1976) के अनुसार भारत को तीन क्षेत्रों में बाँटा है: क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र, जो निम्नलिखित हैं –

**क वर्ग के क्षेत्र –** इसमें उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हिमाचलप्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ तथा हरियाणा आते हैं, संविधान के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा इन प्रदेशों से सम्बन्धित सारा काम सिर्फ हिन्दी में ही किए जाएँ, यदि किसी को अंग्रेजी में पत्र भेजा जाए तो उसका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाए ।

**ख वर्ग के क्षेत्र –** इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, जैसे क्षेत्र हैं, जहाँ हिन्दी का कोई विरोध नहीं है, संविधान के अनुसार इन प्रदेशों से सम्बन्धित सारा काम केन्द्र सरकार को सामान्यतः हिन्दी में करना चाहिए पर मूल पत्रों के साथ अंग्रेजी अनुवाद भी राज्य विशेष के माँगने पर उपलब्ध करवाया जाए ।

**ग वर्ग के क्षेत्र –** इसमें बाकी सारे राज्य आते हैं जिनमें अंग्रेजी में ही व्यवहार किया जाता है ।

औपचारिक दृष्टि से कार्यालयों में आपसी पत्र-व्यवहार से सम्बन्धित कार्य इस विभाजन में किया गया है जो हिन्दी को कार्यालयी सम्पर्क की भाषा के रूप में भी स्थापित करता है ।

### 4.3.6.3. कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु

(i) **1977** : श्री अटल बिहारी वाजपेयी, तत्कालीन विदेश मंत्री ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिन्दी में सम्बोधित किया।

(ii) **1981** : केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग का गठन किया गया।

(iii) **1983** : केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सरकारी उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों में यान्त्रिक और इलेक्ट्रानिक उपकरणों द्वारा हिन्दी में कार्य को बढ़ावा देने तथा उपलब्ध द्विभाषी उपकरणों के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से राजभाषा विभाग में तकनीकी कक्ष की स्थापना की गई।

(iv) **1985** : केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान का गठन कर्मचारियों / अधिकारियों को हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया गया।

(v) **1986** : कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट। उच्च शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में नयी शिक्षा नीति (1986) के कार्यान्वयन कार्यक्रम में कहा गया – "स्कूल स्तर पर आधुनिक भारतीय भाषाएँ पहले ही शिक्षण माध्यम के रूप में प्रयुक्त हो रही हैं। आवश्यकता इस बात की है कि विश्वविद्यालय के स्तर पर भी इन्हें उत्तरोत्तर माध्यम के रूप में अपना लिया जाए। इसके लिए अपेक्षा यह है कि राज्य सरकारें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करके, सभी विषयों में और सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में उत्तरोत्तर आधुनिक भारतीय भाषाओं को अपनाएँ।"

(vi) **2002** : संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन का सातवाँ खण्ड राष्ट्रपतिजी को प्रस्तुत किया गया। इस खण्ड में समिति ने सरकारी काम-काज में मूल रूप से हिन्दी में लेखन कार्य, विधि सम्बन्धी कार्यों में राजभाषा हिन्दी की स्थिति, सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग हेतु प्रचार-प्रसार, प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों से जुड़े प्रकाशनों की हिन्दी में उपलब्धता, राज्यों में राजभाषा हिन्दी की स्थिति, वैश्वीकरण और हिन्दी, कंप्यूटरीकरण एक चुनौती इत्यादि विषयों को समाहित कर संघ सरकार मेंहिन्दी के प्रयोग की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की।

(vii) **2003** : कंप्यूटर की सहायता से हिन्दी स्वयं सीखने के लिए राजभाषा विभाग ने कंप्यूटर प्रोग्राम (लीला हिन्दी प्रबोध, लीला हिन्दी प्रवीण, लीला हिन्दी प्राज्ञ) सर्व साधारण द्वारा निःशुल्क प्रयोग हेतु राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया।

(viii) **2004** : मातृभाषा विकास परिषद द्वारा दायर जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा बनाई गई तकनीकी शब्दावली ही भारत सरकार के अन्तर्गत एन.सी.ई.आर.टी तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं द्वारा तैयार की जा रही पाठ्यपुस्तकों में प्रयोग में लाई जाए।

## 4.3.7. पाठ-सार

इस प्रकार आपने इस पाठ में आधुनिक युग में हिन्दी के विकास को देखा जो 18वीं सदी के अन्त में आरम्भ होता है और धीरे-धीरे अपने मानक स्वरूप को प्राप्त करता है। इसे मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया पहले भाग का नाम 'ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : आदिकाल से भारतेन्दु युग तक' है जिसमें मुख्यतः तीन उपशीर्षकों 'आदिकाल', 'मध्यकाल' एवं 'भारतेन्दु-पूर्व तात्कालिक प्रयास' में विभक्त करते हुए हिन्दी के उद्भव और आरम्भिक प्रयोगों को देखा गया। इसके बाद वास्तविक रूप से हिन्दी के आरम्भ को दूसरे भाग 'आधुनिक हिन्दी के आरम्भिक चरण: भारतेन्दु युग से स्वतन्त्रता तक' में बताया गया जिसमें हिन्दी साहित्य के दो प्रमुख कालों 'भारतेन्दु युग' और 'द्विवेदी युग' में हिन्दी के विकास से सम्बन्धित प्रमुख बातों को दर्शाते हुए कुछ अन्य साहित्यिक गतिविधियों की भी चर्चा की गई।

इस विवेचन के तीसरे भाग 'आधुनिक युग में हिन्दी भाषा: विविधता एवं विस्तार' में स्वतन्त्रता के बाद की हिन्दी के व्यापक स्वरूप को दिखाने का प्रयास किया गया है, जिसके अन्तर्गत उसके विविध क्षेत्रों एवं बोलियों का परिचय देते हुए हिन्दी के विविध प्रकार्यों पर प्रकाश डाला गया है। इसके बाद हिन्दी के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक संचार के माध्यमों को भी देखा गया है। अन्त में 'हिन्दी की सांवैधानिक स्थिति' उपशीर्षक के अन्तर्गत राजभाषा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रावधानों और घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है।

## 4.3.8. बोध प्रश्न

**बहुविकल्पीय प्रश्न**

1. हिन्दी भाषा और साहित्य के इतिहास में आधुनिककाल कब से कब तक माना जाता है ?
   (क) 1800 ई. से आज तक
   (ख) 1850 ई. से आज तक
   (ग) 1900 ई. से आज तक
   (घ) 1950 ई. से आज तक

सही उत्तर : (ख)

2. निम्नलिखित में कौनसी भाषा हिन्दी की एक बोली नहीं है ?
   (क) हरियाणवी
   (ख) बुंदेली
   (ग) मराठी
   (घ) मगही

सही उत्तर : (ग)

3. A Basic Grammar of a Modern Hindi कब प्रकाशित हुई ?
   (क) 1958
   (ख) 1952
   (ग) 1968
   (घ) 1985

सही उत्तर : (क)

4. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिन्दी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है ?
   (क) अनुच्छेद 342
   (ख) अनुच्छेद 343
   (ग) अनुच्छेद 344
   (घ) अनुच्छेद 345

सही उत्तर : (ख)

5. राजभाषा संकल्प कब लिया गया ?
   (क) 1962
   (ख) 1964
   (ग) 1966
   (घ) 1968

सही उत्तर : (घ)

**लघु उत्तरीय प्रश्न**

1. आधुनिक हिन्दी के विकास में छायावादी युग एवं प्रगतिवादी युग के योगदान कोबताइए।
2. हिन्दी के मानकीकरण पर टिप्पणी लिखिए।
3. विश्वभाषा हिन्दी पर निबन्ध लिखिए।
4. राजभाषा संकल्प के प्रमुख बिन्दुओं को बताइए।
5. सम्पर्क भाषा हिन्दी के सन्दर्भ में भारत के राज्यों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है ? व्याख्या कीजिए।

**दीर्घ उत्तरीय प्रश्न**

1. आदिकाल से लेकर भारतेन्दु पूर्व तात्कालिक प्रयास तक की हिन्दी की विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए।
2. आधुनिक हिन्दी का आरम्भ कब हुआ ? आधुनिक हिन्दी के विकास में भारतेन्दु युग और द्विवेदी युग के योगदान को अपने शब्दों में समझाइए।

3. आधुनिक युग में हिन्दी के विस्तार पर टिप्पणी लिखते हुए हिन्दीभाषी क्षेत्रों और हिन्दी की बोलियों का वर्णन कीजिए।
4. ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में हिन्दी के प्रसार की विस्तृत चर्चा कीजिए।
5. हिन्दी की सांवैधानिक स्थिति का विस्तृत विवेचन कीजिए।

### 4.3.9. उपयोगी पुस्तकें


1. टंडन, पूरनचन्द. अग्रवाल, मुकेश (2007). हिन्दी भाषा : कल आज कल. नयी दिल्ली : किताबघर.
2. तरुण, हरिवंश (2010). मानक हिन्दी व्याकरण और रचना. नयी दिल्ली : प्रकाशन संस्थान.
3. भाटिया, कैलाशचन्द्र (2008). हिन्दी भाषा का आधुनिकीकरण. नयी दिल्ली : तक्षशिला प्रकाशन.
4. बाहरी, हरदेव (2006). हिन्दी भाषा. इलाहाबाद : अभिव्यक्ति प्रकाशन.
5. पाण्डेय, कैलाश नाथ (2006). भाषाविज्ञान का रसायन. गाजीपुर. गाजीपुर साहित्य संसद.
6. तिवारी. भोलानाथ (2010). हिन्दी भाषा का इतिहास. नयी दिल्ली : वाणी प्रकाशन.


### उपयोगी इंटरनेट स्रोत :


1. https://hi.wikipedia.org/wiki/मानक_हिंदी_वर्तनी
2. http://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=18
3. http://www.hindisamay.com/
4. http://hindinest.com/
5. http://www.dli.ernet.in/
6. http://www.archive.org


❖❖❖

# खण्ड – 4 : हिन्दी के विविध रूप

## इकाई – 4 : हिन्दी का वैश्विक रूप

### इकाई की रूपरेखा

4.4.00. उद्देश्य
4.4.01. प्रस्तावना
4.4.02. हिन्दी भाषा के प्रमुख देश
  4.4.02.1. भारत
    4.4.02.1.1. हिन्दी और उर्दू
    4.4.02.1.2. हिन्दी के समान रूप रखने वाली भारत की अन्य भाषाएँ
    4.4.02.1.3. दक्षिण भारत और हिन्दी
    4.4.02.1.4. पूर्वोत्तर भारत में हिन्दी भाषा की लोकप्रियता
    4.4.02.1.5. हिन्दी भाषा और राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के विचार
    4.4.02.1.6. हिन्दी की सांवैधानिक स्थिति
  4.4.02.2. अन्य देश
    4.4.02.2.1. फिजी
    4.4.02.2.2. नेपाल
    4.4.02.2.3. मॉरिशस
    4.4.02.2.4. गयाना
    4.4.02.2.5. सूरीनाम
    4.4.02.2.6. संयुक्त राज्य अमेरिका
4.4.03. हिन्दी का अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन-अध्यापन
  4.4.03.1. रूस
  4.4.03.2. जर्मनी
  4.4.03.3. जापान
  4.4.03.4. चीन
  4.4.03.5. चेक गणराज्य
4.4.04. विश्व हिन्दी सचिवालय
4.4.05. हिन्दी भाषा को संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषा के तौर पर मान्यता प्राप्त कराने के प्रयास
4.4.06. पाठ-सार
4.4.07. बोध प्रश्न
4.4.08. व्यावहारिक (प्रायोगिक) कार्य
4.4.09. कठिन शब्दावली
4.4.10. उपयोगी / सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

## 4.4.00. उद्देश्य

प्रस्तुत पाठ का अध्ययन करने के उपरान्त आप –

i. हिन्दी का आधुनिककाल के भारत में क्या स्थान है और हिन्दीभाषी समुदाय किस प्रकार विश्व के अन्य देशों में फैला हुआ है, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
ii. हिन्दी के अन्तर्राष्ट्रीय रूप और एक वैश्विक भाषा के रूप से स्थापना के बारे में चर्चा कर सकेंगे।
iii. हिन्दी भाषा को संयुक्त राष्ट्र संगठन में आधिकारिक भाषा के तौर पर भविष्य में मान्यता देने की सम्भावना के बारे में जान सकेंगे।

## 4.4.01. प्रस्तावना

हिन्दी सांवैधानिक रूप से भारत की प्रथम राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। यह चीनी और अंग्रेजी के बाद यह विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है। एक आधुनिक समय की प्रगतिशील भाषा होने के कारण हिन्दीभाषीय समुदाय नेपाल, फ़िजी, मॉरिशस, गयाना, संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अन्य देशों में भी बसे हैं। विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार यह विश्व की दस शक्तिशाली भाषाओं में से एक है।

## 4.4.02. हिन्दी भाषा के प्रमुख देश

### 4.4.02.1. भारत

भारत एक बहुभाषी और बहुधर्मी देश है। यहाँ लगभग हर क्षेत्र की अपनी अलग भाषा और संस्कृति है। ऐसे में हिन्दी भाषा भारत को एक सूत्र में बाँधकर रखने और देश को जोड़कर रखने का काम करती है। हिन्दी भाषा का क्षेत्र बहुत फैला हुआ है। देश के राज्यों में उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखण्ड, झारखण्ड, राजस्थान, दिल्ली एवं अंडमान द्वीप समूह ऐसे राज्य हैं जहाँ की मूल भाषा हिन्दी है। गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब ऐसे राज्य हैं जहाँ क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ हिन्दी को प्रमुख या समानान्तर स्थान प्राप्त है। शेष राज्यों में दक्षिण भारत के राज्यों में हिन्दी भाषा का प्रयोग अन्य भारत से कम है, परन्तु सामान्य रूप से तमिलनाडु को छोड़कर अधिकांश राज्यों में हिन्दी पाठशाला के स्तर पर पढ़ाई जाती है। जनसंख्या के आधार पर देश की भाषाओं के आँकड़े इस प्रकार हैं –

| क्रम संख्या | भाषा | जनगणना वर्ष 2001 (कुल जनसंख्या 1,028,610,328) | |
|---|---|---|---|
| | | बोलने वाले | प्रतिशत |
| 01. | हिन्दी | 422,048,642 | 41.1 % |
| 02. | बांग्ला | 83,369,769 | 8.11 % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 03. | तेलुगु | 74,002,856 | 7.19 % |
| 04. | मराठी | 71,936,894 | 6.99 % |
| 05. | तमिल | 60,793,814 | 5.91 % |
| 06. | उर्दू | 51,536,111 | 5.01 % |
| 07. | गुजराती | 46,091,617 | 4.48 % |
| 08. | कन्नड़ | 37,924,011 | 3.69 % |
| 09. | मलयालम | 33,066,392 | 3.21 % |
| 10. | उड़िया | 33,017,446 | 3.21 % |
| 11. | पंजाबी | 29,102,477 | 2.83 % |
| 12. | असमिया | 13,168,484 | 1.28 % |
| 13. | मैथिली | 12,179,122 | 1.18 % |
| 14. | भीली | 9,582,957 | 0.93 % |
| 15. | संथाली | 6,469,600 | 0.63 % |
| 16. | कश्मीरी | 5,527,698 | 0.54 % |
| 17. | नेपाली | 2,871,749 | 0.28 % |
| 18. | गोंडी | 2,713,790 | 0.26 % |
| 19. | सिन्धी | 2,535,485 | 0.25 % |
| 20. | कोंकणी | 2,489,015 | 0.25 % |
| 21. | डोगरी | 2,282,589 | 0.22 % |
| 22. | खानदेशी | 2,075,258 | 0.21 % |
| 23. | कुरुख | 1,751,489 | 0.17 % |
| 24. | तुलू | 1,722,768 | 0.17 % |
| 25. | मणिपुरी | 1,466,705 | 0.14 % |
| 26. | बोडो | 1,350,478 | 0.13 % |
| 27. | खासी | 1.128,575 | 0.11 % |
| 28. | मुन्दारी भाषा | 1,061,352 | 0.103 % |
| 29. | हो | 1,042,724 | 0.101 % |

सारणी 1 : वर्ष 2001 की जनगणना में 29 भाषाओं के आँकड़े

## 4.4.02.1.1. हिन्दी और उर्दू

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भाषाविद् हिन्दी और उर्दू को एक ही भाषा मानते हैं । हिन्दी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है । इसकी शब्दावली की स्तर पर अधिकतर संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होता है । उर्दू फ़ारसी भाषा से प्रेरित लिपि में लिखी जाती है । इसकी शब्दावली के स्तर पर साहित्यिक रूप से फ़ारसी भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है । व्याकरण में उर्दू और हिन्दी में लगभग शत-प्रतिशत समानता है । कुछ विशेष

मामलों से जुड़ी शब्दावली के स्रोत में अन्तर होता है। इसी प्रकार से कुछ विशेष ध्वनियाँ उर्दू में अरबी और फ़ारसी से ली गयी हैं। अतः कुछ लोग उर्दू को हिन्दी की एक विशेष शैली मानते हैं। सामान्य रूप से ऐसे हज़ारों वाक्य लिखे जा सकते हैं जो हिन्दी और उर्दू में बिल्कुल एक हैं। हिन्दी और उर्दू में एक समान शब्दों और वाक्यों के कुछ उदाहरण देखिए –

(i) शीला घर जा रही है।
(ii) मैं घूम-फिरकर उसी जगह पहुँचा।
(iii) आपका नाम क्या है ?
(iv) मैं भी उसी शहर का रहने वाला हूँ।
(v) हम सब एक थे, हैं और रहेंगे।

### 4.4.02.1.2. हिन्दी के समान रूप रखने वाली भारत की अन्य भाषाएँ

यदि हम सारणी 1 की जनसंख्या के आँकड़ों को देखें तो पता चलता है कि हिन्दी बोलने वालों की जनसंख्या 41.1% है जबकि उर्दू बोलने वालों की जनसंख्या 5.01% है। इस प्रकार से दोनों भाषाओं के बोलने वालों की संख्या कुल मिलाकर 46.11% है। भारत की अन्य भाषाओं में मराठी, पंजाबी और गुजराती भाषाओं और हिन्दी में काफ़ी समानताएँ हैं, जिसके कारण इन भाषा के बोलने वालों को हिन्दी सीखने और उसका प्रयोग करना अत्यन्त सरल है। इस प्रकार से यह कहना अनुचित नहीं होगा कि भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग या तो हिन्दी मातृभाषा के रूप में बोलता है या फिर कोई ऐसी भाषा को मातृभाषा रूप बोलता है जो हिन्दी से काफ़ी निकट है।

### 4.4.02.1.3. दक्षिण भारत और हिन्दी

दक्षिण भारत के राज्यों में हिन्दी भाषा का प्रयोग अन्य भारत से कम है, परन्तु सामान्य रूप से तमिलनाडु को छोड़कर अधिकांश राज्यों में हिन्दी को पाठशाला की स्तर पर पढ़ाया जाता है। तमिलनाडु में जहाँ कुछ संगठन और राजनैतिक दल हिन्दी का विरोध करते हैं, वही राज्य दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का मुख्य केन्द्र और कार्यालय रखता है। यह वह संस्था है जो हिन्दी भाषा को भारत के दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक में भारत के स्वतन्त्र होने से काफी पहले से हिन्दी के प्रचार-प्रसार का कार्य कर रही है। इसकी स्थापना 1918 में हुई थी। इस संस्था को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व की संस्थाओं में एक होने के रूप में मान्यता प्राप्त है। संस्था न केवल हिन्दी भाषा का प्रचार करती है, बल्कि यह विभिन्न स्तरों पर परीक्षाएँ भी आयोजित करती है।

### 4.4.02.1.4. पूर्वोत्तर भारत में हिन्दी भाषा की लोकप्रियता

जब हम उत्तर-पूर्वी राज्यों को देखते हैं तो पाते हैं कि पश्चिमी बंगाल की जनता हिन्दी को अपनी बांग्ला भाषा के साथ-साथ प्रयोग करने में कोई कठिनाई नहीं पाती है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी संस्था शान्तिनिकेतन (बांग्ला : শান্তিনিকেতন) में हिन्दी की शिक्षा की व्यवस्था रखी थी। उन्होंने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में समर्थन किया था हालाँकि वह मातृभाषा को आत्माभिव्यक्ति का मुख्य स्रोत मानते थे। उत्तर पूर्वी भारत के अन्य राज्यों की बात करें तो हम पाते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैण्ड में अंग्रेज़ी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। अधिकांश उत्तर पूर्वी राज्यों की समस्या यह है कि कई भाषाएँ छोटे-छोटे क्षेत्र में बोली जाती हैं। ऐसे में सभी भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा देना सम्भव नहीं है। हालाँकि इन राज्यों में अंग्रेज़ी को राज्य भाषा या दूसरी राज्य भाषा लिया गया है, परन्तु यातायात, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हिन्दी फ़िल्मों की लोकप्रियता के कारण इन क्षेत्रों में भी हिन्दी जनसम्पर्क की भाषा बनी हुई है और इसका प्रयोग दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है।

### 4.4.02.1.5. हिन्दी भाषा और राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के विचार

हिन्दी भाषा के महत्त्व को समझते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने प्रताप (हिन्दी अख़बार) में 28 मई 1917 को छपने वाले उनके एक लेख में हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करने का समर्थन किया था। लेख में गाँधीजी ने इस बात की भी चर्चा की थी कि दक्षिण भारत तथा अन्य कुछ क्षेत्र जहाँ के अधिकांश लोगों की मूल भाषा हिन्दी नहीं है, उनके लिए भी किसी और भाषा के स्थान पर हिन्दी भाषा सीखना सरल है। उसी वर्ष 20 अक्टूबर को भरूच में दूसरे गुजरात शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था। उस समय गाँधीजी ने अपने भाषण में एक बार फिर हिन्दी को जनसम्पर्क की भाषा तथा राष्ट्रभाषा का दर्जा दिए जाने योग्य घोषित किया था।

### 4.4.02.1.6. हिन्दी की सांवैधानिक स्थिति

भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को हिन्दी दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि 1949 में इसी दिन को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिन्दी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हमारे देश के संविधान के भाग XVII के अनुच्छेद 343 से 351 तक इसी विषय पर प्रकाश डालते हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 343 (1) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देवनागरी लिपि में हिन्दी संघ की राजभाषा होगी।

इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि हिन्दी भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। गैर-हिन्दीभाषी लोग भी हिन्दी को सहज रूप से सीख सकते हैं और सीख रहे हैं। हिन्दी भाषा को भारत के संविधान से राजभाषा के रूप में देवनागरी लिपि में मान्यता प्राप्त है। हालाँकि तमिलनाडु में हिन्दी के विरुद्ध आन्दोलन के कारण हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया है, परन्तु भाषा के फैलाव और सामान्य जनता में

लोकप्रियता ऐसे निर्विवाद मुद्दे जिससे हिन्दी की भाषा के महत्त्व और उसके भारत की पहचान होने को नकारा नहीं जा सकता है।

### 4.4.02.2. अन्य देश

स्वीडिश सरकार की नैशनल एन्साइक्लोपेडिन परियोजना के अनुसार विश्व में दस सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएँ इस प्रकार हैं –

| क्रम संख्या | भाषा | मातृभाषा के रूप में बोलने वालों की संख्या मिलियन में 2007 (2010) | वैश्विक जनसंख्या का प्रतिशत (2007) |
|---|---|---|---|
| 01. | **मैंडरिन चीनी** | 935 (955) | 14.1 % |
| 02. | **स्पैनिश** | 390 (405) | 5.85 % |
| 03. | **अंग्रेज़ी** | 365 (360) | 5.52 % |
| 04. | **हिन्दी** | 295 (310) | 4.46 % |
| 05. | **अरबी** | 280 (295) | 4.23 % |
| 06. | **पुर्तुगाली** | 205 (215) | 3.08 % |
| 07. | **बांग्ला** | 200 (205) | 3.05 % |
| 08. | **रूसी** | 160 (155) | 2.42 % |
| 09. | **जापानी** | 125 (125) | 1.92 % |
| 10. | **पंजाबी** | 95 (100) | 1.44 % |

सारणी 2 : विश्व में दस सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं के आँकड़े

ऊपर दी गई सारणी से यह स्पष्ट होता है कि हिन्दी विश्व की चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। आइए, हम भारत के अलावा अन्य कुछ प्रमुख देशों का संक्षिप्त रूप से अध्ययन करते हैं जहाँ पर हिन्दी को एक प्रमुख भाषा के रूप में बोला जाता है।

#### 4.4.02.2.1. फिजी

फिजी दक्षिण प्रशान्त महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीप तथा स्वतन्त्र देश है। इस देश की तीन आधिकारिक भाषाएँ हैं – फ़िजियाई भाषा, हिन्दी और अंग्रेज़ी। इस देश के 1997 के संविधान में हिन्दी को हिन्दुस्तानी कहा गया था। परन्तु 2013 के संविधान में स्पष्ट रूप से हिन्दी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। देश के कई स्कूलों में हिन्दी पढ़ाई जाती है।

### 4.4.02.2.2. नेपाल

नेपाल की लगभग 49% जनसंख्या नेपाली को मातृभाषा के तौर पर प्रयोग करती है। केवल 0.47% लोग हिन्दी को अपनी मातृभाषा बताते हैं। इसके बावजूद अधिकतर नेपाली लोग हिन्दी समझ सकते हैं और कुछ हद तक बोल भी लेते हैं। नेपाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द ने इस बात पर बल दिया था कि नेपाल में हिन्दी भाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार देश में हिन्दी काफी समय से प्रचलित है और यह आवश्यक है कि हिन्दी और नेपाली दोनों भाषाओं को समान रूप से प्रोत्साहित किया जाए। नेपाल के एक और दिग्गज नेता और देश के प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द झा ने अपने कार्यकाल के दौरान इस माँग का समर्थन किया कि हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा का दर्जा मिलना चाहिए।

### 4.4.02.2.3. मॉरिशस

मॉरिशस अफ्रीकी महाद्वीप के तट के दक्षिणपूर्व में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर हिन्द महासागर में और मेडागास्कर के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। इस देश की कोई आधिकारिक भाषा नहीं है। यहाँ के संविधान के अनुसार विधान सभा की आधिकारिक भाषा अंग्रेज़ी है, परन्तु कोई भी सदस्य सभापति को फ्रेंच भाषा में भी सम्बोधित कर सकता है। इस प्रकार से मॉरिशस की दो आधिकारिक भाषाएँ हैं – अंग्रेजी और फ्रेंच।

भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में 19वीं शताब्दी में बिहार से कई लोगों को गिरमिटिये के रूप में मॉरिशस भेजा गया था। यह लोग बंधुआ मज़दूरों के रूप में काम करते थे। उनका मुख्य काम जंगलों को काटकर भूमि को कृषि योग्य बनाना था। यहाँ लाए गए लोग भारत की स्वतन्त्रता के बाद भी मॉरिशस में ही रहने लगे। यद्यपि हिन्दी को आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है परन्तु मॉरिशस के 320 स्कूलों में हिन्दी पढ़ाई जाती है। इन स्कूलों में से कुछ पाठशालाओं की स्थापना आर्य समाज द्वारा की गई है।

मॉरिशस में ही 'विश्व हिन्दी सचिवालय' भी स्थापित है जिसका विवरण आगे 4.4.04. में किया जाएगा।

### 4.4.02.2.4. गयाना

गयाना, जिसे कभी-कभी गुयाना भी लिखा जाता है, दक्षिणी अमरीका में एक देश है। यह दक्षिण अमरीका के उत्तर-मध्य भाग में हैं। यहाँ की जनसंख्या की लगभग 38 प्रतिशत भाग हिन्दी को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करता है। 1978 में गयाना हिन्दी प्रचार सभा नामक संस्था ने व्यापक रूप से पूरे राष्ट्र में हिन्दी भाषा के सीखने का प्रचार अभियान चलाया। इसके लिए कई मन्दिरों तथा स्कूलों में विशेष क्लासों का आयोजन किया गया था। इन प्रयासों के फलस्वरूप कई स्कूलों में हिन्दी पढ़ाई जाने लगी। दो सरकारी स्कूल कोव एंड जॉन सेकेण्ड्री स्कूल और टैगोर मेमोरियल स्कूल, कोरेंटिन में हिन्दी की शिक्षा के प्रबन्ध किए गए थे।

### 4.4.02.2.5. सूरीनाम

सूरीनाम दक्षिण अमरीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक देश है। सूरीनाम पूर्व में फ्रेंच गुयाना और पश्चिमी गयाना स्थित है। देश की दक्षिणी सीमा ब्राजील और उत्तरी सीमा अन्ध महासागर से मिलती है। यहाँ की एकमात्र आधिकारिक भाषा डच है। सरनन टोंगो यहाँ मुख्य बोलचाल की भाषा है जो कई बार सड़कों पर बोली जाती है। देश में इसके बाद सार्वाधिक बोली जाने वाली भाषा सूरीनामी हिन्दी है जो भोजपुरी का एक रूप है और हिन्दी का ही एक रूप है।

सूरीनाम में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना 1978 में हुई थी जो सक्रिय रूप से यहाँ हिन्दी भाषा, कथक-केन्द्रित लोकनृत्य, योग और शास्त्रीय संगीत आदि का प्रचार कर रहा है। चूँकि भोजपुरी पर आधारित सूरीनामी हिन्दी से काफ़ी समानता रखता है, इसलिए यह केन्द्र का कार्य अत्यन्त प्रभावशाली है। 2015 में भारत ने केन्द्र को 29,500 अमरीकी डॉलर मुहय्या किए थे ताकि सूरीनाम में 80 स्वयंसेवी स्कूलों की सहायता सम्भव हो जिन्हें भारतीय समुदाय चलाता है। सूरीनाम के कुछ छात्र केंद्रीय हिंदी संस्थान् आगरा में पढ़ रहे हैं। सूरीनाम के हिन्दी विद्वान् सोरेड्जान परोही (Soredjan Parohi) को भोपाल में विश्व हिन्दी सम्मान सितंबर 2015 में दिया गया था।

### 4.4.02.2.6. संयुक्त राज्य अमेरिका

संयुक्त राज्य अमरीका में हिन्दी सबसे अधिक बोली जाने वाली भारतीय भाषा है। 2009 से 2013 के बीच संयुक्त राज्य अमरीका जनगणना ब्यूरो द्वारा जमा किए गए अमरीकी समुदाय सर्वे के अनुसार लगभग6.5 लाख लोग हिन्दी बोलते हैं। सर्वे से यह भी पता चला है कि 60 मिलियन से अधिक लोग अंग्रेज़ी से हटकर कोई और भाषा को घर में बोलते हैं। इन भाषाओं मे हिन्दी से अधिक केवल स्पैनिश भाषा है जिसके बोलने वालों की संख्या 37.4 मिलियन है। अमरीका के अनेक निजी स्कूलों तथा प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ायी जा रही है।

### 4.4.03. हिन्दी का अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन-अध्यापन

भारत की संस्कृति, यहाँ की भाषाएँ, संगीत, धार्मिक दर्शन आदि सदैव वैश्विक विद्वानों के शोध के विषय रहे हैं। चूँकि भारत की भाषाओं में हिन्दी देश की पहचान और यहाँ की संस्कृति, साहित्य आदि जानने का मुख्य स्रोत है, इसलिए इस भाषा को ऐसे कई देशों में पढ़ाया जाता है जहाँ साधारण रूप से हिन्दी बोली नहीं जाती है। आगे के अनुभागों में हम ऐसे ही कुछ देशों का अध्ययन करेंगे।

### 4.4.03.1. रूस

रूस में निम्नलिखित संस्थाओं में हिन्दी पढ़ाई जाती है –

i. मास्को राजकीय विश्वविद्यालय
ii. रूसी राजकीय मानविकी विश्वविद्यालय
iii. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध विश्वविद्यालय
iv. सन्त पितुरबर्ग विश्वविद्यालय
v. विद्यालय क्रमांक 19, मॉस्को
vi. फ़ार ईस्ट विश्वविद्यालय, वलादीवोस्तक

इसके अलावा रूस में भारतीय राजदूतावास जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केन्द्र का संचालन करता है। यह केन्द्र हिन्दी सीखने के इच्छुक रूसी नागरिकों के लिए नियमित कक्षाओं की व्यवस्था करता है।

### 4.4.03.2. जर्मनी

जर्मनी में विगत कई दशकों से निम्नलिखित शिक्षा संस्थाओं में हिन्दी का अध्ययन कराया जा रहा है –

i. हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय
ii. लाइपजिग विश्वविद्यालय
iii. हम्बोलैट विश्वविद्यालय
iv. बॉन विश्वविद्यालय

यहाँ हिन्दी पढ़ने वाले सभी छात्र मातृभाषा के रूप में जर्मन बोलते हैं। देश में इन सभी संस्थाओं को मिलाकर किसी भी समय हिन्दी पढ़ने वाने छात्रों की संख्या सौ के लगभग रहती है।

### 4.4.03.3. जापान

जापान में हिन्दी पढ़ने का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ 'टोकियो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरन स्टडीज़' में सन् 1908 से हिन्दी भाषा सीखने का प्रबन्ध किया गया था। 1959 से टोकियो विश्वविद्यालय और ओसाका विश्वविद्यालय में अलग हिन्दी विभाग स्थापित हुए हैं। ओसाका विश्वविद्यालय में तय्यार किए गए हिन्दी नाटकों को यहाँ के छात्रों ने भारत में प्रस्तुत भी किया है। टोकियो विश्वविद्यालय की ओर से दो शब्दकोशों – जापानी-हिन्दी और हिन्दी-जापानी शब्दकोश पर काम किया गया है और उन्हें प्रकाशित भी किया गया है।

### 4.4.03.4. चीन

चीन में भारतीय दूतावास के प्रयासों के कारण पाँच संस्थाओं में भारतीय संस्कृति के विभिन्न अध्ययन क्षेत्रों के विभाग बने हैं जिनमें कई विषयों से सम्बन्धित भारत से जुड़ी शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें हिन्दी सहित अन्य भारतीय भाषाएँ, संगीत, दर्शन आदि शामिल हैं। इन विश्वविद्यालयों के नाम इस प्रकार हैं – पेकिंग

विश्वविद्यालय, बेजिंग विदेशी अध्ययन विश्वविद्यालय, जिनान विश्वविद्यालय, शेनज़ेन विश्वविद्यालय और युन्नान विश्वविद्यालय।

आकाशवाणी ने 15 अगस्त 2015 से हर रविवार को 20 मिनट का एक कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम Xue Xi Yindiyu Jie Mu या 'आइए हिन्दी सीखें' है। इसके तहत चीन का एक परिवार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर के सानिध्य में हिन्दी भाषा सीखने का प्रयास करते हुए रेडियो पर सुनाई देता है। यह कार्यक्रम चीन में काफ़ी लोकप्रिय है। हर वर्ष हिन्दी दिवस चीन में मौजूद भारतीय दूतावास में भव्य रूप से मनाया जाता है। यह समारोह विश्वविद्यालयों और शिक्षा केन्द्रों में भी मनाया जाता है।

### 4.4.03.5. चेक गणराज्य

चेक गणराज्य के चार्ल्स विश्वविद्यालय (Charles University) के हिन्दी विभाग को भारतीय दूतावास का समर्थन प्राप्त है। विभाग को हिन्दी भाषा में पुस्तक और पत्रिकाएँ निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। चेक गणराज्य के अन्य शिक्षा संस्थाओं जैसे, परदुबित्से विश्वविद्यालय (Pardubice University) में भी हिन्दी शिक्षण का प्रबन्ध किया गया है। भारतीय दूतावास हिन्दी सीखने और भाषा बोलने की क्षमता बढ़ाने के इच्छुक विद्यार्थियों को समय-समय पर छात्रवृत्ति प्रदान करता है जिससे वे भारत आकर केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा जैसी संस्थाओं में प्रवेश लेकर हिन्दी भाषा में निष्णात हो सकते हैं। चेक गणराज्य में हिन्दी सीखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

### 4.4.04. विश्व हिन्दी सचिवालय

1975 में नागपुर में प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन के दौरान मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर शिवसागर रामगुलाम ने विश्व स्तर पर हिन्दी सम्बन्धित गतिविधियों के समन्वयन के लिए एक संस्था की स्थापना का विचार रखा। इस विचार पर भारत और मॉरीशस सरकारों के बीच सहमति हुई और 11 फ़रवरी, 2008 को विश्व हिन्दी सचिवालय का आधिकारिक रूप से कार्यारम्भ किया गया। इस सचिवालय के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं–

(i) अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी का प्रचार
(ii) संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा के तौर पर एक वैश्विक मंच तैयारी

मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व हिन्दी सचिवालय भवन के निर्माण की आधारशिला रखी थी। इस अवसर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ भी उपस्थित थे।

### 4.4.05. हिन्दी भाषा को संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषा के तौर पर मान्यता प्राप्त कराने के प्रयास

भारत सरकार सक्रिय रूप से हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संगठन की आधिकारिक भाषा बनाने के प्रयास पिछले कई वर्षों से कर रही है। इसी सन्दर्भ में 26 फ़रवरी 2003 को विदेश मामलों के मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की ताकि मामले का अध्ययन करके आवश्यक प्रयास किए जा सकें। इस लक्ष्य को देखते हुए 8वाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन 13 जुलाई 2007 को न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ जिसकी प्रारम्भिक बैठक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित हुई। इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र संगठन के अध्यक्ष बान कीमून ने की। इसके अतिरिक्त, जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, 11 फ़रवरी 2008 को मॉरिशस में विश्व हिन्दी सचिवालय का गठन हुआ जिसके निर्धारित लक्ष्य 'अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी का प्रचार' और 'संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा के तौर पर एक वैश्विक मंच तैयारी' रखे गए थे। कई अवसरों पर भारतीय नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी में वक्तव्य भी दिए। न्यूयॉर्क में स्थित भारतीय स्थायी दूतावास में इस अवसर पर दिए जा रहे वक्तव्यों के समानान्तर रूप से अंग्रेज़ी में अनुवाद के लिए विशेष व्यवस्था की गई। भारत सरकार के इन्हीं निरन्तर प्रयासों के कारण संयुक्त राष्ट्र संगठनने अपनी रेडियो वेबसाइट के कार्यक्रम हिन्दी में भी प्रसारित करना शुरू किए।

संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा छह भाषाओं में सुविधाएँ प्रदान करने का कुल खर्च 2014-2015 में 492 मिलियन अमरीकी डॉलर बताया गया था। यह मानते हुए यह आँकड़ा छह भाषाओं और दो वर्ष के लिए है, एक संयुक्त राष्ट्रभाषा का खर्च प्रति वर्ष 41 मिलियन है। इस खर्च में दस्तावेज़ों की तय्यारी, अनुवाद, शब्दानुसार रिपोर्ट की प्रस्तुति, छपाई आदि और इसी से जुड़े चारों संयुक्त राष्ट्र संगठन के कार्यालयों– न्यूयॉर्क, जेनीवा, व्याना और नइरोबी के खर्च इसमें शामिल हैं। हिन्दी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए मूल ढाँचे / उपकरण बनाने पड़ेंगे और जगह को अतिरिक्त अनुवादकों के लिए उपलब्ध कराना पड़ेगा। खर्च में किसी नयी भाषा से परिचित करने का भी खर्च होगा जो सदस्य राज्यों द्वारा मूल्यांकन के पैमाने के आधार पर उठाना पड़ेगा।

अगस्त 2015 में भारत की विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने एक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारत के लिए हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संगठन की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए सदस्य देशों के129 मतों के समर्थन की आवश्यकता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जब अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारत को 177 मत प्राप्त हो सकते हैं तो निकट भविष्य में 129 मतों का समर्थन जुटाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी।

इस प्रकार से यह कहना अनुचित नहीं होगा कई देशों में बोली जाने वाली भाषा हिन्दी निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन की आधिकारिक भाषा बनने जा रही है। हालाँकि हिन्दी पहले से कई देशों में अपने फैलाव, उपयोग और जीवित संस्कृति के कारण एक वैश्विक भाषा है, परन्तु संयुक्त राष्ट्र संगठन की आधिकारिक भाषा का दर्जा पाना इसकी पहुँच, लोकप्रियता और वैश्विक दृष्टिकोण का प्रतिबिम्ब है, जो न केवल भारत के सभी नागरिकों के लिए बल्कि पूरे संसार केहिन्दी भाषियों और हिन्दी-प्रेमियों के लिए गौरव का विषय है।

## 4.4.06. पाठ-सार

इस पाठ में हमने देखा है कि हिन्दी किस प्रकार भारत की भाषा के स्तर से आगे बढ़कर एक वैश्विक भाषा बन चुकी है। चीनी, स्पैनिश और अंग्रेज़ी के बाद हिन्दी विश्व की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। जहाँ हिन्दी को भारत और फ़िजी में आधिकारिक संरक्षण प्राप्त है, वहीं ऐसे कई देश हैं जहाँ आधिकारिक स्थान नहीं रखते हुए भी हिन्दी आबादी के एक बड़े भाग द्वारा बोली और समझी जाती है। विश्व हिन्दी सचिवालय का मॉरिशस में स्थापित होना और संयुक्त राज्य अमरीका मेंहिन्दी का सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बनना भी निश्चित रूप से हिन्दी के वैश्विक रूप का प्रतिबिम्ब है। यही नहीं, हिन्दी कई अन्य देशों की जनता द्वारा बोली जाती है, जिनमें नेपाल, सूरीनाम और गयाना सहित कई अन्य देश शामिल हैं। एक आधुनिक विदेशी भाषा के रूप में हिन्दी का अध्ययन रूस, जापान, चीन, जर्मनी, चेक गणराज्य तथा कई अन्य देशों में किया जाता है। हिन्दी संयुक्त राष्ट्र संगठन की आधिकारिक भाषा के स्थान पर प्रतिष्ठित होने के लिए सबसे प्रबल दावेदार है। यही भाषा की वैश्विक लोकप्रियता और संसार पर प्रभाव डालने की उसकी क्षमता का सबसे सकारात्मक प्रभाव है।

## 4.4.07. बोध प्रश्न

**लघु उत्तरीय प्रश्न**

1. हिन्दी भाषा पर महात्मा गाँधी के विचार व्यक्त कीजिए।
2. भारत में हिन्दी की सांवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डालिए।
3. विश्व हिन्दी सचिवालय के विषय में आप क्या जानते हैं?

**दीर्घ उत्तरीय प्रश्न**

1. निम्नलिखित देशों में हिन्दी के अध्ययन की दशा और दिशा पर टिप्पणी लिखिए –
   (i) रूस (ii) जर्मनी (iii) चीन (iv) जर्मनी
2. हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संगठन में आधिकारिक भाषा के तौर पर मान्यता दिए जाने के प्रयासों के बारे में विस्तृत रूप से लिखिए।

**वस्तुनिष्ठ प्रश्न**

1. हिन्दी दिवस कब मनाया जाता है?
   (क) 15 अगस्त
   (ख) 14 सितंबर
   (ग) 26 जनवरी
   (घ) 02 अक्तूबर

2. विश्व हिन्दी सचिवालय कहाँ स्थित है ?
   (क) नेपाल
   (ख) श्रीलंका
   (ग) मॉरिशस
   (घ) पाकिस्तान

3. इनमें से किस नेता ने हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा का दर्जा दिए जाने का समर्थन किया ?
   (क) नेलसन मंडेला
   (ख) परमानन्द झा
   (ग) बारक ओबामा
   (घ) यासर अरफ़ात

4. सूरीनाम के किस हिन्दी विद्वान् को सितंबर 2015 में भोपाल में विश्व हिन्दी सम्मान दिया गया था ?
   (क) सोरेड्ज़ान परोही
   (ख) ज़ालमान दाइम्शित्स
   (ग) एलेगज़ैन्डर कदाकिन
   (घ) गार्सा द तासी

5. 2013 की जनसंख्या के आँकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमरीका मेंहिन्दी बालने वालों संख्या कितनी है ?
   (क) 70 हज़ार
   (ख) 15 लाख
   (ग) 04 लाख
   (घ) 06.5 लाख

## 4.4.08. व्यावहारिक (प्रायोगिक) कार्य

1. 'हिन्दी : विश्व धरोहर का अभिन्न अंग' शीर्षक से एक लेख लिखिए और उसमें हिन्दी भाषा के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वैश्विक प्रभावों पर प्रकाश डालिए।
2. संयुक्त राष्ट्र संगठन की आधिकारिक भाषाओं(अंग्रेज़ी, फ़्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी और स्पैनिश) और हिन्दी भाषाओं के वैश्विक रूप पर एक तुलनात्मक निबन्ध लिखिए।

## 4.4.09. कठिन शब्दावली

1. वैश्विक भाषा – उस भाषा को वैश्विक भाषा कहा जाता है जिसके बोलने वालों की संख्या संसार की अन्य भाषाओं के बोलने वालों की संख्या से अधिक है और वे विश्व के कई देशों में फैले हुए हैं (जैसे – अंग्रेज़ी, स्पैनिश और हिन्दी) या वह भाषा जो एक विश्व का एक बड़ा क्षेत्र घेरती हो (जैसे – चीनी और रूसी)।
2. आधिकारिक भाषा – वह भाषा, जिसे किसी देश, राज्य या न्यायिक व्यवस्था में कानूनी स्थान दिया जाता है।
3. लिपि – किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने की प्रणाली को लिपि कहा जाता है। अंग्रेज़ी रोमन लिपि प्रणाली में लिखी जाती है (a, b, c ...) जबकि हिन्दी भाषा देवनागरी लिपि पर आधारित है (अ, आ, इ ...)।
4. शब्दकोश – वह ग्रन्थ, जिसमें शब्दों की वर्तनी, उनकी व्युत्पत्ति, व्याकरण-निर्देश, अर्थ, परिभाषा, प्रयोग और पदार्थ आदि का सन्निवेश होता है।
5. संयुक्त राष्ट्र संगठन – यह एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके उद्देश्य में उल्लिखित है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शान्ति के लिए काम करता है।
6. छात्रवृत्ति – किसी विद्यार्थी को शिक्षा के खर्च के लिए दी गई आर्थिक सहायता को छात्रवृत्ति (scholarship) कहा जाता है।

## 4.4.10. उपयोगी / सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची


1. An Introduction to the Languages of the World; Anatole Lyovin, Brett Kessler, William Leben; Oxford University Press, 2016
2. Through the Language Glass: Why The World Looks Different In Other Languages; Guy Deutscher; Random House, 2016
3. हिन्दी भाषा और इसकी शिक्षण विधियाँ : हिन्दी भाषा और शिक्षण विधियों की परिचायक; श्रुतिकान्त पाण्डेय; PHI Learning Pvt. Ltd., 2014
4. ऐतिहासिक भाषाविज्ञान और हिन्दी भाषा; रामविलास शर्मा; राजकमल प्रकाशन, 2001
5. राजभाषा हिन्दी और उसका विकास; डॉ० हीरालाल बाछोतिया; किताबघर प्रकाशन, 2008


❖❖❖

# खण्ड – 5 : लिपि का उदय और विकास

## इकाई – 1 : लिपि का विकास

**इकाई की रूपरेखा**


5.1.0. उद्देश्य
5.1.1. प्रस्तावना
5.1.2. लिपि (Script)
5.1.3. लिपि : विकास के चरण
  5.1.3.1. चित्र लिपि
  5.1.3.2. सूत्र लिपि
  5.1.3.3. प्रतीक लिपि
  5.1.3.4. भाव लिपि
  5.1.3.5. ध्वनिमूलक लिपि
5.1.4. देवनागरी लिपि
5.1.5. पाठ-सार
5.1.6. बोध प्रश्न
5.1.7. सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची


### 5.1.0. उद्देश्य

भाषा को परिभाषित करते हुए इसे यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था कहा गया है जिसके द्वारा मनुष्य विचार करता है और विचारों का आपस में आदान-प्रदान करता है। इस परिभाषा में एक बात ध्यान देने योग्य है कि भाषा को 'ध्वनि प्रतीकों' की व्यवस्था कहा गया है, जबकि हम इसका वाचिक और लिखित दोनों रूपों में प्रयोग करते हैं। अतः प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि फिर लिखित रूप क्या है ? भाषा का लिखित रूप उसके मौखिक रूप का अनुकरण मात्र है, जिसे 'लिपि' सम्भव बनाती है। इसे पूर्णतः समझने के लिए लिपि के स्वरूप, उद्भव और विकास पर एक दृष्टि डालना समीचीन होगा। प्रस्तुत पाठ में आप इससे परिचित हो सकेंगे।

प्रस्तुत पाठ का अध्ययन करने के उपरान्त आप –

i. लिपि के स्वरूप का परिचय पा सकेंगे।
ii. लिपि के उद्भव और विकास को जान सकेंगे।
iii. लिपि के विविध रूपों को कालक्रम में समझ सकेंगे।
iv. 'लिपि' से आरम्भ करके 'देवनागरी लिपि' तक के परिप्रेक्ष्य पर एक दृष्टि डाल सकेंगे।

## 5.1.1. प्रस्तावना

भाषा का मूल रूप 'वाचिक' (बोला गया रूप) है। इसका कारण मानव सभ्यता के विकास में छुपा है। आदिकाल में मनुष्य के पूर्वज जंगलों में रहते थे तथा अन्य प्राणियों की तरह ही जीवन-निर्वाह करते थे। समय के साथ जब लोगों ने संगठित होकर रहना आरम्भ किया तो उन्होंने आपसी सम्प्रेषण के लिए कुछ संकेतों का प्रयोग आरम्भ किया। ये संकेत आंगिक संकेत एवं ध्वन्यात्मकसंकेत थे, जिनमें धीरे-धीरे ध्वनि प्रतीक अधिक कारगर साबित हुए। अतः क्रमिक विकास में ध्वनि प्रतीकों की संख्या बढ़ती गई और एक व्यवस्था का विकास हुआ, जिसे आज हम 'भाषा' के नाम से जानते हैं। मानव सभ्यता के विकास क्रम में भाषा का विकास कब हुआ ? इसके ठीक-ठीक प्रमाण नहीं होने के बावजूद इसे एक लाख वर्ष से अधिक पहले से माना जाता है।

ध्वनि-प्रतीकों की व्यवस्था के रूप में भाषा के माध्यम से आपसी सम्प्रेषण तो सम्भव हो गया किन्तु वाचिक रूप में भाषिक सामग्री को लम्बे समय तक रखना अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर प्रयोग करना सम्भव नहीं था, क्योंकि वाचिक भाषा में कही गई बात तो बोलने के तुरन्त बाद ध्वनि तरंगों के रूप में वायुमण्डल में विलीन हो जाती है। इसी कारण वाचिक रूप से कही गई बात को चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। चित्रों के रूप में संकल्पनाओं को प्रस्तुत करने की अपनी सीमाएँ हैं, जैसे, कार्यों को चित्र के माध्यम से पूरी तरह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, सभी चीजों को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करने पर चित्रों की की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। इसीलिए कालान्तर में ध्वनि प्रतीकों के समानान्तर की कुछ लिपि चिह्नों का विकास किया गया और इस प्रकार धीरे-धीरे भाषा का 'लिखित' रूप विकसित हुआ। लिखित रूप में प्रयुक्त होने वाले चिह्नों का संकलन 'लिपि' है।

लिपि के कारण ही आज अपनी बात लिखकर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना और बाद में प्रयोग के लिए भी संगृहीत करने रखना सम्भव हो सका है। लिखित रूप दृश्यपरक होने के कारण अधिक ग्राह्य और लोकप्रिय है। भले ही आज के तकनीकी युग में टेपरिकार्डर का विकास हो जाने के बाद वाचिक भाषिक सामग्री को उसी रूप में संगृहीत करना सम्भव हो गया है। किन्तु केवल वाचिक रूप को रिकार्ड करके संगृहीत करके सभी प्रकार के कार्य नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए पुस्तक के रूप संगृहीत सामग्री को पढ़कर जितनी रुचि और गहनता के साथ समझा जा सकता है उतनी ही रुचि और गहनता के साथ बोलकर रिकार्ड की गई सामग्री को सुनकर समझा नहीं जा सकता। कंप्यूटर में भी भाषायी सामग्री का सबसे अधिक संग्रह लिखित रूप में ही होता है। इसके लिए सम्बन्धित सामग्री का कुंजीपटल के माध्यम से टंकण किया जाता है। वैसे तो दृश्य-श्रव्य (ऑडियो-विजुअल) सामग्री भी धीरे-धीरे प्रसिद्ध हो रही है, किन्तु उसमें भी लिखित सामग्री का ही अधिक महत्त्व है।

## 5.1.2. लिपि (Script)

लिपि ऐसे दृश्य प्रतीकों का संग्रह है जिनका प्रयोग करके अपने विचारों, सूचनाओं आदि को लिखित रूप से सम्प्रेषण किया जाता है। लिपि चिह्नों के माध्यम से लेखन किया जाता है। लिपि को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है – "लिपि कुछ सीमित चिह्नों और संकेतों के चित्रात्मक प्रस्तुति की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से भाषिक सामग्री (ध्वनि / स्वन, शब्द, वाक्य, प्रोक्ति) को किसी भौतिक साधन (कागज, कपड़ा, पत्थर आदि) पर अंकित किया जाता है। लिपि भाषिक सामग्री के संरक्षण का आधार है।" जब हम बोलकर कोई बात कहते हैं तो बोलने से उत्पन्न ध्वनि तरंगें तुरन्त बाह्य वातावरण में विलीन हो जाती हैं। इसलिए एक बार कही हुई बात का बार-बार उपयोग नहीं किया जा सकता। लिपि ही हमें यह व्यवस्था देती है कि एक बार अपने विचारों को लिखित रूप से व्यक्त करके उन्हें संगृहीत करें और उनका बार-बार उपयोग करें। लिपि चिह्नों के माध्यम से संगृहीत सामग्री की समय और स्थान की दृष्टि से कोई सीमा नहीं होती। अर्थात् लिखित सामग्री को कोई भी कहीं भी ले जा सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। इसी प्रकार एक बार लिखे जाने के पश्चात् उस सामग्री का उपयोग युगों-युगों तक होता रहता है, जैसे – पुस्तक, पाण्डुलिपि, शिलालेख आदि को कभी भी कहीं भी ले जाया जा सकता है। यदि आज लाखों-करोड़ों की संख्या में पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं आदि का लेखन, प्रकाशन और प्रयोग सम्भव हो सका है तो उसका कारण 'लिपि' का विकास या भाषा के लिखित रूप का विकास ही है।

'लिपि' के अविष्कार का मानव सभ्यता के विकास में अतुलनीय योगदान है। आज लिखित स्वरूप के बिना ज्ञान के इतने विस्तार और प्रचार-प्रसार की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन सबके बावजूद लिखित भाषा की भी अपनी सीमाएँ हैं, जैसे – भाषावैज्ञानिकों द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि भाषा हमारी सभी प्रकार की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकती। भाषा के लिखित रूप में तो भावनाएँ और कम प्रकट होती हैं, क्योंकि वाचिक व्यवहार में वक्ता उपस्थित रहता है और उसके आंगिक संकेतों से बहुत-सी उन बातों का भी अनुमान कर लिया जाता है, जो बोली नहीं गई हों। साथ ही ध्वनियों के खंडेतर अभिलक्षण (सुर, तान, अनुतान, दाब आदि) भी वक्ता के मंतव्य को समझाने में आधारभूत भूमिका निभाते हैं। किन्तु लिखित भाषा में 'आंगिक संकेतों' तथा ध्वनि के खंडेतर अभिलक्षणों का अभाव होता है। इसलिए भावनात्मक अभिव्यक्तियों को लिखित रूप में बहुत कम ही सम्प्रेषित किया जा सकता है।

## 5.1.3. लिपि : विकास के चरण

लिपि के वर्तमान स्वरूप को समझने के लिए इसकी उत्पत्ति एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक संक्षिप्त दृष्टि डालना समीचीन होगा। उत्पत्ति की दृष्टि से बात करें तो 'लिपि' की उत्पत्ति कब और कैसे हुई ? इस सम्बन्ध में ठोस प्रमाण या उन पर आधारित सिद्धान्त उपलब्ध नहीं हैं। पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर हम केवल अनुमान ही कर सकते हैं। इसके विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। इतना तो स्पष्ट कहा जा सकता है कि लिपि की उत्पत्ति मानव सभ्यता और भाषा के विकास के बहुत बाद में हुई। भाषा के विकास के सापेक्ष लिपि के विकास को देखा जाए तो भाषा का विकास लाखों वर्ष पहले हो गया था

जबकि लिपि के विकास को पाँच-दस हजार वर्ष पूर्व से अधिक पुराना मानना कठिन हो जाता है। मानव समाज और सभ्यता के विकासक्रम में लिपि का कई चरणों और रूपों में विकास हुआ है। इस विकासक्रम को कुछ भाषाविदों, जैसे – देवेन्द्रनाथ शर्मा, दीप्ति शर्मा आदि ने तीन चरणों में विभक्त किया है – (i) चित्र लिपि, (ii) भाव लिपि और (iii) ध्वनि लिपि।

किन्तु कुछ भाषाविदों, जैसे, राजमणि शर्मा आदि ने इसके पाँच चरण और स्वरूप बताए हैं – (i) चित्र लिपि, (ii) सूत्र लिपि, (iii) प्रतीक लिपि, (iv) भाव लिपि एवं (v) ध्वनि लिपि।

इनके अलावा पश्चिमी भाषाविदों ने विभिन्न सभ्यताओं के नाम पर भी लिपि के इतिहास पर विचार किया है, जैसे – http://port.sas.ac.uk/mod/book/view.php?id=891&chapterid=501 पर लिपियों के नाम इस प्रकार से दिए गए हैं – The Roman Scripts, The Insular Scripts (Anglo-Saxon Minuscule), Caroline Minuscule, Protogothic Script, The Gothic Scripts-Textualis, The Gothic Scripts-Cursive.

समग्रतः स्वरूप के आधार पर लिपि के विकास को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है –

### 5.1.3.1. चित्र लिपि

यह मानव सभ्यता की सबसे पुरानी अभिव्यक्ति व्यवस्था है। इसके काल को 'आरम्भिक काल' कहा जाता है। इसमें वर्ण या वर्ण समूह नहीं होते थे बल्कि दीवारों, गुफाओं, पत्थरों बड़ी-बड़ी लकड़ियों आदि की सतहों पर टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओं द्वारा चित्र उकेरकर अपनी बात को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया जाता था। इसी कारण इन्हें 'चित्र लिपि' कहा गया है। सभी पुरानी सभ्यताओं के अवशेषों में इनके नमूने प्राप्त होते हैं। ऐसा एक उदाहरण देखा जा सकता है, जिन्हें (Proto-Elamite लिपिचिह्न) कहते हैं –

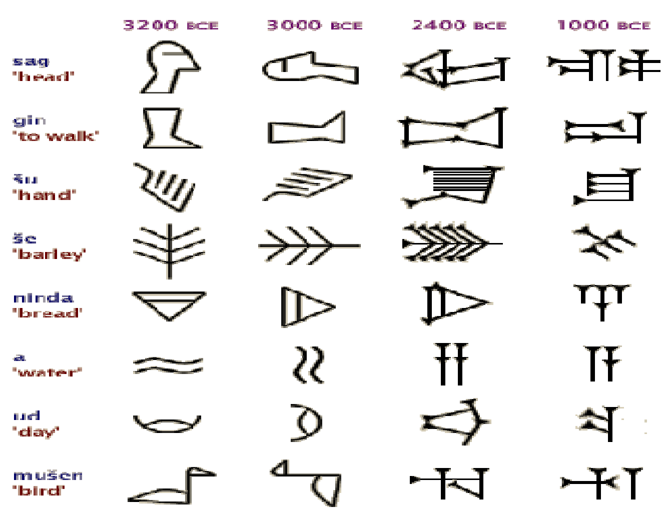


https://notsincenineveh.wordpress.com/2010/10/05/evolution–of–cuneiform–script/

इसी प्रकार सिन्धु घाटी सभ्यता के कुछ चित्रात्मक प्रतीकों को देखा जा सकता है –

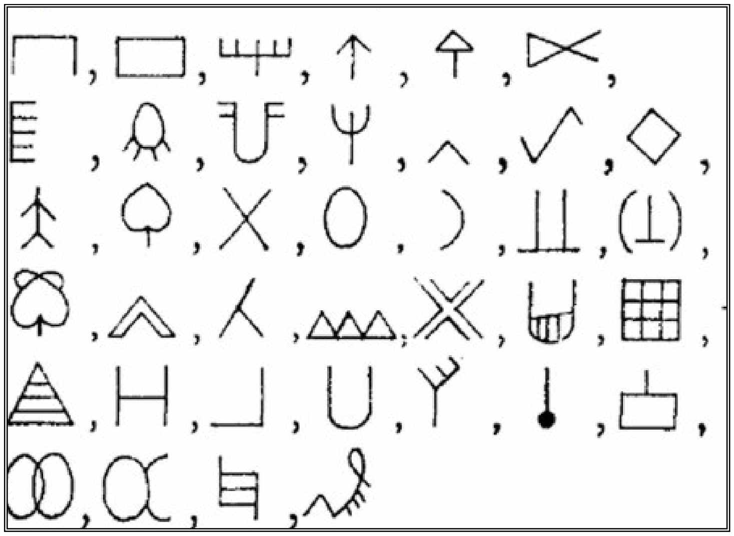

https://makingindiaonline.in/online–news–in–hindi/2016/05/31/history–sindhu–ghati–lipi–communist–historians/

## 5.1.3.2. सूत्र लिपि

यह भी लिपि पूर्व स्थिति ही है। इसमें बातों को याद रखने की पारम्परिक विधियाँ आती हैं, जिनके अनेक प्रमाण भारत, चीन, जापान, तिब्बत, बांग्लादेश आदि में प्राप्त होते हैं। धार्मिक कार्यक्रमों की शब्दावली में गाँठ बाँधना, शिखा बन्धन आदि के अपने अर्थ हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा भी इस पद्धति का प्रयोग देखा जा सकता है। सूत्रलिपि के सम्बन्ध में डॉ॰ राजमणि शर्मा ने कहा है, "लिपि के विकास की यह दूसरी कड़ी है। प्राचीनकाल में रस्सी और पेड़ों की छाल में गाँठ दे दी जाती थी। व्याकरण या दर्शनशास्त्र के सूत्र भी इसी परम्परा की ओर उन्मुख करते हैं। आज 'गाँठ बाँधना' जो मुहावरा प्रचलित है उसका भी यही अर्थ होता है कि इसे पूर्ण रूप से स्मरण कर लीजिए।"

## 5.1.3.3. प्रतीक लिपि

यह मूलतः सांकेतिक रूप से सूचनाओं के सम्प्रेषण से सम्बन्धित है, जैसे – खतरा होने पर लाल कपड़ा दिखाना, या दो हड्डियों के बीच खोपड़ी रखना आदि। वास्तव में इस काल में ही चित्रों को भाव-विशेष या संकेत-विशेष के लिए समाज द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता था। इसी प्रकार के चित्रों से आरम्भ होकर धीरे-धीरे यादृच्छिक लिपि चिह्नों का विकास हुआ, जिनका संकेतित वस्तु से कोईसम्बन्ध नहीं होता। इसके विकास के काल को 'मध्यकाल' नाम दिया गया है। बिजली के खम्भों पर प्रयुक्त होने वाले सुप्रसिद्ध चित्र द्वारा इसे समझा जा सकता है –

लिपि विकास के इस चरण में कई प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग होता था। प्रत्येक प्रतीक एक वस्तु, भाव या कार्य को प्रकट करता था। उदाहरण के लिए कुछ प्रतीक-चिह्नों के अंकन को इस प्रकार से देख सकते हैं –

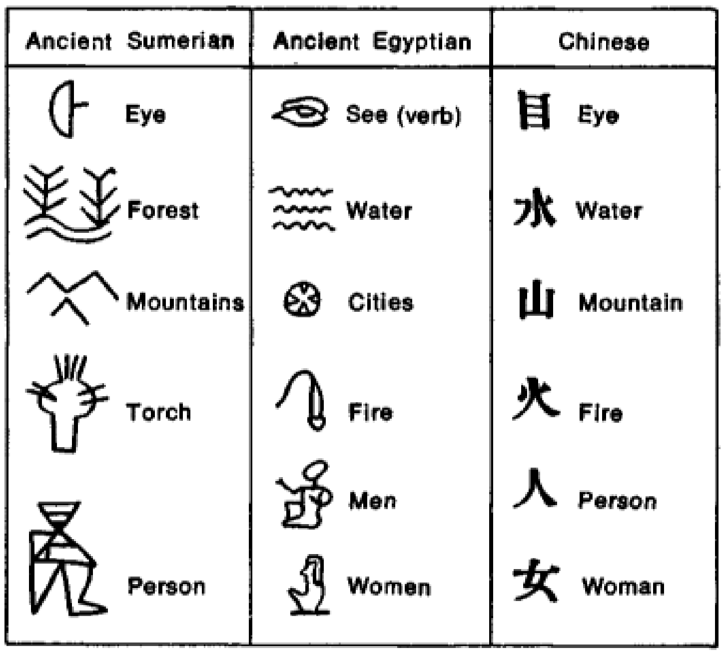

| Ancient Sumerian | Ancient Egyptian | Chinese |
|---|---|---|
| Eye | See (verb) | 目 Eye |
| Forest | Water | 水 Water |
| Mountains | Cities | 山 Mountain |
| Torch | Fire | 火 Fire |
| | Men | 人 Person |
| Person | Women | 女 Woman |

https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Ideographic+Writing

## 5.1.3.4. भाव लिपि

भावलिपि कई चित्रों को शृंखलाबद्ध रूप से रेखांकित करते हुए एक विचार या भाव को सम्प्रेषित करने की व्यवस्था है। इसके विकास के काल को 'उत्तर मध्यकाल' नाम दिया गया है। यह सांकेतिक चित्र-प्रतीकों अथवा उनके संयोजन के माध्यम से भावों व्यक्त करने की सुविधा प्रदान करती है। इन्हीं से आधुनिक लिपियों का विकास हुआ। भावलिपि का विकास चित्रों के अमूर्तीकरण से हुआ। उदाहरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति द्वारा बनाया गया मनुष्य का चित्र अलग-अलग होगा। प्रत्येक बार अभिव्यक्ति का निर्माण करते हुए पूरी तरह से मनुष्य की आकृति का निर्माण सम्भव भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक समय लगेगा। अतः केवल कुछ ऐसी रेखाओं का संयोजन ही पर्याप्त है जिनसे मनुष्य की अभिव्यक्ति हो जाए। विकास की इस प्रक्रिया को निम्नलिखित चित्र में देख सकते हैं –

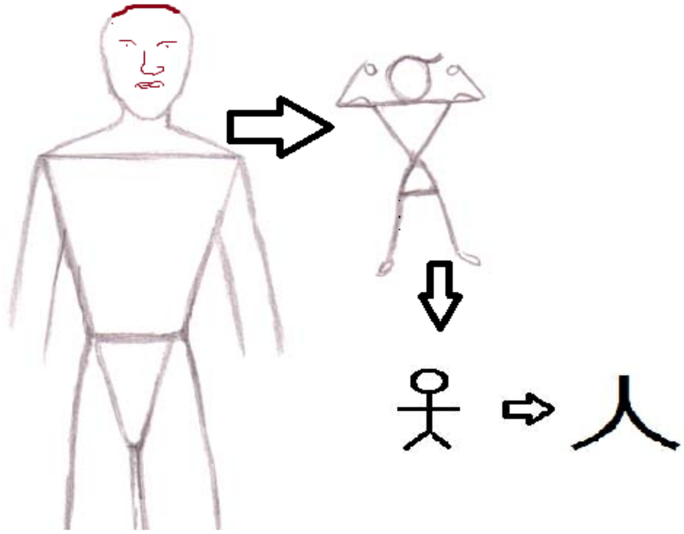

इसी प्रकार के रैखिक विकास द्वारा चित्रों से धीरे-धीरे अमूर्तीकृत होते हुए भावों के द्योतक और फिर ध्वनियों अथवा अक्षरों के द्योतक चिह्नों का उद् भव हुआ और उनका समूहन चित्रलिपि, भावलिपि तथा ध्वनिमूलक लिपि में किया गया।

भावलिपि के विकास से चित्रलिपि की तुलना में कई प्रकार की सुविधाएँ हो गईं, जैसे –

(i) प्रत्येक चित्र का आकार बहुत कम हो गया।
(ii) इससे वस्तु के अलावा गुण और कार्य या घटना का अंकन भी सरल होगया।
(iii) भावों को प्रस्तुत करने वाले चिह्नों का समूहन सम्भव हो गया।
(iv) वास्तव में 'लिपि' की संकल्पना सम्भव हो सकी, क्योंकि जहाँ चित्र बनाए जा रहे थे, वहाँ कोई ऐसा समूहन नहीं हो सकता था, जिसे लिपि कहा जाए।

### 5.1.3.5. ध्वनिमूलक लिपि

ध्वनिमूलक लिपि वर्तमान में प्रयुक्त हो रही सभी लिपियों का समेकित नाम है। इसके विकासकाल को 'आधुनिककाल' नाम दिया गया है। इस लिपि में भाषा के प्रत्येक स्वन या ध्वनि के लिए एक चिह्न (वर्ण या अक्षर) निर्धारित कर दिया जाता है। उस चिह्न (वर्ण या अक्षर) का उच्चारण भी उसी तरह होता है। इन वर्णों या चिह्नों को मिलाकर शब्द और शब्दों को मिलाकर वाक्य निर्मित किए जाते हैं। सभी आधुनिक लिपियाँ इसी प्रकार की लिपियाँ हैं। 'देवनागरी' भी इन्हीं में से एक है। ध्वनिमूलक लिपियों का विकास भाषा के लिखित रूप के प्रयोग की दृष्टि से क्रान्तिकारी घटना हुई है। इससे सूचनाओं या ज्ञान की वैसे ही अभिव्यक्ति सम्भव हो सकी है, जैसे हम भाषा के वाचिक रूप में करते हैं। केवल आंगिक संकेतों के लिए चिह्न नहीं प्राप्त होते, अन्यथा भाषा में जो कुछ भी बोलकर बताया जा सकता है, वह भावलिपियों के माध्यम से लिखकर भी सम्प्रेषित किया जा सकता है।

लेखन-क्रम की दृष्टि से आधुनिक ध्वनिमूलक लिपियों में अन्तर पाया जाता है। कुछ लिपियाँ दाएँ-से-बाएँ लिखी जाती हैं तो कुछ बाएँ-से-दाएँ। दाएँ-से-बाएँ और बाएँ-से-दाएँ लेखन-क्रम वाली लिपियों को रैखिक लिपि (linear script) कहा जाता है। उदाहरण के लिए 'अरबी-फ़ारसी लिपि' में दाएँ-से-बाएँ लिखा जाता है, जबकि 'देवनागरी लिपि' में बाएँ-से-दाएँ लिखा जाता है। इसी प्रकार कुछ लिपियों में ऊपर से नीचे भी लेखन होता है, जैसे – जापानी लेखन के लिए प्रयुक्त हिरागाना, काताकाना तथा कांजी लिपियाँ। इसी प्रकार ध्वनियों के अनुकरण की दृष्टि से भी लिपियों के दो प्रकार किए जा सकते हैं – (i) ध्वन्यात्मक (Phonetic) और (ii) आक्षरिक (Syllebic)। ध्वन्यात्मक लिपियों के लिपि-चिह्न ध्वनि-प्रतीकों का अनुकरण करते हैं तथा आक्षरिक लिपियों के चिह्न अक्षरों का अनुकरण करते हैं। अभी तक कोई भी ऐसी स्वाभाविक लिपि नहीं प्राप्त हो सकी है जो किसी भाषा की ध्वनियों का पूरी तरह से अनुकरण करती हो। 'देवनागरी' को कुछ हद तक ऐसा माना जाता है। भाषावैज्ञानिकों द्वारा ध्वनियों का वैसे ही उच्चारण सुनिश्चित करने के लिए 'अन्तर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला' (International Phonetic Alphabet – IPA) का विकास किया गया है, किन्तु इसमें प्रत्येक प्रतीक के उच्चारण का अभ्यास करना बहुत कठिन कार्य है। एक 'अक्षर' में वे सभी ध्वनि-प्रतीक आते हैं, जिनका उच्चारण एक साथ (एक श्वासाघात में) किया जाता है। स्वर-व्यंजन की दृष्टि से कहा जाए तो जिनमें कम-से-कम एक स्वर हो। इसी प्रकार कुछ लिपियाँ 'वर्णमूलक' (Alphabetic) भी होती हैं, जैसे – रोमन वर्णमूलक लिपि है।

ध्वनिमूलक लिपियों के लिपि चिह्न ध्वनि-प्रतीकों के अनुकरण के अनुसार बनाए जाते हैं। इसलिए इनके प्रयोग में स्वर-व्यंजनों का संयोजन भी देखने को मिलता है, जिसे भाषावैज्ञानिक विवेचन में सामान्यतः रोमन लिपि के संक्षिप्ताक्षरों – स्वर (Vowel – V), व्यंजन (Consonant – C) के संयोजनों – CV, CCV, VCV आदि के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।

## 5.1.4. देवनागरी लिपि

देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास को समझने के लिए लिपि के भारतीय परिप्रेक्ष्य पर एक दृष्टि डालनी होगी, जिसकी विस्तृत चर्चा आगे की इकाइयों में की जाएगी। भारत में लिपि का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। इसके प्राचीनतम नमूने सिन्धु घाटी सभ्यता में देखे जा सकते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो 'ब्राह्मी' और 'खरोष्ठी' भारत की सबसे प्राचीन लिपियाँ हैं। देवनागरी लिपि का विकास को ब्राह्मी लिपि हुआ है। अरबी-फ़ारसी को छोड़कर भारत की सभी वर्तमान लिपियों का उद्भव ब्राह्मी से ही माना जाता है। इसके आरम्भिक रूप को नागरी भी कहा गया है। इसके आरम्भिक रूप के सन्दर्भ में डॉ॰ रामकिशोर शर्मा ने बताया है, "बोधगया के महानाम शिलालेख में और लेखमण्डल की प्रशस्ति में (588 ई.) नागरी के कतिपय लक्षण स्पष्ट होने लगते हैं। सातवीं शताब्दी में ये लक्षण और भी स्पष्ट हो गए थे और आठवीं शताब्दी तक तो देवनागरी पूर्णतया विकसित हो गई थी।"

अधिकांश विद्वानों द्वारा देवनागरी लिपि को विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि माना जाता है। इसमें स्वरों और व्यंजनों को अत्यन्त व्यवस्थित विधि से वर्गीकृत किया गया है। मूल रूप से देवनागरी का विकास संस्कृत के लिए किया गया था। समय के साथ यह हिन्दी सहित अन्य भारतीय आर्यभाषाओं की भी लिपि बनी। हिन्दी एक आधुनिक आर्यभाषा है जिसका विकास संस्कृत से ही हुआ है, किन्तु समय के साथ इस पर अरबी / फ़ारसी और अंग्रेजी आदि भाषाओं का भी प्रभाव पड़ा है। इसी कारण इसमें कुछ आगत वर्णों का भी समावेश हुआ है तथा संस्कृत के 'लृ' जैसे वर्ण अप्रचलित हो गए हैं। हिन्दी के लिए प्रयुक्त होने वाली देवनागरी का वर्तमान स्वरूप इस प्रकार है –

| | **मूल** | **आगत** |
|---|---|---|
| **स्वर –** | | |
| | अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ (ऋ) | ऑ |
| **मात्राएँ –** | | |
| | ा ि ी ु ू े ै ो ौ (ृ) | ॉ |
| **अनुस्वार/अनुनासिक –** | | |
| | अं = ं , अँ = ँ | |
| **विसर्ग –** | | |
| | अः = ः | |
| **व्यंजन वर्ण –** | | |
| | क ख ग घ ङ | क़ ख़ ग़ |
| | च छ ज झ ञ | ज़ |
| | ट ठ ड ढ ण | ड़ ढ़ |
| | त थ द ध न | |
| | प फ ब भ म | फ़ |
| | य र ल व श ष स ह | क्ष त्र ज्ञ (संयुक्त) |

## 5.1.5. पाठ-सार

'लिपि' भाषा के वाचिक रूप को लिखित स्वरूप प्रदान करके उसे स्थायित्व को ओर बढ़ाने का माध्यम है। लिपि का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। भाषा के वाचिक स्वरूप के सापेक्ष लिपि का इतिहास बहुत कम पुराना है, इस पर सभी विद्वान् सहमत हैं। भाषा की उत्पत्ति जहाँ लाखों साल पहले हुई, वहीं लिपि की उत्पत्ति हजारों साल पहले। लिपि के विकास के सन्दर्भ में यह नहीं कहा जा सकता कि भाषायी समाज द्वारा पहले लिपि चिह्न निर्धारित किए गए और उसके बाद लेखन का आरम्भ हुआ, बल्कि इसका आरम्भ चित्रों से हुआ। आरम्भ में हमारे पूर्वज अपने आस-पास जिन चीजों को देखते थे या जो चीजें उन्हें प्रभावित करती थी, उनके चित्र वे गुफाओं, शिलाओं आदि पर तैयार करते थे। यह सूचनाओं को दर्ज करने की सबसे आरम्भिक पद्धति थी। धीरे-धीरे इन्हीं चित्रों के भाव रूप (abstract form) विकसित होने लगे। इन भाव चिह्नों में वस्तु के चित्र न होकर केवल उन्हें व्यक्त कर सकने वाली रेखाएँ होती थीं। जैसे-जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, वैसे-

वैसे शब्द-भण्डार और अभिव्यक्ति व्यवस्था में विस्तार हुआ। अब प्रत्येक शब्द के लिए एक चित्र या भाव-चिह्न प्रदान करना सम्भव नहीं रहा। इससे ध्वनिमूलक लिपियों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसमें प्रत्येक शब्द के लिए उसमें निहित ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले चिह्नों का प्रयोग किया जाने लगा। यही अवस्था विभिन्न परिवर्तनों और संशोधनों के साथ आज तक बनी हुई है।

ब्राह्मी और खरोष्ठी भारत की दो प्राचीन लिपियाँ है। हिन्दी और अन्य अधिकांश आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं की लिपि 'देवनागरी' है। इसका विकास 'ब्राह्मी' लिपि से हुआ है। देवनागरी का विकास मूल रूप से संस्कृत के लिए हुआ था। समय के साथ होने वाले संशोधन-परिवर्धन के साथ यह आज हिन्दी और अन्य भारतीय आर्यभाषाओं की लिपि है। प्राचीन देवनागरी से आधुनिक देवनागरी के विकास में कुछ लिपिचिह्न लुप्त हुए हैं तो कुछ नये लिपि चिह्न जुड़े हैं। इसी प्रकार कुछ लिपि चिह्नों के आकार एवं स्वरूप में परिवर्तन भी हुआ है, जिसकी विस्तृत चर्चा आगे की इकाइयों में की जाएगी।

## 5.1.6. बोध प्रश्न

**बहुविकल्पीय प्रश्न**

1. भाषा का मूल रूप क्या है ?
   (क) वाचिक
   (ख) लिखित
   (ग) उपर्युक्त दोनों
   (घ) इनमें से कोई नहीं

सही उत्तर : (क) वाचिक

2. निम्नलिखित में से किसका सम्बन्ध लिपि के विकास-क्रम से नहीं है ?
   (क) चित्र लिपि
   (ख) भाव लिपि
   (ग) ध्वनि लिपि
   (घ) देवनागरी लिपि

सही उत्तर : (घ) देवनागरी लिपि

3. भाव-लिपि के विकास का समय क्या है ?
   (क) प्राचीनकाल
   (ख) मध्यकाल
   (ग) उत्तर मध्यकाल
   (घ) इनमें से कोई नहीं

सही उत्तर : (ग) उत्तर मध्यकाल

4. भावलिपि के विकास से कौन-सा परिवर्तन नहीं हुआ ?
   (क) प्रत्येक चित्र का आकार बहुत कम हो गया।
   (ख) वस्तु के अलावा गुण और कार्य या घटना का अंकन भी सरल होगया।
   (ग) भावों को प्रस्तुत करने वाले चिह्नों का समूहन सम्भव हो गया।
   (घ) शब्दों की संख्या में कमी आई।

सही उत्तर : (घ) शब्दों की संख्या में कमी आई।

5. देवनागरी किस तरह की लिपि है ?
   (क) चित्र लिपि
   (ख) भाव लिपि
   (ग) ध्वनि लिपि
   (घ) प्रतीक लिपि

सही उत्तर : (ग) ध्वनि लिपि

**लघु उत्तरीय प्रश्न**

1. लिपि के विकास के चरणों के नाम बताइए।
2. सूत्र लिपि की अवधारणा को व्याख्यायित कीजिए।
3. प्रतीक लिपि की सोदाहरण चर्चा कीजिए।
4. भाव लिपि के विकास से क्या लाभ हुए ?
5. देवनागरी ध्वनिमूलक लिपि क्यों है ? संक्षेप में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।

**दीर्घ उत्तरीय प्रश्न**

1. लिपि क्या है ? विस्तार से समझाइए।
2. चित्र लिपि की सोदाहरण चर्चा कीजिए।
3. भाव लिपि से आप क्या समझते हैं ? विस्तार से बताइए।
4. ध्वनिमूलक लिपि के स्वरूप को सोदाहरण समझाइए।
5. देवनागरी लिपि के वर्तमान स्वरूप पर टिप्पणी लिखिए।

## 5.1.7. सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

1. तिवारी, भोलानाथ (2009). भाषा विज्ञान. इलाहाबाद. किताब महल प्रकाशन.
2. द्विवेदी, कपिलदेव (2002). भाषाविज्ञान और भाषाशास्त्र. चौक वाराणसी. विश्वविद्यालय प्रकाशन.
3. पाण्डेय, कैलाश नाथ (2006). भाषाविज्ञान का रसायन. गाजीपुर. गाजीपुर साहित्य संसद.
4. शर्मा, देवेन्द्रनाथ, शर्मा, दीप्ति (2001). भाषाविज्ञान की भूमिका. नयी दिल्ली. राधाकृष्ण प्रकाशन.

5. शर्मा, राजमणि (2007). आधुनिक भाषाविज्ञान. नयी दिल्ली. वाणी प्रकाशन.
6. शर्मा, रामकिशोर (2007). भाषाविज्ञान, हिन्दी भाषा और लिपि. इलाहाबाद. लोकभारती प्रकाशन.
7. सहाय, शिवस्वरूप (2008). भारतीय पुरालेखों का अध्ययन. दिल्ली. मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन.


**उपयोगी इंटरनेट स्रोत :**


1. https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_writing
2. https://www.ancient.eu/script/
3. http://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=18
4. http://www.hindisamay.com/
5. http://hindinest.com/
6. http://www.dli.ernet.in/
7. http://www.archive.org


❖❖❖

## खण्ड – 5 : लिपि का उदय और विकास

## इकाई – 2 : भारतीय लिपियाँ और देवनागरी लिपि

**इकाई की रूपरेखा**


5.2.0. उद्देश्य
5.2.1. प्रस्तावना
5.2.2. लिपि का आविष्कार
5.2.3. ब्राह्मी का उद्भव और विकास
5.2.4. ब्राह्मी लिपि से भारतीय लिपियों का विकास
5.2.5. भारतीय लिपियाँ
   5.2.5.1. देवनागरी लिपि
   5.2.5.2. शारदा लिपि
   5.2.5.3. बांग्ला-असमिया-उड़िया लिपि
   5.2.5.4. तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि
   5.2.5.5. तेलुगु लिपि
   5.2.5.6. तमिल लिपि
   5.2.5.7. गुरुमुखी लिपि
   5.2.5.8. गुजराती लिपि
5.2.6. भारतीय लिपियों में समानता
5.2.7. पाठ-सार
5.2.8. बोध प्रश्न
5.2.9. सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची


### 5.2.0. उद्देश्य

प्रस्तुत पाठ का अध्ययन करने के उपरान्त आप –

i. भाषा और लिपि के अन्तस्सम्बन्ध को समझा सकेंगे।
ii. लिपि के विकास के बारे में जानकारी प्राप्त कर ब्राह्मी लिपि का उद्भव जान पाएँगे।
iii. ब्राह्मी लिपि से भारतीय लिपियों के विकास के बारे में बता सकेंगे।
iv. भारत की वर्तमान लिपियों का परिचय प्राप्त कर सकेंगे और भारतीय लिपियों में आधारभूत समानता के बारे में जान पाएँगे।

## 5.2.1. प्रस्तावना

मानव के महान आविष्कारों में लिपि का स्थान सर्वोपरि है। मानव सभ्यता का इतिहास कुछ हज़ार वर्षों का ही है। इसी दौरान भाषा का विकास हुआ। भाषा शुरू में मौखिक ही थी। मानव समाज जब ताम्रयुग में पहुँचता है और नदी घाटी सभ्यताओं में नगरों की स्थापना होने लगती है, तब लिपियों का भी जन्म होने लगता है। मानव को अपने विचारों को सुरक्षित रखने के लिए लिपि का आविष्कार करना पड़ा।

मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की आरम्भिक लिपियाँ मुख्यतः भाव-चित्रात्मक लिपियाँ थीं। सिन्धु सभ्यता की लिपि का स्वरूप क्या था, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। ईसा पूर्व दसवीं शताब्दी के आस-पास वर्णमालात्मक लिपियों का जन्म होता हैं। विश्व की कई पुरालिपियाँ अब लुप्त हो चुकी हैं। पिछले लगभग दो सौ वर्षों में संसार के अनेक पुरालिपिविदों द्वारा कई पुरालिपियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है।

एशिया के पश्चिमी तट पर ई.पू. दूसरी सहस्त्राब्दी में सेमेटिक (सामी) भाषा-परिवार के लिए एक अक्षरमालात्मक लिपि अस्तित्व में आई। 1000 ई. पू. के आस-पास इस लिपि ने व्यंजनात्मक या वर्णमालात्मक रूप धारण किया। उस समय की इस लिपि को 'उत्तरी सेमेटिक' या 'फिनीशियन' नाम से जाना जाता था। यूनानी लिपि स्पष्टतः फिनीशियन लिपि के आधार पर ही विकसित हुई। आज यूरोप, अमरीका और संसार के कई अन्य देशों में जिन लिपियों का चलन है, वे सब इसी यूनानी लिपि तथा इससे विकसित लैटिन अथवा रोमन लिपि से ही विकसित हुई हैं। दूसरी ओर यूनानी-पूर्व की इस उत्तरी सेमेटिक लिपि ने आरमेई, खरोष्ठी, पहलवी और अरबी जैसी लिपियों को जन्म दिया।

प्राचीनकाल से ही लेखन-कला को पवित्र माना जाता रहा है। प्रायः सभी प्राचीन सभ्यताओं ने अपनी लिपियों के आविष्कर्ता के रूप में किसी-न-किसी देवता की कल्पना की है। प्राचीन मिस्र में थोत को लेखन का देवता माना जाता था। बेबीलोन में लेखन का देवता नेबो था। प्राचीन यहूदी परम्परा के अनुसार लिपि के जनक पैगंबर मूसा थे। इस्लाम की मान्यता है कि अल्लाह ने ही अक्षर बनाए और आदम को सौंपे। कुछ यूनानी अनुश्रुतियों में हेर्मेस को यूनानी लिपि का जनक बताया गया है। भारत में भी यह मान्यता रही है कि लिपि के निर्माता ब्रह्मा हैं और शायद इसीलिए हमारे देश की प्राचीन लिपि का नाम ब्राह्मी पड़ा। इसी ब्राह्मी से उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम की सारी भारतीय लिपियों का विकास हुआ है। श्रीलंका की सिंहल लिपि का विकास भी ब्राह्मी से हुआ है। ब्राह्मी लिपि से विकसित होने के कारण समस्त भारतीय लिपियों में काफ़ी समानता मिलती है। ब्राह्मी आक्षरिक लिपि थी और यही आक्षरिकता उससे विकसित सभी लिपियों में पाई जाती है। इस पाठ में हम लिपि के आविष्कार, ब्राह्मी लिपि के उद्भव और विकास तथा ब्राह्मी से विकसित अन्य भारतीय लिपियों का परिचय प्राप्त करेंगे।

## 5.2.2. लिपि का आविष्कार

अन्य पशुओं से आदमी को इसीलिए श्रेष्ठ माना जाता है कि वह वाणी द्वारा अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकता है। किन्तु मानव का बहुमुखी विकास इस वाणी को लिपिबद्ध करने की कला के कारण ही हुआ है। मुँह से बोले गए शब्द या हाव-भावों से व्यक्त किए गए विचार चिरस्थायी नहीं होते। भाषा का आधार ध्वनि है। भाषा श्रव्य या कर्णगोचर होती है। अभी उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशकों तक बोली गई भाषा को स्थायी रूप देने के लिए उसे लिपिबद्ध करने के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं था। इस प्रकार लिपि ऐसे प्रतीक-चिह्नों की व्यवस्था है जिसके द्वारा श्रव्य भाषा को दृष्टिगोचर बनाया जाता है। सुनी या कही हुई बात केवल उसी समय और स्थान पर उपयोगी होती है। लिपिबद्ध कथन या विचार दिक् और काल की सीमाओं को लाँघ सकते हैं।

आज हम जानते हैं कि सभी लिपियाँ मानव की ही कृतियाँ है; उन्हें ईश्वर या किसी देवता ने नहीं बनाया। प्राचीनकाल में किसी पुरातन और कुछ जटिल वस्तु को रहस्यमय बनाए रखने के लिए उस पर ईश्वर या किसी देवता की मुहर लगा दी जाती थी; किन्तु आज हम जानते हैं कि लेखन-कला किसी 'ऊपर वाले' की देन न होकर मानव की ही बौद्धिक कृति है।

## 5.2.3. ब्राह्मी का उद्भव और विकास

प्राचीन भारत में दो प्रमुख लिपियाँ प्रचलित थीं – (i) खरोष्ठी और (ii) ब्राह्मी। ईसा से पाँचवीं शताब्दी पूर्व में दाएँ से बाएँ लिखी जानेवाली खरोष्ठी लिपि का निर्माण किया गया था। सम्राट अशोक के मानसेहरा और शाहबाज़गढ़ी के शिलालेख खरोष्ठी लिपि में ही हैं। इन दोनों के अतिरिक्त अन्य शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं। बाद में खरोष्ठी लिपि लुप्त हो गई और ब्राह्मी संस्कृत के लेखन का माध्यम बनी।

अशोक के शिला-स्तम्भलेखों से स्पष्ट है कि ई.पू. चतुर्थ शताब्दी तक भारत में लिपि कला का काफी विकास हो चुका था। पिपरावा, बडली, सोहगौरा, महस्थान आदि में उपलब्ध अशोक-पूर्व-युगीन लघु लेखों के आधार पर भारत में लिपि-प्रयोग का कार्य ई.पू. 5वीं शती के पूर्वार्ध तक जाता है। प्राचीन यूनानी यात्री-लेखकों के अनुसार और ई.पू. चौथी शताब्दी में भारत को कागज़ तथा लेखन कला की अच्छी जानकारी थी। बौद्ध वाङ्मय के आधार पर ई.पू. 400 या उससे भी पहले ई.पू. छठीं शताब्दी तक इस जानकारी की बात प्रमाणित होती है। स्वयं पाणिनि के धातुपाठ में 'लिपि' और 'लिबि' धातु उपलब्ध हैं। डॉ॰ गौरीशंकर हीराचन्द ओझा ने अनेक शास्त्रीय ग्रन्थों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया है कि पाणिनि और यास्क से भी अनेक शताब्दी पूर्व भारत में अनेक लिखित ग्रन्थ उपलब्ध थे, जो यह सिद्ध करते हैं कि उस समय भारत में लेखन कला काफ़ी उन्नत थी।

दूसरे वर्ग के लोग इसका विकास स्वतन्त्र रूप में भारतीय सीमा के भीतर ही मानते हैं। वे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से उपलब्ध मुद्राओं के लेख-खण्डों के आधार पर सिन्धु घाटी सभ्यता की लिपि से 'ब्राह्मी' की उत्पत्ति बताते हैं। कुछ साहसिक विद्वानों ने सुमेरी, सिन्धु घाटी और वैदिक आर्य तीनों सभ्यताओं को एक मूल स्रोत से विकसित मानकर किसी एक लिपि से अथवा प्राचीनतम सुमेरी लिपि से ब्राह्मी के उद्भव का अनुमान

किया है। सिन्धु घाटी की लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों से विचित्र और भिन्न लगती है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि अधिकांश भारतीय पण्डितों के मतानुसार 'देवनागरी' का विकास उस 'ब्राह्मी' से हुआ है जो ई.पू. हजारों वर्षों से भारत में प्रचलित थी और जिसका विकास स्वयं भारत में और भारतीयों के द्वारा हुआ था।

ब्राह्मी की प्राचीनता और उद्‌भव के बारे में यह कहा जा सकता है कि बौद्ध ग्रन्थ 'ललितविस्तर' तथा जैन ग्रन्थ 'पण्णवणासूत्र' में ब्राह्मी लिपि का उल्लेख मिलता है। ईसा से लगभग दो सौ वर्ष पूर्व अशोक के शिलालेखों में हमें ब्राह्मी लिपि के नमूने मिलते हैं। सम्राट अशोक ने 256 ईसा पूर्व से धर्मलेख खुदवाने शुरू किए थे। बाद में उन्होंने लघु-शिलालेख, गुफ़ा-लेख, स्तम्भ-लेख खुदवाए। प्रथम दो शिलालेखों को छोड़कर, सभी लेख ब्राह्मी लिपि में हैं।

## 5.2.4. ब्राह्मी लिपि से भारतीय लिपियों का विकास

भारतीय एवं पाश्चात्य लिपि विशेषज्ञों का मत है कि भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन ब्राह्मी लिपि से भारत तथा दक्षिण-पूर्व की अधिकांश लिपियों का विकास हुआ है। भारत की सारी वर्तमान लिपियाँ (अरबी-फ़ारसी लिपि को छोड़कर) ब्राह्मी से ही विकसित हुई हैं। इतना ही नहीं तिब्बती, सिंहली तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों की बहुत-सी लिपियाँ भी ब्राह्मी से ही विकसित हैं।

भारोपीय तथा द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की लिपियाँ ब्राह्मी से विकसित हुई हैं। इस प्रकार हिन्दी, मराठी, नेपाली और संस्कृत के अतिरिक्त बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, कश्मीरी लिपियाँ और दक्षिण भारत की भाषाओं – तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम की लिपियाँ भी ब्राह्मी से विकसित हैं।

ब्राह्मी के प्राचीनतम नमूने शिलालेखों के रूप में 500 वर्ष ईसा पूर्व से प्राप्त होने लगते हैं। सन् 350 तक उसका यह स्वरूप प्रचलित रहा। बाद में इसकी उत्तरी और दक्षिणी, दो शैलियाँ विकसित हो गईं। उत्तरी शैली को आगे चलकर गुप्त लिपि के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद, इसी से कुटिल लिपि का विकास हुआ जो छठी से नवीं शताब्दी तक उत्तर भारत में प्रचलित रही। सन् 1000 में कुटिल लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। डॉ॰ इन्दिरा जोशी के अनुसार "जो लिपियाँ तमिळ, तेलुगु और मलयालमभाषी लोग व्यवहार में ला रहे थे, वे भी ब्राह्मी लिपि के दक्षिणी रूप पर ही आधारित हैं। ईसा की आठवीं शताब्दी में दक्षिण में यह लिपि नन्दिनागरी कहलाती थी। इसी से आगे चलकर कन्नड़ लिपि का विकास हुआ।"

## 5.2.5. भारतीय लिपियाँ

देवनागरी के अतिरिक्त भारत में 9 लिपियों का व्यवहार होता है। इनका परिचय नीचे दिया जा रहा है –

### 5.2.5.1. देवनागरी लिपि

देवनागरी लिपि का प्रारम्भिक रूप बोधिगया के महानाम अभिलेख और लाखामण्डल प्रशस्ति (588 ई. के आस-पास) में देखने को मिलता है । इस प्रकार सातवीं शताब्दी तक इसका स्वरूप काफ़ी विकसित हो गया था । 8वीं-9वीं शताब्दी में कुटिल लिपि के विकास के साथ प्राचीन नागरी का रूप विकसित हुआ। धीरे-धीरे प्राचीन नागरी का प्रचार पूरे भारत में हो गया। प्राचीन नागरी से आधुनिक नागरी, कैथी, मैथिली, असमिया, गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, महाराष्ट्री आदि लिपियों का विकास हुआ । कुछ अन्य विद्वानों के मतानुसार कुटिल लिपि से नागरी और शारदा के साथ-साथ एक और लिपि भी विकसित हुई, इसी अन्य लिपि से बांग्ला, असमिया, मणिपुरी आदि लिपियों का विकास हुआ। आठवीं से दसवीं शताब्दी के बीच देवनागरी सर्वजन स्वीकृत लिपि का रूप धारण कर लेती है।

आधुनिक देवनागरी के विकास का अनुकूल समय 15-16वीं शताब्दी माना जाता है । आज देवनागरी का प्रयोग हिन्दी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, बोडो, संथाली, डोगरी आदि भाषाओं में लेखन-लिप्यन्तरण के लिए किया जा रहा है।

देवनागरी में कुल 52 अक्षर हैं, जिसमें 14 स्वर और 38 व्यंजन हैं। अक्षरों की क्रम व्यवस्था (विन्यास) भी बहुत ही वैज्ञानिक है । स्वर-व्यंजन, कोमल-कठोर, अल्पप्राण-महाप्राण, अनुनासिक्य-अन्तस्थ-उष्म इत्यादि वर्गीकरण भी वैज्ञानिक हैं । भारत तथा एशिया की अनेक लिपियों के संकेत देवनागरी से अलग हैं (उर्दू को छोडकर), पर उच्चारण व वर्ण-क्रम आदि देवनागरी के ही समान हैं – क्योंकि वो सभी ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं । इसलिए इन लिपियों को आसानी से परस्पर लिप्यन्तरित किया जा सकता है । देवनागरी लेखन की दृष्टि से सरल, सौन्दर्य की दृष्टि से सुन्दर और वाचन की दृष्टि से सुपाठ्य है।

### 5.2.5.2. शारदा लिपि

शारदा लिपि की उत्पत्ति गुप्त लिपि की पश्चिमी शैली से मानी जाती है और उसके प्राचीनतम लेख 8वीं शताब्दी से मिलते हैं। ईसा की दसवीं शताब्दी से उत्तर-पूर्वी पंजाब और कश्मीर में शारदा लिपि का व्यवहार देखने को मिलता है। ब्यूह्लर ने जालन्धर (कांगड़ा) के राजा जयचन्द्र की कीरग्राम के बैजनाथ मन्दिर में लगी प्रशस्तियों का समय 804 ई. माना है और इसी के अनुसार इन्होंने शारदा लिपि का आरम्भ सन् 800 ई. के आस-पास निश्चित किया है। कश्मीरी भाषा के लिए शारदा लिपि का प्रयोग किया जाता रहा है।

### 5.2.5.3. बांग्ला-असमिया-उड़िया लिपि

बांग्ला और असमिया लिपियों में बहुत समानता है और इन दोनों का विकास एक साथ हुआ है। पण्डित गौरीशंकर हीराचन्द ओझा के अनुसार "बांग्ला लिपि भारतवर्ष के पूर्वी भाग अर्थात् मगध की तरफ की लिपि से विकसित हुई है और बिहार, बंगाल, मिथिला, नेपाल, आसाम तथा उड़ीसा से मिलने वाले अनेक शिलालेखों,

दानपत्रों, सिक्कों या हस्तलिखित पुस्तकों में पाई जाती है।" पूर्वी भारत के ग्यारहवीं शताब्दी के लेखों में हमें पहली बार बांग्ला लिपि की झलक देखने को मिलती है। 12वीं शताब्दी के लेखों में तो बांग्ला लिपि अपनी स्वतन्त्र विशेषताओं को ग्रहण करने लगती है।

कामरूप के राजाओं के भी बहुत-से दानपत्र, शिलालेख तथा अंकित मुद्राएँ मिली हैं । इनमें राजा वैद्यदेव का दानपत्र साहित्यिक दृष्टि से विशेष महत्त्व का है। असम में वल्लभदेव या वल्लभेन्द्र का सन् 1185 ई. का एक दानपत्र मिला है। इस दानपत्र के लेख में कहीं-कहीं 'न' और 'ल' में तथा 'प' और 'य' में स्पष्ट अन्तर नहीं है। 'व' और 'ब' में तो बिल्कुल भेद नहीं है। बाद में अन्य लिपियों से भेद स्पष्ट करने के लिए असम की लिपि को 'असमाक्षर' का नाम दिया गया। 12वीं शताब्दी के बाद बांग्ला लिपि के ताम्रपत्रों, प्रस्तरों, भूर्जपत्रों और विविध प्रकार के काग़ज़ों पर बहुत-से अभिलेख मिलते हैं।

उड़िया लिपि 14वीं शताब्दी तक तो बांग्ला के साथ चलती है, परन्तु उसके बाद इसका विकास स्वतन्त्र रूप से होता है। उसके अक्षर अधिकाधिक गोलाकार होते जाते हैं और उनमें गुंडियाँ बनती जाती हैं। इसका कारण यह है कि उड़ीसा के लिपिकार ताड़पत्रों पर लिखते थे और लोहे की शलाका का प्रयोग करते थे।

## 5.2.5.4. तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि

वर्तमान तेलुगु और कन्नड़ लिपियों में काफ़ी समानता है। दोनों का विकास एक ही मूल लिपि-शैली से हुआ है। आज इन लिपियों का प्रयोग कर्नाटक, आंध्रप्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ ज़िलों में होता है। इस लिपि का आदिरूप आरम्भिक चालुक्य अभिलेखों में देखने को मिलता है। अल्फ्रेड मास्टर के अनुसार कन्नड़ लिपि का प्राचीनतम अभिलेख हळेबीडु का शिलालेख है, जिसे पाँचवीं शताब्दी का माना जाता है। 7वीं शताब्दी के मध्यकाल से इस लिपि की मध्यकालीन शैली आरम्भ होती है। दक्खन (दक्षिण) में लगभग तीन सौ वर्षों तक इस शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। पश्चिमी दक्खन (दक्षिण) में बादामी के चालुक्यों, मान्यखेट के राष्ट्रकूटों, गंगवाड़ी के गंगों एवं अन्य छोटेमोटे राजवंशों ने इस लिपि का इस्तेमाल किया है। पूर्वी दक्खन (दक्षिण) में वेंगी के चालुक्यों ने इस लिपि का प्रयोग किया। इन सभी लेखों की लिपि एक जैसी हो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से एक ओर ग्रन्थ लिपि में और तेलुगु-कन्नड़ लिपि में स्पष्ट अन्तर दिखाई देता है, तो दूसरी ओर कन्नड़ और तेलुगु लिपियों में परस्पर थोड़ा-थोड़ा अन्तर झलकने लगता है।

सातवीं शताब्दी से इन लिपियों में तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं के भी अभिलेख मिलने लगते हैं। कन्नड़ भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख बादामी की वैष्णव गुफ़ा के बाहर चालुक्य राजा मंगलेश (598-610 ई.) का मिलता है। कन्नड़ भाषा की प्राचीनतम हस्तलिपि 'कविराजमार्ग' 877 ई. में लिखी गई थी।

तेलुगु भाषा का प्राचीनतम अभिलेख रेनदु के तेलुगु-कोदस का है। तेलुगु भाषा के आरम्भिक अभिलेख आंध्रप्रदेश के अनंतपुर और कड़पा ज़िलों में मिले हैं। ये छठी से आठवीं शताब्दी के बीच के हैं। इस काल में तेलुगु-कन्नड़ लिपि तो एक-सी थी, परन्तु तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं का हम स्वतन्त्र अस्तित्व देखते हैं। तेलुगु-

कोदस के कलमल्ल-अभिलेख में जिस कन्नड़-तेलुगु लिपि का प्रयोग हुआ है, उस पर तमिल लिपि और ग्रन्थ लिपि की छाप स्पष्ट दिखाई देती है।

## 5.2.5.5. तेलुगु लिपि

इसके बाद ही कन्नड़-तेलुगु लिपि को 'सन्धिकालीन लिपि' का नाम दिया गया है। यह नाम इसीलिए कि एक तो इस काल की लिपि आधुनिक तेलुगु-कन्नड़ लिपियों से कुछ-कुछ मिलने लग जाती है, दूसरे इसके बाद हम तेलुगु और कन्नड़ लिपियों में स्पष्ट अन्तर देखने लगते हैं। 13वीं शताब्दी के एक तेलुगु कवि मंचन ने अपनी लिपि को 'आंध्रलिपि' की संज्ञा दी है।

इसके बाद कन्नड़ और तेलुगु लिपियों का अलग-अलग स्वतन्त्र विकास होता है। कन्नड़ में स्वरों की मात्राएँ लम्बी होकर व्यंजनों के दाईं ओर उसी रेखा में रखी जाने लगीं। अक्षर अधिकाधिक गोलाकार होते गए। अनुस्वार अक्षर के ऊपर केवल एक बिन्दु न रहकर सामान्य अक्षरों के बराबर बड़ी गोलाकार बिन्दी बन गया और अक्षर के दाईं ओर रखा जाने लगा। इन लिपियों का सन्धिकाल दो शताब्दी तक चलता है और उसके बाद विजयनगर के राज्यकाल में ये दोनों लिपियाँ पूर्ण रूप से एक-दूसरे से अलग हो जाती हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में मुद्रण-प्रणाली की शुरुआत के कारण इन लिपियों को वर्तमान स्थायी रूप मिला। परन्तु आज भी इनमें से एक लिपि जानने वाला व्यक्ति दूसरी लिपि को उसी तरह पढ़ सकता है, जैसे देवनागरी लिपि जानने वाला गुजराती लिपि को पढ़ सकता है।

दक्षिण भारत की स्थानीय लिपियों की अपूर्णता के कारण संस्कृत भाषा के ग्रन्थ एवं अभिलेख उनमें नहीं लिखे जा सकते थे। संस्कृत के ग्रन्थ तथा अभिलेख लिखने के लिए जिस लिपि का दक्षिण भारत में उपयोग होता था, उसी को आगे चलकर 'ग्रन्थ लिपि' का नाम दिया गया। सबसे पहले दक्षिण के पल्लव राजाओं के लेखों में हमें ग्रन्थ लिपि का आरम्भिक रूप देखने को मिलता है। सातवीं शताब्दी से दक्षिण भारत में पल्लव लिपि के दो रूप – कलात्मक और साधारण दिखाई देते हैं।

मामल्लपुरम् (महाबलीपुरम्) के धर्मराजरथ पर कुछ विरुद उत्कीर्ण हैं। इनकी लिपि को 'पल्लव लिपि' का नाम दिया गया है। इस रथ पर अंकित चार पंक्तियाँ हैं। इन चार पंक्तियों में ही चार प्रकार के 'अ', दो प्रकार के 'म' और 'य' तथा तीन प्रकार के 'न' का प्रयोग हुआ है।

पल्लववंशी राजाओं के अभिलेख ग्रन्थ लिपि और संस्कृत भाषा में मिलते हैं। इनमें प्रमुख हैं – राजा नरसिंह वर्मन के समय के मामल्लपुरम् के कुछ लघुलेख, राजा राजसिंह (नरसिंह वर्मन द्वितीय) के समय के कांचीपुरम् के कैलासनाथ मन्दिर के शिलालेख और राजा परमेश्वर वर्मन का कूरम से प्राप्त दानपत्र। राजसिंह के कैलासनाथ मन्दिर का शिलालेख सातवीं शताब्दी की पल्लव ग्रन्थ लिपि का बढ़िया नमूना है। 8वीं शताब्दी में इस लिपि में कुछ विशेष अन्तर नहीं दिखाई देता, जैसा कि नन्दि वर्मन के कसाकुडि से मिले हुए दानपत्र की लिपि को देखने से पता चलता है।

वर्तमान समय तक दक्षिणी भारत में संस्कृत के ग्रन्थ लिखने के लिए जिस ग्रन्थ लिपि का व्यवहार होता रहा, उसका आरम्भ 13वीं-14वीं शताब्दी के अभिलेखों में देखने में आता है। ग्रन्थ लिपि में लिखी हुई सबसे प्राचीन हस्तलिपि मिलती है, वह 16वीं शताब्दी की है। संस्कृत के ग्रन्थ लिखने के लिए जिस ग्रन्थ लिपि का व्यवहार होता रहा है, उसकी दो शैलियाँ हैं – तंजावुर के ब्राह्मण 'वर्गाकार' ग्रन्थ लिपि का प्रयोग करते रहे हैं और ऑर्काट तथा मद्रास (चेनै) के जैन 'गोलाकार' ग्रन्थ लिपि का। तुलु और मलयालम लिपियों का विकास इसी ग्रन्थ लिपि से हुआ है।

## 5.2.5.6. तमिल लिपि

तमिल भाषा के प्राचीनतम लेख दक्षिण भारत की कुछ गुफ़ाओं में मिलते हैं। ये लेख ई.पू. पहली-दूसरी शताब्दी के माने जाते हैं और इनकी लिपि ब्राह्मी ही है। लेकिन इसके बाद सातवीं शताब्दी तक तमिल लिपि के विकास का कोई सूत्र हमारे हाथ नहीं लगता। सातवीं शताब्दी में पहली बार कुछ ऐसे दानपत्र मिलते हैं, जो संस्कृत और तमिल दोनों ही भाषाओं में लिखे गए हैं। तमिल भाषा की तत्कालीन लिपि भी ग्रन्थ लिपि से मिलती-जुलती है।

चोल और पाण्ड्यों की तरह पल्लव शासक संस्कृत के साथ स्थानीय जनता की तमिल भाषा का भी आदर करते थे, इसीलिए उनके अभिलेख इन दोनों भाषाओं में मिलते हैं। नौवीं-दसवीं शताब्दी के अभिलेखों को देखने से पता चलता है कि तमिल लिपि, ग्रन्थ लिपि के साथ-साथ स्वतन्त्र रूप से विकसित हो रही थी। पल्लवों की तरह चोल राजाओं के अभिलेख भी संस्कृत और तमिल दोनों में मिलते हैं। राजेन्द्र चोल का ग्रन्थ लिपि में लिखा हुआ तमिल लिपि में राजेन्द्र चोल का तिरुमलै की चट्टान पर एक लेख मिलता है। उसी प्रकार, तंजावुर के वृहदीश्वर मन्दिर में भी उनका लेख अंकित है। इन लेखों की तमिल लिपि में और तत्कालीन ग्रन्थ लिपि में स्पष्ट अन्तर दिखाई देता है।

## 5.2.5.7. गुरुमुखी लिपि

गुरुमुखी लिपि का विकास 8-9वीं शताब्दी में विकसित कुटिल लिपि की एक शाखा शारदा लिपि से हुआ है। गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद ने नानक के पदों के लिए गुरुमुखी लिपि को स्वीकार किया, जो ब्राह्मी से निकली थी और पंजाब में उनके समय में प्रचलित थी। गुरुवाणी इसमें लिखी गई, इसलिए इसका नाम 'गुरुमुखी' पड़ा। सिक्खों का धर्मग्रन्थ 'गुरु ग्रन्थ साहब' लिखा हुआ है।

इस लिपि की वही वर्णमाला है, जो संस्कृत और भारत की अन्य प्रादेशिक भाषाओं की है। इस समय पंजाबी भाषा को केवल सिक्ख लोग इस लिपि में लिखते हैं। गुरुमुखी का प्रयोग डोगरी के लिए भी किया जाता था किन्तु अब डोगरी ने देवनागरी लिपि को अपना लिया है।

## 5.2.5.8. गुजराती लिपि

गुजराती लिपि देवनागरी लिपि पद्धति पर आधारित है, जिसमें 14 स्वर और 38 व्यंजनों के साथ कुल 52 अक्षर हैं। इस लिपि में अक्षरों की क्रम व्यवस्था भी बहुत वैज्ञानिक है। अक्षरों की वर्गीकरण भी स्वर-व्यंजन, कोमल-कठोर, अल्पप्राण-महाप्राण, अनुनासिक्य-अन्तस्थ-ऊष्म के रूप में है। यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है। देवनागरी की ही तरह इस लिपि की खास बात यह है कि इस लिपि में दुनिया की तमाम भाषाओं के शब्दों को उनके मूल उच्चारण के साथ अभिव्यक्त करने की क्षमता है। यह बाएँ से दाएँ लिखी जाती हैं। इसके उच्चारण और लेखन में एकरूपता है। देवनागरी लिपि और गुजराती में अन्तर केवल इतना ही है कि जहाँ देवनागरी में प्रत्येक शब्द के ऊपर शिरोरेखा होती है, वहीं गुजराती में शिरोरेखा नहीं लगाई जाती। एक और अन्तर आधी मात्रा का भी है। जहाँ देवनागरी में आधा अक्षर (्) हलन्त लगाकर या आधा लिखकर (जैसे घ, ख्, च् आदि) व्यक्त किया जाता है। वहीं गुजराती में आधे अक्षर के लिए कोई स्पष्ट निर्देश न होते हुए इन्हें साथ-साथ चिपका दिया जाता है। परिणामस्वरूप 'पक्का' शब्द देवनागरी में 'पक्का' लिखा जाएगा, वहाँ गुजराती लिपि में 'पकका' लिखा जाएगा। आर्यभाषाई परिवार की सदस्य होने के नाते भले ही गुजराती लिपि की पद्धति देवनागरी व्यवस्था का अनुसरण करती है, लेकिन अधिकांश अक्षरों की अपनी अलग पहचान है। सभी स्वर देवनागरी से बिलकुल अलग हैं, किन्तु मात्राएँ देवनागरी की ही तरह लगाई जाती हैं। व्यंजनों में ण और द को छोड़कर सभी मूर्धन्य और दन्त्य अक्षर (यथा – ट, ठ, ड, ढ, त, थ, ध, न, य, र, ल, व, श, ष, स, ह) गुजराती लिपि के अक्षरों से मिलते हैं। इनके अलावा कण्ठय वर्ग के ग, घ, ङ और ओष्ठय वर्ग के प, ब, म अक्षर भी देवनागरी से मिलते हैं, शेष अक्षर न सिर्फ अलग हैं, बल्कि गुजराती लिपि के कुछ अक्षर देवनागरी लिपि के दूसरे अक्षरों का आभास देते हैं। जैसे गुजराती लिपि का द हिन्दी के ह से, गुजराती का ख हिन्दी के ज का आभास देता है और हिन्दीभाषी 'दवाखाना' को 'हवाजाना' पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार गुजराती लिपि के अंकों से भी कई बार भ्रम पैदा होता है। जिस प्रकार जल्दबाजी में अंग्रेज़ी में लिखा गया 'छह' (6) हिन्दी के 'सात'(7) का आभास देता है, उसी प्रकार गुजराती का छह हिन्दी के पाँच का आभास देता है। बावजूद इसके अपने व्याकरण और क्रम के कारण यह देवनागरी परिवार की ही सदस्य है और मराठी की तरह इसे भी हिन्दी की बहन कहा जा सकता है। फर्क है, तो बस इतना कि देवनागरी लिपि होने के कारण मराठी, हिन्दी की जुड़वाँ बहन लगती हैं, वहीं लिपि में थोड़ा-सा विपथन होने के कारण गुजराती लिपि को हिन्दी की छोटी बहन कहा जा सकता है।

## 5.2.6. भारतीय लिपियों में समानता

ब्राह्मी ही भारतीय भाषाओं की मूलभूत एकता का आधार है। ब्राह्मी की प्रमुख विशेषता जो उसे अन्य लिपियों से अलग करती है, वह है इसकी आक्षरिकता। इसमें व्यंजन और स्वर मिलकर लिपि-चिह्न का निर्माण करते हैं। ब्राह्मी से ही विकसित होने के कारण एशिया की सारी लिपियाँ आक्षरिक हैं। ब्राह्मी से विकसित देवनागरी लिपि को इसीलिए वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है, क्योंकि इसमें उच्चारण और लेखन में अधिकाधिक तालमेल मिलता है। आक्षरिक लिपि की कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं –

i. सभी के वर्णों के नाम, क्रम, उच्चारण आदि समान हैं।
ii. सभी लिपियाँ ध्वन्यात्मक हैं एवं उनके वर्ण क वर्ग, च वर्ग आदि में बँटे हुए हैं।
iii. सभी में मात्राओं का प्रयोग होता है।
iv. सभी में संयुक्ताक्षरों का प्रयोग होता है।
v. सबके वर्णों के रूप में काफी समानता है।
vi. सबमें स्वर, व्यंजन, और मात्राओं की संकल्पना है।
vii. सबमें वर्णों की संख्या भी लगभग समान है।

## 5.2.7. पाठ-सार

प्रस्तुत पाठ में हमने पढ़ा कि लिपि का आविष्कार मानव सभ्यता की एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना है। मुँह से बोले गए शब्द या हाव-भावों से व्यक्त किए गए विचार चिरस्थायी नहीं होते। भाषा का आधार ध्वनि है। भाषा श्रव्य या कर्णगोचर होती है। मानव को अपने विचारों को सुरक्षित रखने के लिए लिपि का आविष्कार करना पड़ा।

मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की प्राचीन लिपियाँ मुख्यतया भाव-चित्रात्मक लिपियाँ थीं। ईसा पूर्व दसवीं शताब्दी के आसपास वर्णमालात्मक लिपियों का जन्म होता हैं। विश्व की कई पुरालिपियाँ अब लुप्त हो चुकी हैं। पिछले लगभग दो सौ वर्षों में संसार के अनेक पुरालिपिविदों द्वारा कई पुरालिपियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है।

प्राचीनकाल से ही, लगभग सभी सभ्यताओं में लेखन-कला को पवित्र माना जाता रहा है तथा अपनी-अपनी लिपियों के आविष्कर्ता के रूप में किसी-न-किसी देवता की कल्पना की गई है। भारत में भी यही मान्यता रही है कि लिपि के निर्माता ब्रह्मा हैं और शायद इसीलिए हमारे देश की प्राचीन लिपि का नाम ब्राह्मी पड़ा। इसी ब्राह्मी से उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम की सारी भारतीय लिपियों का विकास हुआ है। श्रीलंका की सिंहल लिपि का विकास भी ब्राह्मी से हुआ है।

भारत में लगभग छठी शताब्दी ई.पू. में अस्तित्व में आई ब्राह्मी लिपि ने बहुत-सी लिपियों को जन्म दिया है। भारोपीय तथा द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की लिपियाँ ब्राह्मी से विकसित हुई हैं। इस प्रकार हिन्दी, मराठी, नेपाली और संस्कृत के अतिरिक्त बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, कश्मीरी लिपियाँ और दक्षिण भारत की भाषाओं – तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम की लिपियाँ भी ब्राह्मी से विकसित हैं।

ब्राह्मी के प्राचीनतम नमूने शिलालेखों के रूप में 500 वर्ष ईसा पूर्व से प्राप्त होने लगते हैं। सन् 350 तक उसका यह स्वरूप प्रचलित रहा। बाद में इसकी उत्तरी और दक्षिणी, दो शैलियाँ विकसित हो गईं। उत्तरी शैली को आगे चलकर गुप्त लिपि के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद, इसी से कुटिल लिपि का विकास हुआ, जो छठी से नवीं शताब्दी तक उत्तर भारत में प्रचलित रही। सन् 1000 में कुटिल लिपि से देवनागरी लिपि का विकास

हुआ। तमिळ, तेलुगु और मलयालम भाषी लोग जो लिपियाँ व्यवहार में ला रहे थे, वे भी ब्राह्मी लिपि के दक्षिणी रूप पर ही आधारित हैं। ईसा की आठवीं शताब्दी में दक्षिण में यह लिपि नन्दिनागरी कहलाती थी। इसी से आगे चलकर कन्नड़ लिपि का विकास हुआ।

ईसा की सातवीं से सोलहवीं शताब्दी के दौरान भारतीय लिपियों का विकास होता है। आधुनिक नागरी के विकास का अनुकूल समय 15-16वीं शताब्दी माना जाता है। आज देवनागरी का प्रयोग हिन्दी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, बोडो, संथाली, डोगरी आदि भाषाओं में लेखन-लिप्यन्तरण के लिए किया जा रहा है। ब्राह्मी ही भारतीय भाषाओं की मूलभूत एकता का आधार है। ब्राह्मी की प्रमुख विशेषता जो उसे अन्य लिपियों से अलग करती है, वह है इसकी आक्षरिकता। देवनागरी लिपि को इसीलिए वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है, क्योंकि इसमें उच्चारण और लेखन में अधिकाधिक तालमेल मिलता है।

### 5.2.8. बोध प्रश्न

**1. निम्नलिखित कथनों पर सही (√) या गलत (X) का निशान लगाइए –**

i. मानव को अपने विचारों को सुरक्षित रखने के लिए लिपि का आविष्कार करना पड़ा। (√)

ii. ईसा पूर्व दसवीं शताब्दी के आस-पास पहली बार वर्णमालात्मक लिपियों का विकास होता हैं। (√)

iii. प्रायः सभी प्राचीन सभ्यताओं ने अपनी लिपियों के आविष्कर्ता के रूप में किसी-न-किसी देवता की कल्पना की है। (√)

iv. भारत की सारी वर्तमान लिपियाँ (अरबी-फ़ारसी लिपि भी) ब्राह्मी से ही विकसित हुई हैं। (X)

v. मानव का बहुमुखी विकास इस वाणी को लिपिबद्ध करने की कला के कारण ही हुआ। (√)

vi. द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की लिपियों का विकास खरोष्ठी से हुआ है। (X)

vii. ब्राह्मी की प्रमुख विशेषता है – आक्षरिकता, जो उसे अन्य लिपियों से अलग करती है। (√)

viii. आज देवनागरी लिपि का प्रयोग हिन्दी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, बोडो, संथाली, डोगरी आदि भाषाओं के लिए हो रहा है। (√)

ix. तमिल भाषा के प्राचीनतम लेख दक्षिण भारत की कुछ गुफ़ाओं में मिलते हैं। (√)

x. अशोक के सभी शिलालेख ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। (X)

**2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए –**

i. ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम रूप –

(क) ईसा पूर्व दसवीं शताब्दी से मिलता है।

(ख) ईसा पूर्व पाँचवीं शताब्दी से मिलता है।

(ग) ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से मिलता है।

सही उत्तर (क)

ii. दक्षिण भारत की सभी लिपियों का विकास –
   (क) कुटिल लिपि से हुआ।
   (ख) नन्दिनागरी से हुआ।
   (ग) ग्रन्थ लिपि से हुआ।

सही उत्तर (ख)

iii. भारतीय लिपियों की प्रमुख विशेषता है –
   (क) ध्वन्यात्मकता
   (ख) चित्रात्मकता
   (ग) आक्षरिकता

सही उत्तर (ग)

iv. गुरुमुखी लिपि का विकास ब्राह्मी के निम्नलिखित रूप से हुआ है –
   (क) नन्दिनागरी से
   (ख) कुटिल लिपि से
   (ग) शारदा लिपि से

सही उत्तर (ग)

v. बांग्ला, असमिया तथा उड़िया लिपियों का विकास निम्नलिखित से हुआ है –
   (क) प्राचीन नागरी की पूर्वी शाखा से
   (ख) नन्दिनागरी से
   (ग) कुटिल लिपि से

सही उत्तर (क)

3. **निम्नलिखित का 100 शब्दों में उत्तर लिखिए –**

i. नन्दिनागरी
ii. बांग्ला-असमिया-उड़िया लिपियों का विकास
iii. कुटिल लिपि
iv. खरोष्ठी लिपि
v. अशोक के शिलालेखों की लिपि

## 5.2.9. सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

1. अनंत चौधरी, नागरी लिपि और हिन्दी वर्तनी, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, 1973
2. कन्हैया सिंह, हिन्दी भाषा साहित्य और नागरी लिपि, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी
3. किशोरी दास वाजपेयी, हिन्दी का वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली
4. गंगाप्रसाद विमल, राजभाषा हिन्दी में संकलित देवनागरी लिपि उद्भव और विकास (लेख), प्रकाशन विभाग, द्वितीय संस्करण 2000
5. गौराशंकर हीरानन्द ओझा, प्राचीन भारतीय लिपिमाला, मुंशीलाल मनोहरलाल, तृतीय संस्करण 1959
6. भोलानाथ तिवारी, हिन्दी भाषा की लिपि संरचना, साहित्य सहकार, दिल्ली

7. महावीर सरन जैन, देवनागरी लिपि एवं हिन्दी की वर्तनी : क्षमताएँ, सीमाएँ, वैज्ञानिकता एवं समस्याएँ, (लेख) नागरी लिपि सम्मेलन स्मारिका, नागरी लिपि परिषद्, नयी दिल्ली, पृ. 41–46 (अप्रेल, 1977)
8. राजकिशोर सिंह, हिन्दी भाषा का विकास एवं नागरी लिपि, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
9. राम कृष्ण मिश्र (सं), मानक हिन्दी वर्तनी तथा नागरी लिपि, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नयी दिल्ली।
10. सत्यनारायण त्रिपाठी, हिन्दी भाषा और लिपि का ऐतिहासिक विकास, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, (चतुर्थ संस्करण) 2006

**उपयोगी इंटरनेट स्रोत :**

1. http://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=18
2. http://www.hindisamay.com/
3. http://hindinest.com/
4. http://www.dli.ernet.in/
5. http://www.archive.org

❖❖❖

# खण्ड – 5 : लिपि का उदय और विकास

## इकाई – 3 : देवनागरी लिपि : नामकरण के आधार, देवनागरी लिपि की विशेषताएँ

**इकाई की रूपरेखा**

5.3.00. उद्देश्य
5.3.01. प्रस्तावना
5.3.02. भाषा और लिपि
5.3.03. ब्राह्मी लिपि का उद्भव
5.3.04. देवनागरी लिपि – नामकरण
5.3.05. देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास
5.3.06. देवनागरी लिपि की विशेषताएँ
5.3.07. देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता
5.3.08. देवनागरी लिपि की कमियाँ
5.3.09. पाठ-सार
5.3.10. बोध प्रश्न
5.3.11. सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

### 5.3.00. उद्देश्य

प्रस्तुत पाठ का अध्ययन करने के उपरान्त आप –

i. भाषा और लिपि के अन्तस्सम्बन्ध को समझ सकेंगे ।
ii. देवनागरी लिपि के नामकरण के आधारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे ।
iii. देवनागरी लिपि के उद्भव एवं विकास और विशेषताओं का परिचय प्राप्त कर सकेंगे ।
iv. देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता के बारे में जान सकेंगे और देवनागरी लिपि की कमियों को समझ पाएँगे ।

### 5.3.01. प्रस्तावना

लिपि मानव समुदाय की महत्त्वपूर्ण खोज है । लिपि के विकास से पहले भावाभिव्यक्ति केवल बोलने और सुनने तक सीमित थी । मनुष्य की यह उत्कट अभिलाषा रही होगी कि उसके भाव अथवा विचार दूर-दूर तक पहुँचे और उन्हें भविष्य के लिए संचित एवं संरक्षित किया जासके । इसी आवश्यकता की पूर्ति का लक्ष्य मनुष्य के लिए लिपि के आविष्कार की प्रेरणा बन गया ।

भाषा के उच्चरित रूप को निर्धारित लिपि-चिह्नों के माध्यम से लिखित रूप देने के साधन का नाम लिपि है । मनुष्य के भावों, विचारों, अनुभवों आदि को सम्प्रेषित करने का दृश्य माध्यम लिपि है । लिपि के कारण ही हम

प्राचीनकालीन शिलालेखों, ताम्रपत्रों, हस्तलेखों आदि के माध्यम से तत्कालीन इतिहास, सभ्यता आदि का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। एक बात तो साफ़ है कि लिपि की उत्पत्ति भाषा की उत्पत्ति के बहुत बाद में हुई।

हर भाषा में लिखित चिह्नों की एक ऐसी व्यवस्था होती है, जिसके द्वारा उस भाषा के मौखिक या उच्चरित रूप को मूर्त-रूप दिया जा सकता है। मानव भाषा का मूल रूप उच्चरित ध्वनियों पर आधरित होता है। उच्चरित भाषा की इन श्रव्य ध्वनियों को दृश्य रूप में सम्प्रेषित करने के लिए जब हम लिखित चिह्नों का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें लिपि के रूप में स्थायित्व मिल जाता है।

प्राचीन भारत में दो प्रमुख लिपियाँ प्रचलित थीं – खरोष्ठी और ब्राह्मी। खरोष्ठी बाद में लुप्त हो गई और ब्राह्मी संस्कृत के लेखन का माध्यम बनी। ब्राह्मी की प्राचीनता और उद्‌भव के बारें में विद्वानों में पर्याप्त विवाद है किन्तु इतना निश्चित है कि भारत की सारी लिपियाँ और सिंहली भाषा की सिंहल लिपि भी ब्राह्मी से विकसित हुई हैं। ब्राह्मी ही भारतीय भाषाओं की मूलभूत एकता का आधार है। ब्राह्मी की प्रमुख विशेषता जो उसे अन्य लिपियों से अलग करती है, वह है इसकी आक्षरिकता। इसमें व्यंजन और स्वर मिलकर लिपि-चिह्न का निर्माण करते हैं। ब्राह्मी के प्रभाव के कारण ही एशिया की लगभग सारी लिपियाँ आक्षरिक हैं। ब्राह्मी से विकसित देवनागरी लिपि को इसीलिए वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है, क्योंकि इसमें उच्चारण और लेखन में सर्वाधिक ताल-मेल मिलता है।

भारतीय तथा पाश्चात्य लिपि विशेषज्ञों का यह निर्विवाद मत है कि प्राचीन ब्राह्मी लिपि से भारतीय उप-महाद्वीप की अधिकांश लिपियों का विकास हुआ है। ईसा से लगभग दो सौ वर्ष पूर्व अशोक के शिलालेखों में हमें ब्राह्मी लिपि के नमूने मिलते हैं। रोमन लिपि ध्वन्यात्मक है और ब्राह्मी आक्षरिक। ध्वन्यात्मक लिपि में स्वरों और व्यंजनों को अलग-अलग चिह्नों द्वारा प्रकट किया जाता है, जबकि आक्षरिक लिपि में व्यंजन और स्वर मिलकर लिपि-चिह्न का निर्माण करते हैं।

भारोपीय तथा द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की लिपियाँ ब्राह्मी से विकसित हुई हैं। इस प्रकार हिन्दी, मराठी, नेपाली और संस्कृत के अतिरिक्त बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, कश्मीरी की लिपियाँ और दक्षिण भारत की भाषाओं – तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम की लिपियाँ भी ब्राह्मी से विकसित हुई हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार लिपि को ईश्वर की सृष्टि माना गया है। इसी मान्यता के आधार पर भारतीय धर्मों में लिपि को ब्रह्मा की सृष्टि कहा गया है और इसीलिए प्राचीन लिपि को ब्राह्मी के नाम से पुकारा गया।

## 5.3.02. भाषा और लिपि

भाषा और लिपि दोनों ही मनुष्य के विचार-सम्प्रेषण के दो माध्यम है। सम्प्रेषण के इन दोनों माध्यमों का आधार मानव मुख से उच्चरित ध्वनियाँ है, अतः दोनों में परस्पर-सम्बन्ध है। लिपि भाषा पर ही आधरित होती है। लिपि भाषा का ही लिखित पर्याय है। दोनों का अन्तर भी स्पष्ट है कि भाषा में जो ध्वनियाँ श्रव्य रूप में व्यक्त होती हैं वही लिपि में दृश्य रूप में प्रयुक्त होती हैं। भाषा उच्चरित या मौखिक होती है और लिपि लिखित।

भाषा समय व स्थान की सीमाओं में सीमित रहती है जबकि लिपि समय व स्थान की सीमाओं को लाँघकर हर युग, समय या स्थान पर पहुँच सकती है। हालाँकि आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से भाषा की उच्चरित ध्वनियों को भी टेप में सुरक्षित करके हर युग व स्थान पर पहुँचाया जा सकता है। फिर भी लिपि ही किसी भाषा को उसके शुद्ध, परिलिखित और मूल रूप में सुरक्षित रखती है। संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश आदि प्राचीन भाषाओं का साहित्य लिपि के कारण ही आज अपने मूल रूप में सुरक्षित है। शिक्षा, ज्ञान-विज्ञान, प्रौद्योगिकी, राजनीति, समाज, न्याय, विधि, भूगोल, इतिहास आदि विभिन्न प्रकार के विषयों की सामग्री सम्पूर्ण विश्व में लिपि के माध्यम से ही उपलब्ध है।

इस प्रकार भाषा और लिपि दोनों में परस्पर-सम्बन्ध भी है तथा भिन्नता भी। लिपि के मानक रूप का अभिप्राय है, 'लिपि का शुद्ध या परिष्कृत रूप।' यह किसी भाषा का ऐसा परिष्कृत लिखित रूप होता है जो उच्चारण या लेखन में प्रयोग आदि की दृष्टि से अपने पूरे व्यवहार क्षेत्र में शुद्ध और आदर्श माना जाता है। वहाँ के सुशिक्षित लोग उसे शुद्ध मानकर उसी का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं। शिक्षा, प्रशासन, साहित्य रचना आदि में लिपि का यही मानक रूप व्यवहृत होता है।

अशोक के शिलास्तम्भ अभिलेखों से स्पष्ट है कि ई.पू. चौथी शताब्दी तक भारत में लिपि-कला काफी विकसित हो चुकी थी। यूनानी यात्री-लेखकों के अनुसार ई.पू. चतुर्थ शती में भारत में कागज़ और लेखन कला की अच्छी जानकारी थी। पिपरावा, बड़ली, सोहगौरा, महस्थान आदि में उपलब्ध अशोक-पूर्व युगीन लेखों के आधार पर भारत में लिपि-प्रयोग का कार्य ई.पू. पाँचवीं शती के पूवार्ध तक चला जाता है। बौद्ध वाङ्मय के आधार पर ई.पू. 400 या उसके भी पहले ई.पू. छठी शताब्दी तक उस जानकारी की बात प्रमाणित होती है। पाणिनि के धातुपाठ में 'लिपि' और 'लिबि' धातु उपलब्ध हैं। डॉ० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा ने शास्त्रीय ग्रन्थों के आधार पर सिद्ध किया है कि पाणिनि और यास्क से भी अनेक शताब्दी पूर्व भारत में अनेक लिखित ग्रन्थ थे और लेखन कला का प्रयोग होता था। बूलर, बॉटलिक और रॉथ ने भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भारत में लिपिकला की प्राचीनता स्वीकार की है। कोलब्रुक कनिंघम, गौरीशंकर हीराचन्द ओझा आदि भारत में लेखनकला का व्यवहार बुद्ध से अनेक शताब्दी पूर्व का मानते हैं।

## 5.3.03. ब्राह्मी लिपि का उद्भव

ब्राह्मी की उत्पत्ति को विद्वानों का एक वर्ग अभारतीय मानता है और दूसरा वर्ग भारतीय।

डिके असीरीयाई कीलाक्षरों से सम्बद्ध 'सामी' से ब्राह्मी की उत्पत्ति मानते हैं। कुपेरी चीनी लिपि से, डॉ० साहा अरबी लिपि से, सेनार्ट, विल्सन आदि ग्रीक लिपि से, बूलर, बेवरर, टेलर आदि मेसोपोटामिया और आरमयिक लिपियों से इसका सम्बन्ध बताते हैं। विलियम और बेवर के मत भी इसी पक्ष के पोषक हैं।

दूसरा वर्ग इसका विकास स्वतन्त्र रूप में भारतीय सीमा के अन्तर्गत मानता है और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से उपलब्ध मुद्राओं के आधार पर सिन्धु घाटी सभ्यता की लिपि से ब्राह्मी की उत्पत्ति बताता है।

कुछ साहसिक विद्वान् सुमेरी, सिन्धुघाटी और वैदिक आर्य – तीनों सभ्यताओं को एक मूल स्रोत से विकसित मानकर किसी एक लिपि से अथवा प्राचीनतम सुमेरी लिपि से ब्राह्मी के उद्‌भव का अनुमान करते हैं। सिन्धुघाटी की लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों से विचित्र और भिन्न लगती है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि अधिकांश भारतीय विद्वानों के मतानुसार देवनागरी का विकास उस ब्राह्मी से हुआ है जो ई.पू. हज़ारों वर्षों से भारत में प्रचलित थी और जिसका विकास स्वयं भारत में और भारतीयों द्वारा किया गया था।

ब्राह्मी लिपि कितनी पुरानी है, इसका उद्‌भव कैसे हुआ, यह सब विवादास्पद है किन्तु यह निश्चित है कि ब्राह्मी के अस्तित्व में आने तक विश्व में चार लिपियाँ प्रतिष्ठित हो चुकी थीं। चीनी, असीरियाई, यूनानी ऐर सामी। इन चारों की प्रकृति ब्राह्मी से भिन्न है। ब्राह्मी की भारतीय उत्पत्ति के बारे में तीन सम्भावनाएँ हैं। सिन्धु घाटी की लिपि से उद्‌भव की बात तभी सिद्ध हो सकती है जब सिन्धु घाटी की लिपि पर से रहस्य का पर्दा उठ जाए। दूसरी सम्भावना भारतीय मूल की किसी चित्रात्मक लिपि से विकसित होने की है, इस सम्बन्ध में भी पर्याप्त प्रमाणों का अभाव है। तीसरी सम्भावना है कि आर्यों ने अन्य लिपियों के आधार पर ब्राह्मी का निर्माण किया हो। गौरीशंकर हीराचन्द ओझा का कथन है कि "यह तो निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि ब्राह्मी का आविष्कार कैसे हुआ। इतना ही कहा जा सकता है कि ब्राह्मी अपनी प्रौढ़ अवस्था में और पूर्ण व्यवहार में आती हुई मिलती है और उसका किसी बाहरी स्रोत और प्रभाव से निकलना सिद्ध नहीं होता।"

यही ब्राह्मी लिपि भारतीय लिपियों का मूलाधर है। ब्राह्मी के प्राचीनतम नमूने शिलालेखों के रूप में 500 वर्ष ईसा पूर्व से प्राप्त होते हैं। भारत में मौर्यकाल में ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। सन् 350 तक उसका यह स्वरूप प्रचलित रहा। बाद में इसकी दो शैलियाँ – उत्तरी और दक्षिणी, विकसित हो गईं। उत्तरी शैली को आगे चलकर गुप्त लिपि के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद, इसी से कुटिल लिपि का विकास हुआ जो छठी से नवीं शताब्दी तक उत्तर भारत में प्रचलित रही। इसी लिपि से लगभग आठवीं शताब्दी में प्राचीन नागरी लिपि विकसित हुई।

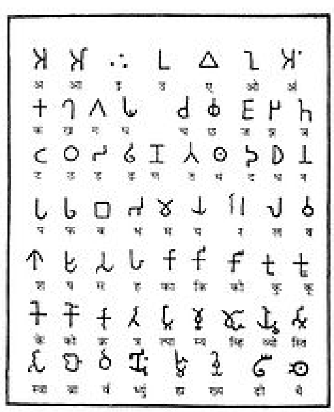

अशोककालीन ब्राह्मी लिपि के अक्षर

बांग्ला, गुजराती, गुरुमुखी, ओड़िया आदि लिपियाँ भी ब्राह्मी के क्षेत्रीय रूपों से विकसित हुई हैं। गुप्त लिपि और उससे निकली कुटिल लिपि, शारदा लिपि तथा कैथी लिपि भी ब्राह्मी से ही विकसित हुई हैं। दक्षिण की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम भाषाओं की लिपियाँ भी ब्राह्मी की दक्षिणी शैली से विकसित मानी जाती हैं। इस प्रकार भारत की ये नौ लिपियाँ – देवनागरी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला-असमिया, ओड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम ब्राह्मी लिपि से विकसित हैं। इसका कारण इन लिपियों में वर्णों की समानता तथा लेखन की प्रवृत्ति का एक जैसा होना है। उक्त भाषाओं में वर्ण समानता केवल स्वर-व्यंजनों तक सीमित न होकर मात्राओं के लेखन में भी दिखाई पड़ती है। देवनागरी लिपि भारत की प्रमुख लिपि है। विकास-क्रम में इन लिपियों में धीरे-धीरे अन्तर आता गया। फिर भी, इनमें समानता स्पष्ट रूप में झलकती है। इसीलिए, एक सुप्रसिद्ध भाषाविज्ञानी एम.बी. एमेन्यू ने भारत को एकल भाषा-क्षेत्र की संज्ञा दी है।

आज देवनागरी का प्रयोग संस्कृत, हिन्दी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, डोगरी, संथाली, बोडो के अतिरिक्त हिन्दी की सभी बोलियों के लिए होने लगा है। कई जनजातीय भाषाओं के लिए भी देवनागरी का प्रयोग किया जा रहा है।

## 5.3.04. देवनागरी लिपि – नामकरण

देवनागरी लिपि के नामकरण के सम्बन्ध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। 'ललितविस्तर' (दूसरी शताब्दी ई.) की 64 लिपियों में एक 'नाग लिपि' का उल्लेख मिलता है, जिसके आधार पर देवनागरी के नामकरण के सम्बन्ध में मत प्रस्तुत किया जाता है। किन्तु अनेक विद्वान् 'ललितविस्तर' की 'नाग लिपि' के आधार पर नागरी लिपि के नामकरण से सहमत नहीं हैं।

एक अन्य मत के अनुसार, गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा सर्वप्रथम उपयोग किए जाने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा। यह मत भी साधार प्रतीत नहीं होता। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि, बाकी नगर तो केवल नगर ही हैं किन्तु काशी देवनगरी है, और वहाँ इसका प्रचार होने के कारण इस लिपि का नाम 'देवनागरी' पड़ा। एक अन्य मत के अनुसार, नगरों में प्रचलित होने के कारण यह लिपि नागरी कहलाई। इस मत को कुछ हद तक स्वीकार किया जा सकता है। दक्षिण के विजयनगर राजाओं के दानपत्रों की लिपि को नन्दिनागरी का नाम दिया गया है। यह भी सम्भव है कि नन्दिनागरी, महाराष्ट्र की लिपि होने के कारण इसके लिए नागरी का नाम अस्तित्व में आया। नन्दि शब्द देव का सूचक है। पहले के लेखों में नागरी लिपि का व्यवहार देखने को मिलता है। बाद में जब उत्तर भारत में भी इसका प्रचार हुआ, तो 'नन्दि' की तरह यहाँ 'देव' शब्द इसके पहले जोड़ दिया गया होगा। जो भी हो, अब तो यह नागरी या देवनागरी शब्द उत्तर भारत में 8वीं शताब्दी से आज तक लिखे गए प्रायः सभी लेखों की लिपि-शैलियों के लिए प्रयुक्त होता है। दसवीं शताब्दी में पंजाब और कश्मीर में प्रयुक्त शारदा लिपि नागरी की बहन थी, और बांग्ला लिपि को भी हम नागरी की बहन अवश्य मान सकते हैं। आज समस्त उत्तर भारत, नेपाल और सम्पूर्ण महाराष्ट्र में देवनागरी लिपि का इस्तेमाल होता है।

## 5.3.05. देवनागरी लिपि का उद्‌भव और विकास

देवनागरी या नागरी लिपि का उद्‌भव भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी से माना जाता है। देवनागरी लिपि का प्रारम्भिक रूप बोधिगया के महानाम अभिलेख (सन् 588) में मिलता है। इस प्रकार छठी-सातवीं शताब्दी में विकसित होते हुए आठवीं शती तक देवनागरी का विकसित रूप सामने आ चुका था। इस प्रकार नागरी लिपि में विकास होते-होते बारहवीं शताब्दी में आधुनिक नागरी लिपि का स्वरूप निर्धरित हो चुका था। बारहवीं शताब्दी से आज तक नागरी लिपि के अधिकांश चिह्नों का एक ही रूप चलता आ रहा है लेकिन विकास के दौरान आवश्यकता के अनुसार उसमें नये लिपि-चिह्नों का समावेश भी हुआ है। देवनागरी लिपि पर फ़ारसी, गुजराती तथा अंग्रेज़ी का भी प्रभाव रहा है।

(i) विकास के दौरान नागरी लिपि पर फ़ारसी लिपि का बहुत प्रभाव पड़ा। फ़ारसी लिपि में नुक्ते या बिन्दु का काफी प्रयोग होता है। उसके प्रभाव से नागरी लिपि में भी नुक्ते या बिन्दु का प्रयोग मिलता है।

(ii) नागरी लिपि पर गुजराती लिपि का भी प्रभाव पड़ा। गुजराती लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता। उसके प्रभाव से बहुत से लोग नागरी लिपि को भी शिरोरेखा के बिना लिखते हैं।

(iii) नागरी लिपि ने अंग्रेजी से भी प्रभाव ग्रहण किया। अंग्रेजी के 'हॉल', 'ऑफिस' जैसे शब्दों के प्रचलित होने के बाद इन शब्दों में प्रयुक्त 'ऑ' ध्वनि के लिए एक नये लिपि चिह्न 'ऑ' की परिकल्पना नागरी लिपि में की गई।

(iv) नागरी लिपि पर अंग्रेजी के विराम चिह्नों का भी प्रभाव पड़ा है। नागरी लिपि में पूर्ण-विराम के लिए खड़ीपाई का प्रयोग किया जाता है लेकिन अब अंग्रेज़ी के प्रभावस्वरूप तथा आधुनिक मुद्रण तकनीक में सुविधा की दृष्टि से खड़ी पाई (।) के स्थान पर अंग्रेजी बिन्दु (.) का प्रयोग चल पड़ा है। इनके अतिरिक्त अंग्रेज़ी में प्रचलित कुछ अन्य विरामादि-चिह्न भी हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं।

देवनागरी लिपि मुस्लिम शासन के दौरान भी इस्तेमाल होती रही है। विभिन्न मूर्ति-अभिलेखों, शिखालेखों, ताम्रपत्रों आदि में भी देवनागरी लिपि के हज़ारों अभिलेख प्राप्त हैं, जिनका कालखण्ड सन् 1008 ई. के आसपास का है। मुसलमानों के भारत आगमन के पूर्व से, भारत की भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी थी, जिसके द्वारा सभी कार्य सम्पादित किए जाते थे।

भारत में इस्लाम के आगमन के पश्चात् संस्कृत का गौरवपूर्ण स्थान फ़ारसी को प्राप्त हो गया। किन्तु मुस्लिम शासक देवनागरी लिपि में लिखित संस्कृत भाषा की पूर्ण उपेक्षा नहीं कर सके। महमूद गज़नवी ने अपने राज्य के सिक्कों पर देवनागरी लिपि में लिखित संस्कृत भाषा को स्थान दिया। शेरशाह सूरी ने भी अपनी राजमुद्राओं पर देवनागरी लिपि को समुचित स्थान दिया था। उसके फ़रमान फ़ारसी और देवनागरी दोनों लिपियों में समान रूप से लिखे जाते थे। देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी परिपत्र सम्राट अकबर (शासन काल 1556 ई.- 1605 ई.) के दरबार से जारी या प्रचारित किए जाते थे, जिनके माध्यम से देश के अधिकारियों, न्यायाधीशों,

गुप्तचरों, व्यापारियों, सैनिकों और प्रजाजनों को विभिन्न प्रकार के आदेश-अनुदेश प्रदान किए जाते थे। इस प्रकार के चौदह परिपत्र राजस्थान राज्य के बीकानेर अभिलेखागार में सुरक्षित हैं।

औरंगजेब के शासन काल (1658 ई.-1707 ई.) में अदालती भाषा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, राजस्व विभाग में हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि ही प्रचलित रही। फ़ारसी किबाले, पट्टे, रेहन्नामे आदि का हिन्दी अनुवाद अनिवार्य बना रहा। औरंगजेब परवर्ती मुगल सम्राटों के राज्यकार्य से सम्बद्ध देवनागरी लिपि में हस्तलिखित बहुसंख्यक प्रलेख उक्त अभिलेखागार में उपलब्ध हैं, जिनके विषय तत्कालीन व्यवस्था-विधि, नीति, पुरस्कार, दण्ड, प्रशंसा-पत्र, जागीर, उपाधि, सहायता, दान, क्षमा, कारावास, गुरु गोविन्द सिंह, कार्यभार ग्रहण, अनुदान, सम्राट की यात्रा, सम्राट औरंगजेब की मृत्यु सूचना, युद्ध सेना-प्रयाण, पदाधिकारियों को सम्बोधित आदेश-अनुदेश, पदाधिकारियों के स्थानान्तरण-पद स्थापन आदि से सम्बद्ध हैं। यह अनिवार्यता ब्रिटिश राज्यारम्भ काल (23 जून 1757 ई.) तक सुरक्षित रही। 18वीं शताब्दी के मध्य तक हिन्दी में मुद्रण के विकास के साथ इसमें परिपक्वता आती गई।

देवनागरी का निरन्तर विकास होता रहा है और आज यह एक समृद्ध लिपि के रूप में विकसित हो गई है। विद्वानों के द्वारा देवनागरी को एक पूर्ण वैज्ञानिक लिपि की संज्ञा दी जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी का वाहक बनने तथा सरलीकरण के उद्देश्य से इसके मानकीकरण की आवश्यकता अनुभव की गई। तदनुसार इसके वर्णों तथा वर्तनी व्यवस्था का मानकीकरण किया गया है। सन् 2012 से भारतीय मानक संस्थान द्वारा देवनागरी लिपि-वर्तनी को मानक रूप प्रदान कर उसे आई.एस.ओ. भी प्रदान कर दिया गया है।

## 5.3.06. देवनागरी लिपि की विशेषताएँ

लगभग सभी विद्वान् एकमत हैं कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी की सभी विशेषताएँ देवनागरी द्वारा ग्रहण की गई हैं। ब्राह्मी की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

i. इसमें संस्कृत वर्णमाला के सभी वर्णों के लिपि-चिह्न मिलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इसका प्रयोग संस्कृत भाषा के लेखन के लिए किया गया था।
ii. यह दाएँ से बाएँ लिखी जाती है। हीब्रू, सामी तथा अरबी लिपियाँ बाएँ से दाएँ लिखी जाती हैं।
iii. इसमें स्वर, व्यंजन और मात्राएँ हैं जो देवनागरी की आक्षरिकता का आधार बनते हैं।
iv. ब्राह्मी में दशमलव पद्धति के अनुसार अंक थे। ब्राह्मी के अंकों को अरबों के माध्यम से यूरोपीय भाषाओं ने भी अपनाया। अरबी स्रोत के माध्यम से प्राप्त होने के कारण इन्हें अरबी अंक कहा जाने लगा किन्तु वास्तव में ये भारतीय अंक हैं।

## 5.3.07. देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता

किसी लिपि की वैज्ञानिकता को लेकर विद्वानों ने निम्नलिखित आधार बताए हैं। इन्हीं गुणों के कारण देवनागरी को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसा जाता है।

**वर्णमाला तथा वर्णक्रम**

देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम अत्यन्त वैज्ञानिक है। इसमें स्वर-व्यंजन अलग-अलग रखे गए हैं। स्वरों के ह्रस्व-दीर्घ युग्म साथ-साथ रहते हैं, जैसे – अ-आ, इ-ई, उ-ऊ। इन स्वरों के बाद संयुक्त स्वरों को वर्णमाला में अलग से रखा गया है, जैसे – ए, ऐ, ओ, औ। देवनागरी व्यंजनों की विशेषता इस लिपि को और भी वैज्ञानिक बनाती है, जिसके फलस्वरूप क, च, ट, त, प वर्ग उच्चारण स्थान पर आधारित हैं और हर वर्ग के व्यंजन में घोषत्व का आधार भी सुस्पष्ट है, जैसे – पहले दो व्यंजन (च, छ) अघोष और शेष तीन व्यंजन (ज, झ, ञ) घोष हैं। देवनागरी व्यंजनों को हम प्राणत्व के आधार पर भी समझ सकते हैं, जैसे – प्रथम, तृतीय और पंचम व्यंजन अल्पप्राण और द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन महाप्राण होताहै। इस तरह का वर्गीकरण और किसी और लिपि में नहीं मिलता।

i. आरम्भ में स्वर ध्वनियाँ – अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः हैं।
ii. फिर 'क' वर्ग से 'प' वर्ग तक 27 स्पर्श व्यंजन हैं–

| | | |
|---|---|---|
| 'क' वर्ग | – | क्, ख्, ग्, घ्, ङ् |
| 'च' वर्ग | – | च्, छ्, ज्, झ्, ञ् |
| 'ट' वर्ग | – | ट्, ठ्, ड्, ढ्, ण्, ड़, ढ़ |
| 'त' वर्ग | – | त्, थ्, द्, ध्, न् |
| 'प' वर्ग | – | प्, फ्, ब्, भ्, म् |

iii. उसके बाद अन्तस्थ – य्, र्, ल्, व्
iv. अन्त में ऊष्म ध्वनियाँ – श्, ष्, स् और ह् हैं।

यदि हम देवनागरी की तुलना रोमन लिपि से करें तो रोमन लिपि में स्वर और व्यंजन की कोई वैज्ञानिक क्रमबद्धता नहीं है। उसमें पहले (a) स्वर आता है फिर व्यंजन (b, c, d) आते हैं। फर एक स्वर (e) आता है इसी प्रकार कई व्यंजनों के बाद (i, o, u) बीच में आते हैं। देवनागरी के व्यंजन-वर्णों का वर्गानुसार क्रमविन्यास उनके उच्चारण स्थान के अनुसार है।

### (क) ध्वनि और लिपि में एकरूपता –

जैसे बोला जाए, वैसे लिखा जाना लिपि की वैज्ञानिकता का सूचक होता है। देवनागरी में यह गुण काफ़ी हद तक मिलता है।

### (ख) लिपि चिह्नों की अधिकता –

विश्व की किसी भी लिपि में इतने लिपि प्रतीक नहीं हैं। अंग्रेजी में ध्वनियाँ 40 के ऊपर है किन्तु केवल 26 लिपि-चिह्नों से काम होता है। उर्दू में भी ख, घ, छ, ठ, ढ, ढ़, थ, ध, फ, भ आदि के लिए लिपि-चिह्न नहीं है। इनको व्यक्त करने के लिए उर्दू में 'हे' से काम चलाते हैं। इस दृष्टि से ब्राह्मी से उत्पन्न होने वाली अन्य कई भारतीय भाषाओं में लिपि-चिह्नों की संख्याओं की कमी नहीं है। निष्कर्ष के तौर पर लिपि चिह्नों की पर्याप्तता की दृष्टि से देवनागरी, रोमन और उर्दू से अधिक सम्पन्न है।

### (ग) एक ध्वनि के लिए एक लिपि-चिह्न का प्रयोग –

देवनागरी लिपि में विभिन्न ध्वनियों और उनके लिए प्रयुक्त लिपि-चिह्नों में सामंजस्य की स्थिति मिलती है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग-अलग लिपि-चिह्न निश्चित हैं। इसमें ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के लिए भी अलग-अलग मात्रा-चिह्न हैं। इसलिए नागरी लिपि में वही लिखा जाता है जो बोला जाता है, किसी प्रकार के भ्रम की सम्भावना नहीं रहती। जबकि अंग्रेज़ी की रोमन लिपि में एक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए कई लिपि-चिह्न मिल जाते हैं और एकाधिक ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए एक ही लिपि चिह्न प्रयुक्त होता है। जैसे c लिपि-चिह्न का प्रयोग a, o तथा u से पहले 'क' की ध्वनि के लिए होता है, अन्य स्वरों से पहले 'स' ध्वनि के लिए। इसी प्रकार put (पुट) और but (बट) शब्दों में लिपि-चिह्न का प्रयोग 'उ' (u) तथा 'अ' ध्वनियों के लिए किया गया है। इसी प्रकार 'क' ध्वनि के लिए भी c, k, q आदि कई लिपि चिह्नों का प्रयोग होता है। जैसे – cat (कैट), kite (काईट), queen (क्वीन)। इस प्रकार रोमनलिपि में लिपि-चिह्नों में भिन्नता मिलती है जबकि देवनागरी में ऐसी भिन्नता नहीं मिलती।

### (घ) सभी ध्वनियों की अभिव्यक्ति की क्षमता –

एक आदर्श लिपि में विभिन्न भाषाओं की ध्वनियों को अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में देवनागरी में अन्य लिपियों की अपेक्षा विभिन्न भाषाओं की ध्वनियों के लिखने की क्षमता है। इस दिशा में इसे और सशक्त बनाने के लिए परिवर्धित देवनागरी की संकल्पना विकसित की गई और विभिन्न भाषाओं की ध्वनियों के लिए विशिष्ट चिह्नों का सुझाव दिया गया। देवनागरी की तुलना में रोमन तथा उर्दू लिपियाँ इस सम्बन्ध में अपूर्ण सिद्ध होती हैं।

**(ङ)लेखन और मुद्रण मे एकरूपता –**

रोमन, अरबी और फ़ारसी की लिपियों में लिखित और मुद्रित रूप अलग-अलग हैं, जबकि देवनागरी में इस सम्बन्ध में काफ़ी एकरूपता पाई जाती है।

**(च)वर्णों के नाम और ध्वनि की एकरूपता –**

देवनागरी लिपि में लिपि चिह्नों के नाम और ध्वनि मे कोई अन्तर नहीं है जबकि रोमन में B वर्ण का नाम 'बी' है और उसकी ध्वनि 'ब' है, C वर्ण का नाम 'सी' है और उसकी ध्वनि 'क' और 'स' है इसी प्रकार F वर्ण का नाम 'एफ़' है और ध्वनि 'फ़' है।

**(छ)व्यंजनों की आक्षरिकता –**

देवनागरी में हर व्यंजन के साथ स्वर 'अ' का योग रहता है, जैसे – च्+अ = च, इस तरह किसी भी लिपि के अक्षर को तोड़ना आक्षरिकता कहलाता है। लेखन में कम स्थान घेरने की दृष्टि से यह इसकी विशेषता है। जैसे – देवनागरी लिपि में 'कमल' तीन वर्णों के संयोग से लिखा जाता है, जबकि रोमन में छह वर्णों (kamala) का प्रयोग किया जाता है।

**(ज)पाठन एवं लेखन –**

किसी भी लिपि के लिए अत्यन्त आवश्यक गुण होता है कि उसे आसानी से पढ़ा और लिखा जा सके इस दृष्टि से देवनागरी लिपि अधिक वैज्ञानिक है। उर्दू की तरह नहीं, जिसमें जूता को जोता, जौता आदि कई रूपों में पढ़ने की गलती अक्सर लोग करते हैं।

**(झ) अवैज्ञानिक व्यवस्था से मुक्त –**

देवनागरी लिपि 'स्माल लेटर', 'कैपिटल लेटर', 'प्रिंट रूप', 'कर्सिव रूप' आदि की अवैज्ञानिक व्यवस्था से भी मुक्त है।

इस प्रकार देवनागरी लिपि में विशेष रूप से वैज्ञानिकता के दर्शन होते हैं।

## 5.3.08. देवनागरी लिपि की कमियाँ

उपर्युक्त कसौटी के अनुसार देवनागरी की वर्तमान वर्णमाला में कुछ कमियों की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है –

### i. शिरोरेखा तथा मात्राएँ –

देवनागरी में ऊपर, नीचे, दाएँ, बाएँ – चारों ओर से मात्राएँ लगना और फिर शिरोरेखा खींचना लेखन में अधिक समय लेता है, रोमन और उर्दू में ऐसा नहीं होता।

### ii. 'र' के पाँच रूप –

देवनागरी में 'र' के पाँच रूप (रकम, प्रकार, वर्ष, कृतज्ञ, ड्रम) प्रचलित हैं किन्तु ये पाँचों रूप अलग-अलग रूप से अस्तित्व एवं प्रयोग में मिलते हैं।

### iii. सभी संयुक्ताक्षरों के लिएस्वतन्त्र वर्ण का नहीं होना –

क्ष, त्र, ज्ञ, श्र आदि संयुक्ताक्षरों के लिए देवनागरी वर्णमाला में वर्ण निश्चित हैं जबकि अन्य संयुक्ताक्षरों के लिए स्वतन्त्र वर्ण नहीं हैं।

### iv. अनुस्वार एवं अनुनासिकता–

अनुस्वार से समवर्गीय नासिक्य व्यंजनों (पंचमाक्षरों) तथा अनुनासिकता का भी काम लिया जाता है; जैसे – गङ्गा के स्थान पर गंगा, चञ्चल के स्थान पर चंचल, खण्डन के बजाय खंडन, पन्थ के जगह पर पंथ, कम्पन के स्थान पर कंपन, सिंचाई, सड़कें, दोनों आदि।

### v. संयुक्ताक्षरों को लिखने केअनेक रूप प्रचलित होना –

कुछ संयुक्ताक्षरों को लिखने के कई रूप प्रचलितहैं। जैसे – श्र, त्र के लिए श और त में प्र की तरह ही र में ऱ लिखा जाता है।

### vi. एक ध्वनि के लिए दो लिपि-चिह्न प्रचलित होना –

एक ध्वनि के लिए दो लिपि-चिह्न प्रचलित हैं। जैसे आशा – भाषा, पैसा – नैया आदि।

देवनागरी लिपि तथा वर्तनी के मानकीकरण से उपर्युक्त कई समस्याओं का समाधान हो गया है। शिरोरेखा तथा र के विभिन्न प्रयोगों का अपना औचित्य है। फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि परम्परागत सभी अन्य प्रमुख लिपियों की अपेक्षा देवनागरी लिपि अधिक पूर्ण और वैज्ञानिक है।

## 5.3.09. पाठ-सार

हर भाषा में लिखित चिह्नों की ऐसी व्यवस्था होती है, जिसके द्वारा उस भाषा के मौखिक या उच्चरित रूप को मूर्त-रूप दिया जा सकता है। लिखने की पद्धति के माध्यम से हम मौखिक भाषा को लिखित मूर्त रूप देते हैं। मानव भाषा का मूल रूप उच्चरित ध्वनियों पर आधरित होता है। ये ध्वनियाँ मनुष्य के भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सदियों से माध्यम बनती आई हैं। हम उच्चरित या मौखिक भाषा के रूप में जिन ध्वनियों का उच्चारण अपने शब्दों या वाक्यों आदि में करते हैं, वे तात्कालिक या क्षणिक होती हैं। उच्चरित भाषा की इन श्रव्य ध्वनियों को दृश्य रूप में सम्प्रेषित करने के लिए जब हम लिखित चिह्नों का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें लिपि के रूप में स्थायित्व मिल जाता है। इस प्रकार लिपि मनुष्य के भावों और विचारों को सम्प्रेषित करने का दृश्य माध्यम है। जिसमें भाषा की उच्चरित ध्वनियों को निर्धारित क्रम के लिखित प्रतीक-चिह्नों की सार्थक व्यवस्था में लिपिबद्ध किया जाता है।

देवनागरी लिपि भारत की प्रमुख लिपि है। हिन्दी की सभी बोलियाँ ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि देवनागरी में ही लिखी जाती हैं। मराठी, गुजराती और नेपाली भाषा की लिपि भी यही है। संस्कृत वाङ्मय भी देवनागरी लिपि में मिलता है। देवनागरी या नागरी की व्युत्पति भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी से मानी जाती है। यही ब्राह्मी लिपि भारतीय लिपियों का मूलाधर है। भारत में प्राचीन मौर्यकाल में ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। इसके बाद पाँचवी शताब्दी में गुप्तकाल में गुप्त लिपि का विकास हुआ और गुप्त लिपि से छठी शताब्दी में कुटिल लिपि का प्रचलन हुआ। इसी लिपि से लगभग आठवीं शताब्दी में प्राचीन नागरी लिपि विकसित हुई। तब से नागरी लिपि में निरन्तर विकास होता रहा है। इस विकास के दौरान नागरी लिपि के अक्षरों के स्वरूप में परिवर्तन आया है तथा कुछ नये चिह्न भी जुड़े हैं।

विकास के दौरान देवनागरी लिपि पर फ़ारसी, गुजराती, अंग्रेज़ी की रोमन लिपि का बहुत प्रभाव पड़ा है। गुजराती लिपि में शिरोरेखा नहीं है। उसके प्रभाव के फलस्वरूप बहुत से लोग नागरी लिपि भी शिरोरेखा के बिना लिखते हैं। नागरी लिपि ने अंग्रेज़ी से भी प्रभाव ग्रहण किया। अंग्रेज़ी के 'ऑफिस' जैसे शब्दों के प्रचलित होने के बाद इन शब्दों में प्रयुक्त ऑ ध्वनि के लिए एक नये लिपि चिह्न 'ऑ' की परिकल्पना नागरी लिपि में की गई। नागरी लिपि पर अंग्रेजी के विराम चिह्नों का भी प्रभाव पड़ा है। नागरी लिपि में पूर्ण-विराम के लिए खड़ीपाई का प्रयोग किया जाता है लेकिन अब रोमन लिपि के प्रभावस्वरूप तथा आधुनिक मुद्रण तकनीक में सुविधा की दृष्टि से खड़ीपाई (।) के स्थान पर अंग्रेजी बिन्दु (.) का प्रयोग होने लगा है।

देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता के सन्दर्भ में वर्णक्रम, ध्वनि-लिपि की एकरूपता, लेखन-मुद्रण में एकरूपता, अन्य भाषाओं की ध्वनियों के लेखन की क्षमता आदि विभिन्न आधारों पर चर्चा की गई है। देवनागरी लिपि में कुछ कमियों की भी संकेत किया गया है। देवनागरी लिपि के आधुनिकीकरण एवं मानकीकरण से कई समस्याओं का समाधान हो चुका है। अन्त में यह कहा जा सकता है कि देवनागरी लिपि में अधिकांश तत्त्व मिलते हैं जो इसे वैज्ञानिक लिपि होने की संज्ञा प्रदान करते हैं।

## 5.3.10. बोध प्रश्न

**1. निम्नलिखित कथनों पर सही (√) या गलत (X) का निशान लगाइए –**

i. लिपि मनुष्य के भावों और विचारों को सम्प्रेषित करने का दृश्य माध्यम है। (√)

ii. भारतीय उपमहाद्वीप की अधिकांश लिपियाँ ब्राह्मी से विकसित हुई हैं। (√)

iii. देवनागरी लिपि का विकास खरोष्ठी से हुआ है। (X)

iv. भाषा और लिपि दोनों ही मनुष्य के विचार-सम्प्रेषण के माध्यम है। (√)

v. देवनागरी ब्राह्मी से विकसित कुटिल लिपि के आधार पर विकसित हुई है। (√)

vi. देवनागरी लिपि के मानाकीकरण के फलस्वरूप कई वर्णों के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। (√)

vii. ब्राह्मी से विकसित ग्रन्थ लिपि से दक्षिण की लिपियों का विकास हुआ है। (√)

viii. देवनागरी लिपि का विकास नन्दिनागरी से हुआ है। (X)

ix. देवनागरी की प्रमुख विशेषता उसकी आक्षरिकता और वर्णक्रम है। (√)

x. देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता के सन्दर्भ में कुछ कमियों की ओर संकेत किया जाता है। (√)

**2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए –**

(i) अनुस्वार का प्रयोग पंचमाक्षर और अनुनासिकता के लिए किया जाता है।

(क) इसके सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है।

(ख) इसके सम्बन्ध में निश्चित नियम हैं।

(ग) अनुस्वार और अनुनासिकता में कोई अन्तर नहीं है।

सही उत्तर : (ख)

(ii) किस वर्ग के वर्णों के संयुक्ताक्षर 'हल्' चिह्न लगाकर बनाए जाएँगे ?

(क) प, ब, च, ज, त, थ

(ख) छ, ट, ठ, ड, ढ, द और ह

(ग) क, फ, फ़

सही उत्तर : (ख)

(iii) गंङ्गा के स्थान पर गंगा, सन्त के स्थान पर संत, चञ्चल के स्थान पर चंचल का लेखन किसके उदाहरण हैं ?

(क) अनुनासिकता

(ख) अन्विति

(ग) अनुस्वार

सही उत्तर : (ग)

(iv) देवनागरी लिपि में ये कमियाँ पाई जाती हैं –
  (क) अनुस्वार और अनुनासिकता
  (ख) मात्राओं का लेखन
  (ग) सभी संयुक्ताक्षरों के लिए वर्ण का अभाव

सही उत्तर : (ग)

(v) देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषता है –
  (क) ध्वन्यात्मकता
  (ख) चित्रात्मकता
  (ग) आक्षरिकता

सही उत्तर : (ग)

**3. निम्नलिखित का उत्तर 100 शब्दों में लिखिए –**

(i) भाषा और लिपि
(ii) देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता
(iii) देवनागरी लिपि का उद्‌भव एवं विकास

## 5.3.11. सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची


1. कन्हैया सिंह, हिन्दी भाषा साहित्य और नागरी लिपि, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी
2. किशोरी दास वाजपेयी, हिन्दी का वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली
3. गंगाप्रसाद विमल, राजभाषा हिन्दी में संकलित देवनागरी लिपि उद्‌भव और विकास (लेख), प्रकाशन विभाग, द्वितीय संस्करण 2000
4. गौराशंकर हीरानन्द ओझा, प्राचीन भारतीय लिपिमाला, मुंशीलाल मनोहरलाल, तृतीय संस्करण 1959
5. भोलानाथ तिवारी, हिन्दी भाषा की लिपि संरचना,साहित्य सहकार, दिल्ली
6. महावीर सरन जैन, देवनागरी लिपि एवं हिन्दी की वर्तनी : क्षमताएँ, सीमाएँ, वैज्ञानिकता एवं समस्याएँ, (लेख) नागरी लिपि सम्मेलन स्मारिका, नागरी लिपि परिषद्, नयी दिल्ली, पृ. 41–46 (अप्रेल, 1977)
7. राजकिशोर सिंह, हिन्दी भाषा का विकास एवं नागरी लिपि, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा
8. राम कृष्ण मिश्र (सं), मानक हिन्दी वर्तनी तथा नागरी लिपि, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नयी दिल्ली
9. सत्यनारायण त्रिपाठी, हिन्दी भाषा और लिपि का ऐतिहासिक विकास, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, (चतुर्थ संस्करण) 2006


❖❖❖

## खण्ड – 5 : लिपि का उदय और विकास

## इकाई – 4 : देवनागरी लिपि एवं वर्तनी का मानकीकरण

**इकाई की रूपरेखा**

5.4.0. उद्देश्य
5.4.1. प्रस्तावना
5.4.2. देवनागरी लिपि का मानकीकरण
5.4.3. हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण
 5.4.3.1. संयुक्तवर्णों का लेखन
 5.4.3.2. परसर्गों का लेखन
 5.4.3.3. अनुस्वार एवं अनुनासिकता
 5.4.3.4. विसर्ग का प्रयोग
 5.4.3.5. श्रुतिमूलक 'य' और 'व'
 5.4.3.6. विदेशी ध्वनियाँ
 5.4.3.7. आगत शब्दों की मानक वर्तनी
 5.4.3.8. विरामादि चिह्न
 5.4.3.9. संख्यावाचक शब्द
5.4.4. परिवर्धित देवनागरी
5.4.5. पाठ-सार
5.4.6. बोध प्रश्न
5.4.7. सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

### 5.4.0. उद्देश्य

प्रस्तुत पाठ का अध्ययन करने के उपरान्त आप –

i. देवनागरी लिपि के मानकीकरण की आवश्यकता पर चर्चा कर सकेंगे।
ii. देवनागरी लिपि के मानकीकरण के इतिहास के बारे में जान सकेंगे।
iii. देवनागरी लिपि के मानकीकरण के स्वरूप के समझ सकेंगे।
iv. हिन्दी भाषा की वर्तनी के मानकीकरण के नियमों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
v. परिवर्धित देवनागरी के बारे में जान सकेंगे।

## 5.4.1. प्रस्तावना

देवनागरी लिपि का प्रयोग संस्कृत, पालि, हिन्दी, मराठी, कोंकणी, सिन्धी, कश्मीरी, डोगरी, नेपाली तथा हिन्दी की बोलियों के लिए किया जाता है। नेपाल में बोली जाने वाली अन्य उपभाषाएँ, तामाङ भाषा, बोडो, संताली आदि भाषाएँ भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थितियों में गुजराती, पंजाबी, बिष्णुपुरिया मणिपुरी, उर्दू आदि भाषाएँ भी देवनागरी में लिखी जाती हैं।

हिन्दी भाषा के व्यवहार-क्षेत्र की व्यापकता के कारण ही स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद 14 सितंबर 1949 को देवनागरी में लिखित हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने तथा हिन्दी टंकण, मुद्रण तथा आगे चलकर कंप्यूटर में हिन्दी के प्रयोग को लेकर देवनागरी लिपि के मानकीकरण तथा आधुनिकीकरण की आवश्यकता अनुभव की गई। वैसे देवनागरी लिपि में एकरूपता लाने के प्रयास बीसवीं शती के आरम्भ में ही शुरू हो गए थे। 31 जुलाई 1947 को उत्तरप्रदेश सरकार ने आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों की उपयुक्तता की परीक्षा करना तथा मुद्रण, कंपोज़िंग तथा टंकण की दृष्टियों से देवनागरी लिपि की उपयुक्तता पर विचार करना था।

तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय ने मानक देवनागरी वर्णमाला प्रकाशित की। इसमें प्रत्येक वर्ण का एक मानक रूप निर्धारित किया गया। वास्तव में मानकीकरण के लिए सरकारी स्तर पर तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया है।

हिन्दी के संघ की राजभाषा के रूप में स्थापित होने तथा विभिन्न भाषाओं के राज्यों की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने के फलस्वरूप देवनागरी को देश की सामासिक संस्कृति का माध्यम बनाने के लिए भारतीय भाषाओं के मानक लिप्यन्तरण की आवश्यकता भी अनुभव की गई। देवनागरी में अन्य भारतीय भाषाओं की जिन विशिष्ट ध्वनियों के लिपि-चिह्न नहीं थे, उनके लिए लिपि-चिह्नों का निर्धारण किया गया। साथ ही साथ, हिन्दी वर्तनी की विविधता को दूर कर वर्तनी की एकरूपता स्थापित करने का भी प्रयास किया गया।

सन् 1967 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित देवनागरी लिपि का मानकीकरण पुस्तिका में हिन्दी वर्णों में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। पहले टंकण की आवश्यकता तथा लेखन को रेखीय आधार प्रदान करते हुए, द्वित्वों को ऊपर नीचे न लिखकर रेखीय क्रम प्रदान करने का प्रयास किया गया।

लिपि के दो पक्ष होते हैं। एक होता है – वर्णों का स्पष्ट आकार, लिखावट में सरलता तथा स्थान एवं प्रयत्नलाघव। लिपि का दूसरा पक्ष होता है – वर्तनी। एक ध्वनि को प्रकट करने के लिए विविध रूपों तथा वर्णों का प्रयोग वर्तनी को जटिल बना देता है और इसे लिपि का सामान्य दोष माना जाता है। इन सभी कठिनाइयों का समाधान करने के लिए देवनागरी लिपि एवं वर्तनी के मानकीकरण की आवश्यकता अनुभव की गई। देवनागरी लिपि तथा हिन्दी वर्तनी के मानकीकरण के सम्बन्ध में इस पाठ में विस्तार से पढ़ेंगे।

## 5.4.2. देवनागरी लिपि का मानकीकरण

देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयास सन् 1947 में लगभग भारत के स्वतन्त्र होने के बाद से ही शुरू हो गए थे। 31 जुलाई 1947 को उत्तरप्रदेश सरकार ने आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में सात सदस्यों की नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों की उपयुक्तता की परीक्षा करना तथा मुद्रण, कंपोज़िंग तथा टंकण की दृष्टियों से देवनागरी लिपि की उपयुक्तता पर विचार करना था। इस समिति ने उपर्युक्त मुद्दों पर विस्तारपूर्वक विचार कर काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा सुझाए परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया।

संविधान में राजभाषा घोषित होने के बाद से देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को संघ की राजभाषा बनाया गया। राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने पर हिन्दी भाषा की लिपि, वर्तनी और अंकों में एकरूपता लाने के लिए तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय ने विविध स्तरों पर प्रयास किए। सन् 1953 में भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन की अध्यक्षता में देवनागरी लिपि सुधार परिषद की एक बैठक लखनऊ में हुई जिसमें पण्डित गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री के. एम. मुंशी के अलावा अनेक मुख्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, भाषाशास्त्री तथा साहित्यकार भी सम्मिल्लित थे। तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय ने मानक देवनागरी वर्णमाला प्रकाशित की। इसमें प्रत्येक वर्ण का एक मानक रूप निर्धारित किया गया। वास्तव में मानकीकरण के लिए सरकारी स्तर पर केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया है।

हिन्दी के संघ की राजभाषा के रूप में स्थापित होने तथा विभिन्न भाषाओं के राज्यों की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने के फलस्वरूप देवनागरी को देश की सामासिक संस्कृति का माध्यम बनाने के लिए भारतीय भाषाओं के मानक लिप्यन्तरण की आवश्यकता अनुभव की गई। देवनागरी में अन्य भारतीय भाषाओं की जिन विशिष्ट ध्वनियों के लिपि-चिह्न नहीं थे, उनके लिए लिपि-चिह्नों का निर्धारण किया गया और सन् 1966 में परिवर्धित देवनागरी नामक पुस्तिका प्रकाशित की गई।

आज हिन्दी का प्रयोग विभिन्न प्रयोग क्षेत्रों में होने लगा है। साथ ही टंकण, मुद्रण और कंप्यूटर में हिन्दी के बढ़ते प्रयोग ने भाषा-प्रयोग के विविध क्षेत्रों का विकास किया तथा सहज रूप से काम करने के लिए इसमें संशोधन-परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की जाती रही है।

सन् 1967 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित देवनागरी लिपि का मानकीकरण पुस्तिका में हिन्दी वर्णों में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। पहले टंकण की आवश्यकता तथा लेखन को रेखीय आधार प्रदान करते हुए, द्वित्वों को ऊपर नीचे न लिखकर रेखीय क्रम में लिखने का सुझाव दिया गया। जैसे –

हिन्दी में द्वित्वों (संयुक्त व्यंजनों) को संस्कृत के अनुसार ऊपर-नीचे लिखने की परम्परा थी। प्रारम्भ में हिन्दी को टंकण के लिए उपयुक्त बनाने के लिए रेखीय क्रम में लिखने की आवश्यकता के अनुरूप रेखीय क्रम का प्रस्ताव किया गया।

i. खड़ीपाई वाले व्यंजनों (ख, ग, घ, च, ज, न, म, स आदि) के संयुक्त रूप परम्परागत तरीके से खड़ीपाई हटाकर ही बनाए जाएँ। जैसे – ख्याति, लग्न, विघ्न, कुत्ता, डिब्बा, अन्य, सभ्य, उल्लेख आदि।

ii. क, फ / फ़ के संयुक्ताक्षर– क, फ / फ़ के हुक को हटाकर संयुक्ताक्षर बनाए जाएँ। जैसे – पक्का, युक्त, सिफ़्त आदि।

iii. छ, ट, ठ, ड, ढ, द और ह के संयुक्ताक्षर– उपर्युक्त वर्णों के संयुक्ताक्षर हल् चिह्न लगाकर ही बनाए जाएँ। जैसे– लट्टू, चिट्ठी, बुद्ध, विद्या, चिह्न आदि (लट्टू, चिट्ठी, बुद्ध, चिह्न, ब्रह्मा नहीं)।

iv. हल् चिह्न से बनने वाले संयुक्ताक्षर के दूसरे व्यंजन के साथ इ का मात्रा का प्रयोग सम्बन्धित व्यंजन से पहले किया जाएगा। जैसे –चिट्ठियाँ (चिट्ठियाँ नहीं) बुद्धि (बुद्धि या बुदिध नहीं), द्वितीय (दिवतीय नहीं) आदि।

## 5.4.3. हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण

किसी भाषा के शिक्षण-अनुशिक्षण में सहायक या बाधक दो तत्त्व होते हैं – व्याकरण और लिपि। लिपि का एक पक्ष होता है – सामान्य और विशिष्ट स्वनों के लिए पृथक् प्रतीक वर्ण, उनका स्पष्ट आकार-भेद, लिखावट में सरलता तथा स्थान एवं प्रयत्न लाघव। लिपि का दूसरा पक्ष होता है – वर्तनी। एक ध्वनि को प्रकट करने के लिए विविध रूपों तथा वर्णों का प्रयोग वर्तनी को जटिल बना देता है और इसे लिपि का सामान्य दोष माना जाता है। हालाँकि देवनागरी लिपि में यह दोष न्यूनतम है, फिर भी इसकी कुछ विशिष्ट कठिनाइयाँ हैं।

इन सभी कठिनाइयों को दूर कर हिन्दी वर्तनी में एकरूपता लाने के लिए भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय ने सन् 1961 में एक समिति बनायी। समिति ने अप्रेल 1962 में अपनी सिफ़ारिशें प्रस्तुत कीं, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर, सन् 1967 में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण शीर्षक पुस्तिका में व्याख्या एवं उदाहरण सहित प्रकाशित किया। स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों में इस वर्तनी के प्रयोग की अपेक्षा की गई। अन्य राज्यों के पुस्तक बोर्डों, हिन्दी प्रकाशकों तथा पक्षकारिता के क्षेत्र में इस वर्तनी के प्रयोग का आग्रह किया गया।

वर्तनी के मानकीकरण सम्बन्धी मुख्य नियम इस प्रकार हैं –

### 5.4.3.1. संयुक्त वर्णों का लेखन

i. खड़ी पाई वाले व्यंजनों (ख, ग, घ, च, ज, न, म, स आदि) के संयुक्त रूप परम्परागत तरीके से खड़ीपाई हटाकर ही बनाए जाएँ।

ii. क, फ / फ़ के संयुक्ताक्षर हुक को हटाकर बनाए जाएँ।

iii. छ, ट, ठ, ड, ढ, द और ह के संयुक्ताक्षर हल् चिह्न लगाकर ही बनाए जाएँ। हल् चिह्न से बनने वाले संयुक्ताक्षर के दूसरे व्यंजन के साथ इ का मात्रा का प्रयोग सम्बन्धित व्यंजन से पहले किया जाएगा। जैसे –चिट्ठियाँ (चिट्ठियाँ नहीं) बुद्धि ( बुद्धि या बुदिध नहीं), द्वितीय (दिवतीय नहीं) आदि।

iv. र के तीनों संयुक्त रूप मान्य होंगे। जैसे – प्रकार, कार्य, राष्ट्र।

v. श्र, त्र का परम्परागत रूप मान्य होगा, श् और त नहीं। अन्य व्यंजन तथा र के संयुक्ताक्षर क्र, प्र, ब्र, ह्र के रूप में बनेंगे।

### 5.4.3.2. परसर्गों का लेखन

संज्ञा शब्दों से अलग लिखे जाएँगे। सर्वनाम शब्दों में मिलाकर लिखे जाएँगे। जैसे – मोहन को, सेवा में, आपसे, मैंने, उसपर आदि। सर्वनामों के साथ दो कारक चिह्न होने पर पहला मिलाकर और दूसरा अलग लिखा जाएगा। जैसे – उसके लिए, उनमें से। सर्वनाम और कारक चिह्न के बीच में ही या तक निपात होने पर कारक चिह्न या परसर्ग को अलग लिखा जाएगा।

### 5.4.3.3. अनुस्वार एवं अनुनासिकता

(i) अनुस्वार व्यंजन होता है और अनुनासिकता स्वर का नासिक्य विकार। हिन्दी में दोनों अर्थभेदक हैं। समवर्गीय नासिक्य व्यंजन के लिए मुद्रण एवं लेखन की सुविधा के लिए अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। जैसे –

i. शङ्ख के स्थान पर शंख, गङ्गा के स्थान पर गंगा
ii. चञ्चल के स्थान पर चंचल, पञ्छी के स्थान पर पंछी
iii. कण्टक के स्थान पर कंटक, डण्डा के स्थान पर डंडा
iv. पन्थ के स्थान पर पंथ, अन्धा के स्थान पर अंधा
v. कम्पन के स्थान पर कंपन, सम्बन्ध के स्थान पर संबंधआदि।

(ii) पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आने पर पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे – चिन्मय, वाङ्मय आदि।

(iii) यदि पंचमाक्षर द्वित्व रूप में आए तो पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित नहींहोगा। जैसे – सम्मेलन, अन्न आदि।

अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुँह तथा नाक से हवा निकलती है। जैसे – आँ, ऊँ, एँ, हूँ, आएँ। चन्द्रबिन्दु के प्रयोग के बिना अर्थ में भ्रम की गुंजाइश रहती है। हिन्दी में अनुस्वार तथा अनुनासिक अर्थभेदक हैं। जैसे – हंस तथा हँस, स्वांग (स्व अंग), तथा स्वाँग आदि। ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चन्द्रबिन्दु का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में नियम ये हैं –

(i) जहाँ शिरोरेखा के ऊपर मात्रा नहीं लिखी जाती वहाँ अनुनासिक ध्वनि के लिए चन्द्रबिन्दु का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। जैसे – हँसना, आँख, कहाँ, सँवरना, ऊँट आदि।

(ii) जहाँ शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लिखी जाती है वहाँ अनुनासिक ध्वनि होने पर चन्द्रबिन्दु के स्थान पर अनुस्वार लिखा जाएगा। जैसे – खिंचाई, सींचना, नहीं, में, मैं, सोंठ आदि।

### 5.4.3.4. विसर्ग (:) का प्रयोग

(i) संस्कृत के जिन तत्सम शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे शब्द जब तद्भव रूप में लिखे जाएँ तब विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे – सुख, दुख आदि।

(ii) तत्सम शब्दों के अन्त में प्रयुक्त विसर्ग का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा। जैसे – अतः, पुनः, प्रायः, वस्तुतः, क्रमशः आदि।

### 5.4.3.5. श्रुतिमूलक य और व

(i) क्रिया, विशेषण, अव्यय में जहाँ श्रुतिमूलक य तथा व का प्रयोग विकल्प से होता है, वहाँ इनके स्थान पर ए तथा आ का प्रयोग किया जाए। जैसे, किए – किये, नई – नयी, हुआ – हुवा आदि में स्वरात्मक रूपों ( ए, ई, आ) का ही प्रयोग किया जाए। जैसे – लिए, आए, हुए, कई, नई, गई, हुआ आदि।

(ii) जहाँ य श्रुतिमूलक व्याकरणिक परिवर्तन न होकर शब्द का ही मूल तत्त्व हो, वहाँ श्रुतिमूलक स्वरात्मक परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे – स्थायी, दायित्व, अव्ययीभाव आदि।

### 5.4.3.6. विदेशी ध्वनियाँ

1. **उर्दू शब्द–**

उर्दू से आए अरबी-फ़ारसीमूलक वे शब्द जो हिन्दी का अंग बन चुके हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिन्दी ध्वनियों में रूपान्तरण हो चुका है, ऐसे शब्द हिन्दी रूप में ही स्वीकार किए जाएँगे। जैसे – कलम, किला, चिराग, खत आदि। (वे क़लम, क़िला, चिराग़, ख़त के रूप में नहीं लिखे जाएँगे) परन्तु जहाँ अर्थगत अन्तर स्पष्ट करने के लिए उच्चारणगत भेद स्पष्ट करना आवश्यक हो, वहाँ नुक्ता लगाया जाएगा। जैसे, खाना – ख़ाना, राज – राज़, फन – फ़न आदि।

2. **अंग्रेज़ी शब्द –**

शब्दों का देवनागरी लिप्यन्तरण मानक अंग्रेज़ी उच्चारण के आधिकाधिक निकट होना चाहिए। इसलिए आवश्यक होने पर आ के लिए अर्द्धचन्द्र-युक्त (ऑ) का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे – ऑल, हॉल, नॉलेज आदि।

3. **दो-रूपी वर्तनी –**

हिन्दी में कुछ शब्दों के दो-दो रूप विद्वत समाज में प्रचलित हैं। जैसे – गरदन / गर्दन, गरमी / गर्मी, बरफ़ / बर्फ़, बिलकुल / बिल्कुल, बरतन / बर्तन, दुबारा / दोबारा आदि। इन वैकल्पिक रूपों में द्वित्व-रहित तथा पहले वाले रूपों को प्राथमिकता दी जाए।

## 5.4.3.7. आगत शब्दों की मानक वर्तनी

(i) उर्दू मूल के शब्दों में संयुक्ताक्षर का प्रयोग न कियाजाए। जैसे –

नुकसान, अकसर, इनसान, इनकार, इनकलाब, इनतहा, तकलीफ़, इकबाल, गलती, परवाह, सरकार, तनखाह, बरतन, गरदन, गरमी, दफ़तर, शरबत, बिलकुल, रफ़तार आदि।

(ii) निम्नलिखित शब्द संयुक्ताक्षर से ही लिखे जाएँगे–

फुर्ती, गिरफ़्तार, इम्तहान, इंतज़ार, इल्तिजा, पुख़्ता, नक्शा, अक्ल, शुक्रिया, तश्तरी, गश्त, सख़्त, बख्शीश, पश्मीना, ज़ुल्म, चश्मा, उम्र, जल्दी, शर्मीली, चुस्त, गोश्त, कुश्ती, चुस्की, किस्म, इश्क, ज़िंदगी, फ़र्क आदि।

(iii) हिन्दी तथा उर्दू के निम्नलिखित शब्द मानक माने जाएँगे। जैसे –

दुहरा, दुगुना, दुपहर, दुबारा, कुहनी, कुहरा, कुहराम, मुहब्बत, कुहासा, मोहताज, शोहरत, मोहसिन, महँगा, लहँगा, मुहल्ला, धुँआ, कुँआ, कुँआरा, गेहुँआ आदि।

(iv) उर्दू शब्दों के बहुवचन रूप

हिन्दी में प्रयुक्त उर्दू शब्दों के बहुवचन रूप हिन्दी की प्रकृति के अनुसार हिन्दी के बहुवचन प्रत्यय लगाकर ही बनाए जाएँगे, उर्दू के प्रत्यय के अनुसार नहीं । जैसे –

काग़ज़ से काग़ज़ों में (काग़ज़ात नहीं), कौम से कौमें (अक्वाम नहीं), किताब से किताबें (किताबात नहीं), किस्म से किस्में (अक्साम नहीं)

(iv) हिन्दी के कोशों में अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी, तुर्की, फ़्रांसीसी, पुर्तगाली शब्द जो हिन्दी में रचपच गए हैं, प्रविष्टियों के रूप में सम्मिलित किए जाएँ। जैसे –

i. अंग्रेज़ी – फ़ीस, पेट्रोल, पेंसिल, रेड्यो, सिनेमा, साइकिल, जींस, नाइट्रोजन, ऑफ़िस, मनीऑर्डर आदि।
ii. अरबी (फ़ारसी के माध्यम से) – कब्र, काग़ज़, कानून, ख़राब, अल्लाह आदि।

iii. फ़ारसी – कमर, कम, ख़ाक, गुम, ख़ुदा, वापस आदि।
iv. तुर्की – चाकू, तोप, लाश, उर्दू (छावनी), तमगा, चकमक आदि।
v. पुर्तगाली – अलमारी, कमीज़, कमरा, मेज़, तौलिया, नीलाम, पादरी, काजू आदि।
vi. फ्रांसीसी – कारतीस, एडवोकेट, मेयर, लैंप, वारंट, सूप, कूपन आदि।
vii. स्पेनी – सिगार, सिगरेट, कार्क आदि।
viii. जर्मन – ट्रेन, सेमिनार आदि।
ix. जापानी – रिक्शा, जूडो आदि।
x. रूसी – सोवियत, स्पूतनिक, ज़ार आदि
xi. इतालवी – लॉटरी, कारटून, रॉकेट. गज़ट, स्टूडियो, पिआनो, वायलिन आदि।

(v) अंग्रेज़ी शब्दों का लिप्यन्तरण करते समय शब्दान्त में दीर्घ ई तथा ऊ का ही प्रयोग किया जाए। जैसे –

Dye डाई, City सिटी, Daddy डैडी, Luxury लग्ज़री, Shoe शू, Pharmacy फ़ार्मेसी, company कंपनी, blue ब्लू आदि।

(vi) लातीनी तथा स्लाव परिवार की भाषाओं तथा जापानी आदि त-वर्गीय तथा कुछ अन्य भाषाओं के नामों के उच्चारण को सुरक्षित रखने के प्रयास किए जाएँ। जैसे –

i. फ्रांसीसी – मितराँ (Mitterand), दूप्ले (Duplex)
ii. रूसी – तोल्सतोय (Tolstoy)
iii. स्पेनी – दोन किहोते (Don Quixote)
iv. जापानी – तोक्यो (Tokyo), क्योतो (Kyoto) आदि।

### 5.4.3.8. विरामादि चिह्न

(i) शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा।
(ii) पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी अंग्रेज़ी विरामादि चिह्न स्वीकर कर लिए जाएँ। पूर्ण विराम के लिए खड़ीपाई (।) का ही प्रयोग किया जाए, अंग्रेज़ी फ़ुलस्टॉप (.) का नहीं।
(iii) विसर्ग के लिए कोलन का चिह्न मान लिया गया किन्तु दोनों में अन्तर रखा गया है। विसर्ग वर्ण से सटाकर और कोलन शब्द से कुछ दूरी पर लिखा जाए।

### 5.4.3.9. संख्यावाचक शब्द

संख्यावाचक शब्दों के उच्चारण तथा लेखन में एकरूपता का अभाव था। इसीलिए एक से सौ तक सभी संख्यावाचक शब्दों, क्रमवाची संख्याओं तथा भिन्नसूचक संख्याओं के मानक रूप निश्चित किए गए। वे इस प्रकार हैं –

(i) संख्यावाचक शब्द (एक से सौ तक)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एक | ग्यारह | इक्कीस | इकतीस | इकतालीस | इक्यावन | इकसठ | इकहत्तर | इक्यासी | इक्यानवे |
| दो | बारह | बाईस | बत्तीस | बयालीस | बावन | बासठ | बहत्तर | बयासी | बानवे |
| तीन | तेरह | तेईस | तैंतीस | तैंतालीस | तिरपन | तिरसठ | तिहत्तर | तिरासी | तिरानवे |
| चार | चौदह | चौबीस | चौंतीस | चवालीस | चौवन | चौंसठ | चौहत्तर | चौरासी | चौरानवे |
| पाँच | पंद्रह | पच्चीस | पैंतीस | पैंतालीस | पचपन | पैंसठ | पचहत्तर | पचासी | पंचानवे |
| छह | सोलह | छब्बीस | छत्तीस | छियालीस | छप्पन | छियासठ | छिहत्तर | छियासी | छियानवे |
| सात | सत्रह | सत्ताईस | सैंतीस | सैंतालीस | सतावन | सड़सठ | सतहत्तर | सतासी | सतानवे |
| आठ | अट्ठारह | अट्ठाईस | अड़तीस | अड़तालीस | अट्ठावन | अड़सठ | अठहत्तर | अठासी | अठानवे |
| नौ | उन्नीस | उनतीस | उनतालीस | उनचास | उनसठ | उनहत्तर | उनासी | नवासी | निन्यानवे |
| दस | बीस | तीस | चालीस | पचास | साठ | सत्तर | अस्सी | नब्बे | सौ |

(ii) क्रमसूचक संख्याएँ

| | |
|---|---|
| पहला | प्रथम |
| दूसरा | द्वितीय |
| तीसरा | तृतीय |
| चौथा | चतुर्थ |
| पाँचवा | पंचम |
| छठा | षष्ठ |
| सातवाँ | सप्तम |
| आठवाँ | अष्टम |
| नवाँ | नवम |
| दसवाँ | दशम |

(iii) भिन्नसूचक संख्याएँ

चौथाई, आधा, पौन, सवा, डेढ़, पौने दो, सवा दो, ढाई, पौने तीन, सवा तीन, साढ़े तीन आदि।

## 5.4.4. परिवर्धित देवनागरी

देवनागरी लिपि को भारतीय भाषाओं के लिप्यन्तरण का सशक्त माध्यम बनाने के उद्देश्य से देवनागरी में अन्य भाषाओं की ध्वनियों के सूचक प्रतीक-चिह्न विकसित करने के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने विशेषज्ञों से विचार-विमर्श के बाद सन् 1966 में परिवर्धित देवनागरी नामक पुस्तिका प्रकाशित की। इसमें दक्षिण भारत की भाषाओं, कश्मीरी की विशिष्ट ध्वनियों के लिप्यन्तरण के लिए देवनागरी में अपेक्षित परिवर्धन किया गया। सिन्धी को छोड़कर संविधान की तत्कालीन अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के लिप्यन्तरण की व्यवस्था इसके द्वारा सम्भव हो गई। तत्कालीन सभी भारतीय भाषाओं में संविधान के एक अंश का लिप्यन्तरण परिवर्धित देवनागरी में किया गया।

बाद में परिवर्धित देवनागरी की कमियों पर विचार चलता रहा और उनके निराकरण के लिए प्रयास किए गए। विद्वानों से इस सम्बन्ध में सुझाव माँगे गए। उनके सुझावों के अनुसार संविधान की अष्टम अनुसूची की सभी भाषाओं को लेकर विशेष ध्वनियों के लिए विशेषक चिह्न बनाने का काम किया गया। तदनुसार भारतीय भाषाओं – कश्मीरी तथा संताली के विशिष्ट स्वरों, कश्मीरी, सिन्धी, तमिळ और मलयालम, बांग्ला-असमिया तथा दक्षिण भारतीय भाषाओं की विशिष्ट व्यंजन-ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए विशेषक चिह्न जोड़े गए। साथ ही फ़ारसी तथा अंग्रेज़ी से गृहीत ध्वनियों के लिए भी विशेषक चिह्न शामिल किए गए।

## 5.4.5. पाठ-सार

इस पाठ में हमने यह पढ़ा कि देवनागरी लिपि का प्रयोग संस्कृत के अलावा हिन्दी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, बोडो, डोगरी आदि भाषाओं तथा हिन्दी की विभिन्न उपभाषाओं के लिए किया जाता है।

देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयास भारत के स्वतन्त्र होने के बाद से ही शुरू हो गए थे। संविधान में राजभाषा घोषित होने के बाद से देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को संघ की राजभाषा बनाया गया। राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने पर हिन्दी भाषा की लिपि, वर्तनी और अंकों में एकरूपता लाने के लिए तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा विविध स्तरों पर प्रयास किए गए। तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय ने मानक देवनागरी वर्णमाला प्रकाशित की गई। इसमें प्रत्येक वर्ण का मानक रूप निर्धारित किया गया। वास्तव में मानकीकरण के लिए भारत सरकार के स्तर पर केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया है।

देवनागरी लिपि को अन्य भारतीय भाषाओं को लिखने के लिए सक्षम बनाने के लिए अतिरिक्त लिपि-चिह्नों का निर्धारण कर सन् 1966 में परिवर्धित देवनागरी नामक पुस्तिका प्रकाशित की गई। साथ ही साथ, हिन्दी वर्तनी की विविधता को दूर कर वर्तनी की एकरूपता स्थापित करने के भी प्रयास किए गए। साथ ही, हिन्दी वर्तनी की विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए, भाषाविदों के साथ गंभीर विचार-विमर्श करने के बाद सन् 1967 में 'हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण' नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया। बाद में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1983 में समन्वित रूप में 'देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण' नामक पुस्तक का प्रकाशन किया।

देवनागरी लिपि में हिन्दी वर्णों में परिवर्तन किए गए। कुछ पुराने वर्णों के स्थान पर नये वर्ण प्रस्तुत किए गए। टंकण तथा मुद्रण की आवश्यकता के अनुसार तथा लेखन को रेखीय आधार प्रदान करते हुए, द्वित्वों को ऊपर नीचे न लिखकर रेखीय क्रम में लिखने का सुझाव दिया गया। साथ ही हिन्दी वर्तनी के मानकीकरण के सम्बन्ध में विभिन्न नियमों का प्रतिपादन किया। साथ ही हमने परिवर्धित देवनागरी के सम्बन्ध में भी पढ़ा। इसके अन्तर्गत देवनागरी लिपि में भारत के संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं के लिप्यन्तरण के लिए विशेषक चिह्न निर्मित किए गए।

### 5.4.6. बोध प्रश्न

**1. निम्नलिखित कथनों पर सही (√) या गलत (X) का निशान लगाइए –**

i. भारतीय उपमहाद्वीप की अधिकांश लिपियाँ ब्राह्मी से विकसित हुई हैं। (√)

ii. देवनागरी लिपि का विकास खरोष्ठी से हुआ है। (X)

iii. देवनागरी लिपि ब्राह्मी से विकसित कुटिल लिपि से विकसित हुई है। (√)

iv. देवनागरी लिपि के मानकीकरण के फलस्वरूप कई वर्णों के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। (√)

v. ब्राह्मी से विकसित ग्रन्थ लिपि से दक्षिण की लिपियों का विकास हुआ है। (√)

vi. हिन्दी की मानक वर्तनी में परसर्गों को संज्ञाओं के साथ मिलाकर लिखा जाता है। (X)

vii. आधुनिकीकरण और मानकीकरण की प्रक्रिया भाषा नियोजन का विषय है। (√)

viii. कुछ अतिरिक्त लिपि-चिह्नों के साथ देवनागरी लिपि में अधिकांश भाषाओं को लिखा जा सकता है। (√)

ix. संविधान की अष्टम अनुसूची की सभी भाषाओं को लेकर विशेष ध्वनियों के लिए विशेषक चिह्न बनाने का काम परिवर्धित देवनागरी के अन्तर्गत किया गया है। (X)

x. देवनागरी लिपि तथा वर्तनी के मानकीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आई.एस.ओ. प्रदान किया गया है। (√)

**2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प चुनिए –**

i. देवनागरी लिपि तथा वर्तनी के मानकीकरण के सम्बन्ध में किस संस्था द्वारा आई.एस.ओ प्रदान किया गया है ?

(क) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
(ख) भारतीय मानक ब्यूरो
(ग) केंद्रीय हिंदी संस्थान

सही उत्तर : (ख)

ii. किस वर्ग के वर्णों के संयुक्ताक्षर हल् चिह्न लगाकर बनाए जाएँगे ?

(क) प, ब, च, ज, त, थ
(ख) छ, ट, ठ, ड, ढ, द और ह

(ग) क, फ, फ़

सही उत्तर : (ख)

iii. गंङ्गा के स्थान पर गंगा, सन्त के स्थान पर संत, चञ्चल के स्थान पर चंचल का लेखन किसके उदाहरण हैं ?

(क) अनुनासिकता
(ख) अन्विति
(ग) अनुस्वार

सही उत्तर : (ग)

iv. परिवर्धित देवनागरी के सम्बन्ध में किस संस्था द्वारा कार्य किया गया ?

(क) केंद्रीय हिंदी संस्थान
(ख) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
(ग) केंद्रीय हिंदी निदेशालय

सही उत्तर : (ग)

v. आधुनिकीकरण भाषा में किस प्रकार का परिवर्तन लाता है ?

(क) शब्दावली विकास
(ख) लिपि-वर्तनी का मानकीकरण
(ग) अर्थ परिवर्तन

सही उत्तर : (क)

**लघु उत्तरीय प्रश्न**

**निम्नलिखित का उत्तर 100 शब्दों में लिखिए –**

i. आगत शब्दों की वर्तनी
ii. देवनागरी लिपि का मानकीकरण
iii. परिवर्धित देवनागरी

## 5.4.7. सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

1. कन्हैया सिंह, हिन्दी भाषा साहित्य और नागरी लिपि, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी
2. किशोरी दास वाजपेयी, हिन्दी का वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली
3. गंगाप्रसाद विमल, राजभाषा हिन्दी में संकलित देवनागरी लिपि उद्भव और विकास (लेख), प्रकाशन विभाग, द्वितीय संस्करण 2000
4. गौराशंकर हीरानन्द ओझा, प्राचीन भारतीय लिपिमाला, मुंशीलाल मनोहरलाल, तृतीय संस्करण 1959
5. भोलानाथ तिवारी, हिन्दी भाषा की लिपि संरचना, साहित्य सहकार, दिल्ली
6. महावीर सरन जैन, देवनागरी लिपि एवं हिन्दी की वर्तनी: क्षमताएँ, सीमाएँ, वैज्ञानिकता एवं समस्याएँ, (लेख) नागरी लिपि सम्मेलन स्मारिका, नागरी लिपि परिषद, नयी दिल्ली, पृ. 41–46 (अप्रेल, 1977)

7. राजकिशोर सिंह, हिन्दी भाषा का विकास एवं नागरी लिपि, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
8. राम कृष्ण मिश्र (सं), मानक हिन्दी वर्तनी तथा नागरी लिपि, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नयी दिल्ली
9. सत्यनारायण त्रिपाठी, हिन्दी भाषा और लिपि का ऐतिहासिक विकास, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, (चतुर्थ संस्करण) 2006

**उपयोगी इंटरनेट स्रोत :**

1. http://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=18
2. http://www.hindisamay.com/
3. http://hindinest.com/
4. http://www.dli.ernet.in/
5. http://www.archive.org

❖❖❖